(4)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

Checked
N Singh
15/3/82
(corrigenda issued)

(आठवां सत्र)



(खंड 25 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

सप्तम माला खण्ड 25 आठवां सत्र 1982/1903 (शक)

विषय-सूची

अंक 16, शुक्रवार, 12 मार्च, 1982/21 फाल्गुन, 1903 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	...	2— 21
*तारांकित प्रश्न संख्या : 268, 274, 276 से 278, 280 और 282		
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	...	21—198
तारांकित प्रश्न संख्या : 269 से 272, 275, 281 और 283 से 287	...	21— 29
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3007 से 3079, 3081 से 3121, 3123 से 3139, 3141 से 3158, 3160 से 3203, 3205 से 3210, 3212 से 3216 और 3218 से 3243	...	29—198
सभा पटल पर रखे गए पत्र	...	200—201
राज्य सभा से सन्देश	...	—201
विधेयक पर अनुमति	...	—201
अफ्रीकी विकास निधि विधेयक		
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	...	202—226
मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली तथा देश के अन्य भागों में बन्धुआ मजदूरों की समस्या		
श्री राम विलास पासवान	...	202—207
श्री भगवत झा आजाद	...	207—226
श्री जैनुल बशर	...	210—212
प्रो० मधु दण्डवते	...	214—222
श्री हरीश रावत	...	223—224
सभा का कार्य	...	226—231
बजट (सामान्य)—1982-83—सामान्य चर्चा	...	231—238 270—288

*किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह † इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय		पृष्ठ
श्री जेवियर अराकल	...	231—235
श्री ए० के० राय	...	235—238
श्री जनार्दन पुजारी	...	270—278
श्री एन० सुन्दरराजन	...	278—280
श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी	...	280—283
श्री राम कृष्ण मोरे	...	283—285
श्री पीयूष तिरकी	...	285—288
श्री गिरधारी लाल व्यास	...	—288
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	...	238—239
37वां प्रतिवेदन	...	
आयात नीति के पुनरीक्षण संबंधी संकल्प	...	239—265
श्री एम० रामन्ना राय	...	239—242
श्री गिरधारी लाल व्यास	...	243—244
श्री मूलचन्द डागा	...	244—245
श्री ए० के० बालन	...	245—249
श्री ईरा माहन	...	249—251
श्री चित्त बसु	...	251—256
श्री शिवराज वी० पाटिल	...	254—265
पार्वत्य क्षेत्रों में पेय जल की सुविधाओं के बारे में संकल्प	...	265—270
श्री बुद्धि चन्द्र जैन	...	265—269
श्री राम सिंह यादव	...	269—270

लोक सभा

शुक्रवार, 12 मार्च, 1982 / 21 फाल्गुन, 1903 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष जी, आलू की कीमत इतनी कम हो गयी है कि अब उसको गधे भी नहीं चरते। आलू इतना सस्ता हो गया है कि आज हरेक किसान तबाह हो रहा है। (व्यवधान) पहले आप किसानों की बात सुनिये। (व्यवधान)

श्री आर० एस० स्पेरो : हम भी इस से सहमत हैं कि इस पर चर्चा की जानी चाहिये।

श्री राम विलास पासवान : इस पर एडजोर्नमेंट मोशन हो जाए। (व्यवधान) उधर के लोग भी कह रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : उत्तर प्रदेश में भी··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठिये तो सही। (व्यवधान) आप बैठिये तो सही। (व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : रेलवे विभाग मालडिब्बे उपलब्ध नहीं करा रहा है इसलिए किसानों को परिवहन सुविधा नहीं मिल रही है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आप चारों की बात समझ ली है। उनकी बात भी समझ ली है, बागड़ी साहब की भी समझ ली है। (व्यवधान) सबकी समझ ली है।

श्री हरिकेश बहादुर : किसान को लाभकारी मूल्य दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह तो सब के लिए है। (व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : कपूरथला के आसपास भी तो लोग मर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं दुबारा डिसकशन करवा देता हूँ।

श्री मनीराम बागड़ी : इस मामले में सारा हाउस युननिमस है कि आलू की सपोर्ट प्राइस बढ़ाई जाए। सभी तरफ से इसकी माँग हो रही है।

राम विलास पासवान : हम ने कालिंग एटेंशन दिया है, एडजर्नमेंट मोशन दिया है। 184 के तहत दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं मान लेता हूं और इस पर डिसकशन करवा देता हूं। मैं एक प्रस्ताव स्वीकार करलूंगा और चर्चा करवा दूंगा।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम का क्रियान्वयन

*268. † श्री एच० एन० नन्जे गौडा
श्री डी० एम० पुत्ते गौडा } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में शीर्ष बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने बारे में यह निर्णय किया है कि वह अपनी गतिविधियों को किस ढंग के संचालित करें ताकि प्रधान मंत्री द्वारा घोषित २०-सूत्री कार्यक्रम का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हो, तथा लक्ष्यों का सही निर्धारण हो और समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार उनका समुचित रूप में क्रियान्वयन हो तथा इसमें वित्त सम्बन्धी कोई बाधा न आये; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र में बैंकों के मुख्य कार्यपालकों की 15 फरवरी, 1982 को हुई एक बैठक में यह निर्णय किया गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित एक कार्यकारी दल 20-सूत्री कार्यक्रम तथा अन्य सम्बन्धित मामलों को कारगर ढंग से कार्यान्वित करने के लिए बैंकिंग प्रणाली के वास्ते व्यापक कार्य निर्धारित करेगा। इस कार्यकारी दल की सिफारिशों के आधार पर वर्तमान प्रबन्धों और कार्यप्रणालियों में और सुधार किया जाएगा।

श्री एच० एन० नन्जे गौडा : माननीय प्रधान मंत्री ने कहा है कि 20 सूत्री कार्यक्रम को क्रियान्वित करते समय उद्देश्य का स्पष्ट बोध होना चाहिए। परन्तु मुझे आशंका है कि यह सब प्रधानमंत्री की आशाओं के अपूरूप नहीं हो रहा है। एक ओर, नए 20 सूत्री कार्यक्रम से लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि हो गई है। दूसरी ओर, 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत जिन प्रमुख क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है। उनके लिये पिछले वर्ष की तुलना में योजना में कम प्रतिशत धन राशि का आवंटन किया गया है। एक या दो उदाहरण इस प्रकार हैं : कृषि, ग्रामीण विकास और विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के लिये पिछले वर्ष 13.3% आवंटन किया गया था, पर इस वर्ष यह आवंटन 12.3% प्रतिशत है। सिंचाई और बाढ़ निमन्त्रण के लिए पिछले वर्ष 11.5% धनराशि आबंटित की गई थी, जबकि इस वर्ष 11% की गई है। सामाजिक सेवाओं के लिए पिछले वर्ष 14.7% राशि रखी गई थी, इस वर्ष 14.4% का आवंटन किया गया है। इस पृष्ठभूमि को देखते हुए मैं यह जानना चाहता है कि क्या सरकार ने इस बात का अनुमान लगा लिया है कि 20 सूत्री कार्यक्रम को लागू करने के लिए कुल कितनी धनराशि की आवश्यकता पड़ेगी और योजना आवंटनों में से कितनी धन राशि दी जाएगी, क्या योजना आवटनों से कितनी धनराशि पूरी नहीं होगी उसे बैंक जुटाएंगे और यदि हो, तो सरकार इस दिशा में क्या कदम उठाना चाहती है और इस वर्ष का वास्तविक लक्ष्य क्या रखा गया है और उसमें से कितना प्राप्त कर लिया गया है।

श्री जनार्दन पुजारी : आगे कहने से पूर्व मैं माननीय सदस्य को यह बता दूं कि वह सरकार से किसी करिश्मे की अपेक्षा नहीं कर सकते। मैं प्रधानमंत्री द्वारा 14 जनवरी, 1982 की रात को किए गए प्रसारण की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था—

"1975 में जब पहली बार 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की गई थी मैंने आपको चेतावनी दी थी कि किसी करिश्मों की अपेक्षा न करें। केवल एक ही ऐसा जादू है जो निर्धनता दूर कर सकता है और वह है कड़ा परिश्रम, उद्देश्य बोध और अनुशासन।"

श्री रतन सिंह राजदा : यह प्रधान मंत्री का भाषण है, उत्तर नहीं है। (व्यवधान)

श्री जनार्दन पुजारी : मैं यही कह सकता हूं कि सरकार कमजोर वर्गों को सभी प्रकार की सहायता प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। हम पूर्णतया वचनबद्ध हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं। जहां तक योजना परिव्यय का संबन्द्ध है, मैं माननीय सदस्य के ध्यान में यह बात लाना···

अध्यक्ष महोदय : यह आप से केवल कड़ा परिश्रम करने के लिए कह रहे हैं। इसमें कोई नुकसान नहीं है।

श्री जनार्दन पुजारी : अपने बजट भाषण में वित्त मन्त्री ने उन क्षेत्रों के लिए अधिक धन-राशि की घोषणा की थी जिन पर 20 सूत्री कार्यक्रम में बल दिया गया है। यदि मुझे बजट भाषण में उल्लिखित कुछ मदों का उल्लेख करने की अनुमति दी जाए तो मैं यही कहूंगा कि सिंचाई और कमान विकास क्षेत्र के लिए वर्ष 1981-82 में 1830 करोड़ रुपए की तुलना में इस वर्ष केन्द्रीय और राज्य योजनाओं के लिए 2133 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। केन्द्रीय और राज्य योजनाओं में कृषि के लिए परिव्यय 1981-82 के 1047 करोड़ रुपये की तुलना में 1202 करोड़ रुपये रखा गया है। इसमें दालों, तिलहनों और शुष्क-भूमि खेती का प्रावधान भी सम्मिलित है।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए 1981-82 के 145 करोड़ रुपये की तुलना में केन्द्रीय क्षेत्र में इस बार 190 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इतना ही प्रावधान राज्यों ने किया है। प्रत्येक खण्ड को 1981-82 के 6 लाख रुपये की तुलना में 8 लाख रुपये मिलेंगे। इस प्रावधान से 1982-83 में 30 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को लाभ प्राप्त होगा।

अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान हेतु केन्द्रीय सहायता वर्ष 1981-82 में 110 करोड़ रुपये थी जो अब बढ़ाकर 120 करोड़ रुपये कर दी गई है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति विकास निगम में। केन्द्र सरकार द्वारा 13.5 करोड़ रुपये का निवेश किया जायेगा और इतनी ही राशि का निवेश राज्यों द्वारा किया जाएगा। वर्ष 1982-83 में आदिवासी उप योजना के लिए भी 95 करोड़ रुपए का बढ़ा हुआ परिव्यय प्राप्त होगा।

अध्यक्ष महोदय : कृपया इसे सभा-पटल पर रख दीजिये।

श्री जनार्दन पुजारी : मुझे इस पर और प्रश्न पूछे जाने की आशा है। अतः मुझे इन सभी उपबन्धों को पढ़ने की अनुमति दी जाये। मैं केवल दो मिनट लूंगा।

ग्रामीण भूमिहीन व्यक्तियों के मकानों के स्थल के लिए 74 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा रहा है और राज्य योजनाओं में गन्दी बस्तियों में पर्यावरण सुधार के लिए 29 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा रहा है। यह डा० स्वामी के सूचनार्थ है क्योंकि मुझे आशा है कि गन्दी बस्तियों के बारे में कुछ प्रश्न पूछेंगे।

ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए 354 करोड़ के परिव्यय की योजना बनाई गई। वर्ष 1982-83 में लगभग 25,000 गांवों में बिजली पहुंचाई जाएगी और 4.25 लाख पम्प सैटों को बिजली उपलब्ध कराई जाएगी।

वर्ष 1981-82 में 35,000 बायोगैस संयन्त्रों की तुलना में इस वर्ष 75,000 बायोगैस संयन्त्रों की स्थापना को सुविधाजनक बनाने के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार 1982-83 में सामाजिक वनीकरण योजना का विस्तार किया जा रहा है, जिससे 4 लाख हैक्टेयर भूमि को इसमें सम्मिलित किया जा सके। ये योजना परिव्यय हैं।

श्री एच० एन० नन्जे गौडा : कृपया मुझे संरक्षण प्रदान करें। मुझे सुस्पष्ट उत्तर चाहिए। मैं जानना चाहता था कि : 20 सूत्री कार्यक्रम को लागू करने के लिए कुल कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान लगाया गया है ? इनमें से कितना योजना आवंटनों के अधीन पूरा हो जायेगा ? जितनी धनराशि की व्यवस्था नहीं हो पायेगी ? क्या बैंक उसे जुटाने के लिए तैयार है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुकर्जी) : माननीय सदस्य ने यह प्रश्न पूछा था कि क्या 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न क्षेत्रों के लिये प्रतिशत के रूप में कम धनराशि का आवंटन किया गया है। मेरे मित्र द्वारा पढ़े गए आंकड़ों से यह स्पष्ट हो जाता है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अधिक आवंटन किया गया है। आप दो तरीकों से नहीं चल सकते। जब मुख्य बजट प्रस्तावों में ऊर्जा क्षेत्र के लिए आवंटनों में प्रतिशत-वार भारी वृद्धि की गई है, तब प्रत्येक क्षेत्र के लिए यह आशा नहीं कर सकते कि उसके लिये प्रतिशत-वार वृद्धि होगी तथा सम्पूर्ण रूप से भी वृद्धि होगी। गणित के हिसाब से यह असम्भव है।

20 सूत्री कार्यक्रम के संबंध में, इनमें से कई कार्यक्रमों का वित्त पोषण राज्य क्षेत्र योजना से किया जाना है, यद्यपि इन्हें केन्द्रीय क्षेत्र परिव्यय में दिखाया गया है। इनमें से कुछ क्षेत्रों का वित्तपोषण बैंकिंग क्षेत्र योजना से किया जाना है। परन्तु यदि माननीय सदस्य धनराशि की मात्रा जानना चाहते हैं, अर्थात् यह जानना चाहते हैं कि कितनी धनराशि आवंटित की गई है तो इसे बताना कठिन होगा।

श्री एच० एन० नन्जे गौडा : मंत्री महोदय ने कहा है कि उन्होंने बैंक अधिकारियों की एक बैठक बुलाई थी। क्या मैं यह जान सकता हूं कि उसमें किन मुद्दों पर चर्चा की गई थी और 20 सूत्री कार्यक्रम के बेहतर मूल्यांकन के लिए कौन सी योजना बनाई गई ? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वित्त मंत्री ने देश के मुख्य मंत्रियों से चर्चा की है या उसके साथ चर्चा करने का उनका विचार है। यदि उन्होंने चर्चा की है तो, क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या मुख्य मंत्रियों में से किसी ने 20 सूत्री कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के बारे में असहमति व्यक्त की थी ? इसके पश्चात्, उन्होंने रिजर्व बैंक द्वारा कार्यकारी दल की स्थापना का उल्लेख किया है। क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या कार्यकारी दल ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट पेश कर दी है ? यदि हां तो, उसकी सिफारिशें क्या हैं ? क्या रिजर्व बैंक ने बैंकों को कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं ? यदि हां तो, क्या इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों का कार्यान्वयन बैंकों की सभी स्थानीय शाखाओं द्वारा किया गया है।

श्री प्रणव मुकर्जी : जहां तक मुख्य मंत्रियों का सम्बन्ध है, हम राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक बुलाने जा रहे हैं जो कि अब इस महीने की 14 तारीख को अर्थात् परसों होगी। इस बैठक की कार्य-सूची में 20 सूत्री कार्यक्रम सम्मिलित है। उस समय हमें मुख्य मंत्रियों की प्रतिक्रिया की जानकारी होगी। मेरे विचार में इस कार्यक्रम को लागू करने के बारे में कोई विशेष मतभेद नहीं होगा, यद्यपि समाचार पत्र में मैंने पढ़ा है कि एक मुख्य मन्त्री ने अपने कुछ ऐसे विचार व्यक्त किए हैं। परन्तु राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।

ग्रुप का जहां तक सम्बन्ध है, मैंने कहा था कि मैंने बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक की थी। अन्य विषयों के अतिरिक्त, मैंने उनके साथ इस कार्यक्रम को लागू करने के बारे में भी विचार-विमर्श किया। जिस ग्रुप की नियुक्ति की जानी थी, वह आज या कल नियुक्त कर दिया जाएगा। अत: उसकी रिपोर्ट प्राप्त होने और उस पर कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री ए० नीललोहितादसन नाडार : इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान पश्चिमी बंगाल के मुख्य मन्त्री द्वारा प्रधान मन्त्री के पत्र के जवाब में दिए गए उत्तर की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अपने पत्र में पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री ने इस ओर ध्यान दिलाया है कि पिछले कुछ वर्षों से पश्चिमी बंगाल में राष्ट्रीयकृत बैंक समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को लागू करने में बिल्कुल सहायता नहीं कर रहे हैं। क्या माननीय मन्त्री महोदय को इस तन्त्र की जानकारी है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री प्रणव मुकर्जी : माननीय सदस्य मुझसे अधिक जानते हैं। मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री ए० नीललोहितादसन नाडार : मैं पश्चिमी बंगाल के मुख्य मन्त्री द्वारा लिखे गये पत्र का जिक्र कर रहा हूं।

श्री हरिकेश बहादुर : उन्होंने एक विशिष्ट प्रश्न पूछा है। फिर भी मन्त्री महोदय उसका उत्तर नहीं देना चाहते। यह एक सार्वजनिक प्रलेख है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मुख्य मन्त्री ने विशेष रूप से प्रधान मन्त्री को लिखा है।

श्री प्रणव मुकर्जी : आप यह आशा नहीं कर सकते कि आप किसी भी प्रकार की·····**बात कर सकते हैं। (व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यह बहुत ही आपत्तिजनक बात है। (व्यवधान)

श्री समर मुकर्जी : उन्हें अपने शब्द वापस लेने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया है। (व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : जब मैंने·····**शब्दों का प्रयोग किया, आपने उन्हें कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया था।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है, इन्हें कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया है। असंसदीय शब्दों को निकाल दिया जाता है।

श्री ए० नीललोहितादसन नाडार : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। प्रश्न काल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जाता।

श्री रतन सिंह राजदा : मन्त्री महोदय बच नहीं सकते···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही उन शब्दों को कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल चुका हूं। (व्यवधान)

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

श्री भेरावदन के० गधावी : महोदय, जहां तक बजट आवंटनों का सम्बन्ध है, उनके लिए कुछ अल्प-कालीन और दीर्घकालीन लक्ष्यों की आवश्यकता होती है। जहां तक कृषकों की बात है और 20 सूत्री कार्यक्रम को लागू करने का सम्बन्ध है, बैंक द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता को ध्यान में रखते हुए मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या वित्त मन्त्री महोदय को यह तथ्य पता है कि जहाँ तक ग्रामीण क्षेत्रों को और विशेषकर कृषकों को, ऋण दिए जाने की बात है राष्ट्रीयकृत बैंक उसके प्रति इतने उदासीन होते है कि दिन-प्रति-दिन की आवश्यकताएं मुश्किल से ही पूरी की गई हैं। मुझे प्रसन्नता है कि जहां तक योजना में आवंटन की बात है भारत सरकार और राज्य सरकारें भी आवंटित धन को खर्च कर सकती हैं। परन्तु जहां तक किसानों और ग्रामीण क्षेत्र के दिन-प्रति-दिन के कार्यका सम्बन्ध है, जो कि संशोधित 20—सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत आ जाता है, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या वित्त मन्त्री महोदय ने बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से विचार विमर्श किया था और उनसे कहा था कि किसानों तथा अन्य कमजोर वर्गों के लिए ऋण सुविधाओं को सरल बनाया जाए और किसानों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराया जाना चाहिये। यदि नहीं तो, इस पर चर्चा क्यों नहीं की गई थी ? यदि की गई थी तो उसका क्या परिणाम निकला ? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हम इस प्रश्न पर 20 मिनट लगा चुके हैं।

श्री प्रणव मुकर्जी : महोदय, जैसा कि मैं पहले के प्रश्न उत्तर में बता चुका हूँ हमारा काम यह देखना है कि प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण का 40 प्रतिशत 1985 तक कृषि को मिले और जब मैंने राष्ट्रीयकृत बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से विचार-विमर्श किया था तो स्वाभाविक है कि इन मुद्दों पर भी चर्चा की गई थी और मैं इस बात की सराहना करता हूं... **(व्यवधान)**। बैंकिंग क्षेत्र इस स्थिति में नहीं है कि कृषि क्षेत्र की आवश्यकताओं को इस सीमा तक पूरा कर सके कि उसकी सम्पूर्ण सन्तुष्टि हो जाये। ऐसा करना सम्भव नहीं है क्योंकि माननीय सदस्य पूर्णतया यह जानते हैं कि बैंकिंग क्षेत्र के प्रत्येक 100 रुपये के अग्रिम में से लग भग 43 रुपये तो कुछ विशिष्ट क्षेत्रों के लिए, सरकारी प्रतिभूतियों हेतु योजना के लिये धन जुटाने के लिये निश्चित कर दिए जाते हैं। माननीय सदस्यों को इस बात को ध्यान में रखना चाहिये और इसके बारे में वे पूरी तरह से जानते हैं कि जो कुछ अग्रिम राशियाँ बैंक दे रहे हैं वह वे 57 रुपये की शेष राशि में से दे रहे हैं। बाकी का धन सरकारी प्रतिभूतियों आदि जैसे प्राथ मिकता वाले क्षेत्रों में निवेशित किया जाता है। अतः बैंकों का युक्तिचालन अत्यन्त सीमित है, जिसके परिणामस्वरूप उन विभिन्न क्षेत्रों में बैंकिंग क्षेत्र को वित्त प्रदान करना है, आज बैंक पूर्ण न्याय करने की स्थिति में नहीं हैं। अतः यह एक ऐसा कार्य है जिसे हम निरन्तर करते आ रहे हैं और जैसा कि मैं बता चुका हूं इसका उद्देश्य है 1985 तक प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण के 40 प्रतिशत की सीमा तक का लाभ कृषि क्षेत्र को दिलाना। मुझे आशा है कि उस लक्ष्य को प्राप्त करना सम्भव होगा। केवल इतना ही नहीं, यहां तक कि 60 प्रतिशत प्रत्यक्ष लाभ के सम्बन्ध में भी मैंने उन्हें आदेश दिए हैं कि कृषि क्षेत्र को लाभ पहुंचाते समय उन्हें केवल मात्र सभी अप्रत्यक्ष वित्त पर ही विचार नहीं करना चाहिये, अपितु प्रत्यक्ष वित्त पर भी ध्यान देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 269 श्रीमान गायक वाडीजी। वह अनुपस्थित हैं।

श्री सत्यासाधन चक्रवर्ती : मैं एक सीधा प्रश्न पूछना चाहता हूं। उत्तर 'हां' या 'ना' में रहेगा।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। अब प्रश्न संख्या 270—श्री अजित बाग।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : यदि आप मुझे अनुमति नहीं देते हैं तो मैं सदन से उठकर बाहर जा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। ऐसा करने के लिए आपका स्वागत है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस सभा में 544 सदस्य हैं और आप इस प्रकार सदन त्याग कर रहे हैं। मैं इसे नहीं सह सकता हूं। आपको सर्वाधिकार अक्सर मिलते हैं और फिर भी आप सदन त्याग करते हैं। ठीक है।

अब श्री अजित बाग की बारी है। वह अनुपस्थित हैं। श्री नीरेन घोष।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : जैसा कि आपने कहा है...

अध्यक्ष महोदय, श्रीमान हाल्दर जी ऐसी कोई बात ही नहीं है। इससे बात बहुत बढ़ रही है। आप मेरी स्थिति को कतई भी नहीं समझते हैं और न ही मेरी कठिनाईयों को भी अनुभव करते हैं। मेरे काम में बाधा डालने के बजाय आपके सहयोग को मैं सराहता।

अब प्रश्न संख्या 271 को लेते हैं—

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे इसके बारे में बड़ा खेद है, और मुझे आपके लिए कुछ देना पड़ेगा। मैं जांच-पड़ताल करके देखूंगा। यदि यह समाजवादी समाज है और हम इसे ऐसा बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो फिर मेरे विचार से पूरक प्रश्नों के वितरण में तो मुझे आपको एकाधिकारवादी कहना पड़ेगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे सिद्ध करूंगा।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मैं एक समाजवादी और एक साम्यवादी हूं। मुझे तो समान बटंवारा चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे तथ्यों और आंकड़ों से सिद्ध कर दूंगा।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आज आपने नाश्ते में क्या खाया था ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने केवल दो गिलास दूध पिया था।

श्री चन्द्रजीत यादव : मेरे विचार से ग्रहों का मिलन कुछ प्रभाव डाल रहा है। आज हर किसी को क्रोध आ रहा है।

प्रो० मधु दण्डवते : आपके मामले को एम. आर. टी. पी. आयोग को भेजा जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप ठीक कहते हैं। मुझे वह सुझाव मंजूर है।

एयर इंडिया की उड़ान में विषैले भोजन की घटना

*274. †श्री नवल किशोर शर्मा
श्री ए० टी० पाटिल } : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 13 फरवरी, 1982 को फ्रैंकफर्ट जाने वाले एयर इंडिया के विमान में लगभग 50 यात्री विषैले भोजन के शिकार हुए थे;

(ख) क्या किसी यात्री को अस्पताल भेजना पड़ा था;

(ग) भोजन के विषाक्त होने के क्या कारण थे; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और विमानों में दिये जाने वाले खाद्य पदार्थों की कड़ी जांच के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) जी, हां। 13 फरवरी, 1982 को उड़ान संख्या ए. आई-151 पर यात्रा कर रहे लगभग 50 यात्रियों में लंच के खाने के चार घंटे बाद विषाक्त भोजन के लक्षण दिखाई दिये। एक यात्री तथा दो कार्मिकों को अस्पताल ले जाया गया। कार्मिकों को कुछ घंटे उपचार करने के पश्चात् छुट्टी दे दी गई परन्तु यात्री को उसकी वृद्धावस्था के कारण चार दिन तक इलाज के लिये रखा गया।

(ग) रिपोर्ट मिली है कि भोजन के विषाक्त होने का कारण दूषित रसमलाई और मिश्रित सलाद था।

(घ) एयर इंडिया ने इस मामले की दिल्ली तथा फ्रैंकफर्ट, दोनों स्थानों पर, विस्तृत जांच की है तथा जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। उक्त घटना को दृष्टि में रखते हुए, शैफेयर फ्लाइट किचन से लिये गये खाद्य सामग्री के नमूनों के आवधिक विश्लेषण को और गहन किया जा रहा है।

श्री नवलकिशोर शर्मा : मैं मन्त्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि कम से कम उन्होंने स्पष्टतया यह स्वीकार किया है कि एयर इंडिया की उड़ान में भोजन संदूषण हुआ था और इसके परिणाम स्वरूप पचास यात्री प्रभावित हुए थे। परन्तु जहां तक उन्होंने यह निश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि इस प्रकार का खाद्य-संदूषण न हो, उनका उत्तर अभी भी संतोषजनक नहीं है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि एयर इंडिया का विश्व में नाम है और दुर्भाग्य से इस नाम को बिगाड़ा जा रहा है। उस दिन तेल के बारे में प्रश्न उठाया गया था। आज भोजन के बारे में प्रश्न उठा है। इन परिस्थितियों में क्या मैं यह जान सकता हूं कि—जो कुछ उन्होंने कहा है उसके अलावा और इस तथ्य के अतिरिक्त कि वे तथाकथित जांच समिति प्रतिवेदन का सहारा न लें तो यह देखने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए हैं कि इस प्रकार का भोजन-संदूषण न हो ? भोजन-संदूषण के क्या कारण थे ? उनका कहना है कि रसमलाई और मिला-जुला सलाद ही खराब हुए थे। ये क्यों संदूषित हुए थे ? उनकी प्रारम्भिक जांच-रिपोर्ट में क्या कहा गया है ? यह निश्चित करने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए हैं कि ऐसा फिर से न हो ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : उस दिन को एयर इण्डिया की उड़ान देरी से चल रही थी। अतः सभी खाद्य-सामग्री सूखी बर्फ द्वारा संरक्षित की गयी थी। दुर्भाग्य से इन दो मदों को बर्फ में नहीं रखा गया था और इसीलिए यह घटना घटी। इस उद्देश्यार्थ हमने न केवल मामले को संबद्ध कर्मचारीगण के साथ उठाया है, बल्कि हमने यह सुनिश्चित करने के लिए भी उपयुक्त आदेश जारी कर दिये हैं कि यह देखने के लिये कि इन उड़ानों में परोसा जाने वाला भोजन अच्छे दर्जे का है और संदूषण रहित है, समय-समय पर इनकी अचानक जांच की जानी चाहिये। यह सब किया गया है।

श्री नवलकिशोर शर्मा : मन्त्री महोदय ने कहा है कि रसमलाई और मिश्रित सलाद को उचित स्थान पर जमा करके नहीं रखा गया था। यह सच है कि रसमलाई ऐसा खाद्य-पदार्थ है जो कि आसानी से संदूषित हो जाता है। हम चाहेंगे कि मन्त्री महोदय इसे सदस्यों को परोसें।

अध्यक्ष महोदय : मैं उसकी अनुमति नहीं दूंगा।

श्री नवलकिशोर शर्मा : महोदय, संदूषित रसमलाई नहीं।

मैं इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जब यह मानी हुई बात थी तो इसे उचित स्थान पर क्यों नहीं रखा गया और जो लोग इसे उचित स्थान पर न रखने के दोषी हैं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

जहां तक भाग (ख) का सम्बन्ध है और जो कि अत्यन्त महत्वपूर्ण है, क्या कभी पहले ऐसा नहीं हुआ था या पहले भी हुआ था और यदि हुआ था तो उस संदूषण का क्या ब्यौरा है ?

श्री अनंतप्रसाद शर्मा : महोदय, मुझे पहले कभी घटी इस प्रकार की घटना की कोई जानकारी नहीं है। जहां तक और आगे किए गये उपायों का सम्बन्ध है, रसमलाई परोसना ही बन्द कर दिया है।

श्री चंद्रजीत यादव : मिश्रित फल सलाद की क्या स्थिति है ?

श्री अनंतप्रसाद शर्मा : मैंने बताया है कि हम समय-समय पर यह देखने के लिए अचानक जांच करते हैं कि ऐसी घटना फिर से न घटे। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं, जहां तक रसमलाई का सम्बन्ध है, उसकी सप्लाई बन्द कर दी गई है।

श्री नवलकिशोर शर्मा : मैंने उन लोगों के विरुद्ध की गई कार्यवाही के बारे में पूछा है जो कि इसके लिए उत्तरदायी थे।

श्री अनंतप्रसाद शर्मा : उन लोगों के विरुद्ध, जो कि इसके लिए उत्तरदायी थे, की गई कार्यवाही के बारे में मैं कहूंगा कि हमने घटना का ब्यौरे का पता लगाने और सम्बद्ध व्यक्तियों की जिम्मेवारी निश्चित करने के लिए एयर इण्डिया के मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में पहले ही एक समिति गठित कर दी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट मिल जाने पर आगे कार्यवाही की जायेगी।

श्री ए० टी० पाटिल : महोदय, इसमें कोई सन्देह नहीं कि जिम्मेवारी निर्धारित की जाए और अचानक जांच भी की जा सकती है। परन्तु जैसी कि स्थिति है चूंकि यह एक वाणिज्यिक सेवा है, यह सम्भव है कि इसका लक्ष्य ऊंचे फायदे उठाना और लाभ कमाना हो। अतः, सेवा में सभी प्रकार की मिलावटें और ऐसी ही बातें घुस आई हों। इसलिए प्रश्न अचानक जांच करने या किसी पर दायित्व या उत्तरदायित्व निर्धारित करने का ही नहीं है, बल्कि समस्त सेवा में सुधार करने का भी है। मैं समग्र सेवा में सुधार लाने की बात कर रहा हूं, इस एकमात्र घटना के बारे में नहीं। समस्त सेवा में सुधार लाने के हेतु क्या कार्यवाही की गई है ? क्या सरकार ने अन्य अन्तर्राष्ट्रीय वायु सेवाओं में लागू नियमों और विनियमों का अध्ययन किया है और यदि हां तो, तुलनात्मक रूप में कौन से उपयुक्त उपाय किए जा सकते हैं जिससे कि समस्त सेवा में सुधार लाया जा सके ?

श्री अनंतप्रसाद शर्मा : महोदय, मैं माननीय सदस्य की इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि इस प्रकार की घटनाएँ कुछ सीमा तक हमारी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाती हैं। परन्तु मैं केवल इतना कह सकता हूं कि दुर्भाग्य से यह घटना हो गई है और हमने यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं कि ऐसी घटनाएं भविष्य में न हों। केवल इसी उद्देश्य से अधिक नियमित या अचानक जांच की जाती हैं जिससे कि यह पता चल सके कि जो पदार्थ परोसे गये हैं वे सही हैं।

श्री भीम सिंह : अध्यक्ष महोदय, आम तौर पर फरवरी महीने में घरों में रखी हुई रसमलाई खराब नहीं होती है, इसलिये जिस कान्ट्रेक्टर ने सप्लाई की है, कहीं उसने खराब सप्लाई नहीं की थी ? क्या आपने यह जानने की कोशिश की है ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : यह सही है कि रससलाई प्राइवेट कान्ट्रेक्टर से ही ली गई थी, इसीलिये उसकी सप्लाई को बन्द कर दिया गया है। चूंकि कई घण्टे तक ड्राई आइस के जरिये इसकी प्रोटेक्शन नहीं हुई थी। और जो दूसरी खाने की चीजें थीं, वे खराब नहीं हुई लेकिन इसके लिए जो प्रोटेक्शन होना चाहिए था, वह नहीं किया गया था, इसलिए इसमें खराबी आई और ऐसी बात साबित भी हुई है। हमने इस सम्बन्ध में दो स्टेप्स लिये हैं। एक तो रसमलाई सप्लाई करना बन्द कर दिया है और दूसरे इस बात की हिदायत की गई है कि खाने-पीने की जो चीजें हैं इस तरह की, उनमें खराबी न हो, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा चैकिंग की जाए।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : उन्होंने पूछा है, "क्या आपने ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही की है ?

श्री मनीराम बागड़ी : जब खाने की चीज जहरीली हो गई तो उसके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए।

पशुओं के मिश्रित चारे का निर्यात

*276. **श्री के० कुन्हम्बु** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पशुओं के मिश्रित (कम्पाउण्ड) चारे का निर्यात करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या मुर्गी-पालन क्षेत्र ने इसका विरोध किया है;

(ग) क्या देश में पशुओं के लिये मिश्रित चारे की मांग पूरी तरह पूरी की जाती है; और

(घ) यदि नहीं, तो निर्यात करने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) मुर्गी-पालन क्षेत्र से समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) तथा (घ) निर्यात कोटा घरेलू आवश्यकताओं का पूरी तरह से ध्यान रखते हुए निर्धारित किया गया है।

श्री के० कुन्हम्बु : मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि देश में पशुओं के मिश्रित चारे का कुल कितना उत्पादन होता है तथा उसकी कुल घरेलू मांग कितनी है।

श्री शिवराज वी० पाटिल : मिश्रित पशु और मुर्गी के चारे के उत्पादन की हमारी 20 लाख टन की क्षमता है। परन्तु क्षमता का उपयोग 50 प्रतिशत तक ही हो पाता है। शेष 50

प्रतिशत क्षमता का उपयोग नहीं हो पाता है। इस तथ्य से हम यह देख सकते हैं कि जहां तक पशु और मुर्गी के मिश्रित चारे का सम्बन्ध है इसकी कोई भारी मांग नहीं है।

श्री के० कुन्हम्बु : मुर्गी-पालन क्षेत्र ने अपने अभ्यावेदन में कौन-कौन से मुद्दे उठाए हैं और इनकी मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : अभ्यावेदन में कहा गया है कि इसका निर्यात नहीं होना चाहिए। उनका कहना यह है कि यदि इसका निर्यात किया जाता है तो इसकी कीमतें बढ़ जायेंगी और मुर्गी-पालकों का अपना व्यवसाय करना लाभकारी नहीं रहेगा। यह उनका कहना है। क्योंकि यह सामग्री हमारे देश में बहुतायत में मिलती है, अतः हमारे विचार से कीमतों में वृद्धि नहीं होगी। यदि कभी इसकी कमी होती है तो हम अपने इस निर्णय पर दुबारा विचार कर सकते हैं। यदि कीमतें आकाश छूने लगती है या कुछ उस सीमा से बाहर निकल जाती हैं जो कि मुर्गी-पालकों के लिए लाभकारी नहीं रहेंगी तो हम इस निर्णय का पुनरीक्षण कर सकते हैं। परन्तु आज अन्य किसी प्रकार का निर्णय लेना सम्भव नहीं है क्योंकि यह सामग्री देश में काफी मात्रा में मिलती है।

श्री एम० गोपाल रेड्डी : मन्त्री महोदय ने कहा है कि फैक्टरियां केवल 50% क्षमता तक ही उत्पादन कर रही हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ प्रयास किए हैं कि फैक्टरियां पूरी क्षमता तक उत्पादन करें और विदेशी-मुद्रा कमाने के लिए मिश्रित पशु चारे को अन्य देशों को पर्याप्त मात्रा में निर्यात करें।

श्री शिवराज वी० पाटिल : यह एक अच्छा सुझाव है। यदि यह सम्भव है तो हम निश्चित रूप से ऐसा करेंगे। जो कुछ भी सम्भव और आवश्यक होगा वह किया जायेगा।

एयर इण्डिया का वित्तीय कार्यकरण

*277.†**श्री कृष्ण प्रताप सिंह**
श्री तारिक अनवर } : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयर इण्डिया वित्तीय वर्ष 1981-82 में 10 करोड़ रु० का लाभ होने की आशा कर रहा है; और

(ख) क्या यह भी सच है कि एयर इण्डिया ने मद्रास-सिंगापुर तथा बम्बई से फारस की खाड़ी सेवा के लिये तीन लम्बी दूरी वाली एयर बसें बी-4 प्राप्त करने का प्रस्ताव किया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) आशा की जाती है कि एयर इण्डिया वर्ष 1981-82 के दौरान 10 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित करेगी।

(ख) जी, हां। एयर इण्डिया द्वारा इन विमानों का मध्यम परास के कम दूरी वाले (मीडियम रेंज शॉर्ट हॉल) मार्गों के लिए प्रयोग करने का प्रस्ताव है।

श्री कृष्ण प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि यह जो 10 करोड़ रुपये का अनुमानित लाभ होने वाला है, उसमें यह वर्ष जो मार्च में समाप्त होने वाला है, उसका कितना है और अब तक कितनी आय हो चुकी है ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : यह जो 10 करोड़ रुपये के फायदे की बात कही गई है, इसका अनुमान 31 मार्च तक का ही लगाया गया है।

श्री कृष्ण प्रताप सिंह : ये जो 4 एयर-बस खरीदने की बात है, उसके बाद इस वर्ष का शुद्ध लाभ कितना रहेगा ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : चार नहीं, तीन खरीदने की बात हो रही है। लेकिन इसका अभी अनुमान लगाना मुश्किल है। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहूंगा कि क्या उन्होंने एयर-इण्डिया का संतुलन-पत्र देखा है और यह पाया है कि यह 10 करोड़ रुपये का लाभ फारस की खाड़ी के देशों के विमान यातायात के कारण होगा।

अन्य सभी क्षेत्रों में एयर इण्डिया को घाटा हो रहा है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या माननीय मंत्री को इस स्थिति का पता है और यदि हां, तो सरकार अन्य क्षेत्रों में एयर इण्डिया को लाभ सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : मेरे माननीय मित्र संभवतः यह जानते हैं कि पूरे संसार में अधिकांश एयर लाइनें घाटे में चल रही हैं। यह केवल एयर-इण्डिया ही है··· (व्यवधान) मैं कह रहा था कि पूरे संसार में अधिकांश एयर लाइनें घाटे में चल रही हैं। यह केवल एयर इण्डिया ही है जो लाभ में चल रही है और वह भी इस वर्ष।

यह सच है कि एयर इण्डिया द्वारा अर्जित लाभ का अधिकांश भाग खाड़ी के देशों को विमान सेवा से होता है। परन्तु हमें तो कुल मिलाकर सम्पूर्ण लाभ और घाटे की गणना करनी होती है। एक क्षेत्र में हमें कुछ घाटा हो सकता है और दूसरे क्षेत्र में कुछ लाभ भी हो सकता है। अतः, यह निगम के कार्य निष्पादन का सम्पूर्ण परिणाम है जो मैंने सभा के समक्ष रखा है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या आप उत्तर से सन्तुष्ट हैं ? मैंने पूछा था कि सरकार अन्य मार्गों पर लाभ सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाने जा रही है। 8 मार्गों में से 7 घाटे में चल रहे हैं। उनमें से केवल एक लाभ में चल रहा है। और आप कहते हैं कि आप प्रसन्न हैं। यह बहुत खतरनाक स्थिति है।

अध्यक्ष महोदय : यह महान स्वामी जी की इच्छा है !

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह सच है ? परन्तु मैंने एयर इण्डिया से यात्रा करनी बन्द कर दी है।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा मत कहिये।

डा० फारूक अब्दुल्ला : एयर इण्डिया को लाभ कार्यरत कर्मचारियों की संख्या में कमी करने के कारण हो रहा है। आपने उनकी संख्या कम कर दी है।

दूसरे, यह सीटों से अधिक बुकिंग करने के कारण भी हो रहा है जिससे यात्रियों को असुविधा हो रही है और जिसके कारण एयर इण्डिया की लोकप्रियता भी कम हो रही है।

मेरे विचार से ये ही कुछ कारण हैं जिनसे एयर इण्डिया को लाभ हो रहा है।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : जहां तक कर्मचारियों की संख्या का सम्बन्ध है उसमें कोई कमी नहीं की गई है। यह सच है कि सीटों से अधिक बुकिंग की गई है। परन्तु यह एक आम बात है। मेरे माननीय मित्र यह तथ्य जानते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय बुकिंग में रद्द करने का कोई प्रभार नहीं लिया जाता है और इसलिये, कुछ लोग किसी भी समय यात्रा का विचार छोड़ सकते हैं। सीटों से अधिक बुकिंग के कारण अन्ततः यात्रियों को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिये।

श्री जगदीश टाइटलर : मेरा एक छोटा सा प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है । अब कोई प्रश्न नहीं ।

इण्डियन इकोनामिक एसोसिएशन का वार्षिक सम्मेलन

*278. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या **वित्तमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन इकोनामिक एसोसिएशन के 64वें वार्षिक सम्मेलन ने मांग की है कि नियंत्रणों का पुनर्मूल्यांकन किया जाए और उन्हें ऐसे तरीके से विनियमित किया जाए कि उपभोक्ताओं को संरक्षण मिले;

(ख) यदि हां, तो अधिक उत्पादन को बढ़ावा देने और सप्लाई बढ़ाने हेतु मूल्य निर्धारण के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) समाज के कमजोर वर्गों का आर्थिक शोषण रोकने और उपचारात्मक उपायों का निश्चय करने के लिये क्या कदम उठाए जाएंगे ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुकर्जी) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

इण्डियन इकानामिक एसोसिएशन एक गैर सरकारी संगठन है । यह वार्षिक सम्मेलन आयोजित करता है जिसमें भाग लेने वाले व्यक्तियों द्वारा चुने हुए विषयों पर चर्चा की जाती है । ऐसा समझा जाता है कि भाग लेने वाले व्यक्ति वार्षिक सम्मेलन में अपने व्यक्तिगत विचार प्रकट करते हैं और इस रूप में इंडियन इकानामिक एसोसिएशन आर्थिक विषयों पर कोई संकल्प पारित नहीं करती । पता चला है कि एसोसिएशन के 64वें वार्षिक सम्मेलन में इन विषयों पर चर्चा की गई थी : (1) अल्प-विकास की राजनैतिक अर्थव्यवस्था; (2) भारत में ऊर्जा संकट; और (3) विकसित और विकासशील देशों के बीच प्रौद्योगिकी का अंतरण ।

सरकार मूल्य निर्धारण और वितरण के लिये नियंत्रण की व्यवस्था करने में अर्थव्यवस्था की समग्र आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के हितों को दृष्टि गत रखते हुए, व्यावहारिक रुख अपनाती है । इस प्रकार की नीतियों का निर्माण निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है । समाज के कमजोर और निर्धन वर्गों के हितों के संवर्धन के लिये सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का समय-समय पर उल्लेख छठी पंचवर्षीय आयोजना और बजट पत्रों में किया गया है ।

डा० कृपा सिंधु भोई : (क) माननीय मंत्री ने एक विस्तृत उत्तर दिया है । इकानामिक एसोशिएशन ने, जो एक गैर सरकारी संगठन है, अपना वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया था । क्या इकानामिक एसोशियेशन ने सरकार को कोई ज्ञापन दिया था ?

यदि एसोशियेशन ने सरकार को कोई ज्ञापन दिया था और यदि सरकार को इसकी जानकारी है तो क्या मैं जान सकता हूं कि क्या उसमें अल्प-विकसित देशों की अर्थव्यवस्था के विषय में और भारत में ऊर्जा संकट के विषय में और विकसित तथा विकासशील देशों के बीच औद्योगिकी के अन्तरण के विषय में उल्लेख किया गया था ?

इकानामिक एसोशिएशन ने सरकार को क्या-क्या विशिष्ट और स्पष्ट सुझाव दिए हैं ? और यदि कोई सुझाव दिए गये हैं—तो उन सुझावों को क्रियान्वित करने के लिये हमारे बजट में कौनसे आगामी कदम उठाने की विचार व्यवस्था की गई है ?

(ख) वितरण प्रणाली के संबन्धमें, सरकार कमजोरवर्गों की शोषण से रक्षा करने के लिये सभी संभव उपाय कर रही है। परन्तु अब पूरे देश में वितरण प्रणाली के माध्यम से, 80% खुदरा दुकानें गैर-सरकारी खुदरा दुकानदारों के हाथों में हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस स्थिति पर पुनर्विचार करेगी और 1975-76 की स्थिति को स्वीकार करेगी और इस सम्पूर्ण वितरण प्रणाली को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों जैसे सहकारी समितियों, पंचायतों और पंचायत समितियों को सोपेंगी और मूल्यों को कम करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि आवश्यक वस्तुएं सम्पूर्ण देश में उचित ढंग से वितरित की जाएं ताकि कमजोर वर्गों की रक्षा की जा सके।

श्री प्रणव मुकर्जी : माननीय सदस्य के प्रश्न के इस प्रथम भाग का कि क्या इकानामिक एसोशिएशन ने सरकार को कोई ज्ञापन या कार्य योजना प्रस्तुत की है, मेरा उत्तर है 'जी नहीं।'

यह एक गैर-सरकारी संगठन है और यह 64वीं बैठक थी और वास्तव में परिषद् सदस्य तथा विभिन्न व्यवसायों के अर्थशास्त्री इसमें भाग लेते हैं; कभी-कभी सरकारी अधिकारी भी चर्चा में भाग लेते हैं और विचारों का आदान-प्रदान करते हैं। वे औपचारिक रूप से कोई संकल्प पारित नहीं करते हैं। चूंकि यह एक गैर-सरकारी संगठन है, हमने डा० ब्रह्मानन्द, जो इस पत्रिका के सम्पादक हैं, वे तथ्य जानने चाहे थे। उन्होंने हमें सूचित किया कि वे इस तरह का कोई औपचारिक संकल्प या ज्ञापन पारित नहीं करते हैं और जिन विषयों पर उन्होंने चर्चा की उनका उल्लेख मैंने सभा-पटल पर रखे गए विवरण में पहले ही कर दिया है। माननीय सदस्य उन विषयों से, जिन पर सम्मेलन में चर्चा की गई थी, समझ गए होंगे कि वे सभी सीमित हित वाले हैं।

माननीय सदस्य के प्रश्न के दूसरे भाग का, जो वितरण प्रणाली के सुधार के विषय में है, मेरा उत्तर है कि यह एक स्वीकृत नीति है। परन्तु मुझे आशंका है कि मैं उनसे सहमत नहीं हो सकता हूं—ऐसा नहीं है कि मैं उस सिद्धांत से सहमत नहीं हूं—परन्तु सम्पूर्ण वितरण प्रणाली को सरकारी नियन्त्रण में लेने के लिए सम्भवत: हम सक्षम नहीं हैं। परन्तु हम इसे धीरे-धीरे बढ़ा रहे हैं। जैसा कि माननीय सदस्य जानते होंगे, उचित दर की दुकानों की संख्या भी पर्याप्त रूप से बढ़ा दी गई है। मेरे विचार से यह इस समय 200,000 से अधिक है.....

प्रो० एन जी रंगा : पर्याप्त नहीं है।

श्री प्रणव मुकर्जी : स्पष्ट है कि जब गांवों की कुल संख्या 600,000 से अधिक है तो 200,000 या 300,000 दुकानें भी पर्याप्त नहीं हैं। फिर भी, यह ध्यान में रखना होगा कि हमारा खुदरा बाजार भी, यद्यपि वह गैर-सरकारी क्षेत्र में है, पर्याप्त रूप से सक्षम हैं और खुदरा बाजार में कीमत, यदि हम इसकी विभिन्न अन्य सरकारी क्षेत्र एजेंसियों से तुलना करें तो, अधिक नहीं है। परन्तु उद्देश्य यही है जिसे हमने स्वीकार किया है और अधिकांश राज्यों में, सार्वजनिक वितरण प्रणाली अन्यों की तुलना में कहीं अधिक बेहतर है। हमारा उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यचालन में सुधार करना और सरकारी क्षेत्र संगठनों के माध्यम से अधिक से अधिक वस्तुओं को वितरण प्रणाली के अन्तर्गत लाने का है।

डा० कृपा सिंधु भोई : प्रश्न यह था : क्या 1975-76 की प्रणाली को स्वीकार किया जाएगा और 80% खुदरा दुकानों को पंचायत समितियों और सहकारी क्षेत्र के अन्तर्गत लाया

जाएगा और सरकार विस्तृत सिद्धांतों का पालन क्यों नहीं कर रही है जिससे कि आवश्यक वस्तुओं का वितरण उचित ढंग से हो सके ?

ऊर्जा संकट के विषय में माननीय मंत्री ने बताया कि परिषद् सदस्य और सभी व्यवसायों के अर्थशास्त्री एकत्र हुए थे। देश में ऊर्जा संकट से निपटने के लिए और पहले से स्थापित संयंत्रों की पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए उनके ठोस सुझाव क्या थे ? क्या उन्होंने कोई सुझाव दिए थे ? पुनः 1975-76 आधार वर्ष हो सकता है।

श्री प्रणव मुकर्जी : जैसा कि मैंने पहले प्रश्न के उत्तर में कहा था, आकांक्षाओं और वास्तविक उपलब्धियों के बीच सदा ही एक अन्तर रहता है। यदि हम सम्पूर्ण वितरण प्रणाली को सरकारी वितरण प्रणाली के अन्तर्गत लाना चाहें तो ऐसा करना हमारे लिए व्यवहारिक रूप से संभव नहीं होगा। माननीय सदस्य को पता है कि कुछ समय पूर्व हमने एक महत्वपूर्ण वस्तु के साथ कुछ प्रयोग किए थे, उस समय जबकि गेहूं के थोक व्यापार का अधिग्रहण कर लिया गया था, परन्तु वह प्रयोग सफल नहीं रहा। परन्तु यह एक अभ्यास है जो हम कर रहे हैं और हम इसे सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। मैं इतना ही कह सकता हूं।

दूसरी बात जो ऊर्जा संकट के सम्बन्ध में इकानामिक एसोशिएशन के वार्षिक सम्मेलन की सिफारिशों के विषय में भी, उसके बारे में स्थिति यह है कि अभी तक हमें उनसे कोई विस्तृत जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। यदि माननीय सदस्य इसमें रुचि रखते हैं तो हम उनसे पूछ सकते हैं और उनके सुझावों पर विचार कर सकते हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैं माननीय बित्तमंत्री से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कि विशाल वित्तीय घाटा होगा और छठी योजना के दौरान सरकारी और गैर सरकारी पूंजी निवेश किया जाएगा, इस बात की हर सम्भावना है कि आवश्यक वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाएंगे। और यदि आप पूरी तरह बाजार कार्यों के मायाजाल पर निर्भर करते हैं तो आप मूल्यों को नियंत्रित नहीं कर सकते। आपको याद होगा कि 1943 में बंगाल में बहुत बढ़िया फसल हुई थी लेकिन वहां सटोरियों और अन्य लोगों के कारण अकाल पड़ा और, उसके परिणाम स्वरूप पचास लाख लोग मर गए। सवाल यह है। हमारे जैसे देश में, जहां कालाधन और सट्टा चलता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बिना आप समाज के कमजोर वर्गों की समस्याओं को किस प्रकार हल कर सकते हैं ? आपने खाद्य जोनों को समाप्त कर दिया है। आपने थोक व्यापार को क्यों छोड़ दिया ? सभी अर्थशास्त्री इस पद पर सहमत हो गए। उनके दिलों में जनता का भला करने की बात थी और इसलिए उन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात की। आप यह क्यों कहते हैं कि यह यहां संभव नहीं है। अनेक देशों में यह प्रणालीकार्य कर रही है। आप इसे कार्यान्वित करने जा रहे हैं। जैसा कि एक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है, पंचायतों और अन्यों के माध्यम से आप इसे सुनिश्चत कर सकते हैं और जनता को धोखेबाज व्यापारियों के शोषण से बचा सकते हैं। आपने आह्वान नहीं किया है। जहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली पहले से ही कार्य कर रही है वहां अब भी इसे हानि होती है।

अध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रश्न कीजिए।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं। वहां कोई कठिनाइयां नहीं है। आवश्यकता है तो राजनीतिक संकल्प की। मेरा प्रश्न है : आप उस प्रणाली को सुदृढ़ बनाने जा रहे हैं अथवा कोई बहाना बनाकर आप यह काम नहीं कर रहे हैं ?

श्री प्रणव मुकर्जी : जहां तक माननीय सदस्य के प्रश्न मात्र का सम्बन्ध है । मैं हां कहूंगा, हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाना चाहते हैं । जहां तक माननीय सदस्य के टिप्पणी मात्र का सम्बन्ध है, मैं इस बात पर सहमत हूं कि महत्वपूर्ण तंत्रों में से एक जिसके माध्यम से हम मूल्यों पर नियंत्रण रख सकते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाना है ।

यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं कहूंगा कि एक मात्र मुद्दा, जो माननीय सदस्य महोदय ने उठाया, वह 1943 के अकाल के बारे में है । मैं समझता हूं उस समय आप और मैं दोनों ही इतने परिपक्व न थे कि अकाल के समग्र प्रभाव को समझ सकते । उस समय मैं सात आठ साल का था । ऐसी ही बात आपके साथ है । इसलिए हमें, 1943 के अकाल के बारे में बात नहीं करनी चाहिए ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : **वेदों के पश्यति ब्राह्मण** : आप पुस्तकों में इसके बारे में जान सकते हैं ।

श्री चंद्रजीत यादव : सार्वजनिक वितरण प्रणाली में मंत्री महोदय ने दो बातें कहीं । प्रथम सिद्धांततः सरकार इसे मजबूत बनाना चाहती है; दूसरे, उन्होंने उन दुकानों की, जो अब तक खोली गई हैं, अपर्याप्तताओं को स्वीकार किया है । असल बात यह है कि आज, सार्वजनिक वितरण प्रणाली अधिकांशतः आग से जूझने वाली प्रणाली के रूप में कार्य कर रही हैं । जब कभी कुछ क्षेत्रों में, खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में अथवा, सूखा अथवा प्राकृतिक आपदायें आती हैं ये दुकानें कार्य करती हैं । क्या हमारे देश की, जहां बड़ी संख्या लोग अथवा जनता के पचास प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं, अर्थ व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मंत्री महोदय इस बात से सहमत होंगे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आनेवाले लम्बे समय तक के लिए हमारी आर्थिक प्रणाली के एक भाग के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए ।

दूसरे, गाँवों में 33 प्रतिशत से भी कम लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई की जा रही है क्या सरकार ने एक समय बद्ध कार्यक्रम बनाने के बारे में सोचा है जिससे सम्पूर्ण आबादी कम से कम उस के जरूरतमन्द वर्ग को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत लाया जा सके ? क्या सरकार के पास इस हेतु कोई योजना है ?

श्री प्रणव मुकर्जी : जहां तक माननीय सदस्य महोदय के सुझाव का सम्बन्ध है, मैं इस बात से सहमत हूं कि यह महज अस्थायी, तदर्थ आग से जूझने जैसा तंत्र नहीं होना चाहिए । इसे स्वयं हमारी आर्थिक प्रणाली में अन्तः निर्मित स्थायी व्यवस्था के रूप में बनाया जाना चाहिए । जब हम इस प्रणाली को मजबूत बनाने की बात करते हैं तो हम प्रणाली की स्थायी विशेषताओं को अपने दिमाग में रखते हैं । उसे मजबूत बनाए बिना महज तदर्थ व्यवस्था करने की कोई व्यवस्था करने की कोई प्रथा ही नहीं है । अत्यन्त अल्प अवधी के लिए, जब नागरिक पूर्ति विमाग का प्रमाण मेरे पास था, मुझे नागरिक पूर्ति का प्रभार संभालने वाले अलग अलग राजा मंत्रियों के साथ बैठक करने का अवसर मिला था । वे सभी चाहते थे कि बहुत बड़ी संख्या में वस्तुओं को इस प्रणाली के अन्तर्गत लाया जाए । सिद्धांततः इस प्रकार के सुझावों को स्वीकार कर लिया गया था । मैं उस क्षेत्र को भी बताना चाहूंगा कि सुझाई गई 15 या 16 वस्तुओं को शामिल किया जाए । मैं अनुभव करता हूं कि कालावधि में हमें अन्य वस्तुओं को व्यापक रूप से इसके अंतर्गत क्षेत्रों को बढ़ाना होगा ।

पर्यटन के संतुलित विकास के लिये मध्यम लागत होटलों के लिए संयुक्त उपक्रम

* 280. श्री चित्त महाटा : क्या पर्यटन और नगर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार ने सभी राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों में पर्यटन के संतुलित विकास के लिए महत्वपूर्ण केन्द्रों पर, मध्यम होटलों के निर्माण के लिए संयुक्त उपक्रम बनाने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए राज्य-वार तथा केन्द्र शासित प्रदेश-वार आवंटित की गई राशि के आंकड़े क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री खुर्शीद आलन खान) : (क) जी, हां ।

(ख) विवरण "क" के रूप में संयुक्त उद्यम स्कीम के ब्यौरे सभा-पटल पर रख दिए गए हैं।

(ग) भारत पर्यटन विकास निगम की छठी पंचवर्षीय योजना में इन संयुक्त उद्यमों के लिये 530 लाख रु० का कुल प्रावधान शामिल है। तथापि, चूंकि इन स्कीमों का कार्यान्वियन राज्य सरकारों/राज्य पर्यटन विकास निगमों/संघ शासित क्षेत्रों के साथ करार पर हस्ताक्षर करने, संतोषजनक व्यवहार्यता अध्ययन और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है, राज्य-वार या संघ शासित क्षेत्र-वार कोई आवंटन नहीं किया गया है ।

विवरण 'क'

आई० टी० डी० सी० की संयुक्त उद्यम स्कीमों के सम्बन्ध में टिप्पणी

भारत पर्यटन विकास निगम ने प्रत्येक राज्य में लगभग समान इक्विटी साझेदारी के आधार पर एक नई कम्पनी का निर्माण करते हुए संयुक्त उद्यम पर्यटन परियोजनाओं को आरम्भ करने के लिए एक स्कीम तैयार की है। ऐसी कंपनियां ऋण सहायता के लिये केन्द्रीय और राज्य वित्तीय संस्थानों से सम्पर्क करेंगी। जिन मुख्य लक्ष्यों को हासिल किया जाना है, वे निम्नलिखित हैं :—

—केन्द्र और राज्यों के बजट सम्बन्धी संसाधनों पर पड़ने वाले प्रत्यक्ष दबाव को कम करना;

—पर्यटन से होने वाले लाभों को व्यापक रूप से फैलाना;

—आंतरिक पर्यटन का संबर्धन करना और इसके लिए नए क्षेत्र खोलना;

—प्रयासों की पुनरावृत्ति से बचने की दृष्टि से केन्द्र और राज्यों के बीच घनिष्ट समन्वय बनाए रखना;

—आई० टी० डी० सी० की विशेषज्ञता का प्रसार करना;

इस स्कीम के अधीन स्थापित किए जाने वाले होटलों/परियोजनाओं की प्लानिंग डिजाइनिंग, प्रबंध संचालन और मार्केटिंग, आई० टी० डी० सी० द्वारा पारस्परिक आधार पर मंजूर की गई मानक वाणिज्यिक शर्तों के आधार पर की जाएगी ।

सहयोग की पद्धति

राज्यों के साथ संयुक्त उद्यम परियोजनाओं के लिए सहयोग की निम्नलिखित पद्धति की परिकल्पना की गई है :—

1. आई० टी० डी० सी० और राज्य सरकार/राज्य पर्यटन विकास निगम क्रमश: 51 : 49 के अनुपात में इक्विटी साझेदारी सहित एक नई कम्पनी की स्थापना करेंगे ।
2. आई० टी० डी० सी० प्रोमोटर और राज्य सरकार/राज्य पर्यटन विकास निगम "को–प्रोमोटर" होंगे ।
3. कम्पनी का इक्विटी–डैब्ट अनुपात सामान्य रूप से 1 : 1.5 के अनुपात में होगा ।
4. कंपनी के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में प्रोमोटर और को—प्रोमोटर द्वारा नामांकित सदस्य समान संख्या में शामिल होंगे ।
5. कम्पनी का अध्यक्ष प्रोमोटर द्वारा नामित व्यक्ति होगा ।
6. कम्पनी का प्रबन्ध—निदेशक "को—प्रोमोटर" द्वारा नामित व्यक्ति होगा ।
7. जब तक प्रोमोटर इक्विटी शेयर्स रखता है होटल की प्रबन्ध व्यवस्था प्रोमोटर के पास रहेगी ।

आई० टी० डी० सी० द्वारा सेवाएँ

(क) निर्माण के दौरान

होटल की निर्माण अवधि के दौरान आई० टी० डी० सी० होटल की प्लानिंग, डिजाइनिंग, निर्माण, फर्निशिंग और साज-सज्जा में अंतर्राष्ट्रीय मानकों की अपनी तकनीकी सेवाएं प्रदान करेगा और वह वास्तुविदों/विशेषज्ञों/परामर्शदाताओं की सेवाओं में समन्वय बनाए रखेगा । इन सेवाओं की लागत को पूरा करने के लिए प्रस्तावित कम्पनी द्वारा आई० टी० डी० सी को० निम्नलिखित फीस देय होगी :—

(क) भूमि की लागत को शामिल न करते हुए परियोजना लागत का ढाई प्रतिशत; जमा

(ख) स्थल स्थापना की लागत ; और

(ग) ट्रैवलिंग और लार्निंग की लागत और स्थानीय परिवहन खर्च जिनमें केवल परियोजना के ही की गई हवाई यात्रा का खर्च शामिल है ।

वास्तुविदों/विशेषज्ञों/परामर्शदाताओं को परियोजना के लिए दी जाने वाली फीसें अलग होंगी और वे प्रस्ताविक कम्पनी द्वारा वहन की जाएंगी ।

(ख) परिचालन के दौरान

जब तक भारत पर्यटन विकास निगम प्रस्तावित कम्पनी में इक्विटी शेयर रखता है तब तक आई० टी० डी० सी० द्वारा उक्त होटल का प्रबन्ध संचालन किया जाएगा । आई टी डी सी द्वारा अर्पित की गई सेवाओं के लिए खर्चों और प्रोत्साहन फीस के रूप में प्रस्तावित कम्पनी द्वारा आई० टी० डी० सी० को निम्नलिखित राशियाँ उक्त होटल के परिचालन की तारीख से देय होंगी :—

(क) मार्ग दर्शन और पर्यवेक्षण के लिए मुख्य कार्यालय के खर्चों की पूर्ति हेतु 25000 रुपए प्रति वर्ष की एक मुश्त राशि ;

(ख) ग्रुप विज्ञापन, मार्केटिंग, सेल्स प्रोमोशन और जन सम्पर्कों की व्यवस्था के लिए होने वाले खर्च की पूर्ति के वास्ते एक वित्तीय वर्ष में सकल परिचालन आय (टर्न ओवर) का 3 प्रतिशत ।

(ग) प्रबन्धकीय पारिश्रमिक के रूप में तीसरे से पांचवे वर्ष तक ब्याज के बाद किन्तु मूल्य-ह्रास से पूर्व सकल परिचालन लाभ का 8 प्रतिशत और छठे वर्ष के बाद से 10 प्रतिशत ।

(घ) परियोजना के व्यवसाय के सम्बन्ध में आई० टी० डी० सी० द्वारा यात्रा, टेलीफोन पर किए गए सभी खर्च और 'आउट आफ पाकेट एक्सपेंसेज ।

श्री चित्त महाटा : अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 530 लाख रु० किस बेसिस पर अलाट किया गया ? दूसरे राज्यों के साथ इसके बारे में कोई बातचीत की गई हैं कि नहीं ? स्टेटवाइज़ किस बेसिस पर अलाटमेंट करेंगे ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : श्रीमन्, राज्य वार कोई आवंटन नहीं किया गया है । यह उस बात पर निर्भर करता है जिस पर राज्य अथवा संघशासित क्षेत्र भारत पर्यटन विकास निगम के साथ संयुक्त उद्यमों के लिए बेचैन अथवा चिन्तित है लेकिन भारत पर्यटन विकास निगम अधिकांश राज्यों के साथ संयुक्त उद्यमों की स्थापना का इच्छुक है । छः संयुक्त उद्यमों के लिए सहमति हो गई है और सम्बन्धित राज्य हैं । असम, उड़ीसा, मध्यप्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आंध्रप्रदेश और बिहार ! अन्य वे राज्य और संघ क्षेत्र जिन्होंने इसमें अपनी रुचि दिखाई हैं वे हैं : गोआ, पांड़िचेरी, तमिलनाडु कर्नाटक आदि ।

श्री चित्त महाटा : पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में इस तरह का होटल सरकार बनाने जा रही है कि नहीं ? क्योंकि प्रश्न के उत्तर में नहीं दिया । पश्चिम बंगाल का नाम और कलकत्ता में बनायेंगे ।

श्री खुर्शीद आलम खान : पश्चिम बंगाल सरकार को भी सुझाव दिए गए हैं लेकिन अभी उसके उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है ।

अफीम के संचित भंडार

*282 † **श्री जी० वाई० कृष्णन**
श्री चिन्तामणि जेना } : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत, जो कि अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, विश्व बाजार में अधिक सप्लाई के कारण अपने संचित भंडार को कम करने के लिए कानूनी रूप से अन्तर्राष्ट्रीय सहायता प्राप्त करने का पात्र है;

(ख) यदि हां, तो बियाना में स्वापक औषधियों पर संयुक्त राष्ट्र के हाल में हुए सातवें विशेष अधिवेशन में इस संबंध में भारतीय प्रतिनिधि मंडल के प्रयास का ब्यौरा क्या है और उनके क्या परिणाम हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) तथा (ख) एक विवरण सदन पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) तथा (ख) भारत को अपने अफीम के संचित भंडार को घटाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहायता प्राप्त करने का कानूनी तौर पर अधिकार नहीं है । किन्तु, स्वापक औषधियों संबंधी एकल

अभिसमय 1961 के अन्तर्गत चिकित्सा एवं वैज्ञानिक जरूरतों हेतु स्वापकों की विश्व में माँग तथा सप्लाई के बीच सन्तुलन लाने के लिए लगातार अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग देने पर विचार किया जाता है। स्वापक औषधियों संबंधी संयुक्त राष्ट्र आयोग क विगत चार वर्षों के वार्षिक अधिवेशनों में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधिमण्डल पूरे विश्व से स्वापकों की हो रही आपूर्ति से उत्पन्न हुई गम्भीर समस्या की ओर आयोग का ध्यान आकर्षित करते रहे हैं जिसके कारण अफीम के मुल्यों में अत्यधिक गिरावट आई है तथा अफीम का भारी स्टाक जमा हो गया है। परिणामस्वरूप स्वापक औषधियों संबंधी आयोग और संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् द्वारा समुचित प्रस्ताव पारित किए गए हैं, जिनके अनुसार सभी आयात कर्त्ता देशों की सरकारों से अपील की गई है कि वे परम्परागत रूप से आपूर्ति करने वाले भारत तथा तुर्की जैसे देशों की सहायता करें और ऐसे बड़ें उत्पादन देशों से जिन्होंने निर्यात के लिए हाल ही में अपनी अतिरिक्त क्षमताएं निर्धारित की हैं, अनुरोध किया है कि वे उत्पादन संबंधी अपने कार्यक्रमों को मुख्यतः अपनी स्वदेशी आवश्यकतओं को पूरा करने तक ही सीमित रखें। संयुक्त राष्ट्र की पंचवर्षीय कार्य-योजना के अंग रूप में, अन्य बातों के साथ-साथ, एक विशेषज्ञ दल की स्थापना करने का फैसला किया गया है ताकि कच्ची स्वापक सामग्रियों का अन्तर्राष्ट्रीय विशाल भंडार बनाने अथवा इसे निर्माताओं के भंडारों को अथवा उपभोक्ता देशों में विशिष्ट भंडार को अन्तरित करने की संभावनाओं का पता लगाया जा सके।

वीयना में 2 से 8 फरवरी 1982 तक हुए संयुक्त राष्ट्र स्वापक औषधि आयोग के सातवें विशेष अधिवेशन में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधिमण्डल को पर्याप्त प्रयास के बाद एक ऐसा प्रस्ताव पारित कराने में सफलता मिली जिसमें संबोधन देशों की सरकारों से यह अनुरोध किया गया कि वे आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् द्वारा पहले से पारित किए गए प्रस्तावों पर अमल करने हेतु कारगर उपाय करें ताकि विश्व भर में स्वापकों की मांग एवं सप्लाई के बीच सन्तुलन कायम किया जा सके। उक्त प्रस्ताव में ऐसी सरकारों से भी, जिन्होंने पापावेर ब्रैक्टीटम (एक वैकल्पिक कच्ची सामग्री) की काश्त नहीं की है, अपील की गई है कि वे वाणिज्यिक काश्त प्रारम्भ नहीं करने की संभावनाओं पर विचार करें। अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण नीति तथा कार्य-योजना के कार्यान्वयन की, अन्य बातों के साथ-साथ, समीक्षा करने, निगरानी करने एवं समन्वय स्थापित करने के लिए एक कार्य-बल गठित करने का भी फैसला किया गया है। आशा है कि इन उपायों से भारत को अफ़ीम के नियत को बढ़ाने और अपने जमा भंडारों को कम करने में मदद मिलेगी।

श्री जी० वाई० कृष्णन : श्रीमन् यह बताया गया है कि भारत को अन्तर्राष्ट्रीय सहायता प्राप्त करने का कानूनी तौर पर अधिकार नहीं है। यह भी बताया गया है कि परम्परागत रूप से आपूर्ति करने वाले तुर्की और भारत जैसे देशों की सहायता की जाए और ऐसे बड़े उत्पादक देशों से जिन्होंने निर्यात के लिये हाल ही में अपनी अतिरिक्त क्षमताएं निर्धारित की हैं। अनुरोध किया गया है कि वे उत्पादन सम्बन्धी अपने कार्यक्रमों को मुख्यतः अपनी स्वदेशी आवश्यकताएं पूरी करने तक ही सीमित रखें। स्वापक औषधियों संबंधी आयोग और संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक और सामाजिक परिषद् द्वारा इस आशय के प्रस्ताव पारित किए गए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि उस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है।

उत्तर में आगे यह कहा गया है : कच्ची स्वापक सामग्रियों का अंतर्राष्ट्रीय भंडार बनाने अथवा इसे निर्माताओं के भंडारों को अथवा उपभोक्ता देशों में विशिष्ट भंडार को अंतरित करने की संभावनाओं का पता लग जाये। मैं जानना चाहता हूं कि इस उद्देश्य से क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया): जैसा कि मूल उत्तर में उल्लेख किया गया है, स्वापक औषधियों संबंधी संयुक्त राष्ट्र आयोग के विगत चार वर्षों के वार्षिक अधिवेशनों में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि मंडल पूरे विश्व से स्वापकों की हो रही आपूर्ति से उत्पन्न हुई गंभीर समस्या की ओर आयोग का ध्यान आकर्षित करते रहे हैं जिसके कारण अफीम के मूल्यों में अत्यधिक गिरावट आई है और हमारे द्वारा किये जाने वाले अफीम के निर्यात में भी गिरावट आई है तथा अफीम का भारी स्टाक जमा हो गया है। भारतीय प्रतिनिधि मंडलों द्वारा लगातार डाले गये दबाव और उठाई गई आवाज के कारण हाल ही में एक संकल्प स्वीकार किया गया था और इस संकल्प में सभी आयातकर्ता देशों की सरकार से अपील की गई है कि वे परंपरागत रूप से आपूर्ति करने वाले भारत और तुर्की जैसे देशों की सहायता करें और ऐसे बड़े उत्पादक देशों से जिन्होंने निर्यात के लिए हाल ही में अपनी अतिरिक्त क्षमताएं निर्धारित की हैं, अनुरोध किया गया है कि वे उत्पादन संबंधी अपने कार्यक्रमों को मुख्यतः अपनी स्वदेशी आवश्यकताओं को पूरा करने तक ही सीमित रखें। 1981 में स्वापक औषधियों संबंधी आयोग और संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा द्वारा स्वीकार किए गए नीति दस्तावेजों में इन सिफारिशों को औषधि दुरुपयोग नियंत्रण हेतु एक दीर्घावधि नीति के एक मान के रूप में स्वीकार किया गया है।

श्री जी० वाई० कृष्णन : उन्होंने प्रस्ताव के बारे में उल्लेख किया है। इसमें संदेह नहीं कि ये प्रस्ताव 14 देशों के पास भेजा गया है। क्या कार्यवाही की गई है ? उसका उन्होंने उल्लेख नहीं किया है। इसके अलावा, श्रीमन्, भाग (ख) में इस बात का उल्लेख किया गया है कि "ऐसी आशा है कि इन उपायों से भारत को अफीम का निर्यात बढ़ाने और अपने जमा भंडारों को कम करने में सहायता मिलेगी। ऐसा कब होगा ?

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : प्रस्ताव तथा भारतीय प्रतिनिधि मंडल द्वारा किये गये प्रयासों के परिणामों को लाभ मिल रहे हैं। देश में इस समय विद्यमान भंडारों के बारे में, अफीम के इन भंडारों की खरीद करने के अनेक प्रस्ताव अन्य देशों से मिले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, गत वर्ष अर्थात् 1980-81 के दौरान हम बहुत अधिक निर्यात करने की स्थिति में नहीं रहे हैं। लेकिन अब स्थिति में सुधार आया है। देश को और आर्डर मिले हैं। हम विदेशों को निर्यात की मात्रा बढ़ा रहे हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

इण्डियन एयरलाइन्स को लाभ/हानि

*269. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1981 से प्रारंभ होने वाले पहले नौ महीनों के दौरान इंडियन एयरलाइन्स को लाभ हुआ है अथवा घाटा हुआ है;

(ख) कितना लाभ अथवा घाटा हुआ; और

(ग) पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में उक्त अवधि के दौरान लाभ/हानि में वृद्धि होने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइंस ने वित्तीय वर्ष 1981-82 के पहले नौ महीने के दौरान 4.58 करोड़ रुपयों का अनुमानित लाभ कमाया है।

(ग) 1981-82 के पहले 9 महीनों के दौरान वर्ष 1980-81 की इसी अवधि में हुई 6.05 करोड़ रुपये की हानि की तुलना में 4.58 करोड़ रुपये का अनुमानित लाभ होने के निम्नलिखित कारण थे :—

(1) इस अवधि के दौरान, यात्रियों की कुल संख्या में 15%की बढ़ोत्तरी हुई।

(2) कुल व्यय उस अनुपात में नहीं बढ़ा जिस अनुपात में राजस्व।

पटसन भंडारण क्षमता बढ़ाने की योजना

*270. **श्री अजित बाग**
श्री नीरेन घोष } : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पटसन निगम ने अपनी पटसन भंडारण क्षमता बढ़ाने की कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल): (क) जी हां।

(ख) इस योजना का उद्देश्य गैर-सरकारी संस्थाओं/संगठनों को भारतीय खाद्य निगम की प्रचलित योजना के अनुरूप आसान शर्तों पर पुनर्विल सुविधाओं की ए० आर० डी० सी० योजना के अन्तर्गत पटसन की लगभग 25000 गांठों वाले गोदामों की श्रृंखला का निर्माण करने के लिये प्रोत्साहित करना है। योजना के अंतर्गत कुल क्षमता सृजन छः लाख पटसन की गांठों तक सीमित होगा। भारतीय पटसन निगम द्वारा कोई पूंजी निवेश अन्तर्ग्रस्त नहीं होगा और भारतीय पटसन निगम की वित्तीय वचनवद्धता केवल गोदामों की निर्धारित धारिता अवधि के लिये किराया देयता तक सीमित होगी।

अभ्रक सलाहकार समिति की बैठक

*271. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने अभ्रक सलाहकार समिति की बैठक 29 सितम्बर, 1981 को बुलाई थी;

(ख) उसका क्या परिणाम रहा; और

(ग) उस पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) अभ्रक सलाहकार समिति की बैठक 30 सितम्बर, 1981 को हुई।

(ख) तथा (ग) सदस्यों द्वारा विचार किये गये कुछ प्रमुख मुद्दे इससे सम्बन्धित थे : मिटको का कार्य-निष्पादन, मिटको की मार्फत संसाधित अभ्रक के निर्यात का सरणीकरण, निम्न ग्रेडों के अभ्रक के निर्यात को शेयरिंग फार्मूला से पृथक करना, अभ्रक आधारित उद्योगों की स्थापना, संसाधित/फैब्रिकेटिड अभ्रक की परिभाषाओं में स्पष्टता तथा खनन क्षेत्र में अनुभव की गई कुछ समस्याएं। इनकी विधिवत जांच की गई और उचित कार्यवाही आरम्भ की गई है।

मिटको के कार्य-निष्पादन की बराबर समीक्षा की जाती रहती है, अभ्रक आधारित उद्योगों की स्थापना को ध्यानपूर्वक मानीटर किया जा रहा है, परिभाषा संबंधी परिवर्तन कर दिये गये हैं तथा इस सम्बन्ध में कठिनाइयों को दूर कर दिया गया है। वर्तमान सरणीकरण नीति के प्रचालन पर निगरानी रखी जा रही है। खनन क्षेत्र से संबंधित सुझावों पर खान विभाग में विचार किया जा रहा है।

विशाखापत्तनम से हैदराबाद के लिए दूसरी उड़ान

*272. **श्री एस० आर० ए० एम० अप्पाला नायडू** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशाखापत्तनम से हैदराबाद के लिये यात्रियों की प्रतीक्षा सूची में प्रतिदिन औसतन कितने यात्री होते हैं;

(ख) क्या सरकार विशाखापत्तनम से हैदराबाद के लिये एक और उड़ान आरम्भ करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ग) क्या सरकार बोइंग विमानों को विशाखापत्तनम हवाई अड्डे पर उतारने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार विशाखापत्तनम हवाई अड्डे पर रात में विमानों के लिये उतरने की सुविधा उपलब्ध कराने पर भी विचार कर रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) विशाखापत्तनम से हैदराबाद के लिए प्रतीक्षा-सूची में प्रतिदिन औसतन लागत 8/10 यात्री होते हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) अपनी 1982-83 की शीतकालीन समय-सारणी में, इंडियन एयरलाइंस कलकत्ता/विशाखापत्तनम/हैदराबाद मार्ग पर, विशाखापत्तनम विमानक्षेत्र को जैट विमानों के परिचालनों के के लिए उपयुक्त बना दिए जाने की स्थिति में, सप्ताह में तीन बी-737 सेवाएं परिचालित करने की योजनाएं हैं।

(घ) जी, नहीं।

अफगान यात्रियों को बिना वीसा अमेरिका ले जाने के कारण एयर इण्डिया पर जुर्माना

*275. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या **पर्यटन और नागर विमान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है अफगान यात्रियों को बिना वीसा अमेरिका ले जाने के कारण एयर इण्डिया पर जुर्माना किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कितना जुर्माना किया गया है; और

(ग) इन यात्रियों को ले जाने के क्या कारण थे ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा): (क) से (ग) एयर इंडिया एक अफगान राष्ट्रिक, श्रीमती आर० हनीफ तथा उसके दो बच्चों को दिल्ली से न्यूयार्क ले गई

थी। क्योंकि उक्त यात्री के पास अमेरिका में प्रवेश के लिये वीजा नहीं था, एयर इण्डिया को इसके लिये उत्तरदायी ठहराया गया है, और उन पर 3000 डॉलर का जुर्माना किया गया है।

इन यात्रियों को दिल्ली बुकिंग कार्यालय तथा पालम के चैक-इन काउण्टर पर जांच करने वालों की गलती के कारण ले जाया गया, जिन्होंने यात्रियों के पास यू. एस. ए. के लिये वीजा को सुनिश्चित नहीं किया।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यकारी अधिकारियों के साथ बजट पूर्व चर्चा

*281. श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी
श्री अर्जुन सेठी } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यकारी अधिकारियों के साथ बजट पूर्व चर्चा की थी;

(ख) क्या उन्होंने उनसे कर्मचारियों और अधिकारियों में अनुशासन लाने और समयोपरि भत्ते में पर्याप्त कमी करने का अनुरोध किया था;

(ग) क्या उन्होंने यह भी आश्वासन दिया था कि उपर्युक्त लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिये कार्यकारी अधिकारियों को सरकारी सहायता दी जायेगी;

(घ) यदि हां, तो क्या बैंक के कार्यकारी अधिकारियों ने इसके लिये कोई कार्य योजना बनाई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) सरकारी क्षेत्र बैंकों के प्रबंधक विभिन्न स्तरों पर अनुशासन लाने, उत्पादकता तथा कार्यक्षमता को सुधारने और अच्छी ग्राहक सेवा प्रदान करने के उपायों पर विचार कर रहे हैं। बैंक यह सुनिश्चित करने के उपाय भी कर रहे हैं कि अनैतिक आचरणों को दूर करके और कार्य के भार से सम्बद्ध मानदण्डों के अनुसार अदायगी को सुव्यवस्थित बनाकर कर्मचारियों को दिये जाने वाले समयोपरि भत्ते की अदायगी में पर्याप्त कमी लाई जाए।

"आई० ए० इन्ट्रोड्यूसिज टायलेट क्लास" शीर्षक समाचार

*283. श्री दया राम शाक्य
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया } : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने दिनांक 18 फरवरी, 1982 के दैनिक हिन्दुस्तान टाइम्स में "आई० ए० इन्ट्रोड्यूसिज टायलेट क्लास" शीर्षक से प्रकाशित समाचार देखा है जिसमें कहा गया है कि पिछले रविवार को आई० सी० 410 बोइंग (कलकत्ता-रांची-पटना-लखनऊ) में 15 खड़े यात्रियों को कॉकपिट, गैलरी, केबिन तथा शौचालय में जगह दी गई थी; और

(ख) ऐसा किन परिस्थितियों में हुआ और इस घटना के लिये कौन जिम्मेदार है और संबंधित लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हां। इण्डियन एयरलाइन्स ने 11-2-82 को कलकत्ता/रांची/पटना/लखनऊ/दिल्ली की उड़ान संख्या आई-सी-410

का परिचालन करने वाले बी-737 विमान पर रांची/पटना सैक्टर पर अपनी एक उड़ान पर सात अधिक यात्रियों का वहन किया था। दो यात्रियों को कॉकपिट में स्थान दिया गया था।

(ख) इस घटना की प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि उक्त उड़ान में रांची सिटी बुकिंग कार्यालय के यातायात सहायक की असावधानी के कारण, गलती से रांची से अत्यधिक बुकिंग कर दी गई थी।

इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा गलती करने वाले स्टॉफ के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। नागर विमानन के महानिदेशक ने भी वायुयान नियम, 1937 के नियम 77 (सी) के अन्तर्गत कार्यवाही शुरू कर दी है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर यथा-आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

कंट्रोल के कपड़े की खरीद

*284. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1981-82 मे कंट्रोल का कपड़ा 31 दिसम्बर, 1976 को प्रचलित मूल्यों पर खरीदा गया था और यदि हां, तो कितना कपड़ा खरीदा गया तथा किस ढंग से वितरित किया गया;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत कौनसी मिलों से और कौनसी एजेंसियों के माध्यम से यह कपड़ा खरीदा गया और सरकार ने राज सहायता के रूप में कितनी धनराशि दी; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस योजना को जारी रखने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) कन्ट्रोल के कपड़े की योजना वर्ष 1964 से चालू है और अभी भी चल रही है। उपभोक्ताओं के लिए कन्ट्रोल के कपड़े को जिन कीमतों पर उपलब्ध कराया जाना था, वे सरकार द्वारा 1974 में निर्धारित की गई थीं और 1976 में उत्पादन शुल्क में परिवर्तन के कारण कुछ संशोधन सहित वे 30 जून, 1981 तक लागू रहीं। जून, 1981 को समाप्त होने वाली प्रथम तिमाही में चालू वित्तीय वर्ष में इन्हीं कीमतों पर कन्ट्रोल का कपड़ा सप्लाई किया गया। यह कपड़ा राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (एन० सी० सी० एफ०) को सप्लाई किया गया जो कि राज्य सरकारों द्वारा नामित राज्य स्तरीय अभिकरणों की मार्फत उपभोक्ताओं में उसके वितरण को समन्वित करने के लिए उत्तर-दायी है।

55 मिलों ने (जिनकी सूची विवरण "क" पर दी गई गई है) जो सभी राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एन. टी. सी.) के स्वामित्व में हैं, चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के दौरान वितरण के लिये लगभग 119 मिलियन वर्ग मीटर कपड़े की सप्लाई की। दिसम्बर, 1981 तक लगभग 216 मिलियन वर्ग मीटर की कुल सप्लाई की गई जिसमें जून, 1981 तक निर्धारित कीमतों पर कपड़ा और जुलाई, 1981 से एन० टी० सी० द्वारा निर्धारित कीमतों पर सप्लाई किया गया कपड़ा शामिल है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कन्ट्रोल के कपड़े की योजना के अंतर्गत उत्पादन के भुगतन के लिए कुल 125 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है।

सरकार वर्तमान योजना में कोई परिवर्तन करने के बारे में विचार नहीं कर रही है।

विवरण 'क'

1. अजोध्या टैक्सटाइल मिल्स, दिल्ली ।
2. महालक्ष्मी मिल्स, ब्यावर ।
3. एडवर्ड मिल्स, ब्यावर ।
4. सैंट्रल काटन मिल्स हावड़ा ।
5. बंगाल फाइन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स ।
6. बंगाल लक्ष्मी काटन मिल्स सिरामपुर ।
7. श्री महालक्ष्मी मिल्स पाल्टा ।
8. रामपुरिया काटन मिल्स सिरामपुर ।
9. बंगारसी काटन मिल्स सोदेपुर ।
10. गया काटन एंड जूट मिल्स, गया ।
11. श्री भारती मिल्स मूदालिआरपर ।
12. श्री शारदा मिल्स पो० बो० नं० 4601 कोयम्बटूर ।
13. राजकोट स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स राजकोट ।
14. महालक्ष्मी मिल्स भावनगर ।
15. पतलद टैक्सटाइल मिल्स, पैटलाउ ।
16. अहमदाबाद जूपिटर टैक्सटाइल मिल्स, अहमदाबाद ।
17. राजनगर स्पिनिंग, वीविंग एंड मैन्यूफैक्चरिंग मिल्स अहमदाबाद ।
18. विरामगाम टैक्सटाइल मिल्स विरामगाम ।
19. न्यू भोपाल टैक्सटाइल मिल्स, चांद बार भोपाल ।
20. हीरा मिल्स, उज्जैन ।
21. स्वदेशी काटन एंड फ्लोर मिल्स इन्दौर ।
22. बरहानपुर तापती मिल्स बरहानपुर ।
23. इन्दौर माल्वा यूनाइटेड मिल्स इन्दौर ।
24. कल्याण मल मिल्स, सिलनाथ कैंप ।
25. मोडल मिल्स नागपुर, नागपुर ।
26. आर० एस० आर० गोपाल दास मोहता स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स, अकोला ।
27. इण्डिया यूनाइटेड मिल्स नं० 1, बम्बई ।
28. इण्डिया यूनाइटेड मिल्स नं० 2 तथा 3, बम्बई ।
29. इंडिया यूनाइटेड मिल्स नं० 4, बम्बई ।
30. इंडिया यूनाइटेड मिल्स नं० 5, बम्बई ।
31. औरंगाबाद टैक्सटाइल मिल्स, औरगाबाद ।
32. दिगविजय टैक्सटाइल मिल्स लालगाव, बम्बई ।
33. ज्यूपिटर टैक्सटाइल मिल्स, बम्बई ।
34. अपोलो टैक्सटाइल मिल्स, बम्बई ।

35. न्यू हिन्द टैक्सटाइल मिल्स, बम्बई ।
36. भारत टैक्सटाइल मिल्स बम्बई ।
37. नन्देद टैक्सटाइल मिल्स, बम्बई ।
38. मुम्बई टैक्सटाइल मिल्स, बम्बई ।
39. चालीसगांव टैक्सटाइल मिल्स, बम्बई ।
40. धुले टैक्सटाइल मिल्स, धुले ।
41. आजम जाही मिल्स, वारंगल ।
42. मिनर्वा मिल्स, बंगलौर ।
43. मैसूर स्पिनिंग एंड मैन्यूफैक्चरिंग मिल्स, बंगलौर ।
44. महबूब शाही गुलबर्ग मिल्स, गुलबर्ग ।
45. म्यूर मिल्स, कानपुर ।
46. न्यू विक्टोरिया मिल्स, कानपुर ।
47. लार्ड कृष्ण टैक्सटाइल मिल्स, सहारनपुर ।
48. एथरटन वेस्ट मिल्स, कानपुर ।
49. लक्ष्मी रत्तन काटन मिल्स, कानपुर ।
50. स्वदेशी काटन मिल्स, कानपुर ।
51. बंगाल नागपुर काटन मिल्स, राजनंदगांव ।
52. विदर्भा मिल्स इलिकपुर ।
53. आर० बी० बन्सीलाल अबीरचन्द स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स, हिंगनघाट ।
54. सावतराम रामप्रसाद मिल्स, अकोला ।
55. मनिन्द्रा मिल्स, कासिमबजार ।

सभी प्रकार के नारियल उत्पादों क आयात पर रोक लगाना

*285. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष और आज तक आपात किए गए सभी प्रकार के नारियल उत्पादों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार को ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें सभी प्रकार के नारियल उत्पादों के आयात पर रोक लगाने की मांग की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) अक्तूबर, 1980 के बाद के वस्तु-वार आयात आंकड़े अभी तक संकलित नहीं किए गए हैं ।

(ख) तथा (ग) खोपरा तथा नारियल के तेल के आयात पर रोक लगाने के लिए सुझाव प्राप्त हुआ है । इस पर 1982-83 की आयात नीति तैयार करने के संबंध में विचार किया जा रहा है ।

कोवालम में भारतीय पर्यटकों की कठिनाइयाँ

* 286. **श्री ए० नीलालोहिथा दसन नाडार** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोवालम में भारतीय पर्यटकों को होने वाली कठिनाइयों की जानकारी है; क्योंकि वहाँ उनके ठहरने के लिए मध्यम दर्जे के होटल नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार का विचार "कोवलम अशोक बीच रिसार्ट" के विस्तार से तृतीय चरण में एक भाग के रूप में जनता काटेजों का निर्माण करने हेतु भारतीय पर्यटन विकास निगम प्राधिकारियों को निर्देश देने का है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त कार्य कब और कैसे तथा किस ढंग से किया जायेगा और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) कोवलम में भारतीय पर्यटकों के ठहरने के लिए मध्यम दर्जे के होटल न होने की वजह से भारतीय पर्यटकों को होने वाली कठिनाइयों के बारे में सरकार को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) छठी योजना के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम का कोवलम परियोजना का और अधिक विस्तार करने का कोई कार्यक्रम नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कच्चे रेशम का आयात

*287. **श्री टी० आर० शमन्ना** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान कितने-कितने मूल्य के कच्चे रेशम का आयात किया गया;

(ख) उन देशों के नाम क्या है जहां से इसका आयात किया गया; और

(ग) रेशम के उत्पादन में वृद्धि करने तथा उसका आयात घटाने के लिए सरकार का विचार यदि कोई दूत कार्यक्रम आरम्भ करने का है तो वह क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) तथा (ख) चालू आयात नीति के अन्तर्गत कच्चे रेशम के आयात पर रोक लगी हुई है। तथापि, विशिष्ट परिस्थितियों में केन्द्रीय रेशम बोर्ड के अभिकरण की मार्फत कच्चे रेशम का योग्यता के आधार पर आयात किया जा सकता है। 1980 और 81 के दौरान कोई कच्चा रेशम आयात नहीं किया गया। 1982 के दौरान केन्द्रीय रेशम बोर्ड के अभिकरण की मार्फत चीन से 250 मे० टन कच्चे रेशम का आयात करने के प्रबन्ध किये गये हैं और इस आयातित रेशम का मूल्य लगभग 5 करोड़ रु० होगा। उपर्युक्त मात्रा में से 90 मे. टन कच्चा रेशम पहले ही आ चुका है।

इसके अलावा प्रतिपूर्ति योजना (आर० ई० पी०) और अग्रिम लाइसेंसिंग योजना (परिशिष्ट 19) दोनों के अन्तर्गत होने वाले निर्यातों के आधार पर भी कच्चे रेशम का आयात करने की अनुमति है 11 आर०ई०पी० योजना के अन्तर्गत 20 प्रतिशत एफ०ओ०बी० मूल्य तक के कच्चे रेशम को, जिसका अंकित मूल्य 50 प्रतिशत तक हो, प्राकृतिक रेशम निर्यातों के आधार पर आयात किया जा

सकता है अग्रिम लाइसेंसिंग योजना के अन्तर्गत 1 कि० ग्रा० मलबरी रेशम फैब्रिक्स के निर्यातों के आधार पर 1.33 किग्रा की सीमा तक (शुल्क मुक्त 1.25 किग्रा० तक) कच्चे रेशम का आयात किया जा सकता है।

(ग) देश के भीतर कच्चे रेशम के उत्पादन को लगभग 5000 मे० टन के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर छठी योजना अवधि के अंत तक 9,000 मे० टन करने के लिये विभिन्न रेशम उत्पादन विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही है। विश्व बैंक सहायता प्राप्त एक रेशम उत्पादन परियोजना, जिसका परिव्यय लगभग 80 करोड़ रु० है, कर्नाटक में आरम्भ की गई है। अन्य रेशम उत्पादक राज्यों में भी छठी योजना के दौरान विभिन्न योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं ताकि देश में कच्चे रेशम के कुल उत्पादन में वृद्धि की जा सके। एक भारत स्विटजरलैंड टसर परियोजना भी जिसका परिव्यय 10.5 करोड़ रु० है, इस समय बिहार, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है।

आई० टी० सी० द्वारा सिगरेटों पर उत्पादक शुल्क का भुगतान

3007. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय (भारत सरकार बनाम दी बोल्टास लि०) के आधार पर आई० ओ० टी० सी० भारत सरकार को सिगरेटों पर उत्पादन शुल्क का भुगतान करती है;

(ख) क्या आई० टी० सी० द्वारा लगभग 150 करोड़ रुपये प्रति वर्ष उत्पादन शुल्क का अपवंचन किया जाता है;

(ग) इस अपवंचन के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) क्या इसकी जांच करने के लिये कोई उच्चस्तरीय आयोग नियुक्त किये जाने का कोई प्रस्ताव है; यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाईसिंह सिसोदिया) : (क) मैसर्स वोल्टास लिमिटेड के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय का संबंध केन्द्रयी उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की पुरानी धारा 4 से है। उक्त अधिनियम की नयी धारा 4, 1 अक्तूबर 1975 को प्रवृत्त हुई है। मैसर्स आई० टी० सी० लि० को 1 अक्तूबर 1975 से नयी धारा 4 के अधीन निर्धारित मूल्य के आधार नर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की अदायगी करनी है।

परंतु मैसर्स आई० टी० सी० लिमिटेड ने विभिन्न उच्च न्यायालयों में रिट याचिकाएं दायर करके यह दावा किया था कि उनके बिक्री मूल्य में से निर्माण के उपरांत हुए व्यय को घटाकर नयी धारा 4 के अधीन शुल्क निर्धारण योग्य मूल्य नियत किया जाए। मैसर्स आई० टी० सी० लिमिटेड, उच्च न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्णय/स्थगन आदेश के अनुसार, केंद्रीय उत्पादन शुल्क का भुगतान उस मूल्य पर कर रही है, जो निर्माण के उपरांत होने वाले खर्चों को घटाकर निकलता है। सरकार ने उच्च न्यायालयों के प्रतिकूल निर्णयों के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपीलें दायर कर दी हैं। अपीलें उच्च न्यायालय में भी विचाराधीन हैं और कुछ रिट याचिकाएं उच्च न्यायालयों में भी अभी विचाराधीन हैं।

(ख) न्यायालय के आदेशों को मद्देनजर रखते हुए, निर्माण के उपरांत होने वाले व्ययों को घटाकर जो मूल्य आता है, उसे शुल्क निर्धारण योग्य मूल्य का आधार मान कर अनन्तिम

आधार पर शुल्क-निर्धारण किया जा रहा है। इसलिए, कोई शुल्क अपवंचन नहीं किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) उच्च स्तरीय आयोग नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की नयी धारा 4 के अधीन शुल्क-निर्धारण योग्य मूल्य नियत करने के लिए बिक्री मूल्य में से निर्माण के उपरांत होने वाले खर्चों को घटाने संबंधी विवाद पर अभी न्यायालयों द्वारा निर्णय किया जाना है।

विनोद तथा विमल टैक्साटाइल मिल लिमिटेड पर बकाया ऋण

3008. **श्री निहालसिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीन वर्ष से बंद पड़ी विनोद तथा विमल टैक्सटाइल मिल, उज्जैन (मध्य प्रदेश) पर 19 करोड़ रुपये का ऋण बकाया है और मिल मालिकों ने राज्य सरकार और विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण और मांगा है; और

(ख) यदि हां, तो मिल ने विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों और राज्य के वित्त निगम से कितनी धनराशि मांगी है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) 30-9-1981 की स्थिति के अनुसार विनोद मिल्स कंपनी लि०, उज्जैन की विनोद मिल्स तथा विमल मिल्स की ओर बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के बकाया अग्रिम 552.74 लाख रुपये के थे। 564 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर मिल को पुनः शुरू करने और आधुनिकीकरण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए कंपनी ने संस्थाओं/बैंकों से सहायता की मांग की थी। बैंकों और वित्तीय संस्थाओं ने 564 लाख रुपये की राशि की स्वीकृति नहीं प्रदान की क्योंकि कंपनी की भारी देयताओं और भारी ब्याज के बोझ को देखते हुए इस प्रस्ताव को अर्थक्षम नहीं पाया गया था।

रायसीना रोड स्थित प्योर ड्रिंक्स की होटल परियोजना का वित्त पोषण

3009. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्योर ड्रिंक्स द्वारा रायसीना रोड पर बनाई जा रही होटल परियोजना के वित्त पोषण के लिये आई० डी० बी० आई० अथवा आई० एफ० सी० अथवा एल० आई० सी० या अन्य कोई सरकारी वित्तसंस्थान सहमत हो गया है;

(ख) मोहन मशीनरीज लि० (प्योर ड्रिंक्स से संबद्ध एक कंपनी) द्वारा ऋण की अदायगी और उस पर देय ब्याज के भुगतान के संबंध में सरकार का क्या अनुभव है; और

(ग) मोहन मशीनरी को दिये गये ऋण को कितनी बार पुनः सूचीबद्ध किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सरकारी वित्तीय संस्थाओं अर्थात् भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई० डी० बी० आई०), भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम (आई० सी०-आई० सी० आई०) और भारतीय जीवन बीमा निगम (एल० आई० सी० आई०) को, प्योर ड्रिंक्स द्वारा रायसीना रोड पर होटल परियोजना के लिये वित्तीय सहायता के वास्ते अभी तक कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई० एफ० सी० आई०) को हाल ही में प्योर ड्रिंक्स की ओर से होटल परियोजना के लिए वित्तीय सहायता

के संबंध में अनौपचारिक दरियाफ्त प्राप्त हुई है। जब कभी प्रवर्तकों द्वारा औपचारिक आवेदन दिया जाएगा, आई० एफ० सी० आई० द्वारा आवेदन पर विचार करने के लिए वर्तमान नीति के अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी।

(ख) और (ग) मोहन मशीन लिमिटेड (एम०एम० एल०) को परिचालन के अपने प्रारंभिक वर्षों के दौरन उत्पादन के वास्ते मांग में अप्रत्याशित कमी के कारण नकदी हानि उठानी पड़ी थी तथा इसलिए इसने मूलधन की वापसी और ब्याज की अदायगी में व्यतिक्रम कियाथा। इसके परिणामस्वरूप, देयताओं की वापसी अदायगी का कार्यक्रम फिर से निर्धारित करना आवश्यक हो गया था। मार्च, 1979 तथा जनवरी, 1981 में मूलधन की वापसी कार्यक्रम पुनर्निर्धारित किया गया। जून, 1978 से दिसम्बर, 1984 के बीच ऋणों की वापसी के लिए नये कार्यक्रम के बजाए दिसम्बर, 1981 से जून, 1988 में वापसी के लिए संशोधित कार्यक्रम बनाया गया है। 1980-81 के दौरान शुद्ध लाभ के साथ कंपनी के हाल के कार्यनिष्पादन में काफी सुधार की सूचना दी गई है। संस्थाओं को यह आशंका नहीं है कि उनको देयताओं की बकाया राशि को इस कंपनी द्वारा चुकाया नहीं जाएगा।

रुई के आयात तथा निर्यात के लिये ठेके

3010. **श्रीमती उषा प्रकाश चौधरी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय रुई निगम ने रुई के आयात तथा निर्यात के लिये इस समय कितने ठेके कर रखे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगम) : भारतीय रुई निगम द्वारा निर्यात की जाने वाली विद्यमान संविदाओं के ब्यौरे, जिन के पीतलदान अभी होने बाकी हैं, नीचे दिये गये हैं :

(मात्रा : 170-171 किग्रा० की गांठों में)

संविदा सं० तथा दिनांक	किस्म		संविदाकृत मात्रा	पीतलदानकृत मात्रा	जितनी मात्रा का अभी पोत लदान होना है
384	ए. पी. वरलक्ष्मी		5000	3,277	1,723
दिनांक 4.9.81	80/81 फसल				
388	एस.4		35145	—	35,145
दिनांक 22-10-81	80/81 फसल				
391	एस. 4		300	100	200
दिनांक 8-1-82	81/82 फसल				
392	सूविन		1100	—	1100
दिनांक 19-2-82	80/81 फसल				
389 तथा 390	ए-51/9		800		
दिनांक 10-11-81	एच-4	80/81	1750	25 96	104
	एस-4	फसल	150		
		योग	44245	5973	38272

2. भारतीय रुई निगम द्वारा विदेश से रूई आयात करने की कोई संविदा लम्बित नहीं है।

रबड़ का आयात, उत्पादन तथा उसकी खपत

3011. **श्री सन्तोष मोहन देव** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार रबड़ का देश में ही कितना उत्पादन हुआ है;

(ख) अपनी आवश्यकता पूरी करने हेतु प्रतिवर्ष कितनी प्राकृतिक रबड़ का आयात किया गया;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान देश में वर्षवार कितनी मात्रा में रबड़ की खपत हुई है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान सिन्थैटिक रबड़ के उत्पादन तथा खपत के वार्षिक आंकड़े क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन, खपत तथा आयात के आंकड़े नीचे दिये गये हैं :

(मे० टन में)

वर्ष	उत्पादन	खपत	आयात
1978-79	1,35,297	1,64,524	25,850
1979-80	1,48,470	1,65,245	21,100
1980-81	1,53,100	1,73,630	9,250
(अप्रैल-नवम्बर, 1981)	99,595	1,19,710	28,150

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान संश्लिष्ट रबड़ के उत्पादन तथा खपत के आंकड़े निम्नलिखित हैं;

(मे० टन में)

वर्ष	उत्पादन	खपत
1978-79	28,054	37,600
1979-80	29,524	40,588
1980-81	25,293	45,200
(अप्रैल-नवम्बर, 1981)	18,679	29,635

यूनाइटेड इंडिया इन्शयोरेन्स कम्पनी की शाखाएं

3012. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) युनाइटेड इण्डिया इन्श्योरेंश कम्पनी की दक्षिणी जोन में कितनी शाखाएं है;

(ख) कितनी शाखाएं लाभ कमा रहीं हैं और कितनी हानि; और

(ग) किस प्रकार के व्यापार अर्थात् अग्नि बीमा, कार बीमा, आदि में लाभ है और किस प्रकार के व्यापार में हानि होती है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) दक्षिणी क्षेत्र में, जिसमें तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और पांडिचेरी शामिल हैं, 31 दिसम्बर, 1981 को युनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंश कम्पनी लिमिटेड की 87 शाखाएं थीं।

(ख) और (ग) साधारण बीमा उद्योग में, प्रत्येक शाखा के कार्यचालन की लाभकारिता आंकने की न तो कोई प्रथा है और न ही यह व्यवहार्य है। फिर भी, आमतौर पर अग्नि बीमा कारबार को मोटर बीमा कारबार से ज्यादा लाभप्रद पाया गया है।

सस्ते कपड़े का सहकारी मिल मूल्य बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय वस्त्र निगम का प्रस्ताव

3013. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रुई के मूल्यों में भारी वृद्धि के कारण राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने सस्ते कपड़े के सहकारी मिल मूल्य में 15 प्रतिशत वृद्धि करने के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुमति मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) स्वैच्छिक सस्ता कपड़ा योजना के अन्तर्गत सस्ते कपड़े की उच्चतम कीमतों को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय वस्त्र निगम तथा अन्य स्रोतों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं। उच्चतम कीमत को बढ़ाकर 6.36 रु० प्रति मीटर से 7.31 रु० प्रति मीटर कर दिया गया है।

इंडियन एयरलाइन्स के विमानों की संख्या

3014. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : **क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइन्स की वर्ष 1980 की तुलना में वर्तमान बेड़े की संख्या (विमान-वार) क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान शामिल की गयी एयर बस और बोइंग 737 विमानों की संख्या क्या है;

(ग) 1982 और 1983 में कितने और ऐसे विमान बेड़े में शामिल किये जाने की संभावना है; और

(घ) मार्च, 1980 की तुलना में इस समय कितने यात्रियों की क्षमता है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) 1980 की तुलना में इंडियन एयरलाइन्स के विमान-बेड़े में विमानों की वर्तमान संख्या (विमान-वार) निम्न प्रकार हैं: —

	मार्च 1980	मार्च 1982
एयरबस ए 300 बी 4	6	8
बोइंग 737	13	21 (इनमें भारतीय वायु सेना को पट्टे पर दिये गये दो विमान भी सम्मिलित हैं)
एच० एस-748	15	12
एफ-27	8	8 (जिनमें वायुदूत को पट्ट पर दिया गया एक विमान भी सम्मिलित है)।

(ख) इंडियन एयरलाइन्स के विमान-बेड़े में पिछले तीन वर्षों अर्थात मार्च, 1979 से मार्च 1982 तक तीन एयरबसें तथा आठ बोइंग 737 विमान सम्मिलित किये गये।

(ग) दो एयरबसें तथा चार बोइंग 737 विमान इंडियन एयरलाइन्स के विमान-बेड़े में 1983 तक शामिल कर लिये जाने की आशा है। इनकी डिलीवरी निम्न प्रकार की जानी है :—

एयरबस ए 300 बी 4	मई 1982
बोइंग 737	×अगस्त/सितम्बर 1982

×करार के अनुसार, बोइंग विमानों की डिलीवरी सितम्बर/अक्तूबर 1982 में की जानी थी, परन्तु बाद में डिलीवरी की तिथियों को पहले कर दिया गया था।

(घ) 1970-80 के दौरान उपलब्ध 57203.29 लाख सीट किलोमीटर की तुलना में 1981-82 के दौरान उपलब्ध सीट किलोमीटर 71617.31 लाख होने का अनुमान है।

विकासशील देशों के साथ उन्मुक्त व्यापार

3015. **श्री चिन्तामणि जैना** :क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशेष रूप से विकासशील देशों के साथ प्रतिबन्धों को हटाने तथा उन्मुक्त व्यापार सुनिश्चित करने के लिये हाल में कोई कदम उठाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारत सरकार द्वारा अपने निर्यात के वर्तमान क्षेत्र का विस्तार करने तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में अपना अंश बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) जहां तक निर्यातों का सम्बन्ध है सरकार का मुख्य उद्देश्य निर्यातों की अधिकाधिक बढ़ाना है। इसलिये निर्यात नियन्त्रण उन सीमित मदों के सम्बन्ध में किया जाता है जिनकी सप्लाई स्थिति के लिये यह आवश्यक हो कि उनका निर्यात देश के व्यापक हित में विनियमित किया जाना चाहिये। विभिन्न मदों के सम्बन्ध में चालू आयात नीति 1981-82 प्रकाशन में दी गई है। उत्पन्न स्थिति को ध्यान रखते हुए इस नीति में समय समय पर समुचित संशोधन किये जाते हैं। जहां तक विकासशील देशों का सम्बन्ध है भारत इस क्षेत्र के भीतर सहयोग तथा व्यापार बढ़ाने के प्रयोजनार्थ एस्केप द्वारा स्थापित व्यापार सहयोग समूह के विचार विमर्श में सक्रिय रूप से रुचि ले रहा है। भारत भी विकासशील देशों के बीच भुगतानों को सुकर बनाने के लिये एस्केप के तत्वावधान में एशियाई क्लीरिंग यूनियन का सदस्य है। व्यापार करारों, द्विपक्षीय विचार-विमर्श, अन्तर्राष्ट्रीय व्योपार मेलों में भाग लेकर, विदेशों में भारतीय प्रदर्शनियों का आयोजन तथा प्रतिनिधिमंडलों के आदान-प्रदान के माध्यम से विकासशील देशों के साथ व्यापार भी बढ़ाया जाना चाहिए।

(ग) विगत दो वर्षों के दौरान, निर्यातों में वृद्धि करने के लिये बहुत से उपाय किये गये हैं जिनमें निर्यातों पर लाइसेंस प्रतिबन्धों को हटाना, उत्पादन, निर्यात उत्पादन सम्बन्धी प्राद्योगिकी उदारीकरण, शत-प्रतिशत अभिमुख एककों की स्थापना करना, कार्य-प्रणालियों का सरलीकरण तथा निर्यातकों के लिये अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं का विस्तार भी शामिल है।

भारतीय रिजर्व बैंक में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति नीति

3016. श्री हरिकेश बहादुर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिए (क्लर्क से अधिकारी ग्रेड में) पदोन्नति के लिए कोई पदोन्नति नीति बनाई है जो 44 प्वाइंट रोस्टर के विरुद्ध है, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली में अधिकारी ग्रेड "ए", "बी", क्लर्क ग्रेड I, सी० तथा ई० ग्रेड/क्लर्क ग्रेड-II, टाइपिस्ट, टैलर, चपरासी, दफ्तरी,, दरबान, रिकार्ड क्लर्क, मजदूर, इलैक्ट्रिशियन वर्गों में कुल कितने कर्मचारी हैं और क्या अनुसूचित जातियों/जनजातियों का प्रतिनिधित्व सरकार द्वारा नियत प्रतिनिधित्व के अनुसार है; यदि नहीं, तो सरकार पिछली कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

वित मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि पदोन्नति में अनु० जाति/अनु० जनजाति के पक्ष में आरक्षित की जाने वाली अपेक्षित रिक्तियों का निर्धारण करने के वास्ते एक 40/100 सूत्री रोस्टर रखा जाता है ।

(ख) 1·1·1982 की स्थिति के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली में विभिन्न संवर्गों में कर्मचारियों की कुल संख्या नीचे दी गई है । अनु० जा०/अनु० ज० जा० समुदायों से सम्बन्धित कर्मचारियों की संख्या अलग से दिखाई गई है :

संवर्ग	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनु० जा०/अनु० जनजाति
अनुभाग अधिकारी ग्रेड ख	86	7
अनुभाग अधिकारी ग्रेड क	248	14
लिपिक ग्रेड-I	401	27
लिपिक ग्रेड-II/लिपिक/ सि० नो० प० ग्रेड-II	839	147
टलर्स	43	—
टाइपिस्ट	82	24
रिकार्ड क्लर्क	9	—
दफ्तरी	42	2
चपरासी	115	26
मजदूर	167	27
दरबान	26	8
बिजली कर्मचारी (इलेक्ट्रिशियन)	1	—

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचना दी है कि उसने अपने नई दिल्ली कार्यालय को हिदायत दी है कि पिछली बकाया को यथाशीघ्र समाप्त करने के वास्ते, जहां कहीं आवश्यक हो, वह अनु० जा०/

अनु० जनजाति को विशेष रूप से भर्ती करे। इसके अलावा, ऊंचे ग्रेडों में पदोन्नति के वास्ते अनु० जा०/अनु० जनजाति कर्मचारियों को उदार मानदण्डों पर परखा जाता है और पदोन्नति परीक्षा से पहले इन कर्मचारियों को विशेष गहन प्रशिक्षण दिया जाता है।

निर्यात बढ़ाने के लिये कपड़ा नीति को उदार बनाना

3017. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कपड़ा निर्यात को बढ़ाने के लिये वर्तमान वित्तीय वर्ष में कपड़ा नीति को उदार बनाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरे क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) भारत से सूती वस्त्रों के निर्यातों को बढ़ावा देने के लिये सरकार का वर्तमान दृष्टिकोण 9 मार्च, 1981 के वस्त्र नीति विवरण में किया गया है।

स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम

3018. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम के प्रवर्तन के पश्चात् स्वर्णकार चांदी की पुरानी वस्तुएं खरीदने और उनके निकट के शहरों तथा नगरों में बेचने का काम करने लगे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उत्पादन शुल्क विभाग के अधिकारी उनको परेशान करते हैं और उनसे गैर कानूनी रूप से पैसा लेते हैं;

(ग) क्या कुछ संसद् सदस्यों ने ऐसी कार्यवाहियों के विरुद्ध उनकी लिखित शिकायतें की हैं ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि स्वर्णकार, चांदी की पुरानी वस्तुओं को खरीदने और बेचने के काम में लगे हुए हैं।

(ख) उपर्युक्त (क) भाग में दिये गये उत्तर को देखते हुए, यह प्रश्न नहीं उठता। तथापि, यह उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के अधिकारियों द्वारा परेशान करने तथा पैसा ऐंठने से सम्बन्धित विशेष शिकायतों पर उपयुक्त कार्यवाही करने के लिए प्रत्येक मामले की उसके गुणावगुणों के आधार पर विधिवत् जाँच की जाती है।

(ग) से (ङ) : अभी हाल में, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के कर्मचारियों द्वारा एक स्वर्णकार को परेशान करने के सम्बन्ध में एक शिकायत प्राप्त हुई है और उसकी जांच की जा रही है।

दिल्ली से बड़ौदा तक नई विमान सेवा

3019. **श्री नवीन रवाणी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली से बड़ौदा (गुजरात) तक नई विमान सेवा शुरू किए जाने हेतु भारी मांग है;

(ख) यदि हां, तो उक्त सेवा के कब तक शुरू किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) दिल्ली तथा बड़ौदा को विमान सेवा से जोड़ने की एक उचित मांग है।

(ख) और (ग) इंडियन एयरलाइन्स की 1982-83 की अपनी शीतकालीन समय-सारणी में दिल्ली तथा बड़ौदा के बीच एक बी-737 सेवा परिचालित करने की योजनाएं हैं।

कलकत्ता और मद्रास से पोर्ट ब्लेयर तक दैनिक विमान सेवा

3020. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्डमान तथा निकोबार द्वीप-समूह में पर्यटन की भारी संभावनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या पोर्ट ब्लेयर के लिए प्रतिदिन विमान सेवा और वह भी कलकत्ता और मद्रास दोनों स्थानों से चलाने का विचार है; और

(ग) ऐसा कब तक किया जाएगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कलकत्ता और पोर्ट ब्लेयर के बीच परिचालन कर रही बी-737 की सप्ताह में वर्तमान दो सेवाएं यातायात की मांग की पर्याप्त रूप से पूर्ति करती हैं।

इंडियन एयरलाइन्स की बी-737 विमान से 1982-83 के शीतकाल में कलकत्ता और पोर्ट ब्लेयर के बीच सप्ताह में तीन सेवाएं तथा मद्रास और पोर्ट ब्लेयर के बीच सप्ताह में एक सेवा परिचालित करने की योजनाएं हैं।

इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानों में दिये जाने वाले भोजन का स्तर

3021. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानों के भाड़े में वृद्धि के बावजूद इसकी उड़ानों में दिए जाने वाला भोजन घटिया स्तर का होता है; और

(ख) यदि हां, तो उड़ानों में भोजन का स्तर सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) इंडियन एयरलाइन्स अपनी उड़ानों पर, अच्छे किस्म का भोजन प्रदान करके यात्रियों की संतुष्टि का लगातार प्रयत्न करती है। उपलब्ध उत्तम खानपान प्रबन्धकों से भोजन लिया जाता है।

कृषि विकास के लिए राष्ट्रीय बैंकों की स्थापना करना

3022. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय वर्ष 1982-83 में कृषि विकास के लिए राष्ट्रीय बैंकों की स्थापना करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त वित्तीय वर्ष में उपरोक्त बैंकों की कितनी शाखाएं खोली जानी हैं;

(ग) क्या उपरोक्त राष्ट्रीय कृषि बैंक 1982-83 में विभिन्न राज्यों की राजधानियों में अपने क्षेत्रीय कार्यालय खोलेंगे; और

(घ) उक्त प्रस्ताव के कार्यान्वयन में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी): (क) से (घ) सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय "राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक" (नाबार्ड) से है। उपर्युक्त बैंक की स्थापना के विधेयक को, जिसे संसद द्वारा पारित कर दिया गया था, 30 दिसम्बर, 1981 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई है। इस बैंक की शीघ्र स्थापना के लिए अपेक्षित कार्रवाई की जा रही है। "राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक" (नाबार्ड) की स्थापना हो जाने पर वह कृषि पुनर्वित्त तथा विकास निगम (ए० आर० डी० सी०) और कृषि ऋण का कार्य करने वाले भारतीय रिजर्व बैंक के विभाग (ए० सी० डी०) के कार्यों को सम्भाल लेगा। इस प्रकार विभिन्न स्थानों पर ए० आर० डी० सी० तथा भारतीय रिजर्व बैंक के ए० सी० डी० के कार्यालयों के, "राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक" (नाबार्ड) के कार्यालय बन जाने की आशा है।

सांप की खालों का जब्त किया जाना

3023. **श्री पीयूष तिरकी**
श्री के० लकप्पा
श्री डी० एम० पुते गौडा } : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता में 40 लाख रु० की सांपों की खालें जब्त की गई थीं;

(ख) इस सम्बन्ध में पकड़े गये व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को पहले की गई तस्करी के बारे में कोई जानकारी है;

(घ) सांपों की खाल की तस्करी रोकने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं; और

(ङ) इस सम्बन्ध में जिन फर्मों/स्थानों की तलाशी ली गई थी, उनका क्या ब्यौरा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाईसिंह सिसोदिया) : (क), (ख) और (ङ) जी, हां। 12-2-82 को कलकत्ता में राजस्व आसूचना निदेशालय और सीमा शुल्क अधिकारियों ने नेताजी सुभाष गोदी, कलकत्ता में 'गाय की पूंछ के बाल' के रूप में घोषित निर्यात खेप से लगभग 35 लाख रुपये मूल्य की सर्प-चर्म पकड़ी। अनुवर्ती कार्यवाही में सीमा शुल्क अधिकारियों ने 20-2-82 को कलकत्ता में एक गोदाम से लगभग 7 लाख रुपये मूल्य की सर्प-चर्म पकड़ी। अनुवर्ती कार्यवाही के दौरान दिल्ली में 11 व्यापारिक/रिहाइशी परिसरों की भी तलाशी ली गई।

इस मामले में पांच व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

(ग) सरकार को मिली रिपोर्टों से पता चलता है कि भारत से तस्कर-निर्यात की दृष्टि से सर्प-चर्म आकर्षण की वस्तु है। वर्ष 1981 के दौरान, सीमा शुल्क अधिकारियों ने लगभग 21 लाख रुपये मूल्य की सर्प-चर्म को उस समय पकड़ा जब उन्हें देश से बाहर चोरी-छिपे ले जाए जाने का प्रयास किया जा रहा था।

(घ) : इस देश से सर्प-चर्म के निर्यात संबंधी हर प्रयास को रोकने के लिए सीमा शुल्क अधिकारियों को सतर्क कर दिया गया है।

विकलांगों के लिए आयातित कारों पर शुल्क से राहत

3024. **श्री के० प्रधानी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकलांगों के लिए आयात की जाने वाली कारों पर आयात-शुल्क में राहत देने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित किए जाने की सम्भावना है ;

(ग) उपर्युक्त प्रस्ताव पर विचार करते समय विकलांगों को कितनी वित्तीय राहत दिए जाने का विचार है;

(घ) क्या इस बात को सुनिश्चित करने हेतु कि इन सुविधाओं का उचित लाभ केवल विकलांग ही उठाएं, किसी पर्यवेक्षण तंत्र के गठन का भी प्रस्ताव है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार के कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ग) सरकार इस संबंध में निर्णय ले चुकी है तथा इस विषय में जारी की गयी प्रेस टिप्पणी की प्रति संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल टी-3531/82]

(घ) और (ङ) शुल्क से छूट, मामले की पूरी छानबीन करने के बाद और अन्य बातों के साथ-साथ, समुचित चिकित्सा अधिकारी द्वारा यथा प्रमाणित विकलांगता की सीमा और स्वरूप को ध्यान में रखते हुए व्यक्तिगत अनुरोध पर दी जाएगी। अन्य बातों के साथ-साथ, यह छूट इस शर्त पर भी दी जायगी कि छूट-प्राप्त कारों को सरकार की अनुमति के बिना नहीं बेचा जायगा। इस प्रकार की किसी शर्त का पालन न करने पर दांडिक कार्यवाही की जायगी।

पर्यटन उद्योग से होने वाली आय की प्रतिशतता

3025 **श्री चतुर्भुज** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व के पर्यटन व्यापार से होने वाली कुल आय की तुलना में भारत सरकार को पर्यटन उद्योग से कितने प्रतिशत आय होती है;

(ख) क्या विदेशों में स्थित भारतीय पर्यटन कार्यालयों ने अन्य देशों की आय की तुलना में भारत की आय की नगण्य प्रतिशतता को ध्यान में रखते हुए पर्यटकों को भारत की ओर आकर्षित करने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) वर्ष 1981 के लिए विश्व पर्यटन संगठन द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन से हुई आय के अनन्तिम अनुमानों में भारत का हिस्सा 0·63% आंका गया है।

(ख) और (ग) पर्यटन का संवर्धन एक सतत प्रक्रिया है। पर्यटन विभाग विश्व की प्रमुख पर्यटक जनरेटिंग मार्केटिंग में व्यापक प्रचार कार्य करता है। विदेशों में संवर्धन संबंधी कार्य

18 पर्यटक कार्यालयों और 7 पर्यटक संवर्धन प्रबंधकों के माध्यम से किया जाता है जो कि यू० एस० ए०, यूरोप, आस्ट्रेलिया, मध्य पूर्व और जापान में लाभप्रद स्थानों पर अवस्थित हैं।

भारत सरकार के विदेश स्थित पर्यटक कार्यालय समाचार-पत्रों, पत्रिकाओं, दूरदर्शन और रेडियो में विज्ञापनों के माध्यम से प्रचार और संवर्धन संबंधी कार्य करते हैं। वे अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले देशों में यात्रा अभिकरणों और एयरलाइनों के स्टाफ के लिए सेल्स सेमिनारों का भी आयोजन करते हैं। पर्यटक कार्यालय संवर्धनात्मक फिल्मों को दिखाने, भारतीय संध्याओं का आयोजन करने और मेलों तथा त्योहारों में भाग लेने के अलावा सूचना भी प्रदान करते हैं और पर्यटन प्रचार साहित्य का वितरण भी करते हैं।

इंडियन एयरलाइन्स की टिकटें देने के कार्य का कम्प्यूटरीकरण

3026. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इलैक्ट्रोनिक विभाग इंडियन एयरलाइन्स के सहयोग से एयरलाइन्स की टिकटें देने के कार्य का कम्प्यूटरीकरण कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइन्स द्वारा कम्प्यूटर प्राप्त करने के प्रश्न पर, इलैक्ट्रानिकी विभाग विभिन्न उपलब्ध कम्प्यूटर प्रणालियों का तथा इस बात का भी कि क्या दोनों निगमों के लिए एक सांझी कम्प्यूटर प्रणाली होनी चाहिए या नहीं तथा अन्य सम्बन्धित मामलों का भी, मूल्यांकन कर रहा है।

धौला कुआं, गोल्फ ग्राउंड तथा माल रोड के बीच की ऊंची-नीची तथा तकलीफदेह सड़कें

3027. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली में धौला कुआं, गोल्फ ग्राउंड और माल रोड के बीच सड़कें पुनः बनाई गई हैं;

(ख) क्या वह सड़क ऊंची-नीची और तकलीफदेह है;

(ग) यदि हां, तो सड़क को इधर-उधर मरम्मत न करके पूरी सड़क को दुबारा बनाने और उसकी सतह दुबारा तैयार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई;

(घ) क्या दिल्ली छावनी में कोई और भी सड़कें हैं जिनकी तुरन्त मरम्मत/बनाने/ध्यान देने की आवश्यकता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सड़कों को दुरुस्त करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ताकि सड़क का इस्तेमाल करने वालों का कष्ट दूर हो सके ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) पालम रोड जंक्शन से लेकर राजपूताना राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर के क्रासिंग तक सड़क का सुधार/चौड़ा करने का कार्य दिया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) दिल्ली छावनी में सदर बाजार की सड़क की ऊपरी सतह को फिर से ठीक करने की आवश्यकता है।

(ङ) उपर्युक्त सड़क की सतह को फिर से ठीक करने का कार्य पहले ही किया जा रहा है।

सदर बाजार, दिल्ली छावनी में स्वास्थ्य के आधार पर दिये गये नये अस्थायी विद्युत कनेक्शन

3028. **श्री शिबु सोरन** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली छावनी में विशेषकर सदर बाजार में, ऐसे व्यक्तियों को स्वास्थ्य के आधार पर नये आस्थायी विद्युत कनेक्शन जारी करने के क्या कारण हैं, जिन्होंने अपनी बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है और जिन्हें वकाया राशि का भुगतान न करने के कारण पहले सेना इंजीनियरी सेवा, दिल्ली छावनी द्वारा विद्युत कनेक्शन देने से इन्कार किया गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि नीति के अनुसार कनेक्शन देने से पूर्व सरकार को सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा पिछली बकाया राशि का भुगतान करने के लिए जोर दिया जाना चाहिये; यदि हां, तो इन मामलों में इस नीति का पालन न करने के क्या कारण है; और

(ग) अस्थायी कनेक्शनों की अवधि और ब्यौरा एवं कारण क्या हैं ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) रक्षा मंत्रालय के 15 अक्तूबर, 1957 के पत्र संख्या 87313/क्यू 3 डब्ल्यू (पोलिसी) /8019-ए० एस० ओ० आई आई/ डी (वर्क्स) द्वारा एम. ई. एस· को छावनी के निवासियों को 15 दिन तक की अवधि के लिए धार्मिक, सामाजिक और चिकित्सा के आधार पर बिजली के अस्थायी कनेक्शन देने का अधिकार दिया गया है इस संबंध में यह कहना कि एक विशेष मामले में 2600/- रुपये की राशि बकाया थी और आवश्यक नोटिस जारी करने के बाद भी वर्तमान उपभोक्ता इस बिल का भुगतान नहीं कर रहा था इसलिए उसका बिजली का कनेक्शन काट दिया गया। इसके पश्चात् उसने चिकित्सा के आधार पर बिजली के अस्थायी कनेक्शन के लिए कहा और उसे यह कनेक्शन दे दिया गया। अस्थायी कनेक्शन के लिए मीटर का किराया और बिजली की अनुमानित खपत की कीमत आदि पहले देनी होती हैं। यह मामला स्थायी कनेक्शन का भुगतान न की गई बकाया राशि के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है इस बारे में यह बताना है कि इस व्यक्ति ने अब उन सभी बकाया राशियों का भुगतान कर दिया जो उसके पिता के ऊपर बाकी थी तथा आवश्यक अनौपचारिकताएं भी पूरी कर लीं इसलिए उसको 6 मार्च, 1982 से स्थायी कनेक्शन दे दिया गया है।

(ख) इस संबंध में ऐसी व्यवस्था है कि बिजली के कनेक्शन फिर से तभी दिए जा सकते हैं जब सभी बकाया राशियों और प्रभारों का भुगतान कर दिया जाए। यह व्यवस्था अस्थायी बिजली कनेक्शन के मामलों में नहीं मानी जाती है।

(ग) पिछले 12 महीनों की अवधि में चिकित्सा के आधार पर निम्नलिखित व्यक्तियों को बिजली के अस्थायी कनेक्शन मंजूर किए गए थे :—

1. श्री मोती राम—11 से 24 फरवरी, 1982
2. श्रीमती रामा कपूर—1 से 15 मार्च, 1982

कच्चे रेशम के लिये अग्रिम लाइसेंस तथा कर मुक्त प्रमाणपत्र जारी करना

3029. **श्री समीनुद्दीन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'ए' तथा 'बी' ग्रेड कच्चे रेशम के लिये अग्रिम लाइसेंस तथा कर मुक्त प्रमाणपत्र किस तारीख से जारी किये जा रहे हैं और निऔल (स्पन) डुपाइन धागे मिला कर निर्यात उत्तर-दायित्वों को पूरा करने से मुक्त करने की क्या शर्तें हैं;

(ख) क्या उपरोक्त संशोधन करने के लिये उपरोक्त तारीख से पहले जारी किये गये अग्रिम लांइसेंस और कर मुक्त प्रमाणपत्रों को वापस मांगा जा रहा है;

(ग) क्या सरकार के विरुद्ध किसी भी सम्भव कानूनी कार्यवाही को रोकने के लिये आयात व्यापार नियन्त्रण नियम के परिशिष्ठ 19 में समुचित संशोधन करना आवश्यक समझा गया है क्योंकि मलबरी रेशम की वर्तमान परिभाषा के अन्तर्गत स्पन किया गया या निऔल या डुपाइन धागा शामिल किया गया है; और

(घ) क्या इस बात को प्रमाणित करने के लिये केन्द्रीय रेशम बोर्ड प्रमाण पत्र को पर्याप्त व्यापक बनाने का विचार है कि निऔल/स्पन/डुपाइन धागों का इस्तेमाल नहीं किया गया है और रेशम उत्पादों का निवल भार प्रमाणित किया जाए ताकि सीमा शुल्क विभाग द्वारा होने वाली त्रुटियों से बचा जा सके जो पैकटों पर लगे केन्द्रीय रेशम बोर्ड के प्रमाणपत्र अथवा सील के आधार पर सामान्य निर्यात की अनुमति दे देता है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) 17 फरवरी, 1982 से ।

(ख) जी हां । स्थापित, निर्यातकों से प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर आगे विचार किया जा रहा है।

(ग) तथा (घ) : यह मामला विचाराधीन है ।

धनबाद जिले में बीमा कम्पनियों के विरुद्ध ट्रक दुर्घटनाओं के लम्बित पड़े हुए मामले

3030. **श्री ए० के० राय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के धनबाद जिले में बीमा कम्पनियों के विरुद्ध 1 जनवरी, 1982 तक, गत दस वर्षों का वर्षवार अलग-अलग, दुर्घटनाओं के कितने मामले लम्बित पड़े हुए है;

(ख) गत पांच वर्षों में ऐसे कितने मामलों को निपटाया गया, तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि अधिकांश बीमाकृत और दुर्घटनाग्रस्त ट्रक फर्जी स्वामित्व के होते हैं, जिससे बीमा कम्पनियों को बड़ी कठिनाइयां होती हैं; और

(घ) क्या सरकार का इस गलत बीमा कार्य की विस्तार से जांच करने का विचार है ?

वित मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

रायगढ़ महाराष्ट्र में एक आदर्श फाइवर परियोजना की स्थापना

3031. **श्री बी० एन० गाड़गिल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोदी उद्यम समूह द्वारा महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में प्रस्तावित आदर्श फाइबर परियोजना को भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है;

(ख) फाइबर के आयात में कमी द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होने की संभावना है;

(ग) इससे कुल कितना रोजगार उत्पन्न होगा; और

(घ) क्या इसे महाराष्ट्र के चन्द्रपुर जिले में लगाना, जहां पर्याप्त कच्चे माल के उपलब्ध होने का दावा किया गया है, ज्यादा लाभप्रद होगा।

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) सरकार ने परियोजना के सम्बन्ध में अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं लिया है। देश की भावी आवश्यकता के सन्दर्भ में माडल फाइबर (एच० डब्ल्यू० एम० 1 पोलिनोसिक) के विनिर्माण के लिये अतिरिक्त क्षमता के सृजन की समीक्षा की जा रही है।

(ख) से (घ) इस अवस्था में अभी विदेशी मुद्रा की बचत, रोजगार सम्भाव्यक्ता और प्रस्ताविक एकक के लिये आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त जगह का अनुमान लगाना कठिन है।

आयत/निर्यात शुल्क निर्धारण के लिए रेशम उत्पादों की शुद्धता की जांच का मानदण्ड

3032. **श्री आनन्द पाठक**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यात सम्बन्धी आवश्यकता पूरी करने के लिए जिन मामलों में कच्चे रेशम का फिलियेचर धागा शुल्क छूट प्रमाणपत्र के अन्तर्गत आता है, उसमें क्या सीमा शुल्क विभाग यह सुनिश्चित करता है कि निर्यात किये जाने वाले रेशम उत्पादों में बुना हुआ न्योल, मटका या दुधियन धागे न हों जो रेशम में फिलथेचर धागे से अधिक भारी होते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि सरकारी खजाने में निर्यात शुल्क ठीक जमा किया गया है, रेशम उत्पादों की शुद्धता परखने के क्या मानदण्ड हैं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) रेशम के माल के निर्यात की अनुमति केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा जारी किये जाने वाले पोतलदान पूर्व निरीक्षण प्रमाण-पत्र/पृष्ठांकन के आधार पर सीमा शुल्क गृह द्वारा दी जाती है। उपयुक्त अनुदेश जारी किये जा चुके हैं जिनसे यह सुनिश्चित हो सके कि फिलेचर धागे के लिए जारी किये गये अग्रिम लाइसेंसों के प्रति शुल्क छूट योजना के अन्तर्गत निर्यात किये जाने वाले रेशम के माल में डुपियन धाग/कता हुआ धागा/मटका धागा/नायल धागा नहीं है।

भारत पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ते की अदायगी

3033. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत पर्यटन विकास निगम के अधीन पांच तारा और तीन तारा होटलों के कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ते की अदायगी के लिए मानदंड का ब्यौरा क्या है?

(ख) इन होटलों के कर्मचारियों को गत तीन वर्षों के दौरान श्रेणी-वार चिकित्सा भत्ते के रूप में कितनी राशि अदा की गई;

(ग) क्या इन होटलों के कर्मचारियों के आश्रितों के लिए भी यह भत्ता देय है;

(घ) यदि हां, तो कर्मचारियों और उनके आश्रितों को चिकित्सा भत्ते के भुगतान के लिए पृथक्-पृथक् कितनी अधिकतम और न्यूनतम सीमा है; और

(ङ) क्या यह भी सच है कि ये कर्मचारी झूठे चिकित्सा बिल पेश करके इस सुविधा का दुरुपयोग कर रहे हैं, यदि हां तो यह जालसाजी रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) से (ङ) सूचना विवरण "क" और "ख" में दी गई है ।

मैडिकल बेनिफिट स्कीम/मैडिकल अटेन्डेन्स रूल्स के अन्तर्गत दावों की स्वीकार्यता के लिए मानदंड/सुविधा (12-3-82 को लोक सभा में पूछा जाने वाला लिखित प्रश्न सं० 3033)

(1) यह लाभ कर्मचारी द्वारा अपने स्पाउज, वैध बच्चों, सौतेले बच्चों और पूर्ण रूप से कर्मचारी पर आश्रित माता-पिता के संबंध में लिया जा सकता है ।

(2) कर्मचारियों को निर्दिष्ट समय के दौरान यूनिट मैडिकल आफिसर की मुफ्त मैडिकल कंसल्टेशन उपलब्ध है । टानिकों और तत्काल तथा प्राथमिक चिकित्सा के लिए अपेक्षित औषधियों को छोड़ कर अन्य सभी औषधियां डिस्पेंसरी में मुफ्त उपलब्ध हैं । ऐसी दवाइयां जो डिस्पेंसरी/जांच कक्ष में उपलब्ध नहीं होतीं वे रोगियों द्वारा चिकित्सा अधिकारी के नुसखे के अनुसार खरीदी जा सकती हैं और इस प्रकार जो खर्च उनके द्वारा किया जाएगा उसकी प्रतिपूर्ति कर्मचारी को चिकित्सा अधिकारी के प्रति-हस्ताक्षर और अनिवार्यता प्रमाण-पत्र पर कर दी जाती है । ऐसे होटलों में जहां डिस्पेंसरी की व्यवस्था नहीं है, कर्मचारी नुसखे में लिखी गयी दवाइयां खरीद सकते हैं और उसकी उन्हें प्रतिपूर्ति कर दी जाती है बशर्ते चिकित्सा अधिकारी प्रति-हस्ताक्षर कर दे/अनुमोदन प्रदान कर दे ।

(3) यदि चिकित्सा अधिकारी की सलाह पर किसी मामले में यूनिट डिस्पेंसरी/प्रयोगशाला से बाहर पैथीलोजि और प्रयोगशाला संबंधी अन्य टैस्ट कराए जाते हैं तो उनकी प्रतिपूर्ति कर दी जाती है । ऐसे रोगी जो होटल से 2 किलोमीटर से अधिक दूरी पर रह रहे हों और जिनके लिए डिस्पेंसरी मैडिकल अटेंडेंस का लाभ उठाना कठिन हो तो वे सरकार द्वारा अनुमोदित/सहायता-प्राप्त अस्पतालों/डिस्पेंसरियों के बहिरंग २ रोगी विभाग का लाभ उठा सकते हैं । अटेंडेंस के लिए दवाइयां और अन्य सेवाओं की कीमत की प्रतिपूर्ति चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रति-हस्ताक्षर करने पर की जाती है । एमर्जेन्सि में बीमारी की तारीख से लेकर 5 दिन की अवधि के दौरान प्राइवेट रजिस्टर्ड मैडिकल प्रैक्टीशनर्स से दो बार तक कंसल्ट किया जाना चाहिए । ऐसे मामलों में कंसल्टेशन फीस और दवाइयों की कीमत की प्रतिपूर्ति निम्न प्रकार की जाएगी :—

कंसल्टेशन फीस	कंसल्टिंग रूम में		रोगी के निवास स्थान पर
	पहली काल	दूसरी काल	
डाक्टर-एम बी बी एस	5/- रु०	3/- रु०	10/- रु०
आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में आई एस एम एफ/आई एम एफ आदि जैसे अन्य रजिस्टर्ड मैडिकल प्रैक्टीशनर्स	3/-रु०	2/- रु०	5/- रु०

रजिस्टर्ड मैडकल/प्रैक्टीनर्स द्वारा नुसखे में लिखी दवाइयों की कीमत की प्रतिपूर्ति अनुज्ञेयता के अनुसार और यूनिट के चिकित्सा अधिकारी द्वारा विलों को प्रति-हस्ताक्षर करने पर की जाएगी जिसकी अधिकतम सीमा हर बार कुल 25/-रुपए होगी। यदि इलाज 5 दिन से अधिक चलने और दवाइयों को कीमत 25-/रुपए से अधिक होने की संभावना है तो चिकित्सा अधिकारी की सलाह लेनी चाहिए।

(4) इन्ट्रामस्क्यूलर इंजेक्शनों के लिए 2/-रुपए तक और इंट्रावीनस इंजेक्शनों के लिए 5/रुपए तक की प्रतिपूर्ति की जाती है।

(5) जहां चिकित्सा अधिकारी ने स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करने की अनुमति दी है, वहां 20/-रुपए तक कंसल्टेशन फीस की प्रतिपूर्ति की जा सकती है।

(6) सरकारी/सहायता-प्राप्त अस्पतालों/डिस्पेंसरियों में अंतरंग रोगी के रूप में इलाज करवाने की अनुमति है। इस उद्देश्य के लिए कुछ खास होटलों में उपलब्ध ग्रुप रजिस्ट्रेशन पद्धति का सरकारी/सहायता-प्राप्त अस्पतालों/डिस्पेंसरियों में कराए गए इलाज के लिए उपयोग किया जाएगा; खर्च की प्रतिपूर्ति उस सीमा तक अनुज्ञेय होगी जिस सीमा तक उसी के समतुल्य वेतन ग्रुप कर्मचारियों (नान-सी जी एच एस) के लिए अनुमेय है। जहां तक होटल के अधिकारियों का संबंध है वे मैडिकल अटेंडेंस रूल्स द्वारा कवर होते हैं। इन नियमों के अन्तर्गत निम्नलिखित मानदण्ड अनुज्ञेय है :—

(क) मैडिकल कवर कर्मचारी उसके स्पाउज, वैध बच्चों और सौतेले बच्चों, माता-पिता, ऐसे अविवाहित बहन/भाई जो पूर्ण रूप से कर्मचारी पर आश्रित हैं और आम तौर उसके साथ रह रहे हों, के लिए उपलब्ध है।

(ख) कवर के विस्तार में ये शामिल हैं (i) अस्पताल में या कर्मचारी के घर पर या प्राधिकृत मैडिकल अटेंडेंट के कंसल्टिंग रूम में अटेंडेंस; (ii) रोग का पता लगाने के लिए अपेक्षित पैथोलोजिकल, बैक्टिरिओलोजिकल, रेडियोलोजिकल, अथवा अन्य टैस्ट और जांच।

(ग) अपेक्षित दवाइयों, टीका-द्रव्य, सेरा या ऐसे अन्य चिकित्सीय पदार्थों की सप्लाई जो कि रोगी की हालत में सुधार लाने के लिए या उसकी हालत में हो रही गिरावट को रोकने के लिए अनिवार्य हैं।

(घ) डेंचर और स्पेक्टेकल लगवाने को छोड़कर डेंटल और आप्थलमैलोथोलोजिकल सेवाओं की व्यवस्था।

(ङ) कुछ अत्यावश्यकताओं में यात्रा खर्चे की प्रतिपूर्ति

(च) आर्थोपैडिक और फिजियोथरैपी इलाज ।

किसी भी प्राप्त अस्पताल/नार्सिंग होम में बहिरंग रोगी के रूप में मैडिकल अटेंडेंस/इलाज के लिए सभी खर्चों की प्रतिपूर्ति की जाती है। जहां अंतरंग इलाज/इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती जरूरी हो वहां अकामोडेशन चार्जेस का भुगतान वेतनमान की हकदारी के अनुसार किया जाता है जो कि नीचे दिया गया है :—

वेतन समूह (मूल वेतन)	अधिकृत आवास	अधिकृत आवास के लिए प्रतिपूर्ति-योग्य चार्जेस
250/-रु० तक	जनरल वार्ड	अस्पताल के नियमों के अनुसार
251/-रु० से 999/-रु० तक	सेमि-पेइंग-वार्ड	30/-रुपये प्रति दिन से अधिक नहीं
1000/-रु० से 1499/-रु० तक	नर्सिंग होम (गैर-वातानुकूलित)	70/-रु० प्रतिदिन से अधिक नहीं
1500/-रु० और अधिक	नर्सिंग होम (वातानुकूलित)	110/-रु० प्रति दिन से अधिक नहीं

जहां स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन जरूरी हो जाता है तो निम्नलिखित चार्जेस हैं :—

	चिकित्सा अधिकारी के चेम्बर में	रोगी के निवास स्थान पर
पहली काल	30/-रु० तक	60/-रु० तक
बाद की काल	20/-रु० तक	60/-रु० तक

इंजेक्शन चार्जेस की प्रतिपूर्ति नीचे दी गयी की सीमा तक अनुज्ञेय है :

(क) इन्ट्रावीनस	5/-रु०
(ख) इन्ट्रामस्कयूलर	3/-रु०
(ग) सब-क्यूटेन्यस	3/-रु०

कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा संचालित कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम के प्रोविजन्स के अन्तर्गत कवर होने वाले कर्मचारियों को उस निगम द्वारा मैडिकल केयर दी जाती है। चिकित्सा व्यय के लिए प्रतिपूर्ति संबंधी इस नियमों के अधीन न्यूनतम और अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। तथापि, जिस बिल का कुल जोड़ 1000/-रुपये या इससे ऊपर होता है उसे संवीक्षा और आई० टी० डी० सी० चिकित्सा बोर्ड, जिसमें जनपथ होटल का मुख्य चिकित्साधिकारी, चिकित्साधिकारी (मुख्यालय) और दिल्ली स्थित किसी भी होटल यूनिट का चिकित्साधिकारी है, के अनुमोदन के लिए भेजा जाता है ।

कर्मचारियों को भुगतान करने से पूर्व इन सभी दावों की दो स्तरों पर जांच की जाती है, पहली बार यूनिट चिकित्साधिकारी/निगम के चिकित्साधिकारी के स्तर पर और दूसरी बार लेखा विभाग द्वारा । जिन मामलों में जालसाजी या झूठे दावे होने का संदेह होता है, उन्हें छान-बीन के लिए सर्तकता प्रभाग को भेजा जाता है और दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाती है ।

पिछले तीन सालों के दौरान 5-स्टार और 3-स्टार होटलों में चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में दी गई राशि अनुबंध—"ख" में उल्लिखित हैं ।

विवरण 'ख'

पिछले तीन वर्षों के लिए 5-स्टार और 3-स्टार होटलों में चिकित्सा संबंधी व्यय को दर्शाने वाला विवरण।

(लाख रुपयों में)

	1978-79	1979-80	1980-81
(क) 5-स्टार होटल			
1. अशोक होटल नई दिल्ली	3.77	4.06	5.14
2. होटल अशोक बंगलौर	1.55	2.98	4.60
3. अकबर होटल नई दिल्ली	1.88	2.10	2.13
4. कोवलम अशोक बीच रिसार्ट	0.31	0.37	0.46
5. कुतब होटल नई दिल्ली	0.50	0.74	0.83
6. एल० एम० पी० होटल मैसूर	0.30	0.29	0.30
7. होटल एयरपोर्ट अशोक कलकत्ता	1.02	1.35	2.01
जोड़ 'क'	9.33	11.89	15.47
(ख) 3 स्टार होटल			
1. होटल रणजीत नई दिल्ली	1.46	1.98	2.04
2. लोधी होटल नई दिल्ली	1.19	1.22	1.61
3. होटल हसन अशोक	0.09	0.11	0.10
4. होटल जम्मू अशोक	0.08	0.20	0.20
5. होटल, औरंगाबाद अशोक	0.02	0.11	0.23
6. होटल खजुराहो अशोक	0.05	0.13	0.30
7. एल० वी० पी० होटल उदयपुर	0 07	0.18	0.22
8. टैम्पल बे अशोक बीच रिसार्ट, महाबलिपुरम	0.03	0.11	0.11
9. होटल पाटलीपुत्र अशोक पटना	0.12	0.22	0.34
10. होटल कलिंग अशोक भुवनेश्वर	—	0.02	0.16
11. होटल मदुरै अशोक	—	—	0.06
जोड़ "ख"	3.11	4.28	5.37
कुल जोड़ (क+ख)	12.44	16.17	20.84

उ० प्र० गौचर हवाई अड्डे से प्रतिदिन उड़ान

3034. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या पर्यटन और विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में गढ़वाल के गौचर हवाई अड्डे को दैनिक उड़ान के साथ जोड़ने के लिए क्या योजना बनाई जा रही है;

(ख) तीर्थ यात्रियों, भ्रमण करने और सर्दियों के खेलों की दृष्टि से इस हवाई सम्पर्क की क्या संभावनायें हैं; और

(ग) इसे कब लागू किया जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमान मंत्री (श्री अन्नत प्रसाद शर्मा) : (क) से (ग) फिलहाल गोचर हवाई अड्डे को विमानसेवा में जोड़े जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस बारे में गौचर हवाई अड्डे के तैयार हो जाने तथा व्यवहार्यता अध्ययन कर लिए जाने के बाद विचार किया जाएगा।

गुजरात में शहरों का दर्जा बढ़ाना

3035. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में काम कर रहे केन्द्र सरकार कर्मचारियों और श्रमिकों ने 1981 की जनगणना के आधार पर गुजरात में शहरों का दर्जा बढ़ाने के लिये मांग की है और यदि हां, तो मामले पर क्या निर्णय लिया गया है; और

(ख) जनगणना का कार्य पूर्ण होने के एक वर्ष की अवधि बीत जाने के बाद भी इन शहरों का दर्जा बढ़ाये जाने में हुए विलम्ब के क्या कारण हैं और क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कर्मचारियों की इसमें हानि हो रही है, शहरों का दर्जा बढ़ाने का कार्य शीघ्र पूरा किया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) जी, हां 1981 की जनगणना के आधार पर नगरों का दर्जा बढ़ाए जाने के प्रश्न पर भारत के महा पंजीयक तथा जनगणना आयुक्त से 1981 की जनगणना के अंतिम आंकड़े प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा।

टिटेनियम मेटल एनोडीज का आयात

3036. **श्री ए० जी० सुब्बुरमण** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि हाल में इस देश में टिटेनियम मेटल एनीडीज का आयात किया गया है;

(ख) यदि हां, तो आयात नीति के किस प्रावधान के अन्तर्गत उपर्युक्त आयात किया गया;

(ग) क्या आयात कर्त्ता द्वारा पूंजीगत माल के आयात के लिये निर्धारित नीति के अन्तर्गत प्रक्रिया संबंधी औपचारिकताओं का पूरी तरह से पालन किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा): (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

'स्मगलिंग-फ्राम रसिया विद लव' शीर्षक से लेख

3037. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 दिसम्बर, 1981 के इंडिया टूडे में "स्मगलिंग फ्राम रसिया विद लव" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित लेख की ओर दिलाया गया है जिसमें इन बातों की ओर ब्यान दिया गया है;

(एक) पिछले अगस्त में सीमा शुल्क द्वारा सोवियत राजदूतावास के पते पर भेजे एक माल में से पालम हवाई अड्डे पर 1000 घड़ियों और रेडियो सेटों का पकड़ा जाना (दो) राजनयिकों द्वारा 25 लाख रु० मूल्य के माल की तस्करी, (तीन) बम्बई सीमा-शुल्क प्रवर्तन द्वारा बम्बई-

अहमदाबाद राजमार्ग पर एक कार का पीछा किया जाना जिसके फलस्वरूप 7.86 लाख रु० मूल्य की घड़ियां पकड़ी गईं; (चार) रूस में निर्मित तथा तैयार घड़ियों का भारत-नेपाल सीमा पर पकड़ा जाना; (पांच) डी० आर० आई० में अपर्याप्त कर्मचारीगण;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया): (क) जी, हां।

(ख) सरकार को मिली रिपोर्टों से इस बात की पुष्टि नहीं होती है कि अगस्त, 1981 में पालम हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने सोवियत दूतावास को भेजी गई किसी एक खेप से 10,000 घड़ियां और रेडियो पकड़े थे। इन रिपोर्टों से ऐसा भी कोई संकेत नहीं मिलता है कि पिछले दिनों भारत-नेपाल सीमा से रूस में बनी/संयोजित घड़ियां पकड़ी गईं।

सीमा शुल्क अधिकारियों ने 1981 के दौरान, तस्करी के ऐसे मामलों में लगभग 55 लाख रुपये मूल्य का माल पकड़ा, जिनमें राजनयिक अन्तर्ग्रस्त थे।

सीमा शुल्क अधिकारियों ने 3-8-1981, को बम्बई अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक कार को रोका और उससे लगभग 7.86 लाख रुपये की कलाई घड़ियां पकड़ीं। कार में सवार व्यक्ति कार को छोड़कर बच के भाग निकले थे।

(ग) सीमा शुल्क विभाग के निवारक और आसूचना तंत्र को, जिसमें राजस्व आसूचना निदेशालय भी शामिल है, विशेषकर तस्करी के लिये सुगम्य क्षेत्रों अर्थात् पश्चिमी समुद्र तट और पाकिस्तान, नेपाल, बंगला देश तथा बर्मा के साथ लगने वाले भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रों में सुदृढ़ बनाया गया है। तस्करी के हर प्रयास को रोकने के लिए सीमा-शुल्क अधिकारियों को सतर्क कर दिया गया है।

विदेशी सहायता

3038. **श्री सूरज भान**
श्री अटल बिहारी वाजपेयी } : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कुल कितनी विदेशी सहायता प्राधिकृत है;

(ख) प्रत्येक सहायता देने वाली संस्था का कुल में अलग-अलग हिस्सा (धनराशि और कुल प्रतिशतता में) क्या है;

(ग) उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिनके लिए प्रत्येक संस्था ने ऋण स्वीकृत किया है; और

(घ) भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुकर्जी) : (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण एक में दी गई है।

(ग) भारत को विभिन्न द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्रोतों से अनेक परियोजनाओं के लिए सहायता प्राप्त हुई है। संलग्न विवरण-दो में उन विभिन्न क्षेत्रों का स्थूल वर्गीकरण दिया गया है जिनके लिए परियोजना सहायता अधिकृत की गई थी।

(घ) यह बताना कठिन है कि इस सहायता का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है और इस प्रभाव का परिमाण कितना है। जैसा कि विवरण-दो से पता चलता है, सहायता का उपयोग विद्युत, रेलवे, तेल और गैस, इस्पात, उर्वरक, सिंचाई, कृषि तथा ग्रामीण विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की परियोजनाओं के लिए किया गया है हालांकि, कई वर्षों से अर्थव्यवस्था उत्तरोत्तर आत्म-निर्भर अग्रसर हो गई है फिर भी, कुछ हद तक विदेशी सहायता की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। विशेष रूप से, इससे अत्यावश्यक विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है जिससे अर्थव्यवस्था को आयात संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायता मिलती है।

विवरण—एक

विवरण जिसमें देश/संस्थाएं तथा कुल प्राधिकृत सहायता में उनकी शेयर प्रतिशतता दिखाई गई है

देश/संस्था का नाम	28-2-1982 तक प्राधिकृत सहायता (करोड़ रुपए)	कुल सहायता में शेयर प्रतिशतता
1. आस्ट्रेलिया	93.31	0.32
2. आस्ट्रिया	39.39	0.14
3. बेल्जियम	62.02	0.22
4. कनाडा	1263.92	4.41
5. डेनमार्क	48.34	0.17
6. जर्मन संघीय गणराज्य	1565.43	5.46
7. फ्रांस	633.45	2.21
8. इटली	39.72	0.14
9. जापान	1029.68	3.59
10. नीदरलैण्ड	460.93	1.61
11. न्यूजीलैण्ड	6.06	0.02
12. आयरलैंड आर्थिक विकास	0.27	नगण्य
13. नार्वे	14.23	0.05
14. स्विट्जरलैंड	56.87	0.20
15. स्वीडन	322.61	1.13
16. यूनाइटेट किंगडम	2700.11	9.42
17. संयुक्त राज्य अमेरिका	5854.16	20.43
18. कुवैत	46.16	0.16
19. कुवैत निधि	103.74	0.36
20. बहरीन	10.60	0.04
21. कातार	12.88	0.04
22. इराक	217.59	0.76
23. ईरान	1049.49	3.66

(1)	(2)	(3)
24. आबू धावी निधि	12.92	0.05
25. सऊदी निधि	76.05	0.27
26. औपेक	79.35	0.28
27. संयुक्त अरब अमीरात	52.50	0.18
28. अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक	1860.63	6.49
29. अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ	7775.70	27.14
30. अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि	91.88	0.32
31. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष न्यास निधि	521.27	1.82
32. यूरोपीय आर्थिक समुदाय (विशेष कार्यक्रम ऋण)	39.48	0.14
33. यूरोपीय आर्थिक समुदाय	284.61	0.99
34. चेकोस्लोवाकिया	176.83	0.62
35. हंगरी	12.80	0.04
36. पोलैंड	33.16	0.13
37. सोवियत समाजवादी जनतन्त्र संघ	1927.63	6.73
38. यूगोस्लाविया	28.58	0.10
39. संयुक्त राष्ट्र आपात कार्यक्रम	43.83	0.15
जोड़ :	28653.78	

विवरण—दो

1. औद्योगिक ऋण
2. उर्वरक
3. नौवहन
4. रेलवे
5. दूर-संचार
6. पत्तन
7. विद्युत
8. कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम
9. जनसंख्या
10. अनाज भण्डारण
11. शिक्षा
12. मीन उद्योग
13. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक

14. सूखे से प्रभावित क्षेत्रों के विकास की परियोजना
15. कपास
16. कृषि
17. काजू
18. बीज
19. डेरी
20. एल्यूमिनियम उद्योग
21. भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण
22. रबड़ उद्योग
23. बम्बई अप तट
24. इस्पात उद्योग
25. खनन
26. अखबारी कागज
27. सिंचाई
28. गहरे समुद्र में अनुसंधान
29. विमानन
30. भैषज उद्योग

तस्करों का जोर बढ़ना

3039. **श्री मनीराम बागड़ी : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सभी भागों में तस्करों का जोर बढ़ रहा है।

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने तस्करी को समाप्त करने के लिये कोई नया कानून बनाया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, नहीं। सरकार को मिली रिपोर्टों से पता चलता है कि देश में तस्करी की गतिविधियों पर नियंत्रण बना हुआ है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

फ्रेंच वित्तीय संस्थाओं से ऋण

3040. **श्री धर्मवीर सिंह : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) होटल परियोजना विन्डर प्लेस, नई दिल्ली और मैरीडन होटल के बीच हुए समझौते का ब्यौरा क्या है; और

(ख) फ्रेंच वित्तीय संस्थाओं से 24 मिलियन डालर ऋण लेने और होटल के कमरों के किराया पर 3 प्रतिशत रायल्टी का भुगतान करने की अनुमति के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुकर्जी) : (क) और (ख) होटल उद्योग में सहयोग करने के

सम्बन्ध में जो मार्ग निर्देश बने हुए हैं उनके अनुसार मैसर्स प्योर ड्रिंक्स (नई दिल्ली) लि०, नई दिल्ली को मैसर्स सोसाइटी देलसहोटल मेरिडियन आफ पैरिस के साथ सहयोग करने के लिए अनुमोदन दे दिया गया है। सहयोग की शर्तें भी संलग्न विवरण में दी गई है। होटल परियोजना के व्यय के एक भाग की वित्त व्यवस्था करने के उद्देश्य से मैसर्स प्योर ड्रिंक्स (नई दिल्ली) लि०, नई दिल्ली "क्रेडिट लायनायस" से ऋण प्राप्त करने का विचार रखती है। कमरों के किरायों से संबंधित रायल्टी के माध्यम से ऋण की वापसी का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विवरण

मैसर्स प्योर ड्रिंक्स (नई दिल्ली) लि०, नई दिल्ली के द्वारा नई दिल्ली में एक 5 स्टार होटल स्थापित करने के उद्देश्य से होटल उद्योग के क्षेत्र में मैसर्स सोसाइटी देस होटल्स मैरिडियन आफ पैरिस के साथ सहयोग करने के प्रस्ताव पर सरकार ने विचार किया था और 20 नवम्बर, 1981 को इस संबंध में मंजूरी दे दी गई। सहयोग की शर्तें इस प्रकार हैं :—

(1) भारत से बाहर की जाने वाली तकनीकी सेवाओं के लिए आयोजन, (डिजाइन, निर्माण, साज-सज्जा आदि)	1,60,000 अमेरिकी डालर एक समय में अदायगी
(2) प्रचार, बिक्री विज्ञापन तथा ब्रांड नाम के उपयोग के लिए	कमरों की बिक्री की आय का 3 प्रतिशत

उपर्युक्त अदायगियों के अलावा, भारतीय कम्पनी सहयोग कर्त्ता द्वारा किये गये वास्तविक व्यय की इस रीति से प्रतिपूर्ति भी कर सकेगी :—

(1) भारत में तकनीकी सेवाओं के लिए—	40,000 अमेरिकी डालर की अधिकतम सीमा तक
(2) भारतीय कम्पनी द्वारा प्राप्त वैकल्पिक सेवाओं के लिए जैसे कि प्रबन्ध नियंत्रण तथा लेखा व्यवस्था कायम करने के लिए, कार्यकारी स्तरों पर कर्मचारियों का चुनाव तथा भर्ती करने में सहायता, भारत में और भारत से बाहर कर्मचारियों का प्रशिक्षण, खोलने से पहले की अवधि आरम्भिक तालिका-गत माल में खरीद आदि।	अधिक से अधिक 200,000 अमेरिकी डालर की राशि तक।

विदेशी सहयोगकर्त्ता को यह सब अदायगियां लागू करों की अदायगी की शर्त के अधीन की जाएंगी।

इंडियन एरलाइन्स के लिए एयर बस की खरीद हेतु सार्थसंघ से वित्त

3041. **श्री कमल नाथ : क्या पर्यटन और नागर विमान-मंत्री** वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश, फ्रेंच और जर्मन बैंक सार्थसंघ इंडियन एयरलाइन्स को और दो एयर-बस विमान की खरीद हेतु वित्तीय सहायता देगा जिनकी डिलीवरी मई, 1982 में होनी हैं; और

(ख) इन अतिरिक्त विमानों के आजाने से इंडियन एयरलाइन्स की सेवाओं में किस हद तक सुधार होगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) : इंडियन एयरलाइन्स के विमान-बेड़े में मई, 1982 तक दो एयरबस ए 300 बी 4 विमान सम्मिलित कर लिए जाने पर, 1 जून 1982 से प्रभावी ग्रीष्मकालीन समय-सारणी में कलकत्ता तथा गौहाटी के बीच एक, दैनिक एयरबस सेवा प्रारम्भ करने की योजना बनाई गई है।क इसके अतिरिक्त, बम्बई–मद्रास तथा बम्बई–कलकत्ता सैक्टरों पर, ग्रीष्मकालीन समय-सारणी के दौरान एयरबस विमान क्षमता में वृद्धि करने की योजना बनाई गयी है, लिहाजा इनमें से प्रत्येक सेक्टर पर एयरबस की मौजूदा क्षमता प्रति सप्ताह 7 उड़ानों से बढ़ाकर क्रमशः 14 तथा 10 उड़ानें की जा रही हैं।

भरती नियमों में संशोधन के बारे में जे० सी० बी० स्टाफ के अभ्यावेदन

3042. श्री केशयराव पारधी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भरती नियमों में संशोधन के बारे में जे० सी० बी० स्टाफ से अगस्त 1981 में प्राप्त अभ्यावेदनों पर अधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या सरकार ने स्टाफ को किसी निर्णय से अवगत कराया है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले पर कभी स्टाफ के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने/उन्हें सुनने की कोशिश की है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार लम्बी अवधि से पड़े इस मामले को निपटाने के लिये स्टाफ के साथ बातचीत करने पर विचार कर रही है ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) अभ्यावेदन में वर्णित मांगों की जांच की विचार गयी किन्तु उन्हें मंजूर नहीं किया गया।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

आई० आर० डी० परियोजनाओं के अन्तर्गत योजनाओं के लिए अग्रिम ऋण।

3043. श्री चित्त बसु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि राष्ट्रीयकृत बैंक समेकित ग्रामीण विकास परियोजनाओं के अंतर्गत कार्यक्रमों के लिये अग्रिम ऋण देने में रुचि नहीं ले रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में बैंकों का सहयोग सुनिचित करने के लिए अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) यह कहना सही नहीं है कि राष्ट्रीयकृत बैंक इस समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०) के कार्यान्वयन के वास्ते अग्रिम देने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। 1980-81 के दौरान आई० आर० डी० पी० के

लिए वाणिज्यिक बैंकों द्वारा संवितरित सावधि ऋण, 1979-80 के 85 करोड़ रुपए के मुकाबले 124 करोड़ रुपए के थे ।

(ख) कृषि क्षेत्र और विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के वास्ते बैंकों द्वारा दिए गए अग्रिमों के कार्यनिष्पादन पर सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नजर रखी जाती है । आई० आर० डी० पी० और अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को विभिन्न ऋण संस्थाओं द्वारा दी गई सहायता की मात्रा की समीक्षा करने और जहां आवश्यक हो वहां सभी सम्बन्धितों को सुझाव देने के लिए योजना आयोग के सदस्य-सचिव की अध्यक्षता में, सरकार द्वारा एक उच्चस्तरीय समिति गठित की गयी है । बैंकों द्वारा आई० आर०डी०पी० के कार्यान्वयन तथा उसमें आने वाली विभिन्न परिचालनात्मक कठिनाइयों के संबंध में उत्पन्न हुई स्थिति पर भी इस प्रयोजन के लिए बुलाई गई विभिन्न उच्चस्तरीय बैठकों में चर्चा की जाती है । भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 10 दिसम्बर, 1981 के एक परिपत्र द्वारा बैंकों को विस्तृत अनुदेश जारी किए हैं । ये अनुदेश, अन्य बातों के साथ-साथ लाभ पाने वाले, व्यवसायों और स्कीमों आदि को निर्धारित करने के लिए विभिन्न राज्य स्तर के अभिकरणों के साथ समन्वय, ऋण आवेदनपत्रों के यथा समय और त्वरित निपटान, संवितरणों के पर्यवेक्षण, कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर निकट से नजर रखने के लिए सूचना प्रणाली के सुदृढ़ीकरण और ऋण के उपयोग आदि से सम्बन्धित हैं ।

भारतीय चीनी मिल संगठन का चीनी का निर्यात बढ़ाने का प्रस्ताव

3044. **श्रीमती प्रमिला दंडवते** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीनी का निर्यात अधिकतम करने के लिये भारतीय चीनी मिल संगठन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) चीनी का अधिक से अधिक निर्यात करने के लिये भारतीय चीनी मिल संघ से कोई विशेष प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मछली का निर्यात

3045. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन फर्मों/कम्पनियों/एजेंसियों के राज्यवार और वर्षवार, नाम क्या हैं जो गत तीन वर्षों से मछली का निर्यात कर रहे हैं;

(ख) इस व्यापार में व्यस्त बड़े घरानों के नाम क्या हैं और वे कब से इस व्यापार में व्यस्त हैं; और

(ग) इससे सरकार द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) गत तीन वर्षों में समुद्री उत्पादों के निर्यातों से अर्जित विदेशी मुद्रा निम्नोक्त प्रकार थी :

वर्ष	करोड़ रु०
1978-79	234.62
1979-80	248.82
1980-81	234.84

एम० ई० एस० द्वारा भेजी गई ऊर्जा की जांच न होना

3046. **श्री ए० यू० आजमी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एम० ई० एस० द्वारा भेजी गई ऊर्जा और उससे वसूल होने वाली राशि की जाँच न करने की और चोरी, खराब मीटरों, हेराफेरी के मामलों का पता लगाने तथा इस प्रकार होने वाली हानियों को कम करने हेतु जांच न करने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : एम० ई० एस० द्वारा भेजी जाने वाली ऊर्जा पर कड़ी नजर रखी जाती है और इस ऊर्जा के लिए भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं के लिए बिल तैयार किए जाते हैं। बिलों की वसूली पर भी नियमित रूप से नजर रखी जाती है और चूक करने वाले उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किए जाते हैं। बिजली की चोरी, छोटी मोटी हेरा-फेरी, को रोकने के लिए वितरण प्रणाली और मीटरों की नियमित रूप से जांच की जाती है। इसके बावजूद यदि चोरी/छोटी मोटी हेरा फेरी की कोई वारदात हो जाती है तो निर्धारित नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। जब भी मीटरों को खराब पाया जाता है तो उन्हें बदल दिया जाता है।

रक्षा मंत्रालय के लोयर फारमेशन्स के कर्मचारियों का पुनर्वर्गीकरण

3047. **श्री जगपाल सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लोयर फारमेशन्स के कर्मचारियों को रक्षा मंलालय के अन्य कर्मचारियों के समान नहीं माना जाता है ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं; और

(ख) क्या यह भी सच है कि विकल्प नियुक्तियों को अस्थायी माना जाता है और इस तरह नियुक्त कर्मचारियों के पास पुनर्वर्गीकरण के लिए अधिकार होता है; यदि हां, तो अब तक पुनर्वर्गीकृत कर्मचारियों की संख्या क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी हां। यह इस कारण से है कि रक्षा मंत्रालय के अधीन लोअर फार्मेशन मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय/स्थापनाएं हैं इसलिए लोअर फार्मेशनों के कर्मचारियों की सेवा शर्तें रक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों के समान नहीं मानी जा सकती हैं।

(ख) यद्यपि रक्षा मंत्रालय के अधीन लोअर फार्मेशनों में काम कर रहे हैं सिविलियन कर्मचारी, जिन्हें निम्नतर ग्रेडों/व्यवसायों में समायोजित किया गया है, अपने मूल ग्रेडों/व्यवसायों में पुनर्वर्गीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं परन्तु यह पुनर्वर्गीकरण केवल तभी सम्भव होगा जब उन ग्रेडों/व्यवसायों में, जिसमें पुनर्वर्गीकरण की मांग की गई है, उपयुक्त रिक्त पद उपलब्ध

होंगे। फालतू कर्मचारियों को समायोजित करने की योजना लागू करने और 1966 में सिविलियन कर्मचारियों की कमी को लेकर 1981 के अन्त तक समूह 'ग' और 'घ' के 1,388 कर्मचारियों को पुनर्वर्गीकृत कर दिया गया है।

ड्राई पोर्ट्स की स्थापना के लिये प्रस्ताव

3048. **श्री राजेश कुमार सिंह :**
श्री राम विलास पासवान :
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : } क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में ड्राई पोर्ट्स की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(ख) 31-1-1982 तक कितने शहरों में ऐसे ड्राई पोर्ट्स स्थापित किये गये हैं; और

(ग) उन स्थानों के नाम और संख्या क्या है जहाँ 1982 और 1983 में ड्राइपोर्ट्स स्थापित किये जाएंगे ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) 1974 में सरकार ने भारत के उत्तरी क्षेत्र में एक शुष्क पत्तन स्थापित करने का सिद्धांत रूप में निर्णय लिया था। तथापि जुलाई, 1977 में तत्कालीन सरकार ने तत्काल कार्यान्वयन के लिए परियोजना पर कार्यवाही न करने का निर्णय लिया।

प्राप्त अभ्यावेदनों को देखते हुए सिद्धांत रूप में यह निर्णय लिया गया है कि दिल्ली, बंगलौर तथा अहमदाबाद में इन्लैंड कन्टेनर डिपो स्थापित किये जाएं। इन डिपो से दोनों उद्देश्य अर्थात शुष्क पत्तन सुविधाओं तथा साथ ही कन्टेनर व्यवस्था पूरे होंगे। सम्पूर्ण इन्लैण्ड कन्टेनर डिपो की स्थापना होने तक के लिये प्रायोगिक परियोजना आधार पर दो डिपो स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, एक बंगलौर में तथा दूसरा नई दिल्ली में। इसके अलावा, कन्टेनरों में तम्बाकू के निर्यात लदानों के संचालन को सुकर बनाने के लिये गुन्टूर में एक इन्लैण्ड कन्टेनर डिपो भी स्थापित करने का प्रस्ताव है। रेल मंत्रालय प्रस्तावित इन्लैण्ड कन्टेनर डिपो स्थापित करेगा तथा उनकी प्रबन्ध व्यवस्था करेगा। प्रायोगिक परियोजना इन्लैण्ड कन्टेनर डिपो जल्दी ही शुरू हो जाने की आशा है, प्राप्त अनुभव तथा आवश्यक व्यवहार्यता-सह-तकनीकी आर्थिक अध्ययनों के आधार पर भविष्य में अन्य इन्लैण्ड कन्टेनर डिपो के संस्थापन के सम्बन्ध में विचार किया जाएगा।

हल्दिया में "शिप रिपेयर" काम्पलेक्स

3049. **श्री मुकुंद मण्डल**
श्री सत्य गोपाल मिश्र } : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गार्डन रीच-शिप-बिल्लडर्स एण्ड इंजीनियर्स लि० हल्दिया में शिप रिपेयर कम्पलेक्स की स्थापना करने के लिए प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) जी हां,

(ख) और (ग) गार्डन रीच शिप, बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कलकत्ता ने सरकार को जो रिपोर्ट दी है उसमें एक बड़ी शुष्क गोदी, एक छोटी शुष्क गोदी, एक जलीय बेसिन तथा

वर्कशाप और अन्य सहायक सुविधाओं की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। भारत सरकार के संबन्धित विभागों के साथ परामर्श करके इस प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

पर्यटन विभाग में नियुक्त अनुसूचित जाति/जनजाति के लोग

3050. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि पिछले पांच वर्षों से अब तक देश में (राज्य वार) पर्यटन विभाग में नियुक्त व्यक्तियों में से कितने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के हैं तथा उसका आधार और ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : सूचना क्षेत्र कार्यालयों से एकत्र की जा रही है और जैसे ही वह प्राप्त होगी, सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

सिविलियन स्कूल मास्टरों को अध्यापकों के रूप में मान्यता देने में कठिनाई

3051. **श्री राम प्यारे पनिका**
श्री शिव शरण शर्मा } : क्या रक्षा मंत्री सिविलियन स्कूल मास्टरों को अध्यापकों के रूप में मान्यता देने में कठिनाई के बारे में 23-12-1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5206 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिविलियन स्कूल मास्टरों को अध्यापकों के रूप में मान्यता देने में क्या कठिनाई है जबकि सिपाहियों को शिक्षा देने के लिए नियुक्त किये जाते हैं और वास्तव में उस कार्य में लगे होते हैं;

(ख) सांविधिक नियम आदेश सं. 143/79 और 82/72 में सिविलियन स्कूल मास्टरों के नियुक्त किये जाने की शर्तें क्या हैं और ऐसे मास्टरों के क्या नाम हैं जो उक्त प्राधिकार के अधीन नियुक्त किये गये थे; और

(ग) पिछले पांच वर्षों में कितनें सिविलियन स्कूल मास्टर सेवा निवृत्ति हुए और उनमें से कितनों को पेंशन न दी गई; और

(घ) क्या ए० ओ० 65/81 के अधीन वे मामले आ जाते हैं जो पहले समायोजित किये गये हैं ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के. पी. सिंह देव): (क) प्रश्न स्पष्ट नहीं है। सिविलियन स्कूल मास्टरों को सैनिकों को पढ़ाने के लिए यूनिट शिक्षा अनुदेशकों के स्थान पर एक अस्थायी व्यवस्था के रूप में तब तक नियुक्त किया जाता है जब तक दूसरे वर्ग के कार्मिक उपलब्ध नहीं हो जाते हैं।

(ख) का नि अ 143/69 और का नि अ 82/72 की प्रतियां सूचना के लिए संलग्न हैं। [ग्रन्थालय में रखी गयीं। देखिए संख्या एल०टी० 3532/82] इन दोनों कानूनी नियम और आदेशों के अन्तर्गत भर्ती किए गए स्कूल मास्टरों के नामों के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है।

(घ) जी नहीं।

पाकिस्तान को अमरीका के हालीकाप्टर और टैंक की सप्लाई

3052. श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति
श्री बी० बी० देसाई
श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी } : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसा समाचार है कि अमरीका ने पाकिस्तान को 10 और लड़ाकू हैलिकाप्टरों और 100 एम-48 टैंकों की सप्लाई करना स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या ये हैलिकाप्टर मिसाइलों से लैस होंगे; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री वेंकटरामन) : (क) से (घ) सरकार ने ऐसी रिपोर्टें देखी हैं जिनसे पता चलता है कि अमरीका-पाकिस्तान के बीच 3.2 बिलियन डालरों के हथियारों के सौदे में आक्रामक हैलीकाप्टर और एम-48 टैंक शामिल होंगे। हैलीकाप्टरों में टैंकरोधी प्रक्षाप्रशस्त्र चलाने की क्षमता होगी। इन अति आधुनिक शस्त्रास्त्रों को प्राप्त करने पर सरकार ने अपनी चिन्ता इस सदन में अनेक अवसरों पर प्रगट की है। सरकार पूरी रक्षा तैयारियों के लिए योजनाओं को समय-समय पर अद्यतन करते समय इन सभी गतिविधियों को ध्यान में रखती है।

एयर-इण्डिया द्वारा बुक किये गये तथा "ओ० के०" पृष्ठांकित यात्रियों को उतारा जाना

3053. **श्री सैफुद्दीन चौधरी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया के प्रबंधकों द्वारा बुक किये गये तथा "ओ० के०" पृष्ठांकित यात्रियों को कोई कारण बताये बिना उतार दिया जाता है; और

(क) यदि हां, तो एयर-इण्डिया के ऐसी कार्यवाही के विस्तृत कारण तथा उनका औचित्य क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) यात्रियों को बिना कोई कारण बताए विमान से नहीं उतारा जाता है। यात्रियों को निम्नलिखित कारणों से उतारा जाता है :—

(1) विदेशों से आने वाले पुष्टीकृत टिकटों के धारक यात्री, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उड़ान के प्रस्थान करने से कम से कम 72 घंटे पहले अपने आरक्षण की पुनः पुष्टि करवाने में असफल रहते हैं;

(2) विदेश स्थित कार्यालयों/एजेंटों द्वारा जारी किए गए पुष्टिकृत टिकटों के धारक यात्री, जो कि वस्तुतः केवल प्रतीक्षा-सूची में हैं अथवा उनका आरक्षण किया ही नहीं गया था;

(3) उड़ानों की "ओवर-बुकिंग" होने तथा प्रत्याशित संख्या में टिकटें रद्द न कराने के कारण, जिसके परिणाम स्वरूप यात्रियों की संख्या विमान में उपलब्ध सीटों की

संख्या से अधिक हो जाती है। "ओवर-बुकिंग इस उद्योग की एक परिपाटी है तथा यह, अंतिम क्षण तक टिकटें रद्द करवाने को ध्यान में रखते हुए, जिसकी कि वजह से पुष्टीकृत आरक्षण के धारक यात्री हवाईअड्डे पर उपस्थित नहीं होते, अपनायी जाती है।

ऐसे सभी मामलों में शीघ्रतम सम्भव उपायों से वैकल्पिक प्रबन्ध किए जाते हैं तथा यदि यात्रियों को प्रस्थान की निश्चित तिथि के बाद रुकना पड़ता है तो उनके रहने तथा खाने का खर्च एयर इण्डिया द्वारा वहन किया जाता है।

आयकर विभाग के निरीक्षकों को तैनात किया जाना

3054. **श्री सोमजीभाई डामोर** : क्यी वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सभी आयकर विभाग के सभी प्रभारों में निरीक्षकों को आयकर आयुक्त/सहायक आयकर आयुक्त के मुख्यालय में रखा जाता है जिससे सरकार द्वारा द्वारा किये गये निर्देशों का पूरी तरह उल्लंघन होता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेजते समय उनकी वास्तविक नियुक्ति की वास्तविक रूप में क्षेत्रीय कार्यालयों/फार्मेसंस में दिखाई जाती है; और

(ग) सरकार का इन निरीक्षकों को क्षेत्रीय कार्यालयों में भेजने पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ताकि कार्य को और हानि न हो ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ग) आयकर आयुक्त, जो क्षेत्रीय कार्यालियों के समग्र प्रभारी होते हैं, आयकर आयुक्त/सहायक आयकर अयुक्त के मुख्यालय के कार्यालियों में आयकर निरीक्षकों की तैनाती के लिए सक्षम हैं। सरकार ने, आयकर आयुक्त/सहायक आयकर आयुक्त के मुख्यालय के कार्यालयों में निरीक्षकों की तैनाती पर रोक लगाने के सम्बन्ध में कोई अनुदेश जारी नहीं किया है और इसलिए, सरकारी अनुदेशों का कोई उल्लंघन नहीं हआ है :

भारत की कुल बाह्य देनदारी

3055. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1981 को भारत पर कुल कितनी बाह्य देनदारी थी और सबसे बड़े दस दाता राष्ट्र एजेंसियां, धनराशि सहित कौन-कौन हैं ?

(ख) इन देनदारियों (ब्याज-परिशोधन अदायगियां) में से कितनी राशि का इस वर्ष और वर्ष 1986 तक क्रमशः प्रत्येक वर्ष में भुगतान किया जायेगा; और

(ग) इन देनदारियों के भुगतान करने में धन के कौन से स्रोतों को प्रयोग किये जाने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुकर्जी) : (क) सरकारी खाते के ऋणों के संबंध में विदेशी ऋणों की कुल बकाया राशि 31-12-1981 को 14960.49 करोड़ रुपये थी। बकाया विदेशी ऋणों के संबंध में सबसे बड़े दस दाता देशों/संस्थाओं के नाम संलग्न विवरण—एक में दिये गये हैं।

(ख) सूचना संलग्न विवरण—दो में दी गई है।

(ग) ऋण संबंधी इन देनदारियों को मुख्य रूप से निर्यातों और अदृश्य प्राप्तियों से पूरा किया जाता है।

विवरण—एक

31-12-1981 को भारत सरकार की ऋण संबंधी विदेशी देनदारी का विवरण

सबसे बड़े दस दाता देश/संस्थाएं

(करोड़ रुपये)

क्रम संख्या	देश/संस्था का नाम	राशि	
1	2	3	
1.	विश्व बैंक		
	(1) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ	4908.75	5453.65
	(2) अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक	544.90	
2.	संयुक्त राज्य अमेरिका	2880.33	
3.	जर्मन संघीय गणराज्य	1377.47	
4.	जापान	1045.05	
5.	ब्रिटेन	763.34	
6.	ईरान	750.65	
7.	अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष न्यास निधि	560.90	
8.	नीदरलैण्ड	552.08	
9.	कनाडा	448.64	
10.	फ्रांस	332.81	

विवरण—दो

31-12-81 को सरकारी खाते के बकाया ऋणों के संबंध में की जाने वाली मूलधन और ब्याज की वापसी अदायगियों का विवरण

(करोड़ रुपये)

वर्ष	मूलधन की वापसी अदायगी	ब्याज की अदायगी	कुल राशि
1	2	3	4
1981-82	488.45	281.88	770.33
1982-83	558.04	304.65	862.69
1983-84	545.03	264.14	809.17
1984-85	526.32	249.47	775.79
1985-86	665.97	237.92	903.89
1986-87	684.96	223.61	908.57

निर्यात वायदों को पूरा करने के लिए इण्डियन इन्जीनियरी इंडस्ट्री के लिए आधारभूत सुविधाएं

3056. **श्री चिंगवांग कोन्याक :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री ने निर्यात वायदों को पूरा करने के विचार से आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) क्या यह सच है कि भारत का विश्व इंजीनियरिंग में निर्यात नहीं बढ़ा है यदि हां, तो सम्बन्धित आंकड़े क्या हैं;

(ग) निर्यात के विकास और विस्तार हेतु सरकार द्वारा आवश्यक आदान प्रदान करने के लिये क्या प्रयास किये जा रहे हैं; और

(घ) क्या निर्यात को बढ़ावा देने के लिये किन्हीं भौगोलिक क्षेत्रों और विशिष्ट इंजीनियरिंग सामान को चुना गया है यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा): (क) जी हां।

(ख) जी हां।

इंजीनियरी माल के विश्व निर्यात तथा उनमें भारत के अंश के ब्यौरे निम्नोक्त प्रकार हैं :

वर्ष	इंजीनियरी माल के विश्व निर्यात (अमरीकी डालर बिलियन में)	भारत का अंश
1975	278·77	·18
1976	317·17	·21
1977	365·70	·21
1978	436·45	·20
1979	506·30	·18

(ग) इंजीनियरी उद्योग के निर्यात के विकास और विस्तार के लिये अन्तर्निदिष्टों की व्यवस्था करने हेतु सरकार ने निम्नलिखित उपाय किये हैं :

(1) इंजीनियरी निर्यातकों को प्राथमिकता के आधार पर इस्पात और कच्चे लोहे की सप्लाई करने की योजना चल रही है। 1981-82 में निर्यात आर्डर रखने वाले इंजीनियरी निर्यातकों की सप्लाई करने के लिये 330,000 मे० टन इस्पात और 140,000 मे० टन कच्चे लोहे की मात्रा निर्धारित की गई है।

(2) फरवरी, 1981 में घरेलू इस्पात की कीमतें बढ़ाई गईं। यह निश्चय किया गया कि प्रचलित संविदाओं के सम्बन्ध में इस्पात और कच्चे लोहे की वृद्धि पूर्व कीमत और वृद्धि पश्चात कीमत के बीच के अन्तर की राशि निर्यातकों को वापिस कर दी जायेगी। अन्य संविदाओं के सम्बन्ध में यह निश्चय किया गया है कि निर्यातकों को अपनी आवश्यकता के अनुसार इस्पात अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर मिलेगा। घरेलू कीमत और अन्तर्राष्ट्रीय कीमत के बीच की राशि निर्यातकों को निर्यात कर दिये जाने के बाद वापस की जायेगी।

(3) अधिक उत्पादन को सुकर बनाने के लिये यह निश्चय किया गया है कि निर्यात के लिये उत्पादन की औद्योगिक एककों की लाइसेंसशुदा क्षमता के बाहर रखा जायेगा ।

(4) आयात शुल्क छूट सहित अग्रिम आयात लाइसेंस देने की योजना चल रही है जिससे निर्यात उत्पादन के लिये अपेक्षित आवश्यक कच्चे माल के आयात में सुविधा हो जाती है । इंजीनियरी माल के लिये अपेक्षित बड़ी संख्या में मदों को इस योजना में शामिल किया जाता है ।

(5) जब कभी आवश्यक समझा जाता है, प्रौद्योगिकी के आयात की अनुमति दी जाती है ।

(6) जो एकक अपने समस्त उत्पादन का आयात करने का वचन देते हैं, उनको आकर्षक सुविधाएं देने के लिये हाल ही में शत प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों की योजन आरम्भ की गई है ।

(7) मध्यावधि तथा दीर्घावधि निर्यात वित्त की व्यवस्था करने के लिये निर्यात आयात बैंक स्थापित किया गया है ।

(घ) जी हां । इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद, कलकत्ता ने विशेष अभियान के लिये कुछ देशों और कुछ उत्पादों को चुना है । देशों और उत्पादों की सूची विवरण रूप में संलग्न है ।

विवरण

1. इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा विशेष अभियान के लिये चुने गये देश ।

विकसित देश

आस्ट्रेलिया
फ्रांस
जर्मन संघीय गणराज्य
ब्रिटेन
संयुक्त राज्य अमरीका
सोवियत संघ

विकासशील देश

दक्षिण पूर्व एशिया

इण्डोनेशिया
मलयेशिया
श्रीलंका

पश्चिम एशिया

ईरान
इराक
लीबिया
सउदी अरब

अफ्रीका
आइवरी कोस्ट
कीनिया
नाइजीरिया
तंजानिया
उगांडा
जेयरे
जाम्बिया
जिम्बाबवे

2. इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा विशेष अभियान के लिये चुनी गई मदें :

क. पूंजीगत माल तथा टर्नकी परियोजनाएं

1. औद्योगिक संयंत्र तथा मशीनरी
   क. वस्त्र मशीनें
   ख. चीनी मशीनें
   ग. सीमेंट मशीनें
   घ. खाद्य प्रोसेसिंग
   ङ. हीटिंग तथा कूलिंग उपकरण
   च. अन्य (एक्सकैवेटर, ट्रैक्टर तथा अर्थ मूविंग उपकरणों को मिलाकर)।
2. इलैक्ट्रिकल पावर मशीनें तथा स्विचगियर
3. ट्रांसमिशन लाइन टावर्स तथा पोल्स।
4. इस्तपात के ढांचे (फैब्रिकेटिड)
   क. वायलर्स, प्रैशर वैसल्स, हीट एक्सचेंजर
   ख. क्रेन तथा लिफ्ट
   ग. अन्य ढांचे
5. वेगन एवं कोचें
6. पूर्ण गाड़ियां
7. मशीनी औजार

ख. इस्पात तथा कच्चे लोहे से बनी वस्तुएं

1. इस्पात की छड़ें तथा ट्यूबें
2. ब्राइट वार्स
3. तार से बनी वस्तुएं
4. औद्योगिक फासनर
5. तार के रस्से
6. सेनिटरी कास्टिंग्स
7. औद्योगिक कास्टिंग्स

ग. उपभोक्ता वस्तुएं

1. मोटरगाड़ियों के पुर्जे ।
2. बाइसिकल तथा बाइसिकल के हिस्से ।
3. हाथ के, छोटे तथा कटिंग औजार ।
4. डीजल इंजन तथा कम्प्रैसर ।
5. यांत्रिक पम्प ।
6. बिजली के पंखे तथा हिस्से ।
7. इलैक्ट्रोनिक कम्पोनैंट्स तथा सिस्टम्स ।
8. स्टोरेज बैटरियां ।
9. वैज्ञानिक तथा शल्य चिकित्सा सम्बन्धी उपकरण ।

जूट के लिए गोदामों की श्रृंखला की स्थापना हेतु योजना

3057. **श्री रेणुपद दास : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जूट कार्पोरेशन आफ इंडिया ने कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के अन्तर्गत जूट के लिये गोदामों की एक श्रृंखला स्थापित करने की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत अब तक प्राप्त परिणामों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) अपने स्वयं के निर्माण कार्यक्रम शुरू करने के उद्देश्य से भारतीय पटसन निगम द्वारा भारतीय खाद्य निगम की योजना के अनुसार कृषि पुनर्वित्त तथा विकास निगम योजना के अन्तर्गत पटसन तथा मेस्टा उत्पादक राज्यों में कतिपय चुनिन्दा केन्द्रों में 5 से 6 लाख गांठों की कुल क्षमता वाली गोदाम श्रृंखला इच्छुक गैर-सरकारी संस्थाओं/पार्टियों द्वारा निर्माण के लिये एक योजना बनाई गई । योजना भारतीय पटसन निगम के निदेशक बोर्ड द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन 25-1-82 को हुई अपनी बैठक में अनुमोदित की जा चुकी है :

(1) भारतीय पटसन निगम द्वारा कोई पूंजी निवेश नहीं किया जाएगा; और

(2) भारतीय पटसन निगम की वित्तीय वचनबद्धता गोदामों की गारंटीयुक्त धारिता अवधि के लिये किराया दायित्व तक सीमित होगी;

भारतीय पटसन निगम ने यथावश्यक संशोधन के साथ योजना के औपचारिक क्लियरेंस के लिये कृषि पुनर्वित्त तथा विकास निगम से सम्पर्क किया है ।

अफ्रीकी देशों को दीर्घकालीन ऋण देने का प्रभाव

3058. **श्री एस० बी० सिदनाल : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारत से अफ्रीकी देशों द्वारा इंजीनियरिंग सामान के आयात के लिए वित्तीय सहायता देने की दृष्टि से अफ्रीकी देशों को दीर्घकालीन ऋण देने के लिये योजनायें बनाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुकर्जी) : (क) और (ख) भारत सरकार, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा वाणिज्यिक बैंकों के साथ-साथ, जिनको निर्यात ऋण गारंटी निगम की हामीदारी प्राप्त है, भारत से वस्तुओं के आयात की वित्त-व्यवस्था के लिए अफ्रीकी देशों को ऋण देती रही है।

इन देशों में विद्यमान संभावित बाजारों में माल की बिक्री करने के लिए तथा इस क्षेत्र में हमारे व्यापार तथा संयुक्त उद्यमों का विकास करने के लिए यह फैसला किया गया है कि :—

(1) अमरीका में चुने हुए बाजारों में निर्यात के सघन प्रयास किए जाने चाहिए;

(2) इन क्षेत्रों के लिए चयनात्मक आधार पर उपभोक्ता वस्तुओं के निर्यात के लिए 365 दिनों का ऋण दिया जाना चाहिए;

(3) इन क्षेत्रों से होने वाले आयात को निर्यात से आबद्ध करने की संभावनाओं का पता लगाया जाना चाहिए; और

(4) निर्यात वित्त-व्यवस्था को प्राथमिकता प्राप्त कार्य के रूप में लिया जाना चाहिए।

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा ओवरड्राफ्ट

3059. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल सरकार की ओर जनवरी 1982 के अंत में कितना बकाया ओवरड्राफ्ट है;

(ख) क्या इस संबंध में केन्द्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार के दावों के बीच में कोई अन्तर है; और

(ग) यदि हां, तो इस अन्तर के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुकर्जी) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार के ओवरड्राफ्ट 30 जनवरी, 1982 को 256.51 करोड़ रुपये के थे। 31 जनवरी, 1982 को रविवार होने के कारण छुट्टी थी।

(ख) और (ग) ओवरड्राफ्टों की मात्रा के बारे मे पश्चिम बंगाल सरकार की आशंकाओं से भारतीय रिजर्व बैंक को अवगत कराया गया था। इस मामले की पूर्ण रूप से पुनः जांच करने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया कि भारतीय रिजर्व बैंक के कलकत्ता कार्यालय में अस्थाई तौर पर कार्य के अस्त व्यस्त हो जाने के कारण उस कार्यालय में खातों में अधिशेष संबंधी-कार्य जमा हो गया था। इस प्रकार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्य सरकार को पहले बताई गई ओवरड्राफ्ट की स्थिति कलकत्ता कार्यालय में रिकार्ड किये गए अद्यतन उपलब्ध अधिशेष पर आधारित थी। इसके बाद बैंक ने इस सैद्धान्तिक आधार पर पुनः रचना की कि यदि कलकत्ता कार्यालय में गड़बड़ी न होती और बिना किसी विलम्ब के सभी बैंकों को सामान्य रूप से राज्य सरकार के खाते में जमा कर दिया गया होता तो पश्चिम बंगाल सरकार के अधिशेषों की स्थिति क्या होती। इस प्रकार पुनः रचना की गई स्थिति बैंक ने पहले ही 15 दिसम्बर, 1981 को राज्य सरकार को सूचित कर दी है। यह स्थिति पश्चिम बंगाल के वित्त मन्त्री को भी स्पष्ट कर दी गई है।

तिब्बत में चीनी जवान को तैनात करना

3060. श्री कृष्ण कुमार गोयल
श्री चिन्तामणी जैना
श्री के० मलन्ना
श्री अनन्त रामुलु मल्लु
श्री एन० ई० होरो
श्री जी० वाई० कृष्णन
श्री अर्जुन सेठी
: क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस प्रेस रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है कि तिब्बत में पांच लाख चीनी जवान तैनात हैं और वहां बड़ी संख्या में हवाई पट्टियां तथा रडार केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं; और वहां एक मिसाइल अड्डे का भी विकास किया जा रहा है जिसके पूरे होने पर एशिया के कई देश, भारत सहित, चीनी मिसाइलों के आक्रमण क्षेत्र में आ जायेंगे; और

(ख) यदि हां, तो इन प्रेस रिपोर्टों पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन): (क) जी हां।

(ख) इस बारे में ऐसी कोई विश्वसनीय सूचना नहीं है जिससे पता चल सके कि तिब्बत में चीनी प्रक्षेपास्त्र या हवाई क्षमताओं में हाल में कोई वृद्धि की गई है या इस क्षेत्र में अतिरिक्त सेनाएं तैनात की गई हैं जिनसे भारत की सुरक्षा के लिए कोई नया खतरा पैदा हो सकता है।

मछली उद्योग में संकट

3061. **श्रीमती संयोगिता राणे** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मछली उद्योग गम्भीर संकटों का सामना कर रहा है और उसने निर्यात बढ़ाने के लिए सहायता और प्रोत्साहन की मांग की है;

(ख) मछली उद्योग ने गत तीन वर्षों में कितनी तथा कितने मूल्यों की मछली निर्यात की ;

(ग) इस उद्योग को क्या सहायता दी जाती है ताकि वह अपनी निर्यात आय में वृद्धि कर सके; और

(घ) क्या सरकार का समुद्री खाद्य पदार्थ उद्योग द्वारा दिये गये अभ्यावेदन पर कार्यवाही करने का विचार है; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा): (क) से (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान समुद्री उत्पादों के निर्यात निम्नोक्त प्रकार रहे :

वर्ष	मात्रा (मे० टन में)	मूल्य (करोड़ रु०)
1978-79	86894	234.62
1979-80	86401	248.82
1980-81	75591	234.84

चालू वर्ष के अन्तिम आंकड़ों के अनुसार अप्रैल-दिसम्बर, 1981 की अवधि के दौरान भारत से 210.27 करोड़ रु० के निर्यात हुए जब कि पिछले वर्ष की उसी अवधि के दौरान 162.27

करोड़ रु० के निर्यात हुए थे। यह दृष्टव्य है कि मूल्य की दृष्टि से चालू वर्ष के दौरान निर्यातों में वृद्धि का रुख रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में समुद्री उत्पादों के लिये उचित कीमत सुनिश्चित करने की दृष्टि से सरकार ने समुद्री उत्पादों की क्वालिटी में सुधार लाने, उत्पाद विकास, बाजार विविधीकरण, उत्पाद विविधीकरण आदि के लिये अनेक योजनाएं आरम्भ की है। वाणिज्य मन्त्रालय ने निर्यात बढ़ाने के मार्गोपायों का सुझाव देने के लिये एक टास्क फोर्स स्थापित किया है।

भारत के बाहर यात्री व माल सेवा चलाने वाली कम्पनियां

3062. **डा० वसंत कुमार पंडित** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स के अलावा कोई अन्य भारतीय पंजीकृत विमानन कम्पनी भारत के बाहर यात्री एवं माल ले जाने की सेवा चला रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक कम्पनी के नाम क्या हैं तथा गत तीन वर्षों के दौरान कितना माल एवं यात्री यातायात किया गया और किन-किन देशों को किया गया;

(ग) क्या सरकार या एयर इंडिया या इंडियन एयरलाइन्स को उनके विमान अधिकारों के अतिक्रमण के लिए कोई "ओवर राइडिंग कमीशन" या सीमा क्षेत्र शुल्क (एवरेज) मिलता है; और

(घ) इन कम्पनियों को राज्य के स्वामित्व वाली एयरलाइनों से स्वतंत्र रूप में कार्य करने देने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा): (क) जी, हां।

(ख) 1. मैसर्स पुष्पक एविएशन (प्रा०) लिमिटेड, बम्बई।

2. मैसर्स हंस एयर (प्रा०) लिमिटेड, बम्बई।

उपर्युक्त दोनों कम्पनियां बम्बई-शारजाह-बम्बई सैक्टर पर परिचालन कर रही हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान इनके द्वारा वहन किये गये कार्गो/यात्री यातायात के सम्बन्ध में आंकड़े एकत्रित किये जा रहे हैं तथा कुछ समय बाद प्रस्तुत कर दिये जायेंगे।

(ग) और (घ) मैसर्स पुष्पक एविएशन तथा मैसर्स हंस एयर, एयर-इंडिया की सहयोगी कम्पनियों के रूप में परिचालन कर रहे हैं। मैसर्स पुष्पक एविएशन को बम्बई तथा शारजाह के बीच प्रत्येक "राउण्ड ट्रिप" उड़ान के लिये एयर इंडिया को 2000/- रुपये की रॉयल्टी तथा मैसर्स हंस एयर को बम्बई-शारजाह के बीच प्रत्येक "राउण्ड ट्रिप" उड़ान के लिये 1000/- रुपये की रायल्टी देनी होती है।

"पाकिस्तान इज गोइंग टू कंस्ट्रक्ट सेवन मोर एयरपोर्टस" शीर्षक समाचार

3063. **श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 12 फरवरी, 1982 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि पाकिस्तान सात और हवाई अड्डे बनाने जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो ये हवाई अड्डे किन स्थानों पर बनाये जायेंगे;

(ग) पाकिस्तान द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान कितने नये हवाई अड्डे किन स्थानों पर बनाये गये;

(घ) पाकिस्तान में बढ़ती हुई सैनिक गतिविधियों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) देश की सुरक्षा बनाये रखने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन): (क) से (ङ) जी हां। सरकार को पाकिस्तान में हवाई अड्डों के निर्माण/सुधार के बारे में पाकिस्तान सरकार के कार्यक्रमों की जानकारी है। फिर भी, इस तरह की गतिविधियों से सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव को सरकार पूरी तरह से ध्यान में रखती है और राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में आवश्यक उपयुक्त कार्रवाई करती है। इस बारे में और ब्यौरे प्रकट करना लोक हित में नहीं है।

छोटे पैमाने के उद्योगों को उत्पाद शुल्क में छूट देना

3064. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन छोटे पैमाने के उद्योगों के नाम क्या हैं जिनको उत्पाद-शुल्क से पूर्णतः मुक्त किया गया है तथा ये उद्योग कौन हैं जो अपने उत्पादन पर 72% छूट लेते हैं; और

(ख) लघु उद्योगों को दिये जाने वाले वित्तीय और आर्थिक प्रोत्साहनों का स्वरूप क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) प्रश्न के इस भाग में मांगी गई सूचना स्पष्ट नहीं है। इस समय लघु निर्माताओं द्वारा उत्पादित शुल्कय माल के लिए एक से अधिक केन्द्रीय उत्पादन शुल्क छूट योजनाएं हैं। इस समय सत्तर वस्तुओं के समूह पर लागू एक ऐसी ही छूट योजना के अन्तर्गत, किसी वित्त वर्ष में 7.5 लाख रुपये तक की निकासी के लिए केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से पूरी छूट दी गयी है। वातित जल और संश्लिष्ट कार्बनिक रंजक सामग्रियों के सम्बन्ध में अलग-अलग छूट योजनाएं हैं, जिनके अन्तर्गत किसी वित्त वर्ष में निकासी की निर्धारित सीमाओं के सम्बन्ध में शुल्क से पूरी छूट दी गयी है। लघु-निर्माताओं द्वारा उत्पादित माल की, जो केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ की मद संख्या 68 के अन्तर्गत आता है, किसी वित्त वर्ष में 30 लाख रुपये तक की निकासी पर भी केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से पूरी छूट दी गयी है।

(ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और उसे यथासमय सदन-पटल पर रख दिया जायगा।

एयर इण्डिया की उड़ानों में बिलम्ब के कारण दोपहर/रात्रि भोजन पर खर्च

3065. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया को विदेशों में अपनी नियमित उड़ानों के विलम्ब से पहुंचने के कारण यात्रियों के दोपहर और रात्रि के भोजन पर अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है जिसके कारण एयर इण्डिया को वित्तीय नुकसान होता है;

(ख) यदि हां, तो एयर इण्डिया की नियमित उड़ानों में विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या एयर इण्डिया ने सम्बन्धित देशों के शहरों में उड़ानों में विलम्ब और देर से उतरने के कारण, अपनी विश्वसनीयता और सद्भाव खो दिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हां ! एयर इण्डिया देरी की अवधि तथा उड़ान के वास्तविक आगमन/प्रस्थान समय को दृष्टि में रखकर, विलम्बित उड़ानों के यात्रियों को दोपहर/रात्रि का भोजन देती है । विलम्बित उड़ानों के यात्रियों को दिए गए दोपहर/रात्रि के भोजन के खर्च के बारे में कोई अलग लेखा नहीं रखा जाता है ।

(ख) नियमित उड़ानों में विलम्ब निम्नलिखित कारणों से हो सकता है:—

(1) खराब मौसम परिस्थिति;

(2) विमान में तकनीकी खराबियां;

(3) सीमान्त औपचारिकताओं अथवा अपर्याप्त विमान क्षेत्र सुविधाओं के कारण यात्रियों के "क्लीयरैंस" में लगा समय;

(4) यात्रियों के ग्रुपों द्वारा देर से पहुंचना;

(5) विमान यातायात नियन्त्रण द्वारा विमान को "क्लीयरैंस" न दिया जाना; तथा

(6) सुरक्षा सम्बन्धी कारण जैसे बम की धमकियां ।

(ग) एयर इण्डिया उड़ानों की नियमितता को सुनिश्चित करने के लिए सतत प्रयत्न करती है तथा देरियों को कम करने के लिए कदम उठाये जाते हैं और समय-पालन में सुधार करने के उपायों का अध्ययन करने के लिए विलम्बों सम्बन्धी/एयर-इण्डिया की एक वरिष्ठ/स्तरीय समिति नियमित रूप से बैठकें करती है ।

भारत से चमड़ा उत्पादकों का आयात करने वाला देश

3066. **श्री एम० एम० लारेंस** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में निर्मित चमड़ा उत्पादों का आयात करने वाले देशों के नाम क्या हैं;

(ख) गत 5 वर्षों (1977 से शुरू होकर) के दौरान आयात का देशवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश के निर्मित चमड़ा उत्पादों के निर्यातक सहित 1977 से पांच वर्ष में उत्पादकों को दी गई राजसहायता का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) : एक विवरण संलग्न है ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल टी 3533/82]

(ग) 1977-78 से तैयार चमड़े तथा चमड़े की वस्तुओं के निर्यात पर दी गई मुआवजा सहायता, जिसमें हवाई भाड़ा उपदान भी शामिल है, निम्नोक्त प्रकार है :—

वर्ष	लाख रु० में
1977-78	2291.19
1978-79	3485.17
1979-80	4460.58
1980-81+	4004.81
1981-82 (अप्रैल से अक्तूबर, 1981) +	2762.25

अनन्तिम ।

20 सूत्रीय कार्यक्रम का कार्यान्वयन

3067. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंकों ने प्रधान म क्रम के मद सं० 3 "सम्पूर्ण ग्रामीण विकास राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार का विस्तारित करना" को कार्यान्वित करने के लिए कोई ठोस योजना बनाई

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और भारतीय रिजर्व बैंक त इस मद को प्रभावकारी ढंग से कार्यान्वित करके इसके उद्देश्यों और लक्ष्यों का निर्णय किया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) ग्रामीण विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के काय कारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा सहायता दिए जाने के सम्बन्ध में भारतीय रि पर अनुदेश जारी करता है। ये अनुदेश, अन्य बातों के साथ-साथ, ल सायों और स्कीमों आदि को निर्धारित करने के लिए विभिन्न राज्य स्तर व समन्वय करने और ऋण आवेदनपत्रों के त्वरित निपटारे को सुनिश्चित व बैंकों को प्रतिभूति मानदंडों में ढील देने और ऋणों के उपभोग के सम्बन्ध में अनुवर्ती कार्यवाही सुनिश्चित करने की भी सलाह दी गयी है। इन कार्यक्रमों क्षेत्र के बैंकों के कार्य निष्पादन पर सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक रखी जाती है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम आदि को विभिन्न ऋण स सहायता की मात्रा की समीक्षा करने और जहां आवश्यक हो वहां सभी सम के लिए योजना आयोग के सदस्य-सचिव की अध्यक्षता में सरकार द्वारा एक भी गठित की गयी है।

'यार्न इम्पोर्ट ए थ्रेट टू उड़ीसा सेरीकल्चर' शीर्षक समाचार

3068. **श्री शिव शरण वर्मा** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 फरवरी, 1982 के टाइम्स आफ इं ए थ्रेट टू उड़ीसा सेरीकल्चर" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है जि का निर्यात बढ़ाने के लिए उच्च कोटि के कच्चे रेशम के आयात की छूट देने केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा विचार किया जा रहा है जब कि चीन के रेशम से की अधिक उपलब्धता के कारण देशी रेशम उद्योग को देशी बा ार में कड़ी प्र करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) जनजातियों के हित की रक्षा के लिए की गई कार्यवाही त क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (टसर रेशम का उत्पादन होता है और आयात नीति के अन्तर्गत टसर कच्चे निर्यातित रेशम फैब्रिक्स के एफ. ओ० बी० मूल्य के केवल 1 प्रतिशत की अ के अन्तर्गत स्वदेशी टसर रेशम उद्योग को काफी संरक्षण प्राप्त है।

हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड द्वारा तीसरी पार्टी को निर्यात

3069. **श्री नारायण चौबे** : क्या वित्त मंत्री मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर के बारे में 11 दिसम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3374 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ब्रिटेन की यूनीलीवर लिमिटेड की सहायता कंपनी हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के विरुद्ध भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति लिए बिना तीसरी पार्टी को निर्यात करने के लिए इस समय कोई कार्यवाही कर रही है ;

(ख) क्या उक्त कंपनी में अधिकांश विदेशी होल्डिंग के अवधारण के संबंध में अन्तःमंत्रालीय निर्णय किया गया है ;

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह निर्णय किस आधार पर किया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या करण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) (क) से (घ) : यह मामला अभी भी विचाराधीन है क्योंकि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के मार्गनिर्देशों के अधीन 51 प्रतिशत अनिवासी इक्विटी के अवधारण के लिए कंपनी द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर कोई निर्णय नहीं किया गया है । यद्यपि अन्तः मंत्रालयिक परामर्श के कारण इस मामले में कुछ विलम्ब हुआ है लेकिन आशा है कि अन्तिम निर्णय शीघ्र ही ले लिया जाएगा ।

वित्त मंत्री की कृषि क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ बैठक

3070. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्होंने हाल में कृषि क्षेत्र के प्रतिनिधियों की कोई बैठक बुलाई थी; और

(ख) यदि हां, तो बातचीत का ब्यौरा क्या है और इस क्षेत्र में उत्पादन को सुधारने की दृष्टि से प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए सुझाव क्या हैं तथा सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) जी, हां ।

(ख) चर्चा अनौपचारिक थी और अनेक विषयों के संबंध में की गई थी । कृषि समुदाय के प्रतिनिधियों द्वारा जो सुझाव दिए गए थे उनमें ये सुझाव शामिल थे अर्थात् कृषि के काम जाने वाली निवेश्य वस्तुओं की व्यवस्था में आने वाली बाधाओं को दूर किया जाए, छोटे किसानों और भूमिहीन कृषि श्रमिकों की ओर विशेष ध्यान दिया जाए । न्यूनतम वेतन कानून का अधिक प्रभावकारी ढंग से क्रियान्वयन किया जाए, निवेश्य वस्तुओं और कृषि वस्तुओं के लिए यथार्थवादी मूल्य नीति रखी जाए, बिचौलियों को जो उत्पादकों का शोषण करते हैं, धीरे-धीरे हटाया जाए, कृषि ऋण नीति को उदार बनाया जाए, कृषि ऋणों के ब्याज की दरों में कमी की जाए, फसल और पशुओं का बीमा किया जाए तथा कृषि वस्तुओं आदि के लिए स्थाई निर्यात नीति बनाई जाए ।

20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत हथकरघा बुनकरों की दशा में सुधार करना

3071 **श्री जैनुल बशर**: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हथकरघा बुनकरों की दशा सुधारने लिए पुन: 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई योजन चालू की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जाएगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां।

(ख) निम्नलिखित योजनाएं आरम्भ की गई हैं :

(1) नई सहकारी समितियों की स्थापना तथा निष्क्रिय सहकारी समितियों को पुनर्जीवित करके छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सहकारी कवरेज को 60 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिये राज्य सरकारों को सहायता देना।

(2) शीर्ष विपणन समितियों को शेयर पूंजी सहायता देना ताकि वे उत्पादन तथा विपणन दोनों में और अधिक प्रभावी भूमिका अदा कर सकें।

(3) बुनकर सहकारी समितियों का प्रबन्धकीय उपदान।

(4) सहकारी क्षेत्र में करघों के आधुनिकीकरण के लिये सहायता।

(5) सहाकारी क्षेत्र के बाहर के बुनकरों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए राज्य हथकरघा विकास निगम को शेयर पूंजी सहायता।

(6) करघा पूर्व तथा करघा पश्चात प्रोसेसिंग सुविधाओं के सृजन के लिए सहायता।

(7) सहकारी क्षेत्र के बाहर के बुनकरों के लिये गहन विकास परियोजनाएं तथा निर्यात उत्पादन परियोजनाएं।

(8) हथकरघा बुनकर सहकारी कताई मिलों की स्थापना के लिये राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की मार्फत सहायता।

(9) बुनकरों को नये डिजाइन विकसित करने तथा अपनी तकनीकी कुशलता में सुधार लाने के लिए अधिक प्रभावी तथा समय पर सहायता देने की दृष्टि से बुनकर सेवा केन्द्रों तथा हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के कार्यों को सुदृढ़ एवं तीव्र करना।

(10) बुनकरों को लगातार रोजगार देने तथा समाज के कमजोर वर्गों को सस्ता कपड़ा प्रदान करने के लिए हथकरघा जनता कपड़ा योजना।

हथकरघा बुनकरों को अन्तर्निविष्ट साधनों की सप्लाई की व्यवस्था करने तथा तैयार उत्पादों के विपणन के लिये राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम की स्थापना की प्रस्थापना सरकार के विचाराधीन है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

चाय उद्योग में संकट

3072. **श्री जेवियर अराकल** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चाय उद्योग में गम्भीर संकटों के बारे में जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र तथा सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा किये गये उपाय क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि उत्पादन शुल्क में छूट और अन्य राहत किसानों अथवा उत्पादकों के बजाय निर्यातकों को मिलती हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) चाय उद्योग काफी कठिन समय से गुजर रहा है।

(ख) अगस्त 1981 में नई दिल्ली में चाय उद्योग के राष्ट्रीय सम्मेलन ने केन्द्र और राज्य स्तरों पर अनेक वित्तीय राहतों की सिफारिश की थी। पुनर्रोपण उपदान की दरों में वृद्धि करने, आयकर अधिनियम के अन्तर्गत विकास भत्ते के लिये धनराशि बढ़ाने और निगमित कर सम्बन्धी प्रभार घटाने के लिये, सरकार द्वारा पहले से उठाए गये कदमों के अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार ने चाय के निर्यातों के लिये उत्पादन शुल्क छूट योजना और कतिपय क्षेत्रों के लिये चाय पर आधारभूत उत्पादन शुल्क भी कम करने की घोषणा की है। निर्यात के लिये चाय की पेटियों में प्रयोग किये जाने वाले पैकेजिंग माल पर उत्पादन और सीमा शुल्क वापसी की भी अनुमति दी गई है। केरल और तमिलनाडु सरकारों ने चाय की बिक्री पर से बिक्री कर कम कर दिया है। केरल सरकार ने चाय बागानों में प्रयोग किये जाने वाले उर्वरकों पर बिक्री कर भी समाप्त कर दिया है और घोषणा की है कि चाय पर बागान कर बढ़ी हुई दरों पर वसूल न करके, संशोधन से पूर्व की दरों पर ही वसूल किया जाएगा।

राज्य सरकरों और केन्द्रीय सरकार के सम्बन्धित विभागों के साथ चाय उद्योग सम्बन्धी राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्यवाही करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में एक उप-समूह का गठन किया है।

(ग) केन्द्रीय सरकार की उत्पादन शुल्क छूट चाय के निर्यातकों को दी जाती है जिसमें उत्पादक निर्यातक शामिल हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के कानपुर डिवीजन में अप्रयुक्त तथा अल्प प्रयुक्त क्षमता

3073. **श्री हन्नान मोल्लाह:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में हाल (हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड) में कानपुर डिवीजन में अप्रयुक्त क्षमता तथा अल्प प्रयुक्त क्षमता के परिणामस्वरूप कितने जन दिवसों की हानि हुई;

(ख) इसे कितनी वित्तीय हानि हुई;

(ग) क्या इस डिवीजन को पूर्ण क्षमता का उपयोग करने के लिए जब काफी क्रयादेश प्राप्त हैं, और उसकी भावी निर्माण योजनायें क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) लगभग 27 लाख मानव घंटे।

(ख) पिछले पांच वर्षों में कुल हानि, लगभग 1.32 करोड़ रुपये की हुई है ।

(ग) और (घ) : जी नहीं । फिर भी क्षमता का अधिक से अधिक उपयोग करने के उद्देश्य से डिवीजन के लिए अतिरिक्त आर्डर मुहैय्या कराने के अनेक उपाय किए किए जा रहे हैं ।

"आपरेशन फारवर्ड शीर्षक" सम्पादकीय लेख

3074. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 फरवरी, 1982 के "नवभारत टाइम्स" में प्रकाशित "आपरेशन फारवर्ड" शीर्षक में सम्पादकीय टिप्पणी की ओर दिलाया गया है :

(ख) यदि हां, तो क्या लगभग 170 केन्द्रीय सरकारो क्षेत्र इकाइयों में लगे 20,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश से इस वर्ष केवल 48 करोड़ रुपया का लाभ हुआ है;

(ग) क्या संस्थापित क्षमता का पूरा उपयोग विद्युत, कोयला, और परिवहन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अब भी नहीं हो पा रहा है और जहां नयी परियोजनाओं में बहुत धन का निवेश किया जा रहा है, वहां लगभग सभी परियोजना समय-सूची से पीछे हैं, उपरोक्त में प्रत्येक में विस्तृत कारण क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्यनिष्पादन को सुधारने के लिये सब से अधिक प्राथमिकता देने के निदेश दिये हैं, यदि हां, तो उन निदेशों का ब्यौरा क्या है तथा उनका क्या प्रभाव पड़ा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) : 11 फरवरी 1982 के टाइम्स आफ इण्डिया में प्रकाशित "आपरेशन फारवर्ड" शीर्षक में सम्पादकीय टिप्पणी में सही रूप से उल्लिखित है कि प्राप्त अनन्तिम सूचना के आधार पर केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 170 उद्यमों ने 30-9-1981 को कार्यचालन पूंजी सहित कुल लगी पूंजी को लगभग 19652 करोड़ रुपये की अनुमानित राशि पर 1981-82 को पहली छमाही में लगभग 48 करोड़ रुपये का अनुमानित निबल लाभ कमाया है ।

(ग): विवरण संलग्न है ।

(घ) नये बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत एक सूत्र यह है कि कार्यनिष्पादन को विशेषकर कार्य कुशलता, क्षमता का उपयोग और आन्तरिक संसाधनों का उत्पादन बढ़ाकर बेहतर बनाया जाय । इसके अतिरिक्त 1982 को उत्पादकता वर्ष घोषित किया गया है। प्रशासनिक मंत्रालयों तथा सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के प्रबन्धकों को इनकी ओर विशेष ध्यान देने की सलाह दी गई है । इस वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में उत्पादन, उत्पादकता एवं लाभकारिता में निरन्तर सुधार हुआ है ।

विवरण

कोयला और परिवहन क्षेत्र के केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में संस्थापित क्षमता का सरलता निर्धारण संभव नहीं है ।

विद्युत क्षेत्र में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में संस्थापित क्षमता केवल राष्ट्रीय ताप बिजली निगम के बदरपुर ताप बिजलीघर के मामले में सुसंगत है। राष्ट्रीय ताप बिजली निगम के अन्य संयंत्र अभी निर्माणाधीन हैं। बदरपुर ताप बिजली घर के कार्य-निष्पादन का सुधार दिखायी पड़ा है।

केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के कोयला उत्पादक उद्यमों में उत्पादन में वृद्धि हुई है, जैसा कि निम्नलिखित आँकड़ों से स्पष्ट है:

कोल इण्डिया लि० में कोयले का उत्पादन	
अप्रैल से दिसम्बर 1980 तक	685.86 लाख टन
अप्रैल से दिसम्बर 1981 तक	763.06 लाख टन
नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन में उत्पादन	
अप्रैल से दिसम्बर 1980 तक	35 लाख टन
अप्रैल से दिसम्बर 1981 तक	43 लाख टन

परिवहन क्षेत्र के केन्द्रीय सरकारी उद्यमों, अर्थात् इण्डियन एअर लाइन्स, एअर-इण्डिया, भारतीय नौवहन निगम, मुगल लाइन्स लि०, दिल्ली परिवहन निगम में राजस्व टन किली मीटर के रूप में उत्पादन, ढोया गया माल, ढोये गये यात्री आदि में कोई गिरावट नहीं दिखलाई पड़ी है।

कोयला क्षेत्र की कुछ परियोजनाओं में लागत और समय में काफी वृद्धि दिखलाई पड़ी है। इनके बारे में छान-बीन की गई है तथा इनके प्रबन्धकों को समुचित कार्रवाई करने की सलाह दी गई है। यह वृद्धि अन्य कारणों के साथ-साथ उपस्कर की खरीद, भूमि अभिग्रहण आदि में विलम्ब के कारण हुई है। परिवहन क्षेत्र के केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में समय एवं लागत में कोई खास वृद्धि नहीं हुई है।

बीस सूत्री कार्यक्रम के बीसवें मुद्दे का क्रियान्वित किया जाना

3075. **श्री आर० प्रभु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रधान मंत्री द्वारा घोषित 20 सूत्री कार्यक्रम के 20वें मुद्दे, जो आन्तरिक साधनों की कार्य कुशलता, क्षमता, उपयोगिता और उत्पादकता बढ़ाकर सरकारी उद्यमों के कार्यकरण को सुधारने से संबंधित है, को क्रियान्वित करने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा क्या विशिष्ट उपाय किये जाने का प्रस्ताव है

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : सरकारी उद्यमों का कार्य-चालन सुधारने के लिए निम्नलिखित सदुपाय किये गये हैं :

(1) प्रत्येक उद्यम के काबू से बाहर की बातों के कारण उत्पन्न गतिरोधों का पता लगाने के लिए समन्वय कार्य को बेहतर बनाना ताकि सम्बद्ध प्राधिकारियों द्वारा विशेषकर बिजली, परिवहन और अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं के विषय में यथावश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके,

(2) प्रणालियों और प्रक्रियाओं में सुधार करना ताकि सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क आदि जैसे सरकारी अभिकरणों द्वारा स्वीकृति एवं अनुमोदन शीघ्र किया जा सके,

(3) क्षेत्रों/उद्यमों के कार्यनिष्पादन सम्बन्धी विस्तृत मानदण्ड विकसित करना जिनका उनके कार्य-निष्पादन का परिवीक्षण करने के लिए इस्तेमाल किया जा सके,

(4) परिवीक्षण तंत्र को सुव्यवस्थित एवं पूर्ण रूप से सक्रिय बनाना ताकि सुनिश्चित रूप से गतिरोधों का यथासमय पता लगाया जा सके और सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की जा सके।

(5) अर्थव्यवस्था के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रमुख परियोजनाओं के विषय में यथासमय चेतावनी प्रणाली चालू करना।

(6) अगले दो वर्षों में अल्पावधिक कार्य-योजनायें तैयार करना जिनमें क्षमता का उपयोग और प्रतिलाभ की वित्तीय दरें बढ़ाने के लिए विशेष लक्ष्य का समावेश किया गया हो।

(7) निर्माणाधीन परियोजनाओं का अति गहन परिवीक्षण करना एवं नियंत्रण रखना।

चाय निर्यात की भावी संभावनायें

3076. **श्री एच० के० एल० भगत :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चाय निर्यात की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) इसकी भावी संभावनायें क्या हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तत्काल आंकड़ों के अनुसार अप्रैल, 1981 से जनवरी, 1982 के दौरान भारत से 359,73 करोड़ रु० मूल्य की 199,67 मिलियन किग्रा चाय का निर्यात हुआ जबकि 1980-81 की उसी अवधि में 37,125 करोड़ रु० मूल्य की 194, 35 मि० किग्रा चाय का निर्यात हुआ था।

(ख) भारत से चाय के निर्यातों की भावी संभाव्यता राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर पूर्ति एवं मांग की स्थिति, निर्यातों संबंधी समग्र नीति और साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय चाय करार के अन्तिम परिणाम पर निर्भर करेगी।

निर्यात बाजार में झींगा मछली के मूल्य में गिरावट

3077. **श्री वी० एस० विजयराघवन :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान निर्यात बाजार में झींगा मछली के मूल्य में भारी गिरावट आई है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि हां, तो झींगा मछली के निर्यात से आय बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) 1979 की तुलना में 1980 के दौरान फिश के निर्यातों के औसतन इकाई मूल्य वसूली में 7.9 प्रतिशत की गिरावट आई। तथापि, 1980 की अपेक्षा 1981 में 18.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

जाली खाते खोलकर चुराये गये चैकों/ड्राफ्टों का भुगतान लेना

3078. **श्री आर० आर० भोले** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों द्वारा डाक से भेजे गये चैकों और ड्राफ्टों को जाल-साजी द्वारा और चुरा कर तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों में जाली खाते खोलकर उनका नकदीकरण किये जाने के मामले हाल में पर्याप्त बढ़ गए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने मामले पकड़े गए हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीयकृत बैंकों को कितनी हानि उठानी पड़ी है; और

(घ) क्या इन मामलों में बैंकों के कर्मचारियों का हाथ होने का भी पता चला है; यदि हां, तो वे कितने हैं; और ऐसे मामलों में दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) : भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एकत्र की गई सूचना के अनुसार वर्ष 1979, 1980 और 1981 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों में ऐसे चौदह मामले हुए जिनमें विदेशों से डाक से भेजे गए विदेशी चैकों और डिमांड ड्राफ्टों को कुछ व्यक्तियों द्वारा चुरा कर और जाली खाते खुलवा कर भुनवा लिया गया। इन चौदह मामलों में ग्रंतग्रस्त राशि केवल 0.63 लाख रुपए है। इन मामलों में किसी बैंक कर्मचारी के ग्रंतग्रस्त होने की सूचना बैंकों ने नहीं दी है।

अखबारी कागज का आयात और उत्पादन

3079. **श्री आर० वी० घोरपाडे** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एस० टी० सी० द्वारा निर्धारित की गई आयातित अखबारी कागज का वर्तमान बिक्री मूल्य क्या है;

(ख) एस० टी० सी० द्वारा प्रति वर्ष कितनी मात्रा में कितने मूल्य का अखबारी कागज आयात किया जा रहा है;

(ग) देश में उस समय अखबारी कागज की मांग क्या है और देशी उत्पादन कितना होता है;

(घ) देशी उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ङ) क्या इस उद्योग की स्थापना के इच्छुक देशी उत्पादकों अथवा उद्यमियों को किसी प्रकार की रुकावट अथवा कठिनाई का सामना करना पड़ता है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जनवरी-मार्च, 1982 की तिमाही के लिए 48.8 जी० एस० एम० अखबारी कागज की कीमतें निम्नोक्त प्रकार हैं :—

अखबारी कागज की श्रेणी	खुले समुद्र में बिक्री कीमत (प्रति मे० टन)	बफर स्टाक कीमत (प्रति मे० टन)
छोटा	5140 रु०	6010
मध्यम	5415 रु०	6285
बड़ा	5960 रु०	6830

(ख) 1980-81 के दौरान 133 करोड़ रु० मूल्य (सी० आई० एफ०) के अखबारी कागज की 306,000 मे० टन मात्रा का आयात किया गया।

(ग) 1981-82 वर्ष के लिए अखबारी कागज की मांग अनुमानत: 3.60 लाख मे० टन है। 1981-82 के दौरान अखबारी कागज का घरेलू उत्पादन 55000 मे० टन के लगभग होने की आशा है।

(घ) तथा (ङ) अभी तक केवल नेशनल न्यूजप्रिन्ट एण्ड पेपर मिल्स, नेपा नगर एक एकक है जो अखबारी कागज बना रहा था (जिसकी स्थापित क्षमता 67,500 मे० टन वार्षिक है)। मिल अपनी क्षमता को 75,000 मे० टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाने के लिए एकीकृत आधुनिकीकरण और नवीकरण कार्यक्रम चला रही है। 75,000 मे० टन की क्षमता वाली मैसूर पेपर मिल्स लि० की अखबारी कागज परियोजना और 80,000 मे० टन प्रति वर्ष की क्षमता वाली हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लि० की केरल अखबारी कागज परियोजना के 1982-83 तक वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ कर देने की भी आशा है।

निम्नलिखित योजनाओं को भी लाइसेंस दिए गए हैं और कार्यान्वयन की आरम्भिक अवस्था में है :—

मै० तमिलनाडु न्यूजप्रिन्ट एण्ड पेपर लि०	50,000 मे० टन प्रति वर्ष
मै० सेन्चुरी पल्प एण्ड पेपर कम्पनी	20,000 मे० टन प्रति वर्ष

नए एकक स्थापित करने के लिए उद्यमियों से प्राप्त आवेदनों पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है।

उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में चाय-उत्पादन की संभावनायें

3081. **श्री हुरीश रावत : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय बोर्ड ने उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जिले के कुछ भागों में चाय-उत्पादन की सम्भावनाओं का पता लगाया है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या उनका विचार इस प्रकार की संभावनाओं का पता लगाने के निदेश जारी करने का है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अन्तर्राष्ट्रीय चाय समिति में भारत का योगदान

3082. **श्री एन० ई० होरो : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1981 के दौरान भारत द्वारा ब्रिटेन को किये गये चाय के निर्यात में आई गिरावट को देखते हुए, अन्तर्राष्ट्रीय चाय समिति, लन्दन में भारत का योगदान भी कम हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) पिछले तीन पंचांग वर्षों में उत्पादक/निर्यातिक सदस्यों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय चाय समिति, लन्दन में अंशदान समिति के कुल बजट और साथ ही सभी बाजारों में, जिनमें ब्रिटेन भी शामिल हैं, सदस्यों के औसत निर्यात निष्पादन पर निर्भर करता है। वर्ष 1982 के लिये भारत का अंशदान अपेक्षाकृत कम रहा जो 4590 पौंड स्टर्लिंग था जबकि 1981 में 5040 पौंड स्टर्लिंग हुआ था।

हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड द्वारा साबुन का निर्माण

3083. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वित्त मंत्री** हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड द्वारा निर्मित उपभोक्ता वस्तुओं के बारे में दिनांक 8 अप्रैल, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6956 के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनी लीवर, ग्रेट ब्रिटेन की 34 कंपनी हिन्दुस्तान लीवर द्वारा 1980 के दौरान 1,63,726 मीटरी टन साबुनों का निर्माण किया गया;

(ख) क्या निर्मित साबुनों का अधिकांश परम्परागत तेलों से बनाए जाते हैं;

(ग) क्या साबुनों के निर्माण में आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग का कंपनी का दावा नींव, करजा तथा साल आदि जैसे गौण तेलों के प्रयोग तक ही पूरी तरह सीमित है।

(घ) क्या इसका अधिकांश उत्पादन एवं इसकी विक्रियां साबुनों के क्षेत्र में ही हैं, और

(ङ) क्या कंपनी का यह दावा तथ्यों पर आधारित नहीं है कि इसकी कुल बिक्रियों का 70 प्रतिशत अनुबन्ध I गतिविधियों से है; यदि हां, तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कंपनी को विदेशी अपनी साम्य पूंजी को घटाकर 40 प्रतिशत तक लाने के लिए दिए गए आदेश को कार्यान्वित न करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : वर्ष 1980 में, कम्पनी ने 1,63,724 मैट्रिक टन साबुन का उत्पादन किया।

(ख) जी, नहीं। इस्तेमाल में लाए गए कुल तेलों में 70 प्रतिशत तेल गैर परम्परागत तथा अखाद्य किस्म के हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) बिक्री का 42 प्रतिशत भाग साबुन के उत्पादन से है।

(ङ) कम्पनी ने, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के मार्गनिर्देशों के अन्तर्गत, 51 प्रतिशत विदेशी इक्विटी रखने की पात्रता के लिए अनुमति प्राप्त करने के संबंध में जो अभ्यावेदन दिए हैं, वे केवल इस बात पर निर्भर नहीं करते कि संसाधित ट्रिगलिस्राइट्स के निर्माण में प्रयोग में लाई जाने वाली प्रौद्योगिकी किस किस्म की है। कम्पनी ने, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के मार्गनिर्देशों के कतिपय अन्य उपबन्धों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया है और उन पर विचार किया जा रहा है। आशा है कि इन अभ्यावेदनों के संबंध में शीघ्र ही अन्तिम निर्णय ले लिया जायगा।

दुग्ध चूर्ण का आयात

3084. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान दुग्ध चूर्ण के आयात की मात्रा में कोई वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो वर्षवार कितनी मात्रा में;

(ग) क्या सरकार ने देश में दूध की खपत के बारे में कोई अनुमान लगाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) 1978-79, 1979-80 तथा 1980-81 (अक्तूबर, 1980 तक) के दौरान हुए आयात दर्शाने वाला **एक विवरण संलग्न है**। अक्तूबर, 1980 के बाद की अवधि के आंकड़े अभी संकलित नहीं किये गये हैं।

(ग) जी नहीं। इस मद का संक्षेप में अनुमान लगाना कठिन होगा।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

1978-79 से 1980-81 (अक्तूबर–1980 तक) के दौरान पाउडर या दानेदार के रूप में दूध तथा क्रीम (पनीर जल को छोड़कर) का आयात दर्शाने वाला विवरण ।

क्रमांक	मद का विवरण	भारतीय व्यापार वर्गीकरण समीक्षा 2 कोड संख्या	मात्रा हजार किग्रा में मूल्य लाख रु० में 1978-79 मात्रा	मूल्य	1979-80 मात्रा	मूल्य	1980-81 (अक्तूबर 80 तक) मात्रा	मूल्य
1.	चूर्ण अथवा दानेदार दूध (पनीर जल को छोड़कर) जिसमें भार के अनुसार वसा 1.3% से अधिक न हो ।	022.42						
	क. छाछ	022.4201	—	—	2	0.13	—	—
	ख. सप्रेटा दूध	022.4202	24087	2320.55	27686	3733.17	5619	657.16
	ग. चूर्ण दूध	022.4203	509	40.04	362	34.86	1741	152.95
	घ. बच्चों के लिए दुग्ध आहार	022.4204	**	*	1112	186.29	19	2 52
	ङ. अन्य	022.4209	7958	604.91	2064	254.79	44	13.24
2.	चूर्ण अथवा दानेदार दूध (पनीर जल को छोड़कर) और क्रीम जिसमें भार के अनुसार वसा 1.5% से अधिक हो	022.43						
	क. छाछ	022.4301	—	—	—	—	—	—
	ख. सप्रेटा दूध	022.4302	2388	194.20	*6681	*8170	1759	243.57
	ग. चूर्ण दूध	022.4303	728	65.86	46	6.28	—	—
	घ. अन्य (अर्थात् दूध की क्रीम)	022.4309	1028	124.18	423	62.07	19	6.86

* 1 अप्रैल 1979 से पहले यह मद भारतीय व्यापार वर्गीकरण समीक्षा 2 में अलग से वर्गीकृत नहीं थी ।

** आंकड़े सत्यापन के अधीन हैं ।

स्रोत : (1) 1978-79 तथा 1979-80 : भारतीय विदेश व्यापार के मासिक आंकड़े खंड-2 आयात जो वाणिज्यिक जानकारी तथा अंक संकलन महा निदेशालय, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित किये जाते हैं ।

(2) 1980-81 (अक्तूबर, 1980 तक) वाणिज्यिक जानकारी तथा अंक संकलन महानिदेशालय, कलकत्ता से आर्थिक सलाहकार, वाणिज्य विभाग के कार्यालय में प्राप्त अग्रिम आंकड़े ।

हिन्दी अनुवादकों के वेतनमान

3085. **श्री राम विलास पासवान : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्दी अनुवादकों की भरती में असंगतियों को दूर करने के लिए 1978 और 1979 में हिन्दी अनुवादकों के लिए वेतनमान तथा शैक्षणिक योग्यता निश्चित नहीं थी; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या इस सम्बन्ध में कोई अधिसूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी; यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मंत्रालय द्वारा अन्य पदों की तरह हिन्दी के पदों के लिए वेतनमान शैक्षिणक योग्यता सरकारी राजपत्र में अधिसूचित की गई है; यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं; और

(ग) क्या विद्यमान असंगतियों को दूर करने को ध्यान में रखते हुए हिन्दी के पदों पर भरती के बारे में सरकार का कोई नीति निर्धारित करने का विचार है, यदि, हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) 9. 9. 1981 को राजभाषा विभाग द्वारा अधिसूचित केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (समूह 'ग' पद) के गठन से पहले वित्त मंत्रालय के विभिन्न विभागों ने भिन्न-भिन्न तारीखों को हिन्दी अनुवादकों (कनिष्ठ और वरिष्ठ) के लिए वेतनमान निश्चित किए थे और शैक्षणिक अर्हताएं निर्धारित की थी ! कनिष्ठ हिन्दी अनुवादकों और वरिष्ठ हिन्दी अनुवादकों के वेतनमान क्रमशः 425-700 रु० और 550-800 रु० थे ! आर्थिक कार्य विभाग के केवल बैंकिंग प्रभाग में 9. 9. 1981 से पहले वरिष्ठ हिन्दी अनुवाद के पद का वेतनमान 550-900 रु० था !

(ख) और (ग): राजभाषा विभाग हिन्दी के पदों पर भर्ती के बारे में नीति निर्धारित करता है ! विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों और सम्बद्ध कार्यालयों में वेतनमानों, सेवा शर्तों, भर्ती-पद्धति आदि में एकरूपता लाने के उद्देश्य से राजभाषा विभाग ने केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (समूह 'ग' पद) का गठन किया है और 9. 9. 1981 को केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा समूह 'ग' पद नियम, 1981 को अधिसूचित कर दिया है। ये भर्ती नियम केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड और केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अधीन क्षेत्रीय कार्यालयों में कनिष्ठ और वरिष्ठ हिन्दी अनुवादकों के पदों पर लागू नहीं होते ! फिर भी, इन दोनों बोर्डों के अधीन क्षेत्रीय कार्यालयों में हिन्दी अनुवादकों के पदों के वेतनमान वही हैं जो केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (समूह 'ग' पद), नियम, 1981 के अन्तर्गत निर्धारित किए गए हैं।

ऋणपत्र धारकों को दिये गये ब्याज पर आय कर की बकाया वसूली

3086. **श्री मगन भाई बरोट : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान सरकारी कम्पनियों द्वारा ऋण पत्र धारकों को दिये गये ब्याज पर वसूल की गई। बकाया आयकर की राशि कितनी है; और

(ख) वर्ष 1982-83 के लिये कितनी राशि वसूल किये जाने का अनुमान है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 200 के साथ पठित धारा 193 के अनुसार, प्रतिभूतियों पर ब्याज शीर्ष के अधीन प्रभार्य किसी आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति संदेय ब्याज की रकम पर प्रवृत दरों के अनुसार आयकर की कटौती संदाय के समय करेगा और इस प्रकार काटे गये आयकर की अदायगी सरकारी खाते में निर्धारित समय में करेगा। आयकर की कटौती करने अथवा काटे गये आयकर की अदायगी करने में होने वाली किसी चूक की स्थिति में, आयकर कानून के संगत उपबन्धों के अधीन, कार्यवाही की जा सकती है। कम्पनियों द्वारा प्रतिभूतियों पर ब्याज शीर्ष के अधीन एकत्रित आयकर के सम्बन्ध में आंकड़े उपलब्ध हैं, लेकिन ऋण-पत्र धारकों को प्रदत्त ब्याज पर वसूल किए गए। वसूली योग्य बने आयकर के सम्बन्ध में अलग से कोई आंकड़े नहीं रखे जाते। अपेक्षित सूचना एकत्र करने में अत्यधिक समय तथा श्रम लगेगा क्योंकि इसमें, पूरे भारत की सभी का-निर्धारिती कम्पनियों के अलग-अलग रिकार्डों की जांच करनी होगी। इसलिए, इसमें लगने वाला समय और श्रम उससे प्राप्त होने वाले परिणामों के अनुकूल नहीं होगा। तथापि, प्रतिभूतियों पर ब्याज के रूप में कम्पनियों री वसूल की गई कुल रकम वर्ष 1979-80 में 16.39 करोड़ रुपये तथा वर्ष 1980-81 में 16.80 करोड़ रुपये थी। इस रकम में, सभी सरकारी तथा गैर- सरकारी, प्रतिभूतियों पर प्रदन ब्याज पर कर तथा सभी कम्पनियों, निजी तथा सरकारी दोनों, द्वारा की गई कटौती शामिल है।

(ख): वर्ष 1982-83 के लिए, प्रतिभूतियों पर ब्याज के कारण होने वाली कर-वसूली का अनुमान, 17.98 करोड़ रुपये है।

ब्याज की विभिन्न योजना के उद्देश्य

3087. **श्री भीखाभाई** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्याज की विभिन्न दर योजना के उद्देश्य संक्षेप में क्या हैं;

(ख) क्या सरकार को पता है कि कमजोर वर्गों को ऋण देने की गति हाल ही में धीमी पड़ गई है;

(ग) क्या सरकार को पता है कि बैंकों द्वारा ब्याज की विभिन्न दर योजना के अधीन प्रगति रिपोर्ट में दोहरापन हो सकता है; और

(घ) यदि हां, तो बैंकों द्वारा सांख्यिकीय रिपोर्ट में सुधार के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : विभेदी ब्याज दर योजना का उद्देश्य समाज के निर्धनतम लोगों को उनके छोटे-छोटे उत्पादक प्रयासों के वास्ते 4 प्रतिशत वार्षिक की ब्याज दर पर बैंकों से ऋण दिलवाकर, उनकी आर्थिक दशा सुधारना है।

(ख) यह कहना सही नहीं है कि कमजोर वर्गों को ऋण प्रदान करने की गति धीमी हुई है। समाज के कमजोर वर्गों की ओर बैंक बराबर ध्यान दे रहे हैं। विभेदी ब्याज दर योजना के अधीन बैंकों के अग्रिम जो दिसम्बर 1978 के अंत की स्थिति के मुताबिक 16.20 लाख ऋणकर्त्ता खातों को व्याप्त करते हुए 90 करोड़ रुपये के थे, दिसम्बर 1980 के अंत की स्थिति

के अनुसार, बढ़कर, 25.10 लाख ऋणकर्त्ता खातों को व्याप्त करते हुए 192.49 करोड़ रुपए के हो गए। दिसम्बर, 1979 के अंत की स्थिति के मुताबिक यह उनके समग्र अग्रिमों का 1.01 प्रतिशत बैठता है जबकि योजना के अधीन एक प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

सरकार द्वारा पंजीकृत निर्यात-गृह

3088. **डा० कृपा सिन्धु भोई :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय उत्पादकों के निर्यात की क्रियान्विति के लिए सरकार ने कितने निर्यात-गृहों को पंजीकृत किया हुआ है;

(ख) इन कम्पनियों द्वारा प्रस्तावित निर्यात की मुख्य-मुख्य मदें क्या हैं;

(ग) सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इन कम्पनियों को क्या रियायतें प्रदान की हैं; और

(घ) क्या ये कम्पनियां सरकार की सन्तुष्टि के अनुरूप निर्यात की क्रियान्विति में सफल रही हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) 27 फरवरी को मान्यता प्राप्त निर्यात सदनों की संख्या 1,355 थी।

(ख) जैसा कि नीति में निर्धारित किया गया है, निर्यात सदन प्रमाण-पत्र आधार अवधि के दौरान पहले ही प्राप्त कर लिए गए निर्यात निष्पादन के न्यूनतम स्तर के आधार पर दिए जाते हैं। निर्यात की गई प्रमुख वस्तुएं हैं : सिले सिलाए परिधान तथा अन्य वस्त्र मदें, इंजीनियरी माल, मछली तथा मछली उत्पाद, चमड़ा तथा चमड़े से बनी वस्तुएं तथा रसायन तथा सम्बद्ध उत्पाद।

(ग) सामान्य आर० ई० पी० लाइसेंसों के अतिरिक्त, निर्यात सदनों को वास्तविक प्रयोक्ताओं को बिक्री के लिए कच्चे माल के आयात के लिए अतिरिक्त लाइसेंस दिये जाते हैं, वास्तविक योक्ताओं को बिक्री के लिए आर० ई० पी० लाइसेंसों और अतिरिक्त लाइसेंसों के आधार पर खुले सामान्य लाइसेंस वाली मदों के लिए आयात की अनुमति दी जाती है तथा विदेशों में निर्यात संवर्धन उद्देश्यों के लिए विदेशी मुद्रा का आवंटन किया जाता है। इस सम्बन्ध में ब्यौरे आयात नीति में दिए गए हैं जिनकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(घ) सामान्य तौर पर, निर्यात सदन निर्धारित वृद्धि दरों के अनुसार, निर्यात करने में सकल रहे हैं।

खजुराहो में तारा होटलों का बने रहना

3089. **श्री के० राममूर्ति :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खजुराहो के लिए इंडियन एयर लाइंस की केवल एक दैनिक उड़ान है जो उस पर्यटन केन्द्र तक केवल 40 यात्रियों को ले जाती है; और

(ख) यदि हां, तो खजुराहो के तीन पांच तारा होटलों तथा तीन-तीन तारा होटलों का अस्तित्व अब भी किस प्रकार बना हुआ है और उनके दैनिक निवास का अनुपात क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) इंडियन एयरलाइंस निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार 126 सीटों की क्षमता वाली बोइंग 737 के रूप में एक दैनिक सेवा का परिचालन करता है :

आई सी	407	दिल्ली-आगरा-खजुराहो-वाराणसी
आई सी	408	वाराणसी-खजुराहो-आगरा-दिल्ली

इसके अतिरिक्त पर्यटक स्थल-मार्ग द्वारा भी खजुराहो की यात्रा करते हैं।

(ख) पर्यटन विभाग की अनुमोदित सूची में तीन होटलों की कक्ष-क्षमता 200 कमरे है और उनकी आकुपैंसी निम्नलिखित है :

		कमरों की संख्या	आकुपैंसी	
1.	होटल खजुराहो अशोक	48	44.7 %	
2.	होटल चन्देला	102	26.7 %	
3.	होटल जस ओबेराय	50	16.7 %	—केवल 5 महीनों के लिए, चूंकि अगस्त 1981 से इसका परिचालन प्रारम्भ हुआ।

राज्य सरकारों तथा गैर सरकारी क्षेत्र द्वारा पर्यटन का अधिक तेजी से विकास

3090. **श्री डी० पी० यादव** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पर्यटन के आधारभूत ढांचे का अधिक तेजी से तथा और अधिक विकास के लिए राज्य सरकारों तथा गैर सरकारी क्षेत्र को प्रेरित करने के लिए किये गये उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान उपरोक्त उपाय करने का क्या परिणाम रहा ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) और (ख) पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टरों द्वारा पर्यटन आधारिक संरचना के विकास के बारे में जो उपाय किए गए हैं उनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपाय शामिल हैं :

(1) यात्रा परिपथ संकल्पना के आधार पर राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के परामर्श से पर्यटन के विकास की एक विस्तृत स्कीम तैयार की गयी है जिसमें केन्द्रीय, राज्य और प्राइवेट सेक्टरों में उपलब्ध संसाधनों को एकत्र करते हुए 61 यात्रा परिपथों के, जिनमें 441 केन्द्र शामिल हैं, योजनाबद्ध और एकीकृत विकास की परिकल्पना की गयी है।

(2) एक शेल्फ तैयार किया जा रहा है जिसका कार्न्यावयन संसाधनों की उपलब्धता और परस्पर प्राथमिकताओं पर निर्भर करते हुए शुरू किया जा सकेगा।

(3) पर्यटक गाँव, वन गृह, पर्यटक होस्टलों आदि के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने/हस्तान्तरित करने के वास्ते संबंधित राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है ताकि अमली कार्यवाही तत्काल प्रारम्भ की जा सके।

(4) परिवहन सुविधाओं, यथा चुनी हुई झीलों पर नौकाओं/लांचों, वन्य जीवों को देखने के लिए मिनी बसों, ट्रैकिंग टूअर्स के लिए ट्रैकिंग उपस्कर की व्यवस्था करने और त्यौहारों तथा मेलों आदि के संवर्धन के लिए धनराशि रिलीज की गयी है/रिलीज की जा रही है।

(5) भारत पर्यटन विकास निगम ने प्रत्येक राज्य में लगभग इक्विटी पार्टीसिपेशन के साथ एक नई कम्पनी खोल कर संयुक्त उद्यम पर्यटन परियोजनाओं को आरम्भ करने के लिए एक स्कीम तैयार की है।

(6) कर में रियायतें, रियायती शर्तों पर ऋण की सहायता; अनिवार्य वस्तुओं के आयात के लिए विदेशी मुद्रा का आबंटन; विदेशों में विज्ञापन और प्रचार तथा संवर्धनात्मक दौरे; निर्माण सामग्री के आबंटन में प्राथमिकता से विचार करना; टेलीफोन/टैलेक्स आदि के रूप में प्राइवेट सेक्टर के अनुमोदित होटलों को प्रोत्साहन पहले से ही उपलब्ध हैं।

(7) एक्स—एस० टी० सी० कारों/एम्बैसेडर कारों/कोचों की खरीद के लिए ऋणों की मंजूरी संबंधी अनुरोधों पर विचार किया जाता है बशर्ते धनराशि उपलब्ध हो तथा पर्यटन विभाग की अनुमोदित सूची में शामिल ऐसे पर्यटक कार प्रचालकों ने ऋण के लिए आवेदन भेजा हो।

विश्व बैंक सहायता से योजनाएं

*3091. **श्री दौलत राम सारन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में विश्व बैंक की सहायता से चलाई जाने वाली योजनाओं के नाम क्या हैं; और

(ख) विश्व बैंक की ऋण और सहायता देने की शर्तें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक के ऋणों की ब्याज दर उसके द्वारा विश्व के पूंजी बाजारों से लिए जाने वाले ऋणों की लागत से जुड़ी होती है। यह दर इस समय 11.6

प्रतिशत है । इन ऋणों पर 1.5 प्रतिशत की दर से फ्रंट-एंड फीस और संवितरित न किए गए भाग पर 0.75 प्रतिशत की दर से वचनबद्धता शुल्क (कमिटमेंट फीस) भी लिया जाता है । अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के ऋणों पर कोई ब्याज नहीं देना पड़ता, लेकिन ऋण के संवितरित न किए गए भाग पर 0.5 प्रतिशत की दर से वचनबद्धता शुल्क लगता है और संवितरित किए गए भाग पर 0.75 प्रतिशत की दर से सेवा प्रभार लगता है ।

विवरण

उन परियोजनाओं के नामों का विवरण जिन्हें विश्व बैंक समूह की सहायता से क्रियान्वित किया जा रहा है

क्रम संख्या	परियोजना का नाम
1.	2.
1.	कृषि शिक्षा परियोजना
2.	हिमाचल प्रदेश सेब परियोजना
3.	कर्नाटक डेरी
4.	राजस्थान नहर तथा सिंचाई क्षेत्र विकास
5.	राजस्थान डेरी
6.	मध्य प्रदेश डेरी
7.	चम्बल (राजस्थान सिंचाई)
8.	उ० प्र० जल-पूर्ति
9.	चौथी विद्युत पारेषण परियोजना
10.	म० प्र० वनपालन
11.	एकीकृत कपास परियोजना
12.	राष्ट्रीय बीज परियोजना
13.	आन्ध्र प्रदेश सिंचाई और सिंचाई क्षेत्र विकास
14.	दूसरी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक परियोजना
15.	छठी दूरसंचार परियोजना
16.	बम्बई नगर परिवहन परियोजना
17.	मद्रास नगर विकास परियोजना
18.	सिंगरौली उच्च तापीय विद्युत परियोजना
19.	केरल कृषि विकास परियोजना
20.	उड़ीसा कृषि विकास परियोजना
21.	गुजरात मीन उद्योग परियोजना
22.	पश्चिम बंगाल कृषि विस्तार परियोजना
23.	मध्य प्रदेश कृषि विस्तार परियोजना

24. आसाम कृषि विकास परियोजना
25. पैरियाड वैगई सिंचाई परियोजना
26. बारहवीं औद्योगिक ऋण और निवेश परियोजना
27. महाराष्ट्र सिंचाई परियोजना
28. उड़ीसा सिंचाई परियोजना
29. राजस्थान कृषि विस्तार और अनुसंधान परियोजना
30. दूसरी कलकत्ता नगर विकास परियोजना
31. बिहार कृषि विस्तार और अनुसंधान परियोजना
32. दूसरी खाद्यान्न भण्डारण परियोजना
33. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक
34. कर्नाटक सिंचाई
35. कोरबा उच्च तापीय विद्युत परियोजना
36. तीसरी ट्राम्बे तापीय विद्युत परियोजना
37. सातवीं दूरसंचार परियोजना
38. राष्ट्रीय डेरी
39. आन्ध्र प्रदेश मीन उद्योग
40. एन० एस० पी०-11
41. जम्मू तथा कश्मीर बागवानी
42. गुजरात सिंचाई
43. हरियाणा सिंचाई
44. पंजाब जल-पूर्ति तथा मल निकासी
45. बम्बई जल पूर्ति तथा मल निकासी
46. रेल आधुनिकीकरण तथा अनुरक्षण
47. राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान कार्यक्रम
48. रामगुंडम उच्च तापीय विद्युत
49. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम
50. संयुक्त कृषि विस्तार
51. पंजाब सिंचाई
52. दूसरी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम परियोजना
53. उ०प्र० सामाजिक वनपालन
54. महाराष्ट्र जलपूर्ति तथा मलनिकासी
55. तीसरी कृषि पुनर्वित्त तथा विकास निगम परियोजना
56. अंतर्देशीय मीन उद्योग परियोजना

57. गुजरात सामुदायिक वनपालन
58. दूसरी भारतीय जनसंख्या परियोजना
59. दूसरी महाराष्ट्र सिंचाई परियोजना
60. तमिलनाडु पोषाहार परियोजना
61. दूसरी गुजरात सिंचाई परियोजना
62. उ० प्र० सरकारी ट्यूबवैल
63. तेरहवीं औद्योगिक ऋण और निवेश
64. दूसरी सिंगरौली उच्च तापीय विद्युत परियोजना
65. केरल कृषि विस्तार
66. काजू
67. राजस्थान जलपूर्ति तथा मलनिकासी
68. फरक्का उच्च तापीय विद्युत
69. कंडी जल-विभाजक क्षेत्र
70. कर्नाटक रेशमकीट पालन उद्योग
71. कलकत्ता नगर परिवहन परियोजना
72. बिहार ग्रामीण सड़कें
73. महानदी बांध
74. दूसरी मद्रास नगर विकास परियोजना
75. कर्नाटक टैंक सिंचाई
76. म० प्र० मध्यम सिंचाई
77. आठवीं दूरसंचार
78. महाराष्ट्र कृषि विस्तार
79. तमिलनाडु कृषि विस्तार
80. म० प्र० कृषि विस्तार चरण-II
81. दूसरी राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम
82. तमिलनाडु अखबारी कागज
83. चौदहवीं औद्योगिक ऋण और निवेश (गैर-सरकारी ऋण)
84. हाजिरा उर्वरक
85. दूसरी रामगुंडम तापीय विद्युत
86. दूसरी कोरबा तापीय विद्युत
87. कानपुर नगर विकास
88. पश्चिम बंगाल सामाजिक वन पालन
89. म० प्र० मुख्य सिंचाई

90. चौथी कृषि पुनर्वित्त तथा विकास निगम परियोजना

91. दूसरी बम्बई हाई अपतट विकास परियोजना

विश्व बैंक के ऋण का उपयोग

3092. **श्री गुलाम रसूल कोचक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विश्व बैंक द्वारा दिए गए ऋण का भारत द्वारा 31 जनवरी, 1982 तक उपयोग कर लिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उनका कहां तक उपयोग किया जा चुका है

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) चालू वित्तीय वर्ष में विश्व बैंक सहायता के उपयोग में लाई गई राशि का स्तर 1981-82 के बजट में लगाए गए अनुमानों से बढ़ जाने की संभावना है। चालू वित्तीय वर्ष में, 27 फरवरी, 1982 तक इस्तेमाल में लाई गई राशि, जिसमें मार्गस्थ दावों की राशि शामिल है, लगभग 106.80 करोड़ अमेरिकी डालर बैठती है।

एयर इंडिया द्वारा न्यूयार्क में दिये गये वापिसी टिकट का स्वीकार किया जाना

3093. **श्री मुकंद मंडल**
श्री अजित कुमार लाहा } : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इंडिया के न्यूयार्क कार्यालय द्वारा 17 जनवरी को फ्लाइट 115 के लिए दिये गये और उनकी पुष्टि किये गये टिकट सं० 8352, 026, 124 को अस्वीकार किये जाने की परिस्थितियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उस अधिकारी का क्या नाम है, जिसने उक्त टिकट अस्वीकार करने का निर्णय लिया;

(ग) क्या यह अस्वीकृति नियमानुसार थी;

(घ) यदि नहीं, तो त्रुटि करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कदम उठाये गये; और उसका ब्यौरावार क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) ऐसी घटना की आवृत्ति भविष्य में रोकने के लिये उठाये गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) सम्बन्धित यात्री को उतारा नहीं गया था और उसने 17 जनवरी, 1982 की उड़ान संख्या ए० आई-115 पर यात्रा की।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) एयर इंडिया ने एजंटों/स्टेशनों को फिर से हिदायतें जारी कर दी हैं कि वे संबंधित स्पेस कंट्रोल स्टेशनों से पहले पुष्टि लिये बिना यात्रियों को पुष्टिकृत टिकट दे कर न भेजें।

हवाई अड्डों का विकास

3094. श्री के० मालन्ना : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कुछ और हवाई अड्डों के विकास की कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो इससे संबंधित योजना का ब्यौरा क्या है; और इस योजना के अन्तर्गत कौन से हवाई अड्डों को शामिल किया जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी हां।

(ख) जिन अंतर्देशीय हवाई अड्डों के लिए इंडियन एयरलाइंस/वायुदूत द्वारा विमान सेवायें परिचालित की जा रही हैं, अथवा करने का प्रस्ताव है, उनके सम्बन्ध में नये हवाई अड्डों के निर्माण, धावनपथों, टैक्सीपथों तथा एप्रनों के सुदृढ़ीकरण, टर्मिनल भवनों के विस्तार/आधुनिकीकरण निर्माण, सुरक्षा सेवा उपकरणों के सुधार/प्रावधान के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में 147.00 करोड़ रुपये के खर्च का प्रावधान किया गया है। योजना में अंतर्देशीय तथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर रेडियो, राडार दिक्चालन उपकरणों तथा संचार सुविधाओं का विस्तार/आधुनिकीकरण भी सम्मिलित है।

छठी योजनावधि के दौरान 141 करोड़ रुपये की कुल लागत से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के निर्माण की भी योजनाएं बनाई गई हैं। विस्तार कार्यक्रमों में बम्बई में नए अंतर्राष्ट्रीय यात्री टर्मिनल काम्प्लेक्स (चरण दो) के निर्माण, दिल्ली में नए अंतर्राष्ट्रीय यात्री तथा कार्गो टर्मिनल काम्प्लेक्स, मद्रास में नए अंतर्देशीय टर्मिनल भवन का निर्माण, तथा बम्बई में श्रेणी दो प्रकाश-व्यवस्था का प्रावधान आदि सम्मिलित हैं।

छठी पंचवर्षीय योजना में जिन महत्त्वपूर्ण अंतर्देशीय हवाईअड्डों का विकास किए जाने का प्रस्ताव है, वे निम्नलिखित हैं :—

1. अहमदाबाद
2. बड़ौदा
3. भावनगर
4. डबोलिम
5. इंदौर
6. राजकोट
7. अगरतला
8. भुवनेश्वर
9. गोहाटी
10. भोपाल
11. इम्फाल
12. जोरहाट
13. मोहनबाड़ी
14. पटना
15. रांची
16. सिल्चर
17. अमृतसर
18. चंडीगढ़
19. जयपुर
20. जम्मू

21. कानपुर (चकेरी)
22. श्रीनगर
23. वाराणसी
24. कालीकट (नया एयरोड्रोम)
25. कोचीन

वायुदूत हवाईअड्डे

1. रूपसी
2. कैलाशहर
3. कमालपुर
4. कूच-बिहार
5. पासीघाट
6. डापोरीजियो
7. जिरो
8. शिलोंग
9. कोटा
10. पन्तनगर
11. मुजफ्फरपुर
12. लुधियाना
13. बीकानेर
14. देहरादुन
15. तंजावुर
16. नांदेड
17. रायचुर
18. बिलासपुर
19. पुर्णिया
20. गया
21. तेजू

26. हैदराबाद
27. मदुरे
28. तिरूचिरापल्ली
29. त्रिवेन्द्रम्
30. विशाखापत्तनम्

नए हवाईअड्डे

1. एजवाल
2. कोहिमा
3. गंगटोक
4. ईटानगर
5. काँगड़ा
6. गोचर
7. सूरत
8. पांडेचेरी

विदेशों में स्थित एयर इंडिया कार्यालयों द्वारा दिये गये आश्वासनों का भारत स्थित एयर इंडिया कार्यालयों द्वारा स्वीकार किया जाना :

3095. **श्री बासुदेव आचार्य :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या विदेशों में स्थित एयर इंडिया कार्यालयों द्वारा दिये गये आश्वासनों को स्वीकार करने के लिए भारत स्थित एयर इंडिया के कार्यालय कानूनी रूप से बाध्य हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो ऐसे प्रमाणिक यात्रियों के साथ किये जाने वाले व्यवहार का ब्यौरा क्या है जब वे प्रमाणिक हवाई टिकट मिलने की पुष्टि के आश्वासन के साथ भारत में आते हैं ?

पर्यटन और नागर विमान मंत्री : (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) (क): जी, हां। तथापि, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऐसे यात्रियों को, जिनके पास पुष्टिकृत टिकट होती है, भारत में आने के बाद प्रस्थान से कम से कम 72 घंटे पहले अपने वापसी के आरक्षण की पुनः पुष्टि करानी होती है। ऐसा न कराने पर आरक्षण रद्द हो सकता है तथा एयर-इंडिया ऐसे यात्रियों को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं है।

(ख) यदि कोई यात्री टिकट की पुष्टि न हो सकने के कारण उड़ान पर स्थान पाने में असमर्थ रहता है तो एयर इंडिया द्वारा उसकी यात्रा के लिए, यदि टिकट पर कोई प्रतिबंध-स्वरूप शर्तें नहीं होती, तो अपनी अगली उपलब्ध उड़ान पर अथवा अन्य विमान कम्पनी की उड़ान से व्यवस्था करने के लिए कदम उठाये जाते हैं। ऐसे यात्रियों के भोजन तथा रहने की व्यवस्था का खर्चा जिन्हें अपनी अनुसूचित प्रस्थान तिथि के पश्चात् रुकना पड़ता है, एयर इंडिया द्वारा वहन किया जाता है।

राज्यों द्वारा ओवर ड्राफ्ट

3096. **श्री सुशील भट्टाचार्य : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप देने के लिए निधियों के वार्षिक आबंटन के समय राज्यों द्वारा लिये गये ओवर ड्राफ्टों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) निधियों की निरन्तर कमियों का सामना करने वाले राज्यों में राज्य की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) यदि कोई कदम नहीं उठाया गया है; तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क): छठी पंचवर्षीय योजना को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा 14 फरवरी, 1981 को अन्तिम रूप दिया गया तथा अनुमोदित किया गया। उस तारीख को भारतीय रिजर्व बैंक पर राज्यों के ओवरड्राफ्टों की स्थिति को दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

(ख) सातवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर 1979 -80 से केन्द्रीय करों और सहायता अनुदान में राज्यों के शेयर के रूप में केन्द्र से राज्यों को निधियों के अन्तरण में काफी वृद्धि कर दी गई है। छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्य आयोजानाओं के लिए राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता को भी बढ़ा दिया गया है। पिछड़े हुए राज्यों को बाजार ऋणों का अतिरिक्त आबंटन भी किया गया है।

राज्यों के ओवरड्राफ्ट उनके नकद प्रवाह में अस्थायी असमानता होने अथवा उनके बजट में संरचनात्मक असन्तुलन होने के कारण होते हैं। केन्द्रीय सरकार ओवरड्राफ्ट वाले राज्यों के साथ लगातार बातचीत करती रही है ताकि जहां- कहीं बजटों में संरचनात्मक असन्तुलन हों वहां स्थिति में सुधार किया जा सके।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

14 फरवरी, 1981 की स्थिति के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक पर ओवरड्राफ्ट ।

क्रम संख्या	राज्य	(करोड़ रुपये) ओवरड्राफ्ट की राशि
1.	असम	20.30
2.	कर्नाटक	0.27
3.	मध्य प्रदेश	31.48
4.	मणिपुर	5.00
5.	पंजाब	4.53
6.	राजस्थान	86.55
7.	त्रिपुरा	0.83
8.	पश्चिम बंगाल	73.45*

*भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमान के आधार पर हिसाब लगाया गया है ।

आयातित कारों के लिये विकलांग आवेदक

3097. **श्री सुन्दर सिंह** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 10 फरवरी, 1982 तक कितने विकलांग व्यक्तियों ने आयातित कारों के लिये आवेदन किया है और अब तक उन्हें कितने लाइसेंस जारी किये गये हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : चालू लाइसेंसिंग अवधि 1982-83 में 10 फरवरी, 1982 तक शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों से 263 आवेदन पत्र प्राप्त हुए; और 28 फरवरी, 1982 तक 72 आयात लाइसेंस सीमा शुल्क निकासी परमिट जारी किये गये ।

गुजरात के सूरत जिले में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिए गए ऋण

3098. **श्री छोटू भाई गामित** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के सूरत जिले में वर्ष 1980 और 1981 के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों में से प्रत्येक द्वारा बैंक-वार तथा उद्देश्य-वार दिए गए ऋणों की राशि कितनी है;

(ख) उस राशि में से आदिवासियों, हरिजनों, खेतीहर मजदूरों और ग्रामीण शिल्पियों को दिए गए ऋण की राशि कितनी है; और

(ग) समाज के पिछड़े वर्गों को आवश्यक ऋण शीघ्रता से दिए जाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) आंकड़े जिस रूप में मांगे गए हैं वे सूचना प्रणाली द्वारा उस रूप में नहीं रखे जाते । सूरत जिले में अनुसूचित वाणिज्यक बैंकों के कुल ऋणों (स्वीकृति के अनुसार) की राशि जून, 1979 में 75.7 करोड़ रुपये, जून, 1980 में 88.4 करोड़ रुपये तथा मार्च, 1981 में 111.4 करोड़ रुपये थी ।

सूरत जिले में अनुसूचित वाणिज्यक बैंकों के ऋणों (उपभोग के अनुसार) की बकाया राशि के क्षेत्रवार वितरण के आंकड़े जून, 1980 के लिए उपलब्ध हैं। जून 1979 के वास्ते ये तथा इनके समनुरूप आंकड़े विवरण में दिए गए हैं।

(ग) : बैंकों से कहा गया है कि वे समाज के कमजोर/पिछड़े वर्गों विशेषरूप से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से सम्बद्ध ऋणकर्ताओं को दिए जाने वाले ऋण-प्रवाह को बढ़ा दें। विशेषरूप से, उन्हें यह सलाह दी गयी है कि :—

(1) वे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिए जाने वाले अपने ऋणों के प्रवाह को बढ़ाकर 1985 तक कुल अग्रिमों के 40 प्रतिशत के स्तर तक पहुंचा दें;

(2) कृषि क्षेत्र के कमजोर वर्गों को दिए जाने वाले प्रत्यक्ष वित्त के अनुपात को बढ़ाकर 1985 तक 50 प्रतिशत के स्तर तक पहुंचा दें;

(3) लघु उद्योग क्षेत्र में कमजोर वर्गों को दिए जाने वाले अग्रिमों के अनुपात को बढ़ाकर, 1985 तक, लघु उद्योग को कुल अग्रिमों के 12.5 प्रतिशत के स्तर तक पहुंचा दें;

(4) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर जिला ऋण आयोजनाओं पर जोर दें;

(5) तीव्र गति से ऋण प्रदान करने के लिए गांवों को अंगीकार करते समय इन समुदायों की अधिक जनसंख्या वाले गांवों का चयन करें;

(6) इन समुदायों की आवश्यकताओं के लिए बैंक सहायता योग्य उपयुक्त योजनाओं को तैयार करें; और

(7) इस बात का सुनिश्चय करें कि विभेदी-ब्याज-दर योजना (डी० आर० आई० स्कीम) के अधीन दिए जाने वाले इनके ऋणों का कम से कम 40 प्रतिशत हिस्सा अनुसूचित जातियों-जनजातियों से सम्बद्ध ऋणकर्ताओं को प्राप्त हो।

बैंकों ने अपनी ऋण-प्रक्रियाओं को सरल बनाने तथा प्रतिभूति और मार्जिन की आवश्यकताओं में छूट देने के लिए भी उपाय किये हैं। इसके अतिरिक्त, बैंक समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में भी भाग ले रहे हैं जिसके अन्तर्गत, निर्धारित लाभ प्राप्तकर्ताओं में इन समुदायों के लोगों की काफी बड़ी संख्या शामिल है।

विवरण

(जून, 1979 तथा 1980 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार) गुजरात के सूरत जिले में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ऋणों* की बकाया राशि का जिलावार/व्यवसाय-वार वर्गीकरण।

व्यवसाय	(लाख रुपये) जून, 1979	जून, 1980
1. कुल ऋण	[9129.95	10454.44
जिसमें से		
लघु उद्योग	2849.06	2845.43

(जारी···)

2. कृषि	1362.41	1632.25
जिसमें से		
(क) प्रत्यक्ष वित्त	1322.81	1581.35
(ख) अप्रत्यक्ष वित्त	39.60	50.90
3. उद्योग	6220.10	7114.85
4. व्यापार	588.85	667.33
जिसमें से		
(क) थोक व्यापार	396.15	432.01
(ख) खुदरा व्यापार	192.70	235.32
5. अन्य सभी	958.59	1040.01

*उपभोग के अनुसार

मील भत्ता दर को बढ़ाना

3099. **श्री मंगल राम प्रेमी**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मील भत्ता दर को बढ़ाने का है ताकि इसे अधिकारियों के मुख्यालय से रेलवे स्टेशन/हवाई अड्डेको या रेलवे स्टेशन/हवाई अड्डे से मुख्यालय को आने-जाने की वास्तविक परिवहन लागत के समान किया जा सके और मुख्यालय से यात्रा स्टेशनों को आने जाने के लिए टूट फूट की ऊंची लागत और शून्य यात्रा मील भत्ता (डेड माइलेज) बचाने के लिए स्टाफ कार का प्रयोग बन्द हो सके; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क)और (ख) अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी अपने मुख्यालयों से 8 किलोमीटर के भीतर सरकारी कार्य के सम्बन्ध में स्थानीय यात्राओं के मामले में कुछ शर्तों के अधीन, वाहन पर किये गये वास्तविक खर्च की प्रतिपूर्ति के हकदार हैं। राजपत्रित अधिकारियों के मामले में यदि यात्रा 1.6 किलोमीटर से अधिक हो तो यह रियायत स्वीकार्य है। मुख्यालयों से 8 किलोमीटर से अधिक दूरी की ऐसी यात्राओं और सरकारी दौरों के दौरान मुख्यालय तथा रेलवे स्टेशन/हवाई अड्डे के बीच यात्राओं के लिए भी मील दूरी भत्ता स्वीकार्य होता है। कीमतों में वृद्धिध को देखते हुए 1-10-1981 से मील दूरी भत्ते की दरों में वृद्धिध की गयी है जो अपनी कार/टैक्सी द्वारा यात्रा करने पर 1.30 रुपये प्रति किलोमीटर और मोटर साइकल/स्कूटर द्वारा यात्रा करने पर 50 पैसे प्रति किलोमीटर है। सरकारी कर्मचारियों को दौरे पर जाते समय/दौरे से लौटते समय बहुधा बेवक्त काफी रात को अथवा अति प्रातः काल स्थानीय यात्राएं करनी पड़ती हैं। चूंकि उस समय परिवहन के सामान्य साधन उपलब्ध न हों इसलिए स्टाफ कार की विद्यमान सुविधा, जहां भी उपलब्ध हो, को जारी रखना वांछनीय होगा।

काफी के निर्यात शुल्क में वृद्धि

3100. **श्री सी० चिन्नास्वामी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में काफी निर्यात शुल्क 85 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 300 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है; और

(ख) यदि हां, क्या इससे काफी निर्यात और हमारी अर्थव्यवस्था प्रभावित नहीं होगी?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां।

(ख) काफी पर निर्यात शुल्क मुख्यतः उन अप्रत्याशित लाभों के एक भाग को खपाने के उद्देश्य से लगाया जाता है काफी की अन्तर्राष्ट्रीय कीमत में तीव्र वृद्धि के परिणामस्वरूप होंगे। अतः निर्यात शुल्क में वृद्धि से हमारे काफी के निर्यातों तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना आवश्यक नहीं है।

केन्द्रीय पर्यटन बोर्ड के माध्यम से पर्यटन का विस्तार

3101. **श्री बाल कृष्ण वासनिक** : क्या पर्यटन और विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय "केन्द्रीय पर्यटन बोर्ड" जैसी कोई उच्चस्तरीय समन्वय एजेन्सी का गठन, पर्यटन के विस्तार के हित में, करने के प्रश्न पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई अन्तिम निर्णय ले लिया गया है? और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान): (क) से (ग) केन्द्रीय पर्यटन सलाहकार बोर्ड को पुनः स्थापित करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

जैसलमेर में पर्यटन काम्पलेक्स

3102. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या पर्यटन और विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैसलमेर में एक पर्यटन काम्पलैक्स का विकास करने का विचार है;

(ख) क्या जैसलमेर की वृहद योजना के अनुरूप पर्यटन काम्पलैक्स के विकास के लिए स्थान का चयन कर लिया गया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने वर्ष 1981-82 में जैसलमेर के प्रत्येक पर्यटन स्थल हेतु शुरू किए जाने वाले विकास कार्य के लिए प्रावधान रखा है और उपर्युक्त कार्य में अब कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान उपर्युक्त पर्यटन स्थल के विकास के लिए तैयार की गयी योजना का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) और (ख) जी, हाँ। राज्य सरकार द्वारा तैयार की जा रही जैसलमेर की प्रस्तावित मास्टर प्लान (भूमि प्रयोग योजना) के अनुसार पर्यटक काम्पलैक्स के विकास के लिए स्थान का चयन किया जाएगा।

(ग) और (घ) : केन्द्र सरकार के जैसलमेर में गदीसर बैंक का सुधार और सूर्यास्त-स्थल का विकास करने के लिए प्रावधान किया है। इस उद्देश्य के लिए वर्ष 1981-82 में 3.78 लाख रुपये की एक राशि मंजूर की गई है। राज्य सरकार से परामर्श करते हुए जैसलमेर में विकास के लिए कुछ और स्कीमों पर विचार किया जा रहा है।

ग्वालियर और शिवपुरी राष्ट्रीय पार्कों का विकास

3103. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए मध्य प्रदेश की पर्यटन संबंधी उच्च सम्भावनाओं का उपयोग करने के लिए क्या कार्यवाही की है; और

(ख) ग्वालिवर (ऐतिहासिक स्थान) और शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क का विशेष रूप से विकास करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) केन्द्र, राज्य और प्राइवेट सेक्टरों में उपलब्ध संसाधनों को एकत्र करते हुए एकीकृत और अवस्थानुसार ढंग से निर्धारित यात्रा परिपथों के साथ-साथ पड़ने वाले केन्द्रों पर आधारित संरचनात्मक सुविधाएं जुटाने के लिए यात्रा परिपथ संकल्पना पर आधारित पर्यटन को विकसित करने का प्रस्ताव है। इस संबंध में राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के पर्यटक अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किए गए थे। इसी आधार पर मध्य प्रदेश में निम्नलिखित यात्रा परिपथ निर्धारित किए गए हैं :—

1. ग्वलियर-शिवपुरी-दतिया-ओरछा-खजुराहो-बांधवगढ़-खजुराहो/जबलपुर।
2. भोपाल-सांची-विदिशा-उदयगिरी-भोपाल-(भीमबेटका, भोजपुर)-उज्जैन-इन्दौर-मांडु-महेश्वर-मंडलेश्वर-ओंकारेश्वर-इन्दौर।
3. जबलपुर-भेड़ाघाट-चेरई-डोंगरी (गर्म पानी के चश्मे)-मंडला-कान्हा नेशनल पार्क-भोरमदेव-जबलपुर/रायपुर।

जैसा कि उनसे अनुरोध किया गया था, राज्य सरकार से पर्यटन विकास का एक ब्लू-प्रिंट प्राप्त हो गया है। यदि धनराशियां उपलब्ध हुईं और पारस्परिक प्राथमिकताएं अनुकूल रहीं तो

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय सेक्टर में शुरू की जाने वाली स्कीमों का निर्धारण करने के लिये इसकी जांच की जा रही है।

(ख) केन्द्र, राज्य और प्राइवेट सेक्टरों में संसाधनों को एकत्र करके एकीकृत और अवस्थानुसार ढंग से विकास के लिए मध्य प्रदेश में यात्रा परिपथों के एक यात्रा परिपथ में ग्वालियर और शिवपुरी को निर्धारित किया गया है जैसाकि उपर्युक्त से स्पष्ट है। इस समय, शिवपुरी में 40.00 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर एक पर्यटक गांव के निर्माण का प्रस्ताव है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारियों के वेतन क्रम में असमानता

3104. श्री के० लकप्पा
श्री चिरंजी लाल शर्मा } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पहली बार राष्ट्रीयकृत किए गये बैंकों और वर्ष 1980 में राष्ट्रीयकृत किये गये बैंकों के बैंक अधिकारियों के वेतन क्रम में असमानता है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं;

(ग) वर्ष 1980 के दौरान राष्ट्रीयकृत किए गए बैंकों में कार्यरत अधिकारियों के मामले में असमानता होने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने वर्ष 1980 में राष्ट्रीयकृत किए गए बैंकों के अधिकारियों के वेतन की अममानता को दूर करके उन्हें पूर्व राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारियों के समान करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) यद्यपि 1969 में राष्ट्रीयकृत 14 बैंकों तथा भारतीय स्टेट बैंक और इसके सहयोगी बैंकों के अधिकारियों के वेतनमानों का 1979 में संशोधन तथा मानकन कर दिया गया था, अप्रैल 1980 में राष्ट्रीयकृत 6 बैंकों के अधिकारियों के वेतनमान उनके राष्ट्रीयकरण से पहले के आधार पर ही चल रहे हैं।

(घ) अप्रैल 1980 में राष्ट्रीयकृत 6 बैंकों के अधिकारियों के वेतनमानों के संशोधन तथा मानकीकरण का प्रश्न इस समय सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन है।

राज्य व्यापार निगम के माध्यम से वर्ष 1980-81 के दौरान निर्यात किया] गया सामान

3105. **श्री सुभाष यादव :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य व्यापार निगम के माध्यम से वर्ष 1980-81 के दौरान निर्यात किये गए सामान का ब्यौरा क्या है और उन एजेन्सियों का नाम क्या है जिनके माध्यम से इनका निर्यात किया गया है और प्रत्येक एजेन्सी ने कितने सामान का निर्यात किया ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा): 1980-81 के दौरान राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्यातित मदों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

	बिक्री व्यवसाय मूल्य करोड़ रु० में
1. कृषि संबंधी वस्तुएं	250.06
2. निर्माण सामग्री	1.85
3. उपभोक्ता उत्पाद	8.39
4. इंजीनियरी उत्पाद	0.59
5. चमड़े का सामान	88.64
6. ताजा तथा साधित खाद्य पदार्थ	5.26
7. मांस तथा समुद्री उत्पाद	1.89
8. अरण्डी का तेल	26.87
9. चीनी	35.97
10. सीरा	3.98
11. वस्त्र तथा परिधान	17.03
योग:	440.53

राज्य व्यापार निगम तथा विदेशी खरीदारों के लिखित संविदाओं पर हस्ताअर किये जाते हैं। राज्य व्यापार निगम के कमीशन एजेन्टों द्वारा हैंडल किये जाने वाले निर्यात बहुत सीमित हैं (लगभग 440 करोड़ रु० के कुछ निर्यातों में से लगभग 12 करोड़ रु०)।

वर्ष 1982 के दौरान पर्यटकों से विदेशी मुद्रा की आय

3106. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने केलेण्डर वर्ष 1981 में पर्यटकों से हुई विदेशी मुद्रा आय की कुल धन राशि का कोई अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने केलेण्डर वर्ष 1982 में देश के लिए और विदेशी मुद्रा कमाने हेतु पर्यटन की सम्भावनाओं का विकास करने के लिए प्रयास किए हैं;

(घ) यदि हां, तो समुद्रतट वाले राज्यों में पर्यटकों के यातायात को बढ़ावा देने के लिए कौन से मुख्य कार्यक्रम शुरू करने का विचार है; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) और (ख) वर्ष 1981 में पर्यटन से हुई विदेशी मुद्रा आय का चालू कीमतों के आधार पर अनन्तिम रूप से 564 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया है।

(ग) देश में पर्यटन की संभावनाओं का विकास करने के लिए सरकार द्वारा जिन उपायों की परिकल्पना की गई है उनका ब्यौरा इस प्रकार—होटलों और स्थल परिवहन जैसी पर्यटक आधारिक संरचना के तेज विकास के द्वारा निर्धारित यात्रा परिपथों के साथ पड़ने वाले पर्यटक केन्द्रों का सघन विकास; राष्ट्रीय एअर कैरियर्स के फ्लीट में वृद्धि; फिल्मों, श्रव्य-दृश्य प्रस्तुती करणों, पर्यटक साहित्य का प्रकाशन, विज्ञापनों आदि जैसे विविध प्रचार मीडिया के द्वारा विदेशों में पर्यटन संवर्धन में तेजी लाना; यात्रा अभिकर्ताओं, यात्रा लेखकों, पत्रकारों, आदि को विभाग के अतिथियों के रूप में परिचायक दौरों पर आमंत्रित करते हुए मीडिया संबंधों को बढ़ाना ताकि वे बदले में भारत संबंधी पर्यटन का संवर्धन का सकें।

(घ) और (ङ): केन्द्रीय सेक्टर के अन्तर्गत पर्यटन विकास संबंधी कार्य पर्यटक केन्द्रों के महत्व, पर्यटकों में उनकी लोकप्रियता और उन केन्द्रों पर्यटकों को आकर्षित करने की संभाव्यता के आधार पर आरम्भ किया जाता है। स्कीमों को इस आधार पर हाथ में नहीं लिया जाता है कि वे समुद्रतटीय क्षेत्रों में अवस्थित हैं अथवा नहीं।

केन्द्र, राज्य और प्राइवेट सेक्टरों में उपलब्ध संसाधनों को एकत्र करते हुए एकीकृत और अवस्थानुसार ढंग से निर्धारित यात्रा परिपथों के साथ पड़ने वाले केन्द्रों पर पर्यटक आधारिक संरचना का विकास करने का प्रस्ताव है। तदनुसार प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेश में यात्रा परिपथ निर्धारित किए गए हैं जिनमें समुद्रतट वाले राज्य भी शामिल हैं, यथा आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल।

संबंधित राज्य सरकारों से पर्यटन विकास संबंधी संशोधित ब्लू प्रिंट प्राप्त हो गए हैं। घन-राशि की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करते हुए, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय सेक्टर में शुरू की जाने वाली स्कीमों का निर्धारण करने के लिए इनकी जांच की जा रही है।

दिल्ली-ग्वालियर-भोपाल-इन्दौर-बम्बई के बीच दैनिक बोइंग विमान सेवा :

3107. **श्री सत्य नारायण जाटिया:** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली-ग्वालियर-भोपाल-इन्दौर-बम्बई के बीच आने-जाने के लिए दैनिक बोइंग विमान सेवा चालू की जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) इंडियन एयरलाइन्स की बोइंग-737 विमान से दिल्ली-ग्वालियर-भोपाल इन्दौर-बम्बई की सप्ताह में तीन सेवाओं में वृद्धि करके उन्हें 1982-83 के शीतकाल में, अतिरिक्त विमान प्राप्त हो जाने पर दैनिक करने की योजनाएं हैं।

इलैक्ट्रोनिक उद्योग के लिए पुर्जों और कच्चे माल के आयात के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त

3108. श्री जगदीश टाइटलर: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इलैक्ट्रोनिक उद्योग के लिए आवश्यक पुर्जों और कच्चे माल के आयात के लिए अलग मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार कर रही है;

(ख) क्या आगामी वित्तीय वर्ष के लिए ये मार्गदर्शी सिद्धांत निर्यात नीति का निर्धारण करेंगे; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) इलैक्ट्रोनिक उद्योग के लिए अपेक्षित कच्चे माल और संघटकों से सम्बन्धित आयात नीति और प्रक्रिया में संशोधन के लिए सुझाव प्राप्त हुए हैं। इन पर 1982-83 के लिए आयात नीति तैयार करने के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है।

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क निरीक्षक स्थानान्तरण

3109. श्री राम लाल राही: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1981 में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टरी कानपुर, से कितने निरीक्षकों का स्थानान्तरण किया गया और उनमे से अब तक कितने निरीक्षकों को कार्यभार मुक्त नहीं किया गया और तत्संबंधी कारण क्या हैं; और

(ख) यदि उन्हें अब तक कार्यभार मुक्त नहीं किया गया है तो उसके कारण क्या हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्तालय, कानपुर से वर्ष 1981 में 14 निरीक्षकों का स्थानान्तरण किया गया था। उन सबको कार्यभार से मुक्त कर दिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी दौरे पर जाने वाले अधिकारियों द्वारा इंडियन एयरलाइन्स से हवाई जहाज के टिकटों की खरीद

3110. श्री राम सिंह शाक्य : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री सरकारी दौरे पर जाने वाले अधिकारियों द्वारा इंडियन एयरलाइंस से हवाई जहाज के टिकटों की खरीद के बारे में 27 नवम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 982 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी अधिकारी अभी भी लगातार ट्रेवल एजेंसियों से टिकट खरीद रहे हैं और सरकारी कंपनियों को आर्थिक नुकसान हो रहा है; और

(क) यदि हां, तो क्या पूर्व आदेशों को दुहराने का और उनकी प्रतिलिपियां सभा पटल पर रखने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) पहले दी गई हिदायतें फिर से दोहरा दी गई हैं । दी गई हिदायतों की एक प्रति संलग्न है (परिशिष्ट) ।

[ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० 353482/]

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और मकान किराये भत्ते की बकाया राशि को रोकना

3111. **श्री वी० डी० सिंह**
श्री अजित कुमार मेहता } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महंगाई भत्ते की बकाया धनराशि, मकान किराये भत्तों की वृद्धि इत्यादि जो महंगाई भत्ते की किस्तों का वेतन में विलय करने के कारण हुई है, को रोकने और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की मुख्य मांगों को तय करने के लिये विलम्बकाल न लागू करने के बारे में सरकार ने निर्णय ले लिया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि जे० सी० एम० के साथ वर्ष 1978 में हुए समझौते के अनुसार महंगाई भत्ते की वृद्धि जब भी देय होगी नकद दी जायेगी;

(ग) क्या यह भी सच है कि यह निर्णय सरकार ने केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के संगठन के प्रतिनिधियों से सलाह किये बिना लिया था; और

(घ) यदि हां, तो इकतरफा निर्णय लेने के क्या कारण थे और इस बारे में कर्मचारियों के संगठन की क्या प्रतिक्रिया हुई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (घ) 15.2.1982 को राष्ट्रीय परिषद (जे० सी० एम०) की स्थायी समिति की बैठक में औसत सूचकांक स्तर 344 तक स्वीकृत महंगाई भत्ते को वेतन के साथ मिलाने के लिए राष्ट्रीय परिषद (संयुक्त परामर्श-दाता तंत्र) के कर्मचारी पक्ष की मांग पर विचार-विमर्श करते समय सरकारी पक्ष ने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मकान किराया भत्ते और प्रतिपूर्ति (नगर) भत्ते की अदायगी के लिए औसत सूचकांक स्तर 320 तक स्वीकृत महंगाई भत्ते को वेतन के साथ मिलाने का एक प्रस्ताव रखा था, बशर्ते कि इस विलयन के परिणामस्वरूप मकान किराया भत्ते और प्रतिपूर्ति (नगर) भत्ते की इस बढ़ी हुई राशि को कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा कर दिया जाए और इसे 31. 3. 1983 तक निकाला नहीं जाएगा । महंगाई भत्ते की जो तीन किस्तें 1. 8. 1981, 1. 10. 1981 और 1. 11. 1981 से विचार करने योग्य हो गई थी उनकी बकाया राशि को भी

कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा कराने का एक प्रस्ताव रखा गया था। स्थायी समिति के कर्मचारी पक्ष के सदस्यों में से दो को छोड़कर, जिन्होंने भिन्न विचार व्यक्त किए थे, अन्य सभी ने इन प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया था। कर्मचारी पक्ष के अन्तिम विचारों की प्रतीक्षा की जा रही है। समय-समय पर विचार करने योग्य होने वाले महंगाई भत्ते की किस्तों की नगद अदायगी के बारे में भी राष्ट्रीय परिषद् (संयुक्त परामर्शदाता तंत्र) के कर्मचारी पक्ष के साथ सरकार ने कोई समझौता नहीं किया है।

पर्यटन के विकास के लिए विदेशी मुद्रा जारी करना

3112. **श्री० के० ए० राजन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यटन के विकास के लिये जारी की गई कुल विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है और पिछले तीन सालों के दौरान पर्यटन से कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई और वर्ष 1981-82 के लिए क्या संभावना है; और

(ख) उपर्युक्त अवधि में पर्यटन से हुई विदेशी मुद्रा की आय कुल विदेशी मुद्रा की आय की तुलना में कितने प्रतिशत है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

मुरादाबाद के लघु पीतल उद्योग और भदोई और मिर्जापुर के हाथ से बने कालीन उद्योग में मन्दी

3113. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुरादाबाद का लघु पीतल उद्योग और भदोई और मिर्जापुर के हाथ से बने कालीन उद्योग मन्दी के दौर से गुजर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान मन्दी के क्या कारण हैं और सरकार ने उन लघु उद्योगों की सहायता के लिये क्या कार्यवाही की है;

(ग) इन लघु उद्योगों के पिछले पांच साल के निर्यात के आंकड़े क्या हैं;

(घ) क्या सरकार इन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये कुछ अतिरिक्त निर्यात प्रोत्साहन देने पर विचार कर रही है; और

(ङ) इन उद्योगों को इस समय दिये जा रहे निर्यात प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) अप्रैल-दिसम्बर, 1981 की अवधि के लिए ऊनी कालीनों, गलीचों, दरियों तथा धातु की कलात्मक वस्तुओं के निर्यात के अनन्तिम आंकड़े किसी मंदी को नहीं दर्शाते हैं।

(ग) (लाख रु० में)

मद	1976-77	1977-78	1978-79	1978-80	1980-81 (अनन्तिम)	1981 (अनन्तिम)
ऊनी कालीन गलीचे तथा दरियां जिसमें नमके भी शामिल हैं।	6641.26	8196.37	9936.84	13538.28	14524.91	13136.42
धातु की कलात्मक वस्तुएं	2650.66	3709.66	5167.06	6389.69	2322.15	5228.77

(घ) तथा (ङ) : नकद मुआवजा सहायता, शुल्क वापसी तथा आयात प्रतिपूर्ति जैसे वर्तमान निर्यात प्रोत्साहन निम्नोक्त प्रकार हैं :

पीतल की कलात्मक वस्तुएं : (क) शुल्क वापसी 10 रु० प्रति किग्रा
(ख) नकद मुआवजा सहायता 10 प्रतिशत
(ग) उत्पादन के लिए प्रयुक्त कच्चे माल में आयात प्रतिपूर्ति।

ऊनी हाथ से गांठ दिए हुए कालीन : (क) निर्यात के एफ ओ वी मूल्य पर निर्भर करते हुए 5-20 प्रतिशत नकद मुजावजा सहायता।
(ख) उत्पादन के लिए प्रयुक्त कच्चे माल के रूप में 10 प्रतिशत प्रतिपूर्ति।
(ग) कच्ची ऊन का शुल्क मुक्त आयात।

इन प्रोत्साहनों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

बोइंग विमान सेवाओं के लिए तिरुचिरापल्ली हवाई अड्डे का विकास

3114. **श्री एस० ए० दोराई सेवस्तियन** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जनता तथा वाणिज्य और उद्योग मंडल के चेयरमैन से तिरुचिरापल्ली हवाईअड्डे के आधार ढांचे को बोइंग विमान सेवाओं की सुविधा के अनुकूल बदलने और विकास करने के बारे में अभ्यावेदन मिले हैं;

(ख) क्या पर्यटन में विदेशियों और स्वदेशियों के तीव्र विकास को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बोइंग विमान सेवाओं को चालू करने की आवश्यकता के बारे में सर्वेक्षण किया है; और

(ग) यदि हां, तो यह कार्य कब से शुरू किया जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : इंडियन एयरलाईंस ने तिरुचिरापल्ली और कोलम्बो के बीच सप्ताह में दो बोइंग 737 सेवाएं पहले से ही आरम्भ कर दी हैं । इंडियन एयरलाईंस की 1982 की ग्रीष्म-कालीन समय सारणी में मद्रास-तिरुचिरापल्ली-त्रिवेन्द्रम मार्गों पर बोइंग-737 सेवाएं आरम्भ करने की योजनाएं हैं ।

टर्मिनल भवन का तीन चरणों में विस्तार किये जाने का प्रस्ताव है । कनकोर्स में अतिरिक्त स्थान की व्यवस्था, एक नए डिपार्चर होल्डिंग क्षेत्र तथा केवल अंतर्देशीय पक्ष में "बुकिंग और बैगेज हैंडलिंग" के लिए कुछ अतिरिक्त स्थान उपलब्ध कराने के लिए, विस्तार के प्रथम चरण के लिए 13.03 लाख रुपये के प्राक्कलन को मंजूरी दे दी गई है

अनेक वित्तीय कठिनाइयों के कारण, धावनपथों के विकास के लिए छठी योजना में कोई प्रावधान नहीं किया गया है ।

हिन्दुस्तान लीवर लि० द्वारा साबुन निर्माण और इसकी विदेशी शेयरधारिता में कमी किया जाना

3115. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या वित्त मंत्री हिन्दुस्तान लीवर द्वारा अधिकांश इक्विटी शेयर अपने पास रखने के दावे के बारे में दि० 28 अगस्त, 1981 के तारांकित प्रश्न संख्या 193 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1979 और 1980 के दौरान हिन्दुस्तान लीवर लि० ने किन्हीं साबुनों का उत्पादन किया था, यदि हां, तो ऐसे कालम/कालमों का ब्यौरा क्या है जिसमें सभा पटल पर रखे गए विवरण में साबुन का उत्पादन दिखाया गया है, यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या कंपनी के उत्पादन और बिक्री में साबुन का अब भी एक महत्त्वपूर्ण स्थान है;

(ग) क्या साबुन का अधिकांश उत्पादन पारम्परिक तेलों से किया जाता है और गौण तेलों से नहीं जबकि कंपनी ने आधुनिकतम प्रौद्योगिकी का प्रयोग का दावा किया है; और

(घ) क्या सरकार का कंपनी की विदेशी इक्विटी शेयरधारिता को बिना किसी विलम्ब के न्यूनतम 40 प्रतिशत करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों को कंपनी पर कब लागू करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) संदर्भ के अधीन पूर्ववर्ती प्रश्न के उत्तर में विनिर्दिष्ट उत्पादन के विश्लेषण में, कंपनी द्वारा उत्पादित साबुन के मूल्य को तीन दर्जों में बांटा गया है—

संसाधित ट्रिगलीसराइडस	मद 1 (v) (ख)
साबुन बनाना तथा घोल का निकर्षण	मद 2 (iii)
साबुन पैकिंग	मद 4 (i)

(ख) उत्पादित साबुन कंपनी के उत्पादन का 42 प्रतिशत भाग है।

(ग) जी, नहीं। कंपनी द्वारा प्रयोग किया जाने वाला लगभग 70 प्रतिशत तेल गैर परम्परागत तथा खाद्य भिन्न किस्म का तेल है।

(घ) कंपनी द्वारा विदेशी मुद्रा विनियम न अधिनियम के मार्गनिर्देशों के अंतर्गत विदेशी सामान्य शेयरधारिता को 51 प्रतिशत तक बनाए रखने के लिए पात्रता प्राप्त करने हेतु किये गये अभ्यावेदन संसाधित ट्रिगली साराइडस के विनिर्माण में प्रयुक्त होने वाली प्रौद्योगिकी की किस्म पर ही निर्भर नहीं करते। कंपनी ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के मार्गनिर्देशों के कुछ अन्य उपबंधों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया है तथा ये विचाराधीन है। आशा की जाती है कि अंतिम निर्णय शीघ्र ही ले लिया जाएगा।

गुजरात में रुई मूल्यों में गिरावट के कारण भारतीय रुई निगम द्वारा रुई की खरीद

3116. **श्री आर० पी० गायकवाड़ :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रुई निगम का विचार गुजरात राज्य में रुई के मूल्यों में गिरावट को देखते ही अपने खरीदारी अभियान को तेज करने का है; और

(ख) अब तक कितने क्रय केन्द्र खोले गये हैं और भारतीय रुई निगम द्वारा अब तक रुई की कितनी गांठें खरीदी गई हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) भारतीय रुई व्यापार निगम ने गुजरात में पहले ही अपनी खरीदारियां बढ़ा दी हैं।

(ख) चालू रुई मौसम में गुजरात में भारतीय रुई निगम द्वारा चालू किये जाने वाले प्रस्तावित 58 केन्द्रों में से निगम ने 26 केन्द्रों पर पहले ही खरीदारियां शुरू कर दी हैं और 3-3-1982 तक 65,667 गांठें खरीद भी ली हैं और अभी और खरीदारियां की जा रही हैं। बाकी केन्द्रों से उनके पास माल पहुंचने के बाद खरीदारियां शुरू की जाएंगी।

युनाइटेड इण्डिया इन्शोरेन्स कारपोरेशन की शाखाएं

3117. **श्री डी० एस० ए० शिव प्रकाशम :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूनाइटेड इण्डिया इन्शोरेंश कारपोरेशन की दक्षिणी क्षेत्र में कितनी शाखाएं खोली जानी हैं; और

(ख) प्रस्तावित शाखाएं कहां-कहां पर खोली जानी हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंश कंपनी लिमिटेड का दक्षिणी क्षेत्र में 47 शाखाएं खोलने का प्रस्ताव है लेकिन यह कर्मचारियों की उपलब्धि पर निर्भर करेगा।

(ख) जिन स्थानों पर शाखाएं खोलने का प्रस्ताव है उनके नाम इस प्रकार हैं—

1.	आदिलाबाद	25.	कुरनूल
2.	अम्बुर	26.	मदना पल्ली
3.	अणकापल्ली	27.	मद्रास सिटी
4.	बडागरा	28.	नालगोंडा
5.	बंगलौर सिटी	29.	नसीपुर
6.	विदर	30.	निप्पाणी
7.	चेमिनार	31.	पुरूर
8.	चिकमगलूर	32.	पारवतीपुरम
9.	चिरला	33.	पत्तनम्तिट्टा
10.	चित्रदुर्ग	34.	पीनया
11.	कुण्डापुर	35.	प्रोद्दातूर
12.	कुन्नूर	36.	पुत्तूर
13.	कुडुपा टाउन	37.	रामचन्द्र पुरम
14.	घारवाड़	38.	सत्तनापल्ली
15.	गोविचेट्टिपालयम	39.	टनुकू
16.	गुडिवाड़ा	40.	तोड़पूझा
17.	गुंटूर टाउन	41.	तिरुचिगोडे
18.	हिन्दूपुर	42.	तिरुपुनित्तुरा
19.	हास्पेट	43.	उप्पल
20.	जयनगर	44.	विल्लूपुरम
21.	करीमनगर	45.	विरुधु नगर
22.	कावली	46.	वेल्लिंगटन द्वीप
23.	कोलार	47.	व्हाइट फील्ड
24.	कुणमकुलम		

बम्बई में "वेरी हाई फ्रीक्वेन्सी ओमनीडाइरेक्शनल रेंज फाइंडर" का ठीक ढंग से कार्य न करना

5118 * **श्री डी० एस० एस० शिवप्रकाशम** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई में सान्ताक्रुज हवाई-अड्डे पर "वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ओमनीडाइरेक्शनल रेंज फाइन्डर" लगाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों से आई० सी० ए० द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानक के अनुसार अपेक्षित ढंग से कार्य नहीं कर रहा है; और

(ग) क्या किन्हीं विमान चालकों ने नागर विमानन महानिदेशालय को इस उपकरण के ठीक ढंग से काम न करने बारे में कोई शिकायत की है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हां। बम्बई हवाईअड्डे पर वी० ओ० आर० पिछले कई वर्षों से कार्य कर रहा है।

(ख) वी० ओ० आर० "स्केलोपिंग" के लिए निर्दिष्ट मानकों को छोड़कर, हर प्रकार से इकाओ (आई०सी०ए०ओ०) द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अन्तर्गत ठीक प्रकार से कार्य कर रहा है। वी. ओ. आर. रेडियल्स की स्केलोपिंग वी. ओ. आर. के ठीक से काम न करने के कारण नहीं है अपितु वी० ओ० आर० के आस-पास में नयी इमारतों के उठ खड़े होने के कारण है।

(ग) जी, हां। विमानचालकों तथा एयरलाइनों ने अपनी "डि-ब्रीफिंग" रिपोर्टों में वी० ओ० आर० के "स्केलोपिंग का उल्लेख किया है। तथापि विमान सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। क्योंकि बम्बई हवाईअड्डे पर एयरलाइनों के प्रयोग के लिए दिक्चालन की और विमान परिचालनों की सुरक्षा पर निगरानी रखने व उसे सुनिश्चित करने के लिए एक दूसरा ए०टी०सी० उपलब्ध है। वर्तमान वी० ओ० आर० के स्थान पर "डॉयलर वी० ओ० आर०" नामक नया उपकरण स्थापित करने के लिए पहले ही कार्यवाही शुरू कर दी गयी है। यह नया उपकरण आस-पास के विक्षोभों से कम प्रभावित होता है।

सान्ताक्रुज हवाई अड्डे पर "इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम"

3119. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागर विमानन महानिदेशालय ने सान्ताक्रुज हवाईअड्डे पर "डी० ओ० डेफियर यु० ओ० आर० इस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम" श्रेणी-3 "एप्रोच लैंडिंग सिस्टम" श्रेणी-3, और "रनवे सेण्ट्रल लाइन सिस्टम" लगाने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे उपकरण अभी तक क्यों नहीं लगाये गये हैं; और

(ग) क्या ऐसे उपकरणों का उपयोग न करने से पाइलटों पर प्रभाव पड़ा है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) नागर विमानन विभाग का छठी योजनावधि में बम्बई हवाईअड्डे पर एक डॉपलर वी० ओ० आर०, जो आस पास के विक्षोभों से कम प्रभावित होता है, लगाने का प्रस्ताव है। इस उपकरण के प्राप्त करने की कार्यवाही पहले ही प्रारम्भ कर दी गई है और उपकरण के 1983 तक परिचालन में आ जाने की आशा है।

बम्बई हवाई अड्डे पर श्रेणी दो मानदण्डों तक के परिचालन-योग्य उपकरण अवतरण प्रणाली पहले से ही मौजूद है। तथापि अनेक कठिनाइयों के कारण, फिलहाल इस उपस्कर का दर्जा श्रेणी दो के बराबर कर पाना संभव नहीं हो पाया है। अंशांकन-सुविधाओं को बढ़ाये जाने के बाद (जो प्रगति पर हैं), आई० एल० एस० के स्तर को बढ़ाकर श्रेणी-दो के मानदण्डों के बराबर किया जा सकना संभव हो सकेगा। बम्बई हवाईअड्डे पर, छठी योजनावधि के दौरान, आई० एल० एस० श्रेणी-तीन उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) बम्बई हवाईअड्डे पर विमान-सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है क्योंकि वहां पर एयरलाइनों के प्रयोग के लिए तथा विमान-परिचालनों की सुरक्षा पर निगरानी रखने व उसे सुनिश्चित करने के लिए एक दूसरा ए० टी० सी० उपकरण तथा अन्य सुविधाएं जैसे बी० ओ० आर०, एन० डी० बी०, ए० आर० एस० आर० तथा पी० ए० आर० उपलब्ध हैं।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में समयोपरि भत्ते के बिलों की वृद्धि

3120. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में समयोपरि भत्ते के बिलों में सरकार के इस निदेश के बावजूद कि इनको कम किया जाय, वृद्धि हो रही है;

(ख) वर्ष 1979, 1980 और 1981 में क्रमश: प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक ने कितने समयोपरि भत्ते के बिलों का भुगतान किया;

(ग) क्या यह सच है कि बैंकों में समयोपरि भत्ते का भुगतान वास्तविक किये गये काम के घण्टों के आधार पर नहीं होता बल्कि बैंक के कार्यकारी अधिकारी और प्रत्येक बैंक के यूनियन द्वारा तय किए गए घण्टों के आधार पर होता है और यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रणाली को समाप्त करने का विचार कर रही है जो कि जबरदस्ती पर आधारित है;

(घ) क्या इस प्रकार के भत्ते की कोई अधिकतम सीमा है जैसा कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित किया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार दरों और घण्टों में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के समान लाने के लिए इसे शीघ्र लागू करने पर विचार करेगी ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) वर्ष 1979, 1980 और 1981 (यथाउपलब्ध) के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा अपने कर्मचारियों को अदा किए गए समयोपरि (ओवरटाइम) भत्ते की राशि विवरण में दी गई है। विवरण से मालूम होता है कि सरकारी क्षेत्र के अधिकांश बैंकों में वर्ष 1981 के दौरान अदा की गई समयोपरि भत्ते की राशि, वर्ष 1980 के दौरान उनके द्वारा अदा की गई राशि की तुलना में कम थी। पिछले वर्ष जिस समय बैंकों ने अपने समयोपरि भत्ते के बिल में कमी करने के लिए कदम उठाए थे उस समय आधा वर्ष बीत चुका था। और कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते की अदायगी के सम्बन्ध में काफी व्यय किया जा चुका था। अलबत्ता, वर्ष 1981 के उत्तरार्द्ध के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा अदा किए गए समयोपरि भत्ते की राशि के विश्लेषण से पता चलता है कि लगभग सभी बैंकों ने वर्ष 1981 के पूर्वार्द्ध के दौरान अदा किये गये समयोपरि भत्ते की राशि की तुलना में इस अवधि के दौरान कमी कर दी थी।

(ग) ऐसे आरोप सरकार के ध्यान में आये हैं। सरकार ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं कि समयोपरि भत्ते की अदायगी की अनुमति केवल कार्यालय समय के बाद किये जाने वाले वास्तविक कार्यनिष्पादन के लिए और जब यह अनिवार्य हो जाए केवल तभी की जाए।

(घ) और (ङ) बैंकों के अवार्ड-स्टाफ की सेवा की शर्तें तथा निबन्धन, विभिन्न अवार्डों तथा कर्मकार यूनियनों और बैंक के प्रबन्धकों के बीच समय-समय पर होने वाले समझौतों द्वारा विनियमित होते हैं। तारीख 19 अक्तूबर, 1966 के पहले द्विपक्षीय समझौते के अधीन एक कर्मकार कर्मचारी को (उसकी सम्मति हो न हो) समझौते में सहमत दरों पर एक कैलेण्डर वर्ष में 175 घण्टों से अधिक का समयोपरि कार्य नहीं दिया जा सकता। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों से सम्बन्धित नियम सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अवार्ड-स्टाफ के लिए लागू नहीं होते।

विवरण

वर्ष 1979, 1980 और 1981 (यथाउपलब्ध) के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा अदा किये गए समयोपरि भत्ते का विवरण

(लाख रुपये)

बैंक का नाम	1179	1180 (अनन्तिम)	1981 (अनन्तिम)
1. भारतीय स्टेट बैंक	739.24	900.00	717.69
2. स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	51.47	61.36	60.82
3. स्टेट बैंक आफ इन्दौर	26.67	27.00	31.40
4. स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	42.09	49.46	59.71
5. स्टेट बक आफ मैसूर	17.29	21.62	66.70
6. स्टेट बैंक आफ पटियाला	27.99	34.00	28.91
7. स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	40.44	48.48	38.50
8. स्टेट बैंक आफ ट्रावनकोर	23.00	35.00	26.31
9. इलाहाबाद बैंक	53.80	62.00	59.50
10. बैंक आफ बड़ौदा	203.85	300.00	130.97*
11. बैंक आफ इंडिया	223.41	326.00	255.56
12. बैंक आफ महाराष्ट्र	63.82	83.81	83.05
13. केनरा बैंक	26.63	26.00	30.26
14. सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	129.58	148.88	146.54
15. देना बैंक	80.34	96.00	66.67
16. इंडियन बैंक	50.26	72.09	77.11
17. इंडियन ओवरसीज बैंक	85.38	114.10	110.24
18. पंजाब नेशनल बैंक	107.84	130.00	122.36
19. सिंडीकेट बैंक	21.22	36.00	83.04
20. यूनियन बैंक आफ इंडिया	69.86	95.00	80.64

(जारी···)

21. यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	108.21	132.00	109.31*
22. यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	104.89	140.00	86.21*
23. आंध्र बैंक		1.88	1.39
24. कारपोरेशन बैंक		6.16	8.91
25. न्यू बैंक आफ इंडिया		30.45	35.21*
26. ओरियंटल बैंक आफ कामर्स		35.00	41.07
27. पंजाब एण्ड सिंध बैंक		54.00	34.06
28. विजया बैंक		22.21	16.00*

* आंकड़े जनवरी से सितम्बर, 1981 की अवधि से सम्बन्धित हैं। बैंक आफ बड़ौदा के मामले में, इन आंकड़ों में कुछ क्षेत्रों में अदा किया गया समयोपरि भत्ता शामिल नहीं है।

जीवन बीमा निगम तथा सामान्य बीमा निगम की आय में वृद्धि का पूंजी-निवेश कार्यक्रमों पर प्रभाव

3121. **श्री एच० एन० नन्जेगौडा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम तथा सामान्य बीमा निगम की आय में वृद्धि का पूंजी-निवेश कार्यक्रमों पर आनुपातिक प्रभाव पड़ता है और यदि हां, तो वर्ष 1980 और 1981 में क्रमशः वास्तव में आय में कितनी वृद्धि हुई और भिन्न-भिन्न राज्यों में इन दो वर्षों के दौरान, राज्यवार, विकास कार्य पर पूंजी निवेश कितना बढ़ाया गया है;

(ख) क्या बैंकों की तरह ऐसा पूंजीनिवेश करने के लिए उचित मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार कर लिये गये हैं और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में तैयार किये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने 1982 और 1983 के दौरान बीस-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनाओं का वित्त पोषण करने के लिए कोई विशेष प्रावधान किया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और कर्नाटक राज्य के लिए इसमें से कितनी राशि उपलब्ध करायी जायेगी तथा उसका उपयोग किन परियोजनाओं के लिए किया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) जीवन बीमा निगम के पूंजी निवेश के ढांचे का प्रबन्ध कानून तथा सरकार द्वारा जारी किए गए मार्ग-निर्देशकों के आधार पर किया जाता है। इस ढांचे का मुख्य उद्देश्य, इन राशियों की सुरक्षा के साथ-साथ विश्वसनीय आय बनाए रखने को सुनिश्चित करना है। जीवन बीमा निगम की पूंजी निवेश की किस्म और वह अनुपात जिसमें इन राशियों का निवेश किया जाना चाहिए, निर्धारित करते समय व्यापक राष्ट्रीय, सामाजिक एवं आर्थिक हितों को ध्यान में रखा गया है। बीमा अधिनियम (जिस रूप में जीवन बीमा निगम पर लागू होता है) की धारा 27-क के अन्तर्गत इसके लिए इसकी धनराशि में वार्षिक रूप से जमा राशियों का निवेश इस प्रकार करना अपेक्षित है :

(1) केन्द्रीय सरकारों की विपणन योग्य प्रतिभूतियों में कम से कम	25 प्रतिशत
(2) केन्द्रीय और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों में जिनमें सरकार द्वारा गारन्टीशुदा विपणन योग्य प्रतिभूतियों और उपर्युक्त (i) में उल्लिखित प्रतिभूतियां शामिल हैं कम से कम	50 प्रतिशत
(3) समाजोन्मुखी क्षेत्र जिसमें सरकारी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, पालिसीधारकों द्वारा मकान निर्माण, अपने मकान के मालिक बनिए योजना आदि और उपर्युक्त (ii) में उल्लिखित प्रतिभूतियां शामिल हैं कम से कम	75 प्रतिशत
(4) अन्य पूंजी निवेश	25 प्रतिशत
जोड़	100 प्रतिशत

साधारण बीमा निगम और इसकी सहायक कंपनियों के पूंजी निवेश के उद्देश्य और इसके लिए ढांचा मोटेतौर पर जीवन बीमा निगम के उद्देश्यों और ढांचे जैसा ही है। निवेश का स्वरूप तैयार करते समय बड़े दावों के खर्च को पूरा करने के लिए भुगतान साधनों को ध्यान में रखना पड़ता है। सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गनिर्देशकों के अनुसार साधारण बीमा निगम और इसकी सहायक कंपनियों के लिए इनकी घनराशि में वार्षिक रूप से जमा राशियों का निवेश इस प्रकार करना अपेक्षित है :—

1. केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां, अन्य अनुमोदित बांड तथा सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों द्वारा जारी किए गए बांड और ऋणपत्र	35 प्रतिशत
2. सामाजिक आवास कार्यक्रमों और अग्नि शमन उपकरणों के लिए राज्य सरकारों/हुडको को ऋण	35 प्रतिशत
3. अन्य निवेश	30 प्रतिशत
जोड़ :	100 प्रतिशत

2. जीवन बीमा निगम। साधारण बीमा निगम द्वारा समाजोन्मुख क्षेत्र के लिए सबसे हाल के दो वर्षों में दिए गए ऋणों का कर्नाटक सहित राज्यवार आबंटन विवरण 'क' में दिया गया है। वर्ष 1982-83 और 1983-84 में कर्नाटक के लिए पहले किए गए आबंटन के अनुपात में ही राशि उपलब्ध की जाएगी।

विवरण 'क'

(करोड़ रुपए)

राज्य	भारतीय जीवन बीमा निगम		साधारण बीमा निगम	
	1980-81	1981-82	1980	1981
1. आन्ध्र प्रदेश	15.16	15.48	1.41	2.33
2. असम	7.10	5.48	0.20	0.76
3. बिहार	10.41	13.30	1.97	0.83
4. गुजरात	21.23	22.68	2.11	3.01
5. हरियाणा	12.09	13.79	0.33	0.42
6. हिमाचल प्रदेश	1.94	2.15	0.29	0.65
7. जम्मू और कश्मीर	3.68	4.25	0.28	1.53
8. कर्नाटक	13.39	15.04	0.77	0.77
9. केरल	15.83	16.51	1.28	1.97
10. मध्य प्रदेश	18.11	17.72	0.84	0.87
11. महाराष्ट्र	25.74	27.48	1.29	0.85
12. मणिपुर	1.06	1.29	0.12	0.45
13. मेघालय	2.92	3.89	0.16	0.15
14. नागालैण्ड	1.15	1.44	0.15	0.12
15. उड़ीसा	12.58	13.32	—	1.22
16. पंजाब	12.63	13.75	1.42	0.77
17. राजस्थान	16.00	17.60	1.22	1.06
18. सिक्किम	0.17	0.14	0.09	0.05
19. त्रिपुरा	1.55	1.31	—	0.54
20. तमिलनाडु	24.03	25.73	3.51	1.97
21. उत्तर प्रदेश	52.47	50.78	4.06	4.16
22. पश्चिमी बंगाल	22.57	22.93	—	3.04
23. नीपको	10.00	10.00	—	—
जोड़ (राज्य)	301.81	316.06	21.50	27.52
हुडको	15.00	18.00	13.00	15.00
जोड़	316.81	334.06	34.50	42.52

सामुदायिक विकास खण्डों में बैंकिंग सुविधायें

3123. श्री एस० एम० कृष्ण: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के अधिसंख्य सामुदायिक विकास खंडों में विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों आदि में बैंकिंग सुविधायें उपलब्ध नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन सामुदायिक खंडों में और नये विकसित केन्द्रों में बैंकों की नई शाखायें खोलने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने 1977 से, इस नीति का अनुसरण किया है कि प्रत्येक खण्ड में वाणिज्यिक बैंक की कम-से-कम एक शाखा अवश्य उपलब्ध करा दी जाए। दिसम्बर, 1976 के अंत की स्थिति के अनुसार देश में 700 से ऊपर बिना बैंक वाले सामुदायिक विकास खण्ड थे। उपलब्ध सूचना के अनुसार इन खण्डों में से अब केवल 30 खण्ड ही ऐसे बचे हैं जहां बैंकिंग सुविधा उपयब्ध नहीं करायी जा सकी है। इन खण्डों में बैंकों को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है वे ये हैं सभी मौसम में काम आ सकने वाली सड़कों जैसी मूलभूत ढांचे की सुविधाओं और शाखाओं को खोलने के लिए उपयुक्त जगह की अनुपलब्धता। सम्बद्ध राज्य सरकारों और बैंकों से, इस मामले में चर्चा की जा रही है।

भारतीय रिजर्व बैंक के पास सत्यापन के लिये रखे फटे पुराने नोट

3124. **श्री एस० एम० कृष्ण : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक के पास 200 करोड़ रुपये से 300 करोड़ रुपये के फटे पुराने नोट नष्ट किये जाने से पूर्व सत्यापन के लिये रखे हैं;

(ख) यदि हां, तो इन नोटों को अंतिम रूप से निपटाने के बारे में कर्मचारियों तथा प्रबंधकों के बीच कोई समस्या है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार, दिसम्बर 1981 के अन्त में रद्द किए गए उन नोटों की स्थिति, जिन्हें अभी सत्यापित किया जाना है, निम्न प्रकार है :—

कुल नोट :	146.67 करोड़
कुल मूल्य :	2,228.18 करोड़ रुपए

ये आंकड़े उन नोटों से संबंधित हैं जो रद्द किए जा चुके हैं लेकिन जिनका सत्यापन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाना बाकी है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

सेना मैडल प्राप्त करने वालों को लाभ

3125. **श्री अर्जुन सेठी : क्या रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेना में सेना मैडल प्राप्त करने वाले अधिकारियों/जवानों को क्या लाभ प्राप्त होता है;

(ख) क्या जिन राज्य सरकारों संघ क्षेत्रों से सेना मैडल प्राप्त करने वाला संबंधित होता है वे भी सेना मैडल पाने वालों को कुछ शेष लाभ देते हैं; और

(ग) यदि हां, तो ये लाभ क्या हैं, उन्हें प्राप्त करने का तरीका क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री आर. वेंकटरामन) : (क) से (ग) सेना मैडल शौर्य पुरस्कार नहीं हैं इसलिए इन पुरस्कारों को प्राप्त करने वालों को केन्द्रीय सरकार से कोई लाभ नहीं दिया जाता है कुछ राज्य सरकारें सेना मैडल प्राप्त करने वालों को नकद पुरस्कार देती हैं बशर्ते वे उन राज्यों के रहने वाले हों या रक्षा सेना में भर्ती होते समय उन राज्यों में बस गए हों । इन राज्यों में जो नगर पुरस्कार दिए जाते हैं उनके बारे में एक विवरण संलग्न है । ये नकद पुरस्कार सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद मैडल प्राप्त करने वालों में उनके निकट सम्बन्धियों को (मरणोपरान्त पुरस्कारों के मामले में) उनके सम्बन्ध में सेना मुख्यालयों से विस्तृत विवरण प्राप्त होने पर सीधे राज्य सरकारों द्वारा दिए जाते हैं ।

विवरण

सेना मैडल प्राप्त करने वालों को उनके राज्यों द्वारा दिए गए नकद पुरस्कारों को दर्शाने वाला विवरण

राज्य	सेना मैडल प्राप्त करने वालों को दिए गए नकद पुरस्कार (रुपये में)
आन्ध्र प्रदेश	3000
असम	3000
गुजरात	2000
हरियाणा	3000
हिमाचल प्रदेश	3000
केरल	3000
महाराष्ट्र	3000
कर्नाटक	3000
उड़ीसा	1300
पंजाब	3000
सिक्किम	3000
तमिलनाडु	3000
उत्तर प्रदेश	2000

नियंत्रित कपड़े पर राज-सहायता

3126. **श्री दया राम शाक्य** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नियंत्रित कपड़े के मूल्यों में वृद्धि करके उसे सामान्य किस्म के कपड़े के मूल्य के स्तर के बराबर कर दिया है जिसके फलस्वरूप गरीब लोग नियंत्रित कपड़े को नहीं खरीद पा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो किन कारणों से नियंत्रित कपड़े के निर्माण की योजना को समाप्त किया गया है; और

(ग) राष्ट्रीय वस्त्र निगम और गैर सरकारी क्षेत्र की मिलों द्वारा नियंत्रित कपड़े का किस अनुपात में उत्पादन हो रहा था और इसके लिए सरकार कितनी राशि की राज सहायता दे रहीं थी ?

वाणिज्य मत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ऐसा कोई निश्चित अनुपात नहीं था जिसमें राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों तथा निजी क्षेत्र की मिलों द्वारा कंट्रोल के कपड़े का उत्पादन किया जा रहा हो। पुरानी योजना के अन्तर्गत, जो 30-6-1981 तक लागू थी, काफी बड़ी मात्रा में कन्ट्रोल के कपड़े का उत्पादन राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों द्वारा किया जा रहा था तथा शेष मात्रा का उत्पादन निजी मिलों द्वारा किया जा रहा था। संशोधित योजना के अन्तर्गत निजी मिलों से कंट्रोल के कपड़े का उत्पादन करने के लिए नहीं कहा गया है।

अफीम का वार्षिक उत्पादन और उसके निर्यात के द्वारा अर्जित औसतन विदेशी मुद्रा

3127. **श्री चिन्तामणि जैना** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार, अफीम के उत्पादन तथा अर्जित औसतन विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाईसिंह सिसोदिया) : गत तीन वर्षों में अफीम का कुल उत्पादन और अफीम के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा नीचे दी गयी है :—

वर्ष	90° गाढ़ता की अफीम का उत्पादन (मी० टनों में)	अर्जित विदेशी मुद्रा	गत तीन वर्षों में अर्जित विदेशी मुद्रा का औसत (करोड़ रूपयों में लगभग)
1	2	3	4
1978-79	1413	38.63	
1979-80	966	31.96	31.26
1980-81	1126 (अनन्तिम)	23.18	

राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से गृह निर्माण ऋण

3128. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से भी गृह निर्माण ऋण देने की योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) वाणिज्यिक बैंकों के सीमित संसाधनों पर अर्थव्यवस्था के प्रतियोगी उत्पादक क्षेत्रों की समग्र प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को जारी किये गये भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धान्तों आवास व्यवस्था के लिए बैंकिंग प्रणाली से, थोड़ी-सी सहायता दिये जाने की ही व्यवस्था है। इसके अलावा इन नीतियों को अधिकांश हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवेलपमेंट कारपोरेशन और राज्य आवास बोर्डों के गारंटी शुदा बांडों और डिबेंचरों मे लगाया जाना है :—

(ख) आवास वित्त पोषण के संबंध में शर्तें और निबंधन नीचे लिखे अनुसार हैं :—

(1) **प्रयोजन** : भवन निर्माण, मरम्मत आदि के लिए बैंक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वित्त प्रदान कर सकते है।

(2) **ब्याज की दर** : इन प्रयोजनों के लिए उपलब्ध राशि और विभिन्न वर्गों के ऋणकर्त्ताओं से वसूल की जाने वाली ब्याज की दरें नीचे लिखे अनुसार हैं :—

(क) अनुसूचित जातियों और जन जातियों के ऋणकर्त्ताओं को 5 हजार रुपये समेत और तक की राशि के ऋण — 4 प्रतिशत प्रति वर्ष।

(ख) अन्य को 5 हजार रुपये समेत और तक— $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत प्रति वर्ष।

(ग) 5 हजार रुपये से ऊपर और 50 हजार रुपये तक—$13\frac{1}{2}$ प्रतिशत प्रतिवर्ष।

(घ) 50 हजार रूपये से ऊपर — 15 प्रतिशत प्रति वर्ष।

(3) **मार्जिन** : बैंकों द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला आवास वित्त सामान्यतः परियोजना की कुल लागत के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और कम आय वाले वर्गों को सीधे दिये जाने वाले ऋणों के बारे में बैंक कुल लागत के 80 प्रतिशत तक वित्त प्रदान कर सकते हैं।

(4) **वापसी की अवधि** : वापसी अदायगी की अवधि 7 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए लेकिन इसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

(5) **जमानत** : जमानत के तौर पर सम्पत्तियों का गिरवी रखा जाना अथवा अन्य उपलब्ध जमानतें शामिल हो सकती हैं। इस प्रकार की जमानतों के अभाव में सरकार की गारंटी बैंकों के लिए स्वीकार्य होगी।

तंजानिया के पत्तन पर पड़ा भारतीय अल्यूमिनियम सल्फेट

3129. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कह सच है कि पेय जल को शुद्ध करने वाला भारत में उत्पादित अल्यूमीनिकम

सल्फेट की एक खेप तंजानिका के पत्तन पर पड़ी है क्योंकि विदेशी सरकार ने इसे लेने से इन्कार कर दिया है;

(ख) क्या प्रेषित माल के लिये पहले ही बहुत अधिक विलम्ब शुल्क का भुगतान करना पड़ा है यदि हां, तो उसका मूल्य क्या है और उसके लिये कितना विलम्ब शुल्क देना पड़ेगा; और

(ग) इस माल को न छुड़ाने के क्या कारण हैं और सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) अल्यूमीनियम सल्फेट के भारतीय सप्लायर को भुगतान की पूरी राशि मिल गई है तथा लागत एवं विलम्ब शुल्क के सम्बन्ध में कोई दावा प्राप्त नहीं हुआ है।

भारतीय सप्लायर के साथ एक विवाद के कारण तंजानिया के जल तथा ऊर्जा मंत्रालय ने अभी तक डिलीवरी नहीं ली है।

चूंकि किसी भी पार्टी ने भारत सरकार को नहीं लिखा है, अतः इस मामले में उसके हस्तक्षेप का प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा आन्ध्र प्रदेश में बड़े तथा लघु उद्योगों तथा कृषि को दी गई वित्तीय सहायता

3130. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय बैंकों द्वारा आंध्र प्रदेश में लघु उद्योगों, बड़े उद्योगों और कृषि को दी जा रही वित्तीय सहायता का कोई निर्धारण किया है;

(ख) यदि हां, तो इन क्षेत्रों को 1981 के दौरान कितनी वित्तीय सहायता दी गई तथा ये आंकड़े 1980 के आंकड़ों से किस प्रकार तुलनीय हैं;

(ग) क्या बैंकों को आदेश दिए गए हैं कि सरकार द्वारा मनाये जा रहे उत्पादकता वर्ष की भावना को बनाए रखने के लिए इस वर्ष ऋण दिये जाने में उदारता बरती जाये; और

(घ) आन्ध्र प्रदेश को इस वर्ष बैंकों के माध्यम से कितने अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराये जायेंगे ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए गए ऋण की बकाया के व्यवसाय-वार वितरण की उपलब्ध सूचना नीचे दी गई है :

आंध्र प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए गए ऋण की बकाया के व्यवसाय-वार वितरण का विवरण

(खातों की संख्या हजारों में)
(राशि करोड़ रुपये)

	जून, 1978 (भारतीय स्टेट बैंक और इसके सहयोगी बैंक तथा 14 राष्ट्रीयकृत बैंक)		जून, 1980 (भारतीय स्टेट बैंक और इसके सहयोगी बैंक तथा 14 राष्ट्रीयकृत बैंक)	
	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि
(1) कृषि	731	169	1299	356
			(1074)	(292)
(2) उद्योग	39	277	58	475
			(53)	(391)
(3) अन्य	503	158	767	302
			(632)	(231)
जोड़	1273	604	2124	1132
जिसमें से लघु उद्योग	32	83	(1759)	(914)
			47	554
			(44)	(126)

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े भारतीय स्टेट्र बैंक और इसके सहयोगी बैंकों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों से सम्बन्धित हैं ।

(ग) और (घ) ऋण नीति के अनुसरण में रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को ऋण विस्तार के संबंध में केवल स्थूल और निर्धारित क्षेत्र बताए जाते हैं । इस नीति में जहां बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि तर्कसंगत सीमा के भीतर ऋण के विस्तार को नियंत्रित करें वहां, साथ ही, यह अपेक्षा भी की जाती है कि वे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के छोटे ऋणकर्ताओं के प्रति ऋण का प्रवाह बढायें और 20-सूत्री कार्यक्रम और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में स्वयं की सक्रिय रूप से अंतर्ग्रस्त करें।

एच० पी० एस० मूंगफली के मूल्यों में कमी

3131. श्री नवीन खाणी
श्री वी० डी० सिंह
श्री राजेश कुमार } : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में एच० पी० मूंगफली के मूल्यों में गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और एच० पी० मूंगफली का निर्यात करने वाले देशों के नाम क्या हैं;

(ग) वर्ष 1980 और 1981 के दौरान कितनी मात्रा में एच० पी० मूंगफली का निर्यात किया गया और किस दर पर तथा निर्यात हेतु एच० पी० मूंगफली की वर्तमान दर क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि प्रतिस्पर्धा का सामना करने लिए एच० पी० मूंगफली पर निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया है; और

(ङ) क्या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भारत खाद्य तेल के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है, सरकार का प्रस्ताव फिलहाल एच० पी० मूंगफली के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने का है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां।

(ख) सप्लाई की सुविधाजनक स्थिति के कारण कीमतों में गिरावट आई है। एच. पी. एस. मूंगफली के मुख्य निर्यातक हैं : संयुक्त राज्य अमरीका, चीन, अर्जेन्टीना, सूडान, जाम्बिया, मलावी, सेनेगल, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका तथा भारत।

(ग) 1979-80 तथा 1980-81 के फसल वर्षों में भारत से एच. पी. एस. मूंगफली के निर्यात तथा प्रति टन औसत एफ. ओ. वी. प्राप्ति का ब्यौरा निम्नोक्त प्रकार है :—

फसल वर्ष	मात्रा (मे० टन०)	औसत एफ. ओ. बी. प्राप्ति प्रति टन (रु०)
1979-80	17718	5863
1980-81	49499	11527

भारतीय एच. पी. एस. मूंगफली (बम्बई बोल्डस) की चालू प्रचलित दर 850 अमरीकी डालर प्रति टन एक्स-स्टोर रौटरडम है।

(घ) जी हां।

(ङ) सभी संबंधित तथ्यों को ध्यान में रखने के बाद निर्धारित की गई सीमित सीमा के अन्दर ही एच० पी० एस० मूंगफली के निर्यात की अनुमति दी जाती है।

पटसन की वस्तुओं के निर्यात के अपने हिस्से को बनाये रखने के लिए भारत और बंगलादेश द्वारा अपनाई जाने वाली नीति

3132. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और बंगलादेश ने जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय बाजार का सम्बन्ध है पटसन की वस्तुओं के निर्यात के अपने हिस्से को बनाये रखने के प्रश्न पर अपनाई जाने वाली नीति के बारे में अपनी रुचि प्रकट की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) 27 से 30 जनवरी, 1982 तक काठमांडू में एस्कैप के तत्वावधान में हुए पटसन उत्पादक देशों के बीच

सरकारी परामर्श से पटसन उत्पादक देशों के बीच क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग के लिए एक महत्त्वपूर्ण मामले के रूप में 'पटसन तथा पटसन माल के निर्यात' विपणन के लिए संयुक्त नीति निर्धारण का पता लगा है। भारत तथा बंगलादेश ने इस बात पर रुचि जाहिर की है कि समय समय पर होने वाले अंतर्राष्ट्रीय पटसन करार के मसोदे पर अंकटाड द्वारा प्रयोजित वार्ता के रूप में द्विपक्षीय विचार विमर्श किया जाए।

राज्यों में व्यापार केन्द्र

3133. **श्री निहाल सिंह** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां केन्द्र सरकार द्वारा व्यापार केन्द्र स्थापित किए गए है; और

(ख) इन केन्द्रों की स्थापना करने के मुख्य लक्ष्य क्या हैं और ये केन्द्र कब कार्य करना शुरू कर देंगे ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी भी राज्य में अब तक कोई व्यापार केन्द्र स्थापित नहीं किए गए हैं। तथापि व्यापार जानकारी के लिए एक राष्ट्रीय केन्द्र स्थापित करने के लिए कतिपय प्रस्थापनाओं पर विचार किया जा रहा है।

पुष्पों तथा पुष्प उत्पादों के निर्यात में गिरावट

3134. **श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुष्पों और पुष्प-उत्पादों के निर्यात में, जिसमें बहुत क्षमता है, गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1978-79 और 1980-81 का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निर्यात में गिरावट के कारणों का अध्ययन किया गया है; और

(घ) इस संबंध में सरकार का विचार क्या प्रोत्साहन और आवश्यक सहायता देने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा): (क) तथा (ख) पिछले 5 वर्षों के लिए भारत से पुष्पों तथा पुष्प उत्पादों के निर्यात निम्नोक्त प्रकार रहे हैं :

1976-77	:	24.28 लाख रु०
1977-78	:	75.50 लाख रु०
1978-79	:	80.05 लाख रु०
1979-80	:	56.22 लाख रु०
1980-81	:	38.26 लाख रु० (अनन्तिम)

(ग) जी हां।

(घ) पुष्पों तथा पुष्प उत्पादों के निर्यातों के लिए अपेक्षित अंतर्निविष्ट साधनों के आयात की अनुमति है। दिल्ली-बम्बई से फ्रैंकफर्ट को पुष्पों तथा पुष्प उत्पादों के निर्यात के लिए विशेष वस्तु दरें प्रदान की गई हैं। यह निर्णय लिया गया है कि निर्यात सदन बनने की पात्रता के प्रयोजन के लिए पुष्पों के निर्यात के लिए दुगने ऋण की अनुमति दी जाए। 1981-82 के लिए आयात नीति

में निर्धारित क्रियावधि के अनुसार पुष्पों के निर्यातों के एफ० ओ० बी० मूल्य के 33-1/3 प्रतिशत तक अतिरिक्त आयात लाइसेंस भी दिए जाएंगे ।

वाणिज्यिक बैंकों द्वारा आदिवासी क्षेत्रों के कल्याण के लिये योजना का कार्यान्वयन

3135. **श्रीमती जयन्ती पटनायक:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ वाणिज्यिक बैंक आदिवासी क्षेत्रों के कल्याण की योजना कार्यान्वित कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उन वाणिज्यिक बैंकों के नाम क्या हैं जिन्होंने आदिवासी कल्याण योजना लागू की है;

(ग) क्या किसी वाणिज्य बैंक ने उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों में इस प्रकार की कोई आदिवासी कल्याण योजना लागू की है;

(घ) यदि हां, तो योजना किस वर्ष लागू की गई और उड़ीसा में इन योजनाओं से कितने आदिवासी लाभान्वित हुए हैं ;

(ङ) उन वाणिज्यक बैंकों द्वारा उड़ीसा में कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं के ब्योरे क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ङ)

वाणिज्यिक बैंक विभिन्न योजनाओं के लाभप्राप्तकर्ताओं को ऋण देने के माध्यम से सहायता प्रदान करते हैं जिसको अनुसूचित जातियों से सम्बद्ध व्यक्तियों समेत कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए कार्यान्वित किया जाता है । बैंक आदिवासी क्षेत्रों में कल्याण के लिए राज्य सरकारों द्वारा स्थापित एजेंसियों के द्वारा तैयार की गई अर्थक्षम योजनाओं के वास्ते भी ऋण प्रदान करते हैं। यदि माननीय सदस्य उड़ीसा के ट्राइबल डेवलपमेंट कोआपरेटिव कारपोरेशन द्वारा कार्यान्वित किये जा रहे विकास कार्यक्रमों का उल्लेख कर रहे हैं, यह उल्लेखनीय है कि बैंक उपर्युक्त निगम की योजनाओं में सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं, उपलब्ध सूचना के अनुसार, सेंट्रल बैंक आफ इंडिया ने सितम्बर 1979 में वैयक्तिक लाभप्राप्तकर्ताओं को ऋण देने के लिए उपर्युक्त निगम को एक करोड़ रुपये की सीमा का ऋण स्वीकृत किया था । इस प्रकार के निगमों द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्तावों की गुणवत्ता के आधार पर, सम्बद्ध बैंकों द्वारा समय-समय पर इस किस्म की सहायत पर विचार किया जाता है ।

व्यावसायिक विमान चालक प्रशिक्षण केन्द्र

3136. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने व्यावसायिक विमान चालक प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये हैं;

(ख) ऐसे प्रशिक्षण केन्द्र कहां-कहां पर स्थापित किये गये हैं;

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव छठी योजनावधि के दौरान देश में कुछ और व्यावसायिक विमान चालक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो उपरोक्त योजनावधि में किन राज्यों में ऐसे प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) देश में कुल मिला कर फ्लाइंग क्लब/सरकारी संस्थान हैं जहां वाणिज्यिक विमानचालक लाइसेंस स्तर तक का उड़ान-प्रशिक्षण दिया जाता है।

(ख) कृपया संलग्न विवरण देखें।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

भारत में सिविल फ्लाइंग क्लबों/संस्थानों की सूची

क्रम संख्या	क्लब का नाम	स्थान
1.	आंध्र प्रदेश फ्लाइंग क्लब	हैदराबाद
2.	आसाम फ्लाइंग क्लब लि०	गौहाटी
3.	अमृतसर एविएशन क्लब	अमृतसर
4.	बम्बई फ्लाइंग क्लब	बम्बई
5.	बनस्थली विद्यापीठ फ्लाइंग एण्ड ग्लाइडिंग क्लब	बनस्थली विद्यापीठ
6.	कोयम्बतूर फ्लाइंग क्लब	कोयम्बतूर
7.	को-ऑपरेटिव हिन्द फ्लाइंग क्लब लिमिटेड, (समाप्य की प्रक्रिया में है)	लखनऊ (कानपुर तथा वाराणसी में शाखा)
8.	दिल्ली फ्लाइंग क्लब लि०	नई दिल्ली
9.	ईस्टर्न मध्य प्रदेश फ्लाइंग एण्ड ग्लाइडिंग क्लब	रायपुर
10.	गुजरात फ्लाइंग क्लब	बड़ौदा (सूरत में शाखा)
11.	हिसार एविएशन क्लब	हिसार
12.	केरल एविएशन ट्रेनिंग सेंटर	त्रिवेन्द्रम्
13.	करनाल एविएशन क्लब	करनाल
14.	जमशेदपुर को-ऑपरेटिव फ्लाइंग क्लब	जमशेदपुर
15.	लुधियाना एविएशन क्लब	लुधियान
16.	मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब लि०	इंदौर (भोपाल में शाखा)
17.	मद्रास फ्लाइंग क्लब लि०	मद्रास

(जारी···)

18. नार्दर्न इंडिया फ्लाइंग क्लब	जालन्धर छावनी
19. नागपुर फ्लाइंग क्लब लि०	नागपुर
20 पटियाला एविएशन क्लब	पटियाला
21. बिहार फ्लाइंग इंस्टीटयूट	पटना (मुजफ्फरपुर में शाखा)
22. गवर्नमैंट एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीटयूट	भुवनेश्वर
23. राजस्थान स्टेट फ्लाइंग स्कूल	जयपुर
24. गवर्नमेंट फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल	बंगलौर (मंगलौर में शाखा)
25. गवर्नमेंट फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	कलकत्ता

टिप्पणी : क्रम संख्या 21 से 25 तक के संस्थान विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा विभागीय संस्थानों के रूप में चलाये जा रहे हैं।

तेल के स्थान पर तिलहनों का आयात

3137. **श्री लक्ष्मण मलिक:** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार तेलों के स्थान पर तिलहनों का आयात करने का है;

(ख) क्या यह भी सच है कि राज्य व्यापार निगम द्वारा उक्त प्रस्ताव का विरोध किया गया है;

(ग) यदि हां, तो राज्य व्यापार निगम द्वारा उक्त प्रस्ताव का विरोध किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस मामले में क्या अद्यतन निर्णय किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा): (क) से (घ) तेल के स्थान पर तिलहन के आयात की कोई प्रस्थापना नहीं है। रेपसीड के स्थान पर रेप सीड तेल के आयात केप्रश्न पर राज्य व्यापार निगम तथा वनस्पति, वनस्पति तेल तथा वसा निदेशालय से परामर्श करके विस्तार पूर्वक विचार किया गया था। यह पाया गया कि रेपसीड तेल के स्थान पर रेपसीड के आयात के आर्थिक पहलू अत्यधिक प्रतिकूल हैं।

काजू का निर्यात

3138. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कैलेंडर वर्ष 1980 और 1981 के दौरान देश से कुल कितने टन काजू का निर्यात किया गया है;

(ख) किन-किन देशों को काजू का निर्यात किया गया;

(ग) उपरोक्त अवधि में काजू के निर्यात से कुल कितनी राशि की भारतीय मुद्रा अर्जित की गई; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) कैलेर वर्ष 1980 तथा 1981 के दौरान क्रमश: 36,856 तथा 29,449 में, टन काजू गिरी निर्यात की गई ।

(ख) प्रमुख आयात देश हैं: सोवियत संघ, जापान, आस्ट्रेलिया, चेकोस्लवाकिया, सिंगापुर, नीदरलैंड, ब्रिटेन तथा सं० रा० अमरीका ।

(ग) तथा (घ) 1980 में अर्जित कुल विदेशी मुद्रा 151.04 करोड़ रु० तथा 1981 में 171.94 करोड़ रु० थी ।

कनाडा और नाइजीरिया में भारतीय स्टेट बैंक के सहायक बैंक खोलना

3139. **श्री अनादिचरण दास** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक का कनाडा और नाइजीरिया में कुछ सहायक तथा संयुक्त बैंक खोलने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कनाडा और नाइजीरिया में ऐसे कुल कितने सहायक और संयुक्त बैंक खोले जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) ये बैंक कब तक खोले जायेंगे ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) भारतीय स्टेट बैंक को कनाडा में पूर्णत: स्वामित्व वाले सहायक बैंक तथा नाइजीरिया में ज्वाइंट वैंचर मर्चेन्ट बैंक को स्थापित करने की अनुमति दी गई है । बैंक ने इस सम्बन्ध में कनैडियन तथा नाजीरियाई प्राधिकारियों से भी आवश्यक अनुमति प्राप्त कर ली है और वह इन संस्थानों की शीघ्र स्थापना के लिए कार्रवाई कर रहा है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण देने के संबंध में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं द्वारा दूरी का पालन किया जाना

3141. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण देने के लिये दूरी की किन्हीं सीमाओं का पालन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इन सीमाओं का स्वरूप क्या है, तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरतमन्द लोगों को धन देने की व्यवस्था करने के लिये सरकार किस कार्यवाही पर विचार कर रही है, क्या अधिक शाखायें खोल कर ऐसा किया जायगा; और

(ग) यह कब तक सुनिश्चित करने का विचार है कि गांव को किसी शाखा से दूर होने के कारण ऋण लेने से वंचित न किया जाये ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) यद्यपि इस बारे में कोई कठोर सीमाएं नहीं हैं कि बैंक की कोई शाखा अपने से कितनी दूरी के भीतर ऋण प्रदान कर सकती है, फिर भी प्रत्येक शाखा के कार्यक्षेत्र को निर्धारण करने में मुख्यतः इस बात पर विचार किया जाता है कि उस क्षेत्र में संचार साधनों, ऋण के अंतिम उपयोग पर नजर रखने की उस शाखा की क्षमता और समय से वसूली करने की दृष्टि से क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं। ये सुविधाएं अलग-अलग शाखा और अलग-अलग क्षेत्र के अनुसार भिन्न होती हैं।

शाखाओं से यह आशा की जाती है कि वे केवल उन स्थानों की बैंकिंग आवश्यकताएं ही पूरी नहीं करेंगी जहां वे अवस्थित हैं बल्कि आसपास के गांवों और क्षेत्रों की बैंकिंग आवश्यकता भी उनसे पूरी होंगी। यद्यपि ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में बैंकों के शाखा जाल को और सुदृढ़ बनाया जा रहा है किन्तु अर्थक्षम परिचालनों के समग्र विचार की दृष्टि से बैंकों के लिए यह संभव नहीं होगा कि तुरंत सभी दूर दराज के गांवों को सीधी व्याप्ति उपलब्ध करा दी जाए। इस प्रकार के गांवों के निवासिवों को भी ऋण सुविधाएं उपलब्ध हो सकें, यह सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिक कृषि ऋण समितियों, कृषक सेवा समितियों और एल० ए० एम० पी० एस० आदि के गठन और निकटस्थ बैंक शाखाओं से उनको सम्बद्ध करने पर जोर दिया जा रहा है।

(ग) पिछले दशक में शाखा लाइसेंसिंग नीति का जोर खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा जाल बढ़ाने पर रहा है। ग्रामीण/अर्ध शहरी क्षेत्रों में 17 हजार व्यक्तियों पर औसतन एक बैंक शाखा की बैंकिंग व्याप्ति सुनिश्चित करने के लिए, अब प्रत्येक खण्डवार आधार पर शाखाओं के स्थानागत संवितरण पर अधिक जोर दिया जा रहा है। बहुत कम आबादी वाले पहाड़ी क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों पर विशेष रूप से विचार किया जाएगा और बैंकिंग सुविधाओं की उपलब्धि में वर्तमान अंतरालों, जनसंख्या के निर्धारित समूहों की बैंकिंग आवश्यकताओं की पूर्ति और आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए, इस प्रकार के क्षेत्रों में शाखा विस्तार को तुलनात्मक दृष्टि से अधिक उदार आधार पर मंजूर किया जाएगा।

नये कार्यालय स्थापित करने के लिए स्थानों का निर्धारण प्रत्येक जिले में खण्डवार आधार पर किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे उन बिना बैंक वाले स्थानों का निर्धारण करें जहां अगले तीन वर्षों की अवधि के दौरान शाखाएं खोलने की जरूरत होगी। आशा की जाती है कि इस नीति के कार्यान्वयन से अधिक से अधिक गांव सीधे बैंक कार्यालयों की सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे।

राष्ट्रीयकृत और गैर-राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें खोलने के लिये अपनाई जाने वाली प्रक्रिया ।

3142. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (एक) राष्ट्रीयकृत बैंकों (दो) गैर-राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें खोलने की क्या प्रक्रिया है और शाखाएँ खोलने के लिये जब स्थान निर्धारित किया जाता है तो क्या संसद सदस्यों जैसे जन-प्रतिनिधियों के विचारों को ध्यान में रखा जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या "लीड बैंकों" के अलावा अन्य बैंकों को भी जिलों में अपनी शाखायें खोलने की मन्जूरी दी गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई सुभाषित प्रक्रिया है; और

(घ) यदि हां, तो वह किस प्रकार की है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक की शाखा लाइसेंसिंग नीति की मोटी रूपरेखा के भीतर राष्ट्रीयकृत तथा गैर-राष्ट्रीयकृत दोनों प्रकार के वाणिज्यक बैंकों से आशा की जाती है कि वे ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में जिला परामर्श-दात्री समितियों एवं राज्य सरकारों के परामर्श से निर्धारित स्थानों में शाखाएं खोलें । शहरी और महानगरीय स्थानों के बारे में बैंक स्वयं ही लाइसेंसों के बारे में आवेदन करते हैं और नये विकसित स्थानों की आवश्यकताओं, ग्राहक सेवा को सुधारने के लिए कुछ बड़ी शाखाओं को तोड़ने की आवश्यकता और आर्थिक गतिविधि में बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक उनके बारे में निर्णय करता है । शाखाएं खोलने के बारे में माननीय संसद सदस्यों; विधानसभा सदस्यों और अन्य सार्वजनिक व्यक्तियों से प्राप्त सुझावों का मूल्यांकन भी भारतीय रिजर्व बैंक स्वयं बैंकों के परामर्श से करता है ।

(ख) से (घ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा व्याप्त जिलों में अतिरिक्त बैंक कार्यालय खोलने के स्थानों का नियतन करते समय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को तरजीह दी जाएगी । अन्य जिलों में उन बैंकों को तरजीह दी जाएगी जिनका उस क्षेत्र में काफी बड़ा शाखा-जाल हो अथवा जिनका स्वरूप क्षेत्रीय प्रकार का हो । क्षेत्रीय स्वरूप के छोटे बैंकों को अपने कार्य क्षेत्र से कटे हुए क्षेत्रों में शाखाएं खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

हथियारों की खरीद के लिये भारत स्वीडन वार्ता

3143. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वीडन के प्रधान मन्त्री की भारत की हाल की यात्रा के दौरान हथियारों की खरीद के सम्बन्ध में उनके साथ कोई बातचीत हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो बातचीत से क्या निष्कर्ष निकले ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) और (ख) हथियारों की खरीद के बारे में कोई खास वार्ता नहीं की गई थी ।

स्वीडन के औद्योगिक शिष्टमण्डल का भारत दौरा

3144. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वीडन के एक औद्योगिक शिष्टमण्डल ने फरवरी, 1982 में भारत का दौरा किया था और वाणिज्य मन्त्री से बातचीत की थी; और

(ख) यदि हां, तो बातचीत के क्या निष्कर्ष निकले ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) : जी हां। यह दौरा एक शिष्टाचार के रूप में था। भारत स्वीडन व्यापार बढ़ाने की सम्भावनाओं पर विचार विमर्श किया गया और प्रतिनिधिमण्डल के सदस्यों को आयात-निर्यात नीतियों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण दिए गए।

एक्सप्रेस टूरिस्ट बस सर्विस पर आयकर का छापा

3145. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच कि सदर बाजार दिल्ली केन्ट में कुछ समय पूर्व आयकर विभाग की गुप्तचर शाखा ने एक्सप्रेस टूरिस्ट बस सर्विस पर छापा मारा था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे सहित उसके क्या परिणाम निकले, उस पर क्या कार्यवाही की गई और उसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या कुछ संसद् सदस्यों ने दिल्ली के आयकर आयुक्त को करों इत्यादि की चोरी के कुछ मामलों की सूचना दी थी;

(घ) यदि हां, तो कृत कार्यवाही सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया :) (क) जी, हां। आयकर विभाग ने, 6 जून, 1978 को मेसर्स एक्सप्रेस टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट सर्विस के 2287, मोहर सराय, कौड़िया पुल, दिल्ली स्थित परिसरों और उसके मालिक श्री एस० के० गुप्त के 1/209/46, सदर बाजार, दिल्ली छावनी स्थित आवासीय परिसरों की तलाशी ली थी।

(ख) तलाशी की कार्यवाही के दौरान, मेसर्स एस० के० गुप्त एण्ड कम्पनी मेहरा नगर, हरिजन कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड तथा विच्छल रेस्टोरेन्ट से सम्बन्धित कुछ लेखा-बहियां और अन्य कागजात पकड़े गये थे। इन लेखा-बहियों की छान-बीन से यह पता चला कि कर-निर्धारिती के पास अपने नाम में अथवा बेनामी नामों में अनेक बसें थीं और उनसे प्राप्त आय का प्रकटन विभाग को पूर्ण रूप से नहीं किया जा रहा था। कर-निर्धारणों की वर्तमान स्थिति विवरण में दिखाई गई है।

(ग) जी, हां। दो मामले संसद सदस्यों द्वारा बताये गये थे।

(घ) आयकर आयुक्त, दिल्ली पांच ने यह सूचना 4 जनवरी, 1982 तथा 16 जनवरी, 1982 को आयकर आयुक्त (जांच) के पास जांच के लिए, दोनों संसद सदस्यों को सूचना देते हुए, भेज दी थी।

विवरण

कर-निर्धारिती का नाम : मेसर्स एक्सप्रेस टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट सर्विस 2287, मोहर सराय, कौड़िया पुल, दिल्ली 1
मालिक : श्री एस० के० गुप्त ।

कर-निर्धारण वर्ष	विवरणी में दिखाई गई आय विवरणी दाखिल करने की तारीख	निर्धारित आय कर-निर्धारण की तारीख	अपीलीय सहायक आयुक्त द्वारा अपील में घटौती आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा घटौती	क्या मामला उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया है अथवा नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1976-77	7500 1-9-1976	100500 29-3-79	29300 2300	कोई मामला दाखिल नहीं किया गया ।
1977-78	16000 30-7-1977	68755 24-2-80	34305 अपील, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अनिर्णीत पड़ी है ।	एक और संशोधित विवरणी 28-1-80 को दाखिल की गई जिसमें 600/-रु० की हानि घोषित की गई थी ।
1978-79	37900 4-2-1980	48100 23-7-80	36100 अपील आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अनिर्णीत पड़ी है ।	एक और संशोधित विवरणी 16-5-80 को दाखिल की गई जिसमें 32600/-रु० की आय घोषित की गईथी ।
1979-80	हानि 39126 12-7-80	आय 41287 15-11-80	हानि 38073 विभाग द्वारा कोई दूसरी अपील दाखिल नहीं की गई ।	

टिप्पणी:—कर-निर्धारण वर्ष 1976-77 में, अपील के प्रभावी होने के बाद, कर-निर्धारिती की आय उसके द्वारा विवरणी में दिखाई गई आय से कम बनती है । तथापि, यह इस तथ्य के कारण है कि कर-निर्धारिती ने, बस चलाने से हुई जिस आय को विवरणी में दिखाया था वह केवल अनुमान पर आधारित था । लेकिन कर-निर्धारिती को राहत मंजूर करते समय, अपीलीय प्राधिकारियों ने कुछ मामलों में कर-निर्धारिती को स्वीकार्य मूल्यह्रास के बारे में विचार किया है जिसके

परिणामतः सम्बोधित वर्षों से आय में हानि हुई। ऐसी हानि को कर-निर्धारिती की आय के प्रति समायोजित कर देने पर कर-निर्धारिती की आय, विवरणी में दिखाई गई आय से कम हो गई।

यह कर-निर्धारण, 18-2-80 को, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 148/147 (क) के अन्तर्गत इस विश्वास पर पुनः खोला गया है कि एक वर्ष में किए गए पूंजी-निवेश के बारे में कर-निर्धारिती द्वारा समाधान-प्रद रूप में स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था।

प्रस्तावित 15 फाइव स्टार होटलों पर व्यय

3146. **श्री निहाल सिंह :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के उन 15 स्थानों के नाम क्या हैं जहां 15 फाइव स्टार होटल खोलने का सरकार का प्रस्ताव है;

(ख) प्रत्येक होटल के निर्माण में कितनी धनराशि व्यय होगी; और

(ग) प्रत्येक होटल का निर्माण कब तक होने की सम्भावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) (ख) और (ग) सरकार होटलों का निर्माण नहीं करती। केन्द्रीय सेक्टरों में यह कार्यालय भारत पर्यटन विकास निगम (आई०टी०डी०सी०) और होटल कार्पोरेशन आफ इण्डिया (एच सी आई) द्वारा किया जाता है, जो एयर इण्डिया की एक संस्था है।

चालू पंचवर्षीय योजना (1980-85) के दौरान आई० टी० डी० सी० तथा एच० सी० आई० निम्नलिखित होटलों का निर्माण कर रहा है, जिनमें 5-स्टार की सुविधाएं होंगी:—

(क) आई० टी० डी० सी०

18 करोड़ रुपये (संशोधित लागत) की अनुमानित लागत पर नई दिल्ली में कौटिल्य होटल। इस होटल का निर्माण सितम्बर/अक्तूबर 1982 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है

भारत पर्यटन विकास निगम की छठी पंचवर्षीय योजना में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में होटलों के निर्माण की भी व्यवस्था है। सन्तोषजनक व्यवहार्यता रिपोर्टों, धनराशि की उपलब्धता तथा मांग के आधार पर 5-स्टार श्रेणी में इन होटलों का निर्माण किया जा सकता है।

(ख) एच० सी० आई०

(1) 20.25 करोड़ रुपये की अनुमति लागत पर नई दिल्ली में सेंटोर होटल। सितम्बर, 1982 तक होटल का आंशिक रूप से परिचालन हो जाएगा।

(2) 14 करोड़ रुपये (अनुमानित लागत का संशोधन विचाराधीन है) की अनुमानित लागत पर बम्बई में सेंटोर जुहू होटल। जून/जुलाई 1983 तक होटल का परिचालन हो जाएगा।

(3) 10.99 करोड़ रुपये (संशोधन-लागत विचाराधीन) की अनुमानित लागत पर श्री नगर में सेंटोर लेक व्यू होटल। होटल का परिचालन मार्च/अप्रैल 1983 तक हो जाएगा।

राज्य व्यापार निगम द्वारा सामान का निर्यात

3147. **श्री निहाल सिंह** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी,1978 से 31 दिसम्बर, 1981 की अवधि के दौरान राज्य व्यापार निगम ने विभिन्न फर्मों को कितने मूल्य के सामान का निर्यात किया; और

(ख) निर्यातकों ने उपर्युक्त अवधि के दौरान प्रत्येक फर्म को मुआवजे के बतौर कितनी धनराशि का भुगतान किया ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) :(क) 1977-78 से 1981-82 (31 दिसम्बर, 1981 तक) राज्य व्यापार निगम को कुल निर्यात बिक्री निम्नोक्त प्रकार है; (कलैंडर वर्ष के आंकड़े नहीं दिए जा सकते क्योंकि राज्य व्यापार निगम में लेखे वित्तीय वर्ष के आधार पर रखे जाते हैं)

वर्ष	कुल निर्यात बिक्री (करोड़ रुपये में)
1977-78	557.0
1978-79	601.8
1979-80	636.3
1980-81	440.5
1981-82 (31 दिसम्बर, 1981 तक)	286.7 (अनन्तिम)

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

1977-78 से 1981-82 (दिसम्बर तक) के दौरान प्रत्येक फर्म को मदवार मुआवजे के रूप में दी गई राशि निम्नोक्त प्रकार है:—

(लाख रुपये में)

	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81	1981-82
चावल					
जेसी (ओवरसीज) लि०, लन्दन	4.90	—	—	—	—
काफी/इंस्टेंट काफी					
सोजुपलोडन इंपोर्ट मास्को	1977-78 से 1981-82 के दौरान 17.61 लाख रुपये				
मसाले					
ई. डी. एफ. मान, लन्दन	—	—	—	2.96	—
शू आपर्स					
इंटरपेल्ज, ज० लो० ग०	36.14	39.70	24.34	9.00	—

चमड़े के जूते आदि					
राजनो एक्सपोर्ट, मास्को	24.08	4.37	2.11	—	—
गुलमेक, कनाडा	—	1.55	—	—	—
चमड़े का सामान					
एफ० ए० हिल्लैबरकेट प० जर्मनी		—	—	—	—
डी० ई० आई० ए०, मैक्स स्टोहर, प० जर्मनी	0.62	—	0.60	—	—
सीसिको इंटरनेशनल कार्पो०, सं० रा० अमरीका	—	—	—	0.90	—
साधित खाद्य					
नेशनल कं० फार फारेन ट्रेड, अदन	—	—	3.16	—	—
पेंट ब्रुश					
सोजूज्पुशमिना मास्को	—	—	—	0.08	—

टिप्पणी : ये आंकड़े निपटाये गए तथा भुगतान किए गए दावों के हैं और इनमें वे दावे शामिल नहीं हैं जिन्हें निपटाया जा रहा है।

मैसर्स सहारा सेविंग एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड गोरखपुर, द्वारा की गई तथाकथित अनियमितताएं

3148. **श्री निहाल सिंह : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मैसर्स सहारा, सेविंग एंड फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड सिनेमा रोड, गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) की गतिविधियों के बारे में जांच करवाई है;

(ख) यदि हां, तो कम्पनी का कुल वर्तमान पूंजी निवेश कितना है और इसकी कुल सदस्य संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने कम्पनी द्वारा की जा रही अनियमितताओं के बारे में कोई जांच करवाई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) रिजर्व बैंक के अनुसार यह कंपनी इनामी चिट कारबार का संचालन कर रही थी जिस पर इनामी चिट और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम, 1978 के अधीन पाबंदी लगा दी गई है। इस अधिनियम के उपबंधों को लागू करने की शक्तियां संबंधित राज्य सरकार के पास हैं। इनामी चिट स्कीमों

के संबंध में, कंपनी ने अपना परिसमापन कार्यक्रम राज्य सरकार को भेज दिया है जिस पर राज्य सरकार द्वारा आगे कार्यवाही की जा रही है। किन्तु राज्य सरकार के अनुसार, कंपनी द्वारा हाल में विज्ञापित स्कीमें, उक्त पाबंदी अधिनियम के अंतर्गत आपत्तिजनक नहीं है।

इस कंपनी की 30-9-1979 की स्थिति के सबसे हाल के उपलब्ध तुलन-पत्र के मुताबिक कंपनी की प्रदत्त पूंजी 11,000/- रुपए थी। कंपनी द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार को भेजे गए परिसमापन कार्यक्रम के साथ संलग्न विवरण के मुताबिक, सितंबर, 1980 में पंजीकृत और वास्तविक अभिदाताओं की संख्या 10,353 थी।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और इसके अन्तर्गत उपलब्ध सहायता

3149. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस सम्बन्ध के बारे में पता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और इसके अन्तर्गत उपलब्ध सहायता के बारे में जागरूकता का अभाव है;

(ख) क्या यह भी सच है कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा अनुदेश जारी करने के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ बैंक मैनेजर 5000.00 रुपये का ऋण देने के लिए गवाही मांगते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने यह पता लगाने के लिए गहराई से मूल्यांकन किया है कि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम कहां और कैसे उतनी प्रगति नहीं कर सका जितना इसका लक्ष्य था यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) प्रचार करना और उपर्युक्त (क) और (ख) में उल्लिखित आर्थिक बाधाओं को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को, सभी संबंधित राज्य स्तर की संस्थाओं, सरकारी क्षेत्र के बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों को ऋण प्रदान करके कार्यान्वित किया जा रहा है। बैंक स्वयं अपनी ओर से भी जहां तक संभव हो, अपने मूलभूत ढांचे को सुदृढ़ कर रहे हैं, जिससे कि इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में यथासंभव सहायता दी जा सके। वर्ष 1980-81 में इस कार्यक्रम के वास्ते बैंकों द्वारा पिछले वर्ष के 85 करोड़ रुपए की तुलना में 124 करोड़ रुपए का ऋण जुटाया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को ये स्पष्ट निर्देश भी दिए हैं कि कृषि और संबद्ध कार्यकलापों के वास्ते आर्थिक एकक की लागत अथवा 5 हजार रुपए तक के ऋण, इन दोनों में से जो भी कम हो, के संबंध में जमानत उक्त ऋण से निर्मित होने वाली परिसंपत्तियां अथवा उससे उत्पन्न होने वाली फसल ही होनी चाहिए। बैंकों को इसका पालन कड़ाई से करना होता है और यह सुनिश्चित करना होता है कि इन अनुदेशों के पालन के संबंध में कोई शिकायत न हो। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की अध्यक्षता में 21.11.1981 को बुलाई गई बैठक में की गई जिसमें बैंकों के मुख्य कार्यपालकों और राज्य के मुख्य सचिवों ने भाग लिया था। बैठक में निर्धारित किए गए वे मुख्य मुद्दे जिन पर इस संबंध में बैंकों और राज्य सरकारों द्वारा ध्यान दिया जाना अपेक्षित है, विवरण में दर्शाए गए हैं। इस बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को संशोधित विस्तृत अनुदेश जारी किए हैं जिससे कि इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में उनकी प्रभावशाली भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

विवरण

(क) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी बैंकों के शाखा जाल को बढ़ाना आवश्यक है ताकि ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में अधिक बैंकिंग सुविधा उपलब्ध हो सके।

(ख) बैंकों और जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए प्रशासकीय और प्रक्रिया संबंधी व्यवस्थाओं को विकसित करना आवश्यक है। जिला परामर्शदात्री समितियां राज्य अभिकरणों और बैंकों के बीच घनिष्ठ समन्वय स्थापित करने की स्थिति में होनी चाहिए। कार्य निष्पादन की नियमित निगरानी और समीक्षा होनी चाहिए जिसके लिए एक तर्कसंगत अवधि के भीतर आंकड़े उपलब्ध होने चाहिए।

(ग) लाभ प्राप्त-कर्त्ताओं का निर्धारण और उनके लाभ के लिए अर्थक्षम योजनाओं की तैयारी हाथ में ली जानी चाहिए और इस कार्य में यद्यपि राज्य अभिकरण मुख्य भूमिका अदा करेंगे फिर भी बैंकों को भी उनकी मदद करनी चाहिए और विभिन्न स्तरों पर उनसे संबद्ध रहना चाहिए। ऋण के आवेदनों पर विचार करने की प्रक्रिया फैली हुई होनी चाहिए और आवेदनों को समूह बनाकर निपटाने से बचना चाहिए।

(घ) बैंकों की ऋण प्रदान करने की प्रथाओं में एक सीमा तक एकरूपता लायी जानी चाहिए और यदि आवश्यक हो तो इसके लिए आवेदन फार्मों, दस्तावेजों आदि को एकरूपता दी जानी चाहिए। ऋण के आवेदनों पर शीघ्रता से विचार किया जाना चाहिए और इस दिशा में ऋणकर्त्ताओं को हर तरह की मदद की जानी चाहिए।

(ङ) बैंक कर्मचारियों द्वारा जमानत/दृष्टिबंधक के बारे में, रिजर्व बैंक द्वारा दी गयी हिदायतों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए और जोर कार्यक्रम की अर्थक्षमता पर न कि ऋणकर्त्ता की ऋण क्षमता पर होना चाहिए। ऋणों को स्वीकृत करने के लिए यदि आवश्यक हो तो ऋण कैम्प लगाये जाने चाहिएं और बैंक के कर्मचारियों को धन के उपयुक्त और सामयिक उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए ऋणकर्त्ताओं से निकट का सम्पर्क रखना चाहिए।

(च) निर्धन से निर्धन विशेषतः अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को सहायता देने पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए। विभेदी ब्याज दर योजना के अधीन दिये जाने वाले ऋण में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों को यथासंभव अधिक से अधिक व्याप्त किया जाना चाहिए।

(छ) राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऋणों की वसूली का वातावरण दूषित न हो क्योंकि यह महत्वपूर्ण है कि ऋण देने वाली संस्थाओं को उपलब्ध धन आदान-प्रदान के चक्र में रहे। जिन राज्यों में ऋणों की तेजी से वसूली के विषय में कानून या तो अपर्याप्त है अथवा अनुपस्थित है वहां राज्य सरकारों को उपयुक्त विधान बनाने पर विचार करने की आवश्यकता है।

"घाटे की अर्थव्यवस्था से छुटकारा जरूरी", शीर्षक से समाचार

3150. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 25 जनवरी के हिन्दी दैनिक "जनयुग" में "घाटे की अर्थव्यवस्था से छुटकारा जरूरी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह विचार कुछ दिनों पहले एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डा० मेलकम अदिशेशिया ने मद्रास में युनाइटिड न्यूज एजेंसी के संवाददाता से बातचीत करते हुए व्यक्त किया था;

(ग) यदि हां, तो उनके वक्तव्य की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुकर्जी) : (क) से (ग) सूचित हुआ है कि डा० मेलकम अदिशेशिया ने मद्रास में यूनाइटेड न्यूज एजेंसी के एक संवाददाता से भेंट वार्ता की थी, जिसका समाचार जनवरी, 1982 में विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था। सूचित हुआ है कि भेंटवार्ता में डा० अदिशेशिया ने यह कहा था कि घाटे की वित्त व्यवस्था को कम करने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करने से मुद्रास्फीति में कारगर ढंग से कमी की जा सकती है।

(घ) बजटीय घाटा, जो 1981-82 (संशोधित अनुमान) में 1700 करोड़ रुपए था, उसे कम करके 1982-83 के बजट में 1365 करोड़ रुपए (बजट अनुमान) पर लाया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लगातार सुदृढ़ बनाया जा रहा है और इसे अर्थव्यवस्था का एक स्थाई अंग बनाने का निर्णय 1980 के शुरू में ही कर लिया गया था।

फार्म उत्पादों के आयात और निर्यात के लिए पैनल

3151. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फार्म उत्पादों के आयात और निर्यात के संबंध में किसी पैनल की स्थापना करने का सरकार को कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी नहीं। निर्यात तथा आयात पैनल स्थापित करने के लिए फिलहाल ऐसी कोई प्रस्थापना नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अमरीका से कम ब्याज पर ऋण

3152. **श्री तारिक अनवर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि अमरीका सरकार का "एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक" अमरीकी उपकरण खरीदने में भारत की मदद करने के लिये ब्याज की कम दरों पर 220.5 लाख डालर मूल्य का ऋण प्रदान कर रहा है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुकर्जी) जी, नहीं। संयुक्त राज्य अमेरिकी निर्यात-आयात बैंक से ब्याज की कम दरों पर 2.205 करोड़ अमेरिकी डालर के ऋण के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

ईरान द्वारा भारतीय माल रोका जाना

3153. **श्री तारिक अनवर** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ईरान सरकार ने अपनी विषम वित्तीय स्थिति के कारण 4 करोड़ रु० मूल्य के भारतीय माल का निर्यात रोक दिया है; और

(ख) इस गतिरोध को दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) सरकार को कई भारतीय निर्यातकों से उनके द्वारा ईरान को निर्यात करने के लिए बनाये गए माल के भुगतान प्राप्त करने में पेश आने वाली कठिनाइयों के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) इस मामले को ईरान स्थित हमारे दूतावास की मार्फत प्राधिकारियों के साथ पहले से उठाया जा चुका है।

यह मामला उन मामलों में से एक है, जिन पर आज ही रवाना होने वाले एक सरकारी प्रतिनिधिमंडल द्वारा विचार विमर्श किए जाने की आशा है।

संयुक्त अरब अमीरात द्वारा भारत में बैंक शाखाओं का खोला जाना

3154. **श्री तारिक अनवर** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि संयुक्त अरब अमीरात खाड़ी देशों में रह रहे भारतीय-प्रवासियों द्वारा स्वदेश मे धन भेजने का कार्य सम्भालने के लिये भारत में और अधिक बैंक शाखाओं के खोले जाने के विषय में सहमत हो गए हैं?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : संयुक्त अरब अमीरात के दो बैंक, अर्थात् एमिरेट्स कमर्शियल बैंक लि० और बैंक आफ ओमान लि० दोनों की, भारत में, बम्बई में, एक-एक शाखा पहले से ही विद्यमान है। भारतीय रिजर्व बैंक ने, जो कि लाइसेंसिंग प्राधिकारी है, भारत में संयुक्त अरब अमीरात के बैंकों की और शाखाएं खोलने की अनुमति देने के बारे में कोई निर्णय नहीं किया है।

कागज के निर्यात पर रोक हटाना

3155. **श्री तारिक अनवर** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय सरकार लिखने और छपाई के कागज के निर्यात पर रोक हटाने पर विचार कर रही है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : लेखन तथा मुद्रण कागज का वर्तमान उत्पादन देश के शैक्षिक क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप है। उद्योग मंत्रालय उत्पादन तथा घरेलू आवश्यकता की प्रवृत्तियों पर निगरानी रखे हुए है।

चाय के निर्यात कोटे पर समझौता

3156. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में हाल ही में हुए चाय उत्पादक देशों के सम्मेलन में चाय के निर्यात कोटे पर क्या समझौता हुआ है;

(ख) क्या यह सच है कि चाय उत्पादन की लागत में वृद्धि के कारण चाय का निर्यात बढ़ाने में रुकावट आ रही है;

(ग) क्या सरकार का विचार चाय विकास निधि बनाने का है; और

(घ) चाय की बिक्री विदेशों में लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार अन्य किन उपायों पर विचार कर रही है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी०ए० संगमा): (क) देश के निर्यात कोटा आबंटन करने के लिए अपनाए जाने वाले फार्मूले के बारे में दिल्ली में फरवरी, 1982 में विस्तृत रूप से

विचार विमर्श हुआ था। यह सहमति व्यक्त की गई थी कि निर्यात कोटा आबंटन करने के लिए पक्के आधार पर करार करने की दृष्टि से कतिपय निर्यातक देशों में और परामर्श करना आवश्यक होगा।

(ख) उत्पादन की बढ़ती हुई लागत तथा अलाभकारी नीलामी कीमत वसूली से चाय उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

(ग) चाय विकास निधि के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

(घ) अपने सामान्य तथा एक राष्ट्रीय संवर्धन कार्यकलापों को जारी रखने के अलावा सरकार विदेशों में गोदामों को स्थापित करने के लिए तथा मूल्यवर्धित रूप में ब्राण्डवाली चाय बेचने की योजनाओं को प्रोत्साहन देती रही है। खुले समुद्र में चाय बेचने की एक प्रस्थापना पर भी सावधानी पूर्वक विचार किया जा रहा है।

अभ्रक के निर्यात के आदेशों की मात्रा तथा मूल्य

3157. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा**: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि "हिटको" तथा निर्यातकों के बीच सितम्बर, 1980 में 50-50 अंश प्रणाली प्रारम्भ किए जाने से सितम्बर, 1981 तक उक्त अवधि से पूर्व अर्थात सितम्बर, 1979 से सितम्बर, 1980 से पूर्व तक प्राप्त क्रयादेशों की तुलना में उन्मुक्त मुद्रा क्षेत्र से अभ्रक के कितने मूल्य तथा मात्रा के क्रयादेश प्राप्त किए गए ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा): संशोधित नीति 13-9-81 से लागू हुई है। सामान्य मुद्रा क्षेत्र से प्राप्त निर्यात संविदाएं निम्नोक्त हैं;

	मात्रा मे. टन में मूल्य लाख रु० में
(क) अक्तूबर, 1980 से सितम्बर, 1981 तक	मात्रा 8659.29 मूल्य 553.05
(ख) अक्तूबर, 1979 से सितम्बर, 1980 तक	13682.81 867.68

1980-81 के लिए संविदाओं के आंकड़े कृत्रिम रूप से कम थे क्योंकि गैर-सरकारी निर्यातकों ने 2.5 करोड़ रु० मूल्य की 7000 मे. टन से अधिक की मात्रा के लिए पुरानी संविदाओं (कुछ 1974-75 की भी) को फिर से वैध किया है।

गरीबी मिटाओ कार्यक्रम के लिए वाणिज्यिक बैंकों से ऋण

3158. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गरीबी मिटाओ कार्यक्रम के लिए वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण दिए जाने की स्थिति हाल में अत्यधिक निराशाजनक रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि वर्ष 1975-1980 की अवधि में ऋण खातों के केवल 0.2 प्रतिशत भाग से संबंधित व्यक्ति ही वाणिज्यिक बैंकों से 62 प्रतिशत ऋण प्राप्त करते रहे हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि गत दस वर्षों के दौरान अन्यथा विरोधों के बावजूद वाणिज्यिक बैंकों के पास उपलब्ध ऋण निधि का वास्तविक भुगतान केवल 0.2 प्रतिशत की निराशाजनक स्थिति तक रहा है;

(घ) क्या वर्ष 1981 में इस स्थिति में कोई परिवर्तन हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी आंकड़े क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ङ) वाणिज्यिक बैंक ऋण के रूप में अधिक-से-अधिक सहायता देकर, गरीबी विरोधी विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में, प्रगामी रूप से सहायता कर रहे हैं। यह सही है कि जून, 1975 के अन्त की स्थिति के अनुसार वाणिज्यिक बैंकों के 0.2 प्रतिशत खाते उनके बकाया ऋण के 60.2 प्रतिशत के बराबर बैठते थे। जून, 1980 के अन्त की स्थिति के अनुपात यह अनुपात घटकर 57 प्रतिशत पर आ गया। किन्तु यह ध्यान देने की बात है कि इनमें सरकारी और निजी क्षेत्र के मझोले और बड़े उद्योग शामिल हैं जिनमें ऐसे बड़े सरकारी क्षेत्र के वाणिज्यिक संगठन भी शामिल हैं जैसे फूड कारपोरेशन आफ इण्डिया, स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन, जूट कारपोरेशन आफ इण्डिया, कोटन कारपोरेशन आफ इण्डिया आदि। जहां तक छोटे ऋणकर्त्ताओं का सवाल है, जून, 1975 के अन्त की स्थिति के अनुसार वाणिज्यिक बैंकों की बकाया राशियों में 10 हजार रुपये तक की ऋण सीमाओं वाले ऋणकर्त्ताओं का अंश 9.2 प्रतिशत था। जून, 1980 तक यह अंश बढ़कर 13.5 प्रतिशत तक पहुंच गया। समग्र रूप में इस प्रकार के ऋणकर्त्ताओं को दी गयी कुल ऋण राशि जून, 1975 में 830.8 करोड़ रुपये थी। जून, 1980 में इसकी समनुरूप राशि बढ़कर 2885.6 करोड़ रुपये तक पहुंच गयी। इस वर्ग में ऋणकर्त्ता खातों की संख्या में भी 94.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। उपर्युक्त के संदर्भ में 1981 के ब्यौरेवार आंकड़े इस समय उपलब्ध नहीं हैं।

विमानवाही पोत आई. एन. एस. विक्रांत का जीर्णोद्धार

3160. **डा० कृपासिन्धु भोई** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमानवाही पोत आई. एन. एस विक्रांत का तीन वर्षों में जीर्णोद्धार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो विमानवाही पोत की नई विशेषताएं क्या हैं और उसके जीर्णोद्धार पर कितना व्यय हुआ है; और

(ग) आधुनिक विमानवाही पोतों से यह किस प्रकार तुलनीय है ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) जीर्णोद्धार के दौरान जहाज की मशीनरी और उपकरणों की पूरी तरह से मरम्मत की गई थी और इन्हें फिर से चमकाया गया था तथा इसमें कुछ नई प्रणालियाँ भी लगायी गयी।

इस बारे में और ब्यौरे प्रकट करना लोक हित में नहीं है।

भव्य होटलों में विदेशी पर्यटकों के साथ लूट-पाट

3161. **डा० कृपासिन्धु भोई** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत कुछ महीनों से भव्य होटलों में विदेशी पर्यटकों के साथ लूट-पाट की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की जानकारी में ऐसे कितने मामले आए हैं और सरकार भारत में यात्रा पर आए विदेशी पर्यटकों के हित और सुरक्षा के पूर्वोपायों के लिए क्या कार्यवाही करने के बारे में विचार कर रही है; और

(ग) इन मामलों से सम्बन्धित होटलों के प्रबन्धकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) और (ख) : पिछले छः महीनों में हुई केवल 5 चोरियों के मामले पर्यटन विभाग के नोटिस में आये हैं। पर्यटकों की सम्पत्ति की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए विशेष आदेश जारी किए जा रहे हैं।

(ग) होटलों में सुरक्षा के प्रबंध संबंधित होटल मैनेजमैन्ट्स द्वारा किये जाते हैं। उन्हें सुधारने के लिए निरन्तर प्रयास किए जाते हैं और ऐसा वे केवल होटलों की साख को बनाए रखने के लिए बल्कि विदेशी पर्यटकों के विश्वास को बनाए रखने के लिए भी किया जाता है जो एक सतत प्रक्रिया है।

भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास

3162. **प्रो नारायणचन्द पराशर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष सहित गत तीन वर्षों के दौरान पुनः स्थापन निदेशालय ने भूतपूर्व सैनिकों के पुनः स्थापन और पुनर्वास के लिए कोई प्रभावशाली कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या कदम उठाए गये हैं तथा दिनांक 1 जनवरी, 1979; 1 जनवरी, 1980; 1 जनवरी, 1981 और 1 जनवरी, 1982 को निदेशालय में थल, जल और वायु सेना से सम्बन्धित पृथक-पृथक रूप से कितने-कितने भूतपूर्व सैनिकों के नाम दर्ज थे तथा उनमें से 1 जनवरी, को शुरू होने वाले प्रत्येक कैलेण्डर-वर्ष में कितने-कितने भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार दिया गया; और

(ग) क्या निदेशालय के क्षेत्रिय कार्यालय खोलकर पुनः स्थापना की पद्धति को विकेन्द्रीकृत करने का कोई प्रस्ताव है ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० पी सिंह देव) : (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

रक्षा मंत्रालय में पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा किए गए प्रयासों के फलस्वरूप भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास्थापन तथा पुनर्वास के लिए चालू वित्त वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान अनेक प्रभावशाली उपाय किए गए हैं। ये उपाय इस प्रकार हैं :—

(1) केन्द्रीय तथा अधिकांश राज्य सरकारों द्वारा सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में रिक्त पदों में आरक्षण।

(2) आरक्षित पदों पर भूतपूर्व सैनिकों की पुनर्नियुक्ति के लिए आयु और शैक्षणिक अर्हता में छूट।

(3) सेवानिवृत्त होने वाले रक्षा कार्मिकों को उनकी सेवा के अन्तिम वर्ष में विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था ताकि अधिक से अधिक भूतपूर्व सैनिक सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में नौकरियों पर लग सकें।

(4) निजी रोजगार शुरू करने के लिए भूतपूर्व सैनिकों को सुविधाएं मंजूर करना ।

(5) भूतपूर्व सैनिक उद्यमियों को ब्याज पर सहायता और भूतपूर्व सैनिकों को औद्योगिक यूनिट द्वारा सप्लाई की गई रक्षा मूल की मदों की कुल लागत पर 5 प्रतिशत की सहायता पुनर्वास महानिदेशालय/राज्य सैनिक बोर्ड/जिला सैनिक बोर्डों को आरक्षित पदों पर भूतपूर्व सैनिकों को भेजने के बारे में शक्तियां भी सौंप दी गई हैं ताकि अधिक से अधिक भूतपूर्व सैनिकों को उनके लिए आरक्षित पदों पर लगाया जा सके ।

2. पुनर्वावास महानिदेशालय के पास पंजीकृत भूतपूर्व सैनिकों की संख्या और उनमें से उपयुक्त रोजगार में लगाए गए भूतपूर्व सैनिकों की संख्या इस प्रकार है :

पुनर्वास महानिदेशालय के पास पंजीकृत भूतपूर्व सैनिकों की संख्या (जिसमें अफसर भी शामिल हैं)

	1978	1979	1980	1981
थलसेना	20,420	15,884	20,913	15,982
नौसेना	363	366	218	163
वायु सेना	960	2,051	1,499	1,972
जोड़ :	21,743	18,201	22,630	18,117

भूतपूर्व सैनिकों (जिनमें अफसर भी शामिल है) की संख्या जिन्हें पुनर्वास महानिदेशालय के माध्यम से रोजगार मिला है ।

	1978	1979	1980	1981
				(30 जून तक)
थल सेना	3,193	2,837	3,193	1,834
नौसेना	47	53	41	19
वायु सेना	84	125	107	40
जोड़ :	3,324	3,015	3,341	1,899

इसके अलावा पुनर्वास महानिदेशालय के पास पंजीकृत अनेक भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार कार्यालयों और उनके अपने प्रयासों से रोजगार मिल गया है। इस बारे में अपेक्षित सूचना उपलब्ध न होने के कारण ऐसे भूतपूर्व सैनिकों की संख्या मालूम नहीं है ।

3. भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए नए क्षेत्रीय कार्यालय खोलकर वर्तमान कार्य प्रणाली को विकेन्द्रित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । भूतपूर्व सैनिकों को पुनर्वास सहायता प्रदान करने के लिए चार दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और मध्य कमान के साथ सम्बद्ध चार क्षेत्रीय पुनर्वास निदेशालय अपने अधिकार क्षेत्रों में पहले ही कार्य कर रहे हैं । इन निदेशालयों के अलावा भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के हितों और कल्याण कार्यों की देख-भाल करने के लिए देशभर में 27 राज्य सैनिक बोर्ड और 217 जिला सैनिक बोर्ड कार्य कर रहे हैं ।

एयर बसों के 737 को पायलट कमांड लिए मानदंड

3163. श्री चित्त महाटा : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एयर-बस की, 737-को-पायलटों को, प्रक्रिया और मानदंड में, बिना उनके आवश्यक वरिष्ठता और क्षमता प्राप्त किए ही, कमान देने का परिवर्तन किया है; और

(ख) यदि हां, तो सत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीयकृत बैंकों और जीवन बीमा निगम के प्रशासन को अधिक कुशल बनाना

3164. श्री चित्त महाटा
श्री हरिनाथ मिश्र } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार राष्ट्रीयकृत बैंकों को उनके प्रशासन को अधिक कुशल बनाने तथा उपभोक्ता सेवा में सुधार लाने के लिए मार्ग निदेश जारी करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के बकों के कार्यकरण की भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार द्वारा लगातार समीक्षा की जाती है। उनके प्रशासन को बेहतर बनाने और ग्राहक सेवा को सुधारने के वास्ते, समय-समय पर अनुदेश और मार्गदर्शी सिद्धांत भी जारी किये जाते हैं। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के सभी मुख्य कार्यापालकों की बैठक के बाद अभी हाल ही में अनुदेश जारी किए गए हैं कि बैंकों के प्रबन्धक बैंक कर्मचारियों की उत्पादकता को बढ़ाए और अनुशासनहीनता तथा देरी से उपस्थिती के मामलों को रोकने और समयोपरि भत्ते के व्यय को कम करने के लिए प्रभावी कदम उठाएं। ग्राहक सेवा में सुधार लाने की सरकार की इच्छा पर भी जोर दिया गया है। कर्मचारियों को सलाह दी गई है कि वे कार्य के प्रति निष्ठा और समर्पण के भाव से आम आदमी की सेवा के लिए कार्य करें।

उड़ीसा में कोणार्क और खण्डागिरी में ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रम

3165. श्रीमती जयन्ती पटनायक: क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध कोणार्क और खण्डागिरी स्थलों पर ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रम शुरू करने का कोई विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य में क्या प्रगति हुई है और यह कार्यक्रम कब शुरू किए जाएंगे ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान): (क) और (ख) राज्य सरकार ने कोणार्क और खण्डागिरी में ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रमों को आरम्भ

करने के बारे में एक प्रस्ताव हमें भिजवाया है जिसकी जांच की जा रही है। अभी तक इस बारे में अन्तिम रूप से कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

चाय का बल्क में निर्यात संबंधी नीति की जांच के लिए समिति

3166. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने बल्क में चाय का निर्यात करने के लिए उपयुक्तनीति निर्धारित करने की जांच करने के लिए कोई समिति नियुक्त की थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि उस समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है; और

(ग) यदि हां, तो समिति ने क्या-क्या महत्वपूर्ण शिफारिशें की हैं और उन्हें सरकार ने क्रियान्वित करने के लिए स्वीकार कर लिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) की गई सिफारिशों का सारांश दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। ये सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

विवरण

सिफारिशों का सारांश

हमारे ध्यान में यह बात आयी है कि राज्य सरकारों ने विभिन्न कारणों से विभिन्न बागान जिलों में चाय एस्टेटों के पास उपलब्ध खाली भूमि का बड़ा हिस्सा अपने अधिकार में ले लिया है। चाय के अधिक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उन भूमियों को असली मालिकों को दिये जाने के बारे में विचार किया जा सकता है। जहां इस प्रकार वापिस किया जाना संभव या व्यावहारिक नहीं है वहां इस प्रकार की भूमि के वर्तमान कब्जाधारियों को चाय उगाने के लिए छोटे उपज-कर्त्ताओं की सहकारी समितियों मे संगठित किए जाने पर विचार किया जा सकता है। छोटे उपज-कर्त्ताओं की सहकारी समितियों द्वारा उगाई गई चाय की पत्ती या तो संलग्न एस्टेटों में या इस काम के लिए स्थापित किए जाने वाले सरकारी कारखानों में प्रौसेस किया जा सकता है।

यद्यपि उत्पादन में अधिकांश प्रत्याशित वृद्धि चाय के वर्तमान क्षेत्रों में होगी किन्तु हमें चाय की खेती के अन्तर्गत ला कर इन प्रयासों में वृद्धि करनी होगी। चाय की खेती के लिए उपयुक्त पाये गए गैर-परम्परा क्षेत्र मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम तथा सिक्किम हैं। कुछ क्षेत्र त्रिपुरा में भी उपलब्ध हो सकते हैं। हमारा ऐसा ख्याल है कि त्रिपुरा के नवनिर्मित चाय विकास निगम ने इन क्षेत्रों का पहले ही पता लगा लिया है। उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों, मध्य प्रदेश के भागों में चाय के बागान लगाने और हिमाचल प्रदेश में चाय वाले क्षेत्रों का विस्तार करने की संभावना का पता लगाने की भी आवश्यकता है।

उत्तर पूर्वी राज्यों की राज्य सरकारें या तो अपने चाय बागान निगम स्थापित कर सकती हैं और इन निगमों के तत्वावधान में चाय की खेती आरम्भ कर सकती हैं या स्थानीय किसानों को सहकारी समितियों में संगठित करके उन सहकारी समितियों की चाय की खेती आरम्भ करने

में वित्तीय तथा साथ ही तकनीकी रूप से सहायता कर सकती है। तथापि पहले वाला मार्ग अधिक व्यावहारिक दिखाई पड़ता है। चाय बोर्ड इन क्षेत्रों में नर्सरियां स्थापित करने और सलाहकार समितियाँ स्थापित करने में राज्य सरकारों की मदद कर सकता है।

समिति ऐसा महसूस करती है कि उत्पादन की अवस्था में आने के लिए लगने वाली लंबी अवधि और अपेक्षित अधिक निदेश को देखते हुए इन राज्यों निगमों को ब्याज की रियायती दर पर ऋण देना उचित होगा। प्रथम दस वर्षों के लिए और उत्पादन शुल्क अवकाश दिया जा सकता है ताकि उत्पादन को प्रोत्साहन मिल सके।

गैर परम्परागत क्षेत्रों में जब तक राज्य बागान निगम नहीं बन जाते तब तक बागान का काम संबन्धित राज्य के वन विभागों को सौंपा जा सकता है।

चाय बोर्ड द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार वर्तमान चाय एस्टेटों में से लगभग 60,000 हेक्टार भूमि बागान के विस्तार के लिए उपलब्ध की जा सकती है। बागान की ऊंची लागत और उत्पादन की अवस्था में आने की लंबी अवधि को देखते हुए ऐसी सिफारिश की जाती है कि इस प्रकार की नई बागान गतिविधियों के लिए ब्याज की रियायती दरों पर संस्थागत वित्त दिया जा सकता है। समिति यह भी सिफारिश करती है कि ऐसे मामलों में प्रथम दस वर्षों के लिए उत्पादन शुल्क अवकाश भी दिया जा सकता है।

अधिक उत्पादन पर उत्पादन शुल्क की राहत की जो योजना 1976-79 में चल रही थी उसे पुनः आरम्भ किया जाना चाहिए ताकि उत्पादन का बढ़ावा मिल सके। हम यह भी सिफारिश करते हैं कि चाय जैसी वृक्ष वाली फसल के लिए योजना कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए घोषित की जानी चाहिए।

चाय उद्योग के लिए अन्य विनिर्माण उद्योगों की तुलना में उच्च दरों पर आयकर देय आवश्यक नहीं होना चाहिए और कराधीन तथा उसे केन्द्र तथा उस राज्य के बीच वहन करने का कोई फार्मूला हो, चाय उद्योग द्वारा देय कुल कर वही होना चाहिए जो अन्य विनिर्माण उद्योगों द्वारा देय हो।

चाय उद्योगों को राहत देने के उपाय के रूप में राज्य सरकारें अभिज्ञात सरकारी नीलामियों में बेची जाने वाली चाय पर बिक्री कर लगाने से छूट देने पर विचार कर सकती है जैसा कि असम के मामले में किया गया है।

हमारी चाय को प्रतियोगी बनाने की दृष्टि से चाय के निर्यातों पर उत्पादन शुल्क की रियायत देने की प्रणाली तत्काल पुनः आरम्भ की जानी चाहिए। हम यह भी सुझाव देते हैं कि निर्यातों के समय आंशिक रियायत देने की बजाए उत्पादन शुल्क पूरा ही लौटा देना चाहिए।

निर्यातकों को चाय की पेटियों में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न पैकेजिंग सामग्रियों पर शुल्कों की वापसी की सुविधा दी जानी चाहिए जैसा कि 1977-78 से पहले प्रचलित थी।

पश्चिम बंगला सरकार को निर्यात संवर्धन हित में उत्पादकों द्वारा किये जाने वाले सीधे निर्यातों में ग्रामीण रोजगार उपकर से तत्काल छूट दी जानी चाहिए।

एक सुझाव यह है कि लदान नीलामी के लिए शुरू में भेजी जाने वाली चाय के ब्रिटेन में गैर सरकारी तौर पर बेचे जाने की अनुमति दी जानी चाहिए जबकि चाय चाहे खुले समुद्र में हो या ब्रिटेन के गोदामों में निलामियों के लिए पड़ी हो। हम यह महसूस करते हैं कि निर्यातकों को

इस मामले में कुछ छूट दी जानी चाहिए। सरकार समुचित बातों का ध्यान रख कर ऐसे विषणन की अनुमति देने के लिए पद्धति तैयार कर सकती है।

समिति को यह पता चला है कि लन्दन केन्द्र के आधार पर सिंगापुर में एक नीलामी कद्र खोलने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित सिंगापुर केंद्र भारत के लिए ऐसे बाजार खोलेगा जिनमें अभी तक हम प्रवेश नहीं कर सके हैं। अतः समिति इस बात का स्वागत करती है।

कलकत्ता पत्तन में वर्थिंग की सुविधाओं में काफी सुधार की आवश्यकता है और विभिन्न उपकरणों के स्थान पर क्रमबद्ध रूप में आधुनिक उपकरण लगाने की आवश्यकता है।

हल्दिया बन्दरगाह के उचित उपयोग को देखते हुए अधिक अच्छा हो कलकत्ता बन्दरगाह क्षेत्र के बाहर कन्टेनर भाड़ा केन्द्र स्थापित करने के बारे में ईस्टर्न इंडिया शिपर्स एसोसिएशन का सुझाव विचार करने योग्य है, कलकत्ता से हल्दिया नौकाओं द्वारा कंटेनरों का संचालन अपरिहार्य दिखाई पड़ता है।

कलकत्ता बन्दरगाह में फोर्क लिफ्टों की संख्या बढ़ायी जानी चाहिए और उनका रख-रखाव भी ठीक तरह से होना चाहिए। कुछ क्षेत्रों में जो वैकल्पिक सुझाव रखा गया है वह यह है कि जैसा कि बम्बई बन्दरगाह में होता है निजी कंपनियों को अपने उपकरण लाने की अनुमति दी जाए।

कलकत्ता बन्दरगाह को मिलाने वाली सड़कों का रख-रखाव ठीक तरह से होना चाहिए।

हल्दिया में एक बर्थ का डिजाइन विशेष रूप से बनाया गया है और सरकार ने काफी लागत से उसका निर्माण किया है ताकि वह पूर्ण कंटेनर टर्मिनल के रूप में काम कर सके किन्तु अवस्थापना संबंधी उपयुक्त सुविधाओं के न होने से इसका उपयोग बहुत ही कम हो पाता है। इस बात को आवश्यकता है कि हल्दिया को सड़क और रेल संचार में काफी सुधार किया जाए। संबंधित अधिकारियों को इस मामले की जांच करनी चाहिए और उपचारात्मक उपाय करना चाहिए।

निर्यात अधिकारियों को या तो पृथक शेडों की व्यवस्था करनी चाहिए या निर्यात लदान के लिए आबंटन करने से पूर्व शेडों की सफाई का उचित प्रबन्ध करना चाहिए। वर्तमान शिपिंग शेडों की भी मरम्मत और पुनरुद्धार की आवश्यकता है।

हल्दिया बन्दरगाह के बाहर कुछ वेयर हाउसों का निर्माण किया जाना चाहिए जहां उत्तरी बंगाल और आसाम के बागों से सीधी चाय भेजी जा सके, क्षति में सुधार के काम को करने के लिए उसे स्टोर किया जा सके। शिपिंग बीजक के अनुसार पेटियों की छटाई की जा सके और निर्यात के लिए शिपमेंट शेड में उनको भेजने से पहले पैलेटाइजेशन किया जा सके।

—यह उपयुक्त होगा यदि पत्तनों के बीच प्रतिस्पर्द्धा न होने देने के उद्देश्य से भारत में सभी पत्तनों के पत्तन प्रभार एक ही स्तर पर रखे जाएं और यदि इस संदर्भ में कलकत्ता/हल्दिया पत्तनों के संबंध में चूंकि वे नदीय पत्तन हैं, उनके प्रभार उच्चतर होने की वजह से कतिपय उपदान देने की आवश्यकता हो तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुकुल रूप में विचार किया जाना चाहिये।

—ऊपर उल्लिखित अन्तरिम उपायों के बावजूद हम महसूस करते हैं कि कलकत्ता पत्तन में एक पूर्ण तथा आमूल सुधार की जरूरत है। अतः हम सिफारिश करते हैं कि केन्द्रीय सरकार को चाहिये कि वह एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन करे जिसे प्रशासनिक ढांचे की त्रुटियों, अथाह श्रमिक उत्पादकता, अधिशेष श्रमिक स्तर श्रमिक अनुशासन हीनता के कारकों, बर्थों लदान शैडों तथा यांत्रिक उपकरणों को आधुनिक बनाने की जरूरत की जांच करनी चाहिए। कोचीन में भी स्थिति खराब होती जा रही है और प्रस्तावित समिति को साथ ही कोचीन पत्तन के बारे में भी विचार करना चाहिए।

—हमें स्थान बनाने तथा अपने अंश में सुधार के लिए फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, स्वीडन, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, यू० एस० ए०, चिली, सीरिया, पाकिस्तान, ट्यूनिशिया, जापान, हांककांग, मोरको, तथा अल्जीरिया पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। जबकि ऊपर उल्लिखित प्रथम दस देश काफी चाय के लिए बाजार हैं। तो जापान तथा हांगकांग काफी व हरी दोनों प्रकार की चाय के लिए संभाव्य बाजार होंगे और मोरको तथा अल्जीरिया के बाजार मुख्यतः हरी चाय के लिए होगा।

—भारतीय चाय के प्रचार के लिए उपयुक्त संवर्धनात्मक नीतियों की सिफारिशें करने के लिए विशेषीकृत अभिकरणों के माध्यम से ऊपर उल्लिखित देशों में विशिष्ट बाजार अनुसंधान अध्ययन किए जा सकते हैं।

—हमें प्रमुख आयात बाजारों में अपेक्षित किस्म की हरी चाय के उत्पादन की प्रौद्योगिकी विकसित करनी होगी। चाय अनुसंधान संस्था को इस विषय पर एक अनुसंधान परियोजना आरम्भ करनी चाहिये।

—चाय बोर्ड को सुदूर पूर्व तथा अफ्रीका में संवर्धनात्मक गतिविधियां शुरू करने के लिए इन दोनों क्षेत्रों में एक एक नया कार्यालय खोलना चाहिये। एक समुचित अध्ययन के बाद कार्यालय के स्थान निर्णय लिया जा सकता है।

—समिति यह भी महसूस करती है कि राष्ट्रीय स्तर पर चाय संवर्धन व्यावसायिक स्तर पर होना चाहिये और इस प्रायोजनार्थ भारत तथा विदेशों दोनों में चाय बोर्ड के संवर्धनात्मक एककों को नया स्वरूप प्रदान करना आवश्यक हो सकता है। कलकत्ता में चाय बोर्ड के संवर्धन निदेशालय तथा विदेशी संवर्धनात्मक कार्यालयों को यथासम्भव तथा यथाव्यवहार्य रूप में एक व्यावसायिक ढंग से संचालित किया जाना चाहिये। समिति हमारे संवर्धनात्मक प्रयासों को एक व्यावसायिक दिशा देने की जरूरत पर बार बार जोर नहीं दे सकती।

—प्राप्त सूचना के अनुसार चाय डन्ठलों की अच्छी मांग है, विशेषतः जापान में हरी चाय डन्ठलों की जिससे अच्छी कीमतें प्राप्त होती हैं। सरकार इस बात पर विचार कर सकती है कि क्या देश से चाय डण्ठलों के निर्यात करने की अनुमति दी जा सकती है।

—भारत को सामान्य संवर्धन के मामले में अन्य चाय निर्यातक देशों के साथ सहयोग करते रहना चाहिये और अन्तर्राष्ट्रीय चाय संवर्धन संघ की गतिविधियों में अपना समर्थन देना चाहिये।

—जबकि सामान्य संवर्धन अपनी सीमा में ठीक है, समिति महसूस करती है कि निकट भविष्य में ऐसे संवर्धन से कोई ठोस प्रत्यक्ष लाभ नहीं है, इसके अलावा, सामान्य संवर्धन का पूरा

लाभ प्राप्त करने के लिए यह अनिवार्य है कि ऐसे कार्यक्रमों के साथ एकराष्ट्रीय अभियानों का समन्वय किया जाए ।

—समिति महसूस करती है कि भारतीय चाय प्रतीक का कारगर तथा प्रभावशाली ढंग से संवर्धन तथा प्रचार करने की जरूरत है । आयात बाजारों में उपभोक्ता जनता के दिमाग में भारतीय चाय की छवि प्रस्तुत करने के उद्देश्य से और भारतीय चाय की विशिष्ट पहचान के लिए यह शर्त लगाई जा सकती है कि भारत से निर्यातित प्रत्येक पैकेट चाय/चाय बैग पर बोर्ड को विपणन प्रतीक होना चाहिये । वास्तव में यह शर्त निर्धारित की जा सकती है कि बल्क चाय पेटियों पर भी प्रतीक अंकित होना चाहिये ।

—एक वर्ष में 425 करोड़ रु० अर्जित करने वाले उत्पादन के लिए संवर्धन पर 2.5 करोड़ रु० (अथवा 0.6 प्रतिशत) का व्ययय समग्र रूप में अपर्याप्त है । कुल संवर्धनात्मक व्यय बस बढ़ा कर कम से कम 5 करोड़ रु० कर दिया जाना चाहिये । हम सुझाव देंगे कि प्रस्तावित उत्पादन शुल्क रियायत अर्थात 10 पैसे प्रति कि० ग्रा० के अंश को एक निधि के अन्तर्गत रखा जाना चाहिये जिसका उपयोग निर्यात संवर्धन के लिए किया जा सके ।

—समिति को सूचित किया गया कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार करार के अनुसार एक अन्तर्राष्ट्रीय आधार पर चाय के निर्यात के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करने के लिए एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है । इस मामले पर हमें जोरदार ढंग से कार्यवाही करनी चाहिये जिससे हमें भारतीय चाय की क्वालिटी की छवि प्रस्तुत करने में मदद मिलेगी ।

धारक बांड

3167. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुल कितने व्यक्तियों ने बांड खरीदे हैं और प्रत्येक ने कितने मूल्य के धारक बांड खरीदे हैं; और

(ख) क्या धारक बांडों ने एक समानान्तर धन बाजार बना दिया है और यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं ।

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुकर्जी) : (क) चूंकि विशेष धारक बांडों की खरीद के लिए कोई आवेदन पत्र देना जरूरी नहीं था, इसलिए यह मालूम नहीं है कि कितने व्यक्तियों ने ये खरीदे हैं । भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार कुल 964.55 करोड़ रुपए के बांडों की बिक्री हुई है ।

(ख) यद्यपि धारक बांड हस्तान्तरिणीय हैं, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि इनसे किसी प्रकार का समानान्तर धन बाजार बन गया है ।

उत्तर प्रदेश में पर्यटन-स्थलों का विकास

3168. **श्री दया राम शाक्य**
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री } : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में सरकार किन-किन स्थानों पर पर्यटन-स्थलों का विकास कर रही है ;

(ख) यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा कितनी धनराशि खर्च करने का अनुमान है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश में उन स्थानों के नाम, जहां केन्द्रीय सेक्टर में पर्यटन सुविधाएं दी जा रही हैं/प्रस्तावित की जा रही हैं. इन परियोजनाओं/स्कीमों की अनुमानित लागत तथा वर्तमान स्थिति निम्नलिखित है :—

पर्यटन विभाग

स्थान	स्कीम/ अनुमानित लागत	विवरण
1	2	3
1. कुशी नगर	(i) कुशी नगर की माईक्रोप्लानिंग	नेशनल इंस्टीट्यूट आफ डिजाइन (एन आई डी), अहमदाबाद के द्वारा माइक्रो-प्लानिंग का कार्य प्रगति पर है। 8.00 लाख रु० की अनुमानित लागत पर, (श्रावस्ती के माइक्रो-प्लानिंग को भी शामिल करते हुए) 1981-82 के दौरान कार्य के पूरा हो जाने की आशा है।
	(ii) पर्यटक सुविधाओं की व्यवस्था	1981-82 के दौरान 15.74 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया। ड्राईंग और डिजाइन तथा अनुपात तैयार किए जा रहे हैं। 1982-83 के दौरान कार्य किया जाएगा।
2. श्रावस्ती	(i) श्रावस्ती की माईक्रो-प्लानिंग	नेशनल इंस्टीट्यूट आफ डिजाइन, (एन आई डी) अहमदाबाद के द्वारा माइक्रो-प्लानिंग का कार्य प्रगति पर है। 8.00 लाख रु० की अनुमानित लागत पर (कुशी नगर की माइक्रो-प्लानिंग को भी शामिल करते हुए) 1981-82 के दौरान कार्य के पूरा हो जाने की आशा है।
	(ii) पर्यटक सुविधाओं का प्रावधान	ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं। 1982-83 के दौरान भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा।
3. फतेहपुर सीकरी	मास्टर प्लान तैयार करना (भूमि प्रयोग योजना)	10.40 लाख रु० की अनुमानित लागत पर कार्य पूरा होने वाला है।

(जारी.....)

1	2	3
4. ब्रज भूमि काम्पलेक्स	मास्टर प्लान तैयार करना (भूमि प्रयोग योजना)	अनुमानित लागत 2.15 लाख रु०; कार्य प्रगति पर है, 1982-83 के दौरान इसके पूरा हो जाने की आशा है।
5. पिपरवा	(i) मास्टर प्लान तैयार करना	0.75 लाख रु० की अनुमानित लागत; कार्य पूरा हो चुका है।
6. यू०पी० हिलस	ट्रैकिंग दौरों के लिए उपकरणों की खरीद	6.25 लाख रु० की अनुमानित लागत; 1981-82 के दौरान 5.76 लाख रु० रिलीज किए गए।
7. दुधवा	फोरेस्ट लाज	राज्य सरकार से इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त भूमि देने के लिए अनुरोध किया गया है। घन-राशि की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए 1982-83 के दौरान इसे शुरू करने का प्रस्ताव है।
आई० टी० डी० सी०		
1. आगरा	होटल	स्कीम की रूपरेखा तयार की जा रही है
2. गोरखपुर	होटल	राज्य पर्यटन विकास निगम के साथ एक संयुक्त उद्यम परियोजना जो घनराशि की उपलब्धता तथा संतोषजनक व्यवहार्यता पर निर्भर करेगी।
3. नैनीताल	होटल	संयुक्त उद्यम स्कीमों, जिसके अन्तर्गत नैनीताल/गोरखपुर की स्कीमें भी शामिल हैं, के लिए आई०टी०डी० सी० की छठी योजना में 100.00 लाख रु० का एक मुश्त प्रावधान किया गया है।
4. कुशी नगर	विद्यमान ट्रैवलर्ज लाज का विस्तार	भारत के अन्तर्गत ट्रैवलर्ज लाजों, जिनमें कुशी नगर का एक लाज भी शामिल है, के विस्तार के लिए आई० टी० डी० सी० की छठी योजना में 50.00 लाख रु० का एक मुश्त प्रावधान है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिग्रहीत की जाने वाली पटसन और कपड़ा मिलें

3169. श्री दया राम शाक्य : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण में चल रही पटसन मिलों से सरकार कितना लाभ अर्जित कर रही है; और

(ख) सरकार का भविष्य में कितनी पटसन और कपड़ा मिलों का अधिग्रहण करने का विचार है तथा वे कहां-कहां स्थित हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) अभूतपूर्व मांग और अन्तर्राष्ट्रीय एवं घरेलू बाजारों में मंदी, जिसने एन० जे० एम० सहित समस्त पटसन उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, के कारण एन० जे० एम० सी० के एककों को नकद हानियां हो रही हैं।

(ख) रुग्ण पटसन एवं वस्त्र मिलों को अधिग्रहण करने के लिए औद्योगिक विकास विभाग द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार विचार किया जाता है। रुग्ण एककों को पुनः सक्रिया बनाने के लिए अधिग्रहण ही एकमात्र तरीका है। रुग्ण एककों को फिर से चालू करने के लिए स्वस्थ एककों के साथ विलय करना नर्सिंग स्कीम के अन्तर्गत प्रबन्ध का परिवर्तन वित्तीय पुनर्गठन जैसे अन्य विकल्पों को भी अपनाया जा सकता है। रुग्ण एककों को मानिटर करने की यह सतत प्रक्रिया है और इसके स्वरूप से ही न यह संभव है और न ही यह बताना वांछनीय है कि कब और कौन सी मिल, यदि कोई हो, अधिग्रहण की जाएगी।

दिल्ली में विभिन्न मामलों में ली गई आयकर की तलाशियां

3170. श्री मूलचंद डागा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1975-76 से 1979-80 की अवधि के दौरान दिल्ली में 1118 मामलों में आयकर की तलाशियां ली गईं; और

(ख) उनमें से कितने मामलों में मुकदमा चलाया गया और मुकदमें किन तारीखों को चलाये गये और उनके क्या परिणाम निकले और कितने मामले अभी तक लम्बित पडे हैं तथा वे किस-किस तारीख से लम्बित पड़े हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, हां।

(ख) अब तक छः मामलों में इस्तगासे की कार्यवाही आरम्भ की गई है। इस्तगासे की कार्यवाहियां आरम्भ करने की तारीखें, उन कार्यवाहियों के परिणाम तथा अनिर्णीत पड़े मामलों की संख्या, निम्नानुसार है :—

क्र० सं०	इस्तगासे की कार्यवाही आरम्भ करने की तारीख	इस्तगासे की कार्यवाही का परिणाम
1.	15-2-1980	विचाराधीन
2.	फरवरी, 1980	विचाराधीन
3.	मार्च, 1980	विचाराधीन
4.	नवम्बर, 1980	विचाराधीन
5.	31-3-1981	इस्तगासे की कार्यवाही विचाराधीन रहने के दौरान अभियुक्त की मृत्यु हो गई।
6.	26-9-1981	विचाराधीन

रबड़ के न्यूनतम मूल्य में वृद्धि

3171. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रबड़ के न्यूनतम मूल्य बढ़ा कर 15 रु० प्रति किग्रा० करने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा): (क) जी हां।

(ख) अप्रैल, 1979 में, प्रथम ग्रेड़ रबड़ के लिए न्यूनतम कीमत अन्य ग्रेडों के लिए भिन्नता के साथ 655/- रु० प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 825/- रु० प्रति क्विंटल कर दी गई। यह निम्नतम कीमत 15 सितम्बर, 1981 तक वैध रही। इस समय प्राकृतिक रबड़ के लिए कोई न्यूनतम कीमत नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों की तुलना में घरेलू बाजार में निरन्तर चल रही अत्यधिक कीमतों को देखते हुए सरकार ने फिलहाल रबड़ के लिए कोई न्यूनतम कीमत निश्चित न करने का निर्णय किया है।

त्रिवेंद्रम से नई दिल्ली को सीधी उड़ान

3172. **प्रो० पी० जे० कुरियन**
श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार } : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को त्रिवेन्द्रम से नई दिल्ली को सीधी उड़ान के लिये अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) हाल में ऐसा कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

दिल्ली तथा त्रिवेन्द्रम के बीच यातायात की वर्तमान मांग से एक सीधी सेवा का औचित्य सिद्ध नहीं होता। तथापि, दिल्ली से त्रिवेन्द्रम तथा त्रिवेन्द्रम से दिल्ली के लिए यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एयरबस विमान से बम्बई में सुविधाजनक संयोजी उड़ान प्रदान की जाती है।

प्रमुख पर्यटन केन्द्रों में निवेश की गई राशि

3173. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के अनुसार इस समय भारत के प्रमुख पर्यटन केन्द्र कौन-कौन से हैं; और

(ख) इन केन्द्रों के विकास और संवर्धन के लिये भारत सरकार द्वारा पर्यटन विभाग या भारत पर्यटन विकास निगम के माध्यम से कितनी राशि का निवेश किया गया है और इनका वर्ष-वार तथा केन्द्र-वार ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) और (ख) एक स्थान की जब अधिक संख्या में स्वदेशी और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के पर्यटकों द्वारा यात्रा की जाती है तो इस कारण से अथवा पर्यटकों को आकर्षित करने की ऐसी संभाव्यता की वजह से वह स्थान एक प्रमुख पर्यटक केन्द्र बन जाता है। पिछले 4 वर्षों में केन्द्रीय सेक्टर के अन्तर्गत जिन पर्यटक केन्द्रों पर सुविधाओं की व्यवस्था की गई है, उन्हें संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी-3535/82]

अन्तर्राष्ट्रीय हवाईअड्डों के विकास के लिए दस वर्षीय योजना

3174. श्री रामावतार शास्त्री : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डों जैसे दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के विकास के लिये एक दस वर्षीय योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के पूर्ण होने तक कितनी धनराशि व्यय होने की संभावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) से (ग) जी, हां। तथापि, सरकार द्वारा यथा अनुमोदित छठी योजना के दौरान, भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण का मद्रास और कलकत्ता हवाईअड्डों पर अन्तर्राष्ट्रीय आगमन ब्लाकों में परिवर्धन-परिवर्तन करने तथा सब विमान क्षेत्रों पर पानी की सप्लाई, बिजली की सप्लाई तथा अन्य ऐसी ही नाना सेवाओं (Bulk Services) में वृद्धि करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण परियोजनाओं को हाथ में लिया है :—

(1) दिल्ली विमान क्षेत्र पर 63.95 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक नये अन्तर्राष्ट्रीय यात्री तथा कार्गो टर्मिनल कॉम्प्लेक्स का निर्माण इस परियोजना के मार्च, 1985 तक पूरा हो जाने की आशा है।

(2) बम्बई हवाईअड्डे पर 22.49 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक नये अन्तर्राष्ट्रीय कॉम्प्लेक्स (चरण-II) का निर्माण। इस परियोजना के अक्तूबर, 1984 तक पूरा हो जाने की आशा है।

(3) मद्रास हवाई अड्डे पर 10.04 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत में एक नये अन्तर्देशीय टर्मिनल कॉम्प्लेक्स का निर्माण, जो 1984 तक पूरा होता है।

(4) दिल्ली हवाईअड्डे पर 2.76 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक नये अंतर्राष्ट्रीय प्रस्थान ब्लाक का निर्माण, जो 1982 तक पूरा हो जाना है।

(5) बम्बई हवाई अड्डे पर 1.89 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से श्रेणी पर प्रकाश व्यवस्था का स्थापन जिसके 1982 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

समूची छठी योजना के लिए, चारों अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के निर्माण के लिये भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पूंजीगत व्यय के लिये 141 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, नागर विमानन विभाग का अन्तर्राष्ट्रीय हवाईअड्डों पर संचार/दिक्चालन उपकरणों के आधुनिकीकरण के लिए 27.24 करोड़ रुपये की राशि खर्च करने का प्रस्ताव है।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम के पास नियंत्रित कपड़े के भारी भंडार का जमा होना

3175. **श्री नरसिंह मकवाना :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम के पास कितनी मात्रा में नियंत्रित कपड़ा जमा हो गया है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) किस एजेन्सी के माध्यम से बाजार में नियंत्रित कपड़े की बिक्री की जा रही है और उचित दर दुकानों को नियंत्रित कपड़े की सप्लाई के लिए क्या व्यवस्था की गई है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा नियंत्रित कपड़ के लिए कितनी धनराशि की राज सहायता दी जा रही है और इसे किस तरह से दिया जा रहा है और हाल ही में राज सहायता में कमी किए जाने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा): (क) : राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अनुसार राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ से प्रेषण हिदायतें प्राप्त न होने की वजह से 31 जनवरी, 1982 को कपड़े की 12.600 गांठें रोक ली गई थीं। संघ ने यह बताया था कि जुलाई, 1981 में उपभोक्ता कीमतें संशोधित होने की वजह से नियंत्रित कपड़े के वितरण में कुछ कठिनाई आई थी।

(ख) राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ समन्वय अभिकरण है जो कि राष्ट्रीय स्तर पर नियंत्रित कपड़े के वितरण का कार्य करता है। राज्य स्तरीय अभिकरणों, जिनको राज्य सरकारों द्वारा नामित किया जाता है, परामर्श करके फुटकर दुकानों, जिनमें सहकारी समितियों की दुकानें, नागरिक पूर्ति निगमों की दुकानें तथा उचित दर की दुकानें शामिल हैं, के माध्यम से नियंत्रित कपड़ा अन्ततोगत्वा उपभोक्ता को उपलब्ध कराया जाता है।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उपादान के रूप में 124.11 करोड़ रु० की राशि दी गई। उपादान की वर्तमान दर साड़ियों तथा धोतियों के लिए 2 रु० प्रति वर्गमीटर तथा लट्ठे के लिए 1.50 रु० प्रति वर्गमीटर है। इस बात की आवश्यकता महसूस की गई कि निश्चित उपादान दर हो क्योंकि परिवर्तनशील उपादान दर से कितनी भी उपादान वचनबद्धता हो सकती थी।

ऋण लौटाने की (डेट सर्विसिंग) कठिन स्थिति

3176. **श्रीमती गीता मुखर्जी**
श्री आर० पी० यादव } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पिछले ऋण के बावजूद भारत को ऋण लौटाने की स्थिति निकट भविष्य में शोचनीय रहेगी;

(ख) क्या यह भी सच है कि सामान्यतया खतरे का स्तर 20 और 25 प्रतिशत के बीच माना जाता है जो पहले ही पार हो गया है और वर्ष 1982-83 में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विगत ऋण के भुगतान के मामले को लेखे में लिए बिना भारत को ऋण लौटाने के लिए कुल उपलब्ध धन-राशि को 30 प्रतिशत से अधिक की आवश्यकता होगी; और

(ग) यदि उक्त का उत्तर हां में है तो उक्त स्थिति से निबटने के लिए सरकार की योजना क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) और (ख) जी, नहीं !

(ग): यह सवाल पैदा ही नहीं होता !

अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक समस्याओं पर सम्मेलन

3177. **श्री नीरेन घोष** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक समस्याओं पर चर्चा करने के लिये नई दिल्ली में एक सम्मेलन बुलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें कौन से देशों को आमंत्रित किया गया है;

(ग) क्या विश्व बैंक को ऊर्जा के लिये उच्च स्तर पर उधार देने पर कोई आपत्ति नहीं हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या अमेरिका को इस पर आपत्ति है;

(ङ) यदि हां, तो अमेरिका के विचार क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, और

(च) यूरोपीय देशों के विचार क्या हैं;

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) :(क) और (ख) जी, हां। उत्तरी-दक्षिणी देशों के मसलों और दक्षिणी देशों के दक्षिणी देशों के साथ सहयोग करने के अवसरों और उसके सापेक्षिक महत्त्व के संबध में मौजूदा स्थिति पर विचार-विमर्श करने के लिए भारत सरकार के निमंत्रण पर 22 फ़रवरी, 1982 से 24 फरवरी, 1982 तक 44 विकासशील देशों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों की दिल्ली में बैठक हुई। जिन देशों ने नई दिल्ली में हुई बातचीत में भाग लिया उनके नाम ये हैं; अल्जीरिया, अर्जेन्टीना, बंगला देश, ब्राजील, बरुंडी, चीन, कोलम्बिया, क्यूबा, कोरिया गणतंत्र संघ, इक्वाडोर, मिस्र, चीन, गायना, इंडोनेशिया, ईराक, आयवरी कोस्ट, केन्या, कुवैत, मडगास्कर मलयेशिया, मेक्सिको, मौरक्को, नेपाल, निकरागुना, नाइजीरिया, पाकिस्तान, पैरू, फिलिपाइन्स, कोरिया गणतंत्र, रूमानिया, सेनेगल, वियतनाम समाजवादी गणतंत्र, श्रीलंका, तंजानिया, ट्रिनिदाद और टोबैगो, ट्यूनिशिया, युनाइटेड अरब अमीरात, उरुगुआय, वैनेजुएला, युगास्लाविया, जैरे और जाम्बिया।

(ग) जी, नहीं। विश्व बैंक ने स्वयं 1980 के प्रारम्भ में जुलाई, 1981 से जून, 1985 तक की अवधि के लिए ऊर्जा के संबंध में ऋण की राशि को 14 अरब डालर से बढ़ाकर 30 अरब डालर करने के एक प्रस्ताव पर विचार किया था। बैंक ने इस संबंध में एक ऐसे नए संगठन की स्थापना करने का भी सुझाव दिया था; जो ऊर्जा से संबद्ध संगठन होगा और जो विकासशील देशों में ऊर्जा कार्यक्रमों को वित्तीय सहायता देने में अपने को पूर्ण रूप से अर्पित करेगा। लेकिन इस प्रस्ताव को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(घ) और (ङ) संयुक्त राज्य अमेरिका का अब तक यह मत है कि ऊर्जा से संबद्ध संगठन जैसे किसी ऐसे नए संगठन की स्थापना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमारा यह मत है कि यदि ऊर्जा क्षेत्र के लिए अतिरिक्त साधनों की व्यवस्था करनी है तो उसके लिए

एक नई संस्था की स्थापना करना जरूरी होगा। हमारा यह भी विचार है कि जब तक किसी नई संस्था की स्थापना नहीं कर दी जाती है तब तक विश्व बैंक समूह द्वारा दिए जाने वाले ऋणों के स्तर को काफी अधिक बढ़ाए जाने की आवश्यकता होगी।

(च) यूरोप के अनेक देशों ने वित्तीय सहायता देने वाली एक नई ऊर्जा संस्था की स्थापना करने के पक्ष में अपने विचार व्यक्त किए हैं।

भारतीय पटसन निगम का कार्य

3178. **श्री नीरेन घोष : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारतीय पटसन निगम ने धीरे-धीरे देश में पटसन का उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में, विशेषकर पश्चिम बंगाल में, अपना कार्य बन्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) 1977 से पिछले पांच वर्षों में पटसन की फसल की तुलना में वसूली का अनुपात कितना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) पटसन अब उपजकर्ताओं के पास उपलब्ध नहीं है क्योंकि अब तक यह व्यापारियों के हाथ में पहुंच गया है। सरकार की यह नीति नहीं है भारतीय पटसन निगम व्यापारियों के लाभ के लिए कच्चे पटसन की खरीद करता रहे।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1977-78 से 1980-81 तक सहकारी संस्थाओं सहित भारतीय पटसन निगम द्वारा अधिप्राप्ति की तुलना में जूट मेस्टा का कुल उत्पादन निम्न प्रकार है :

(लाख गांठों में)

मौसम	जूट तथा मेस्टा का कुल उत्पादन	भारतीय पटसन निगम तथा सहकारी संस्थाओं द्वारा कुल अधिप्राप्ति	कालम 3 में कालम 2 का प्रतिशत
1	2	3	4
1977-78	71·54	6·68	1·0
1978-79	83·33	8·31	10·0
1979-80	80·28	8·62	10·8
1980-81	81·95	11·62	10·9
1981-82	80·00 (अनुमानित)	17·59	22·0

'सी' ग्रेड के आशुलिपिकों की पदोन्नति में अवरोध

3179. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या रक्षा मंत्री 'सी' ग्रेड के आशुलिपिकों में गतिरोध के बारे में 25 मार्च, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5004 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सशस्त्र सेना मुख्यालय के आशुलिपिकों की भर्ती और सेवा की शर्तें किस प्राधिकार के अन्तर्गत विनियमित हो रही हैं और क्या इसकी एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे;

(ख) केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के लिए विद्यमान नियमों से यह किस बात में भिन्न है तथा यदि उनमें कोई भिन्नता और असमानता है, तो उसे समाप्त करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं तथा अब तक उन्हें जारी रखने के क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा नियमावली (एक प्रति संसद पुस्तकालय में रख दी गई है।)

(ख) और (ग) सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा का गठन मोटे तौर पर केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के अनुरूप किया गया है। फिर भी दोनों सेवाओं के नियम, उनकी अपनी-अपनी विशिष्ट सेवा शर्तों के कारण, पूर्णतया एक जैसे नहीं हैं।

(1) केन्द्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा के अन्तर्गत आने वाले मंत्रालयों/विभागों में अधिकारियों के लिए विभिन्न ग्रेडों की आशुलिपिकों को प्राधिकृत करने के लिए एक निर्धारित मानदण्ड है किन्तु सशस्त्र सेना मुख्यालय और अंतरसेवा संगठनों में इस तरह का कोई मानदण्ड नहीं है वहां आशुलिपिकों को अफसरों के कार्यभर के आधार पर प्राधिकृत किया जाता है।

(2) केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक ग्रेड 'सी' केन्द्रीय सचिवालय सेवा में अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए सीमित विभाग प्रतियोगिता परीक्षा में बैठ सकते हैं। सरकार ने सशस्त्र सेना मुख्यालय में सिविल सेवा में ए०सी०एस०ओ०के० ग्रेड में पदोन्नति के लिए इस प्रकार की परीक्षा शुरू करने के विरुद्ध निर्णय किया है क्योंकि इस परीक्षा के किए जाने से आशुलिपिक ग्रेड 'सी' के मुकाबले सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के सदस्यों अर्थात् सहायकों का अहित होगा।

(3) केन्द्रीय सचिवालय सेवा में ग्रेड-I (अवर सचिव) के रिक्त पदों को पात्र अनुभाग अधिकारियों और आशुलिपिक ग्रेड-ए की सम्मिलित वरिष्ठता सूची से भरा जाता है, जबकि सशस्त्र सेना मुख्यालय की सिविल सेवा में सी० एस० ओ० की अस्थायी रिक्तियों को पात्र ए० सी० एस० ओ० की पदोन्नति द्वारा भरा जाता है। पर इसके लिए यह शर्त है कि प्रत्येक 25वीं रिक्त पद उसी आधार पर पात्र ग्रेड-ए आशुलिपिकों से भरा जाएगा। यह इस कारण से है कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा में अवर सचिव का पद केवल केन्द्रीय सचिवालयों सेवा के अधिकारियों से ही नहीं भरा जाता है बल्कि अखिल भारतीय सेवाओं और अन्य केन्द्रीय सेवाओं के अधिकारियों से भी भरा जाता है।

दिल्ली छावनी में बिजली के मीटरों को काटा जाना

3180. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिजली के बिलों के बकाया की वह अधिकतम राशि क्या है जिसके वसूली न होने पर बिजली काट दी जाती है तथा इस सम्बन्ध में एम०ई०एस० की क्या जिम्मेदारी है;

(ख) गत 12 महीनों के दौरान दिल्ली छावनी में इस कारण से कितने मीटरों से बिजली काट दी गई है और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) उपभोक्ताओं से बकाया राशि को वसूली के लिए एम० ई० एस० ने क्या कार्यवाही की है तथा उन दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या विभागीय कार्यवाही की गई है, जिन्होंने बकाया की राशि इतनी बढ़ जाने दी तथा इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं; और

(घ) क्या बीमारी आदि के आधार पर घरेलू प्रयोजन के लिए अस्थाई बिजली कनेक्शन देने के सम्बन्ध में एम० ई० एस० विनियमों में कोई प्रावधान है ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस बारे में कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं तथा उनका निपटान सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) बिजली के बकाया बिलों की अदायगी न करने के बारे में ऐसी कोई विशेष सीमा निर्धारित नहीं की गई है जिसके आधार पर एम० ई० एस० द्वारा बिजली काट ली जाए। फिर यदि बिलों का भुगतान न किया जाए तो एम० ई० एस० को बिजली काटने का अधिकार है।

(ख) इनकी संख्या 15 है, इनमें से 13 उपभोक्ताओं ने पुनः बिजली को लगाने के शुल्क सहित सारी बकाया राशि अदा कर दी है इसलिए उन्हें उनकी बिजली के कनेक्शन फिर से दे दिए हैं। दो उपभोक्ताओं को अभी अपनी पिछली बकाया राशि देनी है।

(ग) एम० ई० एस० दोषी उपभोक्ताओं को बिजली के बिलों का भुगतान निर्धारित समय के भीतर करने के बारे में नियमित रूप से नोटिस जारी करती हैं। अगर वे इन बिलों की अदायगी नहीं कर पाते तो इन उपभोक्ताओं की बिजली काट दी जाती है। चूंकि बिजली दैनिक उपयोग की आवश्यक मद है इसलिए उपभोक्ताओं के पास बिलों की अदायगी करने के अलावा और कोई चारा नहीं रह जाता ताकि उनकी बिजली न काटी जा सकें।

(घ) रक्षा मन्त्रालय के 15 अक्तूबर, 1957 के पत्र संख्या 87313/क्यू 3डब्ल्यू(पोलिसी)/3019/ए एस० ओ० आई० आई०/डी० (वर्क्स) द्वारा उपभोक्ताओं को चिकित्सा के आधार पर बिजली के अस्थायी कनेक्शन देने के लिए एम० ई० एस० को प्राधिकृत किया गया है। पिछले 12 महीनों की अवधि में निम्नलिखित दो व्यक्तियों को इस प्रकार के कनेक्शन मंजूर किए गए हैं :—

1. श्री मोती राम—11 से 24 फरवरी, 1982
2. श्रीमती रामा कपूर—1 से 15 मार्च, 1982

इस सम्बन्ध में यह कहना है कि उनमें से श्री मोती राम ने सारी बकाया राशि और पुनः कनेक्शन शुल्क दे दिया है इसलिए 6 मार्च, 1982 से उन्हें स्थायी कनेक्शन मंजूर कर दिया गया है।

रक्षा मंत्रालय में सिविलियन स्कूल मास्टरों को सुविधायें

3181. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या रक्षा मंत्री विशेष सेवा आदेशों के अन्तर्गत सिविल कर्मचारियों को सुविधाओं के बारे में 30 जुलाई, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6076 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विलम्ब के लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान, वर्षवार कितने सिविलियन अध्यापकों को फालतू घोषित किया गया है और उनमें से कितने अध्यापकों की समान पदों पर नियुक्ति की गई है; और

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान किन-किन 'ट्रेड्स' को निर्जीव घोषित किया गया है तथा उनमें कितने-कितने कर्मचारी काम कर रहे थे तथा उन्हें निर्जीव घोषित करने के मुख्य आधार क्या-क्या थे ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) किसी अधिकारी द्वारा की गई देरी के बारे में हमें कोई सूचना नहीं मिली है। इसलिए उनमें से किसी के भी खिलाफ कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठता।

(ख)

	1977	1978	1979-80
(1) फालतू घोषित किए सिविलियन स्कूल मास्टरों की संख्या	5	7	शून्य
(1) उन सिविलियन स्कूल मास्टरों की संख्या जिन्हें समान पदों पर लगा दिया गया है।	2	3	शून्य

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है।

बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों/बड़े व्यापारिक गृहों तथा एम० आर० टी० पी० कम्पनियों को आई० डी० बी० आई० और आई० एफ० सी० आई० से वित्तीय सहायता

3182. **श्री रेणु पद दास** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों, बड़े व्यापार गृहों और एम० आर० टी० पी० कम्पनियों को आई०डी०बी०आई० तथा आई० एफ०सी०आई० से उदार शर्तों पर वित्तीय सहायता प्राप्त करने की अनुमति देने की इच्छुक है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना का किन-किन फर्मों को लाभ मिलने की सम्भावना है तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) बहु राष्ट्रिकों, बड़े औद्योगिक गृहों और एम०आर०टी०पी० कंपनियों को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा उदार शर्तों पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की कोई भी स्कीम सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न उपस्थित नहीं होते।

पश्चिमी बंगाल में लाइसेंसधारियों द्वारा स्पिण्डलों और करघों की स्थापना करना

3183. **श्री चित्त बसु** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1971 से मार्च, 1981 तक की अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल में 43 कपड़ा मिलों के लिए दिए गए लगभग 18,19,500 स्पिण्डलों और 1,200 करघों के लाइसेंसों के मुकाबले लाइसेंसधारियों ने उनमें से 46,655 स्पिण्डलों और 100 करघों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने लाइसेंसधारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा): (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

काला धन

3184. **श्री चित्त बसु**
श्री राम कृष्ण मोरे
श्री के० मालन्ना } : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि काले धन की एक निश्चित धनराशि ही नहीं है बल्कि यह निरन्तर बनती रहती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार समय-समय पर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इसका थोड़ा-थोड़ा हिस्सा निकलवाने की बजाय अनधिकृत आय के इस सतत प्रवाह को नियंत्रित करने के लिये कोई सुनियोजित प्रयास करना आवश्यक समझती है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये सरकार ने कोई व्यापक कार्यक्रम तैयार किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (घ) काले धन के विरुद्ध संघर्ष एक सतत् प्रक्रिया है और काले धन के विस्तार को रोकने के लिए निरन्तर तथा सशक्त प्रयासों के अलावा और कोई भी एकमात्र अथवा अन्तत: रणनीति नहीं हो सकती। सरकार ने कर-अपवंचन और काले-धन की उत्पत्ति को रोकने के लिए, समय-समय पर कई कानूनी उपाय किये हैं। प्रशासनिक तथा जांच-तंत्र को मजबूत करके इन कानूनी उपायों को सुदृढ़ किया गया है। सरकार, जहां आवश्यक होगा, और कानूनी उपाय करके बहु-विध कार्यवाही के माध्यम से तथा कर-कानूनों को और अधिक सशक्त तथा प्रभावी रूप से कार्यान्वित करके काले धन के विस्तार को रोकने का विचार रखती है।

सरकार क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा अर्जित लाभ

3185. **श्री चित्त बसु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र की 170 कम्पनियों ने, जिनमें 20652 करोड़ रुपये की कुल पूंजी लगी हुई है ; वर्ष 1981-82 के पूर्वार्द्ध में मात्र 48.5 करोड़ रुपये लाभ कमाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिये कोई गहन अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो उस अध्ययन के क्या परिणाम निकले; और

(घ) यदि कोई उपचारात्मक उपाय किये गये हैं; तो वे क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया): (क) प्राप्त अनन्तिम सूचना के आधार पर केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 170 उद्यमों ने 1980-81 की पहली छमाही में 48.5 करोड़ रुपये का अनुमानित निवल लाभ प्राप्त किया है। 30-9-1981 को इन उद्यमों में कार्य चालन पूंजी सहित कुल लगी पूंजी की अनन्तिम राशि 19652 करोड़ रुपये थी।

(ख) से (घ) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्य-निष्पादन का सम्बद्ध प्रशासनिक मन्त्रालयों तथा सरकार के शीर्ष अधिकारियों द्वारा निरन्तर परिवीक्षण किया जाता है। जब कभी आवश्यकता पड़ने पर कुछ खास सरकारी उद्यमों का गहन अध्ययन भी किया जाता है। इन अध्ययनों के परिणामों तथा अध्ययन दलों द्वारा की गई सिफारिशों पर सम्बद्ध प्रशासनिक मंत्रालयों एवं इन उद्यमों के प्रबन्धकों द्वारा समुचित सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिये पूरा-पूरा ध्यान दिया जाता है।

धन का लेन-देन करने वाली एजेंसियों के विरुद्ध किए गए उपाय

3186. **श्री ए० टी० पाटिल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान धन का लेन-देन करने वाली एजेंसियों के विरुद्ध भारत सरकार ने क्या उपाय किये हैं;

(ख) इस अवधि के दौरान ऐसी (राज्यवार और वर्षवार) किस-किस किस्म की एजेंसियो के बारे में कार्यवाही की गई, तथा छानबीन की गई;

(ग) अब भी (राज्यवार) ऐसी कितनी एजेंसियां चल रही हैं; और

(घ) उनकी गतिविधियों को समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) 12 दिसम्बर, 1978 से लागू हुए, इनामी चिट तथा धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम, 1978 के अंतर्गत धन परिचालन स्कीमों के संचालन पर पाबंदी लगा दी गई है। क्योंकि इस अधिनियम का कार्यान्वयन, संबंधित राज्य सरकार में निहित है, अतः जिस रूप में ब्यौरे पूछे गए हैं वे केन्द्रीय सरकार अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध नहीं हैं।

एफ-27 और एच० एस० 748 विमानों के स्थान पर अन्य विमानों का उपयोग

3187. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल**
श्री एन० ई० होरो
श्री अनादि चरण दास } : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार टर्बो प्रोथ एफ-27 और एच० एस०-748 किस्म के विद्यमान विमानों के स्थान पर नये विमान लाने का है;

(ख) क्या इन विमानों को आर्थिक दृष्टि से चलाना अब लाभप्रद नहीं रह गया है;

(ग) यदि हां, तो इंडियन एयरलाइन्स के पास प्रत्येक किस्म के कितने-कितने विमान हैं और इन्हें कब-कब खरीदा गया था;

(घ) नये विमान प्राप्त करने से संबंधित प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) किन-किन देशों से कितने-कितने मूल्य के विमानों की कब तक खरीदे जाने की संभावना है और उनका उपयोग कब शुरू किया जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) जी, हां। ये विमान पुराने होने के बावजूद सुरक्षित हैं परन्तु आर्थिक दृष्टि से इनके परिचालन की लाभ-प्रदता में ह्रास होता जा रहा है।

(ग) इंडियन एयरलाइन्स के बेड़े में इस समय 12 एच० एस०-748 तथा 8 एफ०-27 विमान हैं। इन विमानों के लिये जाने की तारीखें नीचे दी गई हैं।

एच०एस०-748

क्र० सं०	पंजीकरण	लिये जाने की तारीख
1.	बीटी-डीयूओ	22-6-67
2.	वीटी-डीएक्सएच	22-3-68
3.	वीटी-डीएक्सके	22-1-69
4.	वीटी-डीएक्सएल	29-3-69
5.	वीटी-डीएक्सएम	28-4-69
6.	वीटी-डीएक्सएन	17-6-69
7.	वीटी-डीएक्सओ	9-8-69
8.	वीटी-डीएक्सपी	3-12-69
9.	वीटी-डीएक्सक्यू	12-2-70
10.	वीटी-डीएक्सआर	26-2-70
11.	वीटी-ईएटी	21-4-72
12.	वीटी-ईएवी	25-6-72

एफ०-27

1.	वीटी-डीएमबी	12-4-61
2.	वीटी-डीएमसी	30-4-61
3.	वीटी-डीओके	6-1-63
4.	वीटी-डीओएल	27-2-63
5.	वीटी-डीओएम	12-3-63
6.	वीटी-डीओएन	29-3-63
7.	वीटी-डीडब्ल्यूयू	11-9-67
8.	वीटी-ईबीजे	2-6-71

(इनमें वायुदूत को पट्टे पर दिया गया एक विमान भी सम्मिलित है)

(घ) और (ङ) इनको बदलने के लिए अध्ययन किए जा रहे हैं। अभी कोई निश्चित प्रस्ताव नहीं है।

भारतीय पटसन निगम द्वारा पटसन की खरीद

3188. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी पटसन उत्पादन मौसम में भारतीय पटसन निगम पटसन की कितनी मात्रा खरीदेगा; और

(ख) भारतीय पटसन निगम के पास पटसन का वर्तमान भंडार कितना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) 1982-83 के लिए भारतीय पटसन निगम की कार्य की योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) 28-2-1982 को विद्यमान स्थिति के अनुसार भारतीय पटसन निगम के स्टाक में बिक्री संविदाओं द्वारा कवर की गई 1.61 लाख गांठों सहित कुल 24.76 लाख गांठें थी।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के मुख्यालय

3189. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के ऐसे कौन-कौन से उपक्रम हैं, जिनके मुख्यालय दिल्ली/नई दिल्ली और इसके आस-पास के क्षेत्रों में स्थिति हैं; और

(ख) उपरोक्त कार्यालयों की यहां स्थापना करने के क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) सम्भवत: मांगी गई सूचना सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के नई दिल्ली, दिल्ली और उसके आस-पास के क्षेत्रों में स्थित मुख्यालयों के बारे में है। उपलब्ध सूचना के अनुसार ऐसे 48 उपक्रम हैं जिनके मुख्यालय दिल्ली, नई दिल्ली और उसके आस-पास के क्षेत्रों में स्थित हैं। इन उपक्रमों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) इन मुख्यालयों की स्थापना दिल्ली में करने के कारण इस प्रकार हैं :—

(1) सम्बद्ध प्रशासनिक मंत्रालयों के साथ आन्तरिक कार्रवाई करने की आवश्यकता।

(2) कम्पनी के कार्य स्वदेश तथा विदेशों में फैले हुए हैं।

(3) दिल्ली में कम्पनी के अपने कार्यालय आवास की उपलब्धि तथा दिल्ली में कार्यालय आवास के लिए कम्पनी द्वारा अदा किया जा रहा कम किराया।

(4) उपयुक्त रिहायशी मकानों और स्थल पर कार्यालय की इमारत के निर्माण के लिए धन प्राप्त करने में कठिनाइयां।

विवरण

उन सरकारी उद्यमों की सूची जिनके मुख्यालय नई दिल्ली, दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में स्थित हैं।

1. भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड।
2. भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड।
3. भारत सीमेंट निगम।
4. केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम लि०।

5. केन्द्रीय भाण्डागार निगम ।
6. दिल्ली परिवहन निगम ।
7. इलेक्ट्रोनिक्स ट्रेड एंड टेक्नालोजी डिवेलपमैंट कारपोरेशन ।
8. इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड ।
9. इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड ।
10. फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया ।
11. भारतीय खाद्य निगम ।
12. भारतीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड ।
13. हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड ।
14. हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड ।
15. हिन्दुस्तान प्रीफेब लिमिटेड ।
16. आवास एवं नगर विकास निगम ।
17. हाइड्रोकार्बन्स (इंडिया) लिमिटेड ।
18. भारत पर्यटन विकास निगम ।
19. इंडियन एअरलाइन्स ।
20. भारतीय तेल निगम ।
21. इंडियन रेलवे कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड ।
22. भारतीय सड़क निर्माण निगम लिमिटेड ।
23. औद्योगिक वित्त निगम ।
24. भारत अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण लिमिटेड ।
25. खनिज एवं धातु व्यापार निगम लिमिटेड ।
26. माडर्न बेकरीज (इंडिया) लिमिटेड ।
27. राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड ।
28. नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ।
29. नेशनल हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन ।
30. राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड ।
31. नेशनल प्रोजेक्ट्स कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन ।
32. राष्ट्रीय अनुसन्धान विकास निगम लिमिटेड ।
33. राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड ।
34. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ।
35. नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन (धारक कम्पनी) ।
36. नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन (दिल्ली, पंजाब और राजस्थान) ।
37. नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन ।

38. ओरियन्टल फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड।

39. प्रोजेक्ट्स एंड इक्विपमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड।

40. रेल इण्डिया टैक्नीकल एंड इकोनामिक सर्विसेज लिमिटेड।

41. ग्राम विद्युतीकरण निगम लिमिटेड।

42. स्टेट केमिकल्स एंड फार्मेस्यूटिकल्स कारपोरेशन लि०।

43. भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड।

44. स्टेट फार्म्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड।

45. स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड।

46. टेलीकम्युनिकेशन्स (कन्सलटेंट्स) लिमिटेड।

47. भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण लिमिटेड।

48. वाटर एंड पावर डिवेलपमैंट कन्सलटेंसी सर्विसिज (इण्डिया) लिमिटेड।

कारपोरेट सैक्टर के लम्बित कर का निर्धारण

3190. **डा० वसन्त कुमार पण्डित :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कारपोरेट सैक्टर के लम्बित कर-निर्धारण का सर्वेक्षण किया है और उनके द्वारा कर अपवंचन के कारणों की जांच की है;

(ख) कारपोरेट सैक्टर की कम्पनियों के (एक) 3 वर्ष, (दो) 5 वर्ष, (तीन) 7 वर्ष और (चार) 10 वर्ष या इससे अधिक समय से कर-निर्धारण के कितने मामले लम्बित हैं;

(ग) उपर्युक्त लम्बित कर-निर्धारणों से कितने अनुमानित आय कर की वसूली होगी;

(घ) क्या लम्बित कर-निर्धारणों की सुनवाई के लिए बनाये गये विशेष सेल को अक्षम और अप्रभावकारी पाया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या उपचारात्मक उपाय उठाये जाने हैं।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) आयकर विभाग, अपने कार्य के निपटाने के लिए वर्ष 1947 से ही उद्देश्यपरक प्रबन्ध व्यवस्था की तकनीक अपनाता रहा है। इस प्रयोजन के लिए, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में कार्य-योजनाएं तैयार की जाती हैं तथा कार्य की विभिन्न मदों के लिए निपटान सम्बन्धी लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं। कम्पनी कर-निर्धारण सामान्यतः संवीक्षा कर-निर्धारणों के अन्तर्गत आते हैं और उनमें आमतौर पर कम्पनी परिमण्डलों में ही कार्यवाही की जाती है। ये लक्ष्य, उपलब्ध कर्मचारियों की संख्या तथा ऐसे प्रमुख-क्षेत्रों को, जिनमें पहले ध्यान दिया जाना आवश्यक होता है, ध्यान में रखकर निर्धारित किये जाते हैं। सामान्यतः; प्रयास इस दृष्टि से किये जाते हैं कि अनिर्णीत पड़े मामलों की संख्या को नियन्त्रण में रखा जा सके।

(ख) तथा (ग) 31 मार्च, 1981 की स्थिति के अनुसार, लिमिटेड कम्पनियों के अनिर्णीत पड़े आय-कर निर्धारणों का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:—

	निम्नलिखित वर्षों से सम्बन्धित कर-निर्धारण			
1976-77 तथा पूर्ववर्ती वर्ष	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81
3491	1134	3532	14820	29273

अनिर्णीत पड़े इन कर-निर्धारणों के पूरा हो जाने पर वसूल की जाने वाली संभावित आय कर की रकम के बारे में किसी उचित निश्चयात्मकता के साथ अनुमान नहीं लगाया जा सकता चूंकि उक्त आंकड़े, अपीलों, आदि के बाद अन्तिम रूप से यथानुमोदित कर-निर्धारणों पर निर्भर करेंगे। आयकर कानून के अन्तर्गत, प्रत्येक कर-निर्धारित से यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है कि विवरणियों के अनुसार देय करों की अदायगी, विवरणियां दाखिल करने से पहले कर दी जाती है।

(घ) विशेष कक्ष का, जिसे अब निरीक्षण निदेशालय (विशेष जांच) के रूप में पदनामित किया गया है, सम्बन्ध कम्पनियों के सभी अनिर्णीत कर-निर्धारणों के साथ नहीं होता। यह निदेशालय, बड़े औद्योगिक घरानों के ऐसे चुनिन्दा मामलों की जाँच का समन्वय करता है जो वर्ष-प्रतिवर्ष केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा इसे सौंपे जाते हैं। अब तक का अनुभव यह है कि उस निदेशालय को जो कार्य-क्षेत्र सौंपा गया है वह उसमें उपयोगी कार्य करता रहा है।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

वायुदूत सेवा की अलोकप्रियता

3191. **श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समाचार पत्रों की रिपोर्टों के अनुसार "वायुदूत" सर्विस अलोकप्रिय हो गई हैं और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) "वायुदूत" सर्विस को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार ने अब तक क्या प्रयास किए हैं;

(ग) क्या यह सच है कि "इण्डियन एयरलाइन्स" और "वायुदूत" के प्राधिकारियों के बीच सहयोग और समन्वय की कमी है;

(घ) यदि हां, तो "वायुदूत" सर्विस में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है; और

(ङ) क्या ,'वायुदूत" सर्विस का महाराष्ट्र राज्य में आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो इस सेवा से लाभान्वित होने वाले क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) वायुदूत सेवाओं के किराये में वृद्धि के बाद इसकी सेवाओं के यात्री भार अनुपात में थोड़ी सी कमी आई है।

(ख) वायुदूत सेवाओं में सुधार के लिये निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं:—

(1) जहां आवश्यक हो सेवाओं की संख्या में वृद्धि करना;

(2) इण्डियन एयरलाइन्स के पास वायुदूत सेवाओं की सीधी बुकिंग तथा इसी प्रकार वायुदूत के पास इण्डयन एयरलाइन्स की सेवाओं की सीधी बुकिंग करना;

(3) यात्री जनता के लाभ के लिये मार्ग-तंत्र का पुनर्गठन;

(4) उपयुक्त विमान का चयन।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) वायुदूत सेवाओं के विस्तार कार्यक्रम के प्रथम चरण में महाराष्ट्र में नांदेड़ को विमान सेवाओं से जोड़ने का प्रस्ताव है।

पैट्रोलियम उत्पादों का आयात

3192. **श्री दिलीप सिंह भूरिया :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 के दौरान हमारे देश में, तेल का उत्पादन न करने वाले देशों से कितने मूल्य के पैट्रोलियम उत्पादों का आयात किया;

(ख) उक्त वर्ष के दौरान इन देशों को किए गए भारतीय निर्यात की क्या स्थिति रही; और

(ग) क्या तेल का उत्पादन न करने वाले देशों से पैट्रोलियम उत्पादों के आयात में कोई वृद्धि होने की सम्भावना है ?-

वाणिज्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी।

डालर का अवमूल्यन

3193. **श्री दिलीप सिंह भूरिया :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत का अन्य देशों के साथ विदेशी-व्यापार डालर और पौंड में होता है, लेकिन, डालर के अवमूल्यन के कारण भारत को भारी वित्तीय हानि उठानी पड़ती है तथा वर्ष 1980-81 में डालर के अवमूल्यन के कारण भारत को विदेश-व्यापार में कुल कितनी हानि हुई; और

(ख) क्या भारत सरकार सम्बन्धित देशों की मुद्रा में विदेश-व्यापार करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) भारत का अन्य देशों के साथ विदेश-व्यापार 20 "अनुमत करेंसियों" में किया जाता है जिनमें अमेरिकी डालर और पौंड स्टर्लिंग भी शामिल हैं। यदि अन्य करेंसियों की तुलना में अमेरिकी डालर की विनिमय दर में किसी परिवर्तन से भारत को अपने विदेश-व्यापार में ऐसी हानि हुई हो तो उसे अलग से बताना सम्भव नहीं है।

अस्थाई दरों की व्यवस्था में, करेंसियों की विनिमय दर रोजाना घटती-बढ़ती रहती है। जब बाजार अस्थिर होता है तब विनिमय दरों में व्यापक उतार-चढ़ाव होते हैं। ऐसी व्यवस्था में सभी करेंसियों के साथ-स्थाई सम्बन्ध बनाए रखना व्यवहार्य नहीं होता। यथासम्भव अधिक घटबढ़ से

बचने के लिए ही ऐसा किया गया है कि रुपए की विनिमय दर उपयुक्त रूप से भारित करेंसियों की डाली (बास्केट) की विनिमय दर में होने वाली दैनिक घटबढ़ के संदर्भ में निश्चित की जाती है ताकि रुपए का मूल्य उस डाली के अनुरूप निर्धारित सीमाओं के अन्दर बनाए रखा जा सके।

(ख) जी, नहीं।

बड़े व्यापार गृहों को उदार शर्तों पर ऋण की सुविधाएं

3194. **श्री आनन्द पाठक : क्या वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार बड़े व्यापार गृहों को उदार शर्तों पर ऋण की सुविधाएं प्रदान करने की इच्छुक है ताकि उन्हें आधुनिकीकरण करने सम्बन्धी कार्यों में मदद मिल सके;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार देश में कर्मचारियों की छंटनी उसके परिणामस्वरूप बेरोजगार की सम्भावनाओं के बारे में भी विचार कर रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सभी अखिल भारतीय सावधि ऋणदात्री संस्थाओं अर्थात् भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम द्वारा आधुनिकीकरण/पुनर्वास के लिए 1976 से सुलभ ऋण योजना चलाई जा रही है जो मात्र पांच उद्योगों अर्थात् सूती वस्त्र, जूट, चीनी, सीमेंट और चुने हुए इन्जीनियरिंग उद्योगों के सभी एककों को व्याप्त करती है, चाहे उपक्रम की अंशधारिता का स्वरूप कैसा भी हो। बड़े औद्योगिक गृहों से सम्बन्धित एकक भी सुलभ ऋण योजना के अधीन सहायता के पात्र हैं।

(ख) और (ग) सुलभ ऋण योजना के अन्तर्गत आधुनिकीकरण/पुनर्वास के वास्ते दी गई सहायता के परिणामस्वरूप देश में छंटनी होने या बेरोजगारी फैलने की कोई सम्भावना नहीं है।

विदेशी पर्यटकों का आगरा और वाराणसी का दौरा

3195. **श्री जैनुल बशर : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विदेशी पर्यटकों की वर्षवार संख्या कितनी है जिन्होंने गत तीन वर्षों के दौरान आगरा और वाराणसी का दौरा किया;

(ख) इन नगरों में विदेशी पर्यटकों के दौरे से उक्त अवधि के दौरान प्रतिवर्ष कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई; और

(ग) इन नगरों को पर्यटन की दृष्टि से और आकर्षित बनाने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (खुर्शीद आलम खान) : (क) भारत की यात्रा करने वाले अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आंकड़े अखिल भारतीय आधार पर संकलित किए जाते हैं न कि राज्य/स्थान वार आधार पर। 1976-77 में किए गए विदेशी पर्यटकों के सर्वेक्षण के अनुसार, भारत की यात्रा करने वाले सभी विदेशी पर्यटकों में से 31·2% ने आगरा की और 17·68%

ने वाराणसी की यात्रा की । उस आधार पर पिछले 3 वर्षों के दौरान आगरा और वाराणसी की यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटकों के आंकड़े निम्न प्रकार हैं:—

(आंकड़े लाखों में)

	1979	1980	1981
आगरा	2·39	2·50	2·66
वाराणसी	1·35	1·41	1·51

(ख) पर्यटन से होने वाली विदेशी मुद्रा आय का अखिल भारतीय आधार पर अनुमान लगाया जाता है । इस प्रकार वर्ष 1980 से 482 करोड़ रुपए और 1979 में 384 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा आय के मुकाबिले वर्ष 1981 के लिए वर्तमान कीमतों पर अनन्तिम रूप से 564 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा आय होने का अनुमान है ।

(ग) जबकि पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सेक्टर के अन्तर्गत विशिष्ट रूप से आगरा और वाराणसी में कोई भी स्कीम प्रारम्भ नहीं की गयी, भारत पर्यटन विकास निगम (आई० टी० डी० सी०) ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान वाराणसी में अपने 50 कमरे वाले एक होटल में 36 कमरों की वृद्धि की है । आगरा में एक होटल के निर्माण के लिए प्रारम्भिक कार्य शुरू कर दिया गया है । इसके अलावा, इस अवधि के दौरान आगरा में मौजूदा परिवहन यूनिट की फलीट क्षमता में बढ़ोतरी की गयी है ।

आई० टी० डी० सी० आगरा में प्राइवेट सेक्टर के स्वामित्व वाले एक ऐसे होटल "होटल मुमताज" की प्रबन्ध-व्यवस्था कर रहा है जिसमें 40 डबल रूम हैं । इसके अतिरिक्त, दो रेस्तराओं एक ताज में और एक आगरा हवाईअड्डे में तथा वाराणसी हवाईअड्डे पर भी एक रेस्तरां का संचालन आई० टी० डी० सी० द्वारा किया जा रहा है ।

आयकर अपीलों की बकाया संख्या

3196. **श्री जेवियार अराकल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 11 फरवरी 1982 तक कुल कितनी आयकर अपीलें विचाराधीन पड़ी थीं, उनका वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उसमें कितनी राशि निहित है और उसका वर्गीकरण क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस स्थिति को समाप्त करने का है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) 11 फरवरी, 1982 की स्थिति के अनुसार कुल अनिर्णीत आयकर अपीलों की संख्या उपलब्ध नहीं है क्योंकि ये आंकड़े महीने वार आधार पर रखे जाते हैं । 1 जनवरी, 1982 की स्थिति के अनुसार, अनिर्णीत अपीलों की कुल संख्या निम्नानुसार हैं:—

(1) अपीलीय सहायक अयुक्तों के समक्ष	2, 94, 651
(2) आयकर आयुक्तों (अपील) के समक्ष	60,555
(3) आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष	48,356

आयकर विभाग, अपीलीय सहायक आयुक्तों और आयकर आयुक्तों (अपील) के समक्ष

अनिर्णीत पड़ी अपीलों का वर्ष-वार ब्यौरा तिमाही आधार पर रखा जाता है और इसलिए नवीनतम उपलब्ध आंकड़े 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त तिमाही के लिए हैं। अपीलीय सहायक आयुक्तों, आयकर आयुक्तों (अपील) और आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के पास पड़ी अनिर्णीत अपीलों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) कुल निहित राशि का कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है।

(ग) (1) सरकार, अपीलों की बहुत बड़ी अनिर्णीत रहने की समस्या से वाकिफ है। इस स्थिति को समाप्त करने के लिए हाल ही में आय-कर आयुक्तों (अपील) के 44 तथा अपीलीय सहायक आयुक्तों के 24 अतिरिक्त पद सृजित किए गए थे तथा उन्होंने नवम्बर, 1981 से अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया है। अतिरिक्त पदों के सृजन के पश्चात स्थिति का जायजा लेने के लिए आगे और अध्ययन किये जा रहे हैं कि अनिर्णीत पड़े मामलों को छः माह के कार्य-भार की आदर्श स्थिति तक लाने के लिए और कितने पदों की आवश्यकता होगी।

(2) आय-कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अनिर्णीत पड़ी अपीलों की संख्या को कम करने के लिए विधि मन्त्रालय के पास निम्नलिखित प्रस्ताव विचाराधीन है:—

1. और सदस्यों को एकल सदस्यीय शक्तियां प्रदान करना;
2. एकल सदस्यीय मामलों के विषय-क्षेत्र का विस्तार करना;
3. सामान्य प्रश्नों की समेकित सुनवाई;
4. स्थगनों को हतोत्साहित करना; तथा
5. कर्मचारियों की संख्या में सुधार।

विवरण

1. 1 जनवरी, 1982 की स्थिति के अनुसार अनिर्णीत अपीलों का ब्यौरा:—

	आयकर आयुक्त (अपील)	सहायक अपीलीय आयुक्त
1972-73 और पूर्ववर्ती वर्ष	256	493
1973-74	47	432
1974-75	138	811
1975-76	402	2,346
1976-77	661	5,074
1977-78	1,325	12,079
1978-79	3,133	28,322
1979-80	9,027	62,801
1980-81	17,960	92,428
1981-82	28,068	104,094
कुल (1 जनवरी, 1982 की स्थिति के अनुसार)	61,017	3,08,880

(2) 1 फरवरी, 1982 की स्थिति के अनुसार आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के पास अनिर्णीत पड़ी अपीलों का वर्ष-वार ब्यौरा :—

1963-64	2	1973-74	8
1964-65	3	1974-75	3
1965-66	2	1975-76	15
1966-67	3	1976-77	49
1967-68	3	1977-78	57
1968-69	3	1978-79	130
1969-70	6	1979	755
1970-71	1	1980	3,444
1971-72	19	1981	39,741
1972-73	9	1982	4,103

अनिर्णीत अपीलों की कुल संख्या—48,356

"झा : इकनामिक कोआपरेशन इन सबकान्टिनेंट वाइटल" शीर्षक समाचार

3197. **श्री हरिनाथ मिश्र**; क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का 13 फरवरी, के टाइम्स आफ इंडिया में "झा : इकनामिक कोआपरेशन इन सब कान्टिनेंट वाईटल" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या आर्थिक प्रशासन सुधार आयोग के अध्यक्ष ने सुझाव दिया है कि भारत, पाकिस्तान, बंगला देश, नेपाल और अन्य पड़ौसी देशों को पारस्परिक आधार पर वरीयता महसूल के साथ उदार व्यापार के माध्यम से एक आर्थिक सहयोग को रूप रेखा बनानी चाहिए और दुर्लभ मुद्रा सम्बन्धी बाधाओं को दूर करने के लिए अपनी निकासी व्यवस्था बनानी चाहिए;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या ठोस कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है;

(घ) क्या उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि इस उप-महाद्वीप के देशों को उचित समझ-बूझ का सहारा लेना चाहिए जिससे कि पटसन अथवा चाय अथवा गलीचों अथवा वस्त्रों के मूल्यों में कटौती किए बिना वे उनका निर्यात में बढ़ाने सफल हो सकें और इसके लिए विदेशी निवेश-कर्ताओं के सम्बन्ध में एक सामान्य संहिता भी बनाई जा सकती है; और

(ङ) उपर्युक्त भाग (ग) के अनुपालन में क्या ठोस कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है।

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) समाचार में प्रकाशित लैक्चर में श्री एल. के. झा द्वारा सहयोग के विभिन्न संभाव्य क्षेत्रों के बारे में चर्चा की गई थी। सरकार जानती है कि दक्षिण एशिया के देशों में क्षेत्रीय सहयोग की आवश्यकता है। विकासशील देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग के विषय में विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय मंचों पर, जहां भारत तथा इसके पड़ौसी देशों ने भाग लिया है, लगातार चर्चा हुई है। परस्पर सहयोग के विभिन्न विषयों पर सरकार के विचार सभी को ज्ञात हैं।

"नर्स सिक यूनिट्स देट केन रिगेन हेल्थ" शीर्षक समाचार

3198. **श्री हरिनाथ मिश्र :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 फरवरी 1982 के "इकनामिक्स टाइम्स" में "नर्स सिक यूनिट्स दैट कैन रिगेन हेल्थ" (उन रुग्ण एककों की सहायता की जाए जो पुनः स्वस्थ हो सकते हैं) शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार केवल उन्हीं रुग्ण यूनिटों के मामलों में सहायता का कार्यक्रम बनाने का है जो पुनः स्वस्थ हो सकते हैं; और यदि हाँ, तो यदि कोई कार्यक्रम बनाया गया है तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस प्रकार का कार्यक्रम कब तक बनाए जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सरकार ने तारीख 16 फरवरी, 1982 के "इकानामिक टाइम्स" में प्रकाशित "नर्स सिक यूनिट्स देट कैन रिगेन हेल्थ" (उन रुग्ण एककों का पोषण करो जो पुनः स्वस्थ हो सकते हैं) शीर्षक समाचार देखा है।

(ख) सरकार की यह नीति रही है कि बैंक और वित्तीय संस्थाएं इकाइयों को रुग्णता से बचाने और रुग्ण एककों के पुनर्वास के लिए सभी संभव उपाय करें। तदनुसार बैंक और वित्तीय संस्थाएं किसी औद्योगिक इकाई में प्रारम्भिक अवस्था में ही रुग्णता को पहचानने का प्रयास करते हैं और रुग्णता के कारणों और उस इकाई की संभावित अर्थक्षमता का अध्ययन करते हैं। इस नीति के अनुरूप बैंकों द्वारा संभावित अर्थक्षमताओं वाली इकाइयों के बारे में, हर मामले पर अलग-अलग विचार के आधार पर, पुनर्वास कार्यक्रम तैयार किये जाते हैं। सहायता के लिये समग्र (पैकेज) प्रयास किये जाते हैं अर्थक्षमता का अध्ययन करते हैं। इस नीति के अनुरूप बैंकों द्वारा संभावित और इनमें अल्पावधि और दीर्घावधि दोनों ही प्रकार के उपाय शामिल किये जा सकते हैं जिनमें दण्डात्मक ब्याज की समाप्ति, ब्याज की दर और मार्जिन में कमी समेत वित्तीय रियायतें और अतिदेय दायित्वों/अनियमितताओं की वसूली का कार्यक्रम फिर से निर्धारित करना, आवश्यकता के आधार पर कार्यकारी पूंजी मंजूर करना तथा सावधिक ऋण आवश्यकताओं जैसे उपाय और प्रबन्ध में परिवर्तन, स्वस्थ इकाइयों के साथ विलय आदि जैसे अन्य उपाय शामिल हो सकते हैं।

निवेश प्रक्रिया को उदार बनाने के लिए उठाए गए कदम

3199. **श्री आर० प्रभु :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 20 सूत्री कार्यक्रम के अनुसरण में उनके मंत्रालय द्वारा निवेश प्रक्रिया को उदार बनाने के मामले में क्या विशिष्ट कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा ऋण पत्र जारी करने के संबंध में निर्धारित मार्ग निर्देशों में संशोधन करके सरकार ने निवेश प्रक्रिया को उदार बनाने की दिशा में कदम उठाया है। इसके अतिरिक्त, बड़े औद्योगिक एककों को धनराशियों की अपनी आवश्यकताओं को अपने ही प्रयत्नों से पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार ने, ऋणपत्रों की अधिकतम दर को 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 13·5 प्रतिशत प्रतिवर्ष कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के अध्यक्ष श्री एन० एन० पाई की अध्यक्षता में सार्वजनिक ऋणपत्रों के लिए एक माध्यमिक बाजार को सक्रिय बनाने के लिए

उपयुक्त उपायों का सुझाव देने के प्रयोजन से एक कार्यकारी दल का गठन किया था। इस संबंध में कार्यकारी दल ने जो सिफारिशें की है, उन पर सरकार विचार कर रही है।

तरजीही शेयरों पर लाभांश की दर को हाल ही में 11 प्रतिशत से बढ़ाकर 13.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष कर दिया गया है।

बोनस शेयरों के जारी किए जाने के लिए निर्धारित मार्गनिर्देशों को भी सरल बना दिया गया है।

प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करने से संबंधित मार्गनिर्देशों में ढील दे दी गई और कंपनियों के गैर-सरकारी संवधकों को इस समय एक परियोजना के प्रारंभिक चरणों में, वित्तीय संस्थाओं/एकाधिकार अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की अपेक्षाओं तथा संवर्धकों के अंशदान के अनुरूप तथा परियोजना की कुल लागत के निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत अंश तक के लिए अभिदान करने की अपेक्षा के अनुसार इस शर्त पर 40 प्रतिशत से भी ज्यादा अर्थात् 70 प्रतिशत तक की इक्विटी धारण करने की अनुमति दे दी गई है, कि 40 प्रतिशत से अधिक शेयरधारिता (इक्विटी) का विनिवेश वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के अन्दर अन्दर सामान्य जनता को बिक्री की पेशकश करके पूरा कर दिया गया है।

जहां तक अनिवासी भारतीयों को निवेश के लिए दी जाने वाली सुविधाओं का संबंध है, 27 फरवरी, 1982 को वित्त मंत्री द्वारा दिए गए बजट-भाषण के पैराग्राफ संख्या 27 में एतत्-विषयक सभी उपायों का उल्लेख कर दिया गया है।

यूरोपीय "मनी मार्केट" से ऋण के लिए सरकारी वित्तीय संस्थानों के अधिकारियों द्वारा बातचीत किया जाना

3200. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी वित्तीय संस्थानों के अधिकारियों ने यूरोपीय "मनी मार्केट" से ऋण प्राप्त करने के लिए बातचीत हेतु यूरोप का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि के ऋण के लिए बातचीत की गई;

(ग) क्या उन्हें अपने प्रयास में सफलता मिली है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई० डी० बी० आई०) के अध्यक्ष ने लायड्स बैंक इन्टरनेशनल के साथ यरो-डालर ऋण करार पर हस्ताक्षर करने के लिए लन्दन का दौरा किया था। अलबत्ता, ऋण के लिये बातचीत बम्बई में हुई थी। उपर्युक्त करार के परिणामस्वरूप 250 लाख अमरीकी डालर की राशि प्राप्त की गई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

क्लैनल ब्लैम्स और पेन्टा इराईथ्रिटोल के आयात पर प्रतिबन्ध

3201. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रोगन (पेन्ट) उद्योग में आधारभूत कच्चे सामान के रूप में प्रयोग

में लाए जाने वाले चैनल ब्लैम्स और पेन्टा इराईथ्रिटोल के आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया है;

(ख) क्या इससे इस उद्योग को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और इससे रोगन का निर्यात प्रभावित हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो प्रतिबन्ध लगाने के क्या कारण हैं और स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) कार्बन ब्लैक (जिसमें चैनल ब्लैक शामिल है) तथा पेन्टा इराईथ्रिटोल (नाइट्रेशन के अलावा) को आयात नीति 1981-82 की रोक लगी मदों की सूची में शामिल कर दिया गया है; और तदनुसार अनेक आयात को विनियमित किया जाता है।

(ख) सरकार को ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

(ग) स्वदेशी उत्पादन का ध्यान रखते हुए इन मदों को रोकलगी सूची में शामिल कर लिया गया है। यदि आवश्यक पाया गया तो वास्तविक प्रयोक्ता को जारी किये गये आटोमेटिक लाइसेंसों के आधार पर तथा पूरक लाइसेंसों के आधार पर सीमित मात्रा में रोक लगी वस्तुओं के आयात की अनुमति देने के लिये आयात नीति में व्यवस्था है।

गल्फ देशों को मांस निर्यात पर प्रतिबन्ध

3202. **श्री आर० आर० भोले** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अपने देश में मांस की बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए गल्फ देशों को मांस निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने का है; और

(ख) यदि नहीं; तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) मांस के निर्यात पर रोक लगाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) घरेलू बाजार अस्तव्यस्त न हो यह सुनिश्चित करने के लिये मांस के निर्यात को सावधानीपूर्वक विनिमित किया जाता है।

निर्यातकों को नकदी सहायता की समयबद्ध योजना का नवीकरण

3203. **श्रीमती गीता मुकर्जी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निर्यातकों को नकद सहायता देने की समयबद्ध योजना के नवीकरण पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या विगत में इस योजना के प्राप्त परिणामों का कोई निर्धारण और अथवा मूल्यांकन किया गया है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो किन नई शर्तों पर विचार किया जा रहा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) विभिन्न मदों पर नकद मुआवजा सहायता की वर्तमान दरें 31 मार्च, 1982 तक वैध हैं। नकद मुआवजा सहायता की योजना को 31 मार्च, 1982 से आगे जारी रखने से संबंधित प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

पर्यटन सुविधाओं के विस्तार पर व्यय

3205. **श्री हरीश रावत :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83 के दौरान पर्यटन विभाग द्वारा कुल कितनी राशि खर्च किये जाने की संभावना है;

(ख) इसके लिये आवंटित कुल धनराशि में से वर्तमान सुविधाओं के विस्तार पर कितनी राशि खर्च की जायेगी और पर्यटन के लिये नई सुविधाएं उपलब्ध करने पर कितनी राशि खर्च की जायेगी; और

(ग) सम्पूर्ण देश में पर्यटन सुविधाओं के समुचित विस्तार के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) और (ख) 1982-83 के लिए पर्यटन विभाग के बजट अनुमानों में 3.00 करोड़ रुपए का एक प्रावधान किया गया है। इसमें पूंजीगत खर्च की राशि 168.50 लाख रुपए है, जिसे स्पिल ओवर स्कीमों और जारी स्कीमों (50.00 लाख रुपए) तथा नई स्कीमों (18.50 लाख रु०) पर खर्च किया जाना है।

(ग) पर्यटन आधारित संरचना का विकास यात्रा परिपथ संकल्पना के आधार पर एकीकृत ढंग से प्लान किया गया है। राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों से परामर्श करके 61 यात्रा परिपथ अभिनिर्धारित किए गए हैं जिनमें 441 केन्द्र शामिल हैं। केन्द्रीय, राज्य और प्राइवेट सेक्टरों में उपलब्ध संसाधनों को एकत्र करते हुए एकीकृत और अवस्थानुसार ढंग से इन केन्द्रों के विकास का कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।

विदेशों द्वारा भारतीय चाय का आयात बन्द करना

3206. **श्री अनन्त रामुलू मल्लू :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ देशों ने हाल ही में भारतीय चाय का आयात करना बन्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के क्या नाम हैं; और

(ग) इसके क्या कारण हैं और उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) चाय आयात करने वाले मुख्य बाजारों में नीविया ही एक ऐसा बाजार है जिसने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अभी तक भारत से कोई चाय नहीं खरीदी है। यह एक अस्थायी अवस्था है जिसके बारे में ऐसा बताया जाता है कि इसका कारण यह है कि उनके द्वारा गत वर्ष में उन्होंने चाय का अधिक स्टाक जमा कर लिया था और ऐसी संभावना है कि वे आगामी वित्तीय वर्ष में अपनी खरीदारियां पुनः आरम्भ कर देंगे।

इंजीनियरी सामान के निर्यात को बढ़ाना

3207. **श्री भीकू राम जैन :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नकद प्रतिपूर्ति समर्थन योजना के अभाव के कारण इंजीनियरी सामान का कम मात्रा में निर्यात हो रहा है; और

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) नकद मुआवजा सहायता की वर्तमान व्यवस्था 1.4.1979 से तीन वर्ष की अवधि के लिए लागू की गई थी और यह 31.3.82 तक वैध है। इसलिए, नकद मुआवजा सहायता योजना के अभाव में इंजीनियरी सामान के कम मात्रा में निर्यात होने का कोई प्रश्न नहीं उठता। 31.3.82 के बाद नकद मुआवजा सहायता योजना को जारी रखने पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

केनारा बैंक के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के कर्मचारियों द्वारा दिया गया ज्ञापन

3208. **श्री राम विलास पासवान** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केनरा बैंक में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के कर्मचारियों ने अपनी समस्याओं के बारे में अपने संघ के माध्यम से उन्हें और अन्य उच्च अधिकारियों को 15 फरवरी, 1982 को एक ज्ञापन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त ज्ञापन पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) केनारा बैंक से कहा गया है कि वह एसोसिएशन द्वारा ज्ञापन में वर्णित कठिनाइयों की जांच करे और समुचित कार्यवाही करे।

लघु और ग्रामोद्योगों द्वारा निर्मित माचिसों के कार्ड बोर्डों पर उत्पादन शुल्क में वृद्धि

3209. **श्री दौलत राम सारन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु और ग्रामोद्योग द्वारा निर्मित माचिसों के कार्ड बोर्डों के 5 गुर्स के प्रत्येक बन्डल पर 1 अक्तूबर, 1981 से उत्पादन शुल्क 19 रुपये 50 पैसे बढ़ा दिया है;

(ख) क्या इस वृद्धि के परिणामस्वरूप हाथ से निर्मित इस प्रकार की माचिसें विम्को मैच कम्पनी द्वारा मशीन से निर्मित माचिसों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती है और इस वृद्धि के कारण विम्को को बहुत संरक्षण और एकाधिकार मिला है; और

(ग) क्या सरकार की नीति है कि माचिसें लकड़ी की अपेक्षा क़ार्ड बोर्ड से बनाई जाएं यदि हां, तो क्या उत्पादन शुल्क में उक्त वृद्धि ग्रामोद्योगों द्वारा बनाई जा रही हाथ से निर्मित माचिसों में, जो माचिसों के कुल उत्पादन का 70 प्रतिशत उत्पादन कर रहा है, कार्ड बोर्ड की अपेक्षा लकड़ी का अधिक इस्तेमाल करने को प्रोत्साहन देगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) सरकार ने 1 अक्तूबर, 1981 से, गत्ते की डिब्बियों में पैक की गई तथा गैर यंत्रीकृत क्षेत्र अथवा कुटीर (जिसमें सहकारी समितियां शामिल हैं) क्षेत्र के एककों द्वारा उत्पादित दियासलाइयों के मामले में, शुल्क की दर 50-50 दियासलाई वाली डिब्बियों में प्रति गुर्स पर 5.50 रु० नियत की गई है तथा 60 पैसे प्रतिगुर्स डिब्बियों के हिसाब से छूट दी गई है, जो दियासलाई डिब्बियों के निर्माण में इस्तेमाल किये गये गत्ते की मात्रा पर निर्भर करेगी।

(ख) गत्ते में पैक की गई दियासलाइयों के सम्बन्ध में उत्पादन शुल्क की वर्तमान दरें नियमानुसार हैं :—

50-50 दियासलाइयों वाली डिब्बियों के प्रति गुर्स पर उत्पादन शुल्क की दर

	मध्यम/कुटीर एकक	यंत्रीकृत एकक
	रु०	रु०
(1) जिन डिब्बियों की की केवल बाहरी स्लाइड. ही गत्ते की बनी हों उनमें पैक की गई दियासलाइयाँ	5.14	6.84
(2) जिन डिब्बियों की केवल आन्तरिक स्लाइड ही गत्ते की बनी हों उनमें पैक की गई दियासलाइयाँ	5.26	6.96
(3) जिन डिब्बियों की बाहरी और आन्तरिक दोनों ही स्लाइडें गत्ते की बनी हों, उनमें पैक की गई दियासलाइयाँ	4.90	6.60

इस प्रकार उपर्युक्त से यह स्पष्ट हो जाता है कि मध्यम कुटीर क्षेत्र के एककों द्वारा उत्पादित गत्ते की डिब्बियों में पैक की गई दियासलाइयों की तुलना में यन्त्रीकृत क्षेत्र द्वारा उत्पादित गत्ते की डिब्बियों में पैक की गई दियासलाइयों पर शुल्क की अपेक्षाकृत अधिक दर लगाकर मध्यम क्षेत्र को यंत्रीकृत क्षेत्र से संरक्षण प्रदान किया गया है।

(ग) मध्यम/कुटीर क्षेत्र द्वारा उत्पादित गत्ते की डिब्बियों में पैक की गई दियासलाइयों पर लगने वाली उत्पादन शुल्क की उच्चतर दर, अन्य बातों के साथ-साथ, इस आधार पर भी उचित ठहरायी गई है कि गत्ते की डिब्बियों का इस्तेमाल दियासलाई उद्योग में उत्पादन के तरीकों में श्रम प्रधान पद्धति को प्रोत्साहित करने विषयक नीति के विरूद्ध है क्योंकि गत्ते की दियासलाई-डिब्बियों के उत्पादन में विद्युत चालित मशीनों का इस्तेमाल होता है।

परियोजनाओं के विकास हेतु लिए ऋणों के लिए ब्याज की दरों में वृद्धि

3210. श्री बी० वी० देसाई : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1981 के अन्त में सबसे बड़ा परिवर्तन ब्याज की दरों में वृद्धि करना है, जिससे परियोजनाजों के विकास हेतु लिए जाने वाले ऋणों के कारण भारत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी को धन उपलब्ध करा पाने के संबन्ध में ब्याज की दरों में वृद्धि करने का ठीक कारण अमरीका रवैया ही है; और

(घ) वर्ष 1981 की तुलना में वर्ष 1982 के दौरान भारत को अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी को कितने अधिक ब्याज का भुगतान करना होगा ?

वित्त मंत्री (प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) विदेशी स्रोतों से प्राप्त ऋणों की लागत समय-समय पर बदलती रहती है जो विदेशी मुद्रा बाजार में होने वाली घट-बढ़ पर निर्भर करती है। जिस सीमा तक हमने वाणिज्यिक दरों पर ऋण लिए हैं, वहां तक हमारे ऋणों की लागत बढ़ गई है। वर्ष 1981 में वाणिज्यिक मुद्रा पर ब्याज की दरों का स्तर ऊंचा रहा है।

(ग) और (घ) जहां तक विश्व बैंक समूह से ऋण लेने की लागत का संबंध है, अमेरिका द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ को दिए जाने वाले अपने अंशदान में कटौती कर दिए जाने और जिसके परिणामस्वरूप अन्य दाता देशों द्वारा भी कटौती कर दिए जाने के कारण चालू राजकोषीय वर्ष में भारत के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के निर्धारण में भी काफी कमी हुई है। लेकिन यह कमी, अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक द्वारा अधिक निर्धारण करके काफी हद तक पूरी कर दिए जाने की संभावना है। इसलिए भारत को अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के निर्धारण में हुई कमी को पूरा करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के अधिक ऋणों की अधिक लागत को वहन करना पड़ेगा। अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के ऋणों पर कोई ब्याज नहीं लगता, 0.75 प्रतिशत की दर से सेवा प्रभार लगता है। इसके अतिरिक्त, भावी ऋणों पर, दिसंबर 1981 से ऋण के असंवितरित भाग पर 0.5 प्रतिशत की दर से वचनबद्धता शुल्क भी लगेगा। दूसरी ओर, अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के ऋणों पर ब्याज लगता है जिसकी दर इस समय 11.6 प्रतिशत है।

'मल्टी प्वाइंट' बिक्री कर को एकल प्वाइंट बिक्री कर में परिवर्तित करना

3212. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान 'मल्टी प्वाइंट' बिक्री पर व्यवस्था को एकल 'प्वाइंट' बिक्री कर व्यवस्था में परिवर्तित किए जाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) किसी राज्य के अन्तर्गत होने वाली माल की बिक्री अथवा खरीद पर कर लगाना, संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II की प्रविष्टि 54 के अन्तर्गत राज्य कराधान का विषय है। अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यों ने, राजस्व तथा अन्य संगत कारणों को आधार बनाते हुए बिक्री कराधान की विभिन्न प्रणालियों को अपनाया है। तथापि, संविधान के अनुच्छेद 286 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संसद ने केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 के अन्तर्गत कुछ वस्तुओं को अन्तर्राज्यीय व्यापार अथवा वाणिज्य में विशेष महत्त्व की वस्तुओं के रूप में घोषित किया है और उक्त अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत किसी राज्य के अन्दर ऐसी वस्तुओं की बिक्री अथवा खरीद पर कर लगाने के सम्बन्ध में कुछ प्रतिबन्ध और शर्तें निर्धारित की हैं। पूर्वोक्त धारा 15 में निर्धारित प्रतिबन्धों को देखते हुए, किसी राज्य के अन्दर, घोषित

वस्तुओं की बिक्री अथवा खरीद पर, एक से अधिक स्तर पर कर नहीं लगाया जा सकता।

घोषित वस्तुओं से भिन्न वस्तुओं के मामले में, अधिकांश राज्य, मुख्यतः एक-स्तरीय बिक्री कर ही लगाते हैं। बहु-स्तरीय कर व्यवस्था अपनाने वाले राज्यों में भी बहुत-सी वस्तुओं पर एक स्तरीय कर ही लगाया जाता है।

राज्यों द्वारा ओवर ड्राफ्ट

3213. **श्री भोगेन्द्र झा : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पाच वर्षों के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा कुल कितनी राशि का ओवरड्राफ्ट लिया गया और उनके कुल योजनागत व्यय में इस प्रकार के ओवरड्राफ्ट का अनुपात क्या है;

(ख) किसी राज्य में किसी भी दल की सरकार को इस पर बिना कोई भेदभाव किए योजनागत व्यय और ओवरड्राफ्ट के लिए एक समान नीति अपनाए जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं; और

(ग) बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और इस तरह के अन्य राज्यों की तुलना में पश्चिम बंगाल का अनुपात क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक पर राज्य सरकारों के ओवरड्राफ्ट उनकी दैनिक नकद स्थिति को दर्शाते हैं और उनकी मात्रा दिन-प्रतिदिन घटती बढ़ती रहती है। इसलिए, उनकी मात्रा किसी खास तारीख के संदर्भ में ही बतायी जा सकती है। 1976-77 से 1980-81 तक के वित्तीय वर्षों के अन्त में···राज्य सरकारों के समायोजित ओवर ड्राफ्टों को दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

राज्य सरकारों के ओवर ड्राफ्ट अप्राधिकृत होते हैं और संविधान के अनुच्छेद 293 (3) और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 21 (क) के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक के साथ राज्य सरकारों द्वारा किए गए करारों के उल्लंघन में होते हैं। समय-समय पर सभी राज्य सरकारों द्वारा किए गए करारों के उल्लंघन में होते हैं। समय समय पर सभी राज्य सरकारों को एक समान रूप से अपने व्यय की उपलब्ध संसाधनों तक सीमित रखने ओर ओवरड्राफ्टों का सहारा लेने से बचने की सलाह दी गई है।

राज्यों के योजना-परिव्यय को पूरी तरह से वित्त पोषित किया जाता है। राज्य-योजना परिव्यय के वित्त पोषण की स्कीम में ओवरड्राफ्ट के रूप में किसी प्रकार के घाटे की वित्तीय व्यवस्था की परिकल्पना नहीं की गई है। इसलिए, राज्य-वित्त परिव्यय की तुलना में राज्यों के ओवर ड्राफ्ट का अनुपात निकालना सही नहीं होगा।

राज्यों का योजना-परिव्यय सामान्यतः राज्यों के अपने संसाधनों और केन्द्रीय सहायता के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जिसका आवंटन उन्हें राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित एक निश्चित फार्मूले के आधार पर किया जाता है और इसका लाभ प्रत्येक राज्य को उसके राजनैतिक नेतृत्व का ध्यान रखे बिना उपलब्ध होता है।

विवरण

भारतीय रिजर्व बैंक पर राज्य सरकारों का समायोजित ओवरड्राफ्ट

करोड़ रुपये

क्रम संख्या	राज्य	31·3·77	31.3.78	31·3·79	31·3·80	31·3·81
	1	2	3	4	5	6
1.	असम	—	—	—	—	33.05
2.	बिहार	79.46	69.01	—	—	—
3.	गुजरात	14.88	—	—	—	17.59
4.	हरियाणा	12.49	—	—	1.95	36.01
5.	हिमाचल प्रदेश	4.14	—	—	—	—
6.	कर्नाटक	—	—	—	—	14.37
7.	केरल	31.21	4.62	—	—	—
8.	मध्य प्रदेश	—	49.60	—	1.27	97.93
9.	मणिपुर	7.86	3.45	6.59	11.06	22.49
10.	नागालैण्ड	11.07	7.80	1.95	6.81	0.64
11.	उड़ीसा	14.36	0.98	—	—	—
12.	पंजाब	38.11	56.36	—	9.53	64.01
13.	राजस्थान	1.48	8.89	—	22.10	143.27
14.	त्रिपुरा	4.03	0.38	—	2.66	9.46
15.	उत्तर प्रदेश	86·21	145.68	—	—	—
16.	पश्चिम बंगाल	46.58	91.40	—	46.16	97.08
	जोड़	351.88	438.17	8.53	96·54	535.90

उद्योगों और कृषि के लिए बैंक ऋणों के निवेश के लक्ष्य

3214. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1982 वर्ष के लिए उद्योगों, लघु और हाथकरघा उद्योगों में बैंक ऋणों के निवेश के लिए लक्ष्य निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त श्रेणियों के लिए 1979 और 1980 वर्षों में अलग-अलग कितना बैंक ऋण दिया गया;

(घ) क्या यह सच है कि जहां तक विकास कार्यों के लिए ऋण दिए जाने का सम्बन्ध है ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में स्थित उद्योगों की तुलना में शहरी क्षेत्र की आवश्यकता पर बेहद ध्यान दिया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो इस असन्तुलन को दूर करने और ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आवश्यकताओं पर यथेष्ट ध्यान देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) रिजर्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को सलाह दी है कि 1985 तक उनके कुल अग्रिमों का 40 प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों (जिसमें कृषि, लघु उद्योग, खुदरा व्यापार, परिवहन चालक, आत्म-नियोजित व्यावसायिक व्यक्ति आदि शामिल होंगे) को दिया जाना चाहिये। वर्ष 1985 तक प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को दिए जाने वाले अग्रिमों में से कम से कम 40 प्रतिशत कृषि को मंजूर किया जाना चाहिये। इसके अलावा जिन मामलों में ऋण की सीमाएं 10,000 रुपये से अधिक की न हो, उनमें कृषि को दिए जाने वाले प्रत्यक्ष वित्त में वर्ष 1983 तक छोटे और सीमान्तिक किसानों तथा संबंधित अन्य कार्यकलापों में लगे हुए व्यक्तियों का अंश 50 प्रतिशत तक पहुंच जाना चाहिये। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्दर लघु उद्योग के लिये कोई विशेष लक्ष्य नहीं निर्धारित किया गया है। फिर हथकरघा उद्योग के लिये कोई लक्ष्य निश्चित नहीं किया गया है - किन्तु लघु उद्योगों के अन्दर कारीगरों, शिल्पियों, ग्राम और कुटीर उद्योगों तथा अन्य ऐसे लघु उद्योगों का अंश वर्ष 1985 तक 12.5 प्रतिशत तक बढ़ाया जाता है जिनकी ऋण सीमायें 25,000 रुपये तक की हैं।

(ग) दिसंबर 1979 तथा 1980 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत लघु उद्योग, कृषि तथा अन्य वर्गों को दिये गए अग्रिमों की बकाया रकमें इस प्रकार हैं :—

सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए गए अग्रिम (करोड़ रुपये)

क्षेत्र	दिसम्बर, 1979 सरकारी क्षेत्र के बैंक		दिसम्बर, 1980 सरकारी क्षेत्र के बैंक	
	खातों की संख्या	बकाया रकम	खातों की संख्या	बकाया रकम
1. कृषि	7903541	2582·95	9339975	3460·00
i. प्रत्यक्ष वित्त	6855744	2015·17	8221069	2695·75
ii. अप्रत्यक्ष वित्त	1047797	567·78	1118906	764·25
2. लघु उद्योग	655425	2345·50	771906	2962·03
3. सड़क और जल परिवहन चालक	237009	448·82	278293	610·63
4. खुदरा व्यापार और छोटे कारवार	1440246	476·49	1720312	633·26
5. व्यावसायिक और आत्मनियोजित व्यक्ति	703962	134·04	828153	175·41
6. शिक्षा	37148	8.75	41462	10·90
जोड़ प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र	10977331	5985 55	12980101	7852·23

* अनन्तिम।

(घ) और (ङ) वर्ष 1969 में बड़े बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किये जाने के मुख्य उद्देश्यों में से एक उद्देश्य यह था कि इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था की जाय कि वाणिज्यिक बैंक, जो अब तक अनिवार्यतः शहर प्रधान थे और मुख्यतया बड़े उद्योग और व्यापार का वित्त पोषण करते थे, कतिपय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों, जैसे, कृषि, लघु उद्योग आदि वित्त पोषण करने की ओर अधिक ध्यान दें। इन क्षेत्रों के वित्त पोषण में बैंकों की स्थिति की समय-समय पर समीक्षा की गई है और इन क्षेत्रों में उनकी अन्तर्ग्रस्तता में वृद्धि करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीयकरण से पूर्व बैंकों के अग्रिमों में मध्यम और बड़े उद्योग तथा गैर सरकारी थोक व्यापार का अंश जो 74 9 प्रतिशत था दिसंबर 1979 में घट कर 43.3 प्रतिशत रह गया। परिणामतः कृषि का अंश जो मार्च 1968 में 2.2 प्रतिशत था, दिसंबर 1980 में बढ़कर 15.6 प्रतिशत हो गया। इसके अतिरिक्त औद्योगिक ऋण के मामले में भी पिछड़े क्षेत्रों (जिनमें ग्रामीण क्षेत्र शामिल होंगे) में स्थित एककों को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से सुलभ पुनर्वित्त, बैंकों से रियायती ब्याज दर समेत कई रियायतें दी जाती हैं। विनिर्दिष्ट पिछड़े जिलों में औद्योगिक एककों को स्वीकृत सहायता का अंश वर्ष 1980-81 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा स्वीकृत कुल सहायता का 47.1 प्रतिशत का और जब से बैंक की स्थापना हुई है तब से उसके द्वारा स्वीकृत कुल सहायता का 43.3 प्रतिशत था। हालांकि बैंकों द्वारा दिये जाने वाले कुल अग्रिमों में कृषि और अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के अंश में वृद्धि होने की प्रवृत्ति देखी गई है फिर भी बैंकों को विशेष रूप से सलाह दी गई है कि वे अखिल भारतीय आधार पर अपनी ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी शाखाओं के संबन्ध में अलग-अलग 60 प्रतिशत का ऋण जमा अनुपात का लक्ष्य प्राप्त करें और ऋण के संवितरण के मामले में क्षेत्रीय असन्तुलनों को कम से कम रखने के लिए विभिन्न राज्यों/क्षेत्रों के बीच अनुपात में विद्यमान व्यापक असमानता को दूर करने की सुनिश्चित व्यवस्था करें। उपलब्ध आंकड़ों को देखने से यह पता चलता है कि मार्च 1985 तक सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ऋण जमा अनुपात ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बढ़कर क्रमशः 59 प्रतिशत और 51 प्रतिशत तक पहुंच गये थे लेकिन ऋण जमा अनुपात पूर्णतया इस बात के द्योतक नहीं होते कि बैंकों ऋणों से ग्रामीण क्षेत्रों को किस हद तक लाभ पहुंचा है, क्योंकि वस्तुतः शहरी शाखाओं द्वारा दिए गए उन अग्रिमों को हिसाब में नहीं लिया जाता जिनका उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है। इस प्रकार के अग्रिमों में शहरी क्षेत्रों में स्थित भारतीय स्टेट बैंक की कृषि विकास शाखाओं द्वारा दिए गए अग्रिम/पम्पसेटों को बिजली देने के लिए राज्य बिजली बोर्ड को दिए जाने वाले अग्रिम, अनाज वसूली के लिए अग्रिम, उर्वरक वितरण ऋण आदि शामिल हैं। ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों को ऋण प्रदान करने की गति तेज करने के लिए कई उपाय किये जा रहे हैं। इनमें प्रखण्डवार इन क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिला ऋण योजनायें तैयार करने के काम शामिल हैं। नए 20-सूत्री कार्यक्रम खासकर एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में बैंकों की अन्तर्ग्रस्तता में बढ़ोत्तरी होने से ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण प्रदान करने की गति और तीव्र हो जाएगी।

चाय के लिए साझा बाजार

3215. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में पांच दिवसीय एक बैठक हुई थी जिसमें चाय निर्यातक देशों ने चाय निर्यात के जरिये अपनी आय बढ़ाने के विभिन्न तरीकों पर विचार विमर्श किया था;

(ख) क्या इसमें हुई बातचीत के फलस्वरूप कोई मतैक्य स्थापित हुआ है जिसमें चाय निर्यातक देश प्रत्येक विश्व बाजार में आपने माल को कम मूल्य पर बेचने का प्रयास नहीं करेंगे; और

(ग) क्या इस बैठक में चाय के लिए एक साझा बाजार का निर्माण करने की आवश्यकता पर जिससे कि चाय उत्पादक तथा निर्यातक देश अपने हितों की रक्षा करने में संयुक्त रूप से सफल हो सकें, भी विचार किया गया और यदि हां, तो ऐसे प्रस्ताव पर भाग लेने वाले देशों की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां।

(ख) देश के निर्यात कोटा आबंटन करने के लिए अपनाए जाने वाले फार्मूले के बारे में दिल्ली में फरवरी, 1982 में विस्तृत विचार विमर्श हुआ था। यह सहमति व्यक्त की गई थी कि निर्यात कोटा आबंटन करने हेतु पक्के आधार पर करार करने की दृष्टि से निर्यातक देशों में और परामर्श करना आवश्यक होगा।

(ग) निर्यात कोटे के आबंटन के अलावा सप्लाई प्रबन्ध उपायों, बफर स्टाक प्रबन्धों और चाय की खपत में वृद्धि करने के साथ-साथ चाय के क्षेत्र में विस्तार करने के बारे में चाय निर्यातों संबंधी प्रतिबन्ध के लिए क्वालिटी मानकों की आवश्यकता पर विचार विमर्श किया गया था। उपर्युक्त विषयों पर भाग लेने वाले प्रतिनिधि मंडलों की यह आम सहमति थी और अन्तर्राष्ट्रीय चाय करार के लिए मसौदे को अनुमोदित किया गया।

अमरीका और कनाडा तक के लिए जापान से आगे प्रशान्त-पार सेवा शुरू किया जाना

3216. श्री कृष्ण प्रताप सिंह : क्या पर्यटन और नागर विमान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अमरीका और कनाडा के साथ अपनी सेवायें जोड़ने के लिए जापान से आगे प्रशान्त पार सेवा शुरू करने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या यह सच है कि एयर इंडिया 747 एस० पी० एस० विमानों, जो शटल सेवा के साथ एयर लाइन्स को उदार बनाता है और इसे लम्बी दूरी की क्षमता प्रदान करता है, की खरीद कर अपने वर्तमान बेड़े का संवर्धन करने की योजना पर विचार कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि उक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक है, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) एयर इंडिया द्वारा तीन एयरबस विमान प्राप्त करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

भारत से निर्यात किए गए खनिजों की
कुल मात्रा

3218. श्री जेवियर अराकल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980-81 और 1981-82 में भारत से कुल कितनी मात्रा के खनिजों का निर्यात किया गया है और उससे कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है; और

(ख) किस प्रकार के खनिजों का निर्यात किया जाता है और वे किन देशों को भेजे जाते हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) इस अवधि के दौरान निर्यातों के अनन्तिम आंकड़े निम्नोक्त प्रकार हैं :—

वर्ष	मात्रा (लाख मे० टन में)	मूल्य (करोड़ रु० में)
1980-81	268·18	380·79
1981-82 (अप्रैल-सितम्बर, 1981)	88·06	146·08

(स्रोत : वाणिज्यिक जानकारी तथा अंकसंकलन महानिदेशालय)

(ख) खनिजों के प्रमुख निर्यातों में शामिल हैं; लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क, क्रोम अयस्क, अभ्रक, बैराइटिस, वाकसाइट आदि । भारत जापान, दक्षिण कोरिया, कोरिया लोकतंत्रीय जनवादी गणराज्य, ताइवान, मलयेशिया, रोमानिया, यूगोस्लाविया, जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य, सोवियत संघ, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, पश्चिम यूरोप, खाड़ी के देश, पाकिस्तान, बंगलादेश, बर्मा, श्रीलंका, सं० रा० अमरीका आदि को खनिजों का निर्यात करता है ।

मांस का निर्यात

3219. श्री मोतीभाई आर० चौधरी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1979-80, 1980-81 और 1981-82 (फरवरी तक) के गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष प्रत्येक देश को कुल कितना मांस निर्यात किया गया; और

(ख) इसमें से प्रत्येक देश को वर्षवार गाय का कितना मांस (बीफ) और गाय सन्तति (प्रोजेनीएं) का निर्यात किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) 1979-80 से 1981-82 की अवधि के दौरान गाय बीफ तथा गाय सन्तति के निर्यात पर रोक लगी रही ।

विवरण

(मात्रा मि० मे० टन)

विवरण	1979-80	1980-81	1981-82 (अप्रैल-फरवरी, 1928)
जमाया हुआ मांस	26578·0	37131.0	32415·0
ताजा मांस	6787·0	2186·0	7236·0
डिब्बा बंद मांस	1917·0	2512·0	1282·0

निर्यात प्रमुख रूप से इन देशों को किया गया : संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, ओमन, मिस्र, जर्मन, संघीय गणराज्य, लैबनान, नीदरलैण्ड, नाइजीरिया, कछार, ईरान, आस्ट्रेलिया, रूमानिया, जोर्डन ।

सरकारी विभागों में पैट्रोल की खपत

3220. **श्री शिव शरण वर्मा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977-78 में बिना किसी अपवाद के सरकारी विभागों में पैट्रोल की कितनी खपत हुई और वर्ष 1980-81 और 1981-82 में इसकी कितनी खपत हुई;

(ख) क्या पैट्रोल की खपत में कोई कमी हुई है, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं तथा इसमें कमी करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) व्यय विभाग के दिनांक 22 मई, 1979 के का० ज्ञा० संख्या 13 (5) ई II (ए)/79 में उल्लिखित उपायों पर हुई प्रगति का मदवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या काम पर जा रहे अधिकारियों/कर्मचारियों को लाने/छोड़ने जाने की पद्धति की पुनरीक्षा की गई है और यदि हां, तो किस हद तक तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ग) सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। ऐसी सूचना को देश भर में स्थित केन्द्रीय सरकार के विभिन्न कार्यालयों से एकत्रित करने में समय और श्रम लगेगा। तथापि सरकार ने अधिकतम किफायत करने के लिए पैट्रोल के प्रयोग को रोकने के संबंध में उपयुक्त कदम उठाए हैं।

(घ) अधिकारियों/कर्मचारियों को एक परम्परा के रूप में उनके निवास स्थानों से नहीं लिया जाता है और न ही वापस छोड़ा जाता है। कर्मचारियों को स्टाफ कार के प्रयोग की अनुमति केवल निम्नलिखित मामलों में दी जाती है :—

(1) जब किसी अधिकारी को अपनी ड्यूटी के सामान्य स्थान से अलग किसी अन्य स्थान पर अथवा सामान्य कार्य के समय से पहले या बाद में किसी बैठक में भाग लेना हो;

(2) ऐसी स्थिति में जब अधिकारी को कार्यालय में 8 बजे सायं से 6 बजे प्रातः तक किसी ऐसे कार्य के कारण रोका जाए जिसे अगले कार्य दिवस तक स्थगित नहीं किया जा सकता हो, वशर्ते कि संबंधित सचिव ने इसको प्रमाणित किया हो अन्यथा, ऐसी यात्राओं को गैर-ड्यूटी यात्राओं के रूप में माना जाता है और गैर ड्यूटी यात्राओं के लिए स्टाफ कारों के प्रयोग पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है।

'फेक क्लाथ सेल अन्डर पापुलर ब्रांड नेम्स' शीर्षक समाचार

3221. **श्री जगपाल सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 फरवरी, 1982 के इण्डियन एक्सप्रेस में 'फेक क्लाथ सेल अन्डर पापुलर ब्रांड नेम्स' (लोक प्रिय ब्रांड नामों में अन्तर्गत नकली कपड़े की बिक्री) शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें नकली कपड़े के व्यापारी के पकड़े जाने; 1 करोड़ से अधिक की आय के अपवंचन के पकड़े जाने; नकली और जाली बिलों के द्वारा व्यापार चलाना;

सरकारी कर्मचारियों और स्थानीय राजनीतिज्ञों जो निर्माताओं से सांठगांठ किए हुए हैं का पता लगाना और चिकित्सा उपकरणों का दिया जाना; पुरानी दिल्ली स्थित फर्म का पता लगाना जिसने 3 करोड़ रुपये से अधिक की कुल बिक्री पर कोई आय कर नहीं दिया; जाली नामों पर व्यापार करना और बेनामी लेन देन पर प्रकाश डाला गया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रकार के छिपे हुए और मामलों को पकड़ने के लिए अपने सर्वे को तेज करने और इस कार्य में हुई प्रगति को सदन में रिपोर्ट करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, हां ।

(ख) नवम्बर, 1981 में ली गई तलाशियों में आयकर प्राधिकारियों ने कम्पनियों के एक समूह द्वारा घटिया कपड़े पर कुछ लोक-प्रिय व्यापारिक नामों की मोहर लगाकर आयकर के अपवंचन किए जाने का पता लगाया है । सरकारी विभागों और अस्पतालों को स्वदेशी और आयातित शल्य-उपकरणों की आपूर्ति के काम में लगे एक अन्य समूह के मामले में, जहां अक्तूबर, 1981 में तलाशियां ली गयी थीं, आयकर प्राधिकारियों को ऐसी सामग्री मिली है जिससे, जाली खरीद-वाउचरों की सहायता से लाभों को समाप्त किए जाने का पता लगता है । एक और समूह के मामले में, जहां फरवरी, 1982 में तलाशियाँ ली गई थीं, आयकर प्राधिकारियों को पी० वी० सी० मेटालाइज्ड शीट्स की खरीद-फरोख्त के लेखा-बाह्य कारोबार का पता चला है । इन मामलों में आगे जांच की जा रही है ।

(ग) आयकर विभाग निरन्तर सूचना एकत्र करता है और उपयुक्त मामलों में समुचित कार्यवाही करता है ।

रक्षा मंत्रालय तथा रक्षा मुख्यालय में स्टाफ कारों का उपयोग

3222. **श्री जगपाल सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा मंत्रालय और रक्षा मुख्यालय में स्टाफ कारों पर नियंत्रण, रख-रखाव और उपयोग संबंधी नियम और विनियम क्या हैं और क्या उनकी प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी;

(ख) क्या रक्षा मुख्यालय में प्राइवेट कारों को किराये पर लिया गया है; यदि हां, तो इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी तथा उन पर समुचित रोक-थाम/नियंत्रण रखने की क्या पद्धति है; और

(ग) इन प्राइवेट गाड़ियों के सुरक्षा जोन में बार-बार जाने को ध्यान में रखते हुए क्या सुरक्षा पहलू को ध्यान में रखा गया है ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) रक्षा मंत्रालय में स्टाफ कारों का नियंत्रण, रख-रखाव और प्रयोग वित्त मंत्रालय द्वारा जारी स्टाफ कार नियमावली के अनुसार किया जाता है ।

थल सेना मुख्यालय में स्टाफ कारों पर लागू नियम और विनियम थलसेना के लिए मैकेनीकल व्हीकल्स विनियमों के अधीन आते हैं ।

अपने रोजमर्रा के कामों के बारे में नौसेना मुख्यालय स्टाफ कारों के थलसेना मुख्यालय पर निर्भर करता है। नौसेना में कार्य के सामान्य घंटों के अलावा और निवास स्थान से कार्य स्थान तक जाने के लिए स्टाफ कार का प्रयोग नौसेना आदेश 162/72 के अधीन किया जाता है।

वायु सेना मुख्यालय के लिए स्टाफ कारों के बारे में लागू नियम और विनियम वायु सेना अनुदेश संख्या 28/1977 में दिए गए हैं।

उपर्युक्त नियमों और अनुदेशों की प्रतियाँ संसद पुस्तकालय में रख दी गई हैं।

(ख) और (ग) रक्षा मुख्यालयों में निजी कारों को किराए पर केवल तभी लिया जाता है जब उपलब्ध सरकारी परिवहन से इस तरह की आवश्यकताएं पूरी न की जा सकती हों। इसके लिए सुरक्षा पहलू को हमेशा ध्यान में रखा जाता है और जब किराये पर ली गई ऐसी निजी गाड़ियों को सुरक्षा क्षेत्रों में जाना पड़ता है तो उन पर उचित निगरानी रखी जाती है।

समेकित विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत तमिलनाडु सरकार द्वारा भेजा गया प्रस्ताव

3223. **श्री सी० चिन्नास्वामी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु के गांवों के लिये समेकित विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 30 करोड़ रुपये की लागत पर 100 सिनेमा घर बनाने का प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) इस आशय का एक प्रस्ताव तमिलनाडु की राज्य सरकार से प्राप्त हुआ था लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया जा सका।

त्रिची हवाईअड्डे पर हवाईअड्डा टर्मिनल तथा रन-वे का विस्तार

3224. **श्री सी० चिन्नास्वामी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिची हवाईअड्डे पर हवाईअड्डा टर्मिनल और रन-वे का विस्तार करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है क्योंकि यह परम्परागत रूप से श्रीलंका से जुड़ा हुआ है और इंडियन एयरलाइन्स तथा एयर इंडिया, बोइंग सेवायें चला रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) टर्मिनल भवन का तीन चरणों में विस्तार करने का प्रस्ताव है। केवल अंतर्देशीय साइड में भीड़-भाड़ वाले स्थल के लिए अतिरिक्त स्थान उपलब्ध कराने, एक नए डिपार्चर होल्डिंग क्षेत्र तथा "बुकिंग और बैगेज हैंडलिंग" के लिए कुछ अतिरिक्त स्थान उपलब्ध कराने के लिए, विस्तार के प्रथम चरण के लिए 13.03 लाख रुपये के प्राक्कलन को स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।

अत्यधिक वित्तीय कठिनाई के कारण, धावनपथ के विकास के लिए छठी योजना में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

बिहार के जिलों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाएं

3225. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के विभिन्न जिलों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल कितनी शाखाएं विद्यमान हैं और शाखावार जमा-राशियां तथा दिये गये ऋणों की राशि कितनी है;

(ख) मधुबनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की विद्यमान शाखाओं की तथा मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की विद्यमान शाखाओं की संख्या क्या है तथा 1982 के अंत तक कितनी शाखायें खोली जायेंगी; और

(ग) ऋण के लिये कितने आवेदन पत्र विचाराधीन पड़े हैं और प्रत्येक की जमा राशियां और प्रत्येक के द्वारा दिये गये ऋण की राशि कितनी है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) इस समय बिहार में 26 जिलों को व्याप्त करते हुए 17 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्य कर रहे हैं। सितंबर, 1981 की स्थिति के अनुसार, इन 17 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 900 से अधिक शाखाएं खोली जिन्होंने जमाओं के रूप में लगभग 43 करोड़ रुपए जुटाये और उनके अग्रिम 37 करोड़ रुपए के थे। प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जमाओं और दिए गए अग्रिमों के शाखावार आंकड़े तुरन्त उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) और (ग) इन दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से संबंधित यथाउपलब्ध सूचना एकत्र की जा रही है और जब प्राप्त होगी सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

बिहार के मधुबनी और दरभंगा जिलों में बैंकों की शाखाएं

3226. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के मधुबनी और दरभंगा जिलों में ग्रामीण बैंकों के अलावा अन्य विभिन्न बैंकों की कितनी शाखाएं विद्यमान हैं और 1982 के अन्त तक कितनी शाखाएं खोलने का विचार है;

(ख) इन शाखाओं की कुल कितनी जमा राशियां हैं, उनके द्वारा दिये गए ऋण की राशि कितनी है; उनके पास ऋण हेतु कितने आवेदन पत्र दो महीने से अधिक समय से विचाराधीन हैं और भुगतान करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) दो महीने से अधिक समय तक आवेदन-पत्रों को विचाराधीन रखने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) 30 सितम्बर, 1981 की स्थिति के अनुसार (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अतिरिक्त) बैंकों के दरभंगा जिले में 39 कार्यालय और मधुबनी जिले में 33 कार्यालय थे। इनके ब्यौरे विवरण में दिये गये हैं। भारतीय बैंक ने हाल ही में 1982-83 से 1984-85 तक की 3 वर्ष की अवधि के लिए शाखा लाइसेंसिंग नीति तैयार की है जिसका लक्ष्य है ग्रामीण/अर्ध-शहरी इलाकों में प्रति 17 हजार व्यक्तियों पर औसतन एक शाखा के हिसाब से बैंकिंग व्याप्ति उपलब्ध कराना रिजर्व बैंक ने बिहार सरकार से अनुरोध किया है कि वह जिला परामर्शदात्री समितियों के परामर्श से राज्य के बिना बैंक वाले ऐसे ग्रामीण स्थानों को निर्दिष्ट करे जहां बैंक कार्यालय खोले जाने हैं। विभिन्न स्थानों को बैंक शाखाओं का आबंटन भारतीय रिजर्व बैंक और राज्य सरकार की सिफारिशें मिल जाने के बाद ही अंतिम रूप से तय किया जाएगा।

(ख) बिहार के मधुबनी और दरभंगा जिले में मार्च, 1981 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार "समग्र जमाएं" और "सकल बैंक ऋण" (मंजूरीवार) नीचे प्रस्तुत हैं :—

राशि लाख रुपयों में

जिला	जमा	ऋण
मधुबनी	14·81	7·11
दरभंगा	26·62	10·86

बैंकों के पास विचाराधीन पड़े ऋण आवेदनों के बारे में आंकड़े अभी रिजर्व बैंक की आंकड़ा सूचना प्रणाली से प्राप्त होने शुरू नहीं हुए हैं। अलबत्ता, इन जिलों में बैंक शाखाओं के पास विचाराधीन पड़े ऋण आवेदनों की जांच से, जोकि गत वर्ष विशेष रूप से की गयी थी, पता चला था कि अधिकांश मामलों में इनके विचाराधीन पड़े रहने का कारण था आवश्यक सूचना अथवा स्पष्टीकरण का ऋणकर्त्ताओं से प्राप्त न होना, प्रायोजक संगठनों द्वारा अपर्याप्त जांच आदि।

विवरण

बिहार में दरभंगा और मधुबनी जिले के उन नामों और स्थानों की सूची जहां 30, सितंबर, 1981 की स्थिति के अनुसार बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़ कर) की शाखाएं थीं।

दरभंगा जिला	
1. भारतीय स्टेट बैंक	1. दरभंगा (15 कार्यालय)
	2. साकरी
	3. काटौल
	4. सपौल बाजार
	5. बेनीपुर
	6. घनश्यामपुर
	7. कादिराबाद
	8. बेनीपुर (ए डी बी)
	9. मनीगाछी
	10. दरभंगा-एग्रीकल्चरल मार्केट यार्ड
	11. सिंहवाड़ा
2. इलाबाद बैंक	1. दरभंगा
3. बैंक आफ बड़ौदा	1. दरभंगा
4. बैंक आफ इंडिया	1. —तदैव—
5. केनारा बैंक	1. दरभंगा
6. सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	1. दरभंगा (2 कार्यालय)
	2. हायाघाट
	3. बेनीपुर

	4. कामेश्वर नगर (दरभंगा)
	5. केवती रनवे
	6. सिंहवाड़ा
7. इंडियन बैंक	1. दरभंगा
	2. जाले
8. पंजाब नेशनल बैंक	1. दरभंगा (2 कार्यालय)
	2. बैनी-पूसा रोड़
	3. नेहरा
9. यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	1. दरभंगा
	2. बहेरी
	3. भैरवारा
	4. कुशेश्वर अस्थान
10. यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	1. दरभंगा
	2. भद्रपुर
11. विजया बैंक	1. दरभंगा
जोड़ :	39

मधुबनी जिला

1. भारतीय स्टेट बैंक	1. जयनगर
	2. मधुबनी
	3. बसोपत्ती
	4. झंजरपुर
	5. खजौली
	6. भगवतीपुर
	7. मधुबनी (ए डी बी)
	8. लौखा
	9. रहिका
	10. साकरी बाजार
	11. कोलाही
	12. अनरेर
2. इलाहाबाद बैंक	1. लौकाही
	2. सरिसाबदही
3. सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	1. जयनगर
	2. मधुबनी
	3. झंजारपुर

	4. खतौना बाजार
	5. घोगरडीह
	6. पंडोल
4. पंजाब नेशनल बैंक	1. जयनगर
	2. बेनीपट्टी
	3. मधुबनी
	4. राजनगर
	5. आंध्रा थारही
	6. बाबू भरती
	7. माधेपुर
	8. उमागांव
	9. झंजारपुर बाजार
	10. लडनिया
	11. बिसफी
	12. माधवापुर
5. बैंक आफ इंडिया	1. मधुबनी
जोड़ :	33

पंजाब में केन्द्रीय कर

3227. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में चालू वर्ष के दौरान अनुमानतः कितने विभिन्न केन्द्रीय करों की राशि प्राप्त होगी;

(ख) उसमें राज्य का अंश कितना होगा; और

(ग) वस्तुतः अब तक कितनी राशि अदा कर दी गई है और चालू वित्तीय वर्ष के शेष भाग के दौरान कितनी अदा किये जाने की आशा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन पटल रख दी जाएगी।

वायुसेना मुख्यालय में तदर्थ आधार पर वरिष्ठ निजी सहायकों के पदों का होना

3228. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वायुसेना मुख्यालय में 1977 से वरिष्ठ निजी सहायकों के 63 पद तदर्थ आधार पर बने हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उनके स्थान पर स्थायी पद बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री आर वेंकटरामन) :(क) और (ख) जी हां। सशस्त्र सेना मुख्यालय में आशुलिपिक ग्रेड 'ग' में उन्नति के अवसरों में सुधार करने के उद्देश्य से 6-8-1977 से आशुलिपिक ग्रेड 'ग' के 45 पदों का दर्जा बढ़ाकर ग्रेड 'ख' कर दिया गया था। सशस्त्र सेना मुख्यालय में आशुलिपिक ग्रेड 'क' और 'ख' तथा ग्रेड 'ग' और 'घ' के अनुपात को केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के समकक्ष करने के उद्देश्य से 10-12-1979 से 18 और पदों का दर्जा बढ़ा दिया गया है। इन पदों का दर्जा तदर्थ आधार पर बढ़ाया गया था इसलिए इन्हें स्थायी रूप में परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

आई० ए० के ड्यूटी पर मरे वरिष्ठ इंजीनियर के परिवार को मुआवजा

3229. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आई० ए० का एक वरिष्ठ इंजीनियर फरवरी 1982 में दिल्ली हवाईअड्डे पर उस समय मर गया जब वह तेल लीक होने की जांच किये जा रहे विमान के इंजन में फंस गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पूरा ब्यौरा क्या है और इस प्रकार की भावी दुर्घटना रोकने के लिए क्या उपाय किये गये हैं और सावधानी बरती गई है; और

(ग) परिवार को दिये गये मुआवजे का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) 30 जनवरी, 1982 को जब बोइंग 737 विमान वी. टी. ई. जी. ई. बाईं ओर वाले इंजिन को ज़मीन पर काफी तेज़ रफ्तार से चलाया जा रहा था तो इंजिन के नजदीक निरीक्षण कर रहे, सहायक इंजिनीयरी प्रबन्धक, श्री बी० आर० विज़ अकस्मात् हवा के प्रवाह से इंजिन में खींच लिये गये। इंजिन को तुरन्त बन्द कर दिया गया तथा श्री विज़ को तत्काल अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी चोटों के कारण 2 फरवरी, 1982 को मृत्यु हो गयी। दुर्घटना की नागर विमानन के महानिदेशक द्वारा जांच की जा रही है तथा उनकी जांच- रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

बोइंग 737 विमान के सभी साधारण इंजीनियरों को अनुदेश जारी कर दिये गये हैं, जिनमें उनके एहतियातों/ सुरक्षा अपेक्षाओं का कड़ाई से पालन के महत्व पर पुनः बल दिया गया है।

(ग) मृतक के परिवार को कारपोरेशन के वर्तमान नियमों के अंतर्गत क्षतिपूर्ति के रूप में 78,500/-रुपये का भुतान किया जाता है, जिसके लिए कार्यवाही की जा रही है।

विदेशी नौकाओं के हिन्द महासागर के क्षेत्र में घुसने की रोकथाम करने के उपाय

3230. **प्रो. मधु दंडवते** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत एक वर्ष के दौरान हिन्द महासागर क्षेत्र में समुद्री तट रक्षकों ने 34 विदेशी मत्स्य नौकाओं को पकड़ा है; और

(ख) विदेशी नौकाओं के हिन्द महासागर क्षेत्र में घुसने की रोकथाम करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री आर वेंकटरामन) : (क) तट रक्षकों ने 1981 के दौरान मछली पकड़ने वाले 18 विदेशी पोतों को पकड़ा है। 1981 के दौरान नौसेना ने मछली पकड़ने वाले 9 और विदेशी पोतों को पकड़ा था।

(ख) तट रक्षक संगठन को और अधिक शक्तिशाली बनाया जा रहा है जिससे कि यह संगठन भारत के आर्थिक क्षेत्र में मछली पकड़ने वाले विदेशी ट्रालरों की प्रभावशाली ढंग से रोक थाम कर सके। तट रक्षक संगठन की सैन्य स्तरों में वृद्धि करने के लिए एक चरणबद्ध कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसमें टोह लेने के लिए गश्ती पोतों और विमानों की अधिग्रहण शामिल है। हमारी समुद्री सीमा में मछली पकड़ने वाले विदेशी पोतों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के लिए समुद्री क्षेत्र (विदेशी ट्रालरों द्वारा मछली पकड़ने के लिए विनिमय) अधिनियम 1981 को लागू कर दिया गया है।

स्थानान्तरण द्वारा प्राप्त किए गए पूर्ति लाइसेंस से माल आयात करने पर प्रतिबन्ध

3231. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसके द्वारा उत्पादक निर्यातक स्थानान्तरण द्वारा प्राप्त किए गए पूर्ति लाइसेंस से अपनी फैक्ट्री के लिए आवश्यक सामान का आयात नहीं कर सकते;

(ख) क्या कार्यालय में इस आदेश की चुनौती दी गई है; और

(ग) इस आदेश को चुनौती देने वाले निर्यातकों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा): (क) विनिर्माता निर्यातकों को उन्हें जारी किए गए आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंसों के आधार पर कच्चे माल, संघटकों, उपभोक्तामाल तथा पैकिंग सामग्री की किसी मद को, जिसकी उन्हें अपनी फैक्ट्रियों में आवश्यकता हो, कतिपय प्रतिबन्धों के अध्याधीन, आयात करने की अनुमति के लिए विशेष सुविधा प्रदान की गई है; देखिए आयात नीति 1981-82 का पैरा (38) यह विशेष सुविधा आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंस के आधार पर उस विनिर्माता-निर्यातक को उपलब्ध नहीं है जिसने किसी अन्य व्यक्ति से अन्तरण करने पर इसे प्राप्त किया हो। लाइसेंसिंग प्राधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए इस उपबन्ध के स्पष्टीकरण के लिए एक परिपत्र जारी किया गया है।

(ख) तथा (ग) मैसर्स ओसवाल वूलन मिल्स लि०, लुधियाना तथा उसी कम्पनी के श्री ए. के. ओसवाल द्वारा उक्त परिपत्र को चुनौती देते हुए न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई है।

भारत से सिले सिलाये वस्त्रों की जहाज द्वारा भेजने पर रोक

3232. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या कुछ कोटा देशों ने भारत के सिले सिलाये वस्त्रों को जहाज द्वारा भेजे जाने पर रोक लगायी है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण कितनी कम्पनियों को घाटा हुआ है; और

(ग) इस स्थिति का निराकरण करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) : कुछ देशों को, (सं० रा० अमरीका, यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्य राज्यों, कनाडा, स्वीडीन, फिनलैंड तथा आस्ट्रिया) भारत से वस्त्र उत्पादनों की कुछ किस्सों के निर्यात भारत और इन देशों के बीच हस्ताक्षर किये

गये संबंधित द्विपक्षीय वस्त्र करारों के अनुसार वार्षिक मात्रा प्रतिबंधों के अध्याधीन है। 1981 के अन्त में यह पता चला कि कुछ देशों में कतिपय किस्मों के बारे में वार्षिक कोटा सीमा या तो पूरी हो चुकी है या अधिक हो चुकी है। द्विपक्षीय करारों में की गई परामर्शी तंत्र व्यवस्था को शीघ्र लागू किया गया और इस मामले पर संबधित विदेशी सरकारों से बातचीत की गई थी। जबकि कुछ मामलों में इस समस्या को निपटा दिया गया है और अन्य मामलों में बातचीत अभी पूरी नहीं हुई है। सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि ऐसे मामलों में निर्यातकों को कोई हानि हुई हो।

एल० के० झा की रिपोर्ट को उद्घाटित करना

3233. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एल० के० झा आयोग की रिपोर्ट को सभा-पटल पर रखे जाने से पूर्व उसके 20 बड़े घरानों को उद्घाटित हो जाने को नोट किया है (आन लुकर—पत्रिका—16 जनवरी, 1982 अंक);

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट की विषय वस्तु की जानकारी आयोग द्वारा दी गई थी अथवा सरकारी प्रचार एजेंसी द्वारा; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) सरकार का ध्यान उल्लिखित पत्रिका में प्रकाशित रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है। सरकार को इस प्रकार के उद्घाटन की जानकारी नहीं है और न ही रिपोर्ट में इसके समर्थन के लिए कोई वास्तविक आधार दिया गया है। आयोग या सरकार द्वारा रिपोर्ट उद्घाटित नहीं की गई है।

मछुआरों द्वारा धरना

3234. **प्रो० मधु दण्डवते**
श्री वी० एस० विजयराघवन } : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे निर्धन मछुआरों जो मछली पकड़ने के लिए छोटी मशीन चालित नौकाओं का इस्तेमाल करते हैं, के मामलों में डीजल तेल को उत्पादन शुल्क से मुक्त रखने की अपनी मांग के समर्थन में मछुआरे आन्दोलन कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, हां।

(ख) मछली पकड़ने वाले उन जलयानों पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से छूट देने के लिए योजना पहले से ही विद्यमान है, जो 13.7 मीटर से अधिक लंबे हों और जिनमें 150 अश्व-शक्ति से अधिक का इन्जन लगा हो। इस योजना के अन्तर्गत हाई स्पीड डीजल तेल और अन्यथा अविनिर्दिष्ट डीजल तेल पर लगाने वाले केन्द्रीय उत्पादन शुल्क में 50% छूट देने की व्यवस्था है, चाहे निर्यात किया जाता हो अथवा नहीं, और शुल्क में 50% की अतिरिक्त छूट, निर्यात किए गए श्रिम्प प्रति मीटरी टन के हिसाब से डीजल तेल के प्रत्येक 1.08 कि० लीटर पर दी जाती है। परन्तु, सरकार के लिए उत्पादन शुल्क से पूरी छूट देना तब तक सम्भव नहीं है जब तक कि छूट का सम्बन्ध समुद्री निर्यात से न हो।

नीदरलैंड्स के व्यापारिक शिष्टमण्डल की ओर से पेशकश

3235. **श्री के० लाकप्पा**
श्री डी० ए० पुत्तेगौडा] : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नीदरलैंडस के एक व्यापारिक शिष्टमण्डल ने भारत से पुनःवापिसी खरीद के आधार पर जहाज से माल भेजने के डिब्बे बनाने, समुद्र से प्राप्त होने वाले भोजन की प्रोसेसिंग और इलैक्ट्रोनिक पुर्जों के निर्माण के क्षेत्र में पेशकश की है ?

(ख) यदि हां, तो उसका पूर्ण ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में और क्या कार्यवाही होने की सम्भावना है तथा उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) कार्यवाहक मेयर डा० जे० रिएजेनकम्प के नेतृत्व में सिटी आफ रोटेरडम से एक प्रतिनिधिमण्डल फरवरी, 1982 के दौरान भारत आया। इस प्रतिनिधिमण्डल का मुख्य उद्देश्य रोटेरडम पत्तन के नौवहन तथा वाणिज्यक हितों का संवर्धन करना तथा नौवहन और पत्तन विकास के क्षेत्र में सहयोग की सम्भाव्यताओं का पता लगाना था। जहाजरानी तथा परिवहन एक वाणिज्य मन्त्रालयों के अतिरिक्त इस प्रतिनिधिमण्डल ने विभिन्न व्यापार तथा औद्योगिक संगठनों के साथ भी विचार विमर्श किए। विचार विमर्श के दौरान इस प्रतिनिधिमण्डल ने पत्तनों तथा कन्टेनराइजेशन के विकास के लिए अपनी सेवाओं के उपयोग किए जाने की सम्भाव्यताओं का उल्लेख किया। ये वार्ताएं प्रारम्भिक स्वरूप की थीं और कोई विशिष्ट पेशकश नहीं की गई।

दिल्ली अनुसूचित जातियां कल्याण एसोसिशन का अभ्यावेदन

3236. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को 5 अगस्त, 1981 को दिल्ली अनुसूचित जातियां कल्याण एसोसिएशन (पंजीकृत) अम्बेदकर भवन, नई दिल्ली से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें समाज के कमजोर वर्गों के लिए ब्याज की रियायती दर के क्षेत्र को बढ़ाये जाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो सुझावों का ब्यौरा क्या है और क्या सरकार ने इसे मन्जूर कर लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत उसके दायरे को बढ़ाने के सम्बन्ध में संघ के मुख्य सुझाव ये थे : (1) आय पात्रता सम्बन्धी सिद्धान्त (2) अनुमत ऋण की मात्रा, और (3) निर्धारित राशियां। प्रथम दो सुझाव स्वीकृत नहीं किये जा सके क्योंकि विभेदी-ब्याज दर योजना का उद्देश्य कमजोर वर्गों में से सबसे अधिक कमजोर वर्ग को सहायता देना है और आय की अधिकतम सीमा अथवा ऋण की मात्रा में कोई वृद्धि करने से सबसे कमजोर वर्गों को मिलने वाली रकमों में कमी हो जाएगी और इस प्रकार सामान्यतः इस तरह यह सामान्यतः जनता के लिए अहितकर हो सकता है। जहां तक इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित रकमों में बढ़ोत्तरी

करने का सम्बन्ध है, बैंकों ने इस योजना के अधीन दिये जाने वाले ऋण को 0.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 1 प्रतिशत कर दिया है। इस योजना के अन्तर्गत सभी बैंकों द्वारा दिये जाने वाले अग्रिमों में लगातार वृद्धि हुई है अर्थात् ये अग्रिम जोकि दिसम्बर, 1972 के अन्त में 87.3 लाख रुपये थे, दिसम्बर, 1980 के अन्त तक बढ़कर 192.49 करोड़ रुपये हो गए। अनुमान है कि यह प्रवृत्ति लगातार बनी रहेगी क्योंकि बैंकों द्वारा दिये जाने वाले कुल अग्रिमों में निरन्तर वृद्धि हो रही है।

विनोद एण्ड विमल टैक्सटाइल मिल्स, उज्जैन का बन्द होना

3237. **श्री निहाल सिंह :** क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विनोद एण्ड टैक्सटाइल मिल, उज्जैन (मध्य प्रदेश) गत तीन वर्षों से बन्द पड़ी है जिसके परिणामस्वरूप लगभग दस हजार श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि राज्य सरकार ने इन मिलों को पुनः चालू करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया था जो नामन्जूर किया गया था; और

(ग) यदि उपरोक्त भागों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या केन्द्रीय सरकार अपनी नीति के अनुसार इन श्रमिकों को वेकल्पिक रोजगार उपलब्ध करायेगी ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) मैसर्स विनोद एण्ड विमल टैक्सटाइल मिल्स, उज्जैन, जिसमें 8641 श्रमिक काम करते थे, 9-11-81 से निरन्तर बन्द पड़ी हुई है। उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के उपबन्धों के अधीन इन मिलों के अधिग्रहण के सम्बन्ध में मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त एक सुझाव के उत्तर में उस सरकार से यह बताने का अनुरोध किया गया है कि क्या वह अधिग्रहण के समय विद्यमान प्रबन्धकीय तथा वित्तीय उत्तरदायित्वों को स्वीकार करने की इच्छुक होगी।

निर्यात प्रधान उद्योगों के लिए कच्चा माल

3238. **श्री डी०एम०ए० शिवप्रकाशम :** क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यात प्रधान उद्योगों के लिये कच्चा माल उपलब्ध कराने सम्बन्धी नियम और विनियम क्या हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे उद्योगों को आसानी से कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिये नियमों और विनियमों में संशोधन करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) पिछले दो वर्षों में से किसी में भी चुने हुए उत्पादों के अपने वार्षिक उत्पादन का 10% अथवा उससे अधिक का निर्यात करने वाले एकक पंजीयित निर्यातकों के सम्बन्धित आयात नीति के अन्तर्गत निर्यातों के आधार पर आयात प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के अलावा वास्तविक प्रयोक्ता नीति के अन्तर्गत अपनी वास्तविक खपत की तुलना में 10% अधिक मूल्य के आटोमेटिक लाइसेंस प्राप्त करने के पात्र हैं। इसी प्रकार अपने वार्षिक उत्पादन का कम से कम 50% निर्यात करने वाले एकक प्रायोजक प्राधिकरण के माध्यम से आवेदन पत्र भेजे बिना अपने आटोमेटिक लाइसेंस के 50% मूल्य के बराबर पूरक

लाइसेंस प्राप्त करने के पात्र हैं। ऐसे पूरक लाइसेंस को कच्चे माल के रूप में उनके द्वारा अपेक्षित कुछ मार्गीकृत मदों को सीधे आयात करने के लिए भी प्रयोग में लाया जा सकता है। नीति का ब्यौरा आयात नीति पुस्तक 1981-82 में दिया गया है, जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ख) तथा (ग) निर्यात अभिमुख उद्योगों द्वारा अपेक्षित कच्चे माल से सम्बन्धित आयात नीति को और उदार बनाने के लिए सुझाव हैं। इन पर 1982-83 के लिए आयात नीति तैयार करने के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है।

तमिलनाडु में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र की स्थापना

3239. **श्री डी० एस० ए० शिव प्रकाशम :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु में स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र स्थापित करने का है; और

(ख) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में तमिलनाडु सरकार का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) मद्रास में एक मुक्त व्यापार जोन स्थापित करने के लिए तमिलनाडु सरकार से अभ्यावेदन मिला था। सरकार द्वारा स्थापित कृतिक दल द्वारा इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है कि क्या नये मुक्त व्यापार जोन स्थापित किये जाएं या नहीं। कृतिक दल की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। कृतिक दल की रिपोर्ट मिलने के बाद ही सरकार नये व्यापार जोनों की स्थापना संबंधी नीति के बारे में निर्णय लेगी।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में सड़कों का विकास

3240. **डा आर रोथूआमा :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मनीपुर, त्रिपुरा तथा मेघालय राज्यों में प्रत्येक में बी० आर० टी० एफ० द्वारा अब कुल कितने किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है;

(ख) 1982-83 में बी० आर० डी० बी० के अधीन इन राज्यों में नई सड़कों के निर्माण के लिये कितना वित्तीय उपबन्ध किया गया है;

(ग) क्या सिल्चर-ऐजकाल राष्ट्रीय राजमार्ग को निकट भविष्य में चौड़ा करने का कोई कार्यक्रम है; और

(घ) यदि हां, तो कब और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) सीमा सड़क संगठन द्वारा उत्तर-पूर्व क्षेत्र में छः राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में दिसम्बर 1981 तक बनाई गई सड़कों की कुल लम्बाई इस प्रकार है :—

मिजोरम	—	1431.64 कि० मी०
नागालैंड	—	1153.98 कि० मी०
अरुणाचल प्रदेश	—	1672.18 कि० मी०
मणीपुर	—	706.98 कि० मी०
त्रिपुरा	—	203.48 कि० मी०
मेघालय	—	288.37 कि० मी०
कुल	—	5456.63 कि० मी०

(ख) इन राज्यों में सड़कों के निर्माण के लिए 1982-83 के लिए निम्नलिखित वित्तीय व्यवस्था की गयी है :—

(लाख रुपयों में)

मिजोरम	—	1334.92
नागालैंड	—	748.91
अरुणाचल प्रदेश	—	1273.16
मणीपुर	—	352.05
त्रिपुरा	—	252.34
मेघालय	—	132.13
कुल	—	4093.51

(ग) सिलचर-ऐजल सड़क को सिंगल लेन राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में चरण-बद्ध तरीके से चौड़ा करने का एक कार्यक्रम है।

(घ) यह कार्य जनवरी 1982 से शुरू हो गया है और यदि निधियां और अन्य तत्संबंधी सुविधाएं मिलती रहीं तो यह काम अगले 4-5 वर्षों में पूरा हो जाएगा।

औद्योगिक उत्पादन और सरकार की आर्थिक नीति

3241. **श्री तारिक अनवर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार की लघु सीमेंट संयंत्रों तथा बड़े सीमेन्ट संयंत्रों के वित्त पोषण की नीति क्या है;

(ख) क्या सरकार की औद्योगिक उत्पादन नीति और औद्योगिक वित्त नीति में अन्तर्विरोध नहीं है;

(ग) यदि नहीं, तो वित्तीय संस्थाओं के पास इतने अधिक आवेदनपत्र किस कारण से लम्बित हैं; और

(घ) क्या सीमेंट परियोजनाएं कार्यान्वित करने वाले औद्योगिक एककों को तेजी से तथा समय पर वित्त उपलब्ध कराने के स्थान पर मूल्यवान विदेशी मुद्रा व्यय करके सीमेंट का आयात करना सरकार की समझ का प्रमाण है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी): (क) से (ग) अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं सरकार की नीति के अनुसार सीमेंट संयंत्रों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही हैं। लघु सीमेंट संयंत्र भी इस प्रकार की सहायता के वास्ते पात्र हैं। अलबत्ता, वित्तीय संस्थाओं ने लघु सीमेंट परियोजनाओं को सहायता स्वीकृत करने का निर्णय किया है जबकि उपभोग क्षमता तथा परियोजना की लागत जैसी अर्थक्षम परियोजना के कतिपय आधारभूत पहलुओं का निर्धारण, प्राप्त अनुभव के आधार पर किया जाता है। 28-2-82 की स्थिति के अनुसार लघु-सीमेंट परियोजनाओं से प्राप्त 20 आवेदनों सहित सीमेंट एककों से प्राप्त 26 आवेदन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई०डी०बी०आई०) के पास विचाराधीन थे।

(घ) अल्पावधि में सीमेंट की आपूर्ति में कमी को पूरा करने तथा उस श्रेणी के उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से, जो कि राज्य व्यापार निगम (एस० टी० सी०) अथवा अन्य किसी राज्य सरकार के इस प्रकार की गतिविधि में संलग्न निगम के लेवी कोटे में से सीमेंट प्राप्त करने के पात्र नहीं है, या तो, अपने खाते से अथवा वास्तविक उपभोक्ताओं के खाते से सीमेंट आयात करने की अनुमति दी जा रही है।

नशीली वस्तुओं की काश्त वाली भूमि में खाद्यानों का उत्पादन करना

3242. **श्री अरविंद नेताम** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पृथक-पृथक कितनी एकड़ भूमि में तम्बाकू, अफीम, गांजा और अन्य नशीली फसल की काश्त की जाती है;

(ख) सरकार के पास इस प्रकार के नशीले पौधों की औषधि का भण्डार कितना था जिसे वह बेचने को इच्छुक है;

(ग) क्या यह सच है कि (जैसा कि कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है) अफीम सहित इन नशीले पौधों की औषधि का बड़ा भारी भण्डार एकत्र हो गया है; और

(घ) सरकार द्वारा, स्वास्थ्य के लिये हानिकारक इन पौधों के उत्पादन वाली भूमि में खद्यान्न उत्पादित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जायगी।

300 किलोमीटर श्रीनगर-जम्मू राजमार्ग पर भूस्खलन

3243. **श्री राजेश कुमार सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1982 के प्रथम सप्ताह में 300 किलोमीटर श्रीनगर जम्मू राजमार्ग पर भारी भूस्खलन हुए हैं;

(ख) उनके परिणामस्वरूप जानें तथा माल की हानि का अनुमान क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार द्वारा कोई राहत दी गई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

(व्यवधान)

श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार (त्रिवेन्द्रम) : दिल्ली में एक और डाकघर लूट लिया गया है। इस मामले पर चर्चा होनी चाहिए। (व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : हममें से अनेक ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी है। (व्यवधान)। यह पश्चिम बंगाल के हस्पतालों तथा रोगियों के प्रति व्यवहार के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय : वह मेरे विचाराधीन है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : कृपया हमें सुनें। इस सदन में क्या हो रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन महानुभाव को अनुमति दी है। मैं आपकी बात भी सुनूंगा आप अनावश्यक रूप से उत्तेजित क्यों हो रहे हैं ?

प्रो० के० के० तिवारी : मेरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : वह मेरे विचाराधीन है।

श्री के० लकप्पा (टुमकुर) : यह बहुत ही गंभीर मामला है। पश्चिम बंगाल अस्पताल में एक रोगी की मृत्यु हो गई है। यह बहुत ही गंभीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : वह मेरे विचाराधीन है।(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : दिल्ली में ला एंड आर्डर···(व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति क्या है ? फिर से डकघर लूट लिया गया है। सिक्योरिटी बक्सा लूट लिया गया है। (व्यवधान) गृह मन्त्री को वक्तव्य देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : बात सुन लीजिये, आप पांचों की एक ही बात है ना ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : भोई साहब, आप भी कुछ कहना चाहते हैं ?

प्रो० के० के० तिवारी : क्या मैं यह समझूं कि यह बिचाराधीन है ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने कह तो दिया, कितनी दफे कहलवायेंगे मुझ से ? क्या रजिस्ट्री करवाऊं ?

श्री राम विलास पासवान : दिल्ली का ला एंड आर्डर बिल्कुल खत्म हो चुका है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुन तो लीजिये।(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक दिन में एक ही चीज हो सकती है। मैंने कल भी यही अर्ज किया था कि आप इसको करवाना चाहते हैं या आलू वाली बात करवाना चाहते हैं। जो चीज आपको अच्छी लगे वह ले लेंगे, आप मुझे बता देना। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आलू और पोस्ट आफिस दोनों ही इम्पार्टेन्ट हैं।

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुनिये, बैठ जाइये। एक-एक हो जायेगा।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : प्रधान मंत्री क्यों चुप बैठी हैं ? चर्चा के परिणामस्वरूप कुछ कार्यवाही की जानी चाहिए। क्या कार्यवाही हो रही है ?

अध्यक्ष महोदय : वह कार्यवाही करेंगे। ऐसा रोज करना अच्छा नहीं लगता। हम तैयार हैं हर बात के लिये।(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहें।

श्री मनी राम बागड़ी (हिसार) : इनको रोको, रोज डकैती न पड़ने दें। अगर वहां कत्ल होंगे तो यहां भी होगा।***(व्यवधान)**

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : वह जो कुछ बोल रहे हैं उसे कार्यवाही वृत्तान्त में न लिया जाये। **(व्यवधान)***

अध्यक्ष महोदय : आप बीच में बोल रहे हैं, आप बुजुर्ग आदमी हैं, क्या कर रहे रहें ? **(व्यवधान)***

अध्यक्ष महोदय : मैं तो इसीलिये कह रहा हूं कि आप पुराने हैं। यह कहा है और कुछ नहीं कहा।

श्री मनीराम बागड़ी : तभी सिखा रहा हूं आपको यह बात कि बाहर जो झगड़ा होगा, लोक-सभा में भी चलेगा।

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि सभा की बैठक को आज 6 से 7 बजे म० प० तक बढ़ाया जाये। मैंने कुछ विपक्षी नेताओं से भी बात की थी। और अधिक सदस्यों को समय देने के लिये सभा बैठाई जाये।

अध्यक्ष महोदय : यदि सदन इससे सहमत है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। **(व्यवधान)**

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व): किस लिये ? यह वृद्धि क्यों ?

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : सदस्यों को और अधिक समय देने के लिये।

अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि सदस्यों को और अधिक समय देने के लिये।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय, क्या यही वक्तव्य ये देना चाहते हैं। दिल्ली में कानून और व्यवस्था की हालत बिगड़ रही है। क्या आप उन्हें निदेश देंगे कि दिल्ली में कानून और व्यवस्था के बारे में वक्तव्य दें ? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं यह मान लूं कि सदन आज की बैठक को 6 बजे से 7 बजे म० प० तक बढ़ाने को सहमत है ?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

अध्यक्ष महोदय : आधे घण्टे की चर्चा को बाद में लिया जायेगा। आम बजट पर चर्चा के लिए समय बढ़ाया जाता है।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

खाद्य निगम (संशोधन) नियम, 1982

कृषि तथा ग्रामीण विकास और नागरिक पूर्ति मंत्री (राववीरेन्द्र सिंह) : मैं खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 44 की उपधारा (3) के अन्तर्गत खाद्य निगम (संशोधन) नियम, 1982 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं, जो दिनांक 24 फरवरी, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 78 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 3518/82)

***(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। श्री संगमा।

---

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

तम्बाकू बोर्ड, गुन्टूर का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उसकी समीक्षा

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 19 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 22 की उपधारा (3) के अन्तर्गत तम्बाकू बोर्ड, गुन्टूर के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) तम्बाकू बोर्ड, गुन्टूर के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 3519/82)

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं।

राज्य सभा से संदेश

सचिव : मुझे राज्य सभा के महा सचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है :

(1) 'राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे चीनी उपकर विधेयक 1982 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 4 मार्च 1982 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिये भेजा गया था, वापस लौटाने का निदेश हुआ है और यह इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

(2) राज्य सभा में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम संख्या 127 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 9 मार्च 1982 को अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 4 मार्च 1982 को पारित किये गये चीनी विकास निधि विधेयक, 1982 से बिना किसी संशोधन सहमत हुई।"

विधेयक पर अनुमति

सचिव : महोदय मैं 19 फरवरी 1982 को सभा को सूचित करने के पश्चात चालू सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त अफ्रीकी विकास निधि विधेयक, 1982 सभा पटल पर रखता हूं।

अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विकास की ओर ध्यान दिलाना

मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली तथा देश के अन्य भागों में बंधुआ मजदूरों की समस्या

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विकास की ओर श्रम मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

"मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली तथा देश के अन्य भागों में बंधुआ मजदूरों की समस्या और उसके सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही"।

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगवत झा आजाद) : बन्धुआ मजदूर गांवों में रहने वाले गरीबों में से सबसे गरीब वर्ग के हैं। उन्हें आर्थिक और शारीरिक शोषण से बचाने के लिए बन्धुआ मजदूर पद्धति को पूरे देश में 25 अक्तूबर, 1975 से बंधित श्रम पद्धति (उत्पादन) अधिनियम, 1976 के अधीन समाप्त कर दिया गया है। यह 20-सूत्री कार्यक्रम का एक सूत्र है। यह अधिनियम अत्याधिक घृणित प्रकार के शोषण को समाप्त करने के लिए बनाया गया है। राज्य सरकारें इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रवर्तन तथा प्रशासन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं।

बन्धुआ मजदूर पद्धति होने की सूचना दस राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई है।

मुक्त कराए गए बन्धुआ श्रमिकों को मुख्य रूप से राज्य सरकारों द्वारा पिछड़े वर्गों के क्षेत्रीय विकास और कल्याण संबंधी विभिन्न चालू कार्यक्रमों के अधीन फिर से बसाया जा रहा है। राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे पुनर्वास कार्यक्रमों की सहायता करने के लिए श्रम मंत्रालय द्वारा 1978-79 में एक केन्द्रीय सचालित योजना आरंभ की गई और छठी योजना (1980-1985) मे इसके लिए 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इस योजना के अनुसार एक बन्धुआ मजदूर को पुन: बसाने पर अधिकतम 4,000/- रुपये तक खर्च किए जाते हैं, इसके लिए राज्य सरकारों को 50 प्रतिशत के बराबर-बराबर के अनुदान दिए जाते हैं। मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों को यह सहायता आय-सृजन आर्थिक यूनिटों, जैसे कृषि उपकरणों और निवेशों, मुर्गी/बकरी/भेड़/सूअर पालन ईकाइयों तथा बढ़इगिरी के लिए औजार और उपस्कर तथा व्यक्तिगत रुचियों एवं आवश्यकताओं के उपयुक्त कुशलता पर आधारित ऐसे अन्य व्यवसायों के लिए दी जाती है। राज्य सरकारों से इस योजना के साथ अन्य योजनाओं, जैसाकि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विकास की योजनाओं को, जहां कहीं आवश्यक हो, सामंजस्य स्थापित करने की आशा की जाती है, ताकि स्थायी प्रकार का पुनर्वास सुनिश्चित किया जा सके। 31.1.1982 की स्थिति के अनुसार, श्रम मंत्रालय ने पता लगाए गए तथा मुक्त कराए गए 1,33,550 बंधुआ श्रमिकों में से 42,155 बंधुआ श्रमिकों को फिर से बसाने के लिए 4.31 करोड़ रुपये की धनराशि दी थी। उपर्युक्त 1,33,550 बंधुआ श्रमिकों में से, 76,907 बंधुआ श्रमिकों को राज्य सरकारों द्वारा अपनी योजनाओं के अन्तर्गत फिर से बसाया गया।

4. छठी योजना अवधि के दौरान इस कार्य को शीघ्र करने के लिए, राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे अब तक पता लगाए गए और मुक्त कराए गए बन्धुआ मजदूरों के पुनर्वास कार्य को पूरा करें। उनसे यह भी अनुरोध किया गया है कि वे बंधुआ श्रमिकों का पता लगाने, उन्हें मुक्त कराने तथा फिर से बसाने के लिए संवेदन-क्षेत्रों में समय-समय पर सर्वेक्षण करने के लिए प्रभावी कार्यवाहियां करें। इन क्षेत्रों में जिला सतर्कता समितियां स्थापित की गई हैं। इस संबंध में श्रम मंत्रालय राज्य सरकारों तथा अन्य अभिकरणों के साथ निकटतम सम्पर्क रखे हुए है। योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने भी विभिन्न राज्यों में बन्धुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए केन्द्रीय संचालित योजना के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने के लिए एक सर्वेक्षण आरम्भ किया है।

बन्धुआ श्रमिकों का पता लगाने, उन्हें मुक्त करवाने तथा फिर से बसाने संबंधी समस्याओं पर विभिन्न सेमिनारों, सम्मेलनों, बैठकों आदि में राष्ट्रीय स्तर पर अनेक वार केन्द्रीय सरकार ने चर्चाएं करवाई हैं।

बंधुआ, प्रवासी तथा नैमित्तिक मजदूरों संबंधी एक केन्द्रीय स्थायी समिति बनाई गई है। यह समिति कार्य-योजनाओं को समन्वित करने, बंधुआ मजदूरों, प्रवासी मजदूरों और नैमित्तिक मजदूरों से संबंधित मामलों पर राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार को सलाह देने, समस्याओं/कठिनाइयों को सुलझाने तथा प्रगति पर निगरानी रखने का कार्य करती है।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वह न सिर्फ लोकमहत्त्व का है बल्कि इस आजाद भारत के सिर पर एक कलंक भी है। आज जिन लोगों के ऊपर हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं, आज इतने साल आजादी मिलने के बाद भी, उनकी दयनीय स्थिति को सोचने मात्र से ही रोयें खड़े हो जाते हैं। इस देश को आजादी मिली और देश का संविधान बना। आर्टिकिल (23) में फंडामेण्टल राइट्स में जोड़ा गया-प्रोहिबिशन आफ ट्रेफिक इन ह्यूमन बींग्ज ऐण्ड फोर्स्ड लेबर। इसके बाद भी आज 34 साल हो गए हैं। पहला कानून आपने सन् 1975 में बनाया। कानून भी नहीं बल्कि आर्डिनेन्स के द्वारा आपने इसको लागू किया और फिर 1976 में ऐक्ट पास किया। उन 28 सालों के दर्म्यान कभी भी शासन के दिमाग में यह बात आई ही नहीं कि यह आजादी किसके लिए है। शासन ने कभी नहीं सोचा कि देश में करोड़ों लोग ऐसे भी हैं जोकि गुलाम हैं, जिनके दिमाग में कभी यह बात आती ही नहीं है कि वे भी आजाद हैं।

अभी मन्त्री जी ने अपनी रिपोर्ट में दस राज्यों का हवाला दिया है लेकिन शेष राज्यों की भी क्या स्थिति है ? मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है, मैं कहना चाहता हूं कि उन्हीं के अन्तर्गत एक डिपार्टमेंन्ट है राष्ट्रीय संस्थान और दूसरा है गांधी पीस फाण्डेशन। इन दोनों ने ही इस सम्बन्ध में अध्ययन किया है। मेरे पास संस्थान की रिपोर्ट है—नेशनल सर्वे आन दि इंसीडेन्ट्स आफ दि बाण्डेड लेबर—जिसके पेज 27 पर कहा गया है कि बिहार, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश (उड़ीसा और महाराष्ट्र को इसमें जोड़ा नहीं गया है) में 21.7 लाख

बाण्डेड लेबर हैं। यह तो जो सरकार का एक विभाग है उसने सर्वे करके यह फिगर दी है कि इतने बंधुवा मजदूर हैं। दूसरी ओर महाराष्ट्र और उड़ीसा की जो फिगर्स हैं उनको मिलाकर यह फिगर 26 लाख बन जाती है। यह 26 लाख बंधुआ मजदूर जो हैं वे तो खेतिहर हैं। इनके अलावा भट्ठों में बंधुवा मजदूर हैं, खानों में बंधुवा मजदूर हैं, या जो दूसरी जगहों पर हैं उनको भी अगर शामिल कर लिया जाए तो इनकी संख्या कम से कम 50 लाख है। ऐसे 50 लाख लोग आज भी इस आजाद भारत में गुलामी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनके पास तक आज भी आजादी की रोशनी नहीं पहुंची है।

हमारे मंत्री महोदय जिस क्षेत्र से आते हैं, भागलपुर से, उसके पास मुंगेर, डाल्टनगंज, पूर्णिया—यह सारे ऐसे स्पाट्स हैं जहां पर बंधुआ मजदूरी का नंगा चित्र देखने को मिलता है। हमारे पास के श्री राम शरण जोशी हैं जिन्होंने इस सम्बन्ध में अध्ययन करके एक रिपोर्ट मध्य प्रदेश सरकार को दी है और मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री इस सम्बन्ध में कुछ करने भी जा रहे हैं। उन्होंने केवल तीन गांवों का ही सर्वे किया है और यह बतलाया है कि बंधुआ मजदूरों को कौन सा खाना दिया जाता है। उनको प्वायजनस खाना दिया जाता है। खेसारी दाल, और वह भी सड़ी हुई, उनको खाने के लिए दी जाती है।

मंत्री महोदय एक तरफ कहते हैं कि हमारे यहां 1,33,550 बंधुआ मजदूर हैं, जब कि श्रम संस्थान द्वारा इनकी रिपोर्ट के मुताबिक आठ राज्यों से 22 लाख बंधुआ मजदूर हैं, इसमें दूसरे राज्यों की बात नहीं है। इस प्रकार यह आपस में कन्ट्रडिक्शन क्यों है ? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि अब उसी श्रम संस्थान के ऊपर यह दवाब डाला जा रहा है कि वे ऐसा सर्वे ही न करें, क्योंकि उसने बन्धुआ मजदूरों की नंगी तस्वीर सरकार के सामने रख दी है। सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि उस पर कार्यवाही ही न करो।

दूसरी बात, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या बन्धुआ मजदूरों में कोई ब्राह्मण भी है ? नहीं है। क्या बन्धुआ मजदूरों में कोई ठाकुर भी बन्धुआ है ? नहीं होगा। इन बन्धुआ मजदूरों में 90 प्रतिशत अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं और जो बचते हैं, वे भी इसी कैटेगरी के पिछड़ी जाति के लोग हैं। इनके उद्धार के लिए आप को आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से देखना होगा, ताकि इनका उद्धार हो सके। इसी संबंध में स्वामी अग्निवेश, जो जनता पार्टी के हैं, उनका कार्यक्रम चल रहा है।

अभी हरियाणा की सरकार ने कहा है कि हरियाणा में बन्धुआ मजदूर नहीं हैं। जब बन्धुआ मजदूर को पकड़कर सामने लाया गया, तो कहा गया कि बन्धुआ मजदूर पर रिसर्च करने वाले हैं, लेकिन उसके बाद अभी तक हो नहीं पाई है। मामला हाईकोर्ट में गया और हाईकोर्ट से हरियाणा सरकार ने चार महीने का समय लिया। यह चार महीने का समय सितम्बर में मांगा, जो पूरा हो गया, तो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आपको डायरेक्शन देगा कि तुम बन्धुआ मजदूरों के बारे में पता लगाओ, लेकिन पता नहीं सरकार सब चीजों को डिफैण्ड करना क्यों शुरू कर देती है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि यह राष्ट्रीय धब्बा है, जो कि आपके और हमारे माथे पर लगा हुआ है, इसको मानवता दृष्टिकोण से देखना चाहिए और दूर करने के उपाय करने चाहिए। हम

लोगों को याद है, गांव में एक हरिजन को दवाई के लिए पैसे दिए गए, तो उसको चार पुश्तों तक बन्धुआ मजदूर की तरह से काम करते रहना पड़ा।

आपने अपने जवाब में एक सैल के संबंध में कहा है—सतर्कता विभाग। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि आपका यह सतर्कता विभाग कहां है? अभी तक आपने कितने राज्यों में सतर्कता विभाग कायम किए हैं, कितने जिला स्तर पर सतर्कता निगरानी विभाग कायम किए हैं? जब आपका सतर्कता विभाग है नहीं, विजिलेंस नहीं है, तो आपने यह पैसा किसको दिया है और यह पैसा कौन खर्च कर रहा है? रिहैबिलिटेशन के नाम पर जो ठेकेदार घर पर काम करते हैं, वे उसमें पूरा-का पूरा बालू भर देते हैं। मैं सरकार के वक्तव्य को चैलेंज करता हूं और मांग करता हूं कि यदि सरकार के पास अभी लिस्ट है, तो अभी नहीं तो बाद में जिन बान्डेड लेबर को मुक्त करवाया है, उसको टेबिल पर ले-डाउन करे? कहां-कहां आपने मुक्त करवाया है, कहां-कहां आपने बसाने का काम किया है और कहां-कहां आपने उसको फायदा पहुंचाने का काम किया है? यहां सदन में बलीराम भगत जी नहीं, उन्होंने 1976 में पलामू में बन्धुआ मजदूरों को इकट्ठा करके एक सैमीनार किया था।

उस बाण्डेड-लेबर को जब उन्होंने छुटाया तो आप को सुन कर ताज्जुब होगा—पांच साल तक लड़ने के बाद, लगातार लिखा-पढ़ी करने के बाद उस को क्या मिला? मुर्गी। मेरे पास उस का नाम है—उस का नाम था—मुगल माझी। यह उस का रिहैबिलिटेशन हुआ। जो अन्य लोग थे, जब उन के लिये प्रयास किया गया तो उन को क्या मिला? एक पुराना बूढ़ा बैल। इतना ही नहीं, उस से कहा गया कि तुम जाओ, लकड़ी ले जाओ, तुम्हारे लिये घर बनाया जायगा। जब वह लकड़ी लेने गया तो जंगल के अधिकारी ने लकड़ी तोड़ने के इल्जाम में पकड़ लिया, तब उस बूढ़े बैल को बेच कर और सब पैसा घूस में देकर उसने अपने को बचाया।

आप देखिये- यह कितनी दर्दनाक स्थिति है। आप के मुताबिक तो उस को रिहैबिलिटेट कर दिया गया, लेकिन बसाया गया तो उस को क्या मिला-एक मुर्गी, किसी को मिला-एक बूढ़ा बैल। जब लकड़ी लेने जंगल में गया तो फारेस्ट आफिसर ने पकड़ लिया तो बैल बेचकर जो पैसा आया वह घूस में दे दिया गया। क्या कभी आपने सोचा है कि जिन लोगों को आप ने बसाया है, उनके बारे में आपके सरकारी कर्मचारियों का आउट-लुक क्या है?

आपने कहा है कि इतने लोगों को बसाया है, जितने लोगों को आपने मुक्त कराया उन में से 1 लाख 33 हजार को डिडक्ट कर दिया। इसका मतलब है कि 1 लाख से अधिक मदूजर बंधुआ के रूप में काम कर रहे थे तो जिनके पास वे लोग काम कर रहे थे या जिन्होंने कानून का वायोलेशन किया या संविधान की धारा को तोड़ा, ऐसे लोगों के खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की है? वो फिगर आप ने बंधुआ मजदूरों की बना कर दी है, वह ऐसे क्षेत्रों की है जैसे खेतिहर मजदूरों के मामले हैं या जो इण्डस्ट्रियल मामले हैं जैसे खानों में लोग काम करते हैं। इसलिये मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा-आजादी प्राप्त किये 34 वर्ष हो चुके हैं, 34 वर्षों की आजादी के बाद, सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश के बाद, संविधान के मौलिक अधिकारों में प्रावधान के बाद भी आज हिन्दुस्तान में बंधुआ मजदूर मौजूद हैं, जिस का पेट मरा हुआ है, जिस का मन मरा हुआ है,

जिस का इस देश के किसी नेता पर पर विश्वास जम नहीं रहा है, जिस को अजादी की कोई रोशनी नजर नहीं आ रही है, सवेरे बैल लेकर 4 बजे जाता है और रात को लौट कर आता है, यह भी पता नहीं चलता कि सूरज की किरण उस के लिये है या नहीं है, ऐसे लोगों के लिये सरकार क्या करने जा रही है ?

मैंने पहले भी कहा था—आप ज़रा इन दोनों चीजों को जोड़ कर देखिये—बंधुआ मजदूरों में कौन लोग हैं । मेरे पास यह सरकारी रिपोर्ट है जिस में साफ़ लिखा है कि ये गांव के गरीब हरिजन, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग हैं जिसके मन को इस देश में गुलाम बना कर रखा हुआ है—ऐसे लोगों की समस्या का समाधान तब तक नहीं होगा जब तक आप इस पर गम्भीरता-पूर्वक विचार नहीं करेंगे ।

आपने कहा है कि इनके लिये 25 करोड़ रुपया रख दिया है । 4 हजार रुपया आप दे रहे हैं और 4 हजार रुपया स्टेट देगी । स्टेट गवर्नमेन्ट क्या दे पायेगी, क्या नहीं दे पायेगी क्या कभी आपने इसको रियलाइज़ किया है । आज गांवों में जो किसान बन्धुआ मज़दूरी कर रहे हैं उनको कोई भी अधिक मजदूरी देने के लिये तैयार नहीं है । उनको सिर्फ इतना दिया जाता है जिस में वे आधा पेट रह कर काम करें । इसीलिये हमने "फूड-फार-वर्क" का कार्यक्रम चलाया था जिस में काम करने वाले को सरकार की तरफ से चार किलो अनाज मिलता था । इस योजना का यही उद्देश्य था कि जब सरकार की तरफ से चार किलो मिलेगा, तो प्राइवेट मालिक को भी झक मार कर उतना देना पड़ेगा, वर्ना वह मज़दूर सरकार की योजना में काम करने जायगा । यही इस का एक रास्ता है लेकिन आज क्या हो रहा है । हमारा ज़ो देवगढ़ है, उस देवगढ़ में अन्त्योदय का एक संस्थान है और उस संस्थान की तरफ से एक कार्यक्रम शुरू हुआ है । मैं आप को बताऊं कि जो हमारी सरकार है, वह 4 रूपये मजदूरी देती है और जो एच्छिक संस्थाएं हैं, जो वालन्ट्री एजेन्सीज हैं, वे 6 रूपये मजदूरी देती हैं और जो सरकार का ठेकेदार है, वह 5 रुपये मजदूरी देता है । आप यह देखिये कि वे ऐच्छिक संस्थाएं, जिनके पास कोई फंड नहीं है, वे 6 रुपये मजदूरी देती हैं और हमारी सरकार, जिस के पास काफी फंड है, वह 4 रुपये मजदूरी देती है । सरकार स्वयं 4 रुपये मजदूरी देती है, साढ़े तीन रुपये मजदूरी देती है और फिर मिनीमम वेजेज की बात कहती है, तो इस सरकार की कथनी और करनी में कितना बड़ा अन्तर है ? मैंने पहले पूछा था कि आज तक आप ने कितने करोड़ रुपये खर्च किये हैं, तो उस के बारे में तो आप ने बतला दिया है लेकिन मैं आप से यह जानना चाहूंगा कि कौन कौन लोगों के पास कौन कौन बंधुआ मजदूर इस देश में हैं । किन बंधुआ मजदूरों को आपने लाभ पहुंचाया है और कहां कहां से आपने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराया है और कहां कहां उन को बसाने का काम किया है । इन प्रश्नों का आप जवाब दीजिए ।

आप मोनीटरिंग की बात कहते हैं । मैं आप से कहता हूं कि सदन के जो इस पक्ष के लोग हैं और जो उस पक्ष के लोग हैं और जो बंधुआ मजदूर नहीं हैं, ऐसे लोगों की आप एक कमेटी बनाइए और कमेटी बनाकर इसकी जांच करवाइए कि इसका ठीक से काम हो रहा है या नहीं और जो पैसा आप दे रहे हैं, उसका उपयोग ठीक से हो रहा है या नहीं । मैं आप से यह भी जानना चाहूंगा, जैसा कि मैंने पहले कहा कि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, जो आपका एक डिपार्टमेंट है, आपका ही एक अंग है, वह राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहता है कि 26 लाख बंधुआ मजदूर हैं और

सरकार कहती है कि 1 लाख 33 हजार बंधुआ मजदूर हैं, और ये भी 10 स्टेट्स के आंकड़े हैं और बाकी राज्यों के आंकड़े नहीं हैं, तो इन दोनों में से कौन से फिगर्स सही हैं और जिन राज्यों का सर्वेक्षण नहीं हुआ है, क्या उन राज्यों का सर्वेक्षण भी आप करवाएंगे। मैंने पहले यह एलीगेशन लगाया था कि राष्ट्रीय श्रम संस्थान जो एक अच्छा काम कर रहा था, उस को भी आप ने काम करने से रोक दिया, तो क्या आप उस को यह आदेश देंगे कि वह जा कर दूसरे राज्यों का भी सर्वेक्षण करे ?

मैं सरकार से यह भी पूछना चाहूंगा कि आपने जो यह कहा है कि जो बंधुआ मजदूर हैं, उन का पुनर्वास कराया गया है, उन को रीहैबीलीटेट कराया गया है, तो उन बंधुआ मजदूरों में से फिर से कितने लोग बंधुआ मजदूर बन गये ?

मैं एक बात और बहुत ईमानदारी पूर्वक कहना चाहता हूं और वह यह है कि हमारे यहां बिहार में एक जगह मुसहरी है, जहां पर श्री जय प्रकाश नारायण ने अपना आन्दोलन शुरू किया था। श्री जय प्रकाश नारायण के दिमाग में यह भ्रम था कि इतना ग्राम दान हो गया, इतना भूमि दान हो गया, इतना जिला दान हो गया और इतना स्टेट दान हो गया लेकिन जब वे उस गांव में पहुंचे और लोगों से पूछा कि कितनी भूमि दान में दी गई, जब इस तरह का सर्वेक्षण करना शुरू किया तो यह बताया गया कि फलां बाबू जमीन देगा, तब न हम जमीन देंगे। इस तरह से कोई जमीन नहीं मिली लेकिन जिला दान से प्रान्त दान तक सब हो गया। तो इस तरह की बात आप मत कहिये कि बोंडेड लेबर हैं ही नहीं। जो लोग बोंडेड लेबर को निकालते हैं, तो आप राष्ट्रीय सुरक्षा कानून उन पर लागू करना चाहते हैं, नक्सेलाइट की दफा आप उन पर चलाना चाहते हैं। बिहार में हम लोगों को मालूम है कि सासाराम में, भोजपुर जिले में, पटना जिले में, जिन लोगों ने बंधुआ मजदूरों के लिए आवाज उठाई, तो क्या हुआ। बोध-गया के मेहन्त को कौन नहीं जानता। छात्र संघर्ष वाहिनी, जो किसी पोलीटीकल पार्टी से सम्बन्धित नहीं है, ने जब इस बारे में आन्दोलन किया और जो जमीन के बटवारे की बात करती है, तो उस को गोली से उड़ाया जा रहा है। सरकार की पुलिस किस की तरफ से काम कर रही है ? सरकार की पुलिस मठाधीश की तरफ से काम कर रही है। इसलिए सरकार की नीति और सरकार की नीयत में जब तक एकरूपता नहीं आएगी, जब तक कांक्रीट तरीके से भूमि सुधार नहीं होगा, जब तक रूरल एम्पलायमेंट का काम आप नहीं करेंगे और जब तक ऐसे लोगों को नहीं लगाएंगे जो लोग सही माइने में गरीबों के प्रति, हरिजनों के प्रति, आदिवासियों के प्रति हमदर्दी रखते हैं और जिन के दिल व दिमाग में बंधुआ मजदूरों के प्रति दर्द है, तब तक सही माइनों में यह काम नहीं होने वाला है। जब तक आप मन लगा कर इस काम को नहीं करेंगे, तब तक चाहे आप के यहां पूरा दान हो जाए लेकिन आज से 100 वर्ष के बाद भी अगर सर्वेक्षण किया जाएगा और हजार साल के बाद भी सर्वेक्षण किया जाएगा, तो उस सर्वेक्षण में यही निकलेगा कि इस देश में बंधुआ मजदूर हैं।

इस देश में वे लोग भी हैं जो कि आजाद देश में गुलाम हैं और इसीलिए नारा लगाते हैं कि यह आजादी झूठी है और देश की जनता भूखी है। इसलिए ऐसे लोगों के लिए कुछ कीजिए, तभी हमारा और आपका कल्याण होगा, नहीं तो देश सत्यानाश की ओर चला जाएगा।

श्री भागवत झा आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक बन्धुआ मजदूरों की स्थिति के वर्णन का सम्बन्ध है और जिसे पासवान जी ने भी किया, उससे में पूर्णतः सहमत हूं। चाहे हम इस

तरफ के हों, चाहे उस तरफ के हों, हमारे लिए और सम्पूर्ण देश के लिए यह बहुत अफसोस की बात है कि आजकल भी बन्धुआ मजदूर हमारे देश में हैं। कभी सरकार ने यह बात नहीं कही और आज भी नहीं कहती है कि बन्धुआ मजदूर देश में नहीं हैं। सच तो यह है कि इसकी कल्पना करने, इनके बारे में सोचने और इनके बारे में कार्यक्रम को लागू करने का श्रेय श्रीमती इन्दिरा गांधी को है। उन्होंने ही इसको 1975 में शुरू किया। अब इस में क्यों बीच में ढिलाई आयी, क्यों बीच में कम काम हुआ, यह आप जानते हैं।

अब पुनः बीस सूत्री कार्यक्रम में इस बात पर जोर दिया जा रहा है। इसलिए आप बार-बार इस पर जोर न दीजिए कि इनके लिए दर्द आपके पास है, हम लोगों के पास नहीं है। हमारे पास बहुत दर्द है और परसों नेशनल डवलपमेंट काउंसिल की बैठक हो रही है। उसमें विचार करने के लिए प्रमुख मुद्दा यह है। उसमें सभी मुख्य मंत्री रहेंगे, प्रधान मंत्री स्वयं चेअरमैन हैं। इस बैठक की चार प्रमुख आइटम्स में से एक आइटम यह भी है। अब जैसा कि आपने अपने भाषण में कहा कि हमारे पास दर्द नहीं है, यह गलत बात है। इसके विपरीत सच तो यह है कि हमने ही इनके बारे में सबसे पहले सोचा, इनके बारे में कार्यक्रम को मूर्तरूप दिया और हम इनके लिए कार्य भी कर रहे हैं।

मैं राम विलास जी आपको धन्यवाद देता हूं कि आप विरोध पक्ष के उन लोगों में से नहीं है जिनका कि बीस सूत्री कार्यक्रम ढोंग नजर आता है। आप एक होशियार आदमी हैं और मुझे इस बात की प्रसन्नता हो रही है और इसीलिए में आपको धन्यवाद दे रहा हूं कि आप उनमें से नहीं जिनको बीस सूत्री कार्यक्रम ढोंग मालूम पड़ता है। यह भी प्रसन्नता की बात है कि अब आप ऐसे विषय पर जोर देने लगे हैं।

यह सच है कि कई व्यक्तियों ने इस के सम्बन्ध में अनुसंधान किया है। आपने श्रम संस्थान की बात कही। वह सर्वेक्षण श्रम संस्थान का नहीं है। वह सर्वेक्षण गांधी पीस फाउंडेशन का है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, जो हमने बनाया, उसके अनुसार जिनको बोण्डेड लेबर कहा जाता है या आपके अनुसार जिनको बोण्डेड लेबर कहा जाता है, उसके अनुसार बहुत कम सेम्पल लिया। उन्होंने केवल तीन-चार गांवों में बहुत कम सेम्पल लिया और फिर उसे समूचे देश के सात लाख से गुणा कर दिया। उसका सर्वे वेस्ट जर्मनी की एक फाउण्डेशन ने किया। किस के धन पर हुआ, उसके कारण इस सदन में काफी हल्ला हुआ था। इसीलिए गांधी पीस फाउंडेशन के कार्यों पर अब एक कमीशन विठाया गया है। में उसके फिगर्स बिल्कुल नहीं मानता। (व्यवधान) यह मैं जानता हूं कि आप क्या कहने वाले हैं। मैं भी होम टास्क करके आया हूं।

श्रमिक संस्थान को गांधी पीस फाउण्डेशन ने अपने साथ एसोसियेट किया था लेकिन जब गांधी पीस फाउण्डेशन ने अपने ही सेम्पल को तोड़ दिया, या उसमें कम रखा, नियम को नहीं माना, जर्मन फाउण्डेशन ने जब उसमें सर्वे किया, जब उसमें कुछ राजनीति की बू आने लगी तो इस संस्थान ने अपने को उससे डिसएसोसियेट कर लिया, अपने को उस से मुक्त कर लिया। (व्यवधान)

ये जो कानून हैं, इनको केन्द्रीय सरकार अपने से कार्यान्वित नहीं करती है। आप स्वयं भी जानते हैं। आप भूतपूर्व रहे हैं, वर्तमान में है। नियम बहुत से हैं। अगर हम को दखल देना होगा तो वेस्ट बंगाल में खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि यह हमारे अन्तर्गत है।

फिगर मैं बता रहा था। हमें दस राज्य सरकारों ने खबर दी है कि हमारे यहां पर हैं। बाकी राज्य सरकारों ने कहा कि हमारे यहां नहीं हैं। इसके बावजूद भी प्रधान मंत्री ने मुख्य मंत्रियों को कहा और उन मुख्य मंत्रियों को भी कहा जिन्होंने कहा कि हमारे यहां नहीं हैं। मैंने भी श्रम मंत्रियों को पत्र लिखा और कहा कि आप कैसे कहते हैं कि आपके यहां नहीं हैं। यह सदन बिना पार्टीबंदी के इस बात से सहमत है कि जब तक कि इसका सर्वेक्षण विस्तृत पैमाने पर गांव गांव में नहीं होगा तब तक सही चित्र सामने नहीं आयेगा। हम गांधी पीस फाउण्डेशन के सर्वे से सहमत नहीं हैं।

इसलिए मैं इस समस्या की विशालता और महत्ता को मानता हूं और यह कहना चाहता हूं कि इसके मर्म और दर्द को हम समझते हैं और राज्य सरकारों पर बार-बार दबाव डाल रहे हैं कि वे संवेदनशील क्षेत्रों का सर्वे करवाएं और पता लगाएं।

हरियाणा सरकार के बारे में आपने कहा, हमने उनको लिखा है कि ब्रिककिल्नस में आपके यहां बंधुआ मजदूर हैं। इसके पहले हमारे राज्यमंत्री जी वहां गए भी थे और अग्निवेश जी को भी बुलाया था, लेकिन वे नहीं आए। दिल्ली के बारे में भी कहा गया था, हम लोग गए थे। इसलिए इस कार्यक्रम की ईमानदारी पर राम विलास जी आप संदेह मत कीजिए।

दूसरी बात आपने कही कि कहां-कहां लोगों को छुड़ाया गया है। आपकी पार्टियों के लोग हर जगह हैं, वहां की राज्य सरकारें किस तरह से काम कर रही हैं, इसके डिटेल्स आप मंगवा सकते हैं। एक-एक व्यक्ति की जानकारी रखना तो मेरे लिए असंभव है। वैसे हम राज्य सरकारों को समय-समय पर निर्देश देते रहे हैं। 1975 से अब तक कितना खर्च हुआ है, सारे फिगर्स आपको दिए हैं। विजिलेंस कमेटी की बात आपने कही तो 10 राज्यों ने स्थापित की हैं कुछ स्थानों पर और जहां पर अभी करना बाकी है, वहां के लिए उन्हें लिख दिया गया है। जिन राज्यों ने अभी यह कार्य शुरु नहीं किया है, उनको भी कहा है कि इस ओर रुचि दिखाएं। इस प्रकार हम इस बात के लिए पूरी तरह से प्रयत्नशील हैं। इसके लिए पर्याप्त धनराशि भी उपलब्ध कराई गई है। छटी पंचवर्षीय योजना के लिए 25 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है।

आपने देवगढ़, मुंगेर आदि की बात की कि कंट्रैक्टर बेईमानी करते हैं। हो सकता है कि इस कार्यक्रम में कहीं-कहीं गड़बड़ी हो, इतना बड़ा कार्यक्रम है। तो ऐसे व्यक्तिगत उदाहरण सामने आने पर हम राज्य सरकारों को लिखते हैं।

हम इस कार्यक्रम को पूरी गंभीरता से ले रहे हैं और राज्य सरकारों पर दबाव डालते हैं। लेकिन आप भी अपने स्तर पर सहयोग दीजिए। हमने विभिन्न ट्रेड यूनियन्स से भी कहा है, विभिन्न संस्थाओं से भी कहा है। जब तक सबका सहयोग नहीं होगा तब तक सफलता संभव नहीं है। सरकार की कथनी और करनी में तो एकरूपता है, लेकिन विरोधी भी अपनी कथनी और करनी में एकरूपता ले आएं तो फिर काम आसान हो सकता है।

फूड फार वर्क प्रोग्राम अभी समाप्त नहीं हुआ है और रूरल एंप्लायमेंट प्रोग्राम के अन्तर्गत राज्य सरकारों से कहा गया है कि उनको इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत पुनर्वासित किया जाए।

जहां तक बन्धुआ मजदूरों की जाति का प्रश्न है तो मैं समझता हूं कि ये शेड्यूल-कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स से भी नीचे की जाति के हैं। हम उस वक्त जाति नहीं पूछते हैं। हम तो इतना जानते हैं कि वे बहुत गरीब लोग हैं और उनके साथ अन्याय होता है।

उपाध्यक्ष महोदय : सभी बंधुआ मजदूर शूद्र हैं।

श्री भागवत झा आजाद : मैं शूद्र नहीं कहता। मैं कहता हूं कि सभी बंधुआ मजदूरों की हालत शूद्रों से भी खराब है। बंधुआ मजदूर अपनी अलग ही एक श्रेणी है और उनका पुनर्वास किया जाना है। अतः जाति को न देखें। वे बहुत ही दलित हैं।

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : बड़े दुःख और शर्म की बात है कि बीसवीं शताब्दी में आज के इस युग में भी पहले जमीन की तरह से गुलामों की खरीद और उनकी फरोख्त की प्रथा हमारे देश में चल रही है। किसी भी विचारधारा से कोई सम्बन्ध रखता हो, उसका इस पर चिन्तित होना स्वाभाविक है। पिछली कांग्रेस सरकार के जमाने में और विशेष कर एमरजैन्सी में इस प्रथा को समाप्त करने के लिए बड़े कारगर कदम उठाए गए थे। उस समय राज्य सरकारों को विश्वास में ले कर कोशिश की गई थी कि यह प्रथा देश से समाप्त हो। उस समय कुछ काम भी हुआ था। बंधुआ मजदूर रखने वाले भयभीत हो गए थे। बहुत से लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई, उनको जेल भी भेजा गया और बहुत से बंधुआ मजदूरों को आजाद भी कराया गया और उनके पुनर्वास की व्यवस्था भी की गई। लेकिन दुःख की बात है कि एमरजैन्सी के बाद जो सरकार आई उसने एमरजैंसी के दौरान किए गए अच्छे कामों को भूलने के साथ-साथ इस बंधुआ मजदूरों के मामले को भी भुला दिया और समझ लिया कि एमरजैंसी में जो भी काम किए गए चाहे वे अच्छे भी थे, खराब थे और इस समस्या की तरफ कोई तवज्जह नहीं दी। जिस तेजी के साथ काम शुरू हुआ था अगर इसको जारी रखा जाता तो मैं समझता हूं कि आज इस सदन में बंधुआ मजदूरों की समस्या को ले कर आना नहीं पड़ता। नतीजा यह हुआ कि बंधुआ मजदूरी की प्रथा चलती गई और तेजी के साथ चलती गई।

दो वर्ष पहले जब हमारी सरकार केन्द्र में और राज्यों में सत्ता में आई, दुःख की बात है कि उन्होंने भी उस तेजी के साथ इस प्रथा को खत्म करने के लिए कार्रवाई नहीं की जिस तेजी के साथ एमरजैंसी में की गई थी। आज हमारे श्रम मंत्री जी बड़े जोरदार तरीके से कह रहे हैं, और इंसानियत के नाते और एक जिम्मेदार आदमी के नाते उनको सच बात कहनी भी चाहिए, कि इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि इस देश में बंधुआ मजदूरी प्रथा चालू है। दूसरी तरफ हरियाणा, आंध्र प्रदेश आदि प्रदेशों के मुख्य मंत्री बराबर असेम्बलियों में और बाहर भी यह कह रहे हैं कि हमारे यहां बंधुआ मजदुरों की प्रथा नहीं है। यह श्रम मंत्री और राज्यों के मुख्य मंत्रियों के बीच अन्तर्विरोध है। अगर हरियाणा के मुख्य मंत्री ने आपके पास अपनी रिपोर्ट भेजी है कि उनके यहां बंधुआ मजदूर हैं तो बड़े शर्म की बात है। मैं समझता हूं कि इस में लाज की बात नहीं होनी चाहिये और यह समस्या है तो इसके समाधान की कोशिश होनी

चाहिये। समस्या को छिपाने से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। इस मामले में राज्य सरकारों को भी केन्द्र के साथ सहयोग करना चाहिये। ऐसा वे नहीं कर रही हैं। में कई आर्टिकल पढ़े हैं, समाचारपत्रों में भी मुझे यह पढ़ने को मिला है कि बहुत सी राज्य सरकारें इस बात में आनाकानी कर रही हैं कि बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के खर्च को वे बरदाश्त करें। आधा खर्चा केन्द्रीय सरकार वहन करती है और आधा राज्य सरकारों को बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए खर्च करना होता है। लेकिन अधिकतर राज्य सरकारें इस खर्चे को भी बरदाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं, आनाकानी कर रही हैं। और यही वजह है कि राज्य सरकार की आनाकानी के कारण ही स्थानीय अधिकारी बंधुआ मजदूरों को छुड़ाने के लिए, उनको आइडेन्टीफाई करने के लिये कोई काम नहीं कर रहे हैं। बल्कि दूसरी तरफ वह उन्हीं का साथ देते हैं जो बंधुआ मजदूर रखते हैं और ऐसे ठेकेदार उनसे काम लेते हैं, उन्हीं का अधिकारी लोग साथ देते हैं और अक्सर बंधुआ मजदूरों को छुड़ाने के लिये जो कार्यवाही की जाती है, या स्वयं वह छोड़ कर भागना चाहते हैं उन्हीं के खिलाफ पुलिस के लोग कार्यवाही करते हैं। यह हकीकत है, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता। इस सम्बन्ध में मैं बधाई देता हूं सामाजिक कार्यकर्त्ताओं को जिन्होंने इस मामले में कुछ काम किया है, और जो कुछ भी काम हो रहा है मैं समझता हूं यह सामाजिक कार्यकर्त्ताओं की वजह से, चाहे वह कार्यकर्त्ता किसी भी पार्टी के हों, ही यह मामला हमारे सामने आ रहा है। वह अधिकारियों का ध्यान उस तरफ ले जा रहे हैं, सरकार और अदालतों का ध्यान इस तरफ खींच रहे हैं, तब जाकर यह समस्या सामने आयी है। नहीं तो बहुत दिनों पहले राज्यों के मुख्य मंत्री इन्कार करते थे कि बंधुआ मजदुर उनके यहां हैं। यह एक बड़ी विकट समस्या है, और मुझे प्रसन्नता है कि जो अभी श्रम मंत्री जी ने बताया कि नेशनल डेवलपमेंट काउन्सिल की जो मीटिंग होने वाली है उसमें सब प्रदेशों के मुख्य मंत्री होंगे उसमें बंधुआ मजदूरों की समस्या एजेन्डे का एक प्रमुख आइटम है। सब लोग चाहते हैं कि इस कुप्रथा को हमेशा के लिए देश से समाप्त कर दिया जाय चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े।

फिगर्स में मतभेद हो सकता है, इसके चक्कर में मैं नहीं जाता, चाहे 20 लाख हों या 50 लाख हों, इसमें शरमाने की बात नहीं है, इसको समाप्त किया जाना चाहिये। मेरा सुझाव है कि केन्द्रीय सतह पर एक एजेन्सी कायम की जानी चाहिये जिसका केवल यह काम हो कि वह बंधुआ मजदूरों को आइडेन्टिफाई का और उनको छुड़ा कर उनके पुर्नवास की व्यवस्था करे और उसका खर्च केन्द्र सरकार या राज्य सरकार, या दोनों मिल कर वहन करें। लेकिन एक केन्द्रीय एजेन्सी होनी चाहिये जो आइडेंटिफिकेशन और रीहैबिलिटेशन का काम करे। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वह कोई ऐसी एजेन्सी कायम करने पर विचार कर रहे हैं ? क्योंकि हमारे देश की विडम्बना है कि हमारे विरोधी दल के नेता हों या हमारे मजदूर नेता हों, हम लोग आर्गनाइज्ड लेबर के लिए लड़ते हैं जो 1,000 रु० या 1,500 रु० तनख्वाह पाते हैं उन्हीं की तनख्वाह बढ़ाने के लिये हम सड़कों पर मार्च करते हैं, धरना देते हैं सदन से भी वाक आउट करते हैं। लेकिन अनआर्गनाइज्ड लेबर की एक बहुत बड़ी फौज चाहे शहरों के स्लम्स में रहती हो या गांवों में रहती हो, उसकी तरफ हमारा ध्यान कभी नहीं गया है। उनकी तकदीर को संवारने के लिए हम में से कोई काम नहीं कर रहा है। अभी उनको आर्गेनाइज करने का चन्द ही लोग काम कर रहे हैं, अधिकतर लोग उनकी अपेक्षा कर रहे हैं। और यही कारण है कि आज बंधुआ

मजदूर उसी अनआर्गेनाइज्ड लेबर में से आते हैं वह चाहे रूरल एरिया में हों या अर्बन एरिया में हों। पत्थर की खदानों, भट्टों पर यह लोग मिलेंगे। स्वयं जो हमारे बड़े-बड़े प्रोजेकेट्स चल रहे हैं जहां आबादी नहीं है वहां बिजली, स्टील के कारखानों में या कोयले की खदानों में बंधुआ मजदूर के जरिये काम लिया जा रहा है, और यह प्रथा और जोरों से बढ़ रही है कांट्रेक्ट लेबर के माध्यम से। एक आदमी को मजदूरों का ठेका दे दिया जाता है कि वह 1,000 या 500 मजदूर ला कर दे। और यह कांट्रेक्टर मार्फिया गैंग के गुंडे होते हैं, जो लेबर सप्लाई करते हैं और जबरदस्ती बंधुआ मजदूरों को अपने पास लाते हैं।

जैसे कि उनको जेल में रखा जाता है, उस तरह से उनकी निगरानी करते हैं, कहीं जाने-आने नहीं देते। इस ठेकेदारी प्रथा से काफी संख्या में बन्धुआ मजदूर इकट्ठे करने की होड़ लगी हुई है।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वह लेबर की कांट्रैक्ट प्रथा को भी समाप्त करने के बारे में सोच रहे हैं ? अगर इस कांट्रेक्ट लेबर को समाप्त कर दिया जाये और सरकारी एजेन्सियां जो कि आजकल बड़े प्रोजेक्ट चला रही हैं जैसे कि सरकारी कोयले की खदानें हैं, मिनरल्स की खदानें वहां हैं, पर डायरेक्ट लेबर, सीधे मजदूर भर्ती किये जायें तो एक बड़ी संख्या में बन्धुआ मजदूरों को छुट्टी मिल सकती है और इस प्रथा को खत्म किया जा सकता है।

एक बात मैं यह और कहना चाहता हूं कि यह बन्धुआ मजदूर मर्द भी हैं और औरतें भी हैं। हमारे देश में पर्दे के पीछे खासकर औरतों का बन्धुआ मजदूरी का बहुत बड़ा काम हो रहा है। बम्बई, दिल्ली और कलकत्ता के बाजारों में लोगों की वासना को तृप्त करने के लिये औरतें खरीदी जाती हैं, उनकी बिक्री होती है। इस तरफ किसी का ध्यान नहीं गया है, किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिलाया है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में हमारे देश में औरतों की खरीद और बिक्री का काम चल रहा है। यह बन्धुआ मजदूरी से भी बुरा धन्धा है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इसकी तरफ भी उनका ध्यान गया है ? मैं जानना चाहता हूं कि इन बन्धुआ औरतों को भी जो सैक्स के बाजारों में बेचा और खरीदा जाता है, क्या उनके उद्धार के लिये भी आपने कुछ सोचा है और आप क्या करने जा रहे हैं ?

जैसा मैंने पहले कहा कि राज्य सरकारें आनाकानी कर रही हैं, उनके आइडिएन्टीफिकेशन में भी और पुनर्वास में भी कोई दिलचस्पी नहीं ले रही हैं। मैं जानना चाहता हूं कि पिछले दो वर्षों में वर्षवार कितना पैसा बन्धुआ मजदूरों के रिहैबिलटेशन के लिये रखा गया और राज्य वार कितना कितना पैसा उनके सैटिलमैंट के लिये खर्च किया गया ?

एक बात यह भी जानना चाहता हूं कि बन्धुआ मजदूरों के पुनर्वास न होने के कारण बहुत से बन्धुआ मजदूरों, जो कि छुड़ाये जाते हैं, आजाद करवाये जाते हैं, वह मजबूरन पुनः वापिस चले जाते हैं। क्या ऐसे आंकड़े मंत्री जी के पास हैं कि जो मजदूर छुड़ाये गये, उनमें से कितने फिर वापिस चले गये ? क्या इस तरह का सर्वे उन्होंने कोई कराया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : आजकल ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा एक आम चर्चा बन गई है। मुझे दुःख है।

श्री जैनुल बशर : सेंट्रल स्टैंडिंग कमेटी आफ रूरल आर्गेनाइज्ड लेबर की एक सब-कमेटी ने इस मामले की जांच की थी बन्धुआ मजदूरों की, क्या उसकी जांच की कोई रिपोर्ट मंत्री जी को मिली है ? यदि हां, तो उसमें उन्होंने क्या पाया और उनके क्या सुझाव हैं ?

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : बहुत अच्छा बोलते हैं, इधर रहते तो और अच्छा बोलते ।

श्री भागवत झा आजाद : हरिकेश जी, यह बात का द्योतक है कि आपसे अधिक समझने वाले लोग इस तरफ हैं और जब तक आप थे, अच्छा समझते थे ।

उपाध्यक्ष महोदय : बैलट में उनका नाम नहीं आया है । अतः वह इस समय का उपयोग करना चाहते हैं । अतः उनके नाम का उल्लेख न करें ।

श्री भागवत झा आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, वह कहते हैं कि इतने अच्छे मेम्बर इस तरफ हैं । उनसे अच्छे अधिक मेम्बर इस तरफ हैं, इसीलिये सरकार यहां पर है ।

श्री जैनुल बशर ने यह बात सही कही कि जब इस कार्यक्रम का प्रारम्भ हुआ, जब प्रधान मंत्री ने 1975 में इस पर विचार किया, सोचा और एक विस्तृत कार्यक्रम देश को दिया तो उस वक्त इस कार्य में तेजी आई और प्रगति हुई । उसके बाद बीच में जब अन्धकार का युग आ गया, देश में एक नई सरकार आ गई तो, जैसा श्री जैनुल बशर ने कहा, काम में बहुत धीमापन आ गया । बात सही भी है ।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : यह कानून राजस्थान और अन्य राज्यों में 1975 से पूर्व पास किया गया था । आप यह कैसे कहते हैं कि इसकी कल्पना 1975 में की गई थी ।

श्री भागवत झा आजाद : मैं माननीय सदस्य को यह बता दूं कि ऐसे कानून राजस्थान में ही नहीं, अन्य राज्यों में भी अन्य रूप में थे, लेकिन अखिल भारतीय पैमाने पर बंधुआ मजदूरों के सम्बन्ध में एक विस्तृत कार्यक्रम सर्वप्रथम 1975 में श्रीमती इन्दिरा गाधी ने ही देश के सामने रखा था ।

श्री सतीश अग्रवाल : अब यह बंधुआ मजदूर का प्रश्न है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप उसको स्वीकार कर सकते हैं ।

श्री भागवत झा आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, श्री जैनुल बशर ने ठीक कहा है कि इस काम में तेजी आई थी, मगर बीच में उसमें कमी आ गई । अभी उधर से कोई मित्र उठ कर इसका विरोध करेंगे और कहेंगे कि यह सही नहीं है, लेकिन यह बात सही है । (व्यवधान) मैंने आपका नाम नहीं लिया । आपको कैसे मालूम हो गया ?

जब से पुनः यह सरकार आई है और प्रधान मंत्री ने अपना संशोधित विस्तृत कार्यक्रम देश को दिया है, तब से फिर इस काम में तेजी आई है । प्रधान मंत्री ने स्वयं इस बारे में मुख्य मंत्रियों को लिखा है । जैसा कि मैंने कहा है, हम इस प्रश्न को इतना महत्त्व देते हैं कि परसों नैशनल डेवेलपमेंट कौंसिल की बैठक में इस पर विचार किया जाएगा और बहस का एक प्रमुख मुद्दा होगी ।

जो मैंने कहा है और जो श्री जैनुल बशर ने कहा है, उसमें अन्तर्विरोध नहीं है कुछ राज्य सरकारों ने बंधुआ मजदूरों के अस्तित्व को स्वीकार किया है और कुछ ने कहा है कि हमारे यहां बंधुआ मजदूर नहीं हैं । मैंने यही कहा है कि मुख्य मंत्रियों और मेरे कहने में कोई अन्तर्विरोध नहीं

हैं। जिन राज्यों ने कहा है कि उनके यहां बंधुआ मजदूर नहीं हैं—हो सकता है, यह सम्भव है—, हमने उन्हें भी पत्र लिखा है कि वे इस बारे में सर्वेक्षण कराएं, इस बात की निगरानी करें कि कहीं ऐसे मजदूर पता लगाने से छूट न गए हों।

माननीय सदस्य ने कहा है कि राज्य सरकारों द्वारा बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास में कमी मालूम पड़ती है। ऐसी बात नहीं है। 1,33,550 मजदूरों में से अभी तक जिनका पुनर्वास हो गया है, उनमें से 42,155 का तो केन्द्रीय योजन के अन्तर्गत पुनर्वास किया गया है और 76,907 को राज्य सरकारों ने अपना धन मुहैया कर के बसाया है।

माननीय सदस्य ने सर्वेक्षण कराने की बात कही है। इस बारे में विशाल पैमाने पर सर्वेक्षण करना होगा। बंधुआ मजदूर कहां-कहां हैं, कितने हैं, यह नहीं कह सकते लेकिन सब लोग अपना अपना अंदाज लगाते हैं। हमने नेशनल सैम्पल सर्वे के जरिये सर्वेक्षण कराया है, जो इस सम्बन्ध में देश में सब से अधिक स्थायी संस्था है, और हमें अभी तक 3,40,000 की सूचना मिली है।

लेकिन प्रश्न आंकड़ों का नहीं है। हो सकता है कि बंधुआ मजदूर इससे अधिक हों, हो सकता है कि कम हों। प्रश्न इस बात का है कि वर्तमान सरकार इस बात पर जोर देती है कि बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराया जाए और उन्हें बसाया जाए। यह बात अधिक महत्त्वपूर्ण है। हमने दिसम्बर 1981 म सेंट्रल स्टैंडिंग कमेटी आन बांडिड माइग्रेन्ट एण्ड कैजुअल लेबर बनाई। उसकी पहली बैठक हुई है। उसने जो सुझाव दिए हैं, उन पर कार्य वाही हो रही है।

मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि यह सम्भव नहीं है कि हम केन्द्रीय स्तर पर एक ऐसी एजेन्सी बनायें, जो स्वय यह काम करे। इस कार्य को राज्य सरकारो के द्वारा ही कराना पड़ेगा। हम उन्हें समय-समय पर निर्देश और सलाह देंगे और उनके द्वारा यह कार्य करवायेंगे।

माननीय सदस्य ने कुछ और प्रश्न भी किए हैं, जिनका इस विषय से सम्बन्ध नहीं है। उन्होंने कन्ट्रक्ट लेबर की बात कही है और हमारी बहनो की खरीद और बिक्री का प्रश्न भी उठाया है। मैंने बताया है कि छठी योजना मे इसके लिए 25 करोड़ रुपये रखे गए हे और हम चाहते है कि इस बारे मे जितनी तेजी से कार्यवाही हो सके, वह की जाए। राज्य सरकारों को जो सहायता की आवश्यकता होगी, वह हम उन्हे देने के लिए तैयार है। वे अपने स्तर पर भी अपनी स्कीम्ज के अन्तर्गत इस काम को कराए। माननीय सदस्य ने ठीक कहा है कि अगर इस काम में सामाजिक कार्यकर्ताओं और विरोधी बधुआ का भी सहयोग रहे, तो हम इस बड़े प्रश्न को बहुत तेजी के साथ हल कर सकेंगे। हम इस काम को बहुत सिनसीयरिटी और तेजी के साथ करना चाहते हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटर) : बंधुआ महिला श्रमिकों की क्या स्थिति है ?

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, में कुछ प्रश्न व मामले उठाना चाहता हूं और मुझे विश्वास है कि यदि सभा के सदस्यों के मन मे दया कि भावना समाप्त नहीं हुई तो वे इन दर्दनाक कथाओं और मामलों को सुन कर स्तब्ध रह जायेंगे। मैं मंत्री महोदय के साथ इस बात पर सहमत हूं कि हमे राजनीतिक दलगत विचारों से ऊपर उठना चाहिये और इसी कारण सभा के दोनों पक्षों के सदस्यों ने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की सूचनाएं भेजी हैं।

मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि देश की राजधानी से केवल 20 किलो मीटर की दूरी पर लगभग 50,000 श्रमिक पत्थर की विभिन्न खदानों में काम करते हैं और वहां पर अनेक बदाचार होते हैं और विभिन्न एजेंसियों द्वारा पहले ही बन्धुआ श्रमिकों का पता लगाया जा चुका है। क्या यह सच नहीं है कि यह किसी एक कानून के उल्लंघन मात्र का मामला नहीं है; मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि देश में जहां कहीं बंधुआ श्रमिक हैं वहां संविधान के अनुच्छेद 38,39-क, 41, 42, 43 और 47 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 14, 15, 19, 21, 23 और 24 का उल्लंघन हो रहा है,।

दूसरे क्या यह सच नहीं है कि अन्तर्राज्यीय प्रवासी कामगर (विनियमन और रोजगर तथा सेवाशर्त) अधिनियम 1979 का अनेक मामलों में उल्लंघन किया गया है ? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का भी उल्लंघन किया जाता है। क्या पारिश्रमिक अधिनियम 1977 का उल्लेघन किया जाता है या नहीं ? वर्ष 1979 के संशोधन के साथ पढ़े जाने वाले बालक नियोजन अधिनियम, 1938, जिसमें किसी खतरनाक काम में बालकों को लगना निषिद्ध है—क्या उसका भी उल्लंघन किया गया है या नहीं ? क्या ठेका श्रम (विनियमन तथा उत्पादन) अधिनियम 1970 का, जिसका उल्लेख मेरे एक सहयोगी ने पहले किया था का भी उल्लंघन किया गया है या नहीं ? मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच है या नहीं कि जहां कहीं पत्थर की खदानों में बंन्धुआ श्रमिक काम कर रहे हैं, जैसे कि हरियाणा में सूरज कुण्ड काम्प्लेक्स में है, और जब कभी किसी क्षेत्र में धमाका होता है, तो कोई मुआवजा नहीं दिया जाता और न ही चिकित्सा की कोई व्यवस्था की जाती है । साधारण प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध भी नहीं हो ती जो दुर्घटना में चोटें लग जाने पर उपलब्ध होनी चाहिये ।

यह मामला एक महत्वपूर्ण निर्णय के संदर्भ में सामने आया । मैं उन सदस्यों में से एक हूं जिन्होंने इस विषय पर एक स्थान प्रस्ताव भेजा है । अध्यक्ष महोदय ने विचार व्यक्त किया कि विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसलिये निर्देश दिया कि स्थगन प्रस्ताव के बजाय मैं कोई अन्य सूचना भेजूं । मैंने कहा, "मैंने सभी नियमों के अन्तर्गत 6 सूचनाएं भेजी हैं और आप 6 में से अपनी मर्जी से किसी की स्वीकृति दे दें ।" सम्भवतः यह ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के रूप में आया है और यह सारा मामला 5 मार्च, 1982 को उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये एक अत्यन्त महत्वपूर्ण अन्तरिम आदेश से उत्पन्न हुआ है । उच्चतम न्यायालय ने अन्तरिम आदेश दिया जो हरियाणा में सूरज कुण्ड काम्पलेक्स—पत्थर की खदानें जहां श्रमिक काम करते थे–से बन्धुआ श्रमिकों की रिहाई के बारे में था । इसके अतिरिक्त उसने अधिवक्ता आयोग को आदेश दिया कि वे अनेक स्थानों पर मौके पर जायें और बतायें कि वहां पर सही स्थिति क्या है । महोदय, उस निर्णय के बाद हिंसात्मक आक्रमण किया गया । मेरा स्थगन प्रस्ताव इस बात से सम्बन्धित है कि उच्चतम न्यायालय ने 5 मार्च 1982 को अपने अन्तरिम आदेश से श्रमिकों को बन्धन से मुख्य कर दिया—बन्धुआ श्रमिक रिहा कर दिये गये और तत्पश्चात नियोजकों और उनके गुंडो ने पुलिस की सहायता से रिहा किये गये बन्धुआ श्रमिकों पर आक्रमण करने का प्रयत्न किया, वास्तव में यह सभा का अवमान है और उच्चतम न्यायालय का अवमान है, मैंने इसी कारण स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है, यद्यपि स्थगन प्रस्ताव ग्रहीत नहीं किया गया फिर भी सभा में हुई चर्चा से ऐसा प्रतीत होता है कि स्थगन

प्रस्ताव की भावना ग्रहीत कर ली गई है। यह बात हुई है। उच्चतम न्यायालय के आदेश का भी पालन नहीं किया गया।

मैं करनाल में हुई एक गम्भीर घटना की ओर आपका ध्याना दिलाना चाहता हूं। मैं स्वयं बंधुआ श्रमिकों, मुक्ति मोर्चा श्रमिकों के साथ मौके पर गया हूं। मैंने जाकर देखा कि वहां वास्तव में क्या हुआ। मैं चाहता हूं कि आप इस घटना की अपने अधिकारियों के माध्यम से पुष्टि कराएँ। मैं यह नहीं कहता कि आप अभी उत्तर दें। यदि उन्हें इन सभी घटनाओं की जानकारी है तो वह उत्तर दे भी सकते हैं। अन्यथा वह इस घटना की पुष्टि कराने का प्रयत्न करें। मुझे विश्वास है कि इस सभा में प्रत्येक सदस्य का हृदय द्रवित हो उठेगा।

दुखद घटना क्या थी ? करनाल स्थित ईंटों के भट्ठे में यह सब कुछ हुआ। वहां पर ईंटों के अनेक भट्ठे हैं जहां अधिकतम बंधुआ श्रमिक काम करते हैं। वहां पर हुई कुछ घटनाएं इस प्रकार हैं, श्री सूबा सिह स्वयं बंधुआ श्रमिक के रूप में करनाल के एक ईंटों के भट्ठे में काम करता था। उसकी एक लड़की 14 वर्ष की थी। उसका नाम गुलाबो था। वह क्षय रोग से पीड़ित थी। वहां पर काम करने वाले 32 बन्धुआ श्रमिकों में से एक थी। जब काफी गड़बड़ चल रही थी, मूल नियोजक ने 14 वर्ष की गुलाबो नामक इस लड़की सहित सभी 32 बन्धुआ श्रमिकों को 16,000 रुपये में बेच दिया—मानो यह कोई कच्चा माल हो। और उन्हें कूड़ेदान में फैंक देना हो। अत: उन्हें 16, 000 रुपये में बेच दिया गया और वे पुन: बन्धुआ श्रमिक बन गये। नया नियोजक कौन था ? उनको लाडवा में ईंटों के भट्ठे के एक अन्य मालिक के पास भेज दिया गया था जिस का नाम लालागत राम था,,

उच्चतम न्यायालय ने 19 फरवरी 1982 को कुरुक्षेत्र के उप आयुक्त को अनुदेश दिया, मंत्री महोदय इसको पुष्टि करा सकते हैं—कि वह जिला न्यायाधीश और पुलिस बल के साथ वहां पर जाये—उनके अनुदेश स्पष्ट थे–आवश्यक जांच पड़ताल करें और उच्चतम न्यायालय को सूचित करें कि बन्धुआ श्रमिकों के बारे में वास्तव में क्या शिकायतें हैं।

यह अत्यन्त रुचिकर घटना है कि आगे क्या हुआ। कुरुक्षेत्र के उप आयुक्त श्री प्रदीप कुमार उच्चतम न्यायालय के निदेश का उल्लंघन करते हुए बिना जिला न्यायाधीश के वहां पर गये। उन्होंने केवल पुलिस बल और एक कोरा कागज लिया। उन्होंने पुलिस से कहा कि वह बन्धुआ श्रमिकों की पिटाई करे और स्वयं उनको अपने अपने अगूठे के चिन्ह कोरे कागज पर लगाने के लिये कहा। उन्होंने कहा "हमें पता नहीं कि उस पर क्या लिखा है।" उन्होंने कहा चिन्ता मत करो। उनको लाठियों से पीटा गया। उन्होंने अपने अगूंठे के चिन्ह कोरे कागज पर लगा दिये उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार वहां पर जिला न्यायाधीश उपस्थित नहीं था। कुरूक्षेत्र के उप आयुक्त के साथ केवल पुलिस बल था। अंगूंठों के चिन्ह वाला कागज ले लिया गया था और उस पर बाद में कुछ लिखा गया।

कोरे कागज पर क्या लिखा था वह बन्धुआ श्रमिकों की ओर से उप आयुक्त के किसी पिछलगू द्वारा लिखा गया था "कि हम पत्थर की खदान में, जहां हम काम करते हैं, बहुत प्रसन्न हैं। हमें कोई परेशानी नहीं है, कानून का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। हमें विहित कानून के अनुसार

पारिश्रमिक मिल रहा है, महिलाओं के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती, कोई अत्याचार नहीं "किया जा रहा है। हम बिलकुल प्रसन्न हैं।"

यह रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय को भेज दी गई। आगे की कहानी और भी रुचिकर है। जब यह झूठी रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत की गई—देश में अब भी अत्यन्त निष्पक्ष न्यायपालिका है, न्यायाधीश भी मानव है और उनकी आत्मा अभी गिरवी तो नहीं पड़ी—न्यायाधीश ने कहा कि "हम इस दस्तावेज को स्वीकार करने से इन्कार करते हैं जो उच्चतम न्यायालय में पेश किया गया है। इसलिये उन्होंने दो अधिवक्ता आयुक्तों को निदेश दिया कि वह करनाल में मौके पर जायें और पता लगायें कि क्या बन्धुआ श्रमिकों के अंगूठों के चिन्हों वाला कागज सही है और उचित रूप में अधिकृत है। वे पुलिस को लेकर वहां पर गये। उन्होंने पुलिस को एक तरफ रुकने के लिये कहा और वे बन्धुआ श्रमिकों से अलग से मिलना चाहते थे। वे बन्धुवा श्रमिकों की तलाश में गये। वे रोजगार के स्थान पर नहीं मिले। फिर वे कुछ किलो मीटर तक चक्कर लगाने लगे और उन्होंने बन्धुआ श्रमिकों को एक जंगल में पाया। जब नियोजक को पता चला कि उच्चतम न्यायालय द्वारा दस्तावेज को सत्यापित करने के लिये दो अधिवक्ताओं का एक दल भेजा गया है, बन्धुआ श्रमिकों का अपहरण कर लिया गया। अन्ततोगत्वा इन दो सदस्यों को अपहृत व्यक्ति एक जंगल में मिले। उनके साथ पुलिस बल नहीं था।

उन दो अधिवक्ताओं ने उनको कहा "आप हमें तथ्य बताओ। सच बता दो। सच बताने पर आपको परेशान नहीं किया जायेगा और उन अपहृत व्यक्तियों, श्रमिकों, बन्धुआ श्रमिकों ने बताया कि "हमारे अंगूठे के चिन्ह कोरे कागज पर लिये गये थे, हमने कभी स्वीकार नहीं किया कि हम प्रसन्न हैं। हमने कभी नहीं कहा कि हम प्रसन्न हैं, हमें निरन्तर परेशान किया जाता है।" उन्होंने कहा "हमारी महिलाओं के साथ छेड़ छाड़ की जाती है, हमारी इज्जत को खतरा बना रहता है। कानून का उल्लंघन किया जाता है और सब तरह की बातें होती हैं।" जब उन्होंने अपनी कहानी सुनाई तब वे दिल्ली वापस लौटे।

इस बीच जब 14 वर्षीय लड़की के साथ 31 अन्य बन्धुआ श्रमिकों को दिल्ली लाया गया तो उस लड़की का उपचार नहीं हो पाया। उसका स्वास्थ्य बहुत ही खराब था और अन्ततोगत्वा जब वह दिल्ली आई, तो उसकी मृत्यु हो गई।

मैं उस मरने वाली लड़की के नाम से यह मामला उठा रहा हूं जो इस देश के बन्धुआ श्रमिक के रूप में मर गई। वह हमारे देश के सन्मान पर स्थाई धब्बा लगा गई जोकि बहुत शर्म की बात है।

उसके लिए किया गया व्यवहार राष्ट्र के सम्मान के लिए एक कलंक की बात है कि अमुक बन्धुआ मजदूर बच नहीं सका। क्षयरोग से पीड़ित व्यक्ति बच नहीं सका। वह एक बंधुआ मजदूर भी। वह किसी अभिजात्य वर्ग की नहीं थी, अतः हस्पताल की सुविधाएं उसके लिए संभव नहीं थीं। उसे सताया गया। उसे उत्पीड़ित किया गया और अन्त में वह मर गई। यह और कुछ नहीं वरन् नृशंस हत्या है। यह तकनीकी या कानूनी रूप में हत्या नहीं है। लेकिन, जिस तरीके का उसके साथ व्यवहार किया गया, वह और कुछ नहीं केवल नृशंस हत्या है और वह मर गई। 31 सदस्यों को यहां लाया गया था।

दो अधिवक्ताओं ने उच्चतम न्यायालय में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उच्चतम न्यायालय ने प्रतिवेदन का अध्ययन किया। अंतिम निर्णय अभी दिया जाना है। लेकिन उच्चतम न्यायालय

इस प्रतिवेदन से इतना द्रवित हुआ कि उन्होंने एक अंतरिम निर्णय, अंतरिम आदेश दिया कि वे सभी जो पत्थर खदान में काम कर रहे है, बन्धुआ मजदूर के तथा उन्हें तत्काल उनको बंधक बनाने वालों से मुक्त कराया जाना चाहिए, उन पर हमला किया गया था और उन्होंने मांग की थी कि "हमें पुलिस की सुरक्षा प्रदान की जाए।" उनमें से कुछ मध्य प्रदेश से आए हुए हैं। उसमें महाराष्ट्र का कोई उल्लेख नहीं है।

उनमें से कुछ महाराष्ट्र के अकोला जिले से आए हैं। कुछ आंध्र प्रदेश से आए हैं। और कुछ उड़ीसा तथा बिहार से आए हैं। ये सभी सदस्य वहां सुरक्षा चाहते हैं।

मैंने यह मांग करते हुए कि सरकार को उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैयार रहना चाहिए जिससे कि वे अपने-अपने इलाकों में वापिस जा सकें सार्वजनिक रूप से एक वक्तव्य जारी किया था। वे विस्थापित मजदूर हैं। वे अपने अपने राज्यों में पुर्नवास चाहते हैं। वे परिवहन की व्यवस्थाएं चाहते हैं। उनका कहना है कि "हम वापिस जाने के काबिल नहीं हैं।" मैं उनसे व्यक्तिगत तौर पर मिला हूं। उन्होने कहा "हमारी वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं है कि हम अपने राज्यों में वापिस जा सकें अतः हमें वित्तीय सहायता दी जाए। हमारे जाने की व्यवस्था की जाए।"

मेरा ठोस प्रश्न यह है कि मंत्री महोदय इस सुझाव को मानने के लिए तैयार हैं कि जब कभी भी इन विस्थापित मजदूरों को उनके राज्यों में वापिस भेजा जाए, उन्हें सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाएगी ? या कम से कम राज्य सरकारों को यह सलाह दी जाएगी कि जहां कहीं भी रोजगार गारंटी योजनाएं चल रही हैं उनके माध्यम से इन मजदूरों को पुनर्वास प्रदान करना एक रचनात्मक उपाय होगा तभी मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह संभव होगा।

इन सभी मामलों को बताकर मैं कुछ प्रश्न करना चाहता हूं :

(एक) क्या, ऐसे सभी मजदूरों जो अपने-अपने राज्यों को वापिस जाना चाहते हैं, पुलिस सुरक्षा तथा परिवहन की व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाएंगी और पुर्नवास की सुविधाएं दी जाएंगी।

(दो) क्या सरकार देश में बन्धुआ मजदूरों की स्थिति पर श्वेत पत्र प्रस्तुत करने के लिए तैयार है। वास्तविक अनुमान क्या है ?

प्रो० एम० जी० रंगा (गुंटूर) : श्वेत पत्र किस लिए ?

प्रो० मधु दंडवते : स्पष्टतः श्वेत पत्र परचून की दुकान से खरीद कर सदन में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। सर्वेक्षण तथा पूरी तैयार के बाद ही इसे तैयार किया जाएगा। मैं समझता हूं कि सरकार की सर्वेक्षण के पश्चात श्वेत पत्र तैयार करने के लिए पूरी जिम्मेदारी है। मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूं कि ये श्वेत पत्र पहले तैयार नहीं करेंगे और फिर सर्वेक्षण करेंगे और उसके बाद अपने निर्णय लिखेंगे। मुझे विश्वास है यह इसे नहीं करेंगे। गांधी शांति प्रतिष्ठान तथा राष्ट्रीय श्रमिक संस्थान ने पहले से ही कुछ रिपोर्ट तैयार कर ली हैं।

आप कहेंगे कि वह किसी अन्य के सहयोग से किया गया है। जहां तक मानवीय कार्य का संबंध है, मुझे इसकी फिक्र नहीं है कि किसके सहयोग से उन्होंने रिपोर्ट तैयार की है, लेकिन

उन्हें केवल इस कारण से परेशान नहीं किया जाना चाहिए कि उन्होंने सत्य पर प्रकाश डाला है। हरियाणा में मुख्यमंत्री ने इससे पूरी तरह इन्कार कर दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इन्कार किया है कि हरियाणा में कोई बंधुआ मजदूर नहीं है। मैं समझता हूं कि यह सत्यता का अत्यधिक विकृतरूप है। अतः, मैं समझता हूं कि वह हरियाणा के मुख्य मंत्री से यह मालूम करेंगे कि ऐसे प्रलेखीय साक्ष्य तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा 5 मार्च को दिए गए अंतरिम आदेश के बावजूद, वह इस तथ्य को चुनौती देने का साहस कैसे करते हैं कि वहां कोई भी बंधुआ मजदूर नहीं है।

महोदय, उन्होंने रिपोर्ट के संबंध में कुछ टिपणियां की हैं। मेरे पास एक रिपोर्ट है। शायद उन्हें भी रिपोर्ट की प्रति मिली हो—

'रीवा जिले के तीन गांवों का आर्थिक-सामाजिक सर्वेक्षण' रिपोर्ट का नाम है।

'लंगड़े गांव की कहानी'

यह केवल लंगड़े गांव की कहानी, ही नहीं है। वरन् यह देश में प्रत्येक बंधुआ मजदूर की दुःख भरी कहानी है और यदि आप इस रिपोर्ट को पढ़ें तो आप पायेंगे कि कुछ कृषि मजदूर तथा अन्य प्रकार के मजदूरों को सभी—मध्य प्रदेश के रीबां जिले के इन तीन गांवों में केसरी दाल दी गई और इस दाल के कुछ विशेष गुण के करण उनकी टांगें बिल्कुल ही बेकार हो गईं। उसका यहां उल्लेख किया गया है। यदि उनकी टांगें बेकार हो गई हैं तो वे अपंग हो गए हैं। मैं नहीं जानता कि क्या इसे अन्तर्राष्ट्रीय अपंग वर्ष के प्रति योगदान माना जाए। इस रिपोर्ट को लंगड़े गांव की कहानी कही गयी है क्योंकि ये लोग जो इस दाल को खाते हैं अपंग हो जाते हैं और उनकी टांगें बेकार हो जाती हैं। इस सबका यहां उल्लेख किया गया है और वह सत्य को तथा इस दास्तावेज की प्रामाणिकता को चुनौती देते हैं। लेकिन जहां तक इस रिपोर्ट का संबंध है हमें इस पक्षपाती राजनीति में नहीं पड़ना चाहिए।

आपको यह जानकार आश्चर्य होगा कि वे व्यक्ति कौन हैं जिन्होंने इस रिपोर्ट को जारी किया है। यह रिपोर्ट कंस्टीट्यूशन क्लब, नई दिल्ली में 6 मार्च, 1982 को मध्य प्रदेश के मुख्यमत्री श्री अर्जुन सिंह ने जारी की है। यह विरोधी पक्ष का कागजात नहीं है। यह जनता पार्टी का कागजात नहीं है यह उस विरोधी पक्ष का कागजात नहीं है जिससे आप बहुत अधिक घृणा करते हैं। इसे 6 मार्च, 1982 को इस देश की राजधानी मे मध्य प्रदेश के मुख्य मत्री जी ने जारी किया है। कृपया इस रिपोर्ट को उचित महत्त्व दें और यदि ऐसी कोई बात पता चले जो देश के लिए शर्मनाक हो, किसी भी सरकार के लिए शमनाक हो, किसी भी नागरिक के लिए शर्मनाक हो, हमें उन्हें दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए।

जहां तक बंधुआ मजदूर का संबंध है। बंधुआ मजदूर का सबसे दुःखद पहलू यह है—मेरे मित्रों ने उसका जिक्र किया है—कि जांच से मालूम पड़ता है कि बंधुआ मजदूरों में ५7% हरिजन और आदिवासी हैं। आप यह कहकर कि बंधुआ मजदूर हरिजनों एवं आदिवासियों से भी नीचे के स्तर के हैं सैद्धांतिक चर्चा कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप भी एक शक्तिशाली आन्दोलन में भाग लेते रहे हैं। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या

देश में ऐसी भी अन्य कोई जाति या समुदाय जो हरिजनों और आदिवासियों से नीचे हो ? यह वह स्तर जहां तक वे गिर गए हैं। मैं नहीं जानता कि देश में कोई ऐसा भी स्तर है जो अनुसूचित जाति तथा आदिवासियों से नीचे हो। 97% बंधुआ मजदूर आदिवासी तथा अनुसूचित जाति के हैं। ध्यान दीजिए, विभिन्न अनुमान हैं। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग ने बंधुआ मजदूर का एक अनुमान बताया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा। आपने सरकारी अनुमान बताए हैं। क्या आप मुझे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा बताए गए अनुमान के बारे में बताऐंगे ? मुझे यह सूचना प्राप्त कर प्रसन्नता होगी।

अन्त में मैं कहूंगा कि यदि यह सभी समस्याएं सुलझानी हैं, यदि बंधुआ मजदूरों के सभी कष्टों को कम करना है तो सरकारी कार्यों तथा स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्यों में सामंजस्य स्थापित करना होगा। कृपया सत्ता के ही नशे में न रहें। आप कहेंगे कि हम विरोधी पक्ष में हैं। लेकिन देश में ही कई स्वयंसेवी संस्थाएं हैं। उनमें गांधीवादी भावनाएं निहित हैं। अभी भी इस देश में एक गांधी के पक्ष में दूसरे का त्याग नहीं किया है.....

उपाध्यक्ष महोदय : संसद का हर एक सदस्य सरकार को अपना सहयोग दे सकता है क्योंकि यह एक राष्ट्रीय मामला है आप ही जानते हैं कि आपके क्षेत्र में कितने बंधुआ मजदूर हैं और आप सरकार से अधिक जानते हैं। अतः आप भी सहयोग करें। इसलिए, आप भी अपना सहयोग दीजिए।

प्रो० मधु दंडवते : जहां तक मेरा संबंध है मैंने सभी प्रश्न विपक्ष की ओर से दिए हैं ? मैंने पहले भी कहा है कि आप यह न सोचें कि आप हमारी आलोचना करके समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। आपतकाल की प्रशंसा करके क्या आप समझते हैं कि आपने देश की समस्याओं को हल कर लिया। आप सौ बार आपतकाल की प्रशंसा करें लेकिन भगवान के लिए बंधुआ मजदूरी की इस समस्या को सुलझाएं। यह मेरा उनसे विनम्र निवेदन है और मुझे उम्मीद है कि मंत्री महोदय कुछ प्रश्नों का जवाब देंगे जो मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान उठाए हैं। महोदय, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री राजेश पाइलट (भरतपुर) : मैं उन्हें करनाल घटना के संबंध में बता सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका नाम यहां पर नहीं है। मंत्री महोदय अब जवाब देने जा रहे हैं।

श्री राजेश पाइलट : मैं इस मामले के तथ्य बता सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप नहीं बता सकते। श्री पाइलट आप कृपा करके बैठ जाएं। मंत्री महोदय

श्री भगवत झा आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक मैंने सरकार की ओर से सदन के इस ओर के आदरणीय सदस्य के प्रश्नों के उत्तर बिना किसी भेदभाव के दिए हैं। मैं यह कहूंगा कि बंधुआ मजदूरी इस देश में समाज के निम्नतम स्तर से संबंधित है। किन्तु प्रो० दंडवते ने इसे राजनीतिक

रंग दे दिया है। इसलिए, मैं इस प्रश्न पर, जो कुछ उन्होंने कहा उससे सहमत नहीं हूं। उन्होंने पक्षपातपूर्ण मामलों को उठाया है।

जैसा कि मैंने कहा कि हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं कि बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराया जाए जैसा कि हमने पहले भी किया। एक मामले का उल्लेख करके अधिकांश समय क्यों लिया जाए जिसके बारे में मैं अभी कुछ भी नहीं कह सकता। यह साहब कह रहे हैं कि मामला अब सर्वोच्च न्यायालय में है। सर्वोच्च न्यायालय इसको देख लेख सर्वोच्च न्यायालय ने वकील को बुलवाया है। और उसने इस मामले में सुनवाई भी की है। उसने हरियाणा में भट्ठे के 70 मजदूरों को मुक्त भी किया है। मैं इससे इन्कार नहीं करता हूं। इस प्रक्रिया में सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार को 19 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा है। यह भी मैं जानता हूं।

जहां तक इस विशेष मामले का संबंध है, इसका निर्णय कर सर्वोच्च न्यायालय का कार्य है न कि मेरा। श्री राजेश पायलट आपको मामले का दूसरा पक्ष बतायेंगे।

महोदय, मैंने यह कभी नहीं कहा है कि हरियाणा सरकार ने यह कहा है कि बंधुआ मजदूरी बिल्कुल नहीं है। यदि उन्होंने ने यह कहा भी है कि बंधुआ मजदूरी नहीं है, मैंने इसकी फिर से जांच करने के लिए भी नहीं कहा है। कुछ थोड़े बहुत ऐसे हो सकते हैं जो रह गए हों।

गांधी फाउंडेशन के संबंध में उन्होंने यह बात कई बार दोहराई है। मैंने पूछा है कि क्या यह मामला बंधुआ मजदूरी का है अथवा कृषि श्रम का। हमें सरकारी अभिकरणों की अपेक्षा, स्वयंसेवी संगठनों का सहयोग बड़ी मात्रा में चाहिए। इस प्रकार से करके प्रो० दंडवते ने बंधुआ मजदूरी के मामले को राजनीतिक रंग दे दिया है। उन्होंने कहा कि इस देश में सरकार द्वारा इस संबंध में कुछ नहीं किया गया है। उन्होंने गुलाबो के संबन्ध में जो कुछ कहा वह ठीक हो सकता है। किन्तु, इस देश में बन्धुआ मजदूरी के 1,33,550 मामले हैं यह कल समाचार पत्र में भी आया है। 1975 से पूर्व विपक्ष भी काफी राज्यों में सत्तारूढ़ था। उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया ? यह हम ही थे जिन्होंने इसे आरम्भ किया और कर रहे हैं, हम इसका राजनैतिक मामला नहीं बना रहे। प्रो० दंडवते ने विस्थापित मजदूर अधिनियम, न्यूनतम मजूरी अधिनियम, बाल अधिनियम का उल्लेख किया है। मेरा विचार है मुझे इन सबका जबाब देने की कोई आवश्यकता नहीं है क्यों मेरा संबन्ध केवल श्रम चर्चा से है। उन्होंने इस सदन में बन्धुआ श्रम प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम का उल्लेख नहीं किया। उन्होंने इसका जिकर तक नहीं किया। उन्होंने अन्य अधिनियमों का उल्लेख किया। यह भी एक महत्वपूर्ण अधिनियम है। आप हमेशा कह सकते हैं कि आप ऐसा करने को बाध्य हैं यदि इन नियमों का उल्लंघन होता है तो उसके लिए उपचारात्मक उपाय है।

इस अवसर पर, श्री पासवान भी बन्धुआ मजदूरी के मामले को एक पार्टी का मामला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। किन्तु, इन सब को सम्पूर्ण श्रम नीति से जोड़ कर, प्रो० दंडवते इस बात के दोषी हैं कि उन्होंने इस मामले को दलगत नीति से प्रभावित होकर उठाया है न कि इससे ऊपर उठकर उन्होंने ऐसा यिया है इसलिए मैं फिर यह बात कहता हूं कि आप इस बात के लिए दोषी हैं। महोदय, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। दलगत मामलों से पूर्व हमें और

भी बहुत से मामलों को लेना है। यही मैं कह रहा था। यदि किसी अधिनियम का उल्लंघन होता है तो पूरी श्रम नीति को बीच में लाना ठीक नहीं है (व्यवधान)

श्री चित्त बसु (बारसाट) : खड़े हुए

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठिए। उतावले मत होइए। जवाब देना सरकार का काम है।

श्री भागवत झा आजाद : इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने श्री दंडवते से यह कहा है कि यदि गुलाबो, सुमेर सिंह और अन्य बंधुआ मजदूरों के मामले सच हैं तो यह शर्म की बात है। मैं इससे इन्कार नहीं करूंगा। मैं ऐसा क्यों करू (व्यवधान) मैं इससे इन्कार नहीं करता किन्तु मुद्दे की बात यह है कि इस मामले के वास्तविक तथ्यों को जाना जाए। माननीय सदस्य ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस मामले को देखने के संबंध में विस्तृत विवरण दिया है और हरियाणा सरकार 9 अप्रैल को जवाब देने जा रही है। किन्तु, महोदय यह हमारी श्रम नीति का अपमान है। मैं यह कहूंगा कि प्रो० दंडवते सभी श्रम अधिनियमों को मिला कर, बंन्धुआ मजदूरों की कोई मदद नहीं कर रहे हैं। कृपया करके इसी मामले तक सीमित रहिए और उसके लिए मेरा जबाव यह है कि इसके लिए वन्धुआ मजदूरी अधिनियम है। प्रधान मंत्री ने इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। परसों इस मामले पर राष्ट्रीय विकास परिषद् में विचार विमर्श किया जाएगा। हमने राज्यों के मुख्य मंत्रियों और श्रम मंत्रियों को भी लिखा है। प्रधान मंत्री ने भी इस संबंध में लिखा है। हमने राज्य सरकारों से भी कहा है और उन्होंने हां कही है। जिन्होंने न कहा है, हमने उन्हें फिर से लिखा है क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है और यह किसी भी कोने में हो सकता है।

महोदय, यह एक बड़ी समस्या है और इस पर बड़े ढंग से काबू पाया जा सकता है। हमें कभी कभी दलगत नीति से ऊपर भी उठना चाहिए। मैं सदन को यह आश्वासन दे सकता हूं कि हम अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे है। हमने केन्द्र प्रयोजित स्कीमें आरम्भ की हैं। हमने राज्य सरकारों से भूमि और मकान बनाने के स्थल और अन्य ऋण देने को कहा है। 76,000 लोगों को राज्य सरकारों द्वारा वसाया गया है तथा 42,000 लोगों का पुनर्वास हमारे द्वारा हुआ है। इसलिए हमारी निष्ठा को चुनौती नहीं दी जा सकती। जब भी वे ऐसा करते हैं तो यह हमारे और राष्ट्र के लिए बुरा है। (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह फिर कहना चाहूंगा कि बन्धुआ मजदूरी की व्याख्या ही इस ढंग से की गई है कि कतिपय परिस्थितियों के कारण बहुत से श्रम नियमों, जो काम की शर्तों को अधिशासित करते हैं, का उल्लंघन होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि वे किस प्रकार बंधुआ हुए, यह बताने के लिए मैंने उनका उल्लेख किया है और वह अधिनियम जिसका हवाला दिया गया है उसमें भी यही कहा गया है कि काम के संबन्ध में जिन विभिन्न कानूनों का उंल्लघन होता है वह अपने आप में बंधुआ मजदूरी कहलाता है।

श्री भगवत झा आजाद : महोदय, वन्धुआ मजदूरी की व्याख्या, बन्धुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 धारा 2 (ङ) से (अ) में की गई है और उनमें उन अधिनियमों का जिक्र नहीं है जिनका हवाला माननीय सदस्य ने दिया है।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष जी, जिस तरीके से प्रतिपक्ष के हमारे कुछ मित्रों ने, एक राजनीतिक संस्था विशेष के डाकूमेंट का हवाला दे कर इस समस्या को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की है, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि सवाल इस समस्या की जिम्मेदारी किसी के ऊपर डालने का नहीं है, सवाल तो हमारी उस मानसिकता का है, जिस मानसिकता के अंतर्गत हम गरीब, दीन-हीन व्यक्ति जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, उसका शोषण करके अपने आर्थिक स्वार्थों को पूरा करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि यह एक इतनी बड़ी समस्या है जिसको केवल सरकार की जिम्मेदारी मानकर के नहीं छोड़ा जा सकता है।

चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के हों, प्रत्येक प्रबुद्ध व्यक्ति को इनके बारे में सोचना चाहिये और जो भी सरकार हो उसके साथ इस मामले में सहयोग करना चाहिये। जिस क्षेत्र से मैं आता हूं मैं समझता हूं कि दिल्ली के अन्दर ही वहां से बहुत से लोग आ कर घरेलू कर्मचारियों के रूप में काम करते हैं। जो लोग घरों में बरतन मलने का कार्य करते हैं वे या तो जिस क्षेत्र का मैं रहने वाला हूं उस क्षेत्र से आते हैं या हिमाचल से आते हैं या फिर नेपाल से आते हैं। सबसे बड़ी दुर्दशा इन लोगों की है। ये व्यक्ति भूख से पीड़ित हो कर आते हैं। नाममात्र का पैसा लेकर ये लोग शहरों में आ कर काम करते हैं। किसी के घर में उनको नौकरी मिल जाती है तो वे पेट पालने के वास्ते अपना पूरा श्रम देते हैं और जब छः महीने या साल के बाद पैसा मांगते हैं तो उनको या तो निकाल बाहर कर दिया जाता है और अगर कोई इंसिस्ट करता है तो पुलिस में रिपोर्ट कर दी जाती है कि वह चोरी कर रहा था। अगर वह ज्यादा जोर देता है तो पुलिस उसके खिलाफ केस रजिस्टर कर देती है और उसको दूसरी जगह नौकरी भी नहीं मिलती है और वह बेचारा सड़कों पर धक्के खाता है। जो घरेलू कर्मचारी राजधानी तक में काम कर रहे हैं उनकी समस्या बड़ी जटिल है। उनके वास्ते आप कोई सर्वे करेंगे और उनकी हालत को सुधारने के लिए कोई कदम उठाएंगे ? इसी संसद में दो एक बार भाई कमल नाथ जी ने और मैंने इस प्रश्न को उठाया है। इस पर विचार करने की आवश्यकता है।

ठेकेदार के पास भी ऐसे लोग काम करते हैं, जमींदारों के खेतों पर भी करते हैं और उनकी संख्या भी बहुत बड़ी है। इस समस्या की व्यापकता को देखते हुए क्या इसका कोई हल निकालने की कोशिश मंत्री महोदय कर रहे हैं ?

मंत्री महोदय ने कहा है कि बंधुआ मजदूर अधिनियम 1976 के अनुपालन का अधिकार राज्य सरकारों का है। उन्होंने यह भी कहा है कि यदि हम इस में ज्यादा हस्तक्षेप करेंगे तो राज्य सरकारें कहती हैं या कुछ व्यक्ति जो राज्य सरकारों को ज्यादा अधिकार दिए जाने के हिमायती हैं, उनके द्वारा कहा जाता है कि आप राज्य सरकारों के अधिकारों को छीन रहे हैं। यह बहुत बड़ी समस्या है। एक राष्ट्रीय समस्या हैं। सारे देश के माथे पर यह एक कलंक के समान है। मैं समझता हूं कि इस समस्या को हल करने के लिए अगर आपको थोड़े बहुत अधिकार राज्य सरकारों से छीनने भी पड़ते हैं, राज्यों पर अंकुश या नियंत्रण भी लगाना पड़ता है तो केन्द्रीय सरकार को इस संदर्भ में इस पर विचार करना चाहिये और ऐसा करने से डरना नहीं चाहिये कि पश्चिम बंगाल के मित्र या वहां की राज्य सरकार या वे लोग जो ज्यादा अधिकार राज्य सरकारों को दिए जाने के हिमायती हैं वे क्या कहेंगे।

सवाल केवल कानून बनाने का नहीं है। सवाल कानून के माध्यम से जिन लोगों को मुक्त कराया जाता है उनको कैसे रिहैबिलिटेट किया जाए, यह भी हैं। जब आप किसी को जमींदार के पंजे से छुड़ाते हैं और जो पहले उसे सौ या दो सौ रुपया दे रहा होता है तो छूटने के बाद बैंक या डिवेलेपमेंट स्कीम्ज उनकी मदद के लिए सामने नहीं आती हैं और उस हालत में वह बांडिड लेबर फिर से जमींदार के पास जाती है, रोती है, गिड़गिड़ाती है और वह उनको जहां पहले सौ रुपया दे रहा होता है अब सौ भी नहीं देता है और रख लेता है। इस वास्ते जब कानून बनाया जाए तो उस कानून के कारण जो परेशानी पैदा होती है उसका भी ठीक तरह से अध्ययन कर लिया जाना चाहिये। रिहैबिलिटेशन के प्रोग्राम के विषय में ईमानदारी से कार्यान्वियन की आवश्यकता है।

मंत्री महोदय ने कहा है कि एन०डी०सी० की बैठक हो रही है और उस में यह एक प्रमुख मुद्दा है। मैं जानना चाहता हूं कि प्लान आउटले में केवल 25 करोड़ रुपये का इसके लिए प्रावधान किया गया है क्या आप उसको बढ़ाएंगे ? आप भी सहमत होंगे कि यह बहुत कम है। क्या इसके लिए भी आप कोशिश करेंगे ?

रिहैबिलिटेशन के कार्य में लगी हुई मशीनरी की ईमानदारी पर भी मुझे सन्देह है। मैं जानना चाहता हूं कि एक कमिटेड मशीनरी क्रियेट करने के लिए जो उनके रिहैबिलिटेशन के कार्य को देखे आप क्या करने जा रहे हैं ? जिनका रिहैबिलिटेशन कर दिया गया है क्या वास्तव में ठीक परस्पेक्टिव में उनका रिहैबिलिटेशन किया गया है या नहीं, इसको देखने के लिए आपके पास कोई एजेंसी है या आप कोई ऐसी ऐजेंसी क्रियेट करेंगे ?

राज्य सरकारों से पिछले दिनों कहा गया था कि जो ठेके में काम करने वाले कर्मचारी हैं कम से कम यह तो किया ही जा सकता है कि रजिस्ट्रेशन कार्यालय खोले जाएं और इन कार्यालयों से नाम ले कर वे अपने यहां मजदूरों को रखें ताकि सरकार को मालूम हो सके कि कितने लोग किस व्यक्ति के यहां काम कर रहे हैं और वह ठीक से उनका पेमैंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि इसके बारे में क्या प्रगति हुई है।

मैं महसूस करता हूं कि माननीय धर्मवीर जी और आपके रहते निश्चित रुप से इस समस्या को हल करने में मदद मिल सकती है।

श्री भगवत झा आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रावत जी ने ठीक कहा कि यह प्रश्न केवल नियम बनाने का नहीं है, बल्कि यह समस्या मानसिक है। आज भी इस देश में इस तरह के लोग हैं जो इस तरह का शोषण कर सकते हैं वह उनकी मानसिक ग्रन्थि का परिचायक है। ऐसे लोगों के लिये जब तक कानून का डर न हो तब तक बंधुआ मजदूरों को छुड़ाना मुश्किल होगा। अधिनियम ही नहीं बनाया बल्कि आपने कहा कि परेशानियां बढ़ जाती हैं, उन्हें निकाल दिया जाता है और फिर नौकरी नहीं पाते हैं। में इससे सहमत हूं कि कानून को लागू करने के साथ यदि कुछ परेशानियां होती हैं तो उनको दूर करने का उपाय भी करना चाहिये। आपने प्रश्न किया कि कानून के कार्यान्वियन के लिये क्या करते हैं ? तो मैं कहना चाहता हूं कि इतने बड़े देश में जहां संघीय सरकार है और उसमें भी यह प्रश्न कि देश के 7 लाख गांवों में से किस किस गांव में और कहां कहां यह कुप्रथा है, किस सूदूर गांव में है, यह पता लगाना कि किस रूप में है, कितना है, केवल केन्द्रीय मशीनरी द्वारा पता लगाना सम्भव नहीं है। यह काम राज्य सरकारों

के द्वारा ही किया जा सकता है। राज्य सरकार पर बराबर दबाव रखते हैं, उनको सुझाव दें और जो उनकी रिपोर्ट आये उसका ठीक से अध्ययन करें और फिर उसमें अगर कोई गलती है तो उसकी ओर ध्यान आकृष्ट करें और उनको कहें, यही हम कर सकते हैं। इस प्रश्न का महत्व आप इसी बात से लगा सकते हैं कि देश की सर्वोच्च फारम, एन० डी० सी० में, जिसकी सभापति स्वयं प्रधान मंत्री हैं, उसमें इस पर विचार किया जायगा जहां देश के सारे मुख्य मंत्री व अन्य मंत्रीगण रहेंगे। इसलिये इसी बात से इस समस्या की गम्भीरता और महत्व का अंदाजा लगाया जा सकता है। एन० डी० सी० में 20 सूत्री कार्यक्रम पर जो विचार होगा उसमें से यह एक प्रमुख सूत्र है। और इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि पनुर्वास वाले प्रश्न पर या इससे उत्पन्न कठिनाइयों वाले प्रश्न पर भी हम राज्य सरकारों का ध्यान आकृष्ट करते हैं, करते रहेंगे और चाहेंगे कि जब कभी भी बंधुआ और मजदूरों का पता लगा पायें उन्हें छुडायें और उनका पुनर्वास भी करें।

आपने जो कहा कि 25 करोड़ रु० छठी पंचवर्षीय योजना में इस काम के लिये दिया गया है उसको और अधिक करना चाहिये, तो मैं समझता हूं कि जो महत्व इस कार्यक्रम को दिया जा रहा है उसके अनुसार पैसे की कमी रास्ते में नहीं आनी चाहिये। जो 25 करोड़ रु० दिया गया है अगर यह पहले ही समाप्त हो गया तो इसके लिये पुनः विचार किया जा सकता है। इसलिये जब तक यह समाप्त न हो जाय तब तक और पेशकश करना उचित नहीं होगा।

एक प्रश्न आपने पूछा है, एक तो कांट्रेक्ट लेबर वाला और घरेलू काम करने वालों के लिये जो आपने कहा है उससे मैं पूर्णतः सहमत हूं, ऐसे लोग जो काम कराकर पैसे नहीं देते हैं और शिकायत करने पर उल्टे पुलिस वाले उन बेचारे काम करने वालों को ही परेशान करते हैं मालिकों के कहने पर, यह बड़े निन्दनीय व्यक्ति हैं और उनकी इस मनोवृति का कोई समर्थन नहीं करेगा। इन घरेलू काम करने वालों के प्रति मेरी सहानुभूति है, लेकिन इस पर अलग विचार से किया जा सकता है।

रिहैबिलिटेशन की स्कीम मैंने बतायी। जहां तक मोनिटरिंग का सवाल है वह हम करते हैं। हमने राज्य सरकारों को कहा है कि न केवल सचिवालय के स्तर पर बल्कि जिला परिषद् और पंचायत के स्तर पर भी और इस कानून के अन्तर्गत जिलाधीश की और उसके बाद एस० डी० एम० को भी हमने विजिलेंस कमेटियां बनाने का आदेश दिया है और जहां नहीं बनी हैं, वहां बनवायेंगे ताकि इस पर समय समय पर विचार हो।

इस कानून के अन्तर्गत सैक्शन 13 और 10 में जो अधिकार प्रदत किये गये हैं, उसके अनुसार कमेटी बैठे और काम करे, इससे अधिक क्या किया जा सकता है।

मैं समझता हूं कि इससे अधिक तो हमारे श्री राम विलास पासवान इस प्रश्न को इस सदन में लाये, मैं उनको धन्यवाद देता हूं, इससे एक वातावरण बनता है, देश के बाहर जो लोग इस सम्बन्ध में काम करना चाहेंगे, उनको उत्साह मिलेगा, राज्य सरकारें जागरूक होंगी कि इस विषय पर ध्यान आकृष्ट हो रहा है। जो सामाजिक संस्थाएं हैं, उनका ध्यान आकृष्ट करेंगे, उनसे भी हम सहयोग लेंगे। लेकिन जो व्यक्ति हर प्रश्न को, बन्धुआ मजदूर के प्रश्न को भी राजनीतिक दृष्टि से देखते हैं, बनाना चाहते हैं, उनसे हमारी कोई सहमति नहीं हो सकती है। वह जैसा करें, उनकी इच्छा है, लेकिन ऐसे प्रश्न पर हम सब को मिलकर काम करना चाहिये। इसकी व्यापकता,

विशालता और वैस्तारिक क्षेत्र को देखते हुए यह कहना कठिन है कि किस प्रकार, किस रूप में और कब यह समाधान किया जाये ।

इसलिये ऐसी चर्चा के सहारे हम इस निर्णय पर आते हैं कि राज्य सरकारों पर दबाव डाला जाये, उनको कहा जाये, उनके लिये धन मुहैया किया जाये और स्वयं जो आन-गोइंग स्कीम्स हैं, प्लानिंग है, फूड फार वर्क आपने कहा, उसके अन्तर्गत, रूरल डैवलपमैंट, फिशरीज, मुर्गा व सुअर पालन वाले काम, ऐग्रीकल्चर के कुछ ऐसे भाग, जहां उनको लगाया जाये, ऐसे काम में यह करा सकते हैं। इतने अधिक विस्तार के साथ हमने जो चर्चा की है, मेरा विश्वास है कि इसके अन्तर्गत कार्य करेंगे तो जरूर सहायता मिलेगी और हम कार्य कर पायेंगे ।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 14.40 बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात 14.40 बजे पुनः समवेत हुई

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

सभा का कार्य

गृह मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : महोदय, आपकी अनुमति से 15 मार्च 1982 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान लिये जाने वाले निम्न-लिखित सरकारी कार्य की घोषणा करता हूं ।

1. आज की **कार्य-सूची** में बचे सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार
2. वर्ष 1982-83 के लिए लेखानुदानों की मांगों (सामान्य) को सभा में मतदान के लिए रखना
3. वर्ष 1981-82 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मागों (सामान्य) पर चर्चा तथा मतदान
4. रेल अभिसमय समिति की सिफारिशों संबंधी संकल्प पर चर्चा
5. निम्नलिखित पर चर्चा और मतदान

(क) 1982-83 अनुदानों की मांगें (रेलवे)

(ख) 1981-82 की अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे)

6. केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1981 पर आगे विचार करना तथा पास करना
7. राज्य सभा द्वारा यथापारित निम्नलिखित विधेयकों पर विचार करना और उन्हें पारित करना

(क) वास्तुविद (संशोधन) विधेयक, 1980

(ख) पेंशन (संशोधन) विधेयक, 1981

(ग) बिक्री संवर्धन कर्मचारी (सेवा-शर्तें) संशोधन विधेयक, 1980

(घ) भेषजी (संशोधन) विधेयक, 1981

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा आगामी सप्ताह के लिए प्रस्तुत कार्य सूची में निम्नलिखित दो विषयों का समावेश किए जाने की प्रार्थना करता हूं।

1. अखिल भारतीय जीवन बीमा निगम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ द्वारा सरकार से आग्रह किया गया है कि निगम के कर्मचारियों को देय बोनस का वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत भुगतान कर दिया जाना चाहिए तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को खादी की वर्दी के स्थान पर टेरीकाट की वर्दी प्रदान की जाय परन्तु सरकार द्वारा कर्मचारियों की इन उचित मांगों को अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है। अतः सदन में इस विषय पर चर्चा आवश्यक है।

2. संचार विभाग के अन्तर्गत लगभग 4 लाख अस्थाई कर्मचारी कार्य कर रहे हैं कुछ अस्थाई कर्मचारी टेलीफोन विभाग में तथा कुछ अस्थाई कर्मचारी पोस्टल विभाग में जिन्हें ई० डी० कर्मचारी कहा जाता है, कार्य करते हैं। टेलीफोन विभाग में 3 साल तक एक अस्थाई कर्मचारी को मात्र 8 रुपए दैनिक मजदूरी प्राप्त होती है तथा 5 साल से 8 साल तक 13 रुपया 20 पैसा मजदूरी दी जाती है। 8 साल बाद कहीं जाकर उन्हें विभागीय सेवा में रेगुलराइज किया जाता है। ई० डी० पोस्टमैन को मात्र 120 से 100 रुपया तक प्रति माह दिया जाता है। इन दोनों प्रकार के अस्थाई कर्मचारियों को अन्य सेवा सुविधायें प्राप्त नहीं हैं। अतः उनकी दुःखद दशा पर भी सदन में विचार आवश्यक है।

अतः इन दोनों विषयों को आगामी सप्ताह की विषय सूची में विचार हेतु सम्मिलित किया जाए।

श्रीमति प्रमिला दण्डवते (बम्बई उत्तर मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सुझाव देती हूं कि निम्नलिखित दो मदें अगले सप्ताह की कार्य-सूची में शामिल की जाएं।

(1) विश्वायतन योगाश्रम को अनुगृहीत करने के लिए अशोक मार्ग और महादेव मार्ग की मास्टर प्लान और क्षेत्रीय विकास योजना में परिवर्तन किया जाना। रिपोर्ट के अनुसार, इस मार्ग का प्रयोग करने में परिवर्तन के अलावा, निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा विश्वायतन योगाश्रम को जमीन कौड़ियों के दाम बेची जा रही है। प्योर ड्रिंक्स कांड के बाद सरकार कुछ लोगों के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया दर्शा रही है। मैं महसूस करती हूं कि इस मामले पर भी सदन में चर्चा की जानी चाहिए।

(2) मैं, बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा महाराष्ट्र में प्रतिभा प्रतिष्ठान ट्रस्ट में दिये गये निर्णय के बावजूद बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बने रहने पर चर्चा करने की मांग करती हूं।

मैं मांग करती हूं कि इन न्यायाधीशों को तत्काल त्याग पत्र दे देना चाहिए और इस मामले में की गई कार्यवाही के संबंध में मंत्री महोदय द्वारा वक्तव्य दिया जाना चाहिए।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : आलू उत्पादकों को अपने उत्पादन का लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है। यह बहुत चिंता क्या विषय है, क्योंकि इससे भविष्य में आलू के उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, और इससे किसानों और जन साधारण की दुख तकलीफ बढ़ेगी। इसलिए अगल सप्ताह इस विषय पर भी चर्चा करने की अनुमति दी जाए। दूसरे, हैदराबाद में परमाणु ईंधन कम्प्लैक्स लगातार खुले मैदान में अत्यधिक घातक अपशेष पदार्थों का ढेर बिना किसी बाड़ या चेतावनी संकेत के लगा रहा है। परमाणु ईंधन कम्प्लैक्स के प्राधिकारियों के इस लापरवाही पूर्ण कार्य से दो व्यक्ति मारे गए। विगत में भी इस प्रकार की दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, परन्तु इस प्रकार की दुःखद घटना को रोकने के लिए उपयुक्त उपाय नहीं किया गया है अतएव, इस विषय पर भी अगले सप्ताह चर्चा करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

श्री जार्ज फार्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : मैं निम्नलिखित मद शामिल करने का सुझाव देता हूं : अगले चार दिनों में बम्बई के 250,000 कपड़ा मजदूरों की हड़ताल को तीसरा मास शुरू हो जाएगा। इस हड़ताल के कारण प्रतिदिन 3.5 करोड़ रु० के उत्पादन का प्रत्यक्ष नुकसान हो रहा है। इस हड़ताल का व्यापार और वाणिज्य, आनुषांगिक उद्योगों आदि पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उन मजदूरों पर इसका सबसे अधिक कुप्रभाव पड़ा है जिन्होंने दो महीने का वेतन पहले से ही खो दिया है और कपास उत्पादकों का बेईमान मिल-मालकों और उनके क्रेता एजेंटों द्वारा कपास के कम मूल्य देकर शोषण किया जा रहा है। मजदूरों को अपने काम पर फिर से आने की सौम्य अपील के सिवा, सरकार ने हड़ताल का हल निकालने के लिए कुछ नहीं किया। मजदूरों को गुमराह करने से ऐसे मामलों में सहायता नहीं मिलेगी जहां हड़ताल में उठाए गए मुद्दे संबद्ध हों। इसके अलावा, यह सुझाव देना हास्यास्पद है कि केवल एक ही नेता 250,000 मजदूरों को गुमराह कर सकता है और उनको इतनी लम्बी अवधि तक अनिश्चित कालीन हड़ताल पर रख सकता है।

कल, बम्बई के मजदूरों ने कपड़ा मजदूरों के पक्ष में बहुत बड़ा प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने मांग की है कि कपड़ा मिलों को सरकार अपने हाथ में ले ले। यह पेशकश भी की गई है कि मजदूर मिल मालिकों को दी जाने वाली प्रतिपूर्ति के लिए अपने भविष्य निधि कोष से अंशदान देंगे। यह प्रदर्शन इस बात का सबूत है कि मजदूरों ने अपनी हड़ताल तब तक जारी रखने का दृढ़ निश्चय कर लिया है जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाता।

हड़ताल की स्थिति के बारे में मेरी अपनी राय यह है कि हड़ताल छह मास तक चल सकती है। इस प्रकार की लम्बी अवधि की औद्योगिक कार्यवाही के परिणामों के बारे में विचार ही चौंका देने वाला है। सदन को इस हड़ताल पर चर्चा, यदि जरूरी हो तो, शनिवार या रात को देर तक बैठक करके करनी चाहिए और इसका हल निकालने के लिए सामूहिक निर्णय लेना चाहिए। प्रधान मंत्री ने विरोधी दलों का सहयोग मांगा है यह एक क्षेत्र है जिसमें हम सहयोग देंगे।

श्री राम जेठमलानी (बम्बई उत्तर पश्चिम) : मैं सुझाव देता हूं कि अगले सप्ताह के कार्य में निम्नलिखित शामिल किया जाना चाहिए :

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची की 25 वीं मद के अन्तर्गत, मेडिकल शिक्षा संघ सरकार की सक्षमता का विषय है। सेंट जान मेडिकल कालेज, बंगलौर, समग्र कर्नाटक राज्य में एक प्रमुख संस्था जिसकी भारत में स्थापना ईसाई समुदाय द्वारा की गई है और, मेडिकल शिक्षा के लिए इसका प्रबंन्ध सी० वी० सी० आई० सोसाइटी द्वारा किया गया था को बंगलौर विश्वविद्यालय द्वारा सतत संबद्धता से मना कर दिया है, इसका परिणाम यह हुआ कि इसके छात्र अपनी परीक्षाएं नहीं दे सकते इस संस्था को वर्ष दर वर्ष लगभग 1970 तक संबद्धता प्रदान की गई है, और इसके बाद यह समझा गया कि इस कालेज को स्थाई रूप से सम्बद्ध कर लिया गया है, क्योंकि वार्षिक संबद्धता की सूचनाएं जारी नहीं की गई थीं, और छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई थी। बिना किसी गलती, धोखाधड़ी के आरोप या शिक्षा के स्तर में कमी या किसी सुनवाई या जांच के, यह निर्णय लेने से छात्रों में बहुत अधिक घबराहट हुई है, प्रबंध मण्डल का अपमान और देश में ईसाई समुदाय के सदस्यों में असंतोष फैला है।

मेडिकल शिक्षा की स्थिति अपर्याप्त सुविधाओं और छात्रों की बढ़ती हुई मांगों के कारण पहले ही खराब है। इस निर्णय से स्थिति पर और भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। इस स्थिति में सरकार को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए और उसे सुधारना चाहिए। किसी प्रकार की विपत्ति को रोकने के लिए राज्य के प्राधिकारियों और बंगलौर विश्वविद्यालय को अंतरिम अनुदेश जारी करने चाहिए।

श्री चित्त बसु (बारासाट) : बिहार सरकार द्वारा विदेशी नागरिकों का पता लगाने के लिए एक संशोधित प्रश्नावली जिसका शीर्षक 'पूछताछ रिपोर्ट' है, जारी की गई है और पुलिस ने इस काम को शुरू कर दिया है। यह संशोधन प्रश्नावली आंदोलनकारियों के मतानुसार है।

यह प्रश्नावली उसी प्रश्नावली की तरह है जिसका मसौदा असम आंदोलन के नेताओं द्वारा दिल्ली में हुई अपनी पिछली बैठक में प्रस्तुत किया था। इस प्रश्नावली में केवल अन्तर यह है कि इसमें विदेशी नागारिकों पर चल रहे किसी मुकदमे के बारे में भी एक प्रश्न है। परन्तु हैरानी की बात यह है कि इस प्रश्नावली में यह बात विशेष रूप से पूछी गई है कि क्या प्रतिवादी का नाम 1951 के राट्रीय नागरिक रजिस्टर में है। प्रसंगवश, यह उल्लेखनीय है कि गत मास दिल्ली में हुई बातचीत के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा पेश की गई प्रश्नावली में विवादास्पद राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का उल्लेख नहीं है।

ऊपर बताई गई प्रश्नावली के आधार पर पूछताछ की कार्यवाही शुरू करने के कारण भाषाई और धार्मिक अल्प-संख्यकों में भय छाया हुआ है।

वास्तविक स्थिति को स्पष्ट करने वाला एक वक्तव्य दिया जाना चाहिए। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह अगले सप्ताह इस विषय पर एक वक्तव्य दे।

बहुत समय से मतदाता सूची में सुधार का प्रश्न इस सदन का और लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है।

सदन ने इस संबंध में अपनाये जाने वाले तरीकों की सिफारिश करने के लिए समिति नियुक्त की थी।

इस विषय पर चुनाव आयोग ने भी कुछ सिफारिशें की हैं।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आगामी सप्ताह की कार्यवाही में निम्न दो मदें जोड़ी जानी चाहिए—

1. देश में बेरोजगारी बराबर बढ़ती चली जा रही है। करोड़ों पढ़े-लिखे व बिना पढ़े नवयुवक रोजगार न पाने के कारण परेशान हैं। बेरोजगारी दूर करने के लिये अलग से क्रमबद्ध एवं समयबद्ध और योजनाबद्ध प्रोग्राम आवश्यक है। अन्यथा नवयुवकों का भविष्य अन्धकारमय होता चला जा रहा है।

2. देश में करोड़ों धींवर, मल्लाह, केवट, कहार, निषाद, डलेरा, कुम्हार, लोधी, गड़रिया, नाई, मुराब हैं जो अत्यधिक पिछड़े हैं। इन्हें अनुसूचित जाति या जन-जाति की सूची में शामिल किया जाय।

उचित कदम नहीं उठाया है। इस विषय पर भी चर्चा की जाए।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं अगले सप्ताह की कार्यवाही में निम्नलिखित मद शामिल करने का सुझाव देता हूं और आशा करता हूं कि मंत्री महोदय अवश्य जवाब देंगे।

चुनाव कराने में राज्यों के दायित्वों संबंधी संविधान के अनुच्छेद 324 (6) के कार्यक्षेत्र पर चर्चा और यदि आवश्यकता हो तो संविधान संशोधन विधेयक पेश करना।

संविधान के अनुच्छेद 324 (6)में कहा गया है—

राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल को जब चुनाव आयोग द्वारा इस बात का अनुरोध किया तो वे चुनाव आयोग या क्षेत्रीय आयुक्त को ऐसा स्टाफ उपलब्ध कराएंगे जो अनुच्छेद 324 की धारा (1) द्वारा चुनाव आयोग को सौंपे गए कार्य करने के लिए जरूरी हैं।"

प्रत्यक्ष रूप से, संविधान के अनुच्छेद 324 (6) के अंतर्गत उल्लिखित 'स्टाफ' उपलब्ध कराए जाने में सिविल और पुलिस स्टाफ शामिल किया जाए।

इस प्रकार इस अनुच्छेद में यह बात निहित है कि निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए, राज्य सरकारों को चुनाव आयोग से पूर्व—परामर्श करनी चाहिए और राज्य सरकारों को चुनाव आयोग को सूचित करना चाहिए कि वे कितना सिविल स्टाफ और पुलिस बल की व्यवस्था कर सकती हैं।

इस अनुच्छेद में जो बात अस्पष्ट है उसे स्पष्ट करने के लिए, मेरा यह सुझाव है कि सरकार को एक सविधान संशोधन विधेयक पेश करना चाहिए ताकि अनुच्छेद 324 (6) की परिभाषा में कोई त्रुटि न रहे।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : अगले सप्ताह के सरकारी कार्य में अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक दर्जा प्रदान करने का कानून प्रस्तुत करना शामिल होना चाहिए। यह अभी तक कार्यकारी आदेश से बनाया गया है। अगस्त 1978 में तत्कालीन सरकार ने अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक दर्जा देने का संविधान (छियालीसवाँ संशोधन) विधेयक पेश किया था, तथापि 17 मई 1979 को इस विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव विरोध के कारण नहीं अपितु मुख्यतः सदस्यों के भारी संख्या में अनुपस्थित होने से अपेक्षित बहुमत न मिल पाने के कारण स्वीकृत नहीं हो सका था। वर्तमान सरकार तब से अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक दर्जा प्रदान करने की मांग पर विचार कर रही है। आवश्यक कानून अब सदन में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

इसी तरह मेडीकल कालेज के प्रवेशों में दिए जाने वाले दान पर रोक लगाने का उपयुक्त कानून सरकार द्वारा अविलम्ब प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस भ्रष्ट तरीके को रोकने में हो रहे बेहद विलंब से असंतोष बढ़ रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वेंकटसुब्बय्या

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : इन सब मामलों पर उचित ध्यान दिया जाएगा।

एक माननीय सदस्य : उन्हें उत्तर देना चाहिए।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : विषय को बदलने के लिए, उन्हें कुछ कहना चाहिये।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : यह सही उत्तर नहीं है। वे कह सकते हैं कि "हमने इन सब बातों पर विचार किया है और हमारे पास उनके लिए समय नहीं है।" ऐसा कहिए। यदि आप पहले ही इसे अन्तिम रूप दे चुके हैं तो ऐसा क्यों नहीं कहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम दूसरे मुद्दे पर आते हैं।

बजट (सामान्य)—1982-83—सामान्य चर्चा जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम आम बजट पर सामान्य चर्चा जारी रखेंगे। श्री जेवियर अराकल इस पर कुछ कहना चाहते थे।

श्री जेवियर अराकल (एर्नाकुलम) : मैं राज्यों की वित्तीय स्थिति और इस बजट के बजटीय अन्तरों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं क्योंकि इसे बजट पर आम बहस से अलग मुद्दे के रूप में अलग करके नहीं देखा जा सकता। बहुत से राज्यों के बड़े घाटों और ओवरड्राफ्टों को देखते हुए लोगों में इसकी गंभीर चिंता है कि ऐसा कब तक चल सकेगा। इकानोमिक सर्वे में यह बताया गया है और मैं इसे उद्धृत कर रहा हूं :—

"सारांश में, ऐसा प्रतीत होता है कि राज्यों की वित्तीय स्थिति में सातवें वित्त आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप जो पर्याप्त सुधार हुआ था उस पर हाल के कुछ वर्षों में बहुत दबाव पड़ने के संकेत मिले हैं।"

अतः इस बहस में यह देखने के लिए कि जहां तक राज्यों का संबंध है उनके लिए उपयुक्त और पर्याप्त बजट प्रावधान रखने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में पूछना स्वाभाविक है।

इस बजट में केन्द्रीय योजना परिव्यय में 27.6 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। राज्यों और केन्द्र दोनों के लिए पिछले वर्ष से 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, पर इस पर विचार करने पर मैंने पाया है कि केरल मात्र ऐसा राज्य है जिसने पिछले दो वर्षों में अधिक परिव्यय प्राप्त नहीं किया है। पिछले दो वर्षों से इसे 273 करोड़ रुपये ही मिल रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि केरल के लिए केन्द्रीय योजना परिव्यय में वृद्धि न किए जाने के क्या कारण हैं जबकि यह हर वर्ष करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा कमाता रहा है। इस संदर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि वित्त मंत्री द्वारा ऐसा क्यों व किन परिस्थितियों में किया गया।

केरल में नारियल विकास बोर्ड है। इसके जाने माने प्रयोजन और उद्देश्य हैं परन्तु मुझे पता लगा है कि इस बजट में उसके लिए केवल 25 लाख रुपये रखे गये हैं। पिछले वर्ष इसके लिए

20 लाख रुपयों का प्रावधान था। ऐसी समस्याओं में बोर्ड किस तरह कार्य कर सकता है ? मैं जानना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से बोर्ड को अधिक वित्तीय सहायता देने का कोई प्रस्ताव किया गया है। इसका बहुत से खेतिहरों पर असर पड़ेगा। यह कोई छोटा मसला नहीं जिस पर ध्यान न दिया जाए। मुझे खेदपूर्वक कहना पड़ रहा है कि केरल हमेशा ही काफी हद तक उपेक्षित रहा है। मैं मात्र आक्षेप लगाने के लिए नहीं, बल्कि सदन के नोटिस में तथ्यों और आंकड़ों को प्रस्तुत करने के लिए यह कह रहा हूं। उदाहरणार्थ रेलवे बजट को लें, तो उसमें केरल राज्य के लिए राशियों के आबंटन में कटौती हुई है। 1981-82 में यह 643 लाख रुपये थी और 1982-83 में 587.3 लाख रु० है अर्थात् 55.7 लाख रु० कम, कर दिया गया है। हमारा यह पूछना स्वाभाविक है कि राज्यों को राशि के आबंटन में भेदभाव क्यों बरता गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : 'हमारा' से अभिप्राय केरल के लोगों से है !

श्री जेवियर अराकल (एर्नाकुलम) : एक दूसरा मुद्दा भी है। केरल राज्य नागरिक आपूर्ति निगम अपने समुचित कार्यचालन के लिए बैंक ऋण पर निर्भर है। आवश्यक वस्तुओं के उचित वितरण के लिए निगम ने 20 करोड़ रुपयों की मांग की, मैं जानना चाहता हूं कि यह राशि केरल के राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को मंजूर क्यों नहीं की गई। आवश्यक वस्तुओं के वितरण पर इससे गंभीर आघात पहुंचेगा।

सार्वजनिक क्षेत्र में केन्द्र सरकार के कुल निवेश को देखें तो, विभिन्न तथ्य और आंकड़े एकत्र करने के बाद मुझे पता लगा है कि केन्द्र सरकार के कुल निवेश का मात्र 2.33% केरल में किया गया है। हम इन तथ्यों को सदन में इसलिए प्रस्तुत कर रहे हैं क्योंकि केरल के लोग हमसे यह पूछते हैं कि केरल के मामले में ऐसा क्यों हुआ है। पिछले दो वर्षों में तीन परियोजनाएं मंजूर की गईं; सुगंधि बनाने वाली यूनिट, फिनोल परियोजना और कैप्रोलेक्टम यूनिट। मैं पूछता हूं कि इन परियोजनाओं में कितना धन लगाया गया ? यह इसका दूसरा पक्ष है। वस्तुतः ऐसा लगता है कि रेलवे कोच फैक्टरी और नौसेना अकादमी भी दबावों के कारण बंद कर दी गई है। एच० ए० एल० ने 1979 के बाद से केरल में एक यूनिट खोलने की बात कही है पर उसे इसकी सुविधा नहीं दी गई है। बी० एच० ई० एल० भी केरल में एक यूनिट खोलना चाहता है। ये मामले वित्त मंत्रालय और योजना आयोग के पास लम्बित पड़े हैं। मंत्री जी यहां मौजूद हैं। मुझे आशा है वह केरल की समस्याओं पर गंभीर रूप से विचार करेंगे।

आम बजट पर हमें बहुत से जाने-माने वक्ताओं के विचार सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। कल भी इंद्रजीत गुप्त ने अपने सहज वाक्चातुर्य से विश्व मुद्रा कोष का जिक्र किया। मैं जानना चाहता हूं। इस आशय का जो समाचार कल प्रकाशित हुआ था कि चीन बहुत अधिक मात्रा में ऋण लेने के लिये विश्व के देशों से वार्ता कर रहा है, उनकी प्रतिक्रिया क्या है। वे इसे पहले भी प्राप्त कर चुके हैं। अतः जहां तक अब तक भारत द्वारा ऋण लेने और अन्य देशों द्वारा ऋण लेने का संबंध है यह दोहरी बात है।

वर्ष 1980 लोगों में हमारे समाज में उपयुक्त आर्थिक व्यवस्था और असमानता रहित सामाजिक ढांचे की नई संभावना लेकर आया। इस उद्देश्य से हमने 1980 का औद्योगिक नीति संकल्प, 1981 की आयात व निर्यात नीति, बहुत से औद्योगिक व नये कानून और सर्वोपरि 20 सूत्री

कार्यक्रम अपनाया है। पिछले ढाई वर्षों की ओर देखें तो सदन में कोई भी यह नहीं कह सकता कि भारत ने आर्थिक दृष्टि से कोई उन्नति नहीं की है। भारत ने अत्यधिक आर्थिक उन्नति की है,

उपाध्यक्ष महोदय : केवल 2 वर्ष न कि ढाई वर्ष।

श्री जेवियर अराकल : ठीक 2 वर्ष दो महीने, मेरी शिकायत यह है कि आर्थिक विकास का आधार आठवें दशक की चुनौतियों का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त आर्थिक विकास के लिए हमें समाजवाद की अपनी पुरानी धारणा को नई विचारधारा में परिवर्तित करना होगा। सामाजिक नियंत्रण, उत्पादन के साधनों के विनियमन और स्वामित्व और वितरण के साधनों के विनियमन की धारणा वाली होनी चाहिये। समय व तूफान किसी के लिए भी नहीं रुकता, यदि ऐसा नहीं किया गया तो भारतीय जनता अनिश्चित काल तक इन्तजार करने वाली नहीं है। अतः यह करना अपरिहार्य है जिसे बिना विलंब के किया जाना चाहिये।

नियंत्रण व राज सहायता से संबंधित 1979 की डागली रिपोर्ट में समिति की निर्देश पदों का सारांश इस प्रकार है—

"·····मूल्य, उत्पादन, वितरण, लाइसेंस व आयात प्रणाली के मूल्यांकन व पुनरीक्षा करने और उनके वास्तविक कार्यचालन तरीके की जांच करने और यह देखने के लिए कि प्रकाशित उद्देश्यों की वास्तविक प्राप्ति हुई है या नहीं।"

मुझे उम्मीद है कि सरकार इस रिपोर्ट पर ध्यान देगी क्योंकि इसमें हमारे उत्पादन साधनों पर नियंत्रण की कमियों और असंगतियों पर प्रकाश डाला गया है, अतः इस दृष्टि से हमारी समाजवाद व कल्याण की धारणा में परिवर्तन होना चाहिए।

योजना हमारी सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक धारणा का अविभाज्य अंग है। जब आप पिछले पंचवर्षीय नियोजित आर्थिक विकास और छठी योजना के दो वर्षों के विकास का मूल्यांकन व निर्धारण कर रहे हैं तो मेरे विचार से हमारी धारणा को पुनःस्थापित करने का यह उपयुक्त समय है, मेरे विचार से राज्य योजना की बजाए क्षेत्रीय योजना केन्द्र—भारतीय जनता के लिए अधिक प्रभावी और लाभकारी होगा।

मुझे पता है कि इस बजट में 1700 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया है। इससे बचा जा सकता था।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : कैसे ?

श्री जैवियर अराकल : मैं इसे स्पष्ट करूंगा। मुझे खुशी है कि प्रो० रंगा मेरा भाषण सुन रहे हैं। केन्द्र सरकाक के 19168 उद्यमों में 21126 करोड़ रुपये का सरकारी निवेश किया गया है। उनमें से 75 उद्यमों में पिछले वर्ष 754 करोड़ रुपये की हानि हुई है। साथ ही, कग्ण एककों की संख्या 66 से बढ़कर 74 हो गई है।

उपाध्यक्ष महोदय : वे सदन में सबसे वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं।

श्री जैवियर अराकल : जब हम विद्यार्थी थे तो उस समय हम सदन में दिए गए उनके भाषणों को पढ़ा करते थे।

उपाध्यक्ष महोदय : वे एम० ए० में पचाईमाया कालेज में मेरे पूज्य नेता डा० अन्ना के प्रोफेसर थे ।

प्रो० एन० जी० रंगा—धन्यवाद ।

श्री जैवियर अराकल : सावधानीपूर्वक आर्थिक सर्वेक्षण में यह बताया गया है कि :

"केन्द्र सरकार के स्वायत्तशासी उपक्रमों के समग्र वित्तीय कार्य निष्पादन से पता चला है कि वर्ष 1980-81 के मध्य में उनकी औद्योगिक गतिविधि में विरामकाल आने के बावजूद भी उनकी स्थिति बिगड़ गई है ।"

इस बारे में सरकार द्वारा क्या किए जाने का विचार है ? यदि सरकार उनका उपयुक्त रूप से प्रबन्ध करती और अधिकारियों को लोगों तथा सरकार के प्रति उत्तरदायी बनाती तो मुझे विश्वास है कि यह घाटा नहीं होता । आर्थिक सर्वेक्षण का अध्ययन करते समय मैंने यह पाया कि पूंजीगत निर्माण में आंशिक रूप से वृद्धि हुई है । वर्ष 1979-80 में यह 22.9 प्रतिशत था । वर्ष 1980-81 में इसमें 24.2 प्रतिशत की मामूली-सी वृद्धि हुई है । घरेलू बचत जो वर्ष 1979-80 में 22.5 थी वर्ष 1980-81 में घटकर 22.2 प्रतिशत रह गई है । मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने इस मामले पर अपना ध्यान दिया है ।

पिछले वर्ष गैर-विकासशील खर्च में 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई । आर्थिक सर्वेक्षण में यह बताया गया है कि "संशोधित बजटीय घाटे बनाए गए बजट के स्तर से अधिक थे ।" यही वह समय है जब इन मामलों पर उपयुक्त रूप से ध्यान दिया जा सकता है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त बजट में दी गई कर सम्बन्धी रियायतों तथा कटौतियों का उल्लेख कर रहे थे । पिछले वर्ष 155 करोड़ रु० के मूल्य की कर रियायतें तथा कटौतियां की गई थीं । इस वर्ष, अधिक रियायतें दी गई हैं । इसके अलावा 350 करोड़ रुपए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के लिए अलग रख दिए गए हैं । एक गम्भीर आरोप यह लगाया गया है कि बजट केवल कुल जनसंख्या के 10 प्रतिशत के लिए बनाया गया है । मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त से यह पूछना चाहूंगा कि क्या वे इन कटौतियों को स्वीकार करते हैं । उन्हें आगे आना चाहिए और कहना चाहिए कि ये कटौतियां तथा रियायतें नहीं दी जानी चाहिए थीं ।

मैं एक सुझाव देना चाहता हूं । सामाजिक सुरक्षा प्रमाण पत्रों के लिए बजट में एक उपबन्ध रखा गया है । क्या मैं इसके लिए सुझाव दे सकता हूं कि लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रमाण पत्रों में अपना धन लगाने को कहा जाए ? इस प्रकार सरकार को बिना किसी कठिनाई के 350 करोड़ रुपये मिल जाएंगे । गैर-आवासी भारतीयों को इस देश में शेयर और सम्पत्ति खरीदने के लिए अधिकार देने के बारे में स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता है । इस बारे में वित्त मन्त्री के भाषण पैरा 27 में बताया गया है क्या उन्हें इसके लिए रिजर्व बैंक और केन्द्रीय सरकार की अनुमति की आवश्यकता होगी ? यदि हां, तो इस बारे में स्पष्टीकरण दिया जाना है ।

ये कुछ सुझाव हैं जिन पर, मुझे आशा है कि माननीय मन्त्री महोदय तथा सरकार विचार करेगी । सर एडमड ब्रुके ने कहा है :—

"जो अपने पूर्वजों के पदचिन्हों पर नहीं चल सकते हैं ।
वे आगे आने वाली पीढ़ीके विचारों की क्या कद्र करेंगे ।"

मुझे आशा है कि यह सरकार कुछ आगा-पीछा सोचेगी और अपने लम्बे अनुभव तथा जानकारी के साथ और अधिक प्रगामी कानून तथा आर्थिक नीतियां बनाएगी।

इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

श्री ए० के० राम (धनबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बजट पिछले वर्ष के बजट के अनुसरण में है। वित्त मन्त्री जी का अंकगणित यह कहता है कि वर्ष 1982-83 के बजट में 29,219 करोड़ रुपये खर्च करने की स्कीकृति मांगी गई है, कराधान की विद्यमान दरों पर 27,134 करोड़ रुपये इकट्ठे करने का वायदा किया गया है, प्रत्यक्ष करों में 54 करोड़ रुपये की राहत पहुंचाई गई है, और उत्पादन शुल्क में 196.18 करोड़ रुपये तथा सीमा शुल्क में 391.35 करोड़ रु० के रूप में अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि की गई है और 1365 करोड़ रुपये का बजटीय अन्तराल छोड़ा गया है, जबकि पिछले वर्ष प्रत्यक्ष करों में 125 करोड़ रुपये की राहत दी गई थी और उत्पादन शुल्क और अप्रत्यक्ष करों में सीमा शुल्क के रूप में 325 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई थी। दोनों मामलों में बजट विभिन्न आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हुई है। जिसके फलस्वरूप 1000 करोड़ रुपये अर्जित हुए हैं। जब से यह नई सरकार आई है इसने हमारे समक्ष तीन बजट रखे हैं। पहले बजट में 1975 करोड़ रुपये, दूसरे बजट में 1700 करोड़ रुपए तथा वर्तमान बजट में 1365 करोड़ का घाटा दिखाया गया है।

जिसकी सीमा छठी योजना में निर्धारित की गई है, कुल योग, में 5000 करोड़ रुपये की वृद्धि हो रही है, क्योंकि यह 5,060 आता है। इसलिए आपने यह पाया कि वित्त मन्त्री महोदय उपस्थित नहीं हैं लेकिन योजना मन्त्री महोदय उपस्थित हैं।

बजट के बारे में कई परिभाषा दी गई हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह बड़ा ही यथार्थवादी, फलमूलक तथा संतुलित बजट है। यह आलोचना की गई है कि यह एक बहुत ही घिसी-पीटी किस्म का बजट है, यह बजट टुकड़ों में है आकस्मिक बजट है, आकस्मिक वित्त मन्त्रियों की तरह, एक पूंजीवादी बजट है और इसके बारे में क्या कुछ नहीं कह सकते। हमारे एक माननीय सदस्य ने तो यह भी कहा है कि इस बजट ने कल्याणवाद को विदाई दे दी है और समाजवाद की ओर बढ़ने के किसी भी इरादे के पिछले दावों को त्याग दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बजट को क्या नाम देना चाहेंगे ?

श्री ए० के० राय : मैं इसे साधारण सा सरल नाम देना चाहूंगा; यह बजट आर्थिक रूप से अपंग सरकार का बजट है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह विकलांगों का वर्ष है।

श्री ए० के० राय : यह आर्थिक रूप से एक अपंग सरकार है। यह बजट इस बात की भी याद दिलाता है कि वर्तमान ढांचे में, जबकि विद्यमान सरकार सत्ता में है, आर्थिक प्रगति के लिए कोई नया कदम नहीं उठाया जाएगा। यह स्पष्ट कर दिया गया।

इस बजट में बेरोजगारी की समस्या की उपेक्षा की गई है, मुद्रा-स्फीति को छिपाया गया है; गरीबी पर पर्दा डाल दिया गया है। आत्म-निर्भरता को तिलांजलि दे दी गई है और भुगतान संतुलन की बिगड़ती हुई स्थिति का एकमात्र हल अधिक सुधार लेना और अधिक आयात करना सुझाया गया है। उन्होंने केवल एक यही समाधान दिया है। मेरी राय में यह उस सरकार का बजट नहीं

हो सकता है, जो कार्य करती है; यह उस सरकार का बजट हो सकता है जो उधार की टांगों के सहारे चलती है और आधा रास्ता घिसट कर पार करती है।

इस बजट में नए 20 सूत्री कार्यक्रम के बारे में आत्म-प्रशंसा का काफी शोर मचाया गया है, जबकि यह नहीं बताया गया है कि पुराने 20-सूत्री कार्यक्रम का क्या हुआ, क्या वह हवा के साथ उड़ गया, अथवा यह कहां चला गया है। हमें नए बजट में केवल दो नए मुद्दे मिले हैं, क्योंकि आप हमेशा नए मुद्दों के प्रेमी रहे हैं; एक नया मुद्दा नए वित्त मन्त्री महोदय हैं और दूसरा नया मुद्दा नया बजट है। आपको नए बजट में केवल ये ही दो नए मुद्दे मिलेंगे।

बजट में बड़े गर्व के साथ यह कहा गया है कि अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा सुधार हुआ है और इसी तरह की कई बातें कही गई हैं। किसी भी विकासशील देश के बजट में—विकास और न्याय, ये दो बातें आवश्यक होनी चाहिए। जबकि इस बजट में दोनों का अभाव है। सरकार को इस बात का गर्व है कि एकल राष्ट्रीय उत्पाद में 7.7 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है और इसमें पुन: 4 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मेरे एक अन्य साथी ने स्पष्ट किया है कि यह केवल वर्ष 1979-80 के संदर्भ में है। मैं यह जानना चाहूंगा कि इस सरकार की वर्ष 1981-82 में वास्तव में क्या उपलब्धि है। क्या यह बात नहीं है कि यह केवल वर्ष 1978-79 की प्रतिव्यक्ति की आय तक पहुंच सकी है, इसने केवल तीन साल पीछे की स्थिति को पुन: प्राप्त किया है। हम केवल इतना ही श्रेय इस सरकार को दे सकते हैं। इसलिए हम केवल दो निष्कर्षों पर पहुंचे हैं कि निष्कर्ष यह है कि वर्तमान सरकार यह दावा कर सकती है और हम भी उसे यह श्रेय देने को तैयार हैं कि वर्ष 1981 वर्ष 1979 से अच्छा रहा है और दूसरा यह है कि कांग्रेस (इ) की सरकार अंतरिम सरकार से बेहतर है; और यदि वे यह चाहते हैं तो हम उन्हें यह श्रेय भी देने को तैयार हैं।

हमारी अर्थव्यवस्था में कुल धन का 40 से 42 प्रतिशत योगदान कृषि क्षेत्र का है। 20 से 25 प्रतिशत उत्पादन क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र का है, 20 प्रतिशत सेवा क्षेत्र का है, 15 से 18 प्रतिशत परिवहन का है। यह एक सामान्य नमूना है यदि आप कृषि के विकास को देखेंगे तो आर्थिक सर्वेक्षण में यह बताया गया है कि अनाज को प्रतिव्यक्ति उपलब्ध है...।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री ए० के० राय : आप घंटी बजा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप भाषण समाप्त कर सकते हैं।

श्री ए० के० राय : मैंने तो अभी केवल शुरू ही किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप 3-30 बजे तक अपना भाषण समाप्त कर सकते हैं।

श्री ए० के० राय : मैं अपना भाषण समाप्त नहीं कर सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको भाषण समाप्त करना है। आपको केवल पांच मिनट दिए गए हैं। मैं आपको विशेष मामले के रूप में पांच मिनट और दूंगा।

श्री ए० के० राय : मुझे बजट की बजाए आपकी घंटी का अधिक डर है।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। आपका समय हो गया है। आपको 3-30 बजे तक अपना भाषण समाप्त करना है।(व्यवधान)

श्री ए० के० राय : महोदय वर्ष 1971 में अनाज की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 468.5 मी० टन थी और वर्ष 1981 में यह कम होकर 459.5 मी० टन हो गई है। अत: हम यह कह सकते हैं

कि 'हमें अपनी 1971 की गरीबी दी लौटा ही जाए' जबकि उनके नेता ने गरीबी हटाने के नारे पर चुनाव जीता था और गरीबी दूर करने में वे सफल नहीं हुए हैं।

महोदय, जब आपने घंटी को बजाना शुरू कर दिया है तो मेरे लिए सभी विषयों को सदन के समक्ष कैसे रखा जाए यह योजना बनाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। लेकिन महोदय, मैं एक बात पर बल देना चाहूंगा और वह यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विषय पर अलग-अलग आलोचना की गई है। मैं अपने साथियों के समक्ष यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि यह बजट अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के निर्देश पर तैयार किया गया है और इसका नियंत्रण भी उसी के पास है। मेरा उनसे प्रबल रूप से मतभेद है। इस सरकार पर नियंत्रण का कोई प्रश्न नहीं है और इस सरकार को निर्देश देने का कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि यहां मन और मस्तिष्क में पूर्णतया एकता है। इसलिए नियंत्रण करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। नियंत्रण केवल तभी किया जा सकता है जब सरकार की प्रवृत्ति नियंत्रण से बाहर जाने की हो, लेकिन उसमें नियंत्रण से बाहर जाने की कोई प्रवृत्ति नहीं है।

इसलिए कंट्रोल का प्रश्न ही नहीं है। अगर आप स्थिति को देखें तो पायेंगे कि इस वर्ष हम पहले ही 15 000 करोड़ रु० के विदेशी ऋणों के भार से दबे हुए हैं, और इसके अतिरिक्त 2,227 करोड़ रु० की और विदेशी सहायता सरकार ने ली है। पिछले वर्ष यह राशि 1869 करोड़ रु० की थी। इस वर्ष हमारे देश को दी जाने वाली यह सबसे अधिक विदेशी मदद है। हम पहले ही 860 करोड़ रु० से अधिक ब्याज आदि के रूप में अदा कर रहे हैं। अब यह हमारी कुल निर्यात आय का 20 से 25 प्रतिशत भाग हो जायेगा। यही नहीं, 1950 में हमारे यहां विदेशी सहयोग वाली कम्पनियां बहुत कम थीं। लेकिन हम देखते हैं कि 1979 में प्रति वर्ष विदेशी सहयोग वाली कंपनियों की संख्या 250 थी। 1980 में यह संख्या बढ़कर 526 हो गई और इस वर्ष 600 हो गई है। मेरा तात्पर्य, विदेशी सहयोग से था। इस प्रकार हम आत्मनिर्भरता के अपने वचन को पूरी तरह त्याग रहे हैं। जिस प्रकार हम विदेशी सहायता से दबे जा रहे हैं, इससे हमें दादा भाई नारोजी के विदेशी सहायता संबंधी सिद्धान्त का स्मरण हो आता है। श्रीमन्, शायद आपने आन्ध्र प्रदेश के साम्यवादी क्रान्तिकारी श्री टी० नागी० रेड्डी की पुस्तक 'इण्डिया मार्टगेज्ड' पढ़ी होगी। इसलिए हम सरकार को दोष देते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सामने आत्मसमर्पण करने का प्रश्न ही नहीं उठता। हम इस सरकार को हमारा वर्तमान खराब करने, भविष्य धूमिल करने और विगत को तथा पूरे इतिहास को ठेस पहुंचाने का दोषी ठहराते हैं। चूंकि आप मुझे और समय नहीं दे रहे हैं, मैं एक या दो विषयों पर बोलना चाहूंगा।

आपकी कर नीति तर्कसंगत होनी चाहिए। मैं महत्वपूर्ण क्षेत्र के सम्बन्ध में उनके तर्क को समझ सकता हूं। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय जवाब दें कि क्या नागरिक उड्डयन मंत्रालय, जिसके लिए आपने आवंटन 45 करोड़ रु० बढ़ा दिया है, इसी महत्वपूर्ण क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। मैं जानना चाहूंगा कि रेफ्रिजरेटरों, पांच सितारा होटलों को 5 करोड़ रु० तक की छूट देने के क्या कारण है और इसको कैसे उचित ठहराया जा सकता है, क्या वे आपके महत्वपूर्ण क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं।

अन्त में, जैसा कि लगता है, आप पुन: घंटी बजाने जा रहे हैं···

उपाध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं कि आप 3-30 बजे तक अपना भाषण समाप्त कर देंगे और आप आखिरी विषय पर आ गये हैं।

श्री ए० के० राय : यह आखिरी विषय है। आखिरी विषय, जिस पर मैं बोलना चाहता हूं, यह है कि ...

उपाध्यक्ष महोदय : सबसे उत्तम चुनिए।

श्री ए० के० राय : हां, सबसे उत्तम और आखिरी भी।

कुछ दिन पहले मैंने एक प्रसिद्ध पत्रिका में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दस नियम पढ़े थे, उनमें कुछ सुधार करके मैं सदन में उनको रखना चाहता हूं। यह मेरा आखिरी विषय है। इस बजट के और इस सरकार के दस नियमों में आप कह सकते हैं कि 20-सूत्री कार्यक्रम का सार निहित है :—

बजट के नियम क्या हैं ?

1. तुम तब तक निर्यात करते रहो, जब तक देश को हानि न पहुंचे।
2. तुम तब तक आयात करते रहो, जब तक देश को हानि न पहुंचे।
3. तुम तब तक खर्च करते रहो, जब तक काला धन, सफेद में न बदल जाय।
4. तुम पांच सितारा होटलों की शोभा बढ़ाते रहो।
5. तुम हवाई सैर करते रहो और अपना दिमाग तर (ठंडा) रखने के लिए रेफ्रिजरेटर का प्रयोग करते रहो।
6. तुम बड़े उद्योगपतियों और बहु राष्ट्रीय कम्पनियों को सुविधायें देते रहो और अपनी जेब भरते रहो।
7. तुम जनता और सार्वजनिक क्षेत्रों को कोई राहत न दो।
8. तुम हड़तालों को न होने दो।
9. तुम सीधे करों और राज सहायता को कम करते जाओ।
10. भगवान् और एस०डी०आर०, कुल राष्ट्रीय उत्पाद पर कृपा करें।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार करेंगी।

हम 6 बजे पुनः आम बजट पर विचार आरंभ करेंगे।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति 37वाँ प्रतिवेदन

श्री वाई० एस० महाजन (जलगांव) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 9 मार्च, 1982 को सभा में प्रस्तुत किए गए सैंतीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव यह है कि :

"यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 9 मार्च, 1982 को सभा में प्रस्तुत किए गए सैंतीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

आयात नीति के पुनरीक्षण सम्बन्धी संकल्प-जारी

उपाध्यक्ष महोदय : श्री एम० रामन्ना राय।

आपने पहले ही 12 मिनट का समय ले लिया है। यह आपके सूचनार्थ है।

श्री एम० रामन्ना राय (कासरगोड) : पिछली बार मैंने कहा था कि इससे केरल के किसानों के हितों को हानि पहुंचेगी।

मैं आपको कुछ विवरण देना चाहता हूं कि सरकार की आयात नीति और कुछ वस्तुओं के आयात के संबंध में लाइसेंस जारी करने की नीति से किसानों पर कैसे प्रभाव पड़ता है। केरल ऐसा प्रदेश है जहां देश का 90% नारियल पैदा होता है। केरल में नारियल की उपज इतनी होती है कि वह न केवल केरल के लिए अपितु उद्योग के लिए भी पर्याप्त है। केरल में खाने के तेल का काफी मात्रा में उत्पादन होता है। परन्तु अब भारत सरकार ने नारियल और खोपड़े के तेल के निर्यात के लिए लाइसेंस जारी कर दिये हैं या जारी कर रही है। इन लाइसेंसों को जारी करने के परिणाम क्या होंगे ? इससे केरल को प्रतिवर्ष 400 करोड़ रु० की हानि होगी। केरल में प्रतिवर्ष 400 करोड़ रु० का उत्पादन होता है। तीन साल पहले प्रति नारियल दो रु० की दर से बेचा जाता था। अब प्रति नारियल का मूल्य एक रुपये से भी कम है। मूल्य 100% से भी कम हो गया है।

नारियल और खोपड़े के तेल के आयात की गलत नीति के कारण केरल के किसानों को कुल 400 करोड़ रु० की हानि हुई।

जनवरी, 1980 में, नरियल के तेल का मूल्य 1910 रु० प्रति क्विंटल था। जनवरी, 1981 में यह कीमत 1700 रु० प्रति क्विंटल रह गई।

जुलाई, 1981 में नारियल तेल का मूल्य 1250 रु० प्रति क्विंटल था। ऐसा नारियल और खोपड़े के तेल को आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंसों की वजह से हुआ है। इससे केरल के गरीब किसान सीधे प्रभावित हो रहे हैं।

(श्री चिन्तामणि पाणिग्रही—पीठासीन हुए)

यह भी देखा जा सकता है कि नारियल उद्योग को अधिक नारियल के तेल और खोपड़े का आयात करने के लिये आयात लाइसेंस जारी करने का आधार यह है कि उसे अधिक नारियल तेल की आवश्यकता है, तथा उसे किसी हद तक अथवा पूर्णतया आयात शुल्क से छूट प्राप्त है।

आयातित नारियल तेल को साफ करके पुनः खुले बाजार में उच्चदरों पर बेचा जाता है। एक तरफ तो सरकार को विदेशी मुद्रा की हानि होती है, दूसरी तरफ केरल के गरीब किसानों की हानि होती है। मेरा ख्याल है कि अगर सरकार 300% का शुल्क भी लगा दे,

तब भी इससे किसानों को कोई खास फायदा नहीं होगा। वास्तव में इससे बड़े एकाधिकारियों और बड़े उद्योगपतियों को ही लाभ होगा।

रबड़ की भी यही स्थिति है। केरल देश के कुल उत्पादन का 90% पैदा करता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि जहां तक रबड़ उद्योग का प्रश्न है देश में रबड़ की कमी है। केवल केरल में उत्पादित रबड़ पर्याप्त नहीं है। कमी के नाम पर, उद्योगपति अपनी वास्तविक आवश्यकतानुसार आयात करने की बजाय, 100% से भी अधिक रबड़ का आयात करते हैं। इस तरह आप कह सकते हैं कि बड़े उद्योगपतियों और रबड़ बोर्ड के बीच कुछ हद तक सांठ-गांठ है। क्योंकि रबड़ बोर्ड रबड़ की किस्म, आयातित रबड़ का मूल्य और भारत में पैदा होने वाले रबड़ का मूल्य निर्धारित करता है। इसलिए संदेह की गुंजाइश है। जहां तक मेरा संबंध है, मैं कह सकता हूं कि केरल में रबड़ उत्पादकों के हितों को हानि पहुंचाने में बड़े-बड़े एकाधिकारियों और रबड़ बोर्ड के बीच सांठ-गांठ है।

यह भी देखा गया है कि कोको के उत्पादन पर हाल ही में विपरीत प्रभाव पड़ा है। देश में 80% कोको का उत्पादन केरल में और बाकी का 20% उत्पादन कर्नाटक में होता है। 1977 में कोको का मूल्य क्या था? यह 35 रु० प्रति किलोग्राम था। अब मूल्य क्या है? अब इसके भाव 3 रु० से 4.50 रु० प्रति किलोग्राम हैं। यही भाव आजकल चल रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि यह कैसे हुआ? जैसे ही केरल और कर्नाटक के कोको उत्पादकों ने उत्पादन बढ़ाया, कैडबरी कम्पनी और अन्य कम्पनियों ने, जो कि चॉकलेट बनाती हैं, भारत में उत्पादित कोको के विरुद्ध प्रचार करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि कर्नाटक और केरल में उत्पादित कोको में अम्ल है और इसलिए वह बेकार है। उन्होंने कहा इसलिए उन्हें विदेशों से कोको का आयात करने की अनुमति प्रदान की जाय।

वास्तव में वस्तु स्थिति क्या है? वस्तु स्थिति यह है कि केरल और कर्नाटक में हुये कोको के उत्पादन को प्रथम श्रेणी का माना जाता है। इसमें अम्लता नहीं है। वास्तव में कैडबरी कंपनी, जो कोको का मूल्य कम कराना चाहती थी, ने कोको विरोधी अभियान शुरू किया था जिसके परिणामस्वरूप केरल और कर्नाटक में कोको उत्पादकों को हानि हुई और परेशान होना पड़ा।

ऐसी स्थिति में "कैम्को" ने आगे आकर केरल और कर्नाटक के कोको उत्पादकों की सहायता की और कैडबरी कम्पनी तथा अन्यों द्वारा चलाये गये विरोधी प्रचार अभियान से हुई क्षति को कम करने का प्रयास किया। कैम्को ने कोको की खरीद शुरू कर दी। इसे पता चला कि केरल और कर्नाटक में उगाया जाने वाला कोको अच्छी क्वालिटी का होता है। उन्होंने सोचा कि यदि कोको के प्रक्रियन हेतु एक कारखाना शुरू किया जाये तो इससे केरल और कर्नाटक के कोको उत्पादकों को वास्तव में प्रोत्साहन मिलेगा तथा न केवल इससे केरल और कर्नाटक के कोको उत्पादकों को लाभ पहुंचेगा बल्कि कोको के अनेक उत्पादों का निर्यात किया जा सकता है और इस प्रकार सरकार विदेशी मुद्रा भी कमा सकती है। इसलिये उन्होंने कोको के प्रक्रियन के लिये कर्नाटक के पुत्तर शहर में एक कारखाना शुरू करने का निर्णय किया। तुरन्त ही कैडबरी कम्पनी तथा दूसरी कम्पनियों को इस आशय की जानकारी मिली। कैम्को ने लाइसेंस के लिये आवेदन भेज दिया। लाइसेंस का मामला केन्द्र सरकार के पास विचाराधीन है। कैम्को केरल और कर्नाटक के कोको उत्पादकों की सहायता करने के लिए एक कारखाना शुरू करना चाहती थी। यद्यपि उनका

लाइसेंस सम्बन्धी आवेदन-पत्र अभी केन्द्र सरकार के उद्योग मंत्रालय के पास निर्णयाधीन है तथापि यह अफवाह है कि उनका आवेदन रद्द हो जायेगा ।

प्रो० एन० जी० रंगा : क्यों ?

श्री एम० रामन्ना राय : मैं नहीं जानता क्यों। परन्तु यह आशंका है कि बड़ी कम्पनियां जैसे कैडबरी सरकार पर दबाव डाल रही हैं। माननीय मंत्री जी तथा इस सरकार से मेरा यह अनुरोध है कि यदि कोई बड़ी कम्पनी कैसे कैडबरी या कोई अन्य स्वदेशी एवं विदेशी कम्पनी यह माँग भी करे कि लाइसेंस सम्बन्धी आवेदन-पत्र को रद्द कर दिया जायें तो माननीय मंत्री जी को एक साहसी कदम उठा कर कैम्को को कर्नाटक में कोको प्रक्रियन के लिए कारखाना शुरू करने के लिए कैम्को को लाइसेंस देना चाहिए।

मैं यह कहना चाहता हूं कि बड़े व्यापारी, पूंजीपति न केवल केरल और कर्नाटक के उत्पादकों को हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं बल्कि वे सरकार के हितों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए सरकार को इस मामले में सावधानी वरतनी चाहिए और कर्नाटक राज्य के पुत्तुर शहर में एक कारखाना शुरू करने के लिए लाइसेंस जारी करने हेतु साहसी निर्णय लेना चाहिये। बड़े आश्चर्य की वात है कि जव भारत में कृषि उत्पादक, विशेष तौर पर धान और गेहूं उगाने वाले किसान भारत सरकार से अनुरोध करते हैं कि उन्हें धान और गेहूं के लिए लाभकारी मूल्य दिया जाये, सरकार ने 5 लाख टन गेहूं का आयात करने का निर्णय कर लिया। सरकार इस बात का दावा करती है कि भारत में गेहूं की पैदावार यहां की आवश्यकता से अधिक है और सरकार गेहूं का और चावल का भी निर्यात कर रही है, लेकिन, साथ-साथ खाद्यान्न उत्पादकों को सबक सिखाने के लिए, जो अपने उत्पाद का लाभाकारी मूल्य माँगते हैं, सरकार ने अमरीका और अन्य देशों से 5 लाख टन गेहूं आयात करने का निर्णय किया। मेरे विचार में सरकार यह आयात कर चुकी है। इसमें किसका लाभ है ? इसमें किसान का लाभ नहीं है; न ही यह कुल मिला कर देश के लिये ही लाभप्रद है। इसलिए, मेरा यह निवेदन है कि जहाँ तक सरकार की आयात नीति, लाइसेंस नीति का सम्बन्ध है, ये नीतियां न केवल गलत हैं बल्कि ये देश के लिए हानिकर भी हैं।

इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार ही इस बात का निर्णय करती है कि किन वस्तुओं का आयात किया जाना है तथा किन का निर्यात। मेरा निवेदन है कि इसकी बजाय केन्द्र सरकार को चाहिये कि वह राज्य सरकारों को भी विश्वास में ले। राज्य सरकार भी केन्द्र सरकार को विश्वास में लेकर, यह निर्णय कर सकती है कि क्या राज्य में उत्पन्न होने वाली अमुक वस्तु का आयात किया जाना है अथवा निर्यात किया जाना है।

इस समय केन्द्र सरकार अकेले ही निर्यात नीति तथा आयात सम्बन्धी नीति तय करती है। मेरा यह सुझाव है कि, इसके बजाय, केन्द्र सरकार को चाहिये कि वह राज्य सरकारों को भी अपने विश्वास में ले और उसके बाद आयात लाइसेंस जारी करने के बारे में निर्णय ले।

प्रत्येक व्यक्ति विदेशी मुद्रा की स्थिति पर चिंता व्यक्त कर रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्येक व्यक्ति विदेशी मुद्रा से चिंतित है। इस बारे में क्या किया जाना है ? हमें अनावश्यक चीजों का आयात नहीं करना चाहिये। परन्तु हम हर जगह क्या देख रहे हैं ? हम देखते हैं कि

लगभग 50% व्यक्तियों के पास आयातित घड़ियां हैं। हम सड़कों पर आयातित मोटर-कारें देखते हैं। हम देखते हैं कि लोग आयात किए गए सुपरफाइन कपड़े पहनते हैं। हम देखते हैं लोग विदेशों से विभिन्न चीजें मंगा रहे हैं। इसका क्या मतलब है ? इन बातों को रोका जा सकता है और विदेशों से अनावश्यक वस्तुओं के आयात पर प्रतिबन्ध लगा कर ही विदेशी मुद्रा संचित की जा सकती है।

इस सुझाव के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : श्री मूल चन्द डागा, क्या आप कोई संशोधन पेश कर रहे हैं ? यहां कई संशोधन आये हुए हैं।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि संकल्प में,···

"संचित" के बाद "और अर्जन" जोड़ें (1)

सभापति महोदय : श्री चित्त बसु

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि संकल्प में,—

"लाइसेंस जारी करने पर लगे और प्रतिबन्धों" के स्थान पर

"आयात की शर्तों को उदार बनाने के लिए सरकार द्वारा लागू नीति को आत्म-निर्भरता के लिए तुरन्त समाप्त किया जाना चाहिए।" (2)

सभापति महोदय : श्री गिरधारी लाल व्यास

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है कि इम्पोर्ट अन-नैसेसरी नहीं होना चाहिये तथा उस को हम कैसे रोक सकते हैं—इसकी भावना बहुत अच्छी है। मैं भी इस के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। जिंक हमारे यहां एक ऐसा धातु है जो बहुत से कल-कारखानों में काम आता है। भारत सरकार इस के इम्पोर्ट पर कम से कम 200 करोड़ रुपया हर वर्ष खर्च करती है। राजस्थान के अन्दर "अबूचा" एक ऐसा स्थान है जहां जिंक का बहुत बड़ा भण्डार मिला है, वहां पर साढ़े-पांच करोड़ टन जिंक का भण्डार है। अगर उस को ठीक तरह से निकाला जाय तथा वहां पर सुपर-जिंक-स्मेल्टर-प्लांट लगाया जाय तो 200 करोड़ रुपये का जो जिंक हम इम्पोर्ट करते हैं उस को बचाया जा सकता है, साथ ही अधिक प्रोडक्शन करके 200 करोड़ रुपये का जिंक और ज्यादा प्रोडयूस कर सकते हैं यानी उस स्थान पर 400 करोड़ रुपये प्रति वर्ष जिंक का उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन इस की तरफ भारत सरकार का ध्यान अभी तक नहीं गया है।

मुझे बहुत खुशी है कि इस समय प्लानिंग मिनिस्टर साहब भी विराजे हुए हैं और कामर्स मिनिस्टर साहब भी विराजे हुए हैं। मैं दोनों का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि वह एक ऐसा स्थान है जो केवल हिदुस्तान ही नहीं बल्कि एशिया में बहुत बड़ा डिपाजिट है, जिस में 12 परसेन्ट की जिंक रेशो है। इतनी बड़ी रेशो केवल हिन्दुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी स्थान पर, सिवाय अमरीका को छोड़ कर, कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार का

भण्डार जहां पर उपलब्ध हो, वहां 200 से 300 करोड़ रुपया इम्पोर्ट पर खर्च किया जाय, अपने यहां उस को निकालने की व्यवस्था न की जाय, इसका हमारी आर्थिक स्थिति पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिये मैं आप से अनुरोध करता हूँ कि यहां पर सुपर जिंक-स्मेल्टर-प्लांट लगा कर, इसका खनन करके, शीशा तथा जस्ता जिस की देश के लिये अत्यन्त आवश्यकता है, उसका शोधन कर के, उत्पादन करें, इससे देश की अर्थ-व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी साथ ही इम्पोर्ट पर खर्च की जाने वाली रक़म को बचाया जा सकेगा तथा निश्चित तरीके से देश को बहुत बड़ा फायदा होगा। इसलिए इस तरफ़ मैं आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मैं माननीय वाणिज्य मंत्री जी का ध्यान इस बात की तरफ़ आकर्षित करना चाहता हू कि आप की मिटको की जो एजेन्सी है, उस को जो माइका हिंदुस्तान में पैदा होता है, उस तरफ़ ध्यान देना चाहिए। हिन्दुस्तान में बिहार, आन्ध्र प्रदेश और राजस्थान में माइका पैदा होता है, और मिटको की आज हालत यह है कि सब जगहों पर जो अभ्रक पैदा होता है, उसके सारे व्यापार को इस ने ठप्प कर दिया है और इस उद्योग में जो हज़ारों लोग काम करते हैं, उन सबकी मज़दूरी खतरे में पड़ गई है। मिटको इस की कोई खरीददारी नहीं कर रहा है। अभ्रक को हम बाहर भेजते हैं और उस से फोरेन एक्सचेन्ज प्राप्त करते हैं। अब वह व्यापार बिल्कुल ठप्प पड़ा है और मिटको बड़े-बड़े व्यापारियों के हाथों का खिलौना बना हुआ है। जो छोटे व्यापारी हैं और छोटे पैमाने पर इस काम को करते हैं, उनका कोई सामान नहीं खरीदा जा रहा है। इस तरफ़ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मैं अपने क्षेत्र भीलवाड़े के लिए निवेदन करना चाहता हूं। भीलवाड़ा में अभ्रक के बहुत बड़े भंडार हैं। पिछले वर्ष भी हम ने कहा था कि वहां पर मिटको के जरिये से माइका के वेस्ट का पेपर प्लान्ट लगाया जाए, जिसको स्वीकारा भी गया था मगर अभी तक उसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। वहां पर माइका के बहुत बड़े भंडार हैं और उस से हमें फोरेन एक्सचेन्ज भी प्राप्त होता है। विदेशों में उस को भेज कर काफ़ी मात्रा में फोरेन एक्सचेन्ज प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस तरफ़ भी उनको ध्यान देना चाहिए।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में सीमेंट का बहुत बड़ा भंडार है। उसके लिए लोगों को लाइन्सेस भी दिये जा रहे हैं मगर सीमेंट के कारखाने लगाने के लिए मशीनरी देश में उपलब्ध नहीं हो रही है। जो कारखाने इस तरह की मशीनरी बनाते हैं वे इतनी क्षमता नहीं रखते हैं कि एक साथ इतने सीमेंट के कारखानों के लिए मशीनरी बना सकें और कारखानों को खड़ा कर सकें। सीमेंट में अगर हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से इन सीमेंट के कारखानों को जल्दी से जल्दी लगाना पड़ेगा। इससे आज हमें जितना सीमेंट बाहर से मंगाना पड़ रहा है, उस को हम अपने यहां पैदा कर सकते हैं। राजस्थान में कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा और चितौड़ और मध्य प्रदेश में मनसौर जिले में एक बड़ी रेलवे लाइन आप निकाल रहे हैं और वहां पर 8-10 सीमेंट की फैक्ट्रियां लगाई जाएं, इस प्रकार की व्यवस्था है। अगर ये फैक्ट्रियां जल्दी से जल्दी लग जाती हैं, तो उस से बहुत काफ़ी मात्रा में हम फोरेन एक्सचेन्ज बचा सकते हैं और जो 500-700 करोड़ रुपये हम हर साल बाहर से सीमेंट मंगाने में खर्च करते हैं और फिर भी देश में सीमेंट का अभाव रहता है, उस फोरेन एक्सचेन्ज को हम बचा सकते हैं। इस प्रकार की अगर व्यवस्था हो जाती है, तो फोरेन एक्सचेन्ज में जो एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट की वजह से बड़ा गैप है, उस को कम कर सकते हैं। इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था करना नितान्त आवश्यक है।

इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जितनी लगजरी की आइटम्स हैं, जो बाहर से हम इम्पोर्ट करते हैं, उनको बन्द करना चाहिए और ऐसी चीजें जो हैं, जिन से हमारा फोरेन एक्सचेन्ज कम होता है, उन को बाहर से मंगाने पर रोक लगनी चाहिए और हमें एक एक पाई फौरेन एक्सचेन्ज की बचानी चाहिए ताकि देश आर्थिक तौर पर मजबूत बने।

अभी जो माननीय सदस्य बोल रहे थे, उन्होंने यह कहा कि फूडग्रेन्स और शूगर और इसी प्रकार की दूसरी चीजें क्यों इम्पोर्ट की गईं। इस के सम्बन्ध में हमारी दूसरी राय है । फूडग्रेन्स इम्पोर्ट कर के अगर हम अपने यहां वफर स्टाक कायम नहीं करेंगे, तो ठीक नहीं होगा क्योंकि हम चाहते हैं कि लोगों के दिल व दिमाग में इस तरह की भावना न पैदा हो कि हमारे देश में खाने-पीने का सामान भी पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है और उस की भी हम ठीक व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। इसलिए सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह अपने देश के लोगों के खाने-पीने का इन्तजाम करे और इस की व्यवस्था ठीक से करे। इसलिए यह जो निर्णय किया गया था, वह बहुत सोच-समझ कर किया गया है और इस के सम्बन्ध में कोई क्रिटिसिज्म करना या किसी प्रकार की एसी भावना रखना ठीक नहीं है। इस बारे में तो मैं यह कहूंगा कि सरकार ने ठीक ही किया है लेकिन जो सुझाव मैंने जिंक के सम्बन्ध में दिये हैं और सुपर जिंक स्मेल्टर प्लान्ट और सीमेंट के प्लान्ट लगाने तथा मिटको के जरिये पेपर का कारखाना लगाने का दिया है और मिटकोको स्ट्रमलाइन करने के लिए दिया है ताकि अभ्रक को बाहर भेज कर फोरेन एक्सचेन्ज प्राप्त किया जा सके और ठीक प्रकार से उसका संचालन हो सके, इन सुझावों को सरकार को मानना चाहिए ।

इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति जी, आयात नीति को एक स्पष्ट निर्यात प्रधान स्वरूप प्रदान कर देना चाहिए, यह हमारे पहले बोलने वाले वक्ता महोदय कह रह थे । सवाल यह है कि कुछ चीजें निर्यात करनी पड़ती हैं, कुछ आयात भी करनी पड़ती हैं। जो चीजें हम आयात करते हैं वे ऐसी चीजें जो कि हमारे यहां उपलब्ध नहीं हैं। निर्यात हम उन चीजों का करने की कोशिश करते हैं जिनसे कि हम विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं।

इस में मैंने एक अमेंडमेंट दिया है। आपने सोचा कि हमें एक्सपोर्ट ज्यादा करना चाहिए । हमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्टस का एक्सपोर्ट करना चाहिए । कई बार हम ऐसी चीजों का भी एक्सपोर्ट कर देते हैं जिनकी कि यहां पर कमी होती है। इसका कारण यह होता है कि सरकार के पास पूरे आंकड़े न होने के कारण ऐसा कर दिया जाता है। जो सरकार की स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन है या अन्य ट्रेडिंग कारपोरेशंस हैं, उनके पास पूरे फैक्ट्स और फिगर्स नहीं होते इसलिए वे ज्यादातर ऐसी चीजें एक्सपोर्ट कर देते हैं। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं कि देश में किस चीज की कितनी आवश्यकता है, कितनी चीज का एक्सपोर्ट करना चाहिए, कितनी चीज का इम्पोर्ट करना चाहिए।

जो हमारे यहां चीजों का इम्पोर्ट होता है जिनमें बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिनमें हमारे जो बहुत बड़े बिजनेसमेन हैं या उद्योगपति हैं उनकी दिलचस्पी होती है। एक प्रकार से हमारा स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन उनका इम्पोर्ट करता है। जहां तक इम्पोर्ट की बात है, उसमें हमें टेक्नोलोजी को इम्पोर्ट करना चाहिए।

जब तक हम अपने यहां टैक्नोलोजी का इम्पोर्ट नहीं करेंगे तब तक हम विश्व की नयी नयी बातों को कैसे सीखेंगे ? जब हमें अपना माल निर्यात करने के लिए विश्व की मंडियों में जाना

है तो हमें नयी से नयी टेक्नोलोजी को ग्रहण करना पड़ेगा। अपने मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए नयी टेक्नोलोजी को भी इम्पोर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए यह जरूरी हो जाता है कि हम अच्छी से अच्छी मशीनों का इम्पोर्ट करें। यदि हमारे पास अच्छी मशीनें नहीं होगी तो हम विश्व की मंडियों में टिक सकेंगे। विश्व में कई देश इतने विकसित हो गये हैं, जिन्होंने अपनी टेक्नोलोजी को इतना बढ़ा लिया है कि वे विश्व के अन्य देशों की तुलना में काफी आगे आ गये हैं। अगर हम उनकी टैक्नोलोजी को लेना चाहते हैं तो हमें उनकी कुछ चीजों का इम्पोर्ट करना पड़ता है। हमारे लिए वे मशीनें इम्पोर्ट करना जरूरी है जिनके कारण हम अपने निर्यात को बढ़ा सकें।

हमारी आयात नीति उदार और लिबरल क्यों की गयी है ? उसका यह कारण है कि हम लोग कुछ ऐसी चीजों का इम्पोर्ट करते हैं जिनके कारण हम काफी मात्रा में निर्यात कर सकें और फोरन एक्सचेन्ज कमा सकें। विदेशी मुद्रा कमाने के लिए हमें नये नये टैक्नोक्रेट्स लाने होंगे जो नयी नयी चीजें पैदा कर सकें। नयी नयी चीजें पैदा करने के लिए हमें उन्हें पूरा उत्साह और पूरी इज्जत देनी होगी।

लेकिन इसके लिए जो हमने तरीका अख्तियार कर रखा है, लाइसेंस देने की जो प्रणाली है, इसमें बहुत घपला है जिसको कि कहने की आवश्यकता नहीं है। एक तरफ आपका चीफ कंट्रोलर आफ इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट है, एक आपकी लाएसेंस अथारिटी है। मेरे ख्याल से महीनों में भी लाइसेंस मिलना मुश्किल होता है और लाइसेंस मिलने के बाद भी वह माल आयात हो सकेगा या नहीं, यह कहना कठिन है। अभी पूर्ववक्ता ने कहा था कि गेहूं का आयात किया गया जिससे किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं मिला। कास्तकारों ने गेहूं नहीं दिया। अगर गेहूं उपलब्ध नहीं होगा तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फेल हो जायेगा।

मैं इस बात से सहमत हूं कि हमें इंपोर्ट करना होगा और इंपोर्ट करने के लिए जो यह नीति अख्तियार की गई है और जो उदार नीति तैयार की गई है वह सराहनीय है। देश की उन्नति के लिए यह जो पाबंदी आप लगा रहे हैं, इससे मैं सहमत नहीं हूं, आज हम पेट्रोल का आयात करते हैं, क्योंकि आयात बहुत जरूरी है। हम करोड़ों का आयात करते हैं, लेकिन आज हमारे देश में डीजल और क्रूड आयल का उत्पान होने लगा है और आने वाले समय में आशा की जा सकती है कि हमारा आयात कम हो जाएगा और जब आयात कम हो जाएगा तो ऐसी चीजें आयात करनी पड़ेगी, जिनकी सहायता से निर्यात को बढ़ावा मिल सकता है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पालिसी को कायम रखने के लिए हमें आयात करना ही पड़ेगा।

एक बात और हमारे प्रस्तावक महोदय ने कही है कि यह विदेशी मुद्रा बचाने के लिए है, मैंने कहा नहीं कंजर्व करने के लिए जरूरी है कि नई टेक्नालाजी को इंपोर्ट किया जाए, नई-नई मशीनें आने से हमें नई-नई बातें पता लगेगी। इस तरह से अप टू डेट जानकारी के लिए जरूरी है कि आयात किया जाए।

* श्री ए० के० बालन (ओट्टापालम) : मैं श्री रामन्ना राय द्वारा पुनः स्थापित संकल्प का समर्थन करता हूं, क्योंकि यह संकल्प सामान्य रूप से देश की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तथा विशेष रूप से केरल की अर्थव्यवस्था से सम्बन्धित है। केरल की अर्थव्यवस्था मुख्यतः नकदी फसलों पर निर्भर

* मलयालम में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

करती है। इन फसलों के मूल्य में उतार-चढ़ाव आने पर यहां की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। और महोदय, मुख्यत: आयात का स्वदेशी उत्पादों के मूल्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। चाहे वह उत्पाद नारियल का तेल हो अथवा गरी, कोको हो या रबड़ अथवा काली मिर्च। मैं समझता हूं इस वर्ष 1978 में जारी खुले सामान्य लाइसेंस के आधार पर नारियल के तेल के आयात की अनुमति दी गई थी। 1978 में ही केरल सरकार ने इसका विरोध किया था और तब लाइसेंस रद्द किए गए थे। तब केन्द्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया था कि अब के बाद से केरल सरकार के साथ परामर्श करके ही आयात की अनुमति दी जायेगी। बताया गया है कि मौजूदा आयात 1978 में केरल को दिए गए आश्वासन के विरुद्ध है। केन्द्र को जल्दबाजी में आयात शुल्क में वृद्धि करनी पड़ी, इससे यह पता चलता है कि यह कदम सही सोच-विचार करके नहीं उठाया गया था।

हाल ही में मुझे मलयालम के एक जाने-माने समाचार पत्र मातृभूमि से कई बातों का पता लगा, जिसमें उन्होंने बताया है कि नारियल के तेल के मूल्य निश्चित रूप से कम होगे।

300 टन नारियल के तेल के आयात से, जिसे औद्योगिक तेल के लेबल से आयात करके एक रूसी जहाज में भरकर सिंगापुर से कोचीन लाया गया था, कोचीन में तेल बाजार पर बहुत बुरा प्रभाव डाला है।

दो दिन पहले नारियल के जिस तेल का मूल्य 1175 रुपये था वह शुक्रवार को गिर कर 1140 रुपये हो गया है।

इस का आयात इंदौर स्थित किसी फर्म के लिए नारियल अम्ल तेल के नाम से किया गया है। अधिशुल्क समेत देय आयात शुल्क 165 रुपये प्रति क्विंटल पड़ेगा जबकि अम्ल तेल पर यह केवल 35/-रु० है।

पिछले साल 1000 क्विंटल नारियल के तेल का आयात किया गया था। इससे अनेक विवाद पैदा हो गये थे। केन्द्र सरकार ने आश्वासन दिया था कि नारियल के तेल का आयात नहीं किया जायेगा। इसके बावजूद नारियल का आयातित तेल औद्योगिक तेल के नाम से नारियल की भूमि पर पहुंच गया है। ऐसी अफवाह है कि यह इन्दौर स्थित फर्म इस आयातित तेल को साबुन अथवा वनस्पति बनाने वाली दूसरी फर्मों को बेच देगी।

"यह नारियल के तेल का सीजन है। कोचीन में प्रतिदिन 25 टन नारियल का तेल बन रहा है।"

यह एक महत्वपूर्ण समाचार है जो 'मातृभूमि' में छपा है। महोदय, आप यह समझेंगे कि यह केरल की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालता है, विशेषकर साधारण जनता पर।

महोदय, पिछले वर्ष जब कोको को आयात करने की अनुमति दी गई थी तो इसके दो कारण बताए गए थे। एक कारण यह बताया गया था कि केरल के कोको में वसा होती है। दूसरा कारण यह था कि केरल मे इतना उत्पादन नहीं होता जो कि आवश्यकता को पूरा कर सके। यह दोनों ही कारण निराधार सिद्ध हो गए हैं। अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति की एजेंसियों ने यह सिद्ध कर दिया है कि हमारा कोका अफ्रीका के सर्वोत्तम कोको के समतुल्य है। हमारा उत्पादन 3400 टन से भी अधिक है जो हमारी वर्तमान जरूरत अर्थात् 1200 टन से अधिक है। और यह उत्पादन हर वर्ष बढ़ता जाएगा। अत: कोको के आयात पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए। यद्यपि हमारी कोको की घरेलू खपत केवल 1200 टन है और हम लगभग 3400 टन कोको का उत्पादन करते हैं,

तथापि सरकार इस मद का आयात कर रही है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार की नीति क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार का दृष्टिकोण क्या है।

पिछले वर्ष सरकार ने विदेशों से 5.40 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर कोको खरीदकर एक करोड़ रुपये का घाटा उठाया था। इस वर्ष हम प्रति किलोग्राम एक रुपया राजसहायता दे रहे हैं। हमने कोको सुखाने वाली मशीनें पहले ही स्थापित कर ली हैं। हम केन्द्र से अनुरोध करते हैं कि वह इन सभी बातों में हमारी वित्तीय सहायता करें तथा कोको के निर्यात का संवर्धन करने के लिए राजसहायता भी दे।

महोदय, प्राकृतिक रबड़ सम्बन्धी आयात नीति के सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहूंगा कि रबड़ का आयात इस ढंग से नियोजित और समन्वित होना चाहिए कि कृषकों को उचित मूल्य मिले जिससे कि उसे रबड़ के बागान का विस्तार और विकास करने के लिए प्रोत्साहन मिले। यह विदेशी मुद्रा की बचत के लिए अनिवार्य है। इसके लिए एकमात्र उपाय है केन्द्रीय सरकार रबड़ का अधिसूचित मूल्य 1500 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित करे।

महोदय, आपको मालूम होगा कि चाय का उद्योग संकट में है। चाय के उद्योग में यह संकट केवल केरल तक ही सीमित नहीं है। दक्षिण भारत में जितने एकड़ भूमि में चाय की खेती होती है उसका 50 प्रतिशत भाग केरल में है, जो कि समस्त भारत में चाय की खेती के अन्तर्गत भूमि का 10 प्रतिशत है।

राज्य सरकार चाय के उद्योग की अधिक सहायता करने की स्थिति में नहीं है। अतः हम निम्नलिखित सुझाव देते हैं:—

(1) इस तथ्य को देखते हुए कि विगत में निर्यात शुल्क के रूप में लगभग 138 करोड़ रुपये वसूल किए गए हैं, निर्यात संवर्धन प्रोत्साहन दिया जाए।

(2) जब तक बाजार की स्थिति सुदृढ़ नहीं हो जाती तब तक के लिए उत्पान शुल्क को समाप्त किया जाए।

(3) फसल परिवर्तन और सहायता योजना लागू की जाए ताकि कम पैदावार और अलाभकारी चाय के क्षेत्रों में रबड़ अथवा अन्य उपयुक्त फसलें उगाई जा सकें।

(4) चाय की खेती अनिवार्यतः एक कृषि कार्य है, अतः उसके लिए ब्याज की दर तथा उर्वरक की कीमत वही हो जो सामान्य खेती के लिए रखी गई हैं।

महोदय, हथकरघा उद्योग में भी संकट है। हथकरघा उद्योग की समस्याओं को पहले ही सरकार के ध्यान में लाया जा चुका है। मैं आपके विचारार्थ निम्नलिखित सुझाव देना चाहता हूं:—

(1) धागा उचित कीमत पर उपलब्ध कराया जाए अथवा कपास सहायता-प्राप्त दरों पर उपलब्ध कराई जाए।

(2) राज्य में 7 नई कताई मिलें शुरू करने के लिए सहायता दी जाए।

(क) 30 दिन से 60 दिन तक की अवधि के लिए छूट (रिबेट) हेतु समतुल्य सहायता,

(ख) केंद्रीय सरकार के विभागों और सरकारी उपक्रमों में कपड़े की आवश्यकता में हथकरघा क्षेत्र के लिए कोटा निर्धारित किया जाए; और

(ग) निर्यात प्रोत्साहन।

(4) आधुनिक प्रदर्शन कक्षों का निर्माण करने के लिए संस्थागत सहायता दी जाए;

(5) निर्धन जुलाहों के आवास के लिए केन्द्रीय राजसहायता दी जाए;

(6) जुलाहों की कल्याण निधि स्थापित करने के लिए समतुल्य सहायता दी जाए।

कृपया अब आप काजू उद्योग के संकट को देखें। सुविख्यात मलायलम समाचार पर 'मातृ-भूमि' में "70 करोड़ रुपये का काजू बिना बिका पड़ा है" शीर्षक से यह समाचार प्रकाशित हुआ है;

अकेले केरल की फैक्टरियों में ही 70 करोड़ रुपये का काजू पड़ा है जो बिका नहीं है। कारण यह है कि परम्परागत खरीददार देश इसकी खरीद नहीं कर रहे हैं।

काजू निर्यात विकास परिषद् के एक प्रवक्ता के अनुसार, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्द्धा के कारण केरल के काजू उद्योग को जोरदार धक्का लगा है।

सोवियत संघ भी जो कि 75% भारतीय काजू खरीदता था, अब इसे खरीदने में हिच-किचा रहा है। यद्यपि उनका भारत के साथ व्यापार समझौता है, तथापि वे सक्रिय रूप से बाजार में प्रवेश नहीं कर रहे हैं।

भारतीय काजू वर्ष-प्रतिवर्ष महंगा होता जा रहा है, इस तथ्य के कारण भी ये खरीददार देश इसे खरीदने से बच रहे हैं।

"1980 में काजू का भाव 40.48 रुपये था जो अगले वर्ष बढ़कर 58.39 रुपये हो गया। यद्यपि इससे काजू का निर्यात घटा है, तथापि भारत ने काजू के निर्यात से अधिक धन अर्जित किया है।"

एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न नारियल-जटा उद्योग के बारे में है। जहां तक इस उद्योग का संबंध है. सरकार की गलत नीति के परिणामस्वरूप ही यह उद्योग आज संकट में है।

'मातृभूमि' ने दिनांक 7 मार्च, 1982 के अपने सम्पादकीय लेख में नारियल-जटा उद्योग की समस्याओं के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणी की:—

"केरल के सम्पूर्ण तटीय क्षेत्रों में भुखमरी की छाया है। हजारों परिवार कष्ट भोग रहे हैं। उन्हें बचाने के लिए सरकार को आपात उपाय करने चाहिए।

अकेले संगठित नारियल-जटा सेक्टर में ही लगभग 1.75 लाख कामगार हैं। इतनी अधिक संख्या में मजदूरों के बेरोजगार हो जाने के क्या परिणाम होंगे, इसका कोई भी अनुमान लगा सकता है। अच्छे समय में भी उन्हें भरपेट खाना नहीं मिलता और अन्य सेक्टरों में दी जा रही मजदूरी की दरों की तुलना में उन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती है। उन्हें महीने में केवल 10 अथवा 15 दिन के लिए काम मिलता है। यदि उन्हें काम से हटा दिया जाए तो उनकी क्या दशा होगी इसका अनुमान हर कोई आसानी से लगा सकता है।

नारियल-जटा उद्योग में जो जड़ता की स्थिति बन गई है उससे न केवल नारियल-उत्पादों के उत्पादन पर बल्कि नारियल के भूसे की खरीद पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। धन की कमी के कारण सहकारी सोसायटियों ने नारियल के भूसे की खरीद लगभग बन्द कर दी है। यदि इस मौसम के दौरान पर्याप्त मात्रा में नारियल का भूसा नहीं खरीदा गया तो वह महीने के बाद नारियल जटा उद्योग को कच्ची सामग्री की कमी की समस्या का सामना करना पड़ेगा और इसके परिणामस्वरूप अत्यधिक बेरोज़गारी फैल जाएगी। संक्षेप में, यह उद्योग इस दुर्दम्य चक्र से निकल नहीं पाएगा।"

केरल राज्य में यह आर्थिक स्थिति व्याप्त है। यही कारण है कि सामान्य चर्चा के दौरान भी अराकल ने बताया था कि केन्द्र केरल राज्य की उपेक्षा कर रहा है वहां आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है; बेरोज़गार बढ़ रहा है; और निर्धनता-रेखा के नीचे के लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। केरल की आर्थिक स्थिति ऐसी है।

सभा के सम्मुख बहुत महत्वपूर्ण संकल्प है और मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि मैंने जो प्रश्न उठाए हैं उन पर वह समुचित विचार करें।

* **श्री ईरा मोहन (कोयम्बटूर)** : माननीय सभापति महोदय, मैं डी० एम० के० की ओर से अपने माननीय मित्र श्रीरमन्नाराय द्वारा प्रस्तुत किए गए संकल्प के संबंध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। अपने संकल्प में श्री राय ने आयात नीति में संशोधन करने की ज़रूरत बताई है ताकि राष्ट्र के हित में विदेशी मुद्रा को बचाया जा सके। मेरे माननीय मित्र ने अत्यधिक उपयुक्त समय पर सभा का ध्यान आकृष्ट किया है जब विदेशी मुद्रा का रक्षित भंडार बहुत तेज़ी से घटता जा रहा है।

दो वर्ष पहले हमारी विदेशी मुद्रा का रक्षित भण्डार 5219 करोड़ रु०था और अब यह घटाकर 1200 करोड़ रुपये रह गया है। हमा रे विदेशी मुद्रा के रक्षित भण्डार में इतनी अधिक गिरावट आने का मुख्य कारण यह है कि वर्ष 1980-81 के दौरान आयात में 38.4 प्रतिशत वृद्धि हुई थी और आयात वर्ष-प्रति-वर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। साथ ही, निर्यात उसी अनुपात में घट गया है।

उदाहरणार्थ, 1980-81 में ब्रिटेन को हमने 427 करोड़ रुपये के माल का निर्यात किया और उस वर्ष के दौरान ब्रिटेन से 825 करोड़ रुपये के माल का आयात किया गया। सही स्थिति यह है कि आयात 825.4 करोड़ रुपये के मूल्य का था जब कि निर्यात 427.76 करोड़ रुपये के मूल्य का यदि यही प्रवृति रही, तो अवश्यभावी परिणाम यह होगा कि हमारा विदेशी मुद्रा रक्षित भण्डार घटता जाएगा।

आयात में वृद्धि कैसे हुई है ? सोडा-राख कोई अत्यधिक प्रौद्योगिकी मद नहीं है। हम सोडा-राख का देश में निर्णिम कर रहे हैं जो समूची मांग को पूरा करेगा। जबकि हमारे पास भण्डार में 80,000 टन सोडा-राख उपलब्ध है, हमने बलगारिया से 60,000 टन सोडा-राख का आयात किया है।

मैं नहीं समझता कि सोडा ऐश के आयातमें किसी खास आर्थिक नीति का सवाल शामिल है। इसी प्रकार विदेशी सहयोग से हम देश में ही उच्च किस्म के इम्मूलेटरों का निर्माण करा रहे है। किन्तु, दुर्भाग्यवश, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने राज्य विद्युत बोर्डों को केवल आयातित इनरलेटर

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

प्रयोग करने का निर्देश दिया है, जैसे कि हमारे इन्सूलेटर बेकार हों, यद्यपि उनका निर्माण उसी देश के सहयोग से किया जाता है जिससे कि अब उन्हें आयात करने का निर्णय लिया गया है। इसके परिणामस्वरूप मद्रास के निकट डब्ल्यू० एस० इन्सूलेटर नामक एक काफी बड़ी यूनिट बन्द हो गई है क्योंकि उनके पास काफी मात्रा में बिना बिका सामान पड़ा है। इसी प्रकार, मानक गुण किस्म के एनोड निर्माण करने के स्वदेशी प्रयासों को प्रोत्साहन दिये बिना ही इन्जीनियरज इण्डिया एनोड आयात करने पर जोर डाल रहा है। आप हतोत्साह करने में ऐसे वातावरण में बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की हानि के अतिरिक्त, देश में औद्योगिक विकास की आशा कैसे कर सकते हैं ?

केवल इसीलिए कि हमने अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था से सहायता प्राप्त की है हमें अवांछित मशीनरी विदेशों से आयात करने की जरूरत नहीं है। किन्तु हमारे देश में यह हो रहा है। अतः अ० वि० सं० ऋण के अन्तर्गत परिष्कृत सयंत्र और मशीनरी की बहुत सी मदें आयात की गई हैं जिन्हें क्षेत्रीय विद्युत बोर्डों में जंग लग रहा है। मैं सुझाव देता हूं कि भारत सरकार को एक समिति का गठन करना चाहिए जो क्षेत्रीय विद्युत बोर्डों का दौरा करे और सरकार को इन क्षेत्रीय विद्युत बोर्डों में बेकार पड़े ऐसे आयातित उपकरणों के मूल्य की रिपोर्ट करे।

चूंकि मैंने अवांछित आयात के काफी उदाहरण दिये हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं आयात के विरुद्ध हूं। हमारा देश एक विकासशील देश है और हमें विकसित देशों के साथ चलते हुए मशीनरी और उपकरणों का आयात करना है। तब ही हम अपने उत्पादन को बढ़ा सकेंगे। तब ही हम औद्योगिक रूप से विकसित हो सकेंगे जिसके परिणामस्वरूप रोजगार के और अधिक अवसर बढ़ेंगे। बिना औद्योगिक आत्मनिर्भरता के हम आत्मसंयोजित अर्थव्यवस्था के बारे में तो सोच ही नहीं सकते। ऐसे औद्योगिक विकास के लिए हमें केवल अत्यावश्यक उपकरणों और मशीनों का ही आयात सुनिश्चित करना चाहिए। उदाहरण के लिए मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र कोयम्बटूर में 105 कपड़ा मिलों में 50-60 वर्ष पुराने सयंत्र और मशीनें हैं। इन कपड़ा मिलों के तत्काल आधुनिकीकरण की आवश्यकता है जिसके बिना हम कपड़े का उत्पादन नहीं बढ़ा सकते। हमें अपना आयात ऐसी मशीनों तक ही सीमित रखना चाहिए।

आयात को घटाने का प्रयास किए बिना हमें आयात की निर्यात से तुलना करनी है। हमें अपने निर्यात को बढ़ाने के तरीकों का पता लगाना है। उदाहरणार्थ, 1980 में भारत विश्व की हल्दी की आवश्यकता का 68% पूरा करता था। 1981 मे यह घट कर 50% रह गया। हमें हल्दी के निर्यात मे इस 18% की गिरावट के कारणों का विश्लेषण करना चाहिए ताकि निर्यात में गिरावट से अत्यावश्यक उपकरणों के आयात पर असर न पड़े। हमारे देश से जो चमड़े का सामान निर्यात होता है उसमें से 60% तमिलनाडु से निर्यात किया जाता है। आज चमड़े के उत्पादों के निर्यात मे भी काफी गिरावट आ गई है। यह सम्भवतः विश्व बाजार में चमड़ा उत्पादों के फैशन के अनुरूप न रहने की असफलता के कारण रहा है। इसी प्रकार, हमारी मुरक विदेशी मुद्रा अर्जन करन वाली चाय के निर्यात के मामले में भी विश्व बाजार में गिरावट आई है। हम देश से करोड़ों रु० का हथकरघे पर बने कपड़े का निर्यात करते थे और जिसमें तमिलनाडु का बड़ा हिस्सा होता था। किन्तु यहां भी हथकरघा वस्त्रों के निर्यात में कमी हुई है। यह भी कपड़ों में हर जगह हो रहे आधुनिक परिवर्तनों के साथ न चलने के कारण हुआ है। यही काफी नहीं है, केन्द्रीय सरकार ने चन्दन की लकड़ी के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया है और तमिलनाडु में चन्दन की लकड़ी में करोड़ों रुपये फसे हुए हैं। मैं यह कहूंगा कि चन्दन की लकड़ी के लट्ठों को कीड़े खा रहे हैं। जब से

निर्यात पर यह प्रतिबन्ध लगा है चन्दन के पेड़ तस्करी हेतु काफी मात्रा में गिराये जा रहे हैं। तमिलनाडु में राज्य सरकार न केवल चन्दन के लट्ठों के इस भारी मात्रा में चोरबाजारी तथा तस्करी के प्रति निर्दयी है अपितु वास्तव में तमिलनाडु राज्य में शासक दल के विवर्धन हेतु असामाजिक तत्वों के साथ मिली हुई है। मैं सुझाव देता हूं कि भारत सरकार को चन्दन निर्यात पर से प्रतिबन्ध हटा लेना चाहिए ताकि राष्ट्र को महत्वपूर्ण बहुमूल्य विदेशी मुद्रा से वंचित न रहना पड़े।

भारत एक प्रायद्वीप देश है तथा तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। हमारे पास काफी लम्बी तट-रेखा है। हमारे पास प्रचुर मात्रा में समुद्री धन है जिसका हम पूरा उपयोग नहीं कर सके हैं। हमारे समुद्र में झींगा और ऐसी ही अन्य उत्कृष्ट वस्तुएं हैं। हमें अपने समुद्री धन द्वारा काफी निर्यात बढ़ाना चाहिए। हम अपने समुद्री धन के निर्यात से करोड़ों रु० की विदेशी मुद्रा कमा सकते हैं। हमें तटवर्ती कस्बों में कोल्ड-स्टोरेज संयंत्र लगाने चाहिएं। हमारे पास मछली पकड़ने के और अधिक पत्तन होने चाहिए। हमारे पास अधिक मछली पकड़ने के लिए और गहरे समुद्र में जाने के लिए मशीनी नौकायें होनी चाहिए। हमें आधुनिक पैकिंग यूनिटों की स्थापना करनी चाहिए ताकि मछलियां खराब न हो सकें।

हम विदेशों से मशीनें आयात कर रहे हैं। इसी प्रकार विदेशों में हमारी मशीनों की मांग भी है। कोयम्बटूर में हमारे पास 300 से अधिक फाऊंडरियां है जिन्हें बहुत से देशों से आर्डर प्राप्त होते हैं। वे आधारभूत सुविधाओं की कमी के कारण इन आर्डरों को निभा नहीं पाती हैं। कच्चे लोहे और कोयले की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। विद्युत की निरन्तर कमी रहती है। भारत सरकार को कच्चा माल और अन्य आधारभूत सुविधायें उपलब्ध करानी चाहिए ताकि इन्जीनियरी माल का निर्यात बढ़ सके। तमिलनाडु से हम मिर्च निर्यात करते हैं और करोड़ों रु० की विदेशी मुद्रा कमाते हैं। पिछले 4 वर्षों में मिर्चों के निर्यात में गिरावट आई है। हम चीनी चाय, इलायची और चमड़े के उत्पादों में निर्यात बाजार खो रहे हैं। हल्दी के निर्यात के मामले में चीन ने हमारा स्थान ले लिया है। निर्यात में गिरावट की इस प्रवृत्ति को तत्काल रोकना चाहिए।

आयात को सीमित करके हम अपने देश के औद्योगिक आधार को सुदृढ़ नहीं कर सकते हैं हम मशीनो के आयात में विदेशी मुद्रा गंवा सकते हैं किन्तु इसकी क्षतिपूर्ति देश से निर्यात की ओर ध्यान देकर की जा सकती है। आयात विदेशी मुद्रा कोष में गिरावट के लिए बहाना नहीं बनाना चाहिए। हम परिष्कृत मशीनों की सहायता के बिना तीव्र रफ्तार से विकास नहीं कर सकते। किन्तु हमे निर्यात पर अधिक जोर देना चाहिए तथा संयंत्रों और मशीनों के आयात के लिए वांछित विदेशी मुद्रा कमानी चाहिए।

इन शब्दों के साथ ही मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं अपने माननीय मित्र श्री एम० रामन्ना राय द्वारा प्रस्तुत किए गए संकल्प के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मैं उन्हें इस मुद्दे को उठाने के लिए धन्यवाद देता हूं जिससे कि हमें अपने देश की आयात-निर्यात नीति के सम्पूर्ण पहलुओं पर चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ है

सदन के लिए यह जरूरी है कि उसे विदेशी व्यापार में होने वाली उन कठिनाइयों की जानकारी हो जिनका हम इस समय सामना कर रहे हैं।

मैं आंकड़ों के जंगल में नहीं जाना चाहता, किन्तु जिस थोड़ी बहुत सूचना का हमेंपता है, हव हमें हमारे देश के प्रत्येक देशभक्त नागरिक को उस बड़ी समस्या तक ल जा सकती है जो आज हमारे राष्ट्र के सामने है।

उपलब्ध नवीनतम अन्तरिम आँकड़ों के अनुसार भारत का सम्पूर्ण निर्यात 1980-81 में 6,700 करोड़ रु० का था जिससे यह पता चलता है कि 1979-80 में 6,458 करोड़ रु० के अन्तिम आंकड़ों पर केवल 4% की वृद्धि हुई है। किन्तु दूसरी ओर, 1980-81 में 12,468 करोड़ रु० का आयात हुआ तथा पिछले वर्ष से यह 38% अधिक था। इस प्रकार निर्यात में केवल 4% की वृद्धि हुई जवकि आयात में 387 की। इस असंगति के परिणामस्वरूप काफी बड़ा अन्तर पड़ गया। भारत के विदेश व्यापार घाटे में 1978-79 में 1,088 करोड़ रु० से 1979-80 में 2,563 करोड़ रु० की तीव्र वृद्धि हुई और यह 1980-81 में बढ़कर 5,757 करोड़ रु० हो गई। अब यह स्वाभाविक होगा कि हम 1981-82 में स्थिति की जानकारी लें। 1981-82 में निर्यात के 7,900 करोड़ रु० को पार कर जाने की सम्भावना है जबकि लक्ष्य 8,400 करोड़ रु० का है। यह आशा है कि 1981-82 में निर्यात में कुछ सुधार होगा। किन्तु मेरे पास उपलब्ध अन्तरिम आंकड़ों से—मेरे पास पूरे आंकड़े नहीं हैं—यह पता चलता है कि 8,400 करोड़ रु० का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका है और न ही होगा। इसलिए विदेश व्यापार में विदेशी मुद्रा का नाला हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में एक चमत्कार बन गया है।

मैं जानता हूं कि सरकार को इसका पता है। मुझे अपने युवा मित्र माननीय मंत्री जी को उद्धरित करते हुए हर्ष हो रहा है जिन्होंने अभी हाल ही में यह मुद्दा राष्ट्र को बताया। यह एक खतरे वाली प्रवृत्ति है। मुझे उन्हें उद्धरित करने की अनुमति दी जाये। मैं उद्धरित करता हूं :—

> "पिछले दो वर्षों में भारत के निर्यात की वृद्धि की दर आयात में वृद्धि की तुलना में काफी कम रही है।"

वह बिल्कुल ठीक कहते हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 1980-81 के दौरान भारत का निर्यात-आयात क्रमशः 6700 करोड़ और 12,484 करोड़ रु० का था तथा इस प्रकार 5775 करोड़ रु० व्यापार अन्तर रहा। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। मैं उन्हें इस प्रश्न को साफ-साफ राष्ट्र के समक्ष रखने के लिए बधाई देता हूं। उन्होंने इसको छिपाया नहीं है जो निस्सन्देह, सरकार कभी-कभी एक अस्त्र के रूप में प्रयोग करती रही है।

ये कटु सत्य माननीय मंत्री द्वारा बताये गए हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि वे वास्तव में जनता का विश्वास प्राप्त करना चाहते हैं। मेरे विचार में यह प्रवृत्ति महत्वपूर्ण है।

प्रश्न यह है कि इस प्रकार का खतरा सामने आने पर—मैं तो इसे खतरा ही कहूंगा, यह खतरा किसी दल विशेष को नहीं है बल्कि राष्ट्र के लिए खतरा है···दूसरी तरफ कोई भी हो, यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है; और अब सरकार निर्यात बढ़ाना चाहती है।

असल में, आज सरकार की आर्थिक नीति में मुख्यतः निर्यात पर जोर दिया जा रहा है : निर्यात करो और जिन्दा रहो; यदि निर्यात नहीं करते तो आप नष्ट हो जाएंगे। निर्यात करो या नष्ट हो जाओगे की इस नीति में कई खतरे निहित हैं। देश पर जो यह निर्यात प्रधान नीति थोपी

गई है इसके परिणाम खतरनाक होंगे और यह घातक सिद्ध होगी। निर्यात बढ़ाने के लिए निर्यातकों को रियायत पर रियायत दी जा रही है। ये निर्यातक स्वाभाविक हैं, बड़े औद्योगिक घरानों के हैं क्योंकि निर्यात में सरकारी क्षेत्र का हिस्सा बहुत ही सीमित है। निर्यात संवर्धन के लिए बड़े औद्योगिक घरानों पर ही अधिकाधिक विश्वास किया जा रहा है। लेकिन उनसे जो आशा थी वे वैसा नहीं कर रहे हैं। मुझे इस बात से कोई शिकायत नहीं है कि आप निर्यात कर रहे हैं। मेरा कहना यह है कि जो रियायतें और सुविधाएं आप निर्यातकों को दे रहे हैं वे आपके ही प्रतिकूल हैं। वे अपना काम नहीं कर रहे हैं। निर्यात बढ़ नहीं रहा है। अन्यथा व्यापार अंतर हर वर्ष कैसे बढ़ जाता है? हमें रियायतों के स्वरूप को समझना चाहिए। वास्तव में कई वित्तीय रियायतों से इनका संबंध नहीं है। जहां तक राष्ट्र का संबंध है यह नीति का कमजोर होना है। उत्पादन को ही लीजिए। अब सरकार ने निर्णय किया है कि निर्यात के लिए किये जाने वाले उत्पादन को किसी भी औद्योगिक उपक्रम की लाइसेंस क्षमता से अलग माना जाएगा। दूसरे, उनके निर्यात निष्पादन के आधार पर, औद्योगिक इकाइयों के विस्तार के लिए प्राप्त आवेदन-पत्रों पर अनुकूल विचार किया जाता है। टंडन पैनल की सिफारिश के अनुसार उन्हें पहले ही स्वतः क्षमता बढ़ाने की अनुज्ञा है। शत प्रतिशत निर्यात यूनिटों को अतिरिक्त सुविधाएं दी गई हैं। एकाधिकार तथा व्यापारिक व्यवहार अधिनियम में संशोधन किया गया है, जिससे कुछ लोगों के हाथ में धन एकत्र होने को रोकने का सरकार का सिद्धान्त ही फीका पड़ा गया है। अधिक दुख इस बात का है कि परिणामस्वरूप औद्योगिक नीति संकल्प भी ढीला पड़ गया है। ये कुछ उदाहरण हैं जो मैंने यह दिखाने के लिए दिये है कि निर्यात बढ़ाने के लिए आपने वित्तीय या कर—रियायतें दी हैं बल्कि राष्ट्रीय नीति को भी कमजोर बनाया है। यदि आप इस वर्ष प्रस्तुत किये गए बजट को देखें, इसमें निर्यात संवर्द्धन के लिए ढेर सारी रियायतें दी गई हैं, उदाहरण के लिए, सरकारी व्यापार संवर्द्धन खर्च में वृद्धि, विदेशी परियोजनाओं और निर्माण कार्यों से अर्जित लाभ में 25 प्रतिशत की कर-छूट देना; अलग-अलग फर्मों के निर्यात को बढ़ाने के लिए लगाई जाने वाली पूंजी के संबंध में कर में छूट, फ्री ट्रेड जोन में यूनिटों को अपने उत्पादन का 25 प्रतिशत स्वदेशी बाजार में बेचने की अनुमति देना।

राजसी होटलों पर लगा शुल्क समाप्त कर दिया गया है। ऐसा लगता है कि आप इतनी रियायतों से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने और रियायतें मांगी और आपने दे दीं। आपने 500 करोड़ रुपये निर्यात—सहायता के रूप में देने का प्रस्ताव किया है। इससे स्पष्ट है कि आपने निर्यात संवर्द्धन के लिए एक के बाद एक रियायत दी है। इसके बावजूद परिणाम उत्साह जनक नहीं है। बल्कि मूल्यों की दृष्टि से देखें तो निर्यात घट रहा है और आयात बढ़ रहा है। वरना इनमें इतना अंतर कैसे होता? हालांकि आप वही पुरानी नीति अपना रहे हैं परन्तु निर्यात संवर्द्धन की इस नीति से वांछित परिणाम नहीं निकले हैं। सबसे अधिक जोर आयात प्रतिस्थापन पर दिया जाना चाहिए। इसके बिना यह समस्या सुलझ नहीं सकती। मुझे सरकार से यह शिकायत है कि उसने आयात प्रतिस्थापन की प्रक्रिया को ढीला छोड़ दिया है। बल्कि इस प्रक्रिया को समाप्त ही किया जा रहा है और आपने इसे समाप्त करने का नीति संबंधी निर्णय किया है। आप तो आयात उदारीकरण की नीति अपना रहे हैं। कुछ उदाहरण देखें। 1978-79 और 1980-81 के बीच खाद्य तेल का आयात 537 करोड़ रुपये से बढ़कर 700 करोड़ रुपये हो गया था।

प्रो० एन० जी० रंगा : इसमें आप कुछ नहीं कर सकते।

श्री चित्त बसु : ठीक है लेकिन अनर्थकारी रास्ता मत अपनाइये। उर्वरक का आयात 472

करोड़ रुपये से 872 करोड़ रुपये हो गया है।

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : आपको इसमें क्या आपत्ति है ? ये रियायतें तो आदान हैं।

श्री चित्त बसु : मुझे आपत्ति यह है कि आपको खाद्य तेल का उत्पादन बढ़ाना चाहिए था। देश में उर्वरक का उत्पादन अधिक होना चाहिए था। ये अनिवार्य आदान हैं। लेकिन न तो आप इन आदानों की उत्पादन क्षमता बढ़ा रहे हैं और न ही अधिष्ठापित क्षमता पूर्ण उपयोग कर रहे हैं। इसलिए, आपके पास अधिकाधिक आयात करने के सिवाय कोई विकल्प नहीं है। और अधिकाधिक आयात करने के परिणाम क्या होंगे, आप जानते हैं मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। अत: आयात प्रतिस्थापन या महत्वपूर्ण क्षेत्रों में देशी उत्पादन-क्षेत्र का विस्तार करने की प्रक्रिया पर उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दूसरी ओर, कुछ अनावश्यक मदों का आयात किया जाता है, जैसे गेहूं। इस वर्ष गेहूं की फसल बहुत अच्छी थी फिर भी 333 करोड़ रुपये के गेहूं का आयात किया गया। आपने अमरीका, ब्राजील, यूरोप, कनाडा और मलाया के बाजारों से खाद्य तेल आयात करने का निर्णय किया है। इस पर 328 करोड़ रुपये खर्च आएगा। हमने इंगलैंड से चीनी ली जिस पर 105 करोड़ रुपये खर्च आया। हमने 71 करोड़ रुपये का सीमेंट आयात किया है। कुल मिलकर यह 840 करोड़ रुपये का बैठता है। इससे बचा जा सकता था। कैसे ? यदि हमने गेहूं का समर्थन मूल्य 150 रुपये प्रति क्विंटल देने की नीति अपनाई होती तो गेहूं का आयात करने की आवश्यकता नहीं होती। यदि हम सीमेंट की उत्पादन क्षमता बढ़ा दें तो इसका भी आयात करने की आवश्यकता नहीं है। और भी कई तरीके हैं। मेरे विचार में, आंतरिक या देशी उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर बल दिया जाना चाहिए।

दूसरी ओर, आपने अधिकाधिक नकद सहायता दी है। मुख्य बात यह है कि 1969 में आयात प्रतिस्थापन केवल 10.4 करोड़ रुपये का था, यह बढ़कर 1970 में 12.3 करोड़ रुपये हो गया और 1971 में 24.2 करोड़ रुपये हो गया था। अत: आयात प्रतिस्थापन बहुत ही कम हुआ है। इस पर आपने निर्यात के लिए अधिकाधिक नकद सहायता दी है। उदाहरण के लिए 1975-76 में यह 136 करोड़ रुपये; 1976-77 में 220 करोड़ रुपये; 1977-78 में 311 करोड़ रुपये, 1978-79 में 381 करोड़ रुपये और 1979-80 में 500 करोड़ रुपये से भी अधिक थी। अत: आयात प्रतिस्थापन की नीति कमजोर पड़ गई है जबकि वर्तमान संकट से छुटकारा पाने के लिए इस पर सबसे अधिक जोर दिया जाना चाहिए था। अब तो सारी नीति आयात-प्रतिस्थापन को समाप्त कर देने की चल रही है और मुझे यह कहते हुए दुख है कि यह विश्व मुद्रा कोष के इशारे पर किया जा रहा है।

मैं विश्व मुद्राकोष के स्टाफ एप्रेज़ल से उद्धत करता हूं :

"1978 के उत्तरार्द्ध में आयात प्रतिबंधों को उदार बनाने के लिए निरंतर कदम उठाये गये थे।"

—मैं यह नहीं कहता—

"उदारीकरण की पराकाष्ठा 1978-79 में हुई थी।"

उन्होंने आगे कहा है :

"दूसरी नीतियों के आवश्यक सम्पूरक होंगे, जिनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को अधिक मजबूत बनाना और स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा कायम करना होगा, जबकि वह उन्नति के लिए और अंततः, भुगतान-शेष के लिए लाभकारी हो।"

सभापति महोदय : क्या आप कहना चाहते हैं कि यह 1978-79 से हो रहा था ?

श्री चित्त बसु : इस संदर्भ में स्टाक एप्रेजल में "प्राधिकारी के कथन पर बल दिया गया है— क्या आप जानते हैं कि यहां पर 'प्राधिकारी' कौन है। यहां भारत सरकार है—

"प्राधिकारी का यह कथन कि 1982-83 और 1983-84 की आयात नीति में आयात को आसान बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम निहित होंगे।"

श्रीमान्, क्या अब यह बात स्पष्ट हो गई ?

सभापति महोदय : मैं तो यह जानना चाहता हूं कि यह बात आपको स्पष्टतः समझ आई है या नहीं।

श्री चित्त बसु : यह तो दिन के प्रकाश की तरह स्पष्ट है। उन्होंने न केवल आयात उदारीकरण की नीति अपनाई है बल्कि विश्व मुद्रा कोष को वचन दिया है कि इसे और उदार बनायेंगे, न केवल चालू वर्ष के लिए बल्कि 1983-84 और 1984-85 के लिए भी, जैसा कि विश्व मुद्रा कोष के कागजात में दर्शित है।

अतः मेरी मुख्य बात यह है कि सरकार आयात उदारीकरण नीति लागू करने के लिए वचनबद्ध है जो घातक है। सरकार की नीति है कि आयात प्रतिस्थापन को समाप्त करके निर्यात पर अधिकाधिक निर्भर रहे इसलिए सारी अर्थव्यवस्था निर्यात के लिए ही कार्य कर रही है। इसलिए, अपने संशोधन में मैंने सुझाव दिया है कि इस नीति को रद्द कर देना चाहिए छोड़ देना चाहिये और तभी सरकार अन्य सुधारात्मक उपाय कर सकेगी, जिससे विद्यमान अन्तर समाप्त हो सकेगा और भविष्य में हमें ऐसे खतरे का सामना नहीं करना पड़ेगा।

श्री शिवराज वी० पाटिल : महोदय, मैं सदन के समक्ष इस प्रस्ताव को लाने के लिये माननीय सदस्य का आभारी हूं। इसके सभी सदस्यों को इस नीति के कई पहलुओं पर विचार-विमर्श करने का अवसर मिल गया है जो आयात एवं निर्यात के बारे में सरकार द्वारा पालन की जा रही है।

यह मामला कुछ ही दिनों में सभा के सामने विचार-विमर्श के लिए आने वाला है जबकि सरकार द्वारा आयात नीति की घोषणा की जायेगी। जो कुछ मैं आज कह रहा हूं इसका उस आयात नीति से कोई संबंध नहीं है जो कुछ दिनों के बाद घोषित की जायेगी। मैं इस समय सरकार द्वारा पालन की जा रही आयात नीति और माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये कुछ मुद्दों तक ही स्वयं को सीमित रखूंगा।

हम आयात क्यों करते हैं ? आयात के बारे में हमारे द्वारा अपनाई गई नीति का क्या आधार है ? इस आयात नीति का आधार आवश्यक उपादान उपलब्ध कराना है। मुझे यह

सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ है। जब श्री चित्त बसु ने उर्वरकों और इस्पात के आयात पर आपत्ति की। ये अत्यावश्यक वस्तुयें हैं.....

श्री चित्त बसु : आप उनका उत्पादन यहां क्यों नहीं करते।

श्री शिवराज वी० पाटिल : ज्यादा से ज्यादा अनाज पैदा करने के लिये हमें देश में ज्यादा मशीनों, उपकरणों और कल पुर्जों की आवश्यकता है। हम यह भूल जाते हैं कि यदि हमारे पास कम उर्वरक होंगे कम इस्पात होगा तो हमारे यहां खाद्यान्न भी कम होगा और अधिक उत्पादन करने के लिए आवश्यक मशीनों, औजारों और उपकरणों की भी कमी रहेगी जिससे हमारे देश में उपभोग के लिये जरूरत होती है।

श्री चित्त बसु : आप इनका उत्पादन अपने ही यहाँ क्यों नहीं करते ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : हम उत्पादन को मजबूत बनाने के लिये ही आयात करते हैं। यह बात ध्यान में रखनी चाहिए। दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं जो बहुत सी वस्तुओं का आयात कर रहे हैं। वे उपभोक्ता वस्तुओं का आयात नहीं कर रहे हैं बल्कि वे कच्चे माल का आयात कर रहे हैं। कच्चे माल का आयात उत्पादन को ही बढ़ाने के लिये आवश्यक है। क्या सदस्य महोदय सरकार से यह कहेंगे कि उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादनों कच्चे माल का आयात न किया जाये।

सौभाग्य से हमारे यहां लौह अयस्क का काफी उत्पादन होता है। लेकिन जापान ऐसा देश है जो लौह अयस्क का आयात करता है। क्या जापान में किसी के लिये भी यह कहना उचित होगा कि वह लौह अयस्क का आयात न करे ! यह एक ऐसी सलाह होगी जिससे देश का भला नहीं हो पायेगा। यही बात हम पर भी लागू होती है। हम उपलब्ध क्षमताओं का पूरा-पूरा उपयोग करने के लिए ही आयात करते हैं। सौभाग्य से हम अपने देश में कुछ उत्पादन क्षमता का विकास करने में सक्षम हो सके हैं। आज हमारे सामने समस्या यह है कि हम उस क्षमता का उपयोग करें और उस क्षमता का उपयोग ज्यादा उत्पादन करने के लिए तभी हो सकता है जब हमारे पास उद्योगों और कारखानों में काम करने के लिये कुशल कर्मचारी हों और अपेक्षित मात्रा में कच्चा माल भी हो। इसी उद्देश्य के लिये हम आयात करते हैं। कुछ उपभोक्ता वस्तुओं का भी आयात किया जा सकता है। परन्तु उपभोक्ता वस्तुओं का आयात करने के बजाय हम कुछ चीजें और कुछ पुर्जे आयात करते हैं। हम उन्हें यहां जोड़ते हैं। हम उस वस्तु का उत्पादन यहां करते हैं। हमें निर्मित वस्तुओं का बाहर से आयात करने की जरूरत नहीं होगी। हम निर्यात को बढ़ावा देने के लिये भी ऐसा करते हैं। इसी सिद्धान्त का हम पालन कर रहे हैं और माननीय सदस्य इस पर आपत्ति कर रहे हैं।

माननीय सदस्य को नकद क्षतिपूर्ति करने पर भी आपत्ति है। वह इस नकद क्षतिपूर्ति को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा हम पर लगाई गई शर्त मानते हैं। ठीक है लेकिन यह बहुत दूर की छोड़ी वाली बात है ? नकद क्षतिपूर्ति के सिद्धान्त की बजट में व्यवस्था की गई है। इसके तत्काल बाद ही आप कहते हैं कि यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कहने पर किया गया है। ऐसा कहना बहुत ही गलत होगा। ऐसी कोई बात नहीं है। बढ़िया तकनीक और आधुनिक मशीनें प्राप्त करने के लिये इन दोनों बातों में कोई परस्पर सम्बन्ध नहीं है। संसार बड़ी तीव्रता से आगे बढ़

रहा है । अपने ही देश में भी बेहतरीन वस्तुओं का उत्पादन करने के लिये यह बहुत आवश्यक है। परन्तु बाहरी संसार में विकसित हो चुकी बेहतरीन तकनीनों का लाभ उठाने तथा इसे आयात करने और इसमें सुधार करने तथा इसका लाभ उठाने के बजाय इसे स्क्रैचों से या कच्चे माल से शुरू करना भारी भूल होगी। यदि आप शुरू से ही प्रारम्भ करना चाहते हैं तो हम संसार में सबसे पिछड़ जायेंगे और हम यह नहीं चाहते। हम संसार के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। हम प्रगति करना चाहते हैं और इसके लिये तकनीक और बेहतरीन मशीनों का आयात अत्यन्त आवश्यक है। हम ऐसा कर भी रहे हैं। कभी-कभी यह जरूरी हो जाता है कि कुछ ऐसी वस्तुओं का आयात किया जाये जो कुछ संतुलन रखने के लिये हमारे लोगों द्वारा उपयोग की जाती हैं। अब यदि चीनी यहां नहीं है और चीनी का उत्पादन पिछली सरकार की गलत नीतियों के कारण कम हुआ है, यदि चीनी के दोहरी मूल्य नीति को छोड़ दिया जाये तो गन्ना पैदा ही नहीं होगा। यदि गन्ना पैदा नहीं हुआ तो चीनी की भी कमी हो जायेगी। यदि चीनी की कमी है तो और लोगों को कठिनाई हो रही है और विश्व बाजार में चीनी सस्ते मूल्य पर उपलब्ध है तो यह अपने देश में चीनी की कमी को दूर करने के लिये इसका आयात करना जरूरी हो जायेगा।

कभी-कभी गेहूं के मूल्य स्तर को नियंत्रित रखने के लिये गेहूं का आयात करना पड़ता है। है। इसका यह अर्थ नहीं है कि हमने गेहूं और गन्ने के उत्पादन में वृद्धि करने का विचार छोड़ दिया है। इस वर्ष का परिणाम सामने है। परिणाम सभी को मालूम है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में चीनी है-यह न केवल पर्याप्त मात्रा में है बल्कि हमारे पास निर्यात के लिये भी बहुत चीनी है। यह स्थिति है। सरकार द्वारा दोहरी मूल्य नीति अपनाये जाने के कारण उत्पादन अधिक हुआ है। अब हमारे पास चावल भी काफी है। चावल अधिक होने के कारण हम चावल का भी निर्यात कर सकते हैं। यही नीति है जिस पर हम चल रहे हैं। इसका यह मतलब नहीं है। कि हम इन चीजों के लिये आयात पर निर्भर हैं। ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। यह हमारा सिद्धांत नहीं है।

हम किस तरह के समान का आयात कर रहे हैं? हम कच्चे माल कल पुर्जों और पूंजीगत वस्तुओं तथा उर्वरकों का आयात कर रहे हैं। हम इस्पात सहित धातुओं का आयात कर रहे हैं। हम सीमेंट और खाद्य तेलों का भी आयात कर रहे हें। यह भी जानना जरूरी है कि इन सभी वस्तुओं का आयात हमारे उत्पादन को बढ़ाने के लिये जरूरी है। अब, कितना पेट्रोलियम उत्पाद अर्थात पेट्रोल, तेल और ल्युब्रीकैंट-हमारे द्वारा आयात किया गया था? 1979-80 में इस मद के आयात का प्रतिशत कुल आयत का 36 था। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि कुल आयात से पेट्रोलियम उत्पादों के आयात का प्रतिशत 36 था। 1980-81 में यह 45 प्रतिशत था। अप्रैल 1980 में यह 41 प्रतिशत था। सितम्बर 1981 में यह प्रतिशत 41 था। यह बहुत ही आवश्यक वस्तु है जिसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। यह एक ऐसी वस्तु है जिसकी हमें अपना कृषि-जन्य उत्पादन बढ़ाने में, बसों और परिवहन के गतिशील रखने में और कारखानों को चालू रखने में आवश्यकता पड़ती है। यह सभी बातें तभी हो सकती हैं जब इस तरह की वस्तुओं का आयात किया जाये। क्या माननीय सदस्य कोई ऐसी सलाह दे सकते हैं कि इस वस्तु का आयात नहीं किया जाना चाहिये। यदि हम इन चीजों का आयात नहीं करते तो हम उत्पादन नहीं कर सकते और यदि हम उत्पादन नहीं कर सकते, तो हम उपभोक्ता वस्तुओं के लिये भी अन्य देशों पर

निर्भर रहेंगे। अब मैं मशीनों और परिवहन उपकरणों का उल्लेख करता हूं। यह प्रतिशत 1979-80 में 15 था। 1980-81 में यह 13 था अप्रैल में यह 15 प्रतिशत था और सितम्बर में यह प्रतिशत 12 था। अब इन लोहा और इस्पात को लीजिये। यह 1979-80 में कुल आयात का 9 प्रतिशत था। 1980-81 में यह 6 प्रतिशत था। अप्रैल में यह 6 प्रतिशत था और सितम्बर में यह 8 प्रतिशत था। अब खाद्य पदार्थों को लें तो यह वह वस्तुयें हैं जो हमने खरीदी हैं और अनेकों माननीय सदस्यों ने गोले और अन्य ऐसी चीजों के आयात पर आपत्ति की है। मैं इस बात की चर्चा बाद में करूंगा। जहां खाद्य-पदार्थों का आयात 1979-80 में कुल आयात का 7 प्रतिशत था। 1980-81 में यह 5 प्रतिशत था। अप्रैल 1980 में यह 8 प्रतिशत था और सितम्बर 1981 में यह 4 प्रतिशत था। अब उर्वरक को लें तो इसका आयात क्रमशः 5 प्रतिशत, 5%, 5% और 5% था। कीमती और अर्ध-कीमती पत्थरों का आयात 4%, 3%, 3% तथा 8% था। 1979-80 में इन सभी 6 वस्तुओं का कुल भाग 76% था। 1980-81 में यह प्रतिशत 77 था। अप्रैल में यह 79% था और सितम्बर में यह 73 प्रतिशत था। अन्य चीजों का भी आयात उत्पादन बढ़ाने और समाज की आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये किया जाता है। ये ही वे वस्तुयें हैं। यदि इन वस्तुओं का आयात इसी तरीके से किया जाता रहा तो, मेरा ख्याल है, यह कहना गलत होगा कि इन वस्तुओं का आयात नहीं किया जाना चाहिये और इन वस्तुओं का आयात करने की आवश्यकता नहीं है।

मैंने आयात की जाने वाली सभी वस्तुओं का उल्लेख न करके कुछ ही चीजों का उल्लेख किया है। और इन सभी वस्तुओं का प्रतिशत भी बता दिया है। मैंने इन वस्तुओं की सूची भी दे दी है जिसमें यह दिखाया गया है कि कुल आयात में 90 प्रतिशत आयात कच्चे माल, पुरजों और पूंजीगत वस्तुओं, पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पादों, उर्वरकों, इस्पात आदि धातुओं, सीमेंट और खाद्य तेलों का है।

इस बारे में जो चीज ध्यान देने की है वह यह है कि हम लोग सौन्दर्य साधन की वस्तुओं, कपड़ों, मोटर कारों, रेफ्रीजिरेटरों, कैसेटों, तथा इसी प्रकार की अन्य विलासित की वस्तुओं या ऐसी वस्तुओं का आयात नहीं कर रहे हैं जिनके बिना भी हम सुखी और आरामदायक जीवन जी सकते हैं। आयातित वस्तुओं का उपभोग हम उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कर रहे हैं।

माननीय सदस्यों ने कुछ आरोप लगाये हैं परंतु उन्होंने ये आरोप पूरे मन न लगाकर अधूरे मन से लगाये हैं। क्योंकि वे अपने दिलों में यह महसूस करते हैं कि जो कुछ भी वह कह रहे हैं उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है और हमसे वह स्वयं भी सन्तुष्ट नहीं हो पायेंगे। उनके द्वारा लगाया गया एक आरोप यह है कि हम बड़ी उदार आयात नीति अपना रहे हैं। हम जिस किस्म की आयात नीति का पालन कर रहे हैं, वह यह है कि हम प्रतिबंधात्मक आयात नीति का पालन नहीं कर रहे हैं और न ही हम उदार नीति का पालन कर रहे हैं। हमारी तो बिल्कुल अलग नीति है; हमारी नीति तो ऐसी है जो हमें सहायता पहुंचा रही है। जहां तक विलासिता की वस्तुओं का सम्बन्ध है हमारा उनके बारे में बहुत प्रतिबंधात्मक दृष्टिकोण है, इसके लिये हमारा दृष्टिकोण बहुत कठोर होगा और इस पर हम बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। जहां तक उपभोक्ता वस्तुओं का सम्बन्ध है, हम इनका आयात केवल उसी हालात में करेंगे जब हम यह देख लेंगे कि यह बहुत आवश्यक है और इसके बिना हमारा काम चल पायेगा। जहां तक मशीनों, इस्पात, उपादानों,

बेहतरीन किस्म की तकनीक का संबंध है, मेरा ख्याल है, कि इन चीजों का आयात हमारे हित में है जो चीजें हमारे देश में उपलब्ध नहीं हैं,और जिन चीजों का हमारे यहां उत्पादन नहीं हो सकता। लम्बी अवधि तक प्रतीक्षा करने और तत्पश्चात उत्पादन करने और इसके बाद विश्व के साथ प्रतिस्पर्धा करने के बजाए यदि हम उन चीजों का आयात करके उत्पादन शुरू करें, उन्हें समाप्त करके नहीं बल्कि आयातित तकनीक में सुधार करके, आयातित मशीनों में सुधार करके तो, वह हमारी अर्थव्यवस्था को सहायता पहुंचाएगी और उससे हमारा विकास होगा। यह एक प्रकार का सिद्धांत है। यह एक प्रकार की ऐसी नीति है जिससे हमारी आयात प्रणाली शासित होती है जिसे हमने पिछले कई वर्षों में विकसित की है।

व्यापार घाटा भी हो रहा है। वे कहते हैं कि व्यापार घाटा एक खतरनाक चीज है। ठीक है, हम व्यापार घाटा नहीं चाहते हैं। व्यापार घाटा कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर हम प्रसन्न हों। हालांकि, व्यापार घाटा होना नहीं चाहिए। यथासंभव, हमें व्यापार-घाटे को कम करना चाहिए। लेकिन व्यापार घाटा क्यों होता है ? व्यापार घाटे के कारणों पर विचार किया जाए। क्या व्यापार घाटा विलासित संबन्धी चीजों के आयात करने से होता है ? व्यापार घाटा उन कतिपय चीजों के आयात के कारण होता है जिनका आयात हमें करना पड़ता है, जिनके बिना हम काम नहीं कर सकते। जब हम उन चीजों का आयात करते हैं तो व्यापार घाटा बढ़ जाता है। पेट्रोलियम पदार्थों, स्वयं पेट्रोलियम, उर्वरक,, सीमेन्ट, इस्पात जैसी चीजें हैं जिनकी हमें आवश्यकता है, और यदि हम उनका आयात नहीं करेंगे तो हमें और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अतः व्यापार-घाटा पेट्रोलियम उत्पादों के आयात करने से होता है।

अभी अभी मैंने आपसे कहा कि कुल आयात की तुलना में पी० ओ० एल० के आयात की प्रतिशतता क्या है। मुझे बताया गया है कि हमारी विदेशी मुद्रा का 70-75 प्रतिशत इसके आयात पर खर्च हो जाता है। यदि यही स्थिति है तो क्या हम किसी को दोष दे सकते हैं ? क्या हम उसके लिए सरकार को दोषी ठहरा सकते हैं ? आप हमसे पूछेंगे कि इस कठिनाई को कैसे दूर किया जाए। यह एक उचित प्रश्न है। इसका उत्तर यह है कि हम अपने देश में ही अधिक मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष पेट्रोलियम पदार्थों के उत्पादन में 5% की वृद्धि हुई है। हमने यही पद्धति अपनाई है। ऐसी बात नहीं है कि पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों का हमेशा बाहर से आयात करना पड़ेगा और उन सभी चीजों का आयात करने के लिए हम मजबूर हैं। ऐसी नीति नहीं है। सरकार अधिक निवेश करने तथा और अधिक पेट्रोलियम उत्पादों का प्रतिस्थापन करने की नीति का पालन कर रही है। सौभाग्यवश सभी स्थानों पर हमें तेल मिला है और हम अधिक तेल का उत्पादन करने में सक्षम रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे जैसे समय बीतेगा और बहुत कम समय के अन्दर हम इस कठिनाई पर काबू पा लेंगे।

सीमेंट का उत्पादन बढ़ रहा है। हम जगह-जगह कारखाने स्थापित करना चाहते हैं।

खाद्य तेल एक ऐसी वस्तु है जिसने कृषकों और वैज्ञानिकों का भी ध्यान आकर्षित किया है। हम तिलहनों की नई-नई किस्मों का विकास करेंगे और हम अधिक मात्रा में खाद्य तेलों का उत्पादन भी करेंगे। वह जरूरी होगा। यदि हम जनता से यह कहें कि तेल का इस्तेमाल न करें

तो यह हमारी तरफ से क्रुरता होगी, अत: ऐसा कहना संभव नहीं है। यदि आवश्यकता हुई तो हम इसका आयात करेंगे। यदि जरूरत नहीं हुई तो हम उसका आयात नहीं करेंगे।

आयात अन्तर में वृद्धि के दो और कारण हैं। एक कारण तो यह है कि शेष दुनिया में मूल्यों में ही वृद्धि हो गई है। शेष दुनिया में मूल्यों में वृद्धि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। विश्व मूल्यों पर नियंत्रण रखने का हमारे पास कोई तंत्र नहीं है। जब विश्व मूल्यों में वृद्धि हो जाती है, तो उसका प्रभाव हम पर भी अवश्य पड़ेगा। यदि हमारा उद्योग बढ़ रहा है तो अधिक आयात करना पड़ेगा।

हमारी विकास दर के बारे में जानकर आपको सुखद आश्चर्य होगा। हम दुनिया को कह सकते हैं कि हमारी विकास-दर 8% है। पिछले दो वर्षों की तुलना में यह विकास-दर माने रखता है। हमने 8% अधिक उत्पादन किया है।

हमारे आयात और निर्यात में अन्तर है। मैंने माननीय सभा के समक्ष इस अन्तर के कारण बताए हैं और इस अन्तर को कम करने के लिए जो प्रणाली हम पालन करेंगे उसके बारे में भी सभा को अवगत किया है। साथ ही साथ, हम और अधिक उत्पादन करना चाहते हैं और हम निर्यात करना भी चाहते हैं जब ऐसा करना संभव होगा और साथ ही साथ हम आयात करने में भी पूरी सावधानी बरतेंगे। यह बात नहीं है कि जो चीजें हमारे पास मौजूद हैं उनका आयात करने में हम असावधानी बरत रहे हैं। यही स्थिति है।

अब मैं कतिपय उन मामलों को लेता हूं जो माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए हैं। एक मामला नारियल के तेल के बारे में है। नारियल के तेल का आयात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से होता है और राज्य व्यापार निगम ने पिछले तीन वर्षों में इसका आयात नहीं किया है। निर्यात उत्पादन के लिए सीमित मात्रा में इसके आयात की अनुमति दी जाती है। 1980-81 में लगभग 30,000 दाशमिक टन आयात किया गया। यह कतिपय निजी कम्पनियों की नीति-व्याख्या पर आधारित है। लेकिन आयात नीति में स्थिति सुधार दी गई है।

यह मामला इस माननीय सभा के समक्ष अनेक बार आया है। कठिनाई यह थी कि नारियल के तेल का आयात एक माध्यम द्वारा किया जाता है और कतिपय निजी कम्पनियां हैं जिनके पास लाइसेंस हैं और उन्होंने आर्डर दे रखा है। उच्चतम न्यायालय में जाकर आयात करने का आदेश ले आए और उच्चतम न्यायालय के आदेश के तहत आयात कर रहे हैं।

उसके पश्चात्, फर्क यह है कि खाद्य तेल राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात किया जाएगा। यही आदेश था। वे कहते हैं कि खाद्य तेल का आयात किया जा सकता है।

लेकिन नारियल को तेल का खाद्य सामग्री तैयार करने और खाने में उपयोग नहीं किया जाता। यदि नारियल के तेल का उपयोग कतिपय अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाएगा तो हम खाद्य तेलों का आयात कर रहे हैं। मामले पर निर्णय हो गया और उन्होंने उच्चतम न्यायालय से आदेश प्राप्त कर लिया है। तेल आ रहा है। त्रुटियों को बाद में दूर कर दिया गया, यह कहते हुए कि खाद्य तेल और किसी अन्य प्रकार के तेल भी राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात किए जाएंगे। अतः, यह कहना गलत होगा कि ऐसी स्थिति के लिए सरकार उत्तरदायी है।

जहां तक रबड़ का संबंध है, देश में इसकी मांग 1.8 लाख दाशमिक टन है। इस समय देश में रबड़ का उत्पादन 1.5 लाख दाशमिक टन है। इस समय, मांग और पूर्ति में अन्तर है। इस

अन्तर को राज्य व्यापार निगम के माध्यम से पूरा किया जाता है। हम उद्योगों को कठिनाई उठाने देना नहीं चाहते हैं। यदि यहां पर्याप्त मात्रा में रबड़ उपलब्ध होगा तो हम उसका निश्चित रूप से उपयोग करेंगे। यदि रबड़ उपलब्ध नहीं होगा तो मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य-गण मुझसे सहमत होंगे कि उद्योगों की गाड़ी चलाये रखने के लिए रबड़ का आयात करना जरूरी होगा।

श्री एस० ए० दोराई सेबस्तियन (करूर) : ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जिनका रबड़ के उत्पादन में उपयोग नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए केरल राज्य में अनेक ऐसे स्थान हैं जहां रबड़ पैदा नहीं किया जाता है। सरकार को उन क्षेत्रों के प्रति अधिक ध्यान देना चाहिए जहां अभी तक रबड़ उगाया नहीं जाता।

श्री शिवराज वी० पाटिल : हम रबड़ का उत्पादन बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से कदम उठाएंगे।

जहां तक कोका का संबंध है, मुझे बताया गया है कि इसका आयात एक एजेंसी द्वारा जुलाई, 1980 से हो रहा है। उस तारीख से अब तक एक मात्र आयात करने वाली एजेन्सी अर्थात् राज्य व्यापार निगम द्वारा केवल 75 दाशमिक टन ही आयात किया गया है। स्थानीय कोका के उपयोग की समस्या जब आई तो मुझे बताया गया कि यह परीक्षण में खरा नहीं उतरेगा। उसे अनुसन्धान संस्थान में भेजा गया और यह कहा गया है कि कोका में अम्लता अधिक है, अत: इसका चाकलेट या ऐसी अन्य चीजों में प्रयोग करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ऐसी रिपोर्टें वैज्ञानिकों द्वारा दी गई हैं। हमें वैज्ञानिकों द्वारा दी गई रिपोर्टों पर विश्वास करना होगा।

श्री एम० रमन्ना राय (कासरगोड) : क्या सरकार को देश में पैदा की गई कोका फसल के बारे में कोई अन्य रिपोर्ट मिली है ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : यदि वे उपलब्ध होंगी, तो हम निश्चित रूप से उनका प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि कोका का उपयोग चाकलेट में करना होगा तो उसकी जांच करनी जरूरी होगी। यदि प्रयोगशाला-जांच से यह पता चलता है कि इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है, क्या हमें वैज्ञानिकों द्वारा दी गई रिपोर्ट अथवा प्रयोगशालाओं में की गई जांच पर भरोसा करना चाहिए अथवा हमें कोका के उत्पादकों के बयानों पर विश्वास करना चाहिए ? ये सारे प्रश्न हमारे समक्ष हैं।

इस समय मैं इतना ही कहूंगा कि यदि जांच करना जरूरी है तो इसकी पुन: जांच की जा सकती है। प्रश्न यह है कि क्या ऐसी स्थिति में हम इसकी अनुमति देंगे ? यह आयात का प्रश्न नहीं है, बल्कि निर्यात का प्रश्न है। जहां तक काजू का सम्बन्ध है, हमारे पास काफी मात्रा में काजू उपलब्ध है। हम इसका निर्यात करने की कोशिश कर रहे हैं। सौभाग्यवश, हम ने इस कठिनाई पर भी काबू पा लिया है। निर्यात की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। हमें काजू के उत्पादकों से पत्र प्राप्त हुए हैं कि वे की गई व्यवस्था से प्रसन्न हैं। हमने आत्मनिर्भरता अथवा आयात प्रतिस्थापन की नीति का परित्याग नहीं किया है। अत:, यह कहना गलत है कि हमने आत्म-निर्भरता अथवा आयात प्रतिस्थापन की नीति छोड़ दी है। हम अब कई क्षेत्रों में आत्म-निर्भर हो गए हैं। यह प्रक्रिया जारी है और हम आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक एवं संभव काम कर रहे हैं।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : उत्साहजनक दृष्टिकोण ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : हम स्वयं अपनी सहायता करते हैं। यह बड़ा सहायक दृष्टिकोण है इसे अवरोधात्मक या हठधर्मी दृष्टिकोण नहीं कह सकते।

श्री जी० एम० बनातवाला : लेकिन केरल को तो सहना पड़ रहा है।

श्री शिवराज वी० पाटिल : महोदय, यह सरकार अविवेकशील नीति का पालन नहीं कर रही। यह तो विवेकपूर्ण, व्यावहारिक, सहायक और लाभदायक तथा दूरदर्शितापूर्ण नीति है।

श्री रवीन्द्र वर्मा (बंबई उत्तर) : इसके बहुत सारे उद्देश्य तो नग्न और क्रूरता छिपाने के लिए हैं।

श्री शिवराज वी० पाटिल : महोदय, मेरे सभी मित्र मझसे सहमत होंगे कि हम कार्य को रोक कर उन्नति और प्रगति नहीं कर सकते। हम संकीर्ण भावना रखकर प्रगति नहीं कर सकते और अदूरदर्शिता की नीति अपना करके भी हम तरक्की नहीं कर सकते तथा समृद्ध नहीं हो सकते। हम तभी प्रगति कर सकते हैं जब हम कड़ी मेहनत करें। यदि हम दूरदर्शितापूर्ण नीति अपनायें और उचित दृष्टिकोण रखें तो मुझे विश्वास है कि हम तरक्की कर सकेंगे सभी सदस्य मुझसे सहमत होंगे कि हम ऐसी ही नीति का पालन कर रहे हैं।

महोदय, मैं यहां आंख मूंदकर किसी का बचाव करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं। मैं इस भावना से यहां खड़ा हुआ हूं कि सभा के समक्ष उस मूल सिद्धांत और नीति को रखूं जिसका सरकार पालन कर रही है। यदि कहीं त्रुटियां हैं और कहीं पर संशोधन अथवा रूपभेद की आवश्यकता है और यदि उससे संबंधित सभी पहलुओं का अध्ययन करने के बाद सरकार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि इसमें रूपभेद की आवश्यकता है तब हम इसके लिए उपाय कर सकते हैं। मैं अनुभव करता हूं कि हम जिस आयात नीति का पालन कर रहे हैं, वह हमारी अर्थव्यवस्था के विकास और हमारे निर्यात के विस्तार में सहायक होगी और किन्हीं कारणों से हमारे यहां जो व्यापारिक असंतुलन है उसे कम कर सकेगी। ऐसा समय अवश्य आयेगा जब हम अपने निर्यात पर गर्व कर सकेंगे और हम आत्म निर्भर हो जायेंगे।

श्री ईरा मोहन (कोयंबटूर) : महोदय, माननीय मंत्री जी ने संदल की लड़की के निर्यात सम्बन्धी कुछ नहीं कहा है।

श्री शिवराज वी० पाटिल : महोदय, मैं बिना जानकारी हासिल किए अभी कुछ नहीं कह सकता लेकिन यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो मैं बाद में इस पर उनसे चर्चा कर सकता हूं।

श्री एम० रामन्ना राय : महोदय, मंत्रीजी का वक्तव्य पूरी तरह विश्वस्त करने वाला नहीं है। हम सरकार की नीति से नहीं लड़ रहे हैं। बात यह है कि उचित नीति को गलत ढंग से लागू किया जा रहा है।

अब नारियल के तेल के बारे में कहा गया है कि एक मामला उच्चतम न्यायालय में ले जाया गया और क्योंकि यह वहां सफल रहा तो उसे 3000 टन नारियल तेल के आयात की अनुमति दे दी गई। अब प्रश्न यह है कि इसके बाद भी उसी पुरानी नीति को जारी रखा जायेगा।

सभापति महोदय : माननीय मंत्री जी ने पहले ही कहा है कि उन्होंने इसमें रूपभेद कर दिया है और त्रुटि को दूर कर दिया है ।

श्री एम० रामन्ना राय : मुझे इसके लिए खुशी है । कोको के बारे में मंत्री जी के उत्तर से हमें विश्वास दिलाया गया है कि केरल और कर्नाटक में पैदा होने वाली कोको-केवल इन्हीं दो राज्यों में कोको पैदा होता है—में खटास है । सक्षम प्राधिकारी के प्रतिवेदन से पता चलता है कि केरल और कर्नाटक में पैदा किए जाने वाले कोको में खटास तत्व अधिक नहीं है । उसमें खटास उचित मात्रा में ही है ।

महोदय, खटास से कोको को महक मिलती है और उपभोक्ता कोको की इस महक को पसन्द करते हैं । अत: केरल और कर्नाटक में पैदा किए गए कोको में खटास का प्रतिशत ठीक ही है । प्रतिवेदन से यही जानकारी मिलती है । मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि वे इस बात का पता लगायें और कोको उत्पादकों को पूरी तरह से आश्वस्त करें कि उसमें खटास है या नहीं । मंत्री महोदय को स्वयं सन्देह हो रहा है और उस सन्देह का लाभ अधिकारी उठा रहे हैं, वे कर्नाटक और केरल में कोको की खेती करने वालों को निरुत्साहित कर रहे हैं और उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं । इसीलिए "कैमको" ने उद्योग मंत्री को एक आवेदन भी दिया है । अब अफवाह यह है कि इस आवेदन को रद्द कर दिया जायेगा । क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होगा इसलिए नहीं कि "कैमको" इस उद्योग को चलाने में अक्षम है परन्तु इसलिए कि सरकारी क्षेत्रों में यह प्रचार किया जा रहा है कि यदि "कैमको" को अनुमति दी गई तो कैडबरी तथा अन्य बड़े एकाधिकार गृहों को हानि होगी । और वे भारतीय कृषकों का शोषण नहीं कर सकते ।

(श्री चन्द्रजीत यादव पीठासीन हुए)

मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि वे मामले की जांच करके आवश्यक कार्यवाही करें । आवेदन उद्योग मन्त्रालय में पड़ा हुआ है मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस आवेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके 'कैमको' को कोको परिष्कृत करने हेतु उद्योग लगाने के लिए लाइसेंस दिया जाये ।

सभी जानते हैं कि भारत में हमारी आवश्यकतानुसार रबड़ का उत्पादन नहीं होता और इसका आयात किया जाता है । मंत्रीजी के अनुसार 50000 टन रबड़ की कमी है और उसका आयात किया जाता है । मेरा प्रश्न यह है कि क्या हम केवल 50000 टन का आयात करते हैं या इससे अधिक आयात होता है । इस बारे में सरकार की क्या नीति है ? यदि सरकार की नीति का उचित रूप से पालन करके उसे क्रियान्वित किया जाता तो ऐसी स्थिति नहीं होती । सरकार की नीति का कार्यान्वियन अधिकारियों द्वारा होता है । सभी तो नहीं लेकिन कुछ अधिकारी पूंजीपतियों और एकाधिकारी कम्पनियों का साथ देते हैं । अधिकारियों के इस दृष्टिकोण के कारण कर्नाटक और केरल में कोको पैदा करने वाले कृषकों, नारियल तेल और रबड़ को नुकसान उठाना पड़ता है । मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि मैंने जो तथ्य सभा के समक्ष रखे हैं उनकी जांच करके वे हमें बतायें कि क्या तथ्य सही हैं और मेरा उनसे अनुरोंध है कि उन कृषकों को बहुत कठिनाई हो रही है वे उनकी सहायता करें ।

श्री शिवराज वी० पाटिल : मैंने जो पहले कहा है उसमें मैं एक संशोधन करना चाहता हूं । पहले मैंने कहा था कि यह मामला उच्चतम न्यायालय में चला गया है लेकिन अब मुझे बताया गया है कि नारियल के तेल का मामला नहीं वल्कि खाद्य तेलों का मामला उच्चतम न्यायालय में

गया है। इसके बारे में स्वयं सरकार के उच्चतम अपीलीय प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया था। अतः इस वाद-विवाद के दौरान मैंने जो उत्तर दिया था, उसमें मैं यह संशोधन करना चाहता हूं।

श्री ए० के० बालन (ओट्टापालम) : महोदय, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं ? हथकरघा उद्योग में ढाई लाख लोग लगे हुए हैं। अब यह उद्योग विशेष रूप से केरल में संकट के कगार में है। मैं मंत्री जी से स्पष्टीकरण चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप हथकरघा वस्तुओं के विदेशों को निर्यात करने के बारे में उचित पग उठायेंगे।

श्री शिवराज वी० पाटिल : मैं इस बात पर बाद में आऊंगा। अभी मैं बात कहता चाहता हूं कि हथकरघा उद्योग के संरक्षण हेतु विभिन्न उपाय किए गए हैं। उत्पाद शुल्क तथा अन्य चीजों के बारे में हथकरघा वस्तुओं को विभिन्न रियायतें दी जाती हैं। हम इन वस्तुओं का विदेशों को निर्यात कर रहे हैं और देश में भी इनकी मांग है। हथकरघा क्षेत्र में कपड़ा उद्योग के लिए इतनी सहायता दी जा रही कि अन्य क्षेत्र यह अनुभव करने लगे हैं कि सब कुछ हथकरघा उद्योग के लिए ही किया जा रहा है और उनके लिए कुछ नहीं हो रहा। यदि सदस्य महोदय कुछ और उपाय करने का सुझाव दें तो मेरा उनसे अनुरोध है कि वे इन सुझावों को मेरे पास भेज दें ताकि उन पर विचार किया जा सके।

सभापति महोदय : श्री रामन्नाराय द्वारा पेश किए गए संकल्प पर दो संशोधन है। एक श्री एम०सी० डागा द्वारा तथा दूसरा श्री चित्त बसु द्वारा पेश किया गया है। श्री डागा सभा में उपस्थित नहीं हैं। अब मैं श्री डागा द्वारा पेश किया गया संशोधन सभा में मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : अब मैं श्री चित्त बसु द्वारा पेश किया गया संशोधन सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : श्री राय, माननीय मंत्री जी के उत्तर को ध्यान में रखते हुए क्या आप अपने संकल्प को सभा में मतदान के लिए रखने पर जोर देंगे अथवा आप इसे वापिस ले रहे हैं। मंत्रीजी ने पहले ही सभी तथ्य सभा के समक्ष रख दिये हैं। सभा में माननीय सदस्यों ने जो भी बातें कही हैं उन पर उन्होंने विचार किया है। उन्हें जो भी कहना था वे अपने उत्तर में कह चुके हैं। अब यदि आप संकल्प वापिस लेना चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं अन्यथा मैं इसे सभा में मतदान के लिए रखूंगा।

श्री शिवराज वी० पाटिल : महोदय, मैंने इस सभा के माननीय सदस्यों को सरकार की नीति की मुख्य-मुख्य बातों से अवगत करा दिया है। जहां तक उनके द्वारा उठाई गई बातों का संबंध है मैंने उन पर ध्यान दिया है मैंने उनके पक्ष या विपक्ष में नहीं कहा है। यदि कोई कार्य किया जाना है तो उसे किया जा सकता है। लेकिन यह बात नहीं है कि चूंकि माननीय सदस्य ने ऐसा करने को कहा है इसलिए बदले में ऐसा किया जाये तथापि उस पर विचार किया जाएगा।

मेरे विचार से यह आवश्यक नहीं है कि वे अपने संकल्प पर जोर दें। मेरा उनसे अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापिस ले लें।

श्री एम० रामन्ना राय : मंत्री जी के उत्तर को देखते हुए कि वह इस प्रश्न पर उदारता-पूर्वक विचार करेंगे, मैं समझता हूं कि इस उदारता को देखते हुए विचार किया जाना सम्भव है—मैं अपना संकल्प वापिस लेता हूं।

सभापति महोदय : क्या संकल्प वापिस लेने के लिए माननीय सदस्य को सभा की अनुमति है ?

कई माननीय सदस्य : जी, हां।

संकल्प सभा की अनुमति से वापस लिया गया

ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की सुविधाओं सम्बन्धी संकल्प

श्री वृद्धि चन्द जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं—"यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह देश के ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेष रूप से रेगिस्तानी और पहाड़ी क्षेत्रों में, पेयजल की सुविधायें प्रदान करने के कार्यक्रमों को शीघ्रता से क्रियान्वित करने हेतु राज्य सरकारों को पर्याप्त वित्तीय सहायता दे।"

सभापति महोदय, मैंने यह प्रस्ताव सारे देश के ग्रामीणों की जो मुख्य समस्या है, पेय-जल की समस्या, पीने के पानी की समस्या, उसके बारे में प्रस्तुत किया है। 35 सालों की स्वतन्त्रता के बाद भी हम पीने के पानी की समस्या का हल नहीं कर सके हैं, यह हमारे लिए एक चिन्तन का विषय है, यह हमारे लिए एक चुनौती है। मनुष्य की सबसे पहली प्राथमिकता है कि उसे हवा मिले और दूसरी प्राथमिकता है—पीने का पानी और पीने के पानी की समस्या को हम हल नहीं कर सके और ग्रामीणों के लिए हम स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था नहीं कर सके, तो यह हमारे लिए शोभा की बात नहीं है। हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना में, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में और तृतीय पंचवर्षीय योजना में इसके लिए जो प्रावधान किये थे, वे बहुत ही अपर्याप्त थे परन्तु चौथ पंचवर्षीय योजना में इस समस्या की गहनता को देखते हुए, इस समस्या की सीरियसनैस को देखते हुए, पर्याप्त राशि की व्यवस्था की और पांचवीं पंचवर्षीय योजना में इसके लिए 400 करोड़ रुपये से अधिक की व्यवस्था की और इस छठी पंचवर्षीय योजना में कोई 2,007 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। छठी पंचवर्षीय योजना में जितने भी समस्याप्रद गांव हैं इस देश में, वहां पर इस समस्या को हल करने के लिए बीड़ा उठाया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस छठी पंचवर्षीय योजना में पीने के पानी की समस्या हल करें और इसके लिए जितनी भी राशि की जरूरत हो, उसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। मैं तो यह समझता हूं कि इसके मुकाबले में और कोई महत्वपूर्ण विषय नहीं हो सकता और इससे ज्यादा किसी और विषय को प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। सिंचाई और बिजली को प्राथमिकता दी जा रही है परन्तु मैं यह समझता हूं कि यह सही होगा कि इस चीज को ज्यादा प्राथमिकता दी जाए और हमारे देश की प्रधान मंत्री ने जो बीस-सूत्री कार्यक्रम अभी प्रस्तुत किया है, उसके सूत्र नं० 8 में

इस बात पर विशेष बल दिया है । पहले भी जैसे 12 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था, उसमें भी इस पीने के पानी की समस्या पर विशेष तौर पर बल दिया गया था ।

हम यूनाइटेड नेशन्स की डाइरेक्शन्स के मुताबिक इन्टरनेशनल सेनीटेशन डिकेड मनाने जा रहे हैं । हमने यूनाइटेड नेशन्स का जो रेजोलूशन है, उसको मान्यता दी है और उस को मान्यता दे कर हम उसके परिपालन का प्रयास कर रहे हैं । इसलिए जब हम ने इस प्रकार का बीड़ा उठाया है, तब हमारा यह फर्ज हो जाता है कि हम इस प्रश्न को हल करने में अपनी पूरी शक्ति लगाएं । इसके लिये जो प्रावधान किये गये हैं वे अपर्याप्त हैं । एक्सीलरेटेड रूरल प्रोग्राम के अन्तर्गत राज्यों को जो राशि विशेष तौर पर दी जाती है, वह अपर्याप्त है, ऐसा मैं समझता हूं । इसके लिए जो मापदण्ड निर्धारित किया गया है, जो क्राइटीरिया फिक्स्ड किया गया है, वह बिल्कुल रीजनेबिल नहीं है और किसी भी तरीके से वह वाजिब नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि इस क्राइटीरिया के मुताबिक केंद्रीय सरकार यह देखती है कि कितने ग्राम ऐसे हैं जो समस्याग्रस्त हैं और फिर उनकी संख्या को देख कर राशि का प्रावधान किया जाता है । इस मापदण्ड को मैं उचित नहीं समझता और इसके कारण हमारे जो रेगिस्तानी क्षेत्र के इलाके हैं, और जो पहाड़ी क्षेत्र के इलाके हैं, उनको बहुत नुकसान हो रहा है और राशि के मामले में उनके साथ बहुत अन्याय होता है ।

हमारा जो राजस्थान प्रान्त है, उसमें 50 परसेंन्ट एरिया डेजर्ट एरिया है रेगिस्तानी एरिया है और हिमाचल प्रदेश में करीब 80 परसेन्ट एरिया हिली एरिया है । इन एरियाज के लिए यह जो फार्मूला है, यह जो क्राइटीरिया है, यह जो मापदण्ड है, यह किसी भी तरीके से उचित नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि डेजर्ट एरियाज की जो स्कीमें होती हैं, वे बहुत ही कास्टली होती हैं, बहुत ही महंगी होती हैं । वहां पर 30-30 मील और 40-40 मील के एरिया में बड़ी मुश्किल से एक पानी का सोर्स मिलता है और उस सोर्स से रीजनल पाइपलाइन के जरिये पानी पहुंचता है । हमारे बाड़मेर नगर में भी 20-20 मील दूर से पीने का पानी आता है । इस प्रकार के क्षेत्रों में पीने का पानी कहीं 20 मील से और कहीं 40 मील से आता है । इन क्षेत्रों में जो रीजनल पाइपलाइन बनती है वह भी बड़ी कास्टली बनती है । इसलिए ये बड़े समस्याग्रस्त गांव हैं जिनके यहां पानी नहीं पहुंचने से लोग मरण करते हैं । हमारे यहां के समस्याप्रद गांवों में 20 से 30 प्रतिशत ज्यादा कास्ट आती है इसलिए उनके साथ अन्याय होता है ।

मैं मांग करूंगा कि आप इन समस्या प्रद गांवों के लिए फार्मूले में परिवर्तन करें । एक्सीलरेटिड रूरल प्रोग्राम में आपको ऐसे गांवों को परखना चाहिए । इन गाँवों की परिस्थितियों को देखते हुए डेजर्ट एरियाज में पानी पहुंचाने में कितना खर्चा आता है इसका हिसाब आपको लगाना चाहिए । कर्नाटक में एक गांव 1,600 रुपये में कवर किया जा सकता है परन्तु हमारे जैसे क्षेत्र के एक गांव में दो से लेकर चार लाख रुपये तक खर्च होते हैं । हमारे यहां का ग्रामीण क्षेत्र इस प्रकार का है कि कोई गांव 25 वर्ग मील पर है और कोई गांव दो वर्गमील में है । एक ऐसा भी गांव है जो 500 स्क्वायर मील में है । इसलिए आपने जो इस प्रकार के नियम बनाये हैं कि 1.6 किलोमीटर से ज्यादा नहीं जाना चाहिये लेकिन मैं कहता हूं कि हमें तो दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह मील दूर जाना पड़ता है । हमारी इस प्रकार से समस्या बनी रहती है ।

अभी आपने छठी पंचवर्षीय योजना में व्यवस्था की है कि कितने ग्रामों को छठी पंचवर्षीय योजना में कवर किया जाए । उसके लिए दौड़ लग रही है । उन गांवों में लग रही है जो कि समस्याग्रस्त नहीं हैं । क्योंकि जो गांव समस्याग्रस्त नहीं हैं उनको कवर करके वे अपने आंकड़े

बढ़ा लेते हैं। कह देते हैं कि हमने तीन हजार, पांच हजार या दस हजार गांव कवर कर लिये हैं। वे ऐसे गांव लेते हैं जो अधिक समस्याग्रस्त नहीं होते हैं, जिनमें पानी 50 से 100 फीट की गहराई पर मिल जाता है। ऐसे गांव लेते हैं जिनको डेढ़ या दो मील की दूरी पर पानी मिल जाता है। इस प्रकार से उनकी संख्या बढ़ जाती है। परन्तु जो हमारे डेजर्ट एरियाज के गांव हैं वे इस से वंचित रहते हैं। इसलिए मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं कि आप समस्याग्रस्त गांवों की तीन कैटेगरीज बनायें—

पहली केटेगरी में सर्वाधिक समस्याग्रस्त गांव हों।

दूसरी केटेगरी में वे गांव हों जो अधिक समस्याग्रस्त हैं।

तीसरी केटेगरी में वे गांव हों जो साधारण समस्याग्रस्त हों।

इस प्रकार की केटेगरी बना कर आप सर्वाधिक समस्याग्रस्त गांवों को प्राथमिकता दें। जिन गांवों में पानी टेंकरों द्वारा पहुंचाया जाता है, ट्रकों द्वारा पहुंचाया जाता है, रेलवे टेंक्स द्वारा पहुंचाया जाता है उन गांवों को प्रतिदिन 1·4 गैलन पानी मिलता है। यह स्थिति है वहां। कभी आपके टैंकरों द्वारा पानी पहुंचता ही नहीं है। कह दिया जाता है कि टेंकर खराब है, मरम्मत के लिए गया हुआ है। इस प्रकार से लोग इतने पानी से भी वंचित हो जाते हैं।

इन गांवों में टेंकरों द्वारा पीने का पानी पहुंचाने में लाखों रुपये खर्च होते हैं। उन गांवों को सर्वाधिक समस्याग्रस्त मानकर प्राथमिकता दें। जिन गांवों को सब्सीडी दी जाती है, उनमें ऐसे गांवों को भी शामिल किया जाना चाहिए। राजस्थान में दो हजार गांव ऐसे हैं। उन गांवों को भी समस्याग्रस्त मानकर उनकी समस्या हल करनी चाहिए।

आपने जो फार्मूला बनाया है, मैं यह कहता हूं कि कि यह 1.6 वर्गमील का या 50 फीट की गहराई का इसमें आप परिवर्तन करें। इस चीज को तो राज्य सरकारें भी कर सकती थीं। केन्द्र सरकार को तो उन गांवों की जिम्मेदारी लेनी चाहिये जहां सौ फुट से अधिक गहराई पर पानी है और ढाई-तीन किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस है। 1.6 किलोमीटर डिस्टेंस और 51-52 फुट गहराई पर जहां पानी उपलब्ध है, ऐसे क्षेत्रों को लेने से संख्या तो अधिक हो सकती है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसलिये सर्वाधिक समस्याप्रद गांवों को पहले लेना आवश्यक है।

राजस्थान प्रांत के बारे में कहना चाहता हूं कि अभी छठी पंच वर्षीय योजना में 108 करोड़ रुपए का पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए प्रावीजन किया गया है, जबकि 358 करोड़ रुपए की डिमांड की गई थी। पूरी धनराशि के बिना समस्या हल नहीं हो सकती। इसलिए अक्सेलरेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए जो 1500 करोड़ रुपया रखा गया है, उसमें से 200 करोड़ रुपया दीजिए। इसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश में भी जहां ज्यादा समस्याप्रद क्षेत्र हैं वहां पर अधिक ध्यान दीजिए तब जाकर छटी पंचवर्षीय योजना में यह व्यवस्था हो सकेगी,

छटी पंचवर्षीय योजना का अध्ययन करने पर पता लगा, पृष्ठ 430 देखिए—भाग-2 :—

राज्य योजनाओं में किए गए वित्तीय उपबन्धों के कारण, पहाड़ी और रेगिस्तानी क्षेत्रों के कतिपय कठिन इलाकों को छोड़कर, जहां कुछ विवशताओं के कारण कार्यक्रम में अधिक समय लग सकता है, उद्देश्य को प्राप्त करना सम्भव होगा।

इससे हमें मालूम होता है कि छठी पंचवर्षीय योजना में कम से कम रेगिस्तानी इलाकों की पीने के पानी की समस्या तो हल नहीं हो सकती। इस स्थिति को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे क्षेत्र अविकसित हैं, हमारी समस्या गंभीर है। हम लगातार इस समस्या से जूझते रहें, अकाल की भी समस्या है, उसके साथ-साथ पीने के पानी की समस्या भी बनी रहे, इसको हम पसंद नहीं करते। इसलिए हम चाहते हैं कि 2700 करोड़ रुपए का प्लान बनाया है, उसे 5000 करोड़ का बनाकर और इरीगेशन, पावर आदि मदों से कटौती करके पीने के पानी की समस्या को हल करना चाहिए। आप राज्य-सरकारों को इस तरह के निर्देश दीजिए कि जो समस्याग्रद गांव हैं, उनको प्रियारिटी बेसिस पर टेकअप करे और इस सीरियस प्राब्लम को हल करे।

इसके अलावा एक बात और कहना चाहता हूं। सेंट्रल गवर्नमेंट असिस्टेंस और बाईलेटरल असिस्टेंस जोधपुर आदि जिलों को दी जाती है, लेकिन जो सबसे ज्यादा समस्याग्रस्त जिले हैं बाड़मेर और जैसलमेर, उनको कोई मदद नहीं दी जाती। डोनर कंट्रीज भी मदद देते हैं, जैसे डेनमार्क, नीदरलैण्ड और जर्मनी इत्यादि, उसका लाभ भी बाड़मेर और जैसलमेर जिलों को नहीं दिया जाता। इसलिए इन जिलों को भी इस प्रकार की सहायता दी जाए।

इस समस्या को हल करने के लिए उन से पैसा लिया जाना चाहिये और इस समस्या को हल करने का प्रयास किया जाना चाहिये। हम चाहते हैं कि इस दिशा में आप कदम उठाएँ।

इस समय जो पीने के पानी की व्यवस्था हुई है वह ट्यूबवैलों से हुई है। लाठीसीरी में पानी निकला है जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में पानी निकला है और काफी अधिक मात्रा में निकला है। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर हम पीने के पानी के लिये इन ट्यूबवैलों पर ही निर्भर करेंगे तो तीस चालीस साल के बाद ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है कि वे सूख जाएँ। कारण यह है कि वहां भयंकर अकाल पड़ता रहता है, वर्षा कम होती है। तब ये ट्यूबवैल भी काम नहीं देंगे। राजस्थान कैनाल डैजर्ट एरियाज को सिंचित कर रही है। मैं समझता हूं कि इस योजना से पीने के पानी की व्यवस्था भी की जानी चाहिये। पशुओं के लिए पीने के पानी की, चारे के लिए पानी की योजना बननी चाहिये। बाड़मैर, जैसलमेर जोधपुर आदि जिलों में लिफ्ट कैनाल की योजना बनाई जानी चाहिये ताकि वहां पानी पहुंचाया जा सके और इस पानी की समस्या का परमानेंट सौल्यूशन खोजा जा सके। राज्य सरकार की कैपेसिटी नहीं है कि वह इस प्रकार की योजनाओं को बना कर उनको कार्यान्वित कर सके। आप राजस्थान कैनाल को ही लें। करीब 25 साल से इसको पूरा करने की कोशिश हो रही है लेकिन वह कम्पलीट नहीं हो सकी है। लिफ्ट कैनाल बनाकर पीने के पानी की व्यवस्था आप को करनी चाहिये। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो तीस साल के बाद फ्यूचर जैनरेशन कहेगी कि हम ने ट्यूबवैलों से पानी की व्यवस्था की थी लेकिन वहाँ से भी पानी मिलना बन्द हो गया है। हमको चाहिये कि राजस्थान कैनाल के जरिये यह व्यवस्था हो। इस वक्त अठारह हजार क्यूसैक्स पानी राजस्थान को मिल रहा है। उसमें से दो हजार क्यूसैक्स पीने का पानी है। यह मनुष्यों के पीने का पानी है। पशुओं के पीने के पानी की भी आपको व्यवस्था करनी चाहिये। ग्रामीण जल प्रदाय योजनाएं बनती हैं लेकिन वे मनुष्यों के लिए ही बनती है। पशुओं के लिए पानी की कोई व्यवस्था नहीं होती है। उनके लिए कोई प्रोविजन नहीं होता है। इसका नतीजा यह होता है कि जो टेल पर गांव होते हैं वे पानी से वंचित रह जातेहैं। पशुओं पर हमारी इकौनौमी डिपेंड करती है, भविष्य डिपेंड करता है, आर्थिक व्यवस्था निर्भर करती है।

इस वास्ते आपको राज्य सरकारों को निर्देश देना चाहिये कि मनुष्यों के साथ-साथ पशुओं के लिए पीने के पानी की व्यवस्था भी वे करें, उनके वास्ते भी योजना बनाएं। ऐसा नहीं होगा तो रेगिस्तानी क्षेत्र कभी भी विकसित नहीं हो सकेंगे, तरक्की नहीं कर सकेंगे। माकूल प्राविजन इस काम के लिए किया जाना चाहिये।

जितनी भी योजनाएं बनी हैं उन के लिए विद्युतीकरण का होना बहुत आवश्यक है। डीजल सेट बहुत महंगे पड़ते हैं। विद्युतीकरण कुछ एरियाज में किया गया है। बाड़मेर जिले में विद्युतीकरण पीने के पानी की स्कीमों के लिए किया गया है, जोधपुर में किया गया है, और डजर्ट एरियाज में पीने के पानी लिए किया गया है। लेकिन आप देखें कि बिजली हम को पूरी तरह से नहीं मिलती है। इसका नतीजा यह होता है कि जो टेल के गांव हैं, वे पानी से वंचित, रह जाते हैं, उनको पानी नहीं मिलता है। इस वास्ते आगमेंटेशन स्कीम के लिये आपको प्राविजन करना चाहिये।

इन स्कीम्स का आगमेंटेशन किया जाय। अगर ऐसा नहीं किया गया तो व्यवस्था ठीक नहीं हो सकेगी और स्कीमें ठीक ढंग से नहीं चल सकेंगी ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे गांव हैं कि गांव में एक जगह पानी पहुंच गया तो सरकार समझती है कि हमने इस गांव को कवर कर दिया।

सभापति महोदय : आधा घंटा आप को बोलते हो गया। कुल 2 घटे का समय है और बहुत से माननीय सदस्य बोलने के इच्छुक हैं, इसलिये आप जल्दी समाप्त करें।

श्री बुद्धि चन्द्र जैन : उन गांवों में अगर एक पाइंट पर पीने का पानी पहुंचता है तो सरकार समझती है कि उसने गांव को कवर कर दिया। गांव तो है 64 स्क्वायर किलो मीटर में और एक जगह अगर पानी पहुंचाया तो ग्रामीण क्षेत्रों में 10 मील तक पीने के पानी के लिए लोगों को आना पड़ता है, जब कि आपने क्राइटीरिया 1.6 किलोमीटर से ऊपर का बनाया है। इसलिये ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक पाइंट दिये जायें। पीने के पानी की विकट समस्या है रेगिस्तानी और पहाड़ी क्षेत्रों के लिये और इसको हल करने के लिये छठी योजना में पूरी व्यवस्था की जानी चाहिये ताकि पीने के पानी की समस्या को हल कर सकें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय (श्री चन्द्रजीत यादव): श्री मूलचन्द डागा ने एक संशोधन पेश किया है, मैं समझता हूं कि सूचना दी हैं। परन्तु वह अनुपस्थित हैं।

श्री राम सिंह यादव (अलवर): मान्यवर, माननीय वृद्धि चन्द्र जैन ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसका हृदय से समर्थन करता हूं और उन्होंने जो पीने के पानी की समस्या के बारे में कहा है, विशेष रूप से उन राज्यों में जहां यह समस्या गम्भीर रूप में है उनमें से देश के बहुत से ऐसे भाग हैं जहां आज तक लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता है। इस पानी के बारे में केवल हिन्दुस्तान जैसे 'डेवलपिंग कन्ट्री में नहीं, बल्कि जो आज विकसित राष्ट्र है उनमें भी आज पानी की समस्या है और सारे विश्व में एक बहुत बड़ी जनसंख्या है जो पानी की हकदार है—हैल्दी और सेफ वाटर की जिसे जरूरत है। पानी का कितना महत्व है इसके बारे में हमारे ग्रन्थों में यह लिखा है शरीर स्वयं ही अपने आप में से जो ५ तत्व हैं उनमें से पानी एक है। बायलाजी ऐक्सपर्ट्स का कहना है कि नौजवान व्यक्तियों में 90 प्रतिशत ऐलीमेंट पानी का है और वृद्धावस्था में भी पानी का ऐलीमेंट

75 परसेंट रहता है। यही नहीं अमरीका जैसे राष्ट्र में एक प्रसिद्ध लेखक ने लिखा है: श्री पीटर ब्रिग्ज ने अपनी पुस्तक वाटर दि वाइटल इस्सेंस में कहा है कि आप बहुत सी वस्तुओं का मूल्य तो बढ़ाकर बता सकते हैं परन्तु जल का मूल्य बढ़ाकर नहीं बता सकते। इससे अंदाज लगा सकते हैं कि डेवलपिंग कन्ट्रीज में भी पानी का कितना महत्व है और मानव जीवन में कितना सर्वोपरि है यह तत्व। यही नहीं उन्होंने आगे लिखा है: शुद्ध जल सबसे बढ़िया उपहार है जो एक आदमी दूसरे को दे सकता है। सबसे अच्छी गिफ्ट है पानी। हमारे यहां भी लोग कहते थे कि पीने के पानी की बावड़ी या कुएं बनाये जायें। पाश्चात्य मुल्कों में भी माना गया है कि सबसे अधिक कीमती गिफ्ट मनुष्य के लिये पानी है।

छठी पंचवर्षीय योजना में कांग्रेस (आई) पार्टी ने अपने मैनिफैस्टो के मुताबिक सबसे पहली बात यह रखी है कि हम पीने का पानी देंगे। कांग्रेस (आई) के 1980 के इलैक्शन मैनिफैस्टो में कहा गया है कि 1990 तक जितने भी गांवों में पीने के पानी की समस्या है, हमारी पार्टी प्रत्येक गांव की इस समस्या को हल करेगी।

आप को और इस सदन को यह जानकर खुशी होगी कि राष्ट्र की नेता और हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने 20 सूत्री कार्यक्रम में सबसे पहले प्रमुख बल इस पीने के पानी की समस्या के समाधान की ओर दिया है, यही कारण है कि छठी पंचवर्षीय योजना में हमने यह आशा की है.....

सभापति महोदय आप अपना भाषण अगले दिन जारी रख सकते हैं।

बजट (सामान्य) 1982-83 सामान्य चर्चा जारी

सभापति महोदय : अब हम सामान्य बजट पर सामान्य चर्चा आरम्भ करते हैं। उप वित्त मन्त्री।

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी): श्रीमन् मैंने विपक्ष की ओर से तथा इस ओर से भी हुए भाषणों को ध्यानपूर्वक सुना है। और माननीय सदस्यों द्वारा उठायी गई कुछेक बातों को नोट किया है। जैसा आप जानते हैं, कि केन्द्रीय बजट तैयार करना एक कठिन काम है। बजट तैयार करते समय वित्त मन्त्री के समक्ष जो कार्य था वह संसाधन जुटाने और मुद्रास्फीति को रोकने का था। उन्हें इस राष्ट्र के विकास और इसकी सुरक्षा के लिए संसाधन जुटाने थे। साथ ही उन्हें मुद्रा स्फीतिमूलक प्रवृत्तियों के बारे में भी सर्तकता बर्तनी थी। इस पृष्ठभूमि में उन्होंने केन्द्रीय बजट तैयार किया। यह बहुत कठिन काम था। भारत सरकार के वित्त मन्त्री की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? इस बजट के बारे में मैं यह कहूंगा कि यह एक मेधावी व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया शानदार बजट है। यह एक सर्वोत्तम बजट है जो इस देश के मेधावी वित्त मन्त्री द्वारा तैयार किया गया है। कुछ विरोधी दल के सदस्य कहेंगे कि मैं चाटुकारिता कर रहा हूं।

सभापति महोदय : आप ऐसा क्यों मानते हैं। यह बात कोई नहीं कर रहा है।

श्री जनार्दन पुजारी : प्रारम्भ में मैं कहूंगा कि राष्ट्र के समक्ष यह बजट प्रस्तुत किया गया है। राष्ट्र की और विरोधी दलों की तथा जनसाधारण की इस पर क्या प्रतिक्रिया है? मुझे यह सभी प्रतिक्रियाएं सभा के समक्ष रखनी हैं। सबसे पहले मैं विपक्ष की टिप्पणियों को लूंगा। यह

कहा गया है कि यह एक जन-विरोधी बजट है और यह मुद्रा स्फीतिमूलक है तथा श्रम विरोधी है। आज यह कहा गया है कि यह बजट एक पंगु सरकार द्वारा तैयार किया गया है। हमारे सामने समाचारपत्रों और जनसाधारण की भी टिप्पणियां हैं। मैं डकन हेराल्ड का उल्लेख करता हूं। यह हमारा पत्र नहीं है। यह सरकार का मुख-पत्र नहीं है। इसमें कहा गया है :

"विकास के लिए एक बजट

वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी ने अपने पहले बजट में उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहनों पर ठीक ही बल दिया है। उनका घोषित उद्देश्य पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों, इस्पात, उर्वरक और अन्य वस्तुओं का, जो हमारे कुल आयात का 60 प्रतिशत हैं, देश में उत्पादन बढ़ाना है। यदि उत्पादकता और उत्पादन के वास्तविक स्तर प्राप्त कर लिये जाते हैं तो भुगतान संतुलन की स्थिति में काफी सुधार हो जायेगा। यह स्थिति पिछले एक वर्ष में बहुत खराब हो गई है।"

फाईनेंनशियल एक्सप्रेस ने भी अपने एक लेख में कहा है :

"केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी अपने पहले बजट के लिए बधाई के पात्र हैं। इस बजट का सभी ने स्वागत किया है। अर्थशास्त्री, उद्योगपति और जनसाधारण के इसके सम्बन्ध में अपने-अपने विचार हैं। एक ओर तो उन्होंने वेतनभोगी करदाताओं को कुछ राहत पहुंचायी है और दूसरी ओर उन्होंने कम तथा मध्यम आय वाले लोगों के उपभोग में आने वाली वस्तुओं पर कर नहीं लगाये हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : आप अन्य चीजों के बारे में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं उनके बारे में भी पढ़ूंगा। जनसाधारण की भावनाओं के बारे में मैं टाइम्स आफ इण्डिया के एक मूल्यांकन का उल्लेख करूंगा। बजट प्रस्तावों के सम्बन्ध में सबसे बढ़िया बात गृहणियां भी कह सकती हैं उनकी राय क्या है :

"जैसे ही बजट का समाचार मिला तो जनसाधारण ने और विशेष रूप से गृहणियों ने भी एक चैन की सांस ली। गृहणियां पिछले कई वर्षों से अपने बजट को संतुलित करने की कोशिश कर रहीं हैं। इस बात पर विश्वास नहीं होता कि उन्हें अब टुथपेस्ट, साबुन, चाय, काफी या चीनी जैसी आवश्यक वस्तुओं पर अधिक कर नहीं देना होगा।"

मेरा कहना यह है कि बजट के बारे में आम आदमी की राय यह है;

परन्तु वित्त मन्त्री का यह बजट एक संतुलित बजट है और उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उन्होंने आम आदमी पर कर नहीं लगाया है। उन्होंने किसी भी आवश्यक वस्तु पर कर नहीं लगाया है। वित्त मन्त्री ने गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों पर भी कर नहीं लगाया है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने इन लोगों को कुछ रियायतें दी हैं, जैसे पेंसिल, रबड़, पंखे, मोमबत्तियां जैसी वस्तुओं पर उत्पाद-शुल्क में छूट दी गई है और पेंशनभोगियों की पेंशन को बढ़ाकर 150 रुपये प्रतिमास कर दिया है और इसी प्रकार उन्होंने विकलांग लोगों को भी कुछ रियायत दी है। उन्होंने खाद्य तथा सब्जी से बनी हुई वस्तुओं पर भी रियायत दी है और सस्ती किस्म के जूतों पर भी रियायतें दी हैं। इस बजट का आम आदमी पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ रहा है बल्कि

उसे कुछ फायदे हुए हैं । यह फायदे मध्यम वग के लोगों को भी दिये गये हैं । इसलिये मैं इसे एक सूझबूझपूर्ण बजट कहूंगा । यदि आप योजना परिव्यय और बचत के भाग को देखें तो हम कहेंगे कि यह एक उत्पादनोन्मुख बजट है और इसमें बचत को प्रधानता दी गई है । मैं योजना परिव्यय और सरकारी क्षेत्र आदि के कार्यकरण के बारे में कुछ कहना चाहूंगा ।

1982-83 के बजट में केन्द्रीय क्षेत्र में 11 हजार करोड़ रुपये के योजना परिव्यय की गई व्यवस्था की है । यह केन्द्रीय क्षेत्र के लिये छठी योजना के कुल परिव्यय का 23.28 प्रतिशत है। 1981-82 के योजना परिव्यय छठी योजना के परिव्यय का 18.24 प्रतिशत है ।

1982-83 में केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के लिये जो धनराशि नियत की जाती है वह चालू वर्ष के अनुपात की तुलना में काफी अधिक होगी।

1982-83 के लिये केन्द्रीय क्षेत्र की योजना का परिव्यय 1981-82 के परिव्यय से 27.63 प्रतिशत अधिक होगा जबकि 1981-82 में यह वृद्धि 1980-81 की तुलना में 17.43 प्रतिशत थी। इस प्रकार 1982-83 के केन्द्रीय क्षेत्र की योजना में काफी वृद्धि होगी ।

इन दोनों सूचकांकों से यह बात निःसन्देह रूप से सिद्ध हो जाती है कि सरकार विभिन्न विकास कार्यक्रमों की क्रियान्विति को बढ़ावा देने को उच्च प्राथमिकता देती है । माननीय सदस्य इस मामले में मेरे इस कथन से सहमत होंगे कि यह कोई सरल कार्य नहीं था जिसे कि उस समय सम्पन्न करने का प्रयत्न किया गया था जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक अभिवचनों में भी बहुत अधिक वृद्धि हो गई है ।

श्रीमान, प्रायः यह चिन्ता व्यक्त की जाती है कि सरकारी उपक्रम ठीक तरह से नहीं चल रहे हैं । मैं यह मानता हूं कि इन संगठनों की कार्यक्षमता में सुधार की गुंजाइश है और मैं सदस्यों को आश्वासन दे सकता हूं कि 1982-83 के वर्ष में, जिसे 'उत्पादकता वर्ष' का नाम दिया गया है, सरकार इन उपक्रमों में उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने में कोई कसर नहीं रखेगी । उसके साथ ही इस अवसर पर वास्तविक तथ्य बताना भी मेरा कर्त्तव्य है । 1982-83 के दौरान केन्द्रीय सरकार के उपक्रम आंतरिक तथा बजट से बाहर के संसाधनों से 3657 करोड़ रुपए केन्द्रीय क्षेत्र के योजना परिव्यय पर लगायेंगे । यह राशि उस वर्ष के केन्द्रीय योजना क्षेत्र के कुल परिव्यय का 33.25% या एक तिहाई बैठती है । (व्यवधान) मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य मेरी इस बात से सहमत होंगे कि इससे उन उपक्रमों की बढ़ती हुई शक्ति और लाभप्रदता सिद्ध होती है ।

भौतिक कार्य निष्पादन में जो स्थिति संभली हुई दिखाई देती है वह उपक्रमों की समग्र हानि के वित्तीय पहलू से भी परिलक्षित होती है। 1980-81 में हानि 182 करोड़ रुपए थी । सरकार द्वारा किये गये निरन्तर प्रयत्न अब फल देने लगे हैं । हमने हानि की स्थिति समाप्त कर दी है । हमारे सरकारी उपक्रमों संबन्धी वर्तमान अनुमानों के अनुसार वर्ष के प्रथम नौ महीनों में हमें 134 करोड़ रुपए का लाभ होने की आशा है । (व्यवधान)

केन्द्र तथा संघ राज्य क्षेत्र के लिए] 1982-83 का कुल योजना परिव्यय 21,137 करोड़ रुपया होगा जोकि 1981-82 के परिव्यय से 21 प्रतिशत अधिक है । योजना में ऊर्जा क्षेत्र के लिए 1,893 करोड़ रुपए, उद्योग और खनिज क्षेत्र के लिए 378 करोड़ रुपए तथा परिवहन क्षेत्र के लिए 257 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है । उसके साथ ही कृषि क्षेत्र के लिए 154 करोड़ रुपए ग्रामीण विकास के लिए 139 करोड़ रुपए, सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण के लिए 311 करोड़ रुपए तथा

सामाजिक सेवाओं के लिये जिनमें जल-पूर्ति, सफाई, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण, परिवार कल्याण तथा स्वास्थ्य सेवाएं सम्मिलित हैं, 444 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। इस प्रकार इससे स्पष्ट है कि योजना के आकार तथा अंतर-क्षेत्रीय आंकड़ों का निर्णय लेते समय, मुख्य क्षेत्र के विकास का बढ़ावा देने पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है तथा उसके साथ ही समाज के कमजोर वर्गों के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है।

श्रीमान, किये गये व्यय अर्थात सरकारी राजस्व के व्यय किये जाने के बारे में भी मैं एक बात कहना चाहता हूं। कहा गया है कि सरकारी राजस्व बिना उचित विचार किये व्यय किया जाता है। इसका उत्तर यह है।

यह एक गलत धारणा है कि सरकार कर बढ़ाती रहती है तथा अधिकारी तंत्र का विस्तार करने तथा उसे अधिकाधिक सुविधाएं देने के लिए एक के बाद दूसरे वर्ष अधिक वसूली करती जाती है। वास्तव में सरकार वसूल किये गये प्रत्येक रुपए का 58 प्रतिशत विकास कार्यों पर व्यय करती है, जिसमें न केवल इस्पात और उर्वरक संयंत्रों की स्थापना, सिंचाई की तथा सैकड़ों अन्य परियोजनाएं सम्मिलित हैं, अपितु कुछ मूलभूत सुविधाएं जैसे पीने का पानी, स्कूलों, अस्पतालों, वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा खोजों के लिए संस्थाओं के भवनों का निर्माण कार्य भी सम्मिलित है। लगभग 38 पैसे गैर-विकास कार्यों पर व्यय होते हैं, जिनमें से 17 पैसे रक्षा पर और 13 पैसे सरकारी ऋणों पर ब्याज की गई अदायगी पर चले जाते हैं। केवल 18 पैसे अन्य विकासेत्तर कार्यों पर लगते हैं जिनमें परियोजनाओं तथा पहली अवधि में पूरे किये गये कार्यों की देखभाल भी सम्मिलित है।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : रक्षा भी विकास कार्य है।

श्री जनार्दन पुजारी : जी, हां। उसका एक भाग अनाज, उर्वरकों तथा निर्यात के लिए राज-सहायता में चला जाता है। शेष 4 पैसे राज्यों तथा संघ राज्य-क्षेत्रों के लिए संविधान तथा अन्य अन्तरणों के लिए निर्धारित हैं। अतः इससे पता चलता है कि सरकार द्वारा एकत्र राजस्व का बड़ा भाग उत्पादक पूंजी पर लगता है जिससे राष्ट्रीय आय तथा आम लोगों की रोजगार की आवश्यकताएं पूरी होती हैं।

श्रीमान, इसकी आलोचना हुई है। बजट पर विस्फोट आक्रमण किया गया है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि विपक्ष ने यह तर्क दिया है कि इस बजट से मुद्रास्फीति बढ़ेगी, इससे मुद्रा-स्फीति रुकेगी नहीं और उसी तरह के अन्य अनेक तर्क विपक्ष ने दिये हैं। मेरा कहना है कि विरोध करना विपक्ष का जन्मसिद्ध अधिकार है। हम इससे इनकार नहीं करते, परन्तु उसके साथ ही विपक्ष को रचनात्मक होना चाहिए।

श्रीमान, मैंने प्रो० रंगा का भाषण सुना था जोकि उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर दिया है। उस समय उन्होंने न केवल विपक्षी पार्टियों को अपितु हमारी अपनी पार्टी के लोगों को भी कुछ सलाह दी थी।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : परन्तु जब वह स्वयं विपक्ष में थे तब वह उस सलाह पर नहीं चले थे।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : वह सदा रचनात्मक बात कहते थे।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं अब विपक्ष के सदस्यों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या उन्होंने बजट का विरोध ईमानदारी से किया है ? क्या वे अपने दिल पर हाथ रखकर कह सकते हैं कि यह बजट जन-विरोधी है ? क्या वे ऐसा कह सकते हैं ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : हां, हम कह सकते हैं।

श्री समर मुकर्जी (हावड़ा) : हमने कहा है।

श्री जनार्दन पुजारी : मेरा निवेदन है कि वे ऐसा नहीं कहेंगे। वे केवल ऊपर से कह रहे हैं। क्योंकि उन्होंने विरोध करना है इसलिये वे सोचते हैं कि सत्तारूढ़ सरकार के प्रति उनका यही रवैया होना चाहिये कि विरोध किया जाये, और यदि वे विरोध नहीं करते तो वे अपने कर्त्तव्य से विहीन रहेंगे। परन्तु मैं उनसे यह निवेदन करूंगा कि राष्ट्र के हित में जब बजट रचनात्मक हो, संतुलित हो, तो यह राष्ट्र का एवं विपक्षी दलों का भी कर्त्तव्य हो जाता है कि वे यह बात कहें कि यह बजट इस देश के लोगों के हित के लिए है। मैं विपक्ष के रवैये के बारे में एक बात कह सकता हूं। वे यह समझते हैं कि जनता को यह बताना कि सरकार उनके प्रतिनिधि के रूप में ठीक कार्य नहीं कर रही, तथा सरकार जनता की शत्रु है, उनका कर्त्तव्य है। इतना ही नहीं···

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : शत-प्रतिशत।

श्री जनार्दन पुजारी : वे सोचते हैं कि सरकार की नीतियों का विरोध अवश्य किया जाना चाहिए।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : डा० स्वामी, आप शत-प्रतिशत गलत कह रहे हैं।

श्री जनार्दन पुजारी : हमने देखा है कि विपक्ष के कुछ सदस्यों का मूल रवैया यह होता है कि सरकार की नीतियों का तीव्र विरोध किया जाये तथा उनके कार्य में बाधाएं पैदा की जायें। मेरा निवेदन है कि यदि देश में यह रवैया चलता रहा, यदि आप सभी बातों का विरोध करते रहे तो कहीं निस्तार नहीं मिलेगा। देश की जनता इस निर्णय पर पहुंचेगी कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें राष्ट्र के हित की परवाह नहीं है।

1980 के चुनाव से हमने सबक लिया। मैं नहीं जानता कि क्या विपक्ष ने भी उससे कुछ सीखा है या नहीं। जब प्रतिनिधि जनता के समर्थन का दुरुपयोग करते हैं, तब जनता उसे सहन नहीं करेगी। जनता के विरोध की भी कोई सीमा है। उनकी सहन शक्ति की भी एक सीमा है। उसे उन्होंने दर्शा दिया है। लोकतंत्रीय मूल्यों में उन्होंने अपना विश्वास प्रकट कर दिया है। आज क्या हो रहा है···

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आपातस्थिति की घोषणा न करें।

श्री जनार्दन पुजारी : हमने ऐसा कहीं नहीं कहा। मैं इस पहलू को भी लूंगा।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : उन्होंने आश्वासन दिया है कि वे आपात स्थिति लागू नहीं करेंगे।

श्री जनार्दन पुजारी : हम उस बात को भी लेंगे।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : इस समय के लिए।

श्री जनार्दन पुजारी : विपक्ष का यह कहना है कि यदि सरकार को यह दृष्टिकोण जारी रहा तो देश की अर्थ-व्यवस्था नष्ट-भ्रष्ट हो जायेगी। इस समय मैं कह सकता हूं कि यदि आपका यही रवैया बना रहा तो हमें भी उसका राजनीतिक उत्तर देना होगा। जनता शासन के दौरान

क्या हुआ ? यह हमने देखा है । जनता शासन में वे लोग देश की अर्थ-व्यवस्था को घरातल में ले गये । तब कोयले, बिजली, डीजल, मिट्टी के तेल की कमी थी । ये वस्तुएं देश की अर्थ-व्यवस्था के लिए महत्त्वपूर्ण हैं । लाखों लोगों को, विशेषत: उत्तर भारत में, अंधेरे में रहना पड़ा । यह हमने देखा है ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : यह पुरानी बातें दोहरायी जा रही हैं ।

श्री जनार्दन पुजारी : नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है ।

आप देखें कि हम किस प्रकार आपके राजनीतिक तर्कों का उत्तर देते हैं । उस समय देश एक पतवार विहीन पोत की तरह चल रहा था । उस समय यही स्थिति थी । हमने अर्थ-व्यवस्था को स्वस्थ बनाया है । हमने देश को दिशा दी है । उस समय दिशा की कोई समझ ही नहीं थी । तब उपलब्धि का कोई प्रश्न ही नहीं था क्योंकि कोई दिशा निर्देश देने वाला ही नहीं था । अब उचित निर्देश मिल रहे हैं हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं । जैसा कि प्रधान मंत्री ने बताया हम पीछे नहीं हट रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं.....

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : केवल आपके दिमाग पीछे हैं ।

सभापति महोदय : कृपया ऐसा न कहें ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या आप अधिनायकवाद की ओर आगे बढ़ रहे हैं अथवा पीछे जा रहे हैं ?

श्री जनार्दन पुजारी : जो कुछ भी हो, यह आपका विचार है । हम आपके विचार को भी महत्त्व देंगे । हमें उस बारे में कोई विद्वेष नहीं है । मेरा निवेदन है कि जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सम्बन्ध है आपने कहा था कि उनका इसमें हाथ है । हमने यह बात सुनी है । अत: जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सम्बन्ध है विपक्ष के सदस्यों का कहना था, विशेष रूप से तब जब कि भारत सरकार ने ऋण के लिए आवेदन पत्र दिया था कि यह अमरीका के हाथों बिकना है और उन्होंने यह कहते हुए शोर मचाया कि यह बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का बिकना है । अब जहाँ तक भारत के बाहर की शक्तियों का सम्बन्ध है, किस कोने से विरोध हुआ है यह हमने देख लिया है ? जहाँ तक भारत का सम्बन्ध है विरोध विपक्ष की ओर से हुआ है, विरोध अमरीका की ओर से हुआ है ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : अमरीका के, विपक्ष के (व्यवधान)

श्री जनार्दन पुजारी : मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं । मैंने आपके भाषाण में हस्तक्षेप नहीं किया, बाधा नहीं डाली ।

भारत के बाहर 20 राष्ट्रों ने हमारा समर्थन किया है । फिर भी अमरीका ने हमारे मत का समर्थन नहीं किया है । हमारे देश के भीतर क्या हुआ है ? विपक्ष ने हमारे तर्क का, हमारे दावे का समर्थन नहीं किया ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : अत: आपका यह कहना है कि अमरीका विपक्ष का साथ दे रहा है ।

श्री जनार्दन पुजारी : नहीं, नहीं । यह मात्र अनुमान है । अब आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि क्या हमारे विपक्षी दलों पर वाशिंगटन का प्रभाव है या नहीं । मैं ऐसा नहीं कहता यह आपके

कहने की बात है। अब विपक्ष के लोगों ने कहा है। जहां तक आपके रवैये का सम्बन्ध है, मैंने इसे विशेष तौर से देखा है। मैंने आपके तर्क देखें हैं, मैंने संसद के अन्दर और बाहर विपक्ष के लोगों के बयान देखे हैं। उन्होंने क्या कहा है ? उन्होंने कहा है कि बजट तैयार करने के पीछे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष का हाथ है। यह स्पष्ट तर्क है जो उन्होंने संसद के अन्दर तथा बाहर दिया है। मुझे उत्तर देने की जरूरत नहीं है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : (बम्बई उत्तर पूर्व) लेकिन हर व्यक्ति द्वारा नहीं।

श्री जनार्दन पुजारी : निस्संदेह, कुछ अपवाद हैं।

सभापति महोदय : मेरे विचार में आपने अपना राजनैतिक उत्तर भी दे दिया है। आज सभा का समय एक घण्टा बढ़ाया गया है। सामान्य बजट पर सामान्य चर्चा में कुछ और सदस्य भाग ले सकते हैं। मैं चाहूंगा कि अन्य सदस्य भी अपनी बात संक्षेप से कहें। मैं चाहूंगा कि श्री पुजारी अब अपना भाषण समाप्त करें।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : मन्त्री महोदय द्वारा ये तो आरोप लगाये गये हैं, तर्क नहीं दिये गये।

सभापति महोदय : कृपया राजनीतिक उत्तर सुनें। आप उन्हें उत्तेजित क्यों करते हैं ?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : हम तर्क चाहते हैं।

श्री जनार्दन पुजारी : (उत्तर टाइम्स आफ इण्डिया) के सम्पादकीय में दिया गया है, "बजट तथा अन्तर्राट्रीय मुद्राकोष":—

> "सभी ऐसे यथासम्भव कारणों में से जिनके आधार पर विपक्ष श्री प्रणव मुखर्जी के बजट पर आक्रमण कर सकता था, विपक्ष ने यह जो तर्क चुना है कि बजट अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष द्वारा प्रभावित है यह सबसे अधिक विचित्र है"।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यह अन्तर्राष्ट्रीय वित्त मन्त्रालय है।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं उद्धृत कर रहा हूं :—

"यह बात सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के कुछ अधिकारी जनवरी में दिल्ली आये थे और भारतीय अधिकारियों का एक दल इस समय वाशिंगटन में है। लेकिन इससे यह निष्कर्ष निकालना बेतुका है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के कर्मचारी यहां, बजट बनाने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में बैठे थे। कोई भी निष्पक्ष पर्यवेक्षक देखे गये कि यदि जनवरी के महीने में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के कर्मचारियों के साथ बजट के बारे में चर्चा भी हुई हो तो भी उसका श्री मुखर्जी द्वारा उद्योगपतियों, अर्थशास्त्रियों तथा अन्य लोगों के साथ वित्त विभाग सम्मेलन के बाद की गयी अनेक वार्ताओं की तुलना में इस सरकार के कर प्रस्तावों पर बहुत कम प्रभाव पड़ा है।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : आपके अपने ही आर्थिक सर्वेक्षण में यह बात स्वीकार की गयी है कि यह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष की शर्तों के ही अन्दर है। यह बात कल श्री इन्द्रजीत गुप्त ने पढ़ी थी।

श्री जनार्दन पुजारी : गरीब वर्गों के लिये अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कमजोर वर्गों के लिये हमारी सरकार ने क्या किया है, हमारे बैंकों ने क्या किया है वह यह है।

आम तौर पर यह बात कही जाती है कि बैंक समाज के कमजोर वर्गों– अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति—के लोगों को ऋण सहायता प्रदान नहीं कर रहे हैं। दिसम्बर, 1980 के अन्त में, प्राथमिकता क्षेत्र के अन्दर, सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने 21 लाख लोगों को 339 करोड़ रुपये दिये थे। हम जानते हैं कि सम्बद्ध विकास कार्यों की तुलना में इस राशि को केवल एक अच्छी शुरूआत ही कहा जा सकता है। बैंकों को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों की ऋण आवश्यकताओं की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये।

अंत में, मैं 10 वर्षीय सामाजिक सुरक्षा प्रमाणपत्रों की कुछ मुख्य बातों के बारे में कहना चाहूंगा। मुख्य बातें, ये हैं :—

(1) प्रमाण पत्र के पूरा होने की अवधि 10 वर्ष होगी।

(2) प्रमाणपत्र 500 रुपये तथा 1000 रुपये के दो मूल्यों के होंगे। 10 वर्ष की अवधि पूरी होने पर क्रमशः 1500 रुपये तथा 3000 देय होंगे अर्थात् पूंजी निवेश से तीन गुणा अधिक।

(3) सामान्यतः पहले तीन वर्षों के बाद धारक द्वारा प्रमाणपत्र को किसी भी समय भुनाया भी जा सकता है। ऐसे मामलों में प्रमाणपत्र का वर्तमान मूल्य डाक घर बचत खातों (जो इस समय 5.5 प्रतिशत प्रति वर्ष है) के प्रचलित ब्याज दरों के अनुसार ब्याज सहित देय होगा।

(4) विद्यमान राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रों के विपरीत नये प्रमाणपत्रों में सामाजिक सुरक्षा का तत्व होगा, अर्थात् धारक की मृत्यु की दशा में इसके द्वारा बीमे का लाभ भी मिलेगा। यदि धारक किसी भी कारण प्रमाणपत्र का क्रय करने की तिथि के दो वर्ष बाद मर जाता है तो उसके द्वारा नामजद व्यक्ति अथवा कानूनी उत्तराधिकारी को पूरी अवधि की प्रतीक्षा किये बिना पूरी अवधि का मूल्य मिलेगा। यह लाभ उस दशा में भी मिलेगा यदि धारक पहले दो वर्षों के अंदर आत्महत्या अथवा स्वयं पहुंचायी गयी चोट को छोड़कर किसी अन्य अप्राकृतिक कारण से मर जाये।

(5) बीमा लाभ को ध्यान में रखते हुये, इन प्रमाणपत्रों के रखने की अधिकतम सीमा 5000 रुपये होगी।

(6) योजना को सरल बनाये रखने के लिये, धारक के पास किसी चिकित्सक का प्रमाणपत्र का होना जरूरी नहीं है। तथापि धारक 18 से 45 वर्ष की आयु का होना चाहिये और उसे यह घोषणा करनी होगी कि उसका स्वास्थ्य अच्छा है और पिछले तीन वर्षों के दौरान वह कुछ निर्दिष्ट रोगों से ग्रस्त नहीं रहा है और 10 दिन से अधिक किसी सर्जिकल ओपरेशन के लिये अस्पताल में नहीं रहा।

(7) प्रमाणपत्रों के लाभ का हर 10 वर्ष के लिये 11.3 प्रतिशत (चक्रवृद्धि ब्याज) प्रतिवर्ष बनता है। यह मई, 1981 में लागू 6 वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रों के 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष (चक्रवृद्धि ब्याज) ब्याज से कुछ कम है। फिर भी यदि बीमे की लागत को ध्यान में रखा जाये तो नये प्रमाणपत्रों के ब्याज की दर 6 वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रों की 12 प्रतिशत से अधिक होगी।

(8) नये प्रमाणपत्रों के ब्याज पर वार्षिक प्राप्ति के आधार पर आयकर लगेगा। उस आधार पर, 5000 रुपये की अधिकतम राशि पर ब्याज पहले वर्ष के 580·60 रुपये से बढ़ता बढ़ता दसवें वर्ष में 1560·60 रुपये हो जायेगा। यह छूट की 3000 रुपये की राशि के अन्दर है (जिसे वित्त विधेयक 1982 में 4000 रुपये तक बढ़ाया जा रहा है) जिसकी व्यवस्था प्रमाणपत्रों तथा अन्य निर्दिष्ट प्रतिभूतियों से प्राप्त ब्याज से आय सम्बन्धी आयकर अधिनियम की धारा 80 एल में की गयी है।

श्रीमन्, यह मेरा पहला भाषण है।

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : बहुत अच्छा भाषण है। मुझे आशा है कि आप ऐसे और भाषण देंगे।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : यह एक अच्छा प्रयास है।

श्री जनार्दन पुजारी : आपने जो कुछ कहा उसके लिये धन्यवाद।

राष्ट्र के सामने बहुत काम हैं। मैं केवल एक ही बात कहूंगा। जहां तक भारत का सम्बन्ध है। आज हम हर जगह, बैंकों में, बीमा संस्थाओं में तथा अन्य क्षेत्रों में भी अनुशासनहीनता देखते हैं। जहां तक बैंकिंग तथा बीमा क्षेत्र का सम्बन्ध है, वहाँ सेवा के स्तर में गिरावट आ गयी है। हम उन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही कर रहे हैं। कुछ लोग 10½ बजे अथवा 11½ बजे दफ्तर आकर लगभग 2½ बजे वापिस चले जाते हैं। जहां तक अनुशासनहीनता का सम्बन्ध है, सरकार कार्यवाही करने के लिये कृतसंकल्प है। उसके लिये मुझे विपक्ष के सदस्यों की सहायता की आवश्यकता होगी क्योंकि उनके पास एक मजबूत संगठन है।

जहां तक अनुशासन का सम्बन्ध है, जब तक देश में अनुशासन नहीं होगा। उस समय तक हम न तो प्रगति कर सकते हैं और न ही हम समृद्ध हो सकते हैं। हम कह सकते हैं कि हमारी सभी कमियों का समाधान अनुशासन तथा कठिन परिश्रम है।

यदि विपक्ष के लोग, तथा संसद के अंदर और बाहर के लोग सरकार को सहयोग दें तो मेरे विचार में हमारा देश मजबूत बनेगा।

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : सरकार क्या करेगी ?

जनार्दन पुजारी : हम भी पूरा सहयोग देंगे। हमारे विचार में हमारा राष्ट्र मजबूत, शक्तिशाली तथा समृद्ध बनेगा।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : मान लो कि हम आपके साथ सहयोग नहीं करते। तब आप क्या करेंगे ?

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : यदि आप सहयोग नहीं देते, तो रहने दीजिये।

श्री एन० सुन्दर राजन (शिवकाशी) : मैं अपने ए० आई० ए० द्रमुक दल की ओर से सब से कम उम्र के···द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री सतीश अग्रवाल : केवल 14 कांग्रेसी सदस्य बैठे हैं।

श्री एन० सुन्दरराजन : यदि वित्त मंत्री महोदय तमिलनाडु में महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिये प्रावधान करने का ध्यान रखते तो मैं अधिक खुश होता हम सेतुसमुद्रम परियोजना को शामिल

करने की मांग करते आये हैं। जब उस परियोजना के लिये योजना बनाई गयी थी तो इसकी अनुमानित लागत 37 करोड़ रुपये थी। अब इसकी लागत का अनुमान 106 करोड़ रुपये लगाया गया है। यदि इसमें और विलम्ब हुआ तो मुझे भय है कि इसमें 200 करोड़ रुपये और खर्च होंगे। अत: मैं अनुरोध करता हूं कि सरकार इस परियोजना पर विचार करे।

हम अपने पूर्वी तट पर राजमार्ग योजना की मांग भी करते आ रहे हैं। यदि इस परियोजना को चलाया गया, तो मुझे विश्वास है कि इससे मद्रास से लेकर कन्याकुमारी तक के सभी 7 जिलों को लाभ पहुंचेगा। इसका फासला 733 किलोमीटर होगा। इसमें अधिक लागत नहीं आयेगी। यदि यह एक-मार्गी परियोजना है तो अनुमानत: 50 करोड़ रुपये का काम होगा, यदि यह दो-मार्गी परियोजना हो तो इसकी अनुमानित लागत 80 करोड़ रुपये होगी। हमारी तमिलनाडु सरकार ने आवश्यक ब्यौरा भेज दिया है। मुझे आशा है कि केन्द्रीय सरकार इसे कार्यान्वित करेगी क्योंकि यह राष्ट्रीय हित में उपयोगी होगी।

हमारे प्रधान मंत्री ने इस वर्ष को 'उत्पादकता वर्ष' घोषित किया है और संशोधित 20 सूत्री कार्यक्रम लागू किया है।

अत: मैं नहीं जानता कि वित्त मंत्रालय हमारे कृषि ऋण राहत कार्यक्रम के विरुद्ध क्यों है। कृषि ऋण राहत के रूप में किसानों को हमने 192 करोड़ रुपया दिया है। जब तक किसानों तथा गरीबों को आवश्यक प्रोत्साहन नहीं दिया जाता, उस समय तक हम उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं ? मुझे इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं कि किसान ही हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। जब तक उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं किया जाता और उन्हें राष्ट्रीय गतिविधियों में भाग लेने के लिये प्रोत्साहित नहीं किया जाता, उस समय तक हमारे सभी कार्यक्रम-चाहे 20 सूत्री हो या 5 सूत्री, निरर्थक ही होंगे।

अत: मेरा अनुरोध है कि केन्द्रीय सरकार को कृषि ऋण राहत कार्यक्रम को अपने राष्ट्र के हित में शुरू करना चाहिये और मैं अन्य राज्यों से भी इसका अनुकरण करने का अनुरोध करता हूं।

इस बात का श्रेय तमिलनाडु सरकार को जाता है कि ये देश के उन थोड़े से राज्यों में से एक है जिसके मामले में भारतीय रिजर्व बैंक ने विपरीत टिप्पणियां नहीं दी हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने भी अक्तूबर, 1981 में हैदराबाद में यह बात स्वीकार की थी। अत: मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि आन्तरिक घटकों के अनुसार तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था को अर्थक्षम बनाने की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाएं, विशेषकर 20 सूत्री कार्यक्रम में प्रतिवादित सिद्धान्तों के आधार पर।

माननीय मंत्री ने संकेत किया है कि बड़ी संख्या में उद्योगों में उत्पादन का नया कीर्तिमान स्थापित किया जाएगा। मैं माननीय मंत्री को वेतन भोगी कर्मचारियों को रियायत देने के लिए और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं आरम्भ करने के लिए बधाई देता हूं।

कुछ माननीय सदस्यों ने हमारे माननीय वित्त मंत्री की यह कह कर आलोचना की है कि यह बजट अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के अधिकारियों के निर्देशानुसार तैयार किया गया है। मैं इसके विरुद्ध अपना कड़ा विरोध व्यक्त करता हूं। वित्त मंत्री इस सभा के किसी अन्य सदस्य से कम देश भक्त नहीं हैं। मैं आशा करता हूं कि हमारी प्रधान मंत्री के गतिशील नेतृत्व के अधीन, सम्पूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था किसी विदेशी हस्तक्षेप के बिना ही फलेगी-फूलेगी।

मैं माननीय मंत्री को तमिलनाडु में सभी परियोजनाओं को राष्ट्रीय हित में आरम्भ करने का अनुरोध करता हूं तथा उनसे किसानों और अन्य सामान्यजन को सुखी बनाने के प्रयास करने का अनुरोध करता हूं ताकि इस उत्पादकता वर्ष का वास्तविक अर्थ सार्थक हो सके।

मैं माननीय मंत्री को रोजमर्रा के प्रयोग की कुछ वस्तुओं को उत्पादन शुल्क से छूट देने के लिए बधाई देता हूं। मैं माननीय मंत्री से सभी कुटीर उद्योगों, विशेषकर माचिस उद्योग, को उत्पादन शुल्क से छूट देने का अनुरोध करता हूं।

हमारे तमिलनाडु के मुख्य मंत्री ने केन्द्रीय सरकार को सभी महत्वपूर्ण नदियों का राष्ट्रीयकरण करने का पहले ही अनुरोध किया है। अतः मैं केन्द्रीय सरकार से उसके नियंत्रणाधीन एक अन्तर्राज्यीय नदी बोर्ड का गठन करने का अनुरोध करता हूं ताकि सभी नदी विवाद आसानी से सुलझाये जा सकें।

कल, सभा में एक माननीय सदस्य ने कहा था कि यद्यपि केन्द्रीय सरकार ने कुछ परियोजनाओं की स्वीकृति दे दी है, फिर भी तमिलनाडु सरकार ने उन्हें क्रियान्वित नहीं किया है। मैं इसका कड़ाई से खण्डन करना चाहता हूं। वास्तविक तथ्य यह है कि तमिलनाडु सरकार सभी कार्यक्रमों, विशेषकर गरीबों के उत्थान के कार्यक्रम को ईमानदारी से क्रियान्वित करती रही है। सम्भवतः यही एकमात्र राज्य सरकार है जिसने हमारी प्रधान मंत्री के 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यक्रम संख्या 15 के अन्तर्गत शिक्षा का प्रसार करने के लिए, विशेषकर गांवों और उपनगरीय क्षेत्रों में निर्धनों और पद दलित समुदाय के बीच, मध्याह्न भोजन की योजना चालू की है जिसका खर्च 100 करोड़ रुपये पड़ता है।

20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत, क्या मैं कार्यक्रम संख्या 11 का उल्लेख कर सकता हूं, जिसके अन्तर्गत तमिलनाडु में 95 प्रतिशत गांवों में पूरी तरह से बिजली पहुंचा दी गई है। 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यक्रम संख्या 8 के अधीन हमने आत्मनिर्भरता योजना के अधीन लगभग सभी जिलों में सभी समस्याग्रस्त गांवों में पीने के पानी की आपूर्त्ति आरम्भ कर दी है, जिसे केन्द्रीय मंत्री, श्री नारायण दत्त तिवारी ने भी स्वीकार किया है। परिवार नियोजन कार्यक्रम तक को भी हमारी सरकार ने वास्तविक रूप से और सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया है। अतः मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि माननीय सदस्य ने हमारी तमिलनाडु सरकार की अनावश्यक रूप से आलोचना कैसे और क्यों की।

मुझे विश्वास है महोदय, यदि वित्त मंत्री वर्षों से विचाराधीन पड़ी परियोजनाओं के लिए हमारी सभी मांगों को स्वीकार करने की कृपा करते हैं और राष्ट्रपति को कृषि योग्य भूमि की अधिकतन सीमा के क्रियान्वयन के लिए हमारे भूमि सुधार विधेयक पर अपनी अनुमति देने के लिए मनवा लेते हैं तो तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से औद्योगिक तौर पर विकसित राज्य की तरह फले-फूलेगी। धन्यवाद, महोदय।

श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी (इलाहाबाद) : सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं कि और दो बातों की तरफ पहले ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस बजट में कृषि के लिये और इंडस्ट्री के लिये मुख्य रूप से काफी धन दिया गया है। आंकड़ों में न जा कर के यह कहना चाहता हूं कि कृषि उत्पादन निश्चित रूप से हमारे देश में बढ़ा है और इतना बढ़ा है कि 1917 में आज का रूस आजाद हुआ था लेकिन आज

के रूस को 65 वर्ष की आजादी के बाद भी 7 बिलियन डालर का गल्ला केवल इस वर्ष मंगाना पड़ रहा है। लेकिन 1947 में हुआ आजाद भारत 35 वर्ष के बाद गल्ला मंगाने की स्थिति में नहीं है, बल्कि अनाज उत्पादन इतना बढ़ गया है कि धीरे-धीरे आगे आने वाले समय में हम निर्यात भी कर सकते हैं। लेकिन मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हाल के वर्षों में कृषि के उत्पादन में घटी आयी है और फर्टिलाइजर का उपयोग किसानों ने कम किया है जिसके बारे में दो डेटा मैं देना चाहता हूं। फर्टिलाइजर की खपत 1970 से 1975 तक 20 प्रतिशत थी और 1978-79 से 5 प्रतिशत हो गई है आज सरकार को सोचना है कि जो फर्टिलाइजर है इसके इस्तेमाल में किसान क्यों कमी कर रहा है ?

दूसरी चीज यह है कि कृषि के विकास की दर 1975-76 में 2.8 प्रतिशत थी, और आज केवल 47 परसेंट है।

यह साफ जाहिर करता है कि आज किसानों को उनकी पैदा की जाने वाली चीजों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, जिससे किसान हतोत्साहित होकर, जब कि खाद का उत्पादन बढ़ता जा रहा है, देश में सिंचित खेती बढ़ती जा रही है, लेकिन फर्टिलाइजर की खपत घटती जा रही है और कृषि का विकास-दर जो पहले था, वह कम होता जा रहा है।

आज उत्तर प्रदेश में आलू की क्या दशा है ? आलू पैदा करने वाला किसान सिर पर हाथ रखकर रो रहा है, उसका आलू बिकता नहीं है। गेहूं और धान की जब फसल आती है, उन पर जितनी भरती लगती है, कुल मेहनत-मजदूरी घटाकर किसान को उचित मूल्य नहीं मिलता। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसान को कुछ ओर छूट दी जाये।

जो खादों में छूट देने की घोषणा इस बजट में की गई है, लेकिन किसान के लिये जो सबसे जरूरी खाद यूरिया और डाई अमोनियम फास्फेट है, उसमें छूट का कोई प्रवाधान नहीं किया है। यह सबसे मंहगी खाद है और इसका ज्यादा से ज्यादा किसान इस्तेमाल करता है। जब कि यूरिया और खाद का उत्पादन 20 लाख से 30 लाख टन हो गया है, आगे भी इसका उत्पादन बढ़ने की संभावना है, तो मेरी समझ में नहीं आता कि जो आयात शुल्क और खादों पर कम किया गया है तो इन पर भी यह आयात शुल्क क्यों नहीं कम किया जाता ?

मेरी मांग है कि यूरिया और डी० ए० पी०, किसान ज्यादा इस्तेमाल करता है इनके दामों में भी कमी की जाये और किसान जो गल्ला पैदा करता है, उसको उचित मूल्य मिले।

मैं विनम्रतापूर्वक यह भी कहना चाहता हूं कि पर्चेजिंग सैंटर्स भी जिस हिसाब से गांव में खुलने चाहिएं, जब किसान की फसल आती है तो वह नहीं खुलते और उसको विवश होकर सस्ते दाम पर अपना गल्ला बेचना पड़ता है। जब उससे लगान, तकावी और दूसरी चीजों की वसूली होती है तो किसान के हितों की भी रक्षा होनी चाहिये।

दूसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं, आप भी सौभाग्य से सभापति महोदय, पूर्वी उत्तर-प्रदेश से हैं और हम भी इलाहाबाद के पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं। एक पटेल आयोग बैठा था, उसकी फाइंडिंग्ज आई थी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, केरल के बाद शायद हिन्दुस्तान का सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला प्रदेश है जहां पर कि एक्वायर माइल सबसे घनी आबादी है और बड़ी गरीबी है।

वहां के विकास और औद्योगीकरण के लिये एक साधन पेश किया था, एक रिपोर्ट पेश की थी उस पटेल कमीशन ने, लेकिन उस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि वह जिस जगह रखी हो, दबी हो, वित्त मंत्री महोदय उसको देखें और पटेल आयोग की सिफारिशों को पूरा करने के लिये बजट में प्रावधान करें जिससे पूर्वी उत्तरप्रदेश, जो कि बहुत पिछड़ा हुआ गरीब प्रदेश है, जहां पर-कैपिटा इनकम सबसे कम है, उसमें भी समृद्धि आ सके, वह भी कुछ आगे बढ़ सके।

इंडस्ट्रीज के बारे में काफी घन दिया गया है, लेकिन जैसा कि सदन के सदस्यों का मत था, हमारे श्री राजीव गांधी जी ने भी कल कहा, देश की जनता भी जानती है कि पब्लिक अंडरटेकिंग्ज का जितना युटिलाइजेशन होना चाहिये, उनमें उतना उत्पादन नहीं हो रहा है, वह घाटे में चल रही हैं। इससे जनता के मन में नेशनलाइज्ड इंडस्ट्रीज के प्रति, राष्ट्रीयकृत की गई इंडस्ट्रीज के प्रति एक ऐसी भावना पैदा होती जा रही है कि यह सफल प्रयोग नहीं है। यह बात सही है कि नेशनलाइज्ड इंडस्ट्रीज अगर सफलतापूर्वक चलें तो देश का बहुत भला हो सकता है।

यह भी सुनने में आता है कि एक एक ब्यूरोक्रैट 10,10 अंडरटेकिंग्ज पर बेटा है, 2,3 में बैठा है, वह देख नहीं सकता एक दो को, मैं वित्त मंत्री जी से यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जो पब्लिक अंडरटेकिंग्ज हैं, बड़े-बड़े कल-कारखाने हैं, वहां पर एक आदमी को जिम्मेदारी दी जाये और उसको एकाउन्टेबल बनाया जाये। अगर उसमें घाटा होता है और वह लाभ पर चलती है तो वह आदमी जिम्मेदार हो, जिससे जनता में जो भावना प्रचलित होती जा रही है, कुछ पार्टियां उसको प्रचलित करने की कोशिश भी कर रही हैं कि राष्ट्रीयकरण से कुछ होने वाला नहीं है, तो यह भावना देश में व्याप्त न हो सके, क्योंकि बिना राष्ट्रीयकरण के, बिना सरकारी मशीनरी के, बिना सरकारी कल-कारखाने के, उद्योगपतियों के हाथ में अगर यह दे देंगे तो इससे देश का भला होने वाला नहीं है।

अब मैं प्रधान मंत्री जी के 20-सूत्री कार्यक्रम के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू ने इस देश को बहुत मजबूत आधार-शिला दी थी, जिसको प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी और मजबूत कर रही हैं। लेकिन देश की आबादी जिस गति से बढ़ती जा रही है, वह विकास-दर को खाती जा रही है। 1947 में जब हम आजाद हुए थे, तो हमारे देश की आबादी 37 करोड़ थी और 1981 की जन-गणना के अनुसार वह 67.60 करोड़ हो गई है। आबादी की दृष्टि से इन 34 बरसों में भारत में एक नया भारत समा गया है। चाहे किसी भी दल की सरकार हो, अगर आबादी की बढ़ोत्तरी न रोकी गई, तो कोई भी योजना और बजट काम करने वाले नहीं हैं।

1977 मे कुछ गलतियां शासन की तरफ भी हुईं थीं, लेकिन विरोधी दल के लोगों ने मात्र वोट प्राप्त करने के लिए और चुनाव-प्रचार में फायदा उठाने के लिए देश में ऐसा हंगामा खड़ा कर दिया कि परिवार-नियोजन के प्रति रुचि में बिखराव आ गया। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि बजट में प्राविजन कर के इनसेंटिव्ह दिया जाए कि हर परिवार में दो बच्चे हों, चाहे लड़के हों या लड़कियां हों। अगर कोई तीन, चार, पांच बच्चे पैदा करे, तो उसको सजा न दी जाए, लेकिन जो

केवल दो बच्चे पैदा करे, उसको इनसेन्टिव देने का प्रावधान किया जाए। इससे आबादी की वृद्धि पर रोक लगाई जा सकती है।

आज हमारे बजट में घाटा है। टैक्स-इवेजन जिस रफ्तार से और जिस मात्रा में हो रहा है, अगर उसको सख्ती से रोका जाए, तो मेरा निश्चित मत है कि बजट में डेफिसिट नहीं होगा। मैं समझता हूं कि कोई मार्जिनल काट-छांट करने या कायदा-कानून बदलने से टैक्स-इवेजन को नहीं रोका जा सकता। मैं पार्लियामेंट और वित्त मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिए वर्तमान स्ट्रक्चर में फंडामेंटल चेंज करनी होगी। टैक्स-इवेजन को रोके बिना सरकार और देश की आमदनी में घाटा होता रहेगा और ब्लैक मनी की पैरालल इकानोमी को नहीं रोका जा सकेगा।

अन्त में मैं अपने क्षेत्र के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। इलाहाबाद में 16 गांवों की जमीन आज से पंद्रह बरस पहले कल-कारखानों के लिए ली गई थी और किसानों को मुआवजा दे दिया गया था। लेकिन आज आधी जमीन पर कल-कारखाने लगे हैं और आधी जमीन आज भी बेकार पड़ी है। न तो उस पर खेती हो रही है और न कल-कारखाने लगे हैं। शंकरगढ़ में सिलिका सैंड निकलती है। उस काम में दस हजार मजदूर लगे हुए हैं। वह सिलिका सैंड वैस्ट बंगाल और दूसरी जगह फैक्टरियों में जाती है। वित्त मंत्री से मेरा निवेदन है कि इस बजट में प्रावधान कर के छठी पंच-वर्षीय योजना में उस क्षेत्र में इंडस्ट्रीज लगाने की व्यवस्था की जाए, जहाँ कच्चा माल मिलता है, जहाँ रेलवे लाइन, सड़कें और बिजली है, हर तरह की फैसिलिटी है, सस्ती लेबर मिलती है और इंडस्ट्रियल पीस है।

श्री रामकृष्ण मोरे (खेड) : मैं इस बजट का समर्थन करता हूं क्योंकि यह छोटे उद्यमियों और किसानों की सहायता करने वाला सन्तुलित बजट है। इसमें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना सहित 20 सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री द्वारा इस सभा में पेश किये गये बजट में हमारी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अनेक रचनात्मक प्रस्ताव सम्मिलित हैं।

यद्यपि चालू वित्त वर्ष के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में हुए विकास से कृषि और औद्योगिक उत्पादन के साथ-साथ बुनियादी ढांचे में भी सुधार होने के संकेत मिलते हैं, फिर भी दो विशिष्ट बातों को याद रखना होगा : औद्योगिक उत्पादन के विकास की मन्द दर छठी योजना में 8 प्रतिशत के लक्ष्य की तुलना में यह 1980-81 में 4.3 प्रतिशत की दर से बढ़ी—और अर्थव्यवस्था पर लगातार मुद्रस्फीति का दबाव। अतः बजट का प्रमुख उद्देश्य अर्थव्यवस्था में अधिक निवेश को प्रोत्साहित करना और उससे उत्पादन रोजगार और आय बढ़ाने में सहायता करने के साथ-साथ मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखना होना चाहिए। बजट प्रस्ताव अधिक उत्पादकता के लिए बनाया गया है। इसलिए, मुझे आशा है कि बजट इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा।

इस लक्ष्य के साथ हमारे कर ढांचे को सुधारने के लिए मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

मैं अनुभव करता हूं कि कर राजस्व स्वजनित्र होना चाहिए। वह कर बढ़ाने के द्वारा नहीं बढ़ना चाहिए, बल्कि उत्पादन और आय का आधार में वृद्धि से बढ़ना चाहिए। कर रियायतों

और छूटों के सरकारी निर्धारण से यह भी पता चलता है कि करों की कम दर से अधिक राजस्व प्राप्त होता है।

इस समय, सभी महानगरों और जिला नगरों में, आवास की भारी कमी है। इसलिए, आय कर अधिनियम में उपयुक्त प्रोत्साहनों की व्यवस्था करके आवास में निवेश को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। यदि कोई निर्धारिती अपने आवास के निर्माण पर धन व्यय करता है, तो उसे उसकी कर योग्य आय से उतनी कटौती की अनुमति दी जानी चाहिए। इससे अनेक कर दाताओं को आवास पर निवेश करने का प्रोत्साहन मिलेगा।

इसी प्रकार, इस समय आय की संगणना करते समय मकानों के मूल्यह्रास के फलस्वरूप 40 प्रतिशत की कटौती की अनुमति दी जाती है। इस कटौती को बढ़ाकर लागत का 100% कर दिया जाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक नियोक्ता अपने कर्मचारियों के लिए मकान बनाने के लिए प्रोत्साहित हैं।

मकानों पर निजी पूंजीनिवेश का स्रोत नहीं पूछा जाना चाहिए। इससे मकानों पर निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा और तदन्तर पूरी सम्पत्ति धन-कर योग्य होगी और काले धन की समस्या को नियंत्रित तथा कम करने में सहायता होगी।

इस समय आयकर अधिनियम में स्वयंयोजित व्यक्ति के लिए कोई विशेष प्रोत्साहन या सुविधा नहीं है। ऐसे स्वयंयोजित व्यक्तियों के लिए कोई रियायत नहीं दी गई है। अपना स्वयं का स्वतंत्र व्यवसाय या व्यापार करने वाले व्यक्ति स्वयं योजित हैं और दूसरे व्यक्तियों को रोजगार देते हैं और इस प्रकार देश में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या में कमी कर रहे हैं। अतः, उसे सक्रिय प्रोत्साहन की आवश्यकता है। इससे अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार को भी अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। इसलिए, स्वयंयोजित व्यक्तियों को प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के लिए आयकर अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत विशेष विचार किए जाने की आवश्यकता है।

इस समय, धारा 10 (21), 12 (22), और 10 (23), के अन्तर्गत प्रावधानों के अनुसार शैक्षिक, चिकित्सकीय, वैज्ञानिक, अनुसंधान एसोशियेशनों। संस्थानों को आयकर से छूट दी गई है। इसी तरह की छूट देने का कानून बनाने की आवश्यकता उन संस्थानों के लिए भी है जिनका उद्देश्य ग्रामीण, कृषि विकास का प्रोत्साहित करना और गन्दी बस्तियों का सुधार करना है। इन कार्यों को बड़े पैमाने पर करने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह भी आवश्यक है कि ऐसे संस्थानों को अंशदान किए गए धन के लिए 15% की कटौती की व्यवस्था की जाए।

आय कर अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित न्यास निधियों के लिए निवेश के रूप की पुनरीक्षा की जानी चाहिए और धर्मार्थ न्यासों द्वारा डिबेंचरों में निवेश के लिये भी अनुमति दी जानी चाहिए। उनको न्यास प्रत्याभूतियों के रूप में घोषित किया जाना चाहिए।

हाल ही में, डिबेंचरों ने बहुत महत्त्व प्राप्त कर लिया है। परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय दोनों प्रकार के डिबेंचर उद्योगों के लिए वित्त का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं। सरकार ने इन डिबेंचरों को लोकप्रिय बनाने के लिए सुझाव देने हेतु एक अध्ययन दल की नियुक्ति की है।

इस संदर्भ में डिबेंचरों के लिए कर रियायतें देने के संबंध में मैं कुछ सुझाव देता हूं। यदि उन्हें क्रियान्वित किया जाता है तो मुझे आशा है कि डिबेंचर निवेशकर्त्ताओं के लिए बहुत आकर्षक सिद्ध होंगे।

कम्पनियों की मियादी जमा पर 1000 रुपये प्रतिवर्ष की राशि तक कर-मुक्त ब्याज दिया जाता है, पर डिबेंचरों के ब्याज की आय पर स्रोत पर ही आय कर काट लिया जाता है और यह निवेशकर्त्ताओं को डिबेंचरों में निवेश करने की इच्छा का प्रमुख कारण है। इसलिए, स्रोत पर आय कर कटौती पर वही नियम लागू हों जो कम्पनियों में जमाराशियों पर होते हैं।

दूसरे, नए डिबेंचरों में निवेशित राशि की मात्रा को कर-योग्य आय से कटौती योग्य बनाया जाना चाहिये जैसा कि इस समय कतिपय इक्विटी इश्यू के लिए आय कर अधिनियम की धारा 88 ग ग के अन्तर्गत लागू होता है।

तीसरे, डिबेंचरों में निवेश को धन कर अधिनियम, 1957 की धारा 5 (1क) के अन्तर्गत छूट के योग्य बनाया जाना चाहिए।

चौथे, अन्तर निगमित लाभांशों के कराधान संबंधी आयकर अधिनियम की धारा 88 ड ड के प्रावधान डिबेंचरों में निवेश पर भी लागू होने चाहिए।

पांचवें, देश में पूंजी बाजार बहुत ही मंदा है और निवेशकर्त्ता नई कम्पनियों में निवेश करने में हिचकिचाते हैं क्योंकि पहले तीन-चार वर्षों में उनसे कोई आय नहीं होती है।

सभापति महोदय : कृपया अब अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री राम कृष्ण मोरे : महोदय, कृपया मुझे कुछ समय और दीजिए।

सरकार ने छोटे-छोटे उद्योगों को, उन उद्योगों का विकास तेज करने और उनके शीघ्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए, विभिन्न छूटें दी हैं। बहरहाल, बेचारे बुनकर वर्ग के लोगों की दुखद स्थिति, जो विशेष रूप से विकसित विद्युत करघों (बिना स्पिनिंग या प्रोसेसिंग प्लांट) के) पर तौलिये बुनते हैं, बदली नहीं है।

महाराष्ट्र में, शोलापुर में ऐसे छोटे विद्युत करघों के अनेक एकक हैं, जिसमें से प्रत्येक में चार विद्युत करघें हैं और जिनमें तौलिया बनाये जाते हैं। मालिक स्वयं एक विद्युत करघों पर काम करता है और शेष तीन विद्युत करघों पर अन्य बुनकरों को रोजगार देता है। यह कपड़ा टैरिफ मद-19 सूती कपड़े के अन्तर्गत आता है और इस पर यथा मूल्य आधार पर शुल्क लगता है। वे अनपढ़ बुनकर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रक्रिया का पालन करने और निर्धारित प्रलेखों का रख-रखाव रखने में कठिनाई अनुभव करते हैं। इसके अतिरिक्त उनको प्राप्त लाभ इतना कम होता है कि वे इस कार्य के लिए एक क्लर्क नहीं रख सकते हैं।

स्वदेशी विकसित विद्युत करघों पर, जिनकी लागत 10,000/-रुपये पड़ती है, इस प्रकार के तौलियों का निर्माण देश में अद्वितीय मामला है। बेचारे इन बुनकरों के उत्पाद का मूल्य कपड़ा मिलों के उत्पाद के बराबर नहीं दिया जाता है।

इसके अतिरिक्त इस उत्पाद को दिनांक 19-6-1980 की अधिसूचना संख्या 80/80 के अंतर्गत छूट भी नहीं दी जाती है जबकि ये एकक लघु उद्योग की श्रेणी में आते हैं। यह उन विद्युत करघा मालिकों के प्रति अन्याय है।

इसलिए, मैं सुझाव देना चाहता हूं कि यथा मूल्य आधार पर शुल्क लेने के बजाय मिश्रित लेवी प्रणाली के आधार पर शुल्क लिया जाना चाहिए और, समय-समय पर संशोधित, रूप में दिनांक 19.6.1980 की अधिसूचना संख्या 80/80 का लाभ भी इन एककों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : श्री पीयूष तिरकी आज बोलना चाहते हैं क्योंकि वे सोमवार को यहां नहीं होंगे। मैं समझता हूं हम अगले दस मिनट और बैठ सकते हैं।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

श्री पीयूष तिरकी (अली पुरद्वार) : सभापति महोदय, बजट जो सदन में प्रस्तुत किया गया है, इसमें कोई नवीनता नहीं है, लेकिन यह कहा जा सकता है कि यह बजट "बैटर-दैन-वर्स" बजट है।

बीस सूत्री कार्यक्रम और आई० एम० एफ० लोन के संबंध में बहुत से सदस्य अपने विचार प्रस्तुत कर चुके हैं और सरकार भी चाहती है कि "वर्क-मोर", लेकिन यह नहीं कहती है कि "अर्न-मोर"। मैं सरकार से यह अर्ज करना चाहता हूं कि "वर्क-मोर" के साथ "अर्न-मोर" भी होना चाहिए और "प्रोड्यूस-मोर के साथ "गेन-मोर" भी होना चाहिए, तभी जनता सुखी होगी और आपका बीस सूत्री कार्यक्रम सफल हो सकता है।

केन्द्र सरकार 1982-83 के दौरान बजट रेलवे और पोस्ट तथा टेलीग्राफ के जरिए जनता 894 करोड़ रुपया अदा करने वाली है। इससे कमजोर वर्ग के लोगों के ऊपर ज्यादा भार पड़ेगा। 1982-83 में जीवन-निर्वाह में असंतुलन पैदा होना अनिवार्य है। रुपए की कीमत बराबर घटती जा रही है। 1970 में रुपए का मूल्य 53.76 पैसे था, 1981 में रुपए का मूल्य 27.70 पैसे था, 1982-83 में यदि यह 20 दशमलव भी रहे तो यह सौभाग्य की बात समझी जा सकती है। केन्द्रीय सरकार का खर्च 1982-83 में 29, 219 करोड़ रु० यानी प्रतिव्यक्ति 429 रु० है। इन तमाम स्रोतों के बावजूद भी सरकार की आमदनी में 1365 करोड़ रुपए का घाटा रहेगा। इसी प्रकार रक्षा के लिए अगले वर्ष 50 करोड़ रुपए दिए गए हैं, यह खुशी की बात है, लेकिन इसके साथ-साथ इस दिशा में भी सरकार को ख्याल करना चाहिए कि देश की आम जनता खुशहाल हो, और उनको प्राइमरी वस्तुएं उपलब्ध हो सकें।

मिलिट्री की भाषा में अच्छी बन्दूकों और अस्त्रशस्त्रों से लड़ाई नहीं जीती जा सकती है बल्कि देश के हर मनुष्य, हर व्यक्ति की शक्ति से लड़ाई जीती जा सकती है। इसलिए जो साधारण आम जनता की समस्याएं हैं, उनका समाधान करने में सरकार को ज्यादा जागरूक होना चाहिए। रक्षा के साथ-साथ सरकार के सभी अलाभकारी या अनुत्पादक खर्च मिला कर कुल खर्च 18,227 करोड़ रुपये हो जाएगा। यही एक सबसे बड़ा खर्च है यानी 18,000 करोड़ रुपये वर्ष में, जो 50 करोड़ रुपया प्रति दिन मुद्रास्फीति में बढ़ावा देगा और इस से असमानता भी बढ़ेगी।

1982-83 के दौरान केन्द्र-राज्य योजना खर्च 27,130.15 करोड़ रुपए होगा। सामाजिक सेवाओं में 2 855.76 करोड़ रुपये को छोड़ दिया जाए तो बाकी राशि बड़ी जवों में जाने वाली है।

यह जो बजट है, इस से उद्योगपतियों का हित होगा। सभी क्षेत्रों में भारी खर्च करने के बावजूद, भूख, बेरोजगारी, अशिक्षा और बीमारी बढ़ती ही जाएगी। गरीबी के लिए जनसंख्या वृद्धि को दोषी ठहराया गया है परन्तु विभिन्न टैक्स, सरकारी खर्च, जन ऋण और आरामदेह उपभोग 500 प्रतिशत से भी अधिक बढ़ गये हैं और जनसंख्या सिर्फ दुगनी ही बढ़ी है। व्यक्ति के हर कदम पर टैक्स या लेवी लगाई गई है और सरकार 18,248 करोड़ रुपये इन से वसूल करेगी। और राज्य सरकारें 68 करोड़ रुपया वसूल करेंगी तो ये रुपये कहां जाते हैं, यह सरकार के समझने की बात है।

1981-82 में केन्द्र और राज्य सरकारों ने 22,191 करोड़ रुपए टैक्स के अदा किए यानी प्रति दिन प्रति व्यक्ति एक रुपया। इस के अलावा विभिन्न मदों में सरकार का जन-ऋण 1950-51 में 2565.40 करोड़ से बढ़ते-बढ़ते 1982-83 में 77,978.02 करोड़ रुपए हो गया है। इस तरह से प्रत्येक भारतीय पर प्रति व्यक्ति ऋण जहां 1951 में 71 रुपये था, वह 1982 में बढ़ कर 1,148 रुपये हो गया है जबकि अनाज, दाल, तेल और कपड़े की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी भी नहीं हुई है। दूसरी ओर ऋण का बोझ 30-40 प्रतिशत बढ़ गया है।

1981-82 में केन्द्र और राज्य सरकारों का खर्च 39,883 करोड़ रुपये हो गया है यानी प्रति व्यक्ति प्रति दिन 1.60 रुपये है। 1982-83 में केन्द्रीय खर्च कुल 29,279 करोड़ रुपये वार्षिक है यानी 81 करोड़ रुपये प्रति दिन है। इस के अलावा राजस्व या उपयोग खर्च 18,227 करोड़ रुपये वार्षिक होगा यानी 50.7 करोड़ रुपए रोजाना होगा। रक्षा राजस्व और पूंजी एकाउंट्स पर 5,100 करोड़ रुपए वार्षिक खर्च होगा यानी 14.16 करोड़ रुपए रोजाना खर्च होगा। राष्ट्रपति के विभिन्न खर्चों में 87.97 लाख रुपए खर्च होंगे यानी 22,796 रुपये प्रति दिन खर्च होगा। मंत्रियों पर 363 लाख रुपए वार्षिक खर्च होगा यानी 30 लाख रुपए प्रति महीने। 1982-83 में पुलिस केन्द्रीय खर्च 369 करोड़ रुपये वार्षिक होगा यानी लगभग 1 करोड़ रुपये रोजाना खर्च होंगे। पुलिस पर 1981-82 में केन्द्र और राज्यों में 1234 करोड़ रुपये खर्च किये गये केन्द्र सरकार ने 122 लाख रुपए जेलों पर खर्च किये किन्तु जेलों की व्यवस्था जो अभी है, वह कहने लायक नहीं है। यह 33,888 रुपए प्रति दिन बैठता है।

राज्य सभा, लोक सभा और संसदीय मामलों के विभागों का खर्च 11.65 करोड़ रुपए है यानी 3.23 लाख रुपये रोजाना है। यह हमारे देश का बजट है।

आज हमारे देश की यह हालत है कि हमें ऋण चुकाने के लिए भी ऋण लेना पड़ रहा है। 5000 करोड़ रुपए का जो आई० एम० एफ० से लोन लिया जा रहा है, उसका यही मतलब है।

इसी प्रकार आप देखें कि हमारा बैलेंसे आफ ट्रेड भी प्रतिवर्ष घटता चला गया है। 1977-78 में बैलेंस आफ ट्रेड—219 करोड़ रुपए था, 1978-79 में 503 करोड़ था और 1979-80

में और बढ़कर-438 करोड़ रुपए हो गया और अब जो आई० एम० एफ० से लोन ले रहे हैं, उससे यह और भी बढ़ जाने की आशा है जो हमारी अर्थव्यवस्था को छिन्न-भिन्न कर सकता है।

आज ये मल्टीनेशनल सहायता देने के नाम पर कहीं हमारी स्वतंत्रता के लिए खतरा तो नहीं पैदा कर रहे हैं, यह देखने की आवश्यकता है। ईस्ट इण्डिया कंपनी भी व्यापार के नाम से आई थी और यहाँ आकर उसने हमारी कमजोरियों को समझ लिया और हमें आपस में लड़वा कर गुलाम बनाया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सहायता के नाम पर हम अपनी आजादी खतरे में डाल रहे हैं।

इन सब बातों पर सरकार को सतर्कता पूर्वक विचार करना चाहिए। इन शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : माननीय सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय (श्री चन्द्रजीत यादव) : व्यास जी, अब आप अपना भाषण सोमवार को जारी रखिएगा।

अ० सभा सोमवार, 15 मार्च को 11 बजे पुनः सम्वेत होने के लिए स्थगित होती है।

7.13 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 15 मार्च, 1982/24 फाल्गुन, 1903 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।